


# Transforming lives... redefining banking!



विजया बैंक  
VIJAYA BANK  
(A GOVT. OF INDIA UNDERTAKING)  
*A friend you can bank upon*



वार्षिक रिपोर्ट ANNUAL REPORT 2013 - 14



मंडल के निदेशक  
Board of Directors



श्री के.आर.शेणै  
कार्यकारी निदेशक  
Shri K.R. Shenoy  
Executive Director



श्री वी. कण्णन  
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक  
Shri V Kannan  
Chairman & Managing Director



श्री बी.एस.रामा राव  
कार्यकारी निदेशक  
Shri B.S. Rama Rao  
Executive Director



श्री वी.के.चोपड़ा  
निदेशक  
Shri V.K. Chopra  
Director



श्रीमती सुमा वर्मा  
निदेशक  
Smt. Suma Varma  
Director



श्री प्रकाश चंद्र नलवाया  
निदेशक  
Shri P.C. Nalwaya  
Director



श्री पी.वैद्यनाथन  
शेयरधारक निदेशक  
Shri P. Vaidyanathan  
Shareholder Director



श्रीमती भारती राव  
शेयरधारक निदेशक  
Smt. Bharathi Rao  
Shareholder Director



श्री अशोक गुप्ता  
गैर-सरकारी निदेशक  
Shri Ashok Gupta  
Non Official Director



श्री एच.हरीश बल्लाल  
अधिकारी-कर्मचारी निदेशक  
Shri H. Harish Ballal  
Officer-Employee Director



श्री वाई.मुरलीकृष्णा  
कामगार निदेशक  
Shri Y. Muralikrishna  
Workmen Director

इस वर्ष पदमुक्त हुए मंडल के निदेशक  
Board of Directors who demitted office this year



श्री एच.एस. उपेंद्र कामत  
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक  
Shri H.S. Upendra Kamath  
Chairman & Managing Director



श्री निशांक कुमार जैन  
शेयरधारक निदेशक  
Shri Nishank Kumar Jain  
Shareholder Director



श्री सुरेश कामत  
कामगार निदेशक  
Shri Suresh Kamath  
Workmen Director



विषय-वस्तु	पृष्ठ सं.	CONTENTS	Page No.
निष्पादन वैशिष्ट्य 2013-14	2	Performance Highlights 2013-14	118
प्रगति की एक झलक	3	Performance at a glance	119
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का संदेश	4	Message from the Chairman & Managing Director	120
सूचना व टिप्पणियां	6	Notice & Notes	122
निदेशकों की रिपोर्ट	7	Director's Report	123
कंपनी शासन पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट	25	Report of the Board of Directors on Corporate Governance	143
कंपनी शासन पर लेखा परीक्षकों का प्रमाण पत्र	53	Auditors' Certificate on Corporate Governance	174
तुलन पत्र	54	Balance Sheet	175
लाभ व हानि लेखा	55	Profit & Loss Account	176
तुलन पत्र व लाभ व हानि लेखे की अनुसूचियां	56	Schedules to Balance Sheet and Profit & Loss Account	177
महत्वपूर्ण लेखा नीतियां 2013-14	64	Significant Accounting Policies 2013-14	185
लेखों पर टिप्पणियां	71	Notes on Accounts	193
नकदी प्रवाह विवरण	93	Cash Flow Statement	217
लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट	95	Report of the Auditors	219
बेसल II (स्तंभ 3) प्रकटीकरण	97	Basel II (Pillar 3) Disclosures	221
ईसीएस प्रारूप	243	ECS Format	244
प्रॉक्सी फार्म	245	Proxy Form	246

<b>वार्षिक सामान्य बैठक की सूचना</b> दिनांक : 27 जून, 2014 समय : 11.00 बजे स्थान : मुल्की सुंदर राम शेट्टी सभागृह, विजया बैंक, प्रधान कार्यालय, 41/2, एम.जी.रोड, बेंगलूरु - 560 001	<b>ANNUAL GENERAL MEETING</b> Date : 27 <sup>th</sup> June, 2014 Time : 11.00 AM. Place : Mulki Sunder Ram Shetty Auditorium, Vijaya Bank, HO, 41/2, M G Road, Bengaluru - 560 001
--	---

लेखा परीक्षक AUDITORS	पंजीयक व शेयर अंतरण एजेंट REGISTRAR & SHARE TRANSFER AGENT
मेसर्स मुकुन्द एम चिताले एण्ड कं. M/s. Mukund M Chitale & Co  मेसर्स कर्रा एण्ड कं. M/s. Karra & Co  मेसर्स एन.सी.मिस्तल M/s. N C Mittal & Co  मेसर्स केपीएमसी एण्ड एसोसिएट्स M/s. KPMC & Associates	मेसर्स लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड <b>M/s. Link Intime India Private Limited</b>  सी-13, पन्नालाल सिल्क मिल्स कंपाउन्ड, C-13, Pannalal Silk Mills Compound,  एल बी एस रोड, भंडुप (पश्चिम) <b>L B S Road, Bhandup (West)</b>  मुंबई - 400 078 Mumbai - 400 078  फोन Tel. (022) 25963838 फैक्स Fax : (022) 25946969  ई-मेल E-mail: mumbai@linkintime.co.in

## विजया बैंक VIJAYA BANK

(भारत सरकार का उपक्रम A Government of India Undertaking)

प्रधान कार्यालय Head Office, No. 41/2, एम जी रोड M.G. Road, बेंगलूरु Bengaluru - 560 001

फोन Phone : 080 - 2558 4066 (20 लाईन lines) फैक्स Fax : 080 - 2559 8040

वेबसाइट Website : www.vijayabank.com



## निष्पादन वैशिष्ट्य : 2013-14

### कारोबार वृद्धि

- ❖ 23.40% की वर्ष दर वर्ष वृद्धि दर्शाते हुए कुल कारोबार ₹ 2.00 लाख करोड़ का मीलपत्थर स्तर पार करके ₹206721 करोड़ रहा.
- ❖ 28.12% की वृद्धि दर्शाते हुए कुल जमाराशियां पिछले वर्ष के ₹97017 करोड़ से बढ़कर ₹ 124296 करोड़ रहीं.
- ❖ 14.92% की वृद्धि दर्शाते हुए खुदरा मीयादी जमाराशियां ₹ 43106 करोड़ रहीं.
- ❖ वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान कासा जमाराशियां 12.41% की वृद्धि दर्शाते हुए ₹ 22860 करोड़ रहीं.
- ❖ 17% की वर्ष दर वर्ष वृद्धि दर्शाते हुए सकल अग्रिम ₹ 82425 करोड़ रहे.
- ❖ प्रति कर्मचारी उत्पादकता की दृष्टि से उत्पादकता ₹ 13.87 करोड़ से ₹16.74 करोड़ तक बढ़ा.
- ❖ प्रति शाखा कारोबार मार्च 2013 को दर्ज ₹ 123.28 करोड़ से बढ़कर ₹ 136.72 करोड़ रहा.

### लाभ और लाभप्रदता

- ❖ मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिए निवल लाभ ₹ 416 करोड़ रहा.
- ❖ वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान ब्याज आय 18.27% बढ़कर ₹ 10707 करोड़ पहुंची.
- ❖ वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान कुल आय 18.20% बढ़कर ₹ 11417 करोड़ रही.

### गैर निष्पादन आस्तियां

- ❖ बैंक की सकल गैर निष्पादक आस्ति स्तर 31 मार्च 2014 को ₹ 1986 करोड़ रही.
- ❖ सकल गैर निष्पादक आस्तियों का अनुपात मार्च 2014 में 2.41% रहा.
- ❖ निवल गैर निष्पादक आस्ति स्तर 31 मार्च 2014 को ₹ 1262 करोड़ रहा.
- ❖ निवल गैर निष्पादक आस्ति का अनुपात 31 मार्च 2014 को 1.55% रहा.

### प्राथमिकता क्षेत्र परिचालन

- ❖ प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम कुल ₹ 25855 करोड़ रहा.
- ❖ कृषि अग्रिम ₹ 9665 करोड़ रहा.
- ❖ शिक्षा त्रय संविभाग 38,013 विद्यार्थियों को प्रावरित करते हुए 13% वृद्धि दर्शाकर ₹ 760 करोड़ तक पहुंचा.
- ❖ एमएसएमई क्षेत्र में अग्रिम 23.80% की उल्लेखनीय प्रगति दर्शाते हुए ₹ 13115 करोड़ रहे.

- ❖ कमजोर वर्गों को अग्रिम 29.26% की वृद्धि दर्शाते हुए ₹ 7214 करोड़ रहे.
- ❖ महिला हिताधिकारियों को अग्रिम 12.06% की वृद्धि दर्शाते हुए ₹ 5072 करोड़ रहे .

### वित्तीय समावेशन

- ❖ बैंक ने 89 शाखाओं तथा 289 कारोबार प्रतिनिधि/अति लघु शाखाओं के जरिए 2000 से अधिक आबादी वाले आर्बिटल सभी 378 ग्रामों को प्रावरित किया है.
- ❖ बैंक ने 32 शाखाओं, 457 कारोबार प्रतिनिधियों तथा 20 ऑफसाइट एटीएम के जरिए 2000 से कम आबादी वाले 2240 ग्रामों को प्रावरित किया.
- ❖ भारत सरकार के प्रत्यक्ष लाभ अंतरण कार्यक्रम में बैंक सक्रिय रूप से भाग ले रहा है.

### सुपुर्दगी चैनल

- ❖ बैंक के कुल सुपुर्दगी चैनल 1512 शाखाओं और 1528 एटीएम सहित 3000 पार किया.
- ❖ वर्ष 2013-14 के दौरान बैंक ने 1 जेनेक्सट शाखा, 4 एचएनआई शाखाएं तथा 3 सर्व-महिला शाखाएं खोलीं.

### प्रौद्योगिकी में प्रगति

- ❖ बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए ई-पासबुक तथा मिस्सड कॉल सेवा जैसी प्रौद्योगिकी सेवाएं शुरू की.
- ❖ बैंक के डेबिट कार्ड आधार में पिछले वर्ष के 24.60 लाख से मार्च 2014 तक 32.20 लाख तक बढ़ोत्तरी हुई.

### पूंजी पर्याप्तता

- ❖ भारतीय रिजर्व बैंक के 9% मानदंड के प्रति पूंजी तथा जोखिम भारित आस्ति का अनुपात (सीआरएआर) बेसल II का 10.97% रहा तथा बेसल III का 10.56% रहा.
- ❖ टियर -I पूंजी पर्याप्तता अनुपात 8.3% (बेसल-II) तथा 8.12% (बेसल-III) रहा जबकि टियर II पूंजी पर्याप्तता अनुपात 2.67% (बेसल-II) तथा 2.44% (बेसल-III) रहा.



## निष्पादन की एक झलक

(₹ करोड़ों में)

प्रमुख मानदंड	2011-12	2012-13	2013-14
शाखाओं की संख्या	1300	1359	1512
एटीएमों की संख्या	750	874	1528
आरक्षिति और अधिशेष	3557	3863	5029
सकल लाभ	1230	1122	1104
निवल लाभ	581	586	416
कुल जमाराशियां	83056	97017	124296
वृद्धि %	13.39	16.81	28.12
कासा जमाराशियां	18288	20336	22860
कुल जमाराशियों का %	22.02	20.54	18.44
सकल ऋण	58671	70514	82425
वृद्धि %	19.20	20.19	16.89
कुल कारोबार	141727	167531	206721
वृद्धि %	15.72	18.21	23.40
सकल एनपीए	1718	1533	1986
(%)	2.93	2.17	2.41
निवल एनपीए	998	910	1262
(%)	1.72	1.30	1.55
निवेश	28644	31285	42585
प्राथमिकता क्षेत्र को अग्रिम	16700	19505	25855
एएनबीसी के प्रति %	33.87	33.23	35.55
कुल कर्मचारी	11838	12601	12822
प्रति कर्मचारी कारोबार	12.31	13.87	16.74
<b>प्रमुख अनुपात (%)</b>			
जमा लागत	7.68	8.07	7.98
अग्रिमों पर आय	11.73	11.54	11.26
निवल ब्याज मार्जिन	2.47	2.13	2.02
आस्तियों पर आय	0.66	0.59	0.35
पूंजी पर्याप्तता अनुपात % (बेसल खख)	13.06	11.32	10.97
पूंजी पर्याप्तता अनुपात % (बेसल खखख)	लागू नहीं	लागू नहीं	10.56



## शेयरधारकों को अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का संदेश

वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए हमारे बैंक की गतिविधियों की समीक्षा व निष्पादन वैशिष्ट्य आपके समक्ष रखते हुए मुझे बेहद प्रसन्नता हो रही है

2013-14 वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए अपेक्षाकृत अच्छा वर्ष रहा. गत वर्षों में अभिहित अधोमुखी प्रवृत्ति के बाद, वैश्विक आर्थिक व वित्तीय परिस्थितियों में सामान्यतः सुधार हुआ, विशेषकर वर्ष 2013 के दूसरे अर्ध-वर्ष में. तथापि, वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था तथा बैंकिंग क्षेत्र दोनों को बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़ा. वर्ष 2013-14 में विश्व अनिश्चितताओं, अर्थ व्यवस्था की नीति में दबाव तथा कमजोर निवेश मांग के कारण भारतीय जीडीपी वृद्धि में क्रमबद्ध सुधार हुआ. वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए सकल घरेलू उत्पाद का आकलन 4.9% किया गया जबकि वित्तीय वर्ष 2012-13 में यह 4.5% रहा. तथापि सकारात्मक पहलु में, मंहगाई में गिरावट के साथ मार्च 2014 में 5.70% रही.

वर्ष 2013-14 में धीमी आर्थिक गतिविधियों के कारण भारतीय बैंकिंग क्षेत्र को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा. अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के ऋण व जमा में क्रमबद्ध सुधार हुआ तथा भा.रि.बैं. के सांकेतिक प्रक्षेपण से कम वृद्धि हुई. वर्ष 2013-14 में अनुसूचित वाणिज्य बैंक की कुल जमाराशियों में वर्ष दर वर्ष 15% की वृद्धि हुई तथा बैंक ऋण में 14% की वृद्धि हुई. मार्च 2014 के अंत में बैंक के ऋण-जमा अनुपात 77.69% रहा. ऋण के विकास में मंद गति के कारण कुछ बैंकों की निवल ब्याज मार्जिन में गिरावट आई. अर्थव्यवस्था में मंदी के कारण कई बैंकों की आस्ति गुणवत्ता व लाभप्रदता में गिरावट आई.

भारतीय बैंकों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे आर्थिक पुनरुत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं तथा आर्थिक गतिविधियों के व्यापक पहलुओं में वृद्धि और विकास को बढ़ावा दें. वित्तीय वर्ष 2013-14 में विजया बैंक के लिए मुख्य चुनौतियां रहीं, चुनौतीपूर्ण कारोबार माहोल में प्रतिस्पर्धात्मक रहना तथा तेजी व मजबूती से आगे बढ़ने के लिए अपनी ताकत का लाभ उठाना. वर्ष के दौरान, बैंक ने अपनी क्षमताओं पर उत्पाद तथा सेवाएं विकसित करने तथा ग्राहकों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सुपुर्दगी चैनलों को विस्तृत करने में अपना ध्यान केंद्रित किया है ताकि भारत के प्रमुख राष्ट्रीयकृत बैंकों में हम अपनी छवि को बनाए रखें. वित्तीय वर्ष 2013-14 में विजया बैंक का निष्पादन, मुख्यतः इन अपेक्षाओं को पूरा कर पाया है.

इसी परिप्रेक्ष्य में, मैं वर्ष 2013-14 के दौरान बैंक के निष्पादन वैशिष्ट्य आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं.

अपने पारंपरिक कारोबारी ढांचे को बनाए रखते हुए विजया बैंक ने अपनी चुनौतीपूर्ण आर्थिक परिवेश का सामना किया. बैंक के लिए, वर्ष 2013-14 बहुत महत्वपूर्ण था. इस वर्ष हमने तीन महत्वपूर्ण कीर्तिमान स्थापित किए. पहला, हमारा कुल कारोबार 2.00 लाख करोड़ स्तर को पार किया, दूसरा कुल जमाराशियां 1.00

लाख करोड़ पार किया तथा तीसरा, बैंक का शाखा नेटवर्क 1500 पार कर दिया. वर्ष के दौरान, बैंक ने अपने कारोबार संविभाग को और सशक्त बनाने के लिए देश भर में अपनी मौजूदगी में सुधार लाने तथा अपने ग्राहक आधार को बढ़ाने के लिए कई पहल की.

मूल कारोबार में निरंतर सक्रियता तथा कुशल लागत नियंत्रण के कारण बैंक एक मजबूत आधार बनाए रखते हुए अपनी आमदनी को बरकरार रख सका. मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिए निवल लाभ ₹ 416 करोड़ रहा. वर्ष के दौरान सभी आवश्यक प्रावधान करने के बाद ₹ 688 करोड़ निवल लाभ प्राप्त हुआ है.

मार्च 2014 को बैंक का कुल कारोबार 23.4% की वृद्धि दर्शाते हुए ₹ 206721 करोड़ रहा. वर्ष के दौरान बैंक के कुल कारोबार में ₹ 39000 करोड़ जोड़ा गया. बैंक की कुल जमाराशियां 28.1% की वर्ष दर वर्ष वृद्धि दर्शाते हुए ₹ 124296 करोड़ रहीं. थोक जमा/जमा प्रमाण पत्रों में मार्च 2013 के 22.3% से मार्च 2014 में 15% तक कटौती हुई. खुदरा मीयादी जमाराशियां 15% की ठोस वृद्धि हासिल करते हुए ₹ 43106 करोड़ रहीं. वित्तीय वर्ष 2013-14 में कासा जमाराशियां 12.4% वृद्धि दर्शाते हुए ₹ 22860 करोड़ रहीं. मार्च 2014 को सकल जमाराशियों में कासा जमाराशियों का हिस्सा 18.44% रहा.

बैंक के ऋण संविभाग में ₹ 82425 करोड़ की वृद्धि हुई, वर्ष दर वर्ष 16.9% की वृद्धि दर्शायी गयी तथा ऋण-जमा अनुपात 66.31% दर्शाते हुए अच्छा रहा. बैंक के विविध ऋण संविभाग में अर्थ व्यवस्था के सभी उत्पादक क्षेत्र जैसे कृषि, उद्योग, लघु, छोटे तथा मध्यम उद्यम (एमएसएमई), कंपनी तथा बुनियादी सुविधा क्षेत्रों को ऋण, अति लघु क्षेत्र तथा खुदरा ऋण आदि सम्मिलित हैं.

प्राथमिकता क्षेत्र में कुल प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिमों में यथा मार्च 2014 को ₹ 25855 करोड़ रहा. प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम, समायोजित निवल बैंक ऋण का 35.55% रहा. बैंक का कृषि अग्रिम ₹ 9665 करोड़ रहा. शैक्षिक ऋण संविभाग में ₹ 760 करोड़ हासिल किया गया. कमजोर वर्गों को ऋण 29.26% वृद्धि दर्शाते हुए ₹ 7214 करोड़ रहा तथा महिला हिताधिकारियों को ऋण में 12.06% वृद्धि दर्शाते हुए ₹ 5072 करोड़ रहा.

भारतीय अर्थव्यवस्था के संभाव्य वृद्धिदायक के रूप में उभरते हुए लघु, छोटे तथा मध्यम उद्यम के कारण, हमारे बैंक की एमएसएमई संविभाग 23.8% की अच्छी वृद्धि दर्शाते हुए ₹ 13115 करोड़ रहा. खुदरा उधार को बढ़ाने के लिए बैंक ने वर्ष के दौरान कई उपाय किए तथा खुदरा उधार संविभाग के अधीन बकाया अग्रिम 16.1% बढ़कर ₹ 15617 करोड़ रहा जो सकल ऋण का 18.9% है.

आस्ति गुणवत्ता संबंधी बढ़ती हुई चिंताओं का समाधान करने हेतु बैंक ने वर्ष के दौरान ऋण संविभाग की स्थिति तथा गैर निष्पादन आस्तियों में वसूली की सजग निगरानी पर जोर डाला. बैंक ने गैर निष्पादन आस्ति क्षेत्र में अंतर्वाह का



नियंत्रण करते हुए तथा गैर निष्पादन आस्तियों की वसूली करते हुए बेहतर तथा सक्षम गैर निष्पादन आस्ति प्रबंधन सुनिश्चित किया है. परिणामस्वरूप बैंक के सकल तथा निवल गैर निष्पादन आस्तियों की राशि तथा प्रतिशत काफी हद तक कम हुआ है. मार्च 2014 तक बैंक की सकल गैर निष्पादक आस्ति का स्तर ₹ 1986 करोड़ रहा (₹ 1533 करोड़) जिसका अनुपात 2.41% (2.17%) रहा. निवल गैर निष्पादक आस्ति का स्तर ₹ 1262 करोड़ (₹ 910 करोड़) रहा तथा निवल एनपीए अनुपात 1.55% (1.30%) रहा. मार्च 2014 को प्रावधान कवरेज अनुपात 64.05% रहा.

बैंक की स्थिति को और सुदृढ़ बनाने के लिए बैंक की नीतिगत संकेंद्रन के अनुसूचि सुपुर्दगी चैनलों को और विस्तृत किया गया है. बैंक ने वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान 153 शाखाओं को जोड़ते हुए शाखाओं की कुल संख्या को 1512 तक बढ़ाया है. वर्ष के दौरान, 654 एटीएम की स्थापना करते हुए यथा 31 मार्च, 2014 को बैंक के कुल 1528 एटीएम हैं. बैंक के 3040 से अधिक ग्राहक संपर्क केंद्र हैं.

ग्राहक की सुविधा को सर्वोच्च स्थान देते हुए बैंक ने वर्ष 2013-14 के दौरान अपने उत्पाद तथा सेवाओं को और विस्तृत किया है. बैंक ने कई आकर्षक जमा उत्पाद का शुभारंभ किया है जैसे वी-सिद्धि मीयादी जमा योजना, वी- लखापति, एक आवर्ती जमा योजना, वी-समृद्धि, विशेष मीयादी जमा योजना जो विशेष परिपक्व मूल्य का है तथा बड़ेगत मूल्य पर जारी किया जाता है. बैंक द्वारा एमएसई विजय, विजया किसान आवास ऋण, विजया मंगल तथा वी-कैश्य आदि नवोन्मेषी खुदरा ऋण योजनाओं की शुरुआत की.

देश की समावेशित वृद्धि ढांचे के अनुसूचि, बैंक वित्तीय समावेशन कार्यसूची को सक्रिय रूप से कार्यान्वित कर रहा है. इस दिशा में बैंक का लक्ष्य है वित्तीय सशक्तिकरण तथा ग्रामीण जनता तक बैंकिंग सेवाएं ले जाना. बैंक ने आबंटित 2000 से अधिक आबादीवाले 378 गांवों को 89 शाखाओं तथा 289 कारोबार प्रतिनिधियों/अति लघु शाखाओं से प्रावरित किया है. बैंक ने आबंटित 2000 से कम आबादीवाले 2240 गांवों को 32 शाखाएं तथा 457 बीसीए तथा 20 ऑफसाइट एटीएम से प्रावरित किया है.

बेसल ढांचे तथा भारिबैं के दिशानिर्देशों के अनुसूचि जोखिम प्रबंधन पहल के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए विश्वस्तरीय उच्च व्यवहार संहिता को प्राप्त करने के लिए बैंक ने मजबूत जोखिम प्रबंधन ढांचा तैयार किया है. बैंक के प्रौद्योगिकी पहल भी महत्वपूर्ण तथा सफल है तथा लागत को कम करने, दक्षता का निर्माण तथा कारोबार वृद्धि हासिल करने तथा ग्राहक सेवा को सर्वोत्कृष्ट बनाने हेतु समर्थक के रूप में कार्य कर रहे हैं.

वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए हमने वर्ष दर वर्ष 18.5% की कारोबार वृद्धि परिकल्पित की है, शाखाओं की संख्या को 1700 तक बढ़ाने तथा एटीएम की संख्या में भी पर्याप्त वृद्धि करने का हमारा प्रस्ताव है. हमारे कारोबार के मिश्रण में हम खुदरा व्यापार पर ध्यान केंद्रित करेंगे ताकि लाभप्रद वृद्धि सुनिश्चित की जा सके. आस्ति गुणवत्ता क्षेत्र में हमारा कार्पोरेट लक्ष्य है गैर-निष्पादक आस्तियों को राशिवार तथा प्रतिशत वार उत्तरोत्तर कम करना. तथा प्रावरण अनुपात में सुधार लाना.

बैंक को कार्पोरेट कारोबार संवेदनाओं और देशी आर्थिक परिवेश में संभाव्य सुधार से लाभ प्राप्त होगा. बैंक अपना कारोबार बरकरार रखते हुए विकास करता रहेगा तथा अवसरों का सही लाभ उठाने के लिए बैंक की स्पष्ट रणनीतियां बनी हुई हैं. आनेवाले वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु मैं प्रतिबद्ध रहूंगा. आपके निरंतर समर्थन तथा संरक्षण से, मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा बैंक वर्तमान वर्ष के दौरान बुलंदियों को छू लेगा.

मैं, आप सभी महत्वपूर्ण श्रेयधारकों को आपके निरंतर सहयोग तथा विश्वास के लिए सहृदय धन्यवाद देता हूँ.

शुभकामनाओं सहित,

आपका,

**वी. कण्णन**

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक



## विजया बैंक

प्रधान कार्यालय : बेंगलूरु - 560 001

सूचना

ई-मतदान प्रणाली सहित 14 वीं वार्षिक सामान्य बैठक की सूचना  
शेयरधारकों को अलग से भेजी जा रही है.





## निदेशकों की रिपोर्ट 2013-14

निदेशक मंडल, दिनांक 31 मार्च 2014 को लेखा परीक्षित तुलन-पत्र एवं 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लाभ-हानि लेखा सहित, बैंक की 34वीं वार्षिक रिपोर्ट सहर्ष प्रस्तुत करता है।

### प्रबंधन परिचर्चा और विश्लेषण

#### आर्थिक परिदृश्य

गत कुछ वर्षों में अभिहित अधोमुखी प्रवृत्ति के बाद, वर्ष 2013 की दूसरी छमाही के दौरान वैश्विक, आर्थिक और वित्तीय परिस्थितियों में समान्यतः सुधार हुआ। वर्ष 2013 की प्रमुख विशेषता यह थी कि आर्थिक शक्ति का, वैश्विक संतुलन, विकसित दुनिया से उभरती दुनिया की ओर निरंतर झुकाव हो रहा था तथा लंबी मंदी से उभरकर ऊपर उठा।

अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक निधि के अनुसार, वर्ष 2012 में 3.2% वृद्धि की तुलना में वर्ष 2013 में वैश्विक आर्थिक व्यवस्था में 3.0% की मध्यम वृद्धि हुई। उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में वर्ष 2012 में 1.4% की तुलना में वर्ष 2013 में 1.3% की वृद्धि हुई, जबकि उभरती अर्थव्यवस्थाओं में वर्ष 2012 में 5% की तुलना में वर्ष 2013 में 4.7% की वृद्धि हुई।

विश्व अनिश्चितताओं की संचयी प्रभाव, पिछली मौद्रिक नीति में दबाव तथा कमजोर निवेश मांग के कारण वर्ष 2013-14 में भारतीय जीडीपी वृद्धि में क्रमबद्ध सुधार हुआ। विकास में मंदी का प्रभाव, सेवा और कृषि क्षेत्र में मंदी तथा औद्योगिक क्षेत्र के सिकुड़न में परिलक्षित हुआ। केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा जारी उन्नत प्राक्कलन के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2014 के लिए जीडीपी वृद्धि 4.9% आकलित किया गया जबकि वह वित्तीय वर्ष 2013 में 4.5% रहा। कम वैश्विक व्यापार तथा घरेलू आपूर्ति बाधाओं के कारण वृद्धि की तुलना में जोखिम बढ़ गया है। वर्ष 2013-14 के दौरान कृषि उद्योग तथा सेवा क्षेत्रों में संयम के लक्षण दिखाई दिए।

उपभोक्ता मूल सूचकांक तथा थोक मूल्य सूचकांक द्वारा नापी गई मुद्रास्फीति, वर्ष 2013-14 की शुरुआत में कम रही, परंतु बाद में बढ़ती गई। मूल मुद्रास्फीति मई 2013 से बढ़ती गई तथा मूलतः खाद्य व ईंधन की लागत के कारण वर्ष 2013-14 में ऊर्ध्वमुखी रही। थोक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति 4.6 प्रतिशत से शुरू होकर नवंबर 2013 में 7.5% तक बढ़कर मार्च 2014 में 5.70% तक कम हुआ। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक द्वारा नापी गई खुदरा मुद्रास्फीति भी ऊर्ध्वमुखी रही तथा नवंबर 2013 में उच्चतम 11.2% तक पहुंचा तथा मार्च 2014 के पहले 8.31% तक सुधार हुआ।

विश्व बाजार में कम वृद्धि और अनिश्चितताओं के प्रतिकूल प्रभाव के कारण वर्ष 2013-14 में भारत का निर्यात निष्पादन निराशाजनक रहा। वाणिज्यिक आसूचना तथा सांख्यिकी महानिदेशालय द्वारा जारी अंतिम आंकड़ों के अनुसार अप्रैल - मार्च 2013-14 के दौरान भारत के व्यापारिक निर्यात 3.98% वृद्धि दर्ज करके यूएस डालर 312.34 बिलियन तक बढ़ा।

अप्रैल - मार्च 2013-14 के दौरान व्यापार घाटा रूप की विनिमय दर और सोने के आयात के लिए प्रोत्साहन न होने के कारण पिछले वर्ष से कम रहा। कम व्यापार घाटे के कारण, सीएडी-जीडीपी अनुपात वित्तीय वर्ष 2014 की पहली तिमाही के जीडीपी का 4.9% से कम होकर वित्तीय वर्ष 2014 की दूसरी तिमाही के जीडीपी का 1.2% हुआ। सीएडी-जीडीपी अनुपात वित्तीय वर्ष 2012-13 के 5.1% की तुलना में वित्तीय वर्ष 2013-14 में 2% आकलित किया गया।

भारत के वित्तीय बाजार ने वैश्विक व देशी क्षेत्र में हो रहे समग्र विकास के प्रति प्रतिक्रिया व्यक्त की। वैश्विक वित्तीय बाजार अनिश्चितताओं निवेशकों के ढलते विश्वास ने देशी मुद्रा तथा ईक्विटी बाजार को दबाव में रखा। वर्ष 2013-14 के पहले अर्धवर्ष के दौरान रूप का मूल्यहास लगभग 17% रहा जबकि अक्टूबर 2013 में इस स्थिति में कुछ सुधार आई। मार्च 2014 के अंत में युएस डालर के प्रति भारतीय रूप 59.91 रहा। वर्ष 2013-14 के दौरान ईक्विटी बाजार में ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं रहा।

वित्तीय वर्ष 2013-14 की शुरुआत में जो मुद्रा आपूर्ति (एम3) 12.4% रही, एफसीएनआर(बी) जमा राशियों की बढ़ती प्रवाह के कारण जमा संग्रहण में तेजी आई, जिसकी वजह से वर्ष के दौरान बढ़कर, मार्च 2014 के अंत तक 13.5% रही।

वर्ष 2013-14 के दौरान वित्तीय घाटा जीडीपी के 4.6% प्राक्कलित किया गया।

#### बैंकिंग परिदृश्य

वर्ष 2013-14 के दौरान भारत में बैंकिंग क्षेत्र स्वस्थ व लचीला रहा। तथापि, स्थूल अर्थव्यवस्था में मंदी के कारण कुछ बैंकों की आस्ति गुणवत्ता में गिरावट हुई है। ऋण में कम वृद्धि तथा ऋण की गुणवत्ता में गिरावट के कारण उच्चतर प्रावधानीकरण से बैंकों की लाभप्रदता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

वर्ष 2013-14 में मौद्रिक नीति में, वृद्धि मुद्रास्फीति गतिशीलता को संतुलित करने हेतु तरलता के नियंत्रण उपाय तथा नीतिगत दरों में वृद्धि, दोनों को प्रयोग में लाया गया। भारतीय रिज़र्व बैंक ने मई 2013 में नीतिगत दरों को लचीला बनाया परंतु, विनिमय दर घट-बढ़ से स्थूल वित्तीय जोखिमों को नियंत्रित करने हेतु जुलाई 2013 के दौरान विशेष रूप से तरलता नियंत्रण उपाय शुरू किया। विनिमय दर में स्थिरता आने तक तरलता स्थितियों को पर्याप्त रूप से नियंत्रित किया गया। भा.रि.बैं. ने वर्ष 2013-14 में रिपो दर को 75 बीपीएस से बढ़ाया।

सेवाएं, वैयक्तिक ऋण, कृषि के प्रति ऋण आदि में निरंतर वृद्धि के कारण वर्ष 2013-14 में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक के उधार में अधिक वृद्धि देखी गयी। समग्र रूप में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के ऋण में वित्तीय वर्ष 2012-13



की 13.6% की वृद्धि की तुलना में वित्तीय वर्ष 2013-14 में 14% वृद्धि हुई। वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक की कुल जमा राशियों में वर्ष-दर-वर्ष 15% वृद्धि दर्ज की गयी।

### दृष्टिकोण

वर्ष 2013 के दूसरे अर्धवर्ष से वैश्विक वृद्धि की संभावनाएं धीमी गति से दृढ़ हो रही हैं, परंतु नकारात्मक जोखिम बुलंद रहे। अपने अद्यतन वैश्विक आर्थिक दृष्टिकोण में, अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक निधि ने वैश्विक वृद्धि दर को वर्ष 2014 में 3.6% और 2015 में 3.9% प्रक्षेपित किया है। उभरती व विकासशील आर्थिक व्यवस्थाएं वैश्विक विकास का नेतृत्व करती रहेंगी।

देशीय आर्थिक परिवेश तथा विकासशील मौद्रिक नीति की रुख की स्थिति में सुधार के कारण वर्ष 2014-15 में भारत की जीडीपी वृद्धि में सुधार की उम्मीद है। बचत व निवेश दर में सुधार, वित्तीय बाजार की अनुकूल स्थिति, अधिक पूंजी प्रवाह, नरम मुद्रास्फीति तथा सकारात्मक कारोबार दृष्टिकोण अर्थव्यवस्था की विकास में गति लाने में मददगार होगी। देशीय स्तर पर, उच्च वित्तीय व चालू खाते में घाटे, कम औद्योगिक वृद्धि तथा कम निर्यात वृद्धि, प्रत्याशित मुद्रास्फीति का नियंत्रण, आदि मुद्दों का समाधान ढूंढना वर्ष 2014-15 की प्रमुख चुनौतियां होंगी। इन समस्याओं के बावजूद, भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनी रहेगी।

सकारात्मक देशी दृष्टिकोण तथा अनुकूल नीतिगत माहौल के कारण भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में वर्ष 2014-15 में अच्छा निष्पादन करने की उम्मीद है।

### वर्ष 2013 -14 के दौरान बैंक का निष्पादन वैशिष्ट्य

#### पूंजी, आरक्षितियां तथा निवल मूल्य

बैंक की प्राधिकृत पूंजी संप्रति ₹ 3000 करोड है जो ₹ 10/- शेयर के 300 करोड पूर्ण रूप से प्रदत्त शेयरों में विभाजित है। संप्रति, भारत सरकार, बैंक की 74.06% ईक्विटी शेयर पूंजी धारित करती है। बैंक की कुल प्रदत्त पूंजी ₹ 859.12 करोड है।

वर्ष 2013-14 के दौरान बैंक ने आरक्षितियां और अधिशेष में ₹ 1165.69 करोड जोड़ा है तथा कुल आरक्षितियां और अधिशेष ₹ 5028.80 करोड है। बैंक का निवल मूल्य ₹ 4081.49 करोड से बढ़कर वर्ष 2013-14 के दौरान ₹ 5638.93 करोड हो गया है।

#### कार्यकारी परिणाम

वर्ष 2013-14 के लिए बैंक द्वारा दर्ज निवल लाभ 2012-13 के ₹ 586 करोड की तुलना में ₹ 416 करोड रहा। जमा राशियों के संदर्भ में जमाओं की औसत लागत 2012-13 के 8.07% से घटकर 2013-14 में 7.98% हो गई। वर्ष 2013-14 के लिए अग्रिमों पर अर्जन पिछले वर्ष के 11.54% की तुलना में 11.26% रही।

बैंक के वित्तीय परिणामों की प्रवृत्तियां तथा महत्वपूर्ण अनुपात नीचे दी गई तालिकाओं में दर्शायी गई है :

(₹ करोडों में)

क्रम सं.	मद	2012-13	2013-14	वार्षिक वृद्धि (%)
1	ब्याज आय	9052	10707	18.27
2	ब्याज खर्च	7174	8623	20.20
3	निवल ब्याज आय (1-2)	1878	2084	10.97
4	गैर ब्याज आय	607	710	16.97
	I. निवेशों की बिक्री पर लाभ	113	190	68.14
	II. अन्य गैर-ब्याज आय	494	520	5.26
5	निवल कुल आय (3+4)	2485	2794	12.43
6	परिचालन खर्च	1363	1690	23.99
	I. स्टाफ खर्च	849	1040	22.50
	II. अन्य परिचालन खर्च	514	650	26.46
7	परिचालन लाभ	1122	1104	-1.60
8	परिचालन लाभ (खजाना लाभ को छोड़कर)	1009	914	-9.42
9	प्रावधान और आकस्मिक खर्च	536	688	28.36
10	निवल लाभ	586	416	-28.89

#### प्रमुख लाभप्रदता अनुपात (%)

क्रम सं.	मद	2012-13 (%)	2013-14 (%)
1	निधि पर प्रतिफल	9.27	9.08
2	निधि लागत	7.35	7.31
3	ब्याज विस्तार (1-2)	1.92	1.77
4	अग्रिम पर प्रतिफल	11.54	11.26
5	जमा लागत	8.07	7.98
6	निवेश पर प्रतिफल (आरआईडीएफ सहित)		
	- क्रय लाभ को छोड़कर	7.10	7.22
	- क्रय लाभ सहित	7.47	7.75
7	औसत कार्यकारी निधि की तुलना में अन्य परिचालन खर्च	0.53	0.55
8	लागत-आय अनुपात	54.85	60.49
9	औसत कार्यकारी निधि की तुलना में स्थापना लागत	0.87	0.88

#### लाभांश

समग्र लाभप्रदता को ध्यान में रखते हुए, वर्ष 2013-14 के लिए निदेशक मंडल ने अंतिम लाभांश ₹ 1.00 प्रति शेयर (10%) (जनवरी 2014 के दौरान घोषित ₹ 1.00 प्रति शेयर (10%) के अंतरिम लाभांश के अतिरिक्त) की सिफारिश की है। 2013-14 के लिए लाभांश कर सहित ईक्विटी लाभांश की कुल राशि ₹ 165.38 करोड है।



## जमा संग्रहण

बैंक की कुल जमा राशियों में 28.12 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर्शाते हुए ₹ 97017 करोड़ से ₹ 124296 तक की बढ़ोत्तरी हुई। कासा जमा राशियों में 12.41% की वृद्धि हुई, तथा यह कुल जमा राशियों का 18.44% बनता है। कासा जमा में वृद्धि, बचत बैंक जमा राशि में हुई 12% वृद्धि के कारण हुआ है जो वर्ष के दौरान ₹ 16978 करोड़ रहा। वर्ष 2012-13 की ₹ 84804.14 करोड़ की तुलना में वर्ष 2013-14 के दौरान औसत कुल जमा राशियां ₹ 104437 करोड़ रही।

## कर्मचारियों की उत्पादकता

मार्च 2013 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए ₹ 13.87 करोड़ प्रति कर्मचारी कारोबार की तुलना में मार्च 2014 को प्रति कर्मचारी कारोबार ₹ 16.74 करोड़ रहा। बैंक का प्रति कर्मचारी लाभ मार्च 2013 को समाप्त वित्तीय वर्ष के 0.05 करोड़ की तुलना में मार्च 2014 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए ₹ 0.03 करोड़ रहा।

## शाखा नेटवर्क

वर्ष 2013-14 के दौरान 153 शाखाओं को खोलने के साथ कुल शाखाओं का नेटवर्क पिछले वित्तीय वर्ष के 1359 से 1512 हो गया है। वर्ष 2013-14 के अंत तक 46 विस्तार काउंटर तथा 2 सेटलाइट कार्यालय हैं।

## खुदरा ऋण

खुदरा उधार को व्यवहार्य कारोबार प्रस्ताव के रूप में देखा गया है तथा जोखिम फैलाव, बेहतरीन प्रतिफल तथा बड़ी मात्रा में ऋण मंजूरी जैसे निहित लाभ के कारण ऋण के विकास के लिए इसे प्रमुख क्षेत्र माना जाता है।

वर्ष के दौरान बैंक ने खुदरा ऋण के अधीन ₹ 8920 करोड़ का संवितरण किया और वर्ष-दर-वर्ष 16.14% वृद्धि दर्ज करके यथा मार्च 2014 को बकाया राशि ₹ 15617 करोड़ रही। खुदरा ऋण संविभाग बैंक के सकल ऋण का 18.90% बनता है।

यथा 31 मार्च 2014 को, आवास ऋण, शिक्षा ऋण, वाहन ऋण व आभूषण ऋण योजनाओं के अधीन बकाया राशि क्रमशः ₹ 5392 करोड़, ₹ 760 करोड़, ₹ 2212 करोड़ तथा ₹ 3265 करोड़ रही।

वर्ष के दौरान बैंक ने विशेष अभियान जैसे 'सम्पन्न बोनांन्जा', उत्सव धामाका जैसे ग्राहकों को आकर्षक लाभ प्रदान करने वाले विशेष अभियान शुरू किए।

बैंक मौजूदा उत्पादों को नया रूप देकर खुदरा उधार उत्पादों को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने हेतु निरंतर प्रयास करता रहा है। कृषक समुदाय की आवासीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए बैंक ने उनके लिए 'विजया किसान आवास ऋण' का शुभारंभ किया।

बैंक ने महिलाओं के लिए खास वैयक्तिक ऋण उत्पाद विजया मंगला तथा लघु व छोटे उद्यमों की आवश्यकताओं के लिए एमएसई विजय नामक ऋण उत्पाद का शुभारंभ किया है।

## ऋण विस्तार

बैंक का कुल उधार 16.89% की वृद्धि दर्ज करके यथा 31.03.2013 के ₹ 70513.53 करोड़ से बढ़कर यथा 31.03.2014 को ₹ 82424.75 करोड़ बन गया। आर्थिक परिदृश्य के संपूर्ण रूप कुछ क्षेत्रों में दबाव को ध्यान में रखकर बैंक बड़े ऋण प्रस्तावों के अनुमोदन में चयनात्मक रहा।

ऋण प्रस्ताव की जांच के लिए बैंक ने प्रस्ताव की प्राप्ति के स्तर पर ही दक्ष समुचित सावधानी प्रक्रिया बनायी है तथा इस संबंध में वित्तीय सेवाएं विभाग व भारतीय रिजर्व बैंक से समय-समय पर प्राप्त दिशानिर्देशों का पालन किया है। वित्त मंत्रालय के मौजूदा दिशा निर्देशों के अनुसार बैंक ने क्षेत्रीय कार्यालय व प्रधान कार्यालय स्तर से प्राप्त ऋण प्रस्ताव हेतु समिति दृष्टिकोण को अपनाया है। ये समितियां जहां तक हो सके बारंबार मिलती हैं ताकि ऋण संबंधी निर्णय लेने के समय को कम किया जा सके। अच्छे मानक ऋण प्रसंस्करण को सुनिश्चित करने हेतु बैंक ने सीए/आईसीडब्ल्यू/सीएस/एमबीए के व्यावसायिकों को भर्ती करने की रणनीति को जारी रखते हुए उनको आंतरिक व कार्य पर प्रशिक्षण उपलब्ध करायी गयी।

बैंक के ऋण विभाग को ब्रिटिश स्टैंडर्ड संस्थान (बीएसआई) द्वारा सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के लिए आईएसओ/आईईसी 27001:2005 प्रमाणीकीकरण से प्रत्यायित किया गया।

## बड़े और मझौले कॉर्पोरेट

यथा 31.03.2014 को बड़े कॉर्पोरेट खंड, कुल उधार का 43.94% रहा। अधिक ध्यान केंद्रित करने हेतु तथा प्रस्ताव को निपटाने के समय को कम करने हेतु, विभिन्न स्थानों पर 8 विशेषीकृत कॉर्पोरेट बैंकिंग शाखाएं, कार्यरत है। कॉर्पोरेट बैंकिंग शाखाओं के अलावा 3 औद्योगिक वित्त शाखाएं बुनियादी/गैर-बुनियादी परियोजनाओं को वित्तीयन सहित ग्राहकों की सभी कॉर्पोरेट आवश्यकताओं को पूरा करता है। इसके अलावा मझौले कॉर्पोरेट व एसएमई ग्राहकों को उनकी नकद प्रबंधन, फॉरेक्स, खजाना उत्पाद, व्यापार वित्त, जमा राशियां, खुदरा बैंकिंग, आदि आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु बैंकिंग की एसएमई शाखाएं देशभर में कार्यरत हैं।

बैंक के कॉर्पोरेट/एसएमई/आईएफबी बैंकिंग शाखाएं मीयादी ऋण, मांग ऋण, कॉर्पोरेट ऋण, अल्पावधि ऋण, कार्यकारी पूंजी सुविधाएं (निधि आधारित + गैर निधि आधारित) व्यापार वित्त उत्पाद, ब्रिज ऋण, समूहन ऋण, मूलभूत सुविधा ऋण, विदेशी मुद्रा ऋण, भावी प्राप्य किराए के प्रति ऋण, जैसे कई ऋण उत्पाद व सेवाएं प्रदान करने के साथ-साथ और कॉर्पोरेट ग्राहकों को उनकी आवश्यकताओं के आधार पर और भी कई सुविधाएं प्रदान करती है। गत वर्षों में बैंक कई बहु-राष्ट्रीय देशी कारोबार घरों तथा प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के साथ सुदृढ़ कारोबार संबंध स्थापित करने में विशेष प्रगति की है।

## बुनियादी सुविधाओं के लिए वित्त

वर्ष के दौरान बैंक ने मूलभूत सुविधा संवर्ग के अधीन बिजली, दूर संचार, पत्तन, सड़क आदि के लिए ₹ 8096 करोड़ निधि आधारित सीमा तथा ₹ 254 करोड़ गैर-निधि आधारित सीमाओं की मंजूरी दी है। कुल उधार में इन बुनियादी सुविधाओं में हमारा निवेश 25.85% है तथा ये निर्धारित क्षेत्रीय निवेश सीमा के अंतर्गत है।



## परियोजना वित्त एवं समूहन

बैंक ने अपने प्रधान कार्यालय, बेंगलूर में परियोजना वित्त तथा समूहन कक्ष की शुरूआत की है। कक्षा का कार्य है परियोजना सूचना ज्ञापन की तैयारी, परियोजना की तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता अध्ययन तथा उद्यमियों की ऋण आवश्यकताओं हेतु समूहन का प्रबंध, आदि। इस समूहन कक्ष में वरिष्ठ कार्यपालक और पात्र व्यावसायिक सहित सक्षम श्रमशक्ति कार्यरत है।

## खजाना तथा अंतर्राष्ट्रीय परिचालन

### निवेश और निधि प्रबंधन

बैंक का कुल निवेश संविभाग 31.03.2013 के ₹ 31504.02 करोड (एसएलआर निवेश : ₹ 26064.87 करोड तथा गैर-एसएलआर निवेश : ₹ 5439.15 करोड) से यथा 31.03.2014 को ₹ 42833.78 करोड (एसएलआर निवेश : ₹ 33319.60 करोड तथा गैर-एसएलआर निवेश : ₹ 9514.18 करोड) तक बढ़ गया।

31.03.2014 को 10 वर्ष न्यूनतम लाभ 8.81% रहा जबकि 31.03.2013 को 7.96% रहा।

वर्ष के दौरान निवेश पर औसत प्रतिफल (निवेश की बिक्री पर लाभ तथा आरआईडीएफ सहित) वित्तीय वर्ष 2012-13 के 7.47% के प्रति 7.75% रहा।

बैंक ने भा.रि.बैं. द्वारा निर्धारित सीआरआर/एसएलआर अपेक्षाओं का लगातार अनुपालन किया।

### अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग

यथा 31.03.2014 को बैंक का निर्यात ऋण वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 12.25% वृद्धि दर्शाते हुए ₹ 1269.38 करोड रहा। इसमें से विदेशी मुद्रा में निर्यात ऋण की मात्रा यूएसडी 31.24 मिलियन रहा। यथा मार्च 2014 को, बैंक का विदेशी विनिमय कारोबार पण्यवर्त पिछले वित्तीय वर्ष से 42.91% की वार्षिक वृद्धि दर्शाते हुए ₹ 21065.00 करोड रहा।

हमारी सभी पदनामित शाखाओं के विदेशी विनिमय संबंधी लेनदेन के प्रसंस्करण हेतु बैंक के प्रधान कार्यालय में परिचालनात्मक केंद्रीयकृत विदेशी विनिमय प्रसंस्करण कक्ष हैं। बैंक ने भारिबैं को एक्सओएस की ऑनलाईन प्रस्तुतीकरण परियोजना का भी सफलतापूर्वक कार्यान्वयन किया है।

बैंक की कुल एनआरआई जमारारियां यथा 31.03.2014 को 30.42% की वृद्धि दर्ज करते हुए, पिछले वित्तीय वर्ष के अंत तक ₹ 1839.12 करोड के प्रति ₹ 2398.57 करोड रहा। वित्तीय वर्ष के दौरान, खाडी देशों से एनआरआई को भारत में हमारी किसी भी शाखाओं में उनके खातों में इलेक्ट्रॉनिक रूप से निधि विप्रेषण करने हेतु बैंक ने यूईई विनिमय केंद्र एलएलसी, अल अनसारी विनिमय यूईई, वाल स्ट्रीट एक्सचेंज, यूईई एण्ड अल बंदर एक्सचेंज, यूईई के लिए “स्पीड/फ्लैश विप्रेषण” सुविधा प्रदान की है। इसके अलावा, बैंक को भारत में

अनुरक्षित खातों में रुपया प्रेषित करने हेतु ओमान युनाईटेड कंपनी एलएलसी, ओमान के साथ रुपया आहरण व्यवस्था भी है। बैंक द्वारा हमारे अनिवासी ग्राहकों के प्रश्नों के जवाब देने हेतु प्र.का., बेंगलूर में विशेष अनिवासी ग्राहक कक्षा की स्थापना की गयी। बैंक ने पाक्षिक ई-न्यूजलेटर, विजया एनआरआई डाइजेस्ट की शुरूआत की है, जिसमें अनिवासियों की रुचि के अनुसार विभिन्न विषय शामिल किए गए हैं।

### निर्यात व आयात ऋण

बैंक, देशी व विदेशी दोनों मुद्राओं में आयातकों व निर्यातकों की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु सक्रिय रूप से कार्यरत है। देश के विभिन्न भागों में कार्यरत 47 शाखाएं विदेशी विनिमय कारोबार संभालने हेतु पदनामित की गई हैं।

### आस्ति गुणवत्ता

बैंक नए फिसलन को रोकने तथा लगातार आस्ति गुणवत्ता बनाए रखने पर ज़ोर देता रहा है। इस दिशा में बैंक ने विभिन्न उपायों को लागू किया है जिसमें से कुछ इस प्रकार हैं :

- क्षीण संकेत दर्शानेवाले/देय राशि में चूक होनेवाले खातों को पहचाना गया और उन्हें विशेष निगरानी खाते की श्रेणी में रखा गया। जहां कहीं भी संभव था ऐसी आस्तियों की पुनर्संरचना की गयी, योग्य मामलों में आवश्यकता आधारित अतिरिक्त ऋण सीमाओं पर विचार किया गया ताकि नए फिसलन को रोका जा सके। सभी रुग्ण व्यवहार्य एमएसएमई इकाइयों के पोषण कार्यक्रम पर ध्यान केन्द्रित करने हेतु प्रधान कार्यालय तथा क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर एक रुग्ण इकाई पुनःस्थापन कक्षा को स्थापित किया गया है।
- एनपीए खातों के व्यवस्थित अनुवर्तन हेतु क्षे.का. में विशेष वसूली कक्षों का गठन किया गया। जिन केंद्रों में ऋण वसूली प्राधिकरण कार्यरत हैं वहां नोडल अधिकारियों को पदनामित किया गया है जो मामलों के शीघ्र निपटान हेतु पीठासीन तथा बैंक के अधिवक्ता के साथ नियमित रूप से संपर्क रखते हैं।
- बैंक की अद्यतन नीति के अनुसार हमारे बैंक/सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक/सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों/सरकारी विभागों के सेवानिवृत्त अधिकारियों की सेवाओं को भी बैंक के बकाये की वसूली हेतु उपयोग किया जा रहा है।
- इरादतन चूककर्ताओं के मामले में प्रतिभूतिकरण जैसे कानूनी विकल्प सहित भा.रि.बैं. को नाम देना आदि कठोर वसूली उपाय तत्काल करते हैं।
- अनर्जक ऋणों की त्वरित वसूली हेतु लोक अदालत/डीआरटी अदालत की सेवाएं ली जाती है।
- त्वरित वसूली की सुविधा हेतु, बैंक की वसूली नीति के अधीन विभिन्न केंद्रों में शाखाओं के समूह के लिए नियमित रूप से विजया अदालत का



आयोजन किया जाता है, जहां पर खातों का निपटान उसी जगह पर किया जाता है। वर्ष के दौरान 31.03.2014 तक ऐसे समझौते के जरिए बैंक द्वारा 6058 खातों के अधीन ₹ 90.92 करोड़ की वसूली की गयी।

- ₹ 5 लाख तक की देयतावाले उधारकर्ताओं के लिए सरलीकृत शर्तों के साथ वर्ष 2013-14 के दौरान एक विशेष एकबारगी निपटान योजना का प्रारंभ किया गया जो 31.03.2014 तक चली।
- वर्ष 2013-14 के दौरान दीर्घकालिक ट्रेडर ऋण एनपीए खातों के लिए विशेष एकबारगी समझौता योजना की शुरुआत की है, जो 31.03.2014 तक चली।

यथा मार्च 2014 को कुल अग्रिमों के बैंक का सकल गैर-निष्पादन आस्ति 2.41% रहा, जबकि निवल अग्रिमों से निवल एनपीए अनुपात 1.55% था। वर्ष 2013-14 के दौरान बैंक को ₹ 704.13 करोड़ की कुल नकद वसूली हुई (ब्याज सहित) तथा ₹ 989.15 करोड़ के एनपीए का उन्नयन किया गया। आगे, बैंक ने यथा 31 मार्च 2014 को ₹ 142.71 करोड़ के अस्थिर प्रावधानीकरण के अलावा अप्रत्याशित चूक के लिए ₹ 567.21 करोड़ का प्रावधानीकरण भी किया। यथा मार्च 2014 को प्रावधान प्रावरण अनुपात (पीडब्ल्यूओ सहित) 64.05% रहा।

## जोखिम प्रबंधन

### ऋण जोखिम

बैंक के कार्पोरेट लक्ष्य तथा बैंक की योजना के अनुरूप बैंक की ऋण नीति को समय-समय पर संशोधित किया जाता है ताकि अन्य विषयों के साथ-साथ अन्य पहलुओं को जैसे जोखिम की प्रवृत्ति, जोखिम आधारित मूल्यांकन, जोखिम विविधीकरण/निवारण कार्य नीति, यथोचित सीमाएं, पर्याप्त ऋण सीमाएं, अधिमन्य क्षेत्र वृद्धि की कार्यनीति, ऋण अनुमोदन प्रक्रिया, प्रलेखन व सुरक्षा मानक, सुरक्षा मूल्यांकन आदि।

बैंक की स्ट्रेस टेस्ट नीति के अनुसार, ऋण जोखिम पर ऋण संविभाग को रेटिंग में डाउनग्रेड करने के लिए उच्चतर प्रावधान की आवश्यकता है, आस्ति स्थिति में फिसलन आदि जैसे स्ट्रेस टेस्ट वार्षिक आधार पर किया जाता है।

बैंक ने व्यापक जोखिम रेटिंग/स्कोरिंग प्रणाली बनायी है जो प्रतिपक्षी विविध जोखिम घटकों का एकल बिंदु सूचक है तथा स्थिर रूप से ऋण निर्णय लेने के लिए उपयोगी है। आवास व अन्य खुदरा क्षेत्रों के लिए अलग जोखिम स्कोरिंग मॉडल को भी तैयार किया है ताकि जोखिम रेटिंग कार्य का अधिकतम प्रावरण सुनिश्चित किया जा सके। ₹ 1.00 करोड़ से अधिक उधार के संबंध अर्ध-वार्षिक तौर पर अभिगमन विश्लेषण किया गया है। बैंक ने सभी खुदरा व गैर-खुदरा ऋण के जोखिम श्रेणीकरण के लिए सितंबर 2009 से क्रिसिल से प्राप्त ऋण जोखिम श्रेणीकरण साफ्टवेयर, जो बेसल II समर्थक है, की शुरुआत की है। यह साफ्टवेयर बैंक के सभी प्रकार के ऋण को मंजूरी से पहले ऋण श्रेणीकरण के अधीन प्रावरित करता है, ताकि ऋण की गुणवत्ता को सुनिश्चित किया जा सकता है और साथ ही बेसल II के एडवान्साड एप्रोच कांप्लैन्स की ओर अग्रसर हो सके।

### आस्ति देयता प्रबंधन (एएलएम) व बाजार जोखिम

बैंक के एएलएम तथा बाजार जोखिम का प्रबंधन आस्ति देयता प्रबंधन समिति (एएलसीओ) तथा बाजार जोखिम प्रबंधन समिति (एमआरएमसी) द्वारा किया जाता है। विभिन्न साम्यिक खंडों में असमानताओं के लिए उपयुक्त सहनशील सीमाएं निर्धारित की गयी हैं ताकि चल निधि व ब्याज दर जोखिम दोनों का प्रबंधन किया जा सके और 15 दिनों के अंतराल में इसका अनुवर्तन किया जाता है और निदेशक मंडल को अवगत कराया जाता है।

बाजार जोखिम ऋण जोखिम पर मूल्य (वीएआर), एजीएल (कुल अंतर सीमा) तथा अवधि अंतर विश्लेषण जैसे साधनों से माप किया जाता है। देश जोखिम निगरानी के प्रबंधन और अनुवर्तन हेतु सभी देशों के लिए एकल निवेश सीमाएं और समूह सीमाएं निर्धारित किए गए हैं। खजाना परिचालन संबंधी मिड-ऑफिस रिपोर्टों जिसमें अपवादों, समीक्षाओं तथा अनुपालन आदि समाविष्ट है, को रोज जोखिम प्रबंधन विभाग के महा प्रबंधक के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है और प्रति माह एमआरएमसी के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है।

पूरे ब्याज दर जोखिम संविभाग को जोखिम पर अर्जन (ईएआर) के जरिए अभिज्ञत और मापित किया जाता है। शीर्षस्थ प्रबंधन द्वारा संवेदनशील विश्लेषण भी किया जाता है और समीक्षा भी की जाती है। आकस्मिकता निधि योजना, विवेकपूर्ण अनुपात/सीमाएं भी निर्धारित किए गए हैं और तरलता जोखिम प्रबंधन के अंग के रूप में वास्तविक स्थिति की भी निगरानी रखी जाती है। ब्याज दर जोखिम, तरलता जोखिम, विदेशी विनिमय आदि पर विभिन्न परिवेशों में तिमाही आधार पर स्ट्रेस टेस्ट किया जाता है और एल्को को अवगत कराया जाता है। अल्पावधि तरलता पर निगरानी रखने के लिए बैंक दैनिक तौर पर संरक्षणात्मक तरलता की एएलएम विवरणी तैयार कर रहा है।

ब्याज दर मोड पर 200 आधार बिंदु शॉक का प्रयोग करते हुए ईक्विटी (नेटवर्थ) पर संभाव्य बाजार मूल्य का निर्धारण करने के लिए अवधि अंतराल विश्लेषण का अनुपालन किया जाता है।

बाजार जोखिम के लिए आंतरिक मॉडल एप्रोच (उन्नत दृष्टिकोण) को लागू करने के लिए बैंक ने भा.रि.बैं. से अनुमति मांगी है।

शाखा लाभप्रदता के वैधानिक निर्धारण के लिए निधि अंतरण मूल्यांकन जो अंतरण मूल्यांकन तंत्र का नया तंत्रज्ञान है, को क्रियान्वित किया गया है।

### परिचालनात्मक जोखिम

परिचालनात्मक जोखिम को दूर करने हेतु धोखाधड़ी मामलों का अनेक विश्लेषण किया गया, ताकि जोखिम प्रबंधन दृष्टिकोण से प्रणालीगत कमियों को पहचाना जा सके। इनमें सहायता संघ, विभिन्न वीकेसी, ऑटो तथा आवास ऋण खातों के अधीन रिपोर्ट की गयी प्रमुख धोखाधड़ियों का विश्लेषण भी शामिल है। आगे, परिचालनात्मक जोखिम को कम करने के लिए मौजूदा प्रणाली व प्रक्रिया में सुधार लाने हेतु विभिन्न सुझावों को अपनाया है। परिचालनात्मक जोखिम के मूल्यांकन हेतु बैंक विवेचित व्यापार प्रक्रियाओं पर जोखिम व नियंत्रण स्वयं निर्धारण (आरसीएसए) और भविष्य में व्यवहार्य परिचालनात्मक हानियों को



टालने के लिए प्रमुख परिचालनों में समस्यात्मक क्षेत्रों को पता लगाने के लिए प्रमुख जोखिम संकेतकों को (केआरआई) को पहचान रहा है। जोखिम व नियंत्रण स्वयं निर्धारण (आरसीएसए) और प्रमुख जोखिम संकेतक (केआरआई) को वार्षिक तौर पर समीक्षा की जाती है। आगे, 2013-14 की अवधि के दौरान आलोचनात्मक क्षेत्र जैसे वाणिज्यिक बैंकिंग, खजाना परिचालन, भुगतान व निपटान, वित्तीय समावेशन के लिए आरसीएसए आयोजित की गयी।

मानकीकृत दृष्टिकोण (द स्टैण्डर्डाइज्ड एप्रोच (टीएसए)) के कार्यान्वयन हेतु बैंक ने अनुमोदन के लिए भारतीय रिजर्व बैंक को आवेदन किया है।

### बेसल II और बेसल III का अनुपालन

चूँकि कार्पोरेट ग्राहकों के मामले में भा.रि.बैं. द्वारा अनुमोदित रेटिंग एजेन्सियों के जोखिम श्रेणीकरण स्थिति की आवश्यकता होती है, बैंक ने सभी छः रेटिंग एजेन्सियों अर्थात क्रिसिल, आरसीआरए, सीएआरई, ब्रिकवर्क, एसएमईआरए व फिच के साथ करार किया है ताकि उधारकर्ता प्रतिस्पर्धात्मक दर पर रेटिंग सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं और बैंक को भी रेटिंग की स्थिति के आधार पर कम पूंजी प्रभार का लाभ मिले। बैंक ने अपनी आईसीएपी नीति रूपायित की है तथा उसे अर्ध-वार्षिक आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक को प्रस्तुत किया जाता है।

भा.रि.बैं. दिशा निर्देशों के अनुरूप तथा ऋण जोखिम के लिए मानकीकृत दृष्टिकोण, बाजार जोखिम के लिए मानकीकृत अवधि दृष्टिकोण और परिचालनात्मक जोखिम के लिए मूल संकेतक दृष्टिकोण अपनाते हुए बैंक ने बेसल II मानदंडों का अनुपालन किया है। और यथा 31 मार्च 2014 को समग्र पूंजी पर्याप्तता अनुपात 10.97% बनता है जो निर्धारित न्यूनतम 9% मानदंड से अधिक है। बैंक ने बेसल III मानदंडों का अनुपालन किया है। और यथा 31 मार्च 2014 को समग्र पूंजी पर्याप्तता अनुपात 10.56% बनता है जो निर्धारित न्यूनतम 9% मानदंड से अधिक है।

### एकीकृत जोखिम प्रबंधन प्रणाली (आईआरएमएस) परियोजना

बेसल II ढांचे में सरल तथा प्रभावी ढंग से संक्रमण करने के उद्देश्य से बैंक एकीकृत जोखिम प्रबंधन प्रणाली (आईआरएमएस) का कार्यान्वयन कर रहा है।

अद्वितीय आईआरएमएस परियोजना में छः समाधान हैं - जैसे ऋण जोखिम प्रबंधन (सीआरएम); बाजार जोखिम प्रबंधन (एमआरएम); परिचालन जोखिम प्रबंधन (ओआरएम); ऋण जोखिम दर निर्धारण समाधान (सीआरआर) (खुदरा व गैर-खुदरा); आस्ति देयता प्रबंधन (एएलएम) तथा निधि अंतरण मूल्य निर्धारण (एफटीपी) समाधान।

### आईएसओ-27001 - जोखिम प्रबंधन विभाग को प्रमाणीकरण

बैंक के जोखिम प्रबंधन विभाग को प्रतिष्ठित आईएसओ/आईईसी 27001 प्रमाणीकरण से नवाजा गया है। आईएसओ मानक के अनुपालन का प्रमाणीकरण ब्रिटिश मानक संस्था (बीएसआई) ने किया है। यह प्रमाणीकरण जोखिम प्रबंधन प्रणाली, प्रौद्योगिकी व प्रक्रिया में सुरक्षा प्रबंधन में उचित व्यवहार अपनाने के

लिए बैंक की प्रतिबद्धता का एक भाग है। जोखिम प्रबंधन विभाग को आईएसओ/आईईसी-27001 का प्रमाणीकरण इस बात का सूचक है कि सूचना प्रौद्योगिकी दृष्टिकोण से खतरे और कमजोरियों के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए बैंक सूचना सुरक्षा जोखिम को सुव्यवस्थित तरीके से मूल्यांकित करने के प्रति प्रतिबद्ध है।

### पूंजी पर्याप्तता

31.03.2014 को बैंक की पूंजी पर्याप्तता अनुपात बेसल-II के अधीन 10.97% तथा बेसल-III के अधीन 10.56% रहा जबकि भारतीय रिजर्व बैंक का मानदंड 9% है। यथा 31.03.2014 को बैंक की टियर-I पूंजी बेसल-II के अधीन ₹ 5638.93 करोड़ तथा बेसल-III के अधीन ₹ 5517.65 करोड़ रहा। बेसल-II के अधीन टियर-II पूंजी ₹ 1816.07 करोड़ तथा बेसल-III के अधीन ₹ 1653.29 करोड़ रहा।

### राष्ट्रीय प्राथमिकता

#### प्राथमिकता क्षेत्र उधार

बैंक का कुल प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम मार्च 2014 के अंत में ₹ 25855 करोड़ रहा। बैंक का प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी) का 35.55% रहा।

### कृषि वित्त

बैंक का प्रत्यक्ष कृषि अग्रिम मार्च 2014 को ₹ 6392 करोड़ रहा। कुल कृषि अग्रिम ₹ 9665 करोड़ रहा जो समायोजित निवल बैंक ऋण का 13.29% बनता है।

वर्ष के दौरान बैंक ने गोदाम विकास व नियामक प्राधिकारी (डब्ल्यूडीआरए) से पंजीकृत गोदामों द्वारा जारी गोदाम रसीद के प्रति कृषकों के लिए नयी गिरवी ऋण योजना की शुरुआत की तथा कॉफी उत्पादकों के लिए विजया प्लैट्स कार्ड योजना को सुधार किया। बैंक ने कृषि ऋण को फाइल करने व ट्रैक करने हेतु वेब आधारित आवेदन रूपायित की है जिसके जरिए ग्राहक हमारी वेबसाइट में लॉग-इन करके किसी भी प्रकार के कृषि ऋण के लिए ऑन-लाइन आवेदन कर सकते हैं।

### कृषि के लिए संवितरण :

विशेष कृषि ऋण योजना के अधीन बैंक ने ₹ 6634 करोड़ के लक्ष्य के प्रति वर्ष 2013-14 के दौरान ₹ 6695 करोड़ का संवितरण किया।

### किसान क्रेडिट कार्ड योजना

भा.रि.बैं./भारत सरकार के मार्गनिर्देशों के अनुसार, बैंक द्वारा विजया किसान कार्ड (वीकेसी) योजना संशोधित की गयी। संशोधित वीकेसी योजना में उत्पाद ऋण (अल्पकालीन फसल ऋण) तथा निवेश ऋण (सावधि ऋण) दोनों के लिए प्रावधान है। कार्ड की वैधता 5 साल के लिए विस्तारित किया है तथा हितधारकों को एटीएम समर्थ किसानकार्ड जारी किया गया है।



वर्ष 2013-14 के दौरान विजया किसान कार्ड योजना के अधीन बैंक ने 67192 विजया किसान कार्ड जारी किए तथा ₹ 765 करोड़ संवितरित किए. यथा 31.03.2014 को वीकेसी का बकाया स्तर 127477 खातों के जरिए ₹ 1593 करोड़ रहा. बैंक के किसान कार्ड अब रुपये प्लैटफार्म के अधीन एटीएम समर्थित हैं तथा 88598 परिचालनात्मक वीकेसी खातों में से 81716 किसानों को एटीएम समर्थित किसान कार्ड जारी किए गए हैं.

### विजया कृषि विकास केंद्र

वर्ष 2013-14 के दौरान मुख्य प्रबंधकों की अध्यक्षता में, सांग्ली (पुणे क्षेत्र) व बागलकोट (हुब्ली क्षेत्र) में शाखा समूहों के जरिए उच्च मूल्य/हाई-टेक कृषि परियोजनाओं पर विशेष ध्यान केंद्रित करने के लिए विजया कृषि विकास केंद्र (वीकेवीके) की स्थापना की गयी.

### सूक्ष्म, लघु और मझौले उद्यमों (एमएसएमई) का वित्तपोषण

सूक्ष्म और लघु उद्यमों को अग्रिम मार्च 2013 के ₹ 8716 करोड़ से बढ़कर मार्च 2014 को ₹ 10691 करोड़ हो गया जो वर्ष-दर-वर्ष 22.66% की वृद्धि दर्शाता है.

23.80%, की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दर्शाते हुए यथा मार्च 2013 को सूक्ष्म, लघु और मझौले उद्यमों को दिए गए अग्रिम ₹ 10594 करोड़ से बढ़कर मार्च 2014 में ₹ 13115 करोड़ हुए.

बैंक ने सीजीटीएमएसई योजना के अधीन विशेषतः एमएसई ग्राहकों के लिए 'एमएसई विजय' नामक एक नए उत्पाद तथा काजू उद्योग की मांग की पूर्ति के लिए 'वी-कैश्यू' की शुरूआत की.

एमएसएमई के अंतर्गत प्रस्तावों के त्वरित निपटारे के लिए एमएसएमई ऋण आवेदनों का ऑनलाइन पंजीकरण तथा ट्रेकिंग पद्धति उपलब्ध है. आगे, एमएसएमई उधारकर्ताओं को ऑनलाइन आवेदन भरने के तुरंत बाद एमएसएमएस अलर्ट्स द्वारा पावती मिलता है.

### कमजोर वर्गों को अग्रिम

मार्च 2014 तक बैंक द्वारा कमजोर वर्गों को बकाया अग्रिम ₹ 7214 करोड़ था जो निर्धारित 10% मानदंड के प्रति एनबीसी का 9.92% बनता है. कमजोर वर्गों के अग्रिम मार्च 2013 से 29.26% वृद्धि दर दर्शाते हुए ₹ 1633 करोड़ रही.

स्व-सहाय समूह (एसएचजी)/संयुक्त देयता समूह (जेएलजी)/सूक्ष्म वित्त संस्थान (एमएफआई)

बैंक ने स्व-सहाय समूह (एसएचजी)/संयुक्त देयता समूह (जेएलजी)/सूक्ष्म वित्त संस्थान (एमएफआई) को उच्च प्राथमिकता दी है. जबकि बैंक ने एसएचजी/जेएलजी/एमएफआई को ₹ 368 करोड़ संवितरित किया है, इस क्षेत्र में उधार का बकाया स्तर यथा 31.03.2014 को ₹ 719 करोड़ रहा.

मौजूदा एसजीएसवाई योजना के बदले में, भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन योजना (एनआरएलएम) में बैंक की सक्रिय सहभागिता है.

### महिला हिताधिकारियों को ऋण

महिला हिताधिकारियों को अग्रिम 12.06% की वृद्धि दर्शाते हुए मार्च 2013 के ₹ 4526 करोड़ की तुलना में मार्च 2014 में ₹ 5072 करोड़ रहा. महिलाओं को, एनबीसी के 5% के निर्धारित मानदंड के प्रति बैंक की उपलब्धि 6.97% है.

### अग्रणी बैंक योजना

हमारे बैंक को कर्नाटक राज्य के 3 जिलों अर्थात् मण्ड्या, हुब्ली और हावेरी जिलों में अग्रणी बैंक की जिम्मेदारी है. सभी तीन जिलों के अग्रणी जिला प्रबंधक संबंधित जिले की सभी बैंक शाखाओं के साथ समन्वय करके वार्षिक ऋण योजना, सरकार द्वारा प्रायोजित योजना, वित्तीय समावेशन सीधा लाभ अंतरण योजना आदि के अधीन लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करते हैं. अग्रणी बैंक योजनांतर्गत मार्च 2014 को इन तीन जिलों में वार्षिक ऋण योजना के जरिए हमारे बैंक के ऋण का हिस्सा ₹ 623 करोड़ लक्ष्य के प्रति ₹ 613 करोड़ रहा.

### सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के तहत उधार

बैंक लगातार सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं को लागू करने को महत्व देता आ रहा है. सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न योजनाओं के अधीन बैंक के उधार निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ों में)

क्रम सं.	योजनाएं	हिताधिकारियों की संख्या	मार्च 2014 को बकाया ऋण राशि
1	पीएमईजीपी	7093	89.95
2	एसजीएसवाई	1540	9.08
3	एसजेएसआरवाई	4058	24.12
4	एनआरएलएम	4247	89.60

### अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति को अग्रिम

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति को कुल अग्रिम मार्च 2013 के ₹ 1015 करोड़ के प्रति मार्च 2014 तक ₹ 1125 करोड़ रहा जो 10.84% वृद्धि दर्शाता है. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति को दिए जानेवाले ₹ 5.00 लाख तक के सभी ऋण, जो प्राथमिकता क्षेत्र व खुदरा ऋण के अधीन आते हैं, की ब्याज दर को 1% कम किया है.

### अल्पसंख्यक समुदायों को ऋण

मार्च 2014 को अल्पसंख्यक समुदायों को दिए गए अग्रिमों की मात्रा ₹ 3143 करोड़ है और यह कुल प्राथमिकता क्षेत्र के अग्रिमों का 12.16% बनता है.

### विजया बैंक स्व-रोजगार प्रशिक्षण संस्थाएं (वीआईबीएसईटीआई)

बैंक ने कर्नाटक राज्य के मंड्या व हावेरी जिलों में और मध्यप्रदेश राज्य के इंदौर में विजया बैंक स्व-रोजगार प्रशिक्षण संस्थाओं (वीआईबीएसईटीआई) की स्थापना की है. ये संस्थाएं विभिन्न व्यावसायिक प्रशिक्षण/कौशल उन्नयन/



जागरूकता कार्यक्रमों और उद्यमी विकास कार्यशालाएं आदि का आयोजन कर रही हैं। वर्ष 2013-14 के दौरान, वीआईबीएसईटीआई द्वारा 125 कार्यक्रम आयोजित किए गए और 3416 लाभार्थियों को प्रशिक्षित किया गया जो 73% की नियुक्ति दर बनती है। प्रारंभ से कुल 1145 कार्यक्रम आयोजित किए गए और 41469 लाभार्थियों को प्रशिक्षित किया गया जो 73% की नियुक्ति दर बनती है।

वर्ष 2012-13 के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा वीआईबीएसईटीआई, मंड्या व हावेरी को “ए” ग्रेड दिया गया तथा वीआईबीएसईटीआई, इंदौर को “ए” ग्रेड दिया है। वीआईबीएसईटीआई, मंड्या के समग्र निष्पादन के आधार पर देश के उच्च निष्पादन संस्थान के रूप में उभरा और ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा उत्कृष्टता प्रमाणपत्र से नवाजा गया।

### विजया ग्रामीण विकास प्रतिष्ठान

कृषि प्रणालियों के आधुनिकीकरण, कौशल उन्नयन तथा विभिन्न उद्यमों संबंधी ज्ञान तथा समग्र सामाजिक - आर्थिक विकास के प्रति ग्रामीण जनता के ध्यानाकर्षण हेतु, बैंक द्वारा वर्ष 1990 में मंगलूर में विजया ग्रामीण विकास प्रतिष्ठान का प्रवर्तन किया। ग्रामीण विकास परिषदों (वीडीसी) के जरिए, विभिन्न विषयों पर, वीआरडीएफ प्रशिक्षण/जागरूकता कार्यक्रमों, आदि विभिन्न गतिविधियों का आयोजन करता है। वर्तमान में, ऐसे 32 वीडीसी, वीआरडीएफ के अधीन कार्य कर रहे हैं। वर्ष के दौरान वीआरडीएफ ने 157 कार्यक्रमों का आयोजन किया जिनमें 7996 व्यक्ति लाभान्वित हुए। ग्रामीण निर्धन के लाभार्थी, निःशुल्क स्वास्थ्य कैंप का भी आयोजन किया गया। ग्रामीण इलाकों के सरकारी स्कूल के निर्धन मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति मंजूर की गयी है। प्रतिष्ठान ने अपनी गतिविधियों को अन्य जिलों जैसे हावेरी, धारवाड और मंड्या में विस्तारित किया है जहां बैंक को अग्रणी बैंक की जिम्मेदारी है।

### संसदीय समिति का दौरा

- 1) दिनांक 09.07.2013 को सरकारी आश्वासन समिति, राज्यसभा पर संसदीय समिति तथा कृषि ऋण छूट व ऋण राहत योजना, 2008 व बैंकों द्वारा उदार उधार पर विचार विमर्श किया गया।
- 2) दिनांक 28.10.2013 को अ.जा./अ.ज.जा. के कल्याण पर संसदीय समिति ने दौरा किया तथा हमारे बैंक में संगठनात्मक ढांचे व अ.जा./अ.ज.जा. को सेवा में दिए जानेवाले आरक्षण तथा ऋण सुविधाओं पर चर्चा की।
- 3) उद्योग पर विभाग से संबंधित संसदीय समिति ने 11.01.2014 को दौरा किया तथा हमारे बैंक द्वारा एमएसएमई को दिए जानेवाले ऋण संबंधी विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की।

### शिक्षा ऋण

बैंक शिक्षा ऋण को बहुत महत्व देता है क्योंकि इसे मानव पूंजी में निवेश के रूप में देखा गया है। वर्ष के दौरान, यह संविभाग निर्णीत रूप से यथा 31.03.2013

के 671 करोड से 89 करोड बढ़कर यथा 31.03.2014 को 760 करोड के स्तर तक पहुंचा।

वर्ष के दौरान, बैंक ने शिक्षा ऋण संविभाग में सुधार लाने हेतु कई पहल की। कई नामी शिक्षा संस्थानों/महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों के साथ शिक्षा ऋण प्रदान करने के लिए समझौता ज्ञापन किया। बैंक ने प्रवेश समय पर कई प्रदर्शनियों तथा शिविरों में भाग लिया ताकि छात्र वर्ग के बीच शिक्षा ऋण सुविधा की उपलब्धता पर जागरूकता ला सके।

### वित्तीय समावेशन

हमारे बैंक को अखिल भारतीय स्तर पर 2000 से अधिक जनसंख्यावाले 378 ग्राम आबंटित किए गए हैं। हमने 31.03.2012 की लक्ष्य तारीख से पहले 89 शाखाओं व 289 कारोबार संपर्क अभिकर्ता (बीसीए) के जरिए बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध करायी है।

वर्ष 2013-14 के दौरान हमने 2000 से कम जनसंख्या के 2240 ग्रामों को 32 शाखाओं, 457 कारोबार संपर्क अभिकर्ता (बीसीए)/ग्राम्य स्तर उद्यमियों (वीएलई) तथा 20 एटीएम के जरिए प्रावरित किया है।

बैंक आबंटित 2000 से अधिक व कम जनसंख्या वाले गांवों को 789 बीसीए के जरिए प्रावरित किया।

बैंक ने भा.रि.बैं. की मॉडल योजना के अनुरूप जिला स्तर पर वित्तीय साक्षरता केंद्र (एफएलसी) को स्थापित तथा प्रबंधन करने के लिए सिंडिकेट बैंक के साथ ज्ञान ज्योति लिटरसी एण्ड क्रेडिट काउंसेलिंग ट्रस्ट (जेजेएफएलसीसीटी) का प्रवर्तन किया। वर्ष 2013-14 के दौरान बैंक ने 5 ताल्लुक स्तरीय एफएलसी खोलें जिससे मार्च 2014 तक खोले गए एफएलसी की कुल संख्या 11 बनती है।

बैंक के अग्रणी जिलों में वित्तीय समावेशन संसाधन केंद्र (एफआईआरसी) खोले गए हैं।

वित्तीय समावेशन गांवों में वित्तीय साक्षरता अभियानों के लिए 5 मोबाइल बैंक प्रदान किए गए हैं तथा उनको मंड्या, धारवाड, हावेरी, उडुपि तथा मंगलूर में रखा गया है तथा हमारी ग्रामीण शाखाएं भी आबंटित गांवों में वित्तीय साक्षरता शिविरों का आयोजन करते हैं। वित्तीय साक्षरता पैम्पलेट, टीवी स्क्रीन तथा नुक्कड नाटक के जरिए प्रचार किया जाता है।

हमने दिनांक 24.09.2013 को मंड्या जिले (हमारा अग्रणी जिला) के नागमंगला ताल्लुक में आदिचुंचनगिरि में “ वित्तीय समावेशन ग्रामीण संपर्क” कार्यक्रम का आयोजन किया। डॉ.के.सी.चक्रवर्ती, उप-गवर्नर, भा.रि.बैं. तथा श्रीमती उमा शंकर, क्षेत्रीय निदेशक, भा.रि.बैं., श्री एच.एस.उपेन्द्र कामत, तत्कालीन अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, विजया बैंक व श्री के.आर.शेणै, कार्यकारी निदेशक ने कार्यक्रम में भाग लिया। इस कार्यक्रम में वित्तीय समावेशन गांवों के लिए सूक्ष्म बीमा व सूक्ष्म आवर्ती जमा योजनाओं की शुरूआत की गयी। इस अवसर पर 10 बालिकाओं को गोद लिया गया तथा हिताधिकारियों को ऋण मंजूरी पत्र प्रदान किए गए। इस कार्यक्रम में 2000 से अधिक ग्रामीण ग्राहकों ने





भाग लिया. मंड्या जिले के 11 अति लघु शाखाओं को कम लागत की परंपरागत शाखाओं में परिवर्तित किया गया.

बैंक में 97.63 करोड़ शेष 10.17 लाख बेसिक बचत बैंक जमा खाते खोलें तथा वित्तीय समावेशन के अधीन कुल 3.86 लाख स्मार्ट कार्ड जारी किए. हमने 5353 माइक्रो आरडी खाते खोलें तथा सूक्ष्म बीमा के अधीन 3608 हिताधिकारियों को नामांकित किया है.

कर्नाटक में इलेक्ट्रॉनिक लाभ अंतरण (ईबीटी) के अधीन पाइलेट जिलों में बैंक ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन (एसएसपी) तथा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (एमजीएनआरईजीपी) के 3.16 लाख लाभार्थियों को स्मार्ट कार्ड जारी किया है. मंड्या जिले (कर्नाटक) में बैंक ने “एक जिला एक बैंक” मॉडल के अधीन 1 लाख लाभार्थियों को कुल ₹ 5.20 करोड़ प्रति महीने सामाजिक सुरक्षा पेंशन वितरित करना शुरू किया है.

बैंक हिताधिकारियों का खाता खोलकर, आधार संख्या की प्रविष्टि करके तथा उसे एनपीसीआई के साथ मैप करके भारत सरकार के सीधा लाभ अंतरण (डीबीटी) कार्यक्रम में सक्रिय रूप से भाग ले रहा है.

बागलकोट में कृषकों और कृषि मजदूर को प्रशिक्षण दिलाने हेतु स्थापित कर्नाटक कृषक संसाधन केन्द्र (केएफआरसी) का हमारा बैंक भी एक संस्थापक न्यासी है.

## 2014-15 की कार्य योजना

वर्ष 2014-15 के दौरान वित्तीय समावेशन के अधीन 2000 से कम जनसंख्या के 293 गांवों को 52 बीसीए/वीएलई के जरिए प्रावरित करेंगे. इससे 2000 से अधिक व कम जनसंख्या के 2911 गांवों को बैंक द्वारा प्रावरित किया जाएगा.

वर्ष 2014-15 के दौरान बैंक द्वारा कर्नाटक में 8 और ताल्लुक स्तर के एफएलसी खोला जाएगा जिसके साथ एफएलसी की कुल संख्या 19 होगी.

## सूचना व प्रौद्योगिकी

### कोर बैंकिंग समाधान व उसकी प्रगति

बैंक ने 100% सीबीएस प्राप्त किया है जिसके फलस्वरूप ग्राहकों को कहीं भी बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग ऑनलाइन लेनदेन आदि सेवाएं उपलब्ध की जाती हैं. 100% सीबीएस के साथ बैंक अपने ग्राहकों को तत्काल बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने में सक्षम हो रहा है. 21 स्थानों पर पासबुक कियोस्क शुरू किया गया है. नकद जमा कियोस्क 231 जगहों में कार्यान्वित किया गया है. भारत सरकार की सीधा नकद अंतरण परियोजना के सुचारू कार्यान्वयन हेतु आधार समर्थ भुगतान प्रणाली का कार्यान्वयन किया गया है. धोखाधड़ियों को कम करने हेतु सीबीएस प्रयोक्ताओं के लिए सभी जगहों पर बयोमेट्रिक एक्सेस शुरू किया गया है.

बैंक ने एकीकृत मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (एचआरएमएस), एकीकृत खजाना प्रबंधन प्रणाली (आईटीएमएस) तथा एकीकृत जोखिम प्रबंधन प्रणाली (आईआरएमएस) का कार्यान्वयन किया है तथा इसे कोर बैंकिंग प्रणाली के

साथ एकीकृत किया है. मुंबई में डीआर सेटअप स्थापित करने के द्वारा आईटीएमएस परियोजना के सभी लक्ष्य हासिल किए जा चुके हैं. एचआरएमएस में भी लगभग सभी उद्देश्य पूरे किए जा चुके हैं तथा इस परियोजना के लिए डीआर मुंबई में स्थापित किया जाएगा. वित्तीय वर्ष के अंत तक आईआरएमएस के पूर्णतः कार्यान्वित किए जाने की संभावना है.

## एटीएम

वर्ष 2013-14 के दौरान 654 और एटीएम परिचालन में लाए गए जिससे यथा मार्च 2014 को एटीएम की कुल संख्या 1528 हो गई. बैंक के ग्राहक देश भर में नैशनल फिनांशियल स्विच (एनएफएस) के अधीन कनेक्ट किए गए 150000 एटीएम की सेवाओं का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. हम उन कुछ बैंकों में से हैं जिन्होंने वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के निदेशानुसार शाखाओं की संख्या के अनुरूप एटीएम संस्थापित किए हैं.

## आंतरिक नियंत्रण

बैंक ने आईटी व आईएस सुरक्षा, इंटरनेट बैंकिंग नीति, आईटी खरीद नीति, इंटरनेट उपयोग नीति, ई-मेल नीति, कारोबार निरंतरता नीति, डिजास्टर रिकवरी नीति, औटसोर्सिंग नीति जैसी नीतियों पर दस्तावेज तैयार कर लिए हैं जिसमें कई प्रकार के क्षेत्रीय स्तर व प्रशासनिक स्तर के कार्य शामिल है. इस प्रकार के प्रत्येक कार्य से जुड़े जोखिमों को दूर करने हेतु पर्याप्त नियंत्रण भी तैयार किए गए हैं. वर्ष 2013-14 के दौरान आईटी नीति व आईएस नीति संशोधित की गयी. आईएस सुरक्षा के एक भाग के रूप में घटना प्रबंधन, भेद्यता व पेनेट्रेशन टेस्ट के लिए भी नीतियाँ तैयार की गई है.

## नेटवर्किंग

बैंक ने अपनी सभी शाखाएं, विस्तार काउंटर तथा कार्यालयों को कॉर्पोरेट बैं (डब्ल्यूएन) के अधीन जोड़ा है तथा शाखाओं की 100% नेटवर्किंग हासिल की है. बैंक ने कनेक्टिविटी स्थापित करने हेतु अद्यतन तकनीक जैसे एमपीएलएस, रेडियो फ्रीक्वेंसी, सीडीएमए, आदि का प्रयोग किया है.

## आरटीजीएस एवं एनईएफटी सेवाएं

केंद्रीकृत भुगतान प्रणाली जैसे कि तत्काल सकल भुगतान प्रणाली (आरटीजीएस) तथा राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (एनईएफटी) के लिए संप्रति सिर्फ सीधी सदस्यता उपलब्ध है. भा.रि.बैं. ने एनईएफटी तथा आरटीजीएस प्रणालियों में भाग लेने हेतु उप-सदस्यता मार्ग को सभी लाइसेंसित बैंकों को विस्तार करने का निर्णय लिया है. उप-सदस्य केंद्रीकृत भुगतान प्रणाली में अपने प्रायोजक बैंक के जरिए भाग लेंगे, जो केंद्रीकृत भुगतान प्रणाली के सीधे सदस्य हैं. बैंक ने शिम्पा सहकारा बैंक नियमिता, मधूर तथा लोकपावनी महिला सहकारी बैंक, मंड्या के साथ हमारी आरटीजीएस/एनईएफटी सेवाओं को उप-सदस्यों के रूप में प्रयोग करने के लिए व्यवस्था की है.



सभी शाखाओं को कोर बैंकिंग समाधान के अधीन लाने के जरिए अब बैंक के ग्राहकों को आरटीजीएस व एनईएफटी सेवाएँ सभी शाखाओं में उपलब्ध है। चूँकि एसटीपी को आरटीजीएस व एनईएफटी में सक्षम किया गया है इसलिए ग्राहक तुरंत अंतर बैंक व बैंक के अंदर भी तुरंत निधि अंतरण सेवा का लाभ उठा सकते हैं।

### मिस्सड कॉल सेवाएं (फ्री बज्ज)

बैंक, अपने ग्राहकों के लिए मिस्सड कॉल सेवाएं उपलब्ध करा रहा है जिससे ग्राहक, खाता शेष व लघु विवरण प्राप्त कर सकते हैं। शून्य प्रभार से मिस्सड कॉल देने की सुगमता ग्राहकों के लिए बहुत ही लाभदायक है।

### वी-फ़ी हाईव

हमारी इन-हाउस सॉफ्टवेयर विकास टीम ने शैक्षिक संस्थाओं से शुल्क संग्रहण, अपार्टमेंट द्वारा मासिक रख-रखाव शुल्क संग्रहण तथा क्लबों द्वारा शुल्क संग्रहण के लिए एक विशेष एप्लिकेशन विकसित किया है। इसमें कुछ विशिष्टताएं हैं जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड तथा इंटरनेट बैंकिंग आदि अन्य भुगतान चैनल को एकीकृत किया जा सकता है।

### वी-ईपासबुक +

हमारी इन-हाउस सॉफ्टवेयर विकास टीम ने मोबाइल एप्लिकेशन विकसित की है जिससे खाता विवरण/लेनदेन विवरण प्राप्त किया जा सकता है। इस एप्लिकेशन में अतिरिक्त ग्राहकोन्मुख विशिष्टताएं हैं जैसे प्रत्येक लेनदेन के लिए टिप्पणियां जोड़ने की सुविधा, विभिन्न वैयक्तिक खाता शीर्ष रखने की सुविधा तथा एक ही क्लिक से इन खातों में पासबुक लेनदेन जोड़ने की सुविधा, आदि। अद्यतन प्रस्तुतियां तथा सूचनाएं जैसे बैंक की ब्याज दर से युक्त पृष्ठ इसके जरिए बैंक की वेबसाइट में जाने की सुविधा तथा किसी दोस्त को परिचय कराने की सुविधा इस एप्लिकेशन में उपलब्ध है। यथा 31.03.2014 को यह सुविधा प्राप्त करने हेतु 33902 ग्राहकों ने पंजीकृत किया है।

### चेक ट्रंक्शन प्रणाली

भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशानुसार हमारे बैंक ने वर्ष 2013-14 के दौरान दक्षिण व पश्चिमी गिड की सभी एनआईसीआर केंद्रों में तथा उत्तरी गिड के दिल्ली, चंडीगढ़, पंजाब व राजस्थान राज्यों के एमआईसीआर केंद्रों में चेक ट्रंक्शन प्रणाली का कार्यान्वयन किया है।

### सुरक्षा परिचालन केंद्र

सुरक्षा सूचना व घटना प्रबंधन समाधान (एसआईईएम) एवं सह-संबंध टूल सहित सुरक्षा परिचालन केंद्र स्थापित किया गया जो सभी घटनाओं के विश्लेषण में मददगार होगा तथा आक्रमण पैटर्न यदि कोई हो तो उसका पता लगाएगा। भारत सरकार की नयी पहल के अनुसार हमारे बैंक को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए सामान्य आरएफपी के तहत सुरक्षा परिचालन केंद्र के कार्यान्वयन हेतु अग्रणी बैंक के रूप में पहचाना गया है।

### आंतरिक निरीक्षण

बैंक ने सुपरिभाषित आंतरिक लेखा परीक्षा नीति लागू की है। मंडल की लेखा परीक्षा समिति नियमित तौर पर लेखा परीक्षा कार्य के निष्पादन की देखरेख करती है जिसके लिए बैंक की लेखा परीक्षा प्रणाली व आंतरिक नियंत्रण में सुधार लाने के लिए मार्गदर्शन व निर्देश देती है।

वित्तीय वर्ष के दौरान बैंक ने प्रोग्राम की गयी 1115 शाखाओं में से 937 शाखाओं का जोखिम आधारित आंतरिक लेखा परीक्षण किया है। जोखिम रेटिंग के मूल्यांकन पर इनमें से 53.95% शाखाओं को 'कम जोखिम' दर्जा दिया गया।

इसके अतिरिक्त वर्ष के दौरान 12 सेवा शाखाओं, 15 आरएसीपीसी, 6 क्षेत्रीय कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय के 10 विभागों का निरीक्षण किया गया। इसके अलावा 1529 शाखाओं के आई एस लेखा परीक्षा का कार्यक्रम बनाया गया और 31.03.2014 से पहले 346 शाखाओं को छोड़कर सभी शाखाओं में इसे पूरा किया गया।

बैंक ने 419 शाखा/कार्यालयों में अपने कारोबार के 83.62% को समवर्ती लेखा परीक्षा के अधीन प्रावर्तित किया है जबकि भा.रि.बैंक मानदंड के अनुसार न्यूनतम 50% कारोबार को प्रावर्तित किया जाना है। बैंक जोखिम आधारित आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली सहित (आरबीआईए) अपनी लेखा परीक्षा प्रणाली में सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग कर रहा है जिससे विभिन्न प्रकार की मूल्यवर्धित रिपोर्टें तैयार की जाती हैं।

### अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी), धन शोधन निवारक (एएमएल) तथा आतंकवाद को वित्तीयन की रोकथाम (सीएफटी)

बैंक की 'अपने ग्राहक को जानिए', 'धन शोधन निवारक' तथा 'आतंकवाद को वित्तीयन की रोकथाम' पर नीति है और प्र.का.स्थित केवाईसी कक्ष तथा क्षेत्रीय कार्यालय में एक पदनामित नोडल अधिकारी द्वारा इसकी देखरेख की जाती है। नीति मार्गनिर्देश पहली बार 2005 में जारी किए गए थे तथा इनका समय-समय पर अद्यतन किया जाता है।

केवाईसी मानदंडों, एएमएल मार्गनिर्देशों तथा सीएफटी प्रक्रिया के कार्यान्वयन के लिए क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं को आवश्यक अनुदेश दिए गए हैं। भा.रि.बैं., भारत सरकार तथा भा.बैं.सं. से जब कभी निदेश प्राप्त किए जाते हैं तत्संबंधी दिशानिर्देश क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं को भेजे जाते हैं। उक्त नीतियों के कार्यान्वयन हेतु क्षेत्र कार्यकर्ताओं को आवश्यक तकनीकी सहयोग प्रदान किया जाता है।

यह सुनिश्चित किया जाता है कि शाखाएं केवाईसी मानदंड के अनुदेश व अन्य मार्गनिर्देशों को सच्ची भावना से कार्यान्वित कर रहे हैं। जहां भी केवाईसी अनुपालन की कमी है, वहां शाखाएं नए खाते नहीं खोल रहे हैं। किसी भी खाते में चेकबुक जारी करने से पहले केवाईसी अनुपालन के स्तर की जांच करने के लिए सिस्टम सहायता उपलब्ध करायी जाती है।

शाखाओं को खातों में अधिक मूल्य के लेनदेनों पर निगरानी रखने का अनुदेश दिया गया है तथा यह सुनिश्चित किया जाना है कि लेनदेन घोषणा किए गए कारोबार के अनुरूप हो। उक्त लेनदेनों पर सुदृढ़ एएमलॉक सॉफ्टवेयर के जरिए



प्रधान कार्यालय द्वारा निगरानी रखी जाती है, जो धन शोधन निवारक मार्गनिर्देशों पर दिए गए मानदंडों पर निगरानी रखकर अलर्ट देता है। लेनदेनों पर निगरानी रखी जाती है तथा अधिक मूल्य के नकद लेनदेनों को मासिक सीटीआर में एफआईयू-आईएनडी को रिपोर्ट की जाती है। इसके अलावा, कोई लेनदेन संदेहजनक है, तो राशि के लिहाज किए बिना एसटीआर द्वारा एफआईयू-आईएनडी को रिपोर्ट की जाती है। गैर-लाभार्जन संस्थाओं के मासिक एनटीआर के जरिए खातों में पाए गए अधिक मूल्य लेनदेनों की रिपोर्ट की जाती है। शाखाओं या मुद्रा पेटिकाओं में यदि जाली करेंसी पाए गए तो मासिक सीसीआर के जरिए एफआईयू-आईएनडी को रिपोर्ट की जाती है।

यूपन द्वारा उपलब्ध करायी गयी आतंकवादीयों की सूची से ग्राहकों के नाम का मिलान करने के लिए एक सिस्टम सहायता उपलब्ध करायी गयी है। यह शाखाओं को आतंकवादियों तथा संबद्ध सत्व के खातों को न खोलने में सहायता करता है।

केवाईसी मानदंडों तथा एएमएल मार्गनिर्देशों के कार्यान्वयन की आंतरिक निरीक्षकों तथा समवर्ती लेखापरीक्षकों, सर्तकता निरीक्षकों तथा कार्यपालकों द्वारा शाखा निरीक्षण के दौरान जाँच की जाती है। प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय में शाखाओं में इसके कार्यान्वयन की देखरेख के लिए एक नोडल अधिकारी होता है तथा वह मासिक आधार पर केवाईसी मानदंडों के कार्यान्वयन की पुष्टि से संबंधित प्रमाणपत्र प्रस्तुत करता है। उच्च प्रबंधन को आवधिक आधार पर गतिविधियों से अवगत कराया जाता है।

### ऑफसाइट निगरानी कक्ष

बैंक की मॉडल लेखापरीक्षा नीति दिनांक 28.06.2012 पत्र सं.एफ.सं. 7/112/2011.बीओए. द्वारा सूचित भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुपालन में बैंक में ऑफसाइट निगरानी कक्ष गठित किया गया। यह कक्ष लगातार/दैनिक तौर पर शाखाओं/कार्यालयों के अपवादस्वरूप लेनदेनों पर निगरानी रखता है तथा दैनिक तौर पर प्रबंधन सूचना प्रणाली की महत्वपूर्ण मदों की समीक्षा करती है ताकि शोधक कार्य के लिए नियंत्रण कार्यालय तथा शाखा/कार्यालय को सुग्राह्य बनाया जा सके।

### सतर्कता

प्रधान कार्यालय में बैंक के सतर्कता विभाग की अध्यक्षता महा प्रबंधक स्तर के मुख्य सतर्कता अधिकारी कर रहे हैं जो भारतीय स्टेट बैंक से प्रतिनियुक्ति पर है। सतर्कता विभाग, बैंक का सारा सतर्कता कार्य केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा निर्धारित मार्गनिर्देशों के अनुरूप करता है। इसके अतिरिक्त, सतर्कता विभाग निवारक सतर्कता उपाय के रूप में शाखाओं का आकस्मिक निरीक्षण भी करता है। ये क्षेत्रीय कार्यालयों में स्थित क्षेत्रीय सतर्कता अधिकारियों द्वारा किए जाते हैं। एक ही प्रकार की धोखाधड़ियों को बार-बार होने से रोकने और निवारक सतर्कता उपायों को सशक्त बनाने के लिए मौजूदा प्रणाली में कमियों को हटाने के सभी प्रयास किए जाते हैं।

### अनुपालन

मंडल अनुमोदित अनुपालन नीति भारतीय रिज़र्व बैंक के मौजूदा दिशानिर्देशानुसार अपेक्षित है तथा तदनुसार बैंक ने अनुपालन नीति अपनायी है। अनुपालन विभाग, प्र.का. सुनिश्चित करता है कि प्रधान कार्यालय में भारत सरकार,

भा.रि.बैं., भा.बैं.सं. तथा दूसरों से प्राप्त विभिन्न संप्रेषण का अनुपालन किया जाता है जिसके लिए संबंधित परिचालनात्मक विभागों को अपेक्षित कार्रवाई के लिए ऐसे सभी संप्रेषण भेजे जाते हैं। अनुपालन विभाग की अध्यक्षता मुख्य अनुपालन अधिकारी कर रहे हैं जो महा प्रबंधक स्तर के है।

### सूचना का अधिकार अधिनियम - 2005

भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 को अधिनियमित किया जो 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ। यह अधिनियम प्रत्येक नागरिक को सार्वजनिक प्राधिकारियों के नियंत्रणाधीन सूचना को पाने/तक पहुंचने का हक प्रदान करता है। प्रशासन में तथा इससे संबंधित या प्रासंगिक मामले में खुलापन, पारदर्शिता तथा जवाबदेही लाना ही इसका उद्देश्य है।

बैंक ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सभी शाखा प्रबंधकों को सहायक जन सूचना अधिकारी, सभी 26 क्षेत्रीय कार्यालयों की दूसरी पंक्ति के कार्यपालकों को सार्वजनिक सूचना अधिकारी तथा क्षेत्रीय प्रबंधकों को अपील प्राधिकारियों के रूप में पदनामित किया है। प्र.का. में उप महा प्रबंधक को जन सूचना अधिकारी तथा महा प्रबंधक को अपील प्राधिकारी के रूप में पदनामित किया है। समग्र बैंक में, सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत 27 कार्यालयों को जन सूचना अधिकारी तथा अपील अधिकारी उपलब्ध कराए गए हैं।

अधिनियम के अंतर्गत मांगी गयी सूचना निर्धारित समय सीमा के अंदर प्रस्तुत की जाती है। वर्ष 2013-14 के दौरान, इस सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत बैंक को 873 आवेदन व 109 अपील प्राप्त व निपटाए गए।

### आंतरिक लेखा कार्य

सभी अंतर बैंक लेनदेनों के संबंध में 31.03.2014 तक का मिलान कर दिया गया है। अंतर शाखा बकाया प्रविष्टियों के मिलान के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित छः महीनों की न्यूनतम अवधि की तुलना में कोई भी बकाया प्रविष्टि लंबित नहीं है।

### सुरक्षा व्यवस्था

बैंक की संगठनात्मक संरचना के अंतर्गत अधिकारों व जिम्मेदारियों का स्पष्ट प्रत्यायोजन युक्त, सुसंस्थापित सुरक्षा व्यवस्था बैंक में मौजूद है।

विभाग ने सभी मुद्राकोषों तथा बैंक शाखाओं की सुरक्षा व्यवस्थाओं की समीक्षा की तथा उन्हें मजबूत बनाया है। क्षेत्रीय सुरक्षा अधिकारी विद्यमान सुरक्षा व्यवस्थाओं का मूल्यांकन करने तथा इन व्यवस्थाओं को मजबूती प्रदान करने के उपायों पर सुझाव देने के लिए नियमित आधार पर शाखा निरीक्षण करते हैं। क्षेत्रीय सुरक्षा अधिकारी कानून व्यवस्था लागू करने वाली एजन्सियों के साथ घनिष्ठ संपर्क बनाए रखते हैं। गतिशील सुरक्षा परिदृश्य में नयी चुनौतियों का सामना करने हेतु बैंक में सुरक्षा व्यवस्थाओं का अनवरत तौर पर सुदृढ़ किया जाता है।



बैंक सुरक्षा को मजबूती प्रदान की जा रही है ताकि वह अधिक प्रभावी, आधुनिक तथा बाधा-रहित सुरक्षा प्रणाली हो सके. भा.रि.बैं. मार्गनिर्देशानुसार बैंक के सभी मुद्राकोषों में एक्सेस कन्ट्रोल सिस्टम मजबूत बनायी गयी है. मुद्राकोषों के स्ट्रॉंग रूम में एक्सेस का नियंत्रण करने के लिए उचित प्रणाली तथा मुद्राकोष के वोल्ट रूम में प्रविष्टि/ से बाहर आने की उचित रिकार्ड रखी जा रही है. एक्सेस नियंत्रण उपायों को सशक्त बनाने हेतु बैंक की सभी मुद्रा कोषों में बयोमेट्रिक एक्सेस नियंत्रण प्रणाली संस्थापित की गयी है.

भा.रि.बैं./भा.बैं.सं. के दिशानिर्देशानुसार लगभग सभी शाखाओं में सभी जरूरी तथा अनिवार्य सुरक्षा व्यवस्था की गयी है. सभी शाखाओं तथा मुद्राकोषों में सिक्युरिटी अलार्म सिस्टम लगाया गया है. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारितानुसार 1400 शाखाओं में स्ट्रॉंग रूम उपलब्ध कराए गए हैं.

बैंक के कुल 27 मुद्राकोष हैं. 26 मुद्राकोषों के लिए पुलिस गार्ड उपलब्ध किए गए हैं. भुवनेश्वर मुद्राकोष के 24 घंटे पहरा के लिए बैंक ने डीजीआर द्वारा प्रायोजित निजी सुरक्षा एजेंसी को आउटसोर्स किया है. भुवनेश्वर मुद्राकोष में सशस्त्र पुलिस गार्ड के नियोजन हेतु प्रयास जारी है.

मुद्राकोष/शाखाओं में नियोजित सशस्त्र गार्डों को, वार्षिक आधार पर फाइरिंग अभ्यास सहित प्रशिक्षण दिया जाता है. क्षेत्रीय कार्यालय एवं प्रधान कार्यालय में गठित सुरक्षा समिति सुरक्षा पहलुओं की समीक्षा करने के लिए आवधिक रूप से बैठक आयोजित करती है.

832 शाखाओं में सीसीटीवी सर्विलेंस सिस्टम लगाया गया है. चरणबद्ध तरीके से सीसीटीवी सिस्टम लगाया जा रहा है, सभी शाखाओं में 31.03.2015 तक सीसीटीवी सर्विलेंस सिस्टम लगाया जाएगा.

### मानव संसाधन विकास प्रबंधन

#### श्रमशक्ति तथा स्टाफ उत्पादकता

बैंक में कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या मार्च 2013 के 12601 की तुलना में मार्च, 2014 में 12822 रही. कुल स्टाफ में से 5947 अधिकारी, 4357 लिपिकीय कर्मचारी, 2045 अधीनस्थ कर्मचारी तथा अधीनस्थ संवर्ग में 473 अंशकालीन कर्मचारी हैं. मार्च 2014 के अंत तक महिला कर्मचारियों की संख्या 3125 रही जिसमें 1291 अधिकारी और 1834 एवार्ड स्टाफ हैं जो कि बैंक के कुल कर्मचारियों का 24.37% है. मार्च 2014 के अंत तक शारीरिक रूप से अक्षम वर्ग में 248 कर्मचारी और भूतपूर्व सैनिक वर्ग में 658 कर्मचारी रहे.

#### भर्ती

वर्ष के दौरान बैंक ने विभिन्न श्रेणियों/वेतनमानों में 604 अधिकारियों तथा 444 परिवीक्षाधीन लिपिकों की भर्ती की. बैंक ने 45 सशस्त्र गार्डों की भी भर्ती की.

### पदोन्नतियां

वर्ष 2013-2014 के दौरान की गयी पदोन्नतियां निम्नानुसार हैं:

क्रम सं.	से पदोन्नति	तक पदोन्नति	कुल पदोन्नत
1	उ.का.श्रे.वे-VI	उ.का.श्रे.वे-VII	05
2	व.प्र.श्रे.वे-V	उ.का.श्रे.वे-VI	11
3	व.प्र.श्रे.वे-IV	व.प्र.श्रे.वे-V	30
4	म.प्र.श्रे.वे-III	व.प्र.श्रे.वे-IV	60
5	म.प्र.श्रे.वे-II	म.प्र.श्रे.वे-III	241
6	क.प्र.श्रे.वे-I	म.प्र.श्रे.वे-II	215
7	लिपिकीय	क.प्र.श्रे.वे-I	173
8	सब-स्टाफ	लिपिक	प्रक्रियाधीन

”बैंक ने समीक्षा वर्ष 2012-13 के लिए एपीएआर अंक/रिटिंग के प्रकटीकरण की नीति व अपील प्रक्रिया की शुरुआत की.”

### प्रशिक्षण

बैंक की प्रशिक्षण प्रणाली को अतिरिक्त एवं सक्षम श्रमशक्ति के जरिए सुदृढ किया गया है. कर्मचारियों के लिए वर्तमान तथा भविष्य के समनुदेशों को संभालने तथा उच्चतम प्रतिस्पर्धी तकनीकी आधारित ग्राहकोन्मुखी बैंकिंग वातावरण में अपने कर्तव्यों तथा दायित्वों को ठीक से निभाने के लिए आवश्यक प्रशिक्षण को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम को पुनः तैयार किया गया है. बैंक अपने कर्मचारियों को कुछ प्रतिष्ठित बाह्य प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से कुछ विशेषीकृत क्षेत्र जैसे ऋण, फॉरेक्स, खजाना प्रबंधन, जोखिम प्रबंधन, मानव संसाधन, विपणन आदि में भी प्रशिक्षण दिलवा रहा है. पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान बैंक ने 8135 कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिलाया जो कि कुल कर्मचारियों का 63.44% बनता है. जिसमें से 7383 कर्मचारियों को बैंक की अपनी संस्थाओं में प्रशिक्षण दिलाया गया, 752 को समुद्रपारीय संस्थाओं सहित प्रतिष्ठित बाह्य प्रशिक्षण संस्थाओं में प्रशिक्षण दिलाया गया.

### अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग कर्मचारी

मार्च 2014 के अंत तक कुल 12822 स्टाफ में से 2468 अनुसूचित जाति वर्ग के थे, 896 अनुसूचित जनजाति और 2300 अन्य पिछड़े वर्ग के थे.

### अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कक्ष

अ.जा./अ.ज.जा. कक्ष सभी 26 क्षेत्रीय कार्यालयों में कार्य कर रहे हैं तथा अ.जा./अ.ज.जा. के वरिष्ठ अधिकारी को संपर्क अधिकारी के रूप में पदनामित किया गया है. प्रधान कार्यालय में अ.जा./अ.ज.जा. कक्ष मुख्य संपर्क अधिकारी के अधीन कार्यरत है.

अ.जा./अ.ज.जा. कर्मचारियों की शिकायतों पर विचार करके उन पर तुरंत निवारक कार्रवाई की जाती है. मुख्य संपर्क अधिकारी अ.जा./अ.ज.जा. कर्मचारी



कल्याण संघ व उनके प्रतिनिधियों को प्रधान कार्यालय में मिलते हैं तथा यदि कुछ मामले हो तो प्र.का. के संबंधित विभाग को निवारण हेतु भेज देते हैं. इसी प्रकार क्षेत्रीय प्रमुख/संपर्क अधिकारी क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर शिकायतों का निवारण करते हैं.

आगे बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और अ.जा./अ.ज.जा. प्रतिनिधियों के बीच तिमाही बैठक नियमित तौर पर सरकार के मार्गनिर्देशों के अनुसार आयोजित की जाती है. इन बैठकों में, अ.जा./अ.ज.जा. कर्मचारियों से संबंधित यदि कोई शिकायत हो तो, अ.जा./अ.ज.जा. कल्याण संघ के प्रतिनिधियों के साथ विचार विमर्श किया जाता है तथा निपटाया जाता है. सभी अभ्यावेदनों को एक रजिस्टर में प्रविष्टि की जाती है तथा प्रत्येक अभ्यावेदन पर की गयी कार्रवाई भी दर्ज की जाती है. रजिस्टर को समय-समय पर मुख्य संपर्क अधिकारी द्वारा निरीक्षण किया जाता है.

इसी प्रकार सभी 26 क्षेत्रीय कार्यालयों व प्रधान कार्यालय में ओबीसी के लिए मुख्य संपर्क अधिकारी के अधीन, अलग से ओबीसी कक्ष कार्यरत है.

बैंक नियमित तौर से अ.जा./अ.ज.जा. व अ.पि.व. के लिए भर्ती-पूर्व/पदोन्नति-पूर्व प्रशिक्षण की व्यवस्था करता है.

हमारा बैंक अ.जा./अ.ज.जा., अ.पि.व. व अल्प संख्यक समुदाय के कर्मचारियों के लिए भारत सरकार की सभी आरक्षण नीति का अनुपालन कर रहा है जिसमें शारीरिक रूप से असक्षम व्यक्ति भी शामिल हैं.

### स्टाफ संबंध

बैंक द्वारा व्यवहार्य एवं मानवीय दृष्टिकोण रखने के कारण बैंक को सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुए और बैंक प्रबंधन तथा बैंक के कर्मचारियों के सामूहिक प्रयासों से बैंक लगातार प्रगतिशील वृद्धि दिखा रहा है. वातावरण सकारात्मक है तथा इसका परिणाम मार्च 2014 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान बैंक की चौतरफा वृद्धि के रूप में परिलक्षित हुई. बैंक में औद्योगिक संबंध सौहार्दपूर्ण तथा स्नेहपूर्ण रहा. वर्ष के दौरान कर्मचारियों द्वारा बैंक से संबंधित मुद्दों के लिए कोई आंदोलन अथवा अशान्ति नहीं रही. कर्मचारियों की शिकायतों का निवारण करने तथा विवाद, यदि कोई, को सौहार्दपूर्ण तरीके से दूर करने के उद्देश्य से मान्यता प्राप्त यूनियनों के प्रतिनिधियों के साथ नियमित अंतरालों पर सलाहकार समिति बैठक तथा समझौता समिति बैठकें आयोजित की जाती है तथा इन बैठकों में बैंक के शीर्ष कार्यपालक उपस्थित होते हैं.

### खेलकूद गतिविधियां

विजया बैंक खेलकूद के लिए प्रोत्साहन देता आया है तथा देशभर की खेलकूद गतिविधियों के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है. बैंक ने विभिन्न खेलकूद जैसे क्रिकेट, बॉस्केटबॉल तथा कबड्डी में उत्कृष्ट खिलाड़ियों की भर्ती की है. वर्ष के दौरान कई खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित कई खेल में भाग लिए. अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी श्री आर.विनय कुमार तथा राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी श्री सी.एम.गौतम (क्रिकेट) तथा श्री सुकेश हेगडे (कबड्डी) बैंक में अब कार्यरत हैं. श्री विनय कुमार तथा श्री सी.एम.गौतम को वर्ष 2013-14 के

लिए कर्नाटक राज्य क्रिकेट टीम के, क्रमशः कैप्टान तथा उप-कैप्टान के रूप में नामित किया है और इन्होंने वर्ष 2013-14 के लिए रणजी ट्रॉफी तथा इरानी ट्रॉफी को जीता है. बैंक की क्रिकेट, बॉस्केटबॉल तथा कबड्डी की टीम है. वर्ष 2013-14 के दौरान बैंक की इन टीमों ने उत्कृष्ट निष्पादन करके संगठन के लिए बहुत सारी उपाधि हासिल की. बॉस्केटबॉल टीम ने कोट्टयम, केरल में आयोजित अखिल भारतीय बॉस्केटबॉल टूर्नामेंट जीता. कबड्डी टीम ने कौरेकुडी, तमिलनाडु में आयोजित अखिल भारतीय कबड्डी टूर्नामेंट जीता.

### स्टाफ कल्याण उपाय

आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार निवल लाभ के 3%, अधिकतम ₹ 15.00 करोड़ तक की राशि को बैंक के कर्मचारियों के कल्याण हेतु आबंटित किया जाना है.

### बैंक में विभिन्न स्टाफ कल्याण योजनाएं हैं जैसे

1. कैंटीन अनुदान
2. वाहन व्यय प्रतिपूर्ति
3. समाचार पत्र प्रतिपूर्ति
4. वार्षिक स्वास्थ्य जांच
5. प्र.का. तथा एम.एस.आर. नगर में स्थित स्वास्थ्य क्लीनिक
6. अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्त कर्मचारियों को वार्षिक चिकित्सा सहायता
7. रजत जयंती पुरस्कार प्रदान करना
8. स्टाफ सदस्यों के प्रतिभाशाली बच्चों के लिए नकद प्रोत्साहन
9. वी-शक्ति, वी-सुबोधिनी व वी-प्रगति के अधीन बालिकाओं के लिए ₹ 5,000.00 की छात्रवृत्ति प्रदान करना
10. ग्रूप मेडिकलेम इंश्योरेंस
11. बेंगलूर, मैसूर, ऊटी, दिल्ली व मुंबई में हॉलिडे होम, आदि

### विजया बैंक स्टाफ कल्याण निधि न्यास

विभिन्न स्टाफ कल्याण उपायों में खर्च किए गए व्यय को समायोजन के पश्चात (अर्थात् पिछले वित्तीय वर्ष के निवल लाभ के 3% से, अधिकतम ₹15.00 करोड़ की सीमा) बकाया राशि को न्यास में अंतरित किया जाता है.

### स्टाफ कल्याण निधि न्यास के अधीन बैंक की कई योजनाएं हैं जैसे

1. कर्मचारियों के बच्चों को छात्रवृत्ति देना
2. अस्पतालीकरण व्यय के दावे के शेष व्यय की प्रतिपूर्ति
3. चरमे के व्यय की प्रतिपूर्ति
4. मृत कर्मचारी के आश्रितों को अंतिम संस्कार व्यय
5. अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को प्रोत्साहन राशि देना



बैंक, परिवार कल्याण योजना भी चला रहा है जिसके अधीन योजना के सदस्यों से एकत्रित राशि मृतक स्टाफ सदस्य के परिवार के सदस्यों (नामितियों) को वितरित की जाती है।

### मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली

त्वरित निर्णय लेने की प्रक्रिया तथा कर्मचारियों से संबंधित वृत्तिमुक्त डाटा के प्रबंधन को सुचारू बनाने हेतु प्रधान कार्यालय के केंद्रीकृत स्थान में बैंक ने एचआरएमएस (पीपलसॉफ्ट) सॉफ्टवेयर को कार्यान्वित किया है।

एचआरएमएस सॉफ्टवेयर में, लाभों का प्रशासन, पे-रोल तथा प्रशिक्षण सहित कई मानव संसाधन कार्य को एक ही पैकेज में एकीकृत किया गया है।

### अन्य सेवाएं

#### व्यापारी बैंकिंग व सहायक गतिविधियां

बैंक, व्यापारी बैंकिंग गतिविधियां जैसे श्रेणी I व्यापारी बैंकर, निर्गम बैंकर, डिबेंचर ट्रस्टी, निक्षेपागार भागीदारी के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) से पंजीकृत है। ब्लाक की गयी राशि (एएसबीए) योजना द्वारा समर्थित एप्लिकेशनों के अधीन जारी आईपीओ/अधिकार स्वीकृत करने के लिए 'स्व प्रमाणित सिंडिकेट बैंक' के रूप में भी बैंक पंजीकृत है।

बैंक, ब्याज/लाभांश/कॉर्पोरेटों के धनवापसी आदेशों के भुगतान के लिए भुगतान बैंकर का कार्य भी करता है। बैंक अपने ग्राहकों को जमा निक्षेपी सेवाएं तथा ऑन-लाइन ट्रेडिंग भी प्रदान करता है।

#### सरकारी कारोबार

विभिन्न सरकारी कारोबार के अधीन बैंक अपनी 276 शाखाओं में प्रत्यक्ष कर तथा 37 शाखाओं में अप्रत्यक्ष कर की वसूली भी कर रहा है। बैंक ने वी-नेट बैंकिंग के जरिए अपने सभी ग्राहकों के लिए अपनी सभी शाखाओं में सीबीडीटी व सीबीईसी के कर्ों का ऑनलाइन भुगतान शुरू किया है। बैंक की 338 शाखाएं लोक भविष्य निधि खाते खोलने के लिए पदनामित हैं। इसके अलावा, सभी शाखाएं केंद्रीय सिविल, रक्षा, टेलिकॉम पेंशन तथा कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल व 4 मेट्रो शहरों के राज्य पेंशन संवितरित करने के लिए प्राधिकृत है। केंद्र सरकार पेंशनरों की पेंशन का केंद्रीकृत भुगतान करने के लिए प्र.का. में केंद्रीकृत पेंशन संसाधन कक्ष स्थापित किया गया है। एनपीएस स्वावलंबन योजना के अधीन अंशदान स्वीकृत करने हेतु 1385 शाखाओं को एनपीएस-लाइट संग्रहण केंद्र (एल-सीसी)के रूप में पदनामित किया गया है।

#### एलआईसी के साथ कॉर्पोरेट एजेंसी

ग्राहकों की जीवन बीमा आवश्यकताओं के लिए बैंक ने भारतीय जीवन बीमा निगम के साथ कॉर्पोरेट एजेंसी व्यवस्था की है।

#### यूआईआईसी के साथ कापॉरेट एजेंसी

ग्राहकों की गैर-जीवन बीमा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बैंक ने यूनाइटेड इंडिया इश्यूर्स कंपनी लि. के साथ कापॉरेट एजेंसी करार किया है।

#### उधारकर्ताओं के लिए समूह बीमा कवरेज

बैंक ने वैयक्तिक उधारकर्ताओं के सामूहिक कवरेज हेतु मेसर्स बजाज अलायन्स लि. के साथ व्यवस्था की है।

#### निधि अंतरण सेवाएं (परंपरागत तथा ऑनलाइन)

बैंक, निधि अंतरण सेवाओं के लिए मनीग्राम तथा एक्सप्रेस मनी का सब-एजेंट है। मनीग्राम के अधीन, बैंक की यूई विनिमय व वित्तीय सेवाएं तथा थॉमस कुक (इंडिया) लि. दोनों के साथ टाइ-अप व्यवस्था है। बैंक के एनआरआई को अतिरिक्त सुविधा प्रदान करने के लिए ऑनलाइन निधि अंतरण हेतु (रेमिट 2 इंडिया) टाइम्स ऑफ मनी लि. के साथ टाइ-अप व्यवस्था है।

#### पेमेंट गेटवेज़ के साथ टाइ-अप

बैंक ने अपने इंटरनेट बैंकिंग ग्राहकों के द्वारा माल तथा सेवाओं की खरीद के लिए ऑन लाइन भुगतान हेतु टाइम्स ऑफ मनी लि. के साथ टाइ अप किया है। इसके अलावा बैंक ने अन्य पेमेंट गेटवे जैसे बिल डेस्क, सीसी एवेन्यू तथा टेक प्रोसेस साल्यूशन लि. के साथ भी टाइ अप किया है।

#### क्रेडिट कार्ड कारोबार

वित्तीय वर्ष के अंत तक बैंक द्वारा यथा जारी कुल कार्ड 1.56 लाख है तथा वर्ष 2012-13 के ₹ 451.22 करोड के पण्यावर्त की तुलना में ₹ 458.20 करोड का क्रेडिट कार्ड पण्यावर्त है। बैंक ने 1 दिसंबर, 2013 से चिप आधारित कार्ड जारी करना शुरू किया है।

वर्ष 2013-14 के दौरान बैंक द्वारा सूचीबद्ध किए गए व्यापारिक प्रतिष्ठानों की संख्या 1293 है। बैंक कॉर्डलेस कॉर्ड स्वाइपिंग मशीन भी उपलब्ध कराता है और ये टर्मिनल ईएमवी/यूकेपीटी/ पीएलई का अनुपालन करता है तथा PIN@POS है। बैंक हमारी कोर बैंकिंग शाखाओं में खाता रखनेवाले व्यापारियों को सीधे भुगतान करता है।

#### डेबिट कार्ड

डेबिट कार्ड जारी करने में अच्छी बढ़ोतरी हुई है। वर्ष 2012-13 में जारी 24.60 लाख कार्ड के प्रति वर्ष 2013-14 में जारी किए गए डेबिट कार्डों की संख्या 32.20 लाख है। डेबिट कार्ड पण्यावर्त 31.03.2013 के ₹ 326.43 करोड के प्रति वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान ₹ 464.96 करोड रहा।

बैंक वित्तीय समावेशन के अधीन आधार आधारित रुपे कार्ड तथा वीकेसी खातों से लिंक किए गए एटीएम समर्थ किसान कार्ड जारी कर रहा है। यथा 31.03.2014 वित्तीय समावेशन के अधीन 77017 कार्ड जारी किए गए हैं। वर्ष के दौरान बैंक ने रुपे ब्रांडेड डेबिट कार्ड तथा चिप आधारित डेबिट कार्ड जारी करना शुरू किया है। बैंक ने देशी स्तर पर वैध प्रीपेड गिफ्ट कार्ड जारी करना शुरू किया है।



## निक्षेपागार भागीदारी खाता व ऑनलाइन ट्रेडिंग

विजया बैंक का निक्षेपागार भागीदारी खाता राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार लिमिटेड के साथ है. विजया बैंक निम्न निक्षेपागार सेवाएं प्रदान करती है.

- खाता खोलना
- प्रतिभूतियों का अमूर्तीकरण (शेयर, डिबेंचर, म्यूचुअल फंड, आदि)
- एनएसडीएल तथा सीडीएसएल के साथ जुड़े स्टॉक विनिमयों में व्यापार का इलेक्ट्रॉनिक निपटान
- बैंक ऋण के प्रति अमूर्त प्रतिभूति की गिरवी/दृष्टिबंधक
- सार्वजनिक निर्गम में आर्बिट्रि प्रतिभूतियों की इलेक्ट्रॉनिक जमा
- जब कभी आवश्यक हो खातों का रोक लगाना ताकि खाते से नामे की अनुमति न हो
- अमूर्त खातों के लिए नामांकन सुविधा
- पते में परिवर्तन, बैंक खाता विवरण, आदि से संबंधित सेवाएं
- प्रतिभूतियों का प्रेषण करना
- एनएसडीएल आईडीईएस सुविधा

बैंक ग्राहकों को निक्षेपागार सेवाएं प्रदान करता है तथा ऑनलाइन ट्रेडिंग प्रदान करने के लिए आईडीबीआई कैपिटल के साथ टाइ-अप किया है.

## सरकारी कारोबार मॉड्यूल (जीबीएम)

सरकारी कारोबार मॉड्यूल को निम्न मॉड्यूलों के साथ कार्यान्वित किया गया है -

- ओल्टास मॉड्यूल, जो कि प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष कर तथा भा.रि.बैंक को कर रकम के नागपुर लिंक सेल के जरिए प्रेषण का कार्य करता है.
- लोक भविष्य निधि - पीपीएफ बैंक की पदनामित शाखाओं में स्वीकृत की जाती है.

पेंशन का केन्द्रीकृत भुगतान - प्रधान कार्यालय में एक समर्पित केन्द्रीकृत पेंशन भुगतान संसाधन कक्ष की स्थापना की गई है. राज्य, केन्द्रीय, सिविल, दूरसंचार, रक्षा, न्यायाधीश तथा स्वतंत्रता सेनानी पेंशन जैसे सभी प्रकार के पेंशन का भुगतान केन्द्रीकृत रूप से सीपीपीसी कक्ष, प्रधान कार्यालय द्वारा किया जा रहा है.

बैंक में सरकारी मार्गनिर्देशों के अनुसार वरिष्ठ नागरिक बचत योजना भी कार्यान्वित की गई है.

## विपणन ढांचा

बैंक के प्र.का. में स्थित विपणन कक्ष देशभर में विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों, आरएसीपीसी व एमएसएमई कक्ष में कार्यरत सभी विपणन अधिकारियों की सक्रिय प्रतिभागिता से बैंक के विभिन्न उत्पादों तथा सेवाओं के प्रचार व विपणन में सक्रिय रूप से कार्यरत है.

## प्रचार तथा जनसंपर्क

वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान बैंक व उसके उत्पादों की दृश्यता को संपूर्ण देश में बढ़ाने हेतु अंग्रेजी, हिन्दी व क्षेत्रीय भाषाओं में प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बैंक ने कई प्रमुख विज्ञापन अभियान आयोजित किए. इस वर्ष बाह्य विज्ञापन मीडिया जैसे हवाई अड्डे तथा दिल्ली मेट्रो रेलवे स्टेशन, कोलकाता मेट्रो स्टेशन में ट्रान्सलाइट आदि के जरिए प्रमुख प्रचार अभियान किए गए. एफएम रेडियो-रेडियो 1, रेडियो सिटी व रेडियो मिर्ची के जरिए प्रचार अभियानों के अलावा मेट्रो शहरों में बाह्य विज्ञापन होर्डिंग, रेलवे स्टेशन/बस अड्डे में ग्लो साइन/साइन बोर्ड विज्ञापन के जरिए भी प्रचार किया गया.

## राजभाषा कार्यान्वयन

राष्ट्रीयकरण से बैंक भारत सरकार की राजभाषा नीति को सही भावना से कार्यान्वयन कर रहा है. स्टाफ सदस्यों के प्रयास से बैंक ने यथा 31.03.2014 को हिन्दी पत्राचार में 'क' क्षेत्र में 100% लक्ष्य के प्रति 90.10%, 'ख' क्षेत्र में 90% लक्ष्य के प्रति 78.57% तथा, 'ग' क्षेत्र में 55% लक्ष्य के प्रति 61.26% हासिल किया है.

बच्चों के लिए बचत बैंक उत्पाद 'वी-जेन यूथ' बैनर के अधीन, सभी 26 क्षेत्रीय कार्यालयों व प्रधान कार्यालय द्वारा हाईस्कूल छात्रों के लिए हिन्दी आशुभाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया. प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा हिन्दी संगोष्ठी व हिन्दी प्रश्न-मंच का आयोजन किया गया जिसमें विभिन्न महाविद्यालय/विश्वविद्यालय के अध्यापक व छात्रों, ग्राहकों तथा स्टाफ सदस्यों ने भाग लिया. 21 विशेष हिन्दी कार्यशालाएं आयोजित की गयी जिनमें 212 कार्यपालकों ने भाग लिए. स्टाफ सदस्यों के लिए 102 हिन्दी कार्यशालाएं आयोजित की गयीं जिनमें 1863 स्टाफ सदस्यों को प्रशिक्षित किया गया.

संसदीय राजभाषा समिति (तीसरी उप-समिति) ने दिनांक 05.07.2013 को हमारे प्रधान कार्यालय का निरीक्षण किया तथा राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र में बैंक द्वारा किए गए प्रयासों को सराहा.

वित्तीय सेवाएं विभाग के संयुक्त सचिव तथा संयुक्त निदेशक (राजभाषा) द्वारा दिनांक 14.09.2013 को राजभाषा कार्यान्वयन के संबंध में प्रधान कार्यालय का निरीक्षण किया गया तथा इस दिशा में हुई प्रगति की समीक्षा की गयी. संयुक्त निदेशक (राजभाषा) की अध्यक्षता में प्रधान कार्यालय द्वारा "राजभाषा प्रयोग-आपसी संवाद-सार्थक दिशा" पर दिनांक 16.09.2013 को कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें राष्ट्रीयकृत बैंकों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया.

प्रधान कार्यालय में दिनांक 18.09.2013 को हिन्दी दिवस समारोह का आयोजन किया गया तथा इस अवसर पर डेस्क कैलेण्डर के रूप में नोटिंग सहायिका का विमोचन किया गया. बैंक की विशेष इंटरनेट राजभाषा वेबसाइट में सभी शाखाओं/कार्यालयों के पत्रशीर्ष, कार्यालय नोट, पत्र, आदि उपलब्ध कराकर इसे स्टाफ सदस्यों के लिए अधिक सुविधाजनक बनाया गया.

दिनांक 13.12.2013 को बैंक ने प्रधान कार्यालय में कृषि महाविद्यालय, भारतीय रिजर्व बैंक, पुणे के तत्वावधान में हिन्दी में प्रशिक्षण की समन्वय



समिति की 91 वीं बैठक की मेजबानी की, जिसमें राष्ट्रीयकृत बैंकों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैंक के प्रधान कार्यालय में दिनांक 01.02.2014 को राजभाषा अधिकारियों का सम्मेलन आयोजित किया गया।

देश की विभिन्न नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों के तत्वावधान में हमारे बैंक ने कई अंतर बैंक प्रतियोगिताएं आयोजित कीं तथा हमारे कई स्टाफ सदस्यों ने पुरस्कार भी जीते हैं।

बैंक के प्रधान कार्यालय, विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों ने संबंधित नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों से राजभाषा कार्यान्वयन हेतु वर्ष 2012-13 के लिए पुरस्कार जीता है - प्रधान कार्यालय-बंगलूर, क्षेत्रीय कार्यालय-हासन तथा कोलकाता को प्रथम पुरस्कार, क्षेत्रीय कार्यालय-कालीकट को द्वितीय पुरस्कार, क्षेत्रीय कार्यालय-मंगलूर तथा विजयवाडा को तृतीय पुरस्कार तथा क्षेत्रीय कार्यालय-बंगलूर (उत्तर) को प्रोत्साहन पुरस्कार।

### वैकल्पिक सुपुर्दगी चैनल

ग्राहकों तथा बैंकों के आपसी लाभ के लिए प्रौद्योगिकी समर्थित वैकल्पिक सुपुर्दगी माध्यम का उपयोग सुनिश्चित करने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। ग्राहकों को मेल भेजे गए जिसमें वैकल्पिक सुपुर्दगी माध्यम के प्रयोग से लाभ जैसे इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड का उपयोग, ऑन-लाइन खरीद, आरटीजीएस/ एनईएफटी के जरिए निधि अंतरण के लाभ पर प्रकाश डाला गया। कर्मचारियों को इन उत्पादों से परिचय कराने/इसके प्रति संवेदनशील बनाने के लिए कर्मचारी महाविद्यालय द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, यह सुनिश्चित करने के लिए कि ये सारी सुविधाएं व्यावसायिक तरीके से ग्राहकों तक पहुंचायी जाती है।

### टेलिबैंकिंग सुविधा

टेलिबैंकिंग सुविधाएं वर्ष 2012-13 के दौरान शुरू की गयीं। टेलिबैंकिंग सुविधा से ग्राहकों को कई लाभ हैं क्योंकि सहायक सेवाएं 24x7 उपलब्ध है।

### इंटरनेट बैंकिंग

वी-नेट बैंकिंग, बैंक का इंटरनेट बैंकिंग चैनल है जिसमें खाता शेष पूछताछ, खाता विवरणी, एनईएफटी/आरटीजीएस के जरिए अंतर बैंक तथा अन्य बैंकों के साथ निधि अंतरण, एसएमएस अलर्ट से संबंधित लेनदेन, अप्रत्यक्ष/प्रत्यक्ष कर का भुगतान, राज्य वाणिज्यिक कर, यूटिलिटी बिल भुगतान, मंदिरों को ऑनलाइन दान एवं प्रधान मंत्री राहत निधि के लिए ऑनलाइन दान तथा अन्य सुविधाएं उपलब्ध है।

- पासवर्ड को ऑनलाइन पुनः बनाया जा सकता है
- यूजर आईडी व पासवर्ड ऑनलाइन सृजित किया जा सकता है
- ग्राहक अपना पीपीएफ खाता देख सकते हैं तथा वी-नेट बैंकिंग सुविधा उपयोग करते हुए जुड़े गए अपने परिचालनात्मक खातों से पीपीएफ खाते में निधि का अंतरण कर सकते हैं।
- ग्राहक अपने विजया बैंक क्रेडिट कार्ड विवरण देख सकते हैं।

### मोबाइल बैंकिंग

वी-मोबाइल बैंकिंग चैनल के जरिए बैंक, खाता शेष पूछताछ, खाता विवरणी, मोबाइल रीचार्ज, अंतर बैंक व बैंक की शाखाओं के बीच निधि अंतरण एनईएफटी, एयरलाइन टिकट बुकिंग, मूवी टिकट बुकिंग, आदि प्रदान कर रहा है जो कि ग्राहक एसएमएस/जीपीआरएस संप्रेषण मोड के जरिए हैंडसेट से कर सकते हैं। तत्काल भुगतान सेवा एनपीसीआई (भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम) द्वारा शुरू की गई पहल है जिसे मोबाइल बैंकिंग सेवाएं उपयोग करनेवाले ग्राहक के लाभार्थ कार्यान्वित किया गया है। अंतर बैंक मोबाइल भुगतान सेवा (आईएमपीएस) (पी2पी-व्यक्ति से व्यक्ति को) जिसके जरिए 24x7 एसएमआईडी (मोबाइल मनी आइडेंटिफायर) का प्रयोग करके बैंक के अंदर व बैंकों के बीच लेनदेन कर सकते हैं। हमारी मौजूदा मोबाइल बैंकिंग सेवाओं में आईएमपीएस (पी2ए-व्यक्ति से खाते को) कार्यान्वित है जहां ग्राहक एसएमआईडी का उपयोग किए बिना, हिताधिकारी का खाता संख्या तथा आईएफएससी कूट का प्रयोग करते हुए निधि अंतरण कर सकते हैं।

### एसएमएस अलर्ट्स/ई-मेल

बैंक एसएमएस अलर्ट सेवा भी प्रदान करता है। ₹ 2000/- से अधिक सभी लेनदेन तथा चेक लौटाए जाने के संबंध में, चाहे राशि जितनी भी हो, संदेश भेजे जाते हैं। जिन खाताधारकों ने ई-मेल आइडी रजिस्टर किया है, उनको ई-मेल के जरिए खातों की मासिक विवरणी भेजने का कार्य शुरू किया गया है।

एसएमएस अलर्ट निम्न के लिए उपयोग किया जाता है -

- एसएमएस-ओटीपी (एक बारगी पासवर्ड) द्वारा वी-नेट बैंकिंग के हिताधिकारियों को जोड़
- एसएमएस-ओटीपी द्वारा ऑनलाइन पर वी-नेट बैंकिंग पासवर्ड (एक बारगी पासवर्ड) रीसेट किया जा सकता है।
- अन्य सुरक्षा सुविधाओं के साथ-साथ खुदरा ग्राहक, एसएमएस-ओटीपी (एक बारगी पासवर्ड) द्वारा स्व-प्रयोक्ता बन सकता है।

### ग्राहक सेवा

#### ग्राहक सेवा और शिकायतों का निपटान

बैंक में एक सुस्थापित मजबूत शिकायत निवारण तंत्र है तथा सभी शिकायतों को समयबद्ध निपटान हेतु जोरदार प्रयास किए जा रहे हैं।

ग्राहक सेवा की गुणवत्ता को बढ़ाने/शिकायतों के निपटान को सुनिश्चित करने के लिए बैंक द्वारा उठाए गए कुछ उपाय निम्नानुसार है :

- C<sub>3</sub>O कार्यशाला : "ग्राहकोन्मुख संगठन का सृजन" - ग्राहक सेवा की आवश्यकता अपनापन की भावना जागृत करना, नवीनतम तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराना तथा बैंक के उत्पाद के बारे में निरंतर ज्ञान वृद्धि के लिए बैंक के सभी फ्रंटलाइन कर्मचारियों को सुग्राह्य बनाने हेतु बैंक में कार्यशालाओं का निरंतर आयोजन किया जा रहा है





- गुप्त निरीक्षण : निम्न बातों पर शाखाओं का मूल्यांकन करने के लिए गुप्त निरीक्षण किए गए हैं :

1. शाखाओं का माहौल
2. उत्पाद के बारे में स्टाफ का ज्ञान
3. ग्राहकों का स्वागत तथा उनसे व्यवहार
4. स्टाफ का समग्र सेवा स्तर

ग्राहक सेवा में सुधार लाने पर ध्यान केंद्रित करने के विचार में तीव्रता बढ़ाने के लिए, अध्ययन का परिणाम बहुत उपयोगी है।

- **एसपीजीआरएस (मानकीकृत लोक शिकायत निवारण प्रणाली) :** एसपीजीआरएस को लागू करने हेतु वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा दिए गए अनुदेशों को हमारे बैंक ने तुरंत स्वीकार किया। एसपीजीआरएस के तहत विविध माध्यमों से प्राप्त शिकायतों को ग्राहक शिकायतों के लिए एकीकृत सूचना प्रणाली के क्रम में पंजीकृत तथा डिजिटलाइज्ड किया जाएगा। सभी शिकायतों को विभिन्न शीर्ष तथा उपशीर्षों में वर्गीकृत किया जाता है तथा स्वतः सरल व समयबद्ध निपटान हेतु संबंधित विभागों को भेजा जाता है।
- **कॉल सेंटर :** वैकल्पिक सुपुर्दगी चैनल, एटीएम/क्रेडिट कार्ड, ग्राहक सेवा, उत्पादों के प्रचार के संबंध में ग्राहकों की सुविधा हेतु बैंक में विशेष कॉल सेंटर कार्यरत है।
- **अप्रसन्न एसएमएस :** बैंक ने ग्राहकों के लिए "अप्रसन्न एसएमएस" आरंभ किया है। यदि कोई ग्राहक, अपने मोबाइल से **HPY (Space N)** को **9844213910** में अप्रसन्न एसएमएस भेजते हैं तो हमारे कॉल सेंटर के अधिकारी तुरंत उन्हें कॉल करते हैं, अप्रसन्नता का कारण पूछते हैं तथा उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास करते हैं।

### भारतीय बैंकिंग संहिता व मानक बोर्ड (बीसीएसबीआई)

बीसीएसबीआई का सदस्य होने के नाते बीसीएसबीआई द्वारा तैयार की गयी स्वैच्छिक संहिता को बैंक ने अपनाया है अर्थात (i) 'ग्राहकों के प्रति बैंक की प्रतिबद्धता संहिता' (ii) 'सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के प्रति बैंक की प्रतिबद्धता संहिता'। बैंक ने बीसीएसबीआई के मार्गनिर्देशानुसार कई नीतियों को भी तैयार किया है तथा उसका अनुपालन किया है। संहिताओं के अक्षरशः अनुपालन के उद्देश्य से प्रशिक्षण में कार्यक्रमों में संहिताओं के प्रावधानों को समाहित करते हुए ग्राहक सेवा पर एक सत्र को शामिल किया गया है। बैंक ने प्रधान कार्यालय,

बेंगलूर में 21 जून, 2013 को बीसीएसबीआई ग्राहकों की बैठक का आयोजन किया। बैठक श्री ए.सी.महाजन, अध्यक्ष, बीसीएसबीआई की अध्यक्षता में हुई, जिसमें बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा कार्यकारी निदेशक उपस्थित थे।

### कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व

समाज के हित के लिए तथा सम्मिलित विकास सुनिश्चित करने हेतु वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान बैंक द्वारा कई कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) पहलों की शुरुआत की गयी। वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान, बैंक ने स्नातक स्तर की पढाई हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए 35 छात्राओं को गोद लिया है। 83 वीं संस्थापना दिवस के अवसर पर, एम्बुलेंस की खरीद तथा चिकित्सा सहायता, सरकारी स्कूलों के लिए 183 वाटर प्यूरिफायर, विकलांग तथा अनाथालयों के लिए भवन का निर्माण, निःसहाय महिलाओं के लिए सिलाई मशीनों का दान किया है। बैंक ने वर्ष 2011-12 में अपनाए गए गांवों के ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों में दी जा रही सेवा को जारी रखा है। इसके अलावा, बैंक ने बस शेल्टरों के निर्माण कार्य, सौर लाइट/लैंप की संस्थापना, अनाथालयों को सहायता, वृद्धावस्था केंद्र, विकलांग व्यक्तियों को सहायता, ग्रामीण तथा सरकारी स्कूलों में बेहतर सुविधाएं बनाने हेतु सहायता, स्वास्थ्य शिविर के आयोजन, प्राकृतिक आपदाओं के पीड़ितों के लिए राहत, गांवों और ग्रामीण स्कूलों के लिए बुनियादी सुविधाएं तथा समाज के सकारात्मक विकास संबंधी गतिविधियों के लिए सहायता कार्य शुरू किया है।

### उपाधियां व उपलब्धियां

विभिन्न पहलुओं की पहचान के रूप में वर्ष 2013-14 के दौरान बैंक को कई उपाधियां व पुरस्कारों से नवाजा गया।

- मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली में उत्कृष्टता के लिए द न्यू इंडियन एक्सप्रेस समूह के संडे स्टैंडर्ड द्वारा 'बेस्ट बैंकर - एचआर' पुरस्कार
- आईटी पहल में उत्कृष्टता के लिए एमिटी विश्वविद्यालय द्वारा 'सूचना प्रौद्योगिकी के समर्थन से कारोबार उत्कृष्टता की प्राप्ति हेतु एमिटी नेतृत्व उपाधि'
- बैंक के अध्यक्ष ने इस्टिट्यूट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजस द्वारा 'एचआर अभिमुखीकरण युक्त सीईओ' की उपाधि प्राप्त की।
- बैंक के ऋण विभाग को ब्रिटिश स्टैंडर्ड संस्थान (बीएसआई) द्वारा सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के लिए आईएसओ/आईईसी 27001:2005 प्रमाणीकीकरण से प्रत्यायित किया गया।



**मंडल की बैठकें व मंडल की अन्य उप-समितियों की बैठकें**

वर्ष 2013-14 के दौरान, निदेशक मंडल की 20 बैठकें हुईं. समिति की बैठकों के विवरण निम्नानुसार है :

समिति का नाम	बैठकों की संख्या
मंडल की प्रबंध समिति	15
मंडल की लेखापरीक्षा समिति	13
निदेशकों की पदोन्नति समिति	4
मंडल की जोखिम प्रबंधन समिति	5
अधिक मूल्य की धोखाधड़ियों की समीक्षा समिति	5
मंडल की पारिश्रमिक समिति	1
मंडल की नामांकन समिति	1
मंडल की ग्राहक सेवा समिति	3
शेयरधारक/निवेशक शिकायत समिति	4
शेयर अंतरण	9
प्रधान कार्यालय स्तर की ऋण अनुमोदन समिति	53
अनुशासनिक प्राधिकारी के रूप में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के अंतिम आदेशों के प्रति कर्मचारी द्वारा दिए गए अपील पर विचार करने हेतु समिति	2
सूचना प्रौद्योगिकी रणनीति समिति	2
चुनाव में उम्मीदवार का समर्थन	2
एनपीए का ऋण निगरानी वसूली प्रबंधन	5
आबंटन समिति	2

**निदेशक मंडल**

वर्ष 2013-14 के दौरान, निम्न परिवर्तन हुए :

1. श्री एच.एस.उपेन्द्र कामत ने अधिवर्षिता प्राप्त करने पर दिनांक 31.12.2013 को अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का कार्यालय छोड़ा.

2. श्री वी.कण्णन ने दिनांक 01.01.2014 को अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है.
3. श्री बी.एस.रामा राव को दिनांक 27.09.2013 से कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है.
4. श्री वाई.मुरलीकृष्णा को दिनांक 02.11.2013 से कामगार निदेशक के रूप में श्री सुरेश कामत के बदले नियुक्त किया गया है.
5. श्री निशांक कुमार जैन, शेयरधारक निदेशक ने दिनांक 05.11.2013 से निदेशक का कार्यालय छोड़ा है

यथा दिनांक को बैंक के निदेशक मंडल में निम्नांकित निदेशक हैं -

1. श्री वी.कण्णन, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
2. श्री के.आर.शेणै, कार्यकारी निदेशक
3. श्री बी.एस.रामा राव, कार्यकारी निदेशक
4. श्री वी.के.चोपड़ा, निदेशक
5. श्रीमती सुमा वर्मा, निदेशक
6. श्री प्रकाश चंद्र नलवाया, गैर-अधिकारी निदेशक
7. श्री पी. वैद्यनाथन, शेयरधारक निदेशक
8. श्रीमती भारती राव, शेयरधारक निदेशक
9. श्री अशोक गुप्ता, गैर अधिकारी निदेशक
10. श्री एच.हरीश बल्लाल, अधिकारी कर्मचारी निदेशक
11. श्री वाई.मुरलीकृष्णा, कामगार निदेशक

**आभार**

निदेशक मंडल, बैंक में अपने कार्यकाल के दौरान, श्री एच.एस.उपेन्द्र कामत द्वारा अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की हैसियत से, श्री सुरेश कामत तथा श्री निशांक कुमार जैन द्वारा निदेशक के रूप में अपनी मूल्यवान सेवाओं की भूरि-भूरि प्रशंसा करता है.

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से,

प्रधान कार्यालय, बेंगलूरु  
दिनांक : 06.05.2014

**वी.कण्णन**  
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक



# कंपनी शासन पर विजया बैंक के निदेशक मंडल की रिपोर्ट - 2013 - 14

## कंपनी शासन

### 1. परिचय

शासन संहिता बैंक के दैनंदिन कार्यों को सक्षम, नैतिक तथा पारदर्शी संचालन की निहित मूल्य प्रणाली परिलक्षित करती है, जिसका परम लक्ष्य है ग्राहकों, शेयरधारकों, कर्मचारियों, आम जनता, संरक्षकों, सरकार तथा विनियामकों सहित सभी हितधारकों को निष्पक्षता सुनिश्चित करते हुए शेयरधारकों की आस्ति को अधिकतम करना. बैंकिंग संगठनों में सुदृढ़ कंपनी शासन का अस्तित्व उनकी सुचारू कार्यप्रणाली तथा पूरे बैंकिंग तंत्र की सुदृढ़ता का बुनियाद बन जाता है और किसी भी मात्रा के नियंत्रण, कार्य-प्रणाली तथा आपसी संबंध सुदृढ़ कंपनी शासन को प्रतिस्थापित नहीं कर सकते. स्टॉक विनिमय के साथ सूचीबद्धता संबंधी करार की अनिवार्यता तथा कंपनी शासन पर डॉ. गांगुली समिति रिपोर्ट की सिफारिशों के अनुसार भी बैंक कंपनी शासन के उच्चतम मानक की प्राप्ति का प्रयास करता है. बैंक ने प्रकटन, पारदर्शिता, कारोबार, आचार नीति के संदर्भ में बेहतर पद्धतियों को अपनाया है जो कि इस महान संस्था के हितधारकों के वास्तविक मूल्य को जोड़ने की ओर लक्षित है.

### 2. शासन संहिता पर बैंक के सिद्धांत

बैंक के कार्पोरेट शासन सिद्धांत शेयर धारकों की मूल्यवृद्धि हेतु कार्य करते हुए भी कारोबार परिचालन में उसके नैतिक आचरणों के प्रति पूर्ण प्रतिबद्धता पर आधारित है. कार्पोरेट शासन का मतलब बैंक के जिम्मेदार मूल्यवर्धक प्रबंधन तथा नियंत्रण से है. बैंक की नीतियाँ व प्रथाएँ न केवल संवैधानिक अपेक्षाओं के अनुरूप है बल्कि हितधारकों के संपूर्ण हित में काम करने की हमारी प्रतिबद्धता पर आधारित है.

बैंक का विश्वास है कंपनी शासन के सुदृढ़ सिद्धांतों, सफलता की प्रमुख कुंजी है. चूंकि ये हितधारकों का विश्वास अर्जित करने की क्षमता को बढ़ाती हैं. बैंक, शेयरधारकों की मूल्य वृद्धि हेतु कार्य करते हुए कारोबार परिचालन में नैतिक आचरणों के प्रति संपूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है. हम विश्वास करते हैं कि कंपनी शासन बैंक के जिम्मेदार, मूल्यवर्धक प्रबंधन तथा नियंत्रण के सूचक है. बैंक की नीतियाँ व प्रथाएँ न केवल संवैधानिक अपेक्षाओं के अनुरूप है बल्कि हितधारकों के संपूर्ण हित में काम करने की हमारी प्रतिबद्धता पर आधारित है.

हमारे बैंक की कंपनी उत्कृष्टता निम्न बातों पर आधारित है :

1. लाभप्रद वृद्धि उत्पन्न करना जिससे दीर्घकालिक सफलता सुनिश्चित की जा सके. इससे हमारे हितधारकों की संपत्ति अधिकाधिक बढ़ती है.
2. उच्च स्तरीय पारदर्शिता और प्रकटन स्तर बनाए रखते हुए कानून का पालन करना.
3. ज्ञान तथा विद्वत्ता के नेटवर्क के रूप में कार्य दल का अनुरक्षण करना., खुला संवाद, आपसी सम्मान, स्पष्ट लक्ष्य तथा निर्णायक नेतृत्व, हमारी कंपनी संस्कृति है.
4. एक ऐसा प्रबंधन जो खुला है, पारदर्शी है, सक्रियात्मक, गुण आधारित तथा पक्षपात मुक्त है जिससे समाज के सभी वर्गों को उचित न्याय सुनिश्चित किया जा सके.
5. कर्मचारियों, ग्राहकों और व्यापक रूप से समाज के लिए अनुकूल वातावरण की घोषणा.

अतः बैंक अपने शेयरधारकों के प्रति, अपने आपको न्याय मानता है तथा शेयरधारकों की संपत्ति को सृजित करना व उसे सुरक्षित रखना अपनी जिम्मेदारी समझता है. बैंक इसे प्रभावी कंपनी रणनीतियों, सक्रियात्मक कारोबार योजनाओं, नीतियों तथा प्रक्रियाओं के माध्यम से अपनाता है जिससे नैतिक व वैधिक जिम्मेदारियों की पूर्ति की जा सके.

### कार्पोरेट कार्यों के मंत्रालय (एमसीए) द्वारा कार्पोरेट प्रशासन में शुरु की गई हरित पहल

कार्पोरेट कार्यों के मंत्रालय ने परिपत्र जारी कर शेयरधारकों को वार्षिक वित्तीय परिणामों की प्रतियाँ सहित दस्तावेज़/सूचनाएँ आदि भौतिक रूप से भेजने के बदले इलक्ट्रॉनिक रूप में प्रेषित करने के संबंध में स्पष्टीकरण दिया है. इससे समाज को, कागज की खपत कम किए जाने से लाभ पहुँचेगा और बदले में इससे वृक्षों



की रक्षा होगी जिससे निरंतर हरित वातावरण का निर्माण हो सकेगा. इलक्ट्रॉनिक माध्यम से दस्तावेज़/सूचनाएँ प्रेषित करने से समय पर सूचना पहुँचाने तथा इनके रास्ते में नष्ट होने से बचने को भी सुनिश्चित किया जा सकता है. हमने अपने सभी शेयरधारकों से अनुरोध किया है कि वे अपने ई-मेल पता हमारे पास पंजीकृत करवाएँ ताकि हम भारत सरकार द्वारा शुरू की गई हरित पहल का अनुपालन कर सकें.

### 3. निदेशक मंडल

अच्छी कापोरेट प्रशासन उच्च स्तर पर निदेशक मंडल तथा उच्च प्रबंध वर्ग से शुरू होता है जो कि उचित निर्णय लेकर बैंक को उत्कृष्टता के उच्चतम मानक प्राप्त करने हेतु मार्गनिर्देश प्रदान करते हैं. बैंक के मंडल का गठन, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन व अंतरण) अधिनियम, 1980 और राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन तथा विविध प्रावधान) योजना, 1980 के अनुसार किया गया है.

#### 3.1 यथा दिनांक 31.03.2014 को निदेशक मंडल की संरचना

कार्यकारी	3
गैर कार्यकारी	4
गैर कार्यकारी स्वतंत्र	4
कुल	11

निदेशक, बैंक के विकास के लिए, अपने वैविध्य ज्ञान, अनुभव और अपने विशिष्ट क्षेत्रों में विशेषज्ञता के साथ अपना उत्कृष्ट योगदान देते रहे हैं. मंडल की संरचना, शेयर बाज़ार में सूचीबद्ध करने संबंधी करारनामे की अपेक्षाओं के अनुरूप है.

#### 3.2 यथा दिनांक 31.03.2014 को निदेशक मंडल की संरचना निम्नानुसार है :

क्रम सं.	निदेशक का नाम	पदनाम	निदेशक-पद का स्वरूप	पद संभालने की तारीख
1.	श्री वी.कण्णन	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	कार्यपालक	01.01.2014
2.	श्री के.आर.शेणै	कार्यकारी निदेशक	कार्यपालक	18.06.2012
3.	श्री बी.एस.रामा राव	कार्यकारी निदेशक	कार्यपालक	27.09.2013
4.	श्री वी.के.चोपडा	सरकारी नामिती	गैर - कार्यपालक	02.12.2011
5.	श्रीमती सुमा वर्मा	भारतीय रिजर्व बैंक नामिती	गैर - कार्यपालक	30.07.2010
6.	श्री पी.सी.नलवाया	गैर - अधिकारी निदेशक	गैर - कार्यपालक स्वतंत्र	20.05.2011
7.	श्रीमती भारती राव	नामिती - शेयरधारक	गैर - कार्यपालक स्वतंत्र	08.08.2011
8.	श्री पी.वैद्यनाथन	नामिती - शेयरधारक	गैर - कार्यपालक स्वतंत्र	08.08.2011
9.	श्री अशोक गुप्ता	गैर - अधिकारी निदेशक	गैर - कार्यपालक स्वतंत्र	11.11.2011
10.	श्री एच.हरीश बल्लाल	अधिकारी-कर्मचारी निदेशक	गैर - कार्यपालक	25.01.2012
11.	श्री वाई.मुरलीकृष्णा	कामगार निदेशक	गैर - कार्यपालक	02.11.2013

#### वर्ष के दौरान निदेशकों की नियुक्ति/कार्यकाल की समाप्ति

श्री वी.कण्णन को दिनांक 01.01.2014 से अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है.

श्री एच.एस.उपेन्द्र कामत ने अधिवर्षिता प्राप्त करने पर दिनांक 31.12.2013 को अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का कार्यालय छोडा.

श्री बी.एस.रामा राव को दिनांक 27.09.2013 से कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है.

श्री सुरेश कामत, कामगार निदेशक, दिनांक 01.11.2013 को उनके कार्यकाल की समाप्ति पर बैंक के निदेशक नहीं रहे.



श्री वाई.मुरलीकृष्णा को दिनांक 02.11.2013 से कामगार कर्मचारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है.

श्री एन.के.जैन ने दिनांक 05.11.2013 से नामिती शेरधरकर निदेशक का कार्यालय छोड़ा है.

### 3.3 वर्ष 2013-14 के दौरान नियुक्त निदेशकों का परिचय

नाम	श्री वी कण्णन
जन्म तिथि	25.12.1954
उम्र	59 वर्ष
अर्हता	बी.एससी. (हानर्स), सीएआईआईबी, कारोबार प्रशासन में पी जी डिप्लोमा
निदेशक के रूप में नियुक्ति का स्वरूप	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री वी.कण्णन को, दि.22.08.2013 की अधिसूचना सं.एफ.सं.4/4/2012-बीओ.1 के ज़रिए बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 की धारा 9 की उप-धारा (3) के अधीन भारत सरकार द्वारा बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है.
अनुभव	श्री वी.कण्णन बी.एससी. (हानर्स) में डिग्री, सीएआईआईबी, कारोबार प्रशासन में पी जी डिप्लोमा धारक है. विभिन्न क्षेत्रों में कई पुरस्कार तथा मान्यता के साथ-साथ उनका 37 वर्षों का उत्कृष्ट बैंकिंग अनुभव है. इनके बैंकिंग में विद्वत्ता, उच्च व्यावसायिक अोज तथा उत्कृष्ट प्रशासनिक कुशाग्रता ही विजया बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक पद हासिल करने के लिए सहायक बना. इन्होंने निम्न संस्थाओं में निदेशक पद संभालें - भारतीय स्टेट बैंक के अनुषंगी एसबीआई ग्लोबल फ़ैक्टर्स लि. के मंडल में 2007-2010 तक की अवधि के लिए नामिती निदेशक की हैसियत से. अगस्त 2012 से दिसंबर 2013 तक केनरा एचएसबीसी, ओबीसी लाइफ़ इंश्यूरेंस कं. के मंडल में निदेशक रहे. इन्होंने भारत तथा विदेश में विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लिया, निकट पूर्व में उन्होंने दिल्ली स्थित आईएमआई,द्वारा दिल्ली तथा यूरोप में फरवरी 2012 में आयोजित एड्वान्स्ड मैनेजमेंट प्रोग्राम में भाग लिया. इन्होंने भारत तथा विदेश में प्रतिष्ठित राष्ट्रीय संस्थाओं में विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा सेमिनारों में भी भाग लिया है.

नाम	बी एस रामा राव
जन्म तिथि	22.01.1958
उम्र	56 वर्ष
अर्हता	एम.ए. (अर्थशास्त्र), जेएआईआईबी
निदेशक के रूप में नियुक्ति का स्वरूप	कार्यकारी निदेशक श्री बी.एस.रामा राव को, दि.27.09.2013 की अधिसूचना सं.एफ.सं.4/5/2012-बीओ.1 के ज़रिए राष्ट्रीयकृत बैंकों (प्रबंधन तथा विविध प्रावधान) योजना, 1970/1980 के खंड 3 के उप-खंड (1) तथा खंड 8 के उप-खंड (1) के साथ पठित बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 की धारा 9 की उप-धारा (3) के अधीन भारत सरकार द्वारा बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है.



अनुभव	<p>श्री बी.एस.रामा राव ने ओस्मानिया विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर उपाधि हासिल की है व जेएआईआईबी परीक्षा भी उत्तीर्ण किया है. हासिल किए. इन्होंने वर्ष 1978 में परिवीक्षाधीन अधिकारी के रूप में अपना कार्य शुरू किया तथा लगभग 35 वर्ष देश के अलग-अलग भागों में विभिन्न हैसियतों से आंध्रा बैंक में सेवारत थे तथा 01.12.2010 से आंध्रा बैंक में महा प्रबंधक के रूप में पदोन्नत हुए. इनकी उपलब्धियों की पहचान के रूप में श्री बी.एस.रामा राव हमारे बैंक के कार्यकारी निदेशक पद में पदोन्नत हुए.</p> <p>इनके उत्कृष्ट बैंकिंग वृत्ति में इन्होंने भारत तथा विदेश दोनों में विभिन्न सेमिनारों/सम्मेलनों में भाग लिया. इन्होंने वसूली, प्राथमिकता क्षेत्र, व्यापारी बैंकिंग, लेखापरीक्षा तथा निरीक्षण जैसे क्षेत्रों में विभिन्न हैसियतों में कार्य किया है तथा बैंकिंग के विभिन्न क्षेत्रों में व्यावसायिक बैंकर के रूप में प्रचुर तथा व्यापक अनुभव लाए हैं.</p>
-------	--

नाम	वाई. मुरलीकृष्णा
जन्म तिथि	15.03.1959
उम्र	55 वर्ष
अर्हता	बी.कॉम.
निदेशक के रूप में नियुक्ति का स्वरूप	<p>कामगार कर्मचारी निदेशक</p> <p>श्री वाई.मुरलीकृष्णा को, दि.16.08.2013 की अधिसूचना सं.एफ.सं.6/10/2013-बीओ-1 के ज़रिए राष्ट्रीयकृत बैंकों (प्रबंधन तथा विविध प्रावधान) योजना के खंड 9 के उप-खंड (1) तथा (2) के साथ पठित बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 की धारा 9 की उप-धारा 3 के अधीन भारत सरकार द्वारा बैंक के कामगार कर्मचारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है.</p>
अनुभव	<p>श्री वाई.मुरलीकृष्णा ने विजया बैंक में दिनांक 12.05.1982 में लिपिक के रूप में कार्यग्रहण किया तथा क्षेत्रीय कार्यालय, विजयवाडा तथा विजयवाडा शाखा में सेवा की है. वे विद्यार्थी यूनियन के सक्रिय नेता रहे हैं. इन्होंने अपने कॉलेज के दिनों में ही मजदूर संघ की विचारधारा, आदर्श तथा विश्वास प्राप्त किया तथा वीबीडब्ल्यूओ व एआईबीईए के क्रियाकलापों में रुचि ली तथा सक्रिय रूप से कार्य किया तथा वीबीडब्ल्यूओ के क्षेत्रीय नेता बने. वे विभिन्न हैसियतों से वीबीडब्ल्यूओ के केंद्रीय पदधारी रहें तथा फिलहाल विजया बैंक वर्क्स ऑर्गनाइजेशन के उप महा सचिव हैं.</p>

### 3.4 मंडल की बैठकें :

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, नीचे उल्लिखित तारीखों को मंडल की 16 बैठकें हुईं, जब कि राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1980 के खंड 12 के अंतर्गत 6 बैठकें बुलाई जानी थी.

25.04.2013	26.04.2013	07.06.2013	28.06.2013	28.07.2013	29.07.2013	26.08.2013	14.09.2013
23.10.2013	11.11.2013	28.12.2013	17.01.2014	03.02.2014	19.02.2014	10.03.2014	24.03.2014

मंडल की उपर्युक्त बैठकों के अतिरिक्त बैंक ने वित्त मंत्रालय के पत्र दिनांक 10.07.2012 के निदेशों के अनुरूप प्रत्येक तिमाही के लिए मंडल की 4 विशेष बैठकों का आयोजन प्रमुख नीति तथा रणनीतियुक्त मुद्दों पर विचार-विमर्श करने के लिए किया है.

25.04.2013	28.07.2013	23.10.2013	17.01.2014
------------	------------	------------	------------

निदेशकों के संबंधित कार्यकाल के दौरान हुई मंडल की बैठकों में उनकी उपस्थिति के ब्यौरे नीचे प्रस्तुत है :



### 3.5. मंडल की बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति के ब्यौरे

Sl.	निदेशक का नाम	अवधि	इनके कार्यकाल में हुई बैठकों की संख्या	कितनी बैठकों में भाग लिया	पिछली वार्षिक सामान्य बैठक में उपस्थिति
1	श्री वी. कण्णन *1	01.01.2014 - 31.03.2014	6	6	लागू नहीं
2	श्री एच.एस.उपेन्द्र कामत*2	01.04.2013 - 31.12.2013	14	14	हां
3	श्री के.आर.शेणै	01.04.2013 - 31.03.2014	20	20	हां
4	श्री बी.एस.रामा राव *3	27.09.2013 - 31.03.2014	10	10	लागू नहीं
5	श्री वी.के.चोपडा	01.04.2013 - 31.03.2014	20	19	नहीं
6	श्रीमती सुमा वर्मा	01.04.2013 - 31.03.2014	20	18	नहीं
7	श्री सुरेश कामत*4	01.04.2013 - 01.11.2013	12	12	नहीं
8	श्री पी.सी. नलवाया	01.04.2013 - 31.03.2014	20	20	हां
9	श्रीमती भारती राव	01.04.2013 - 31.03.2014	20	17	हां
10	श्री एन.के.जैन*5	01.04.2012 - 05.11.2013	12	10	हां
11	श्री पी.वैद्यनाथन	01.04.2013 - 31.03.2014	20	16	नहीं
12	श्री अशोक गुप्ता	01.04.2013 - 31.03.2014	20	14	हां
13	श्री एच. हरीश बल्लाल	01.04.2013 - 31.03.2014	20	20	हां
14	श्री वाई.मुरलीकृष्णा *6	02.11.2013 - 31.03.2014	8	8	लागू नहीं

\*1 श्री वी.कण्णन को दिनांक 01.01.2014 से अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया.

\*2 श्री एच.एस.उपेन्द्र कामत ने अधिवर्षिता प्राप्त करने पर दिनांक 31.12.2013 को अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का कार्यालय छोड़ा.

\*3 श्री बी.एस.रामा राव को दिनांक 27.09.2013 से कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया.

\*4 श्री सुरेश कामत, कामगार निदेशक दिनांक 01.11.2013 को उनके कार्यकाल समाप्त पर बैंक के निदेशक नहीं रहें.

\*5 श्री एन.के.जैन ने दिनांक 05.11.2013 से नामिती शेयरधारक निदेशक का कार्यालय छोड़ा.

\*6 श्री वाई.मुरलीकृष्णा को दिनांक 02.11.2013 से कामगार कर्मचारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया.

### 4. मंडल की समितियां :

एसईबीआई, भा.रि.बैं. और वित्त मंत्रालय की अपेक्षाओं/निदेशों के अनुरूप, मंडल ने निदेशकों की नीचे उल्लिखित समितियों का गठन किया है. ये समितियां, उनको सौंपे गए काम के अधीन आनेवाली गतिविधियों पर और निर्धारित मार्गनिर्देशों के अनुसार विशिष्ट व सकेन्द्रित शासन प्रदान करती है :

1.	प्रबंध समिति	9.	ग्राहक सेवा समिति
2.	लेखापरीक्षा समिति	10.	पारिश्रमिक समिति
3.	शेयरधारक/निवेशकर्ता शिकायत समिति	11.	नामांकन समिति
4.	शेयर अंतरण समिति	12.	शेयरधारक निदेशकों के चुनाव में उम्मीदवार को समर्थन देने पर निर्णय लेने की समिति
5.	जोखिम प्रबंधन समिति	13.	सू.प्रौ. स्टीयरिंग समिति
6.	उच्च मूल्य धोखाधडी की समीक्षा हेतु समिति	14.	वसूली निगरानी हेतु समिति
7.	प्रधान कार्यालय स्तर की ऋण अनुमोदन समिति	15.	प्रशासनिक प्राधिकारी के रूप में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के अंतिम आदेशों के प्रति कर्मचारी द्वारा दिए गए अपील पर विचार करने हेतु समिति
8.	निदेशकों की पदोन्नति समिति	16.	आबंटन समिति



#### 4.1 मंडल की प्रबंध समिति :

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के निदेशों के साथ पठित राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1980 के खंड - 13 का अनुसरण करते हुए मंडल की प्रबंध समिति का गठन किया गया है. मंडल की प्रबंध समिति के गठन का उद्देश्य है, तात्त्विक दृष्टि से महत्वपूर्ण कारोबार संबंधी विभिन्न मामलों पर विचार करना जैसे; नई जमा योजनाएं शुरू करने, सीमाओं की मंजूरी चाहे निधि आधारित हो या निधियेतर आधारित हो, समझौता/बट्टे खाते डालने, पूंजीगत और राजस्व खर्च की मंजूरी, परिसर, निवेश, दान आदि के लिए अनुमोदन प्राप्त करना. समिति उन अधिकारों का प्रयोग करती है जिसे, केंद्र सरकार के अनुमोदन से और भारतीय रिजर्व बैंक की सहमति से उसे मंडल द्वारा दिया जाए.

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, मंडल की प्रबंध समिति (एमसीबी) की 15 बैठकें हुईं. वर्ष के दौरान हुई, एमसीबी की बैठकों के ब्यौरे और निदेशक सदस्यों की उपस्थिति के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :

25.04.2013	07.06.2013	28.06.2013	28.07.2013	26.08.2013	16.09.2013	22.10.2013	11.11.2013
12.12.2013	28.12.2013	17.01.2014	03.02.2014	19.02.2014	10.03.2014	24.03.2014	

#### 4.1.1 एमसीबी की बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति के ब्यौरे

क्रम सं.	निदेशक का नाम	पदनाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान हुई बैठकों की संख्या	बैठकों में उपस्थिति
1.	श्री वी कण्णन *1 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	अध्यक्ष	01.01.2014 - 31.03.2014	5	5
2.	श्री एच एस उपेन्द्र कामत *2 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	अध्यक्ष	01.04.2013 - 31.12.2013	10	10
3.	श्री के.आर.शेणै कार्यकारी निदेशक	कार्यकारी निदेशक	01.04.2013 - 31.03.2014	15	14
4.	श्री बी.एस.रामा राव *3 कार्यकारी निदेशक	कार्यकारी निदेशक	27.09.2013 - 31.03.2014	9	8
5.	श्रीमती सुमा वर्मा भा.रि.बैं. नामिती निदेशक - गैर-कार्यपालक	सदस्य	01.04.2013 - 31.03.2014	15	14
6.	श्री पी.सी.नलवाया गैर-अधिकारी निदेशक - गैर-कार्यपालक	सदस्य	01.04.2013 - 31.03.2014	15	14
7.	श्री सुरेश कामत *4 कामगार निदेशक - गैर-कार्यपालक	सदस्य	01.04.2013 - 20.09.2013	6	6
8.	श्री अशोक गुप्ता गैर-कार्यकारी निदेशक - गैर-कार्यपालक	सदस्य	01.04.2013 - 20.09.2013 व 21.03.2014 - 31.03.2014	7	5
9.	श्री एच हरीश बल्लाल अधिकारी कर्मचारी निदेशक - गैर-कार्यपालक	सदस्य	01.04.2013 - 20.09.2013 व 21.03.2014 - 31.03.2014	7	7
10.	श्रीमती भारती राव शेयर धारक निदेशक - गैर-कार्यपालक	सदस्य	21.09.2013 - 20.03.2014	8	5
11.	श्री एन.के. जैन *5 शेयर धारक निदेशक - गैर-कार्यपालक	सदस्य	21.09.2013 - 05.11.2013	1	1
12.	श्री पी वैद्यनाथन शेयरधारक निदेशक - गैर-कार्यपालक	सदस्य	21.09.2013 - 20.03.2014	8	8
13.	श्री वाई.मुरलीकृष्णा *6 कामगार निदेशक - गैर-कार्यपालक	सदस्य	28.12.2013 - 31.03.2014	6	6





- \*1 श्री वी.कण्णन को दिनांक 01.01.2014 से अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया.
- \*2 श्री एच.एस.उपेन्द्र कामत ने अधिवर्षिता प्राप्त करने पर दिनांक 31.12.2013 को अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का कार्यालय छोड़ा.
- \*3 श्री बी.एस.रामा राव को दिनांक 27.09.2013 से कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया.
- \*4 श्री सुरेश कामत, कामगार निदेशक दिनांक 01.11.2013 को उनके कार्यकाल की समाप्ति पर बैंक के निदेशक नहीं रहें.
- \*5 श्री एन.के.जैन ने दिनांक 05.11.2013 से नामिती शेयरधारक निदेशक का कार्यालय छोड़ा.
- \*6 श्री वाई.मुरलीकृष्णा को दिनांक 02.11.2013 से कामगार कर्मचारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया.

#### 4.2 निदेशकों की लेखापरीक्षा समिति

भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशों, कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों और सूची बनाने संबंधी करारनामों के अनुसार, मंडल की लेखापरीक्षा समिति (एसीबी) का गठन किया जाता है और उसके कामकाज तय किए जाते हैं. एसीबी, बैंक में लेखा परीक्षा से संबंधित सब प्रकार के कामकाज के संबंध में निर्देश देती है. इसमें शामिल हैं; बैंक के अंदर आंतरिक लेखा परीक्षा और निरीक्षण का संगठनात्मक और गुणवत्ता नियंत्रण और बैंक की सांविधिक/बाह्य लेखा परीक्षा तथा भारतीय रिजर्व बैंक के निरीक्षण का अनुवर्तन.कंपनी के सभी सदस्यों को वित्त का अच्छा ज्ञान है.

#### लेखापरीक्षा समिति के कामकाज इस प्रकार हैं :

- बैंक की वित्तीय रिपोर्ट प्रक्रिया पर निगरानी रखना तथा वित्तीय जानकारी सही, पर्याप्त और विश्वसनीय प्रकटन सुनिश्चित करना;
- प्रबंध वर्ग के साथ, तिमाही वित्तीय विवरणों की समीक्षा करना और इस सिलसिले में इन बातों पर खास बल देना जैसे; लेखा नीतियां और परिपाटी, वित्तीय विवरणों से संबंधित लेखा मानकों और अन्य कानूनी अपेक्षाओं का पालन करना, लेखा परीक्षा में निर्दिष्ट अपेक्षाओं की पूर्ति करना, वित्तीय संस्थाओं, संबंधित पार्टी के लेन-देन आदि के बारे में शेयर बाजार के मार्गनिर्देशों और कानूनी अपेक्षाओं की पूर्ति करना.
- उन मामलों में, जहां धोखाधड़ी का शक हो अथवा अनियमिता या आंतरिक नियंत्रण पद्धतियों की नाकामी नजर आए, आंतरिक लेखा परीक्षकों द्वारा की गई जांच के निष्कर्षों की समीक्षा करना तथा नियंत्रण तंत्र मजबूत करने के लिए सुझाव देना.
- वार्षिक/अर्ध-वार्षिक और तिमाही खातों और रिपोर्टों के अंतिम रूप से पहले केंद्रीय सांविधिक लेखा परीक्षकों के साथ विचार-विमर्श करना और खासकर लेखा नीतियों और परिपाटियों एवं लेखा परीक्षा रिपोर्ट के प्रारूप में परिवर्तनों पर खास ध्यान देना.
- जमाकर्ताओं, शेयरधारकों, डिबेंचर धारकों और लेनदारों, को किए जानेवाले भुगतान में काफी हद तक यदि कोई चूक हुई हो तो उसकी वजह जानना.
- प्रबंध वर्ग के साथ सांविधिक व आंतरिक लेखा परीक्षकों का कार्य निष्पादन और आंतरिक नियंत्रण पद्धतियों की पर्याप्तता की समीक्षा, किसी महत्वपूर्ण निष्कर्षों पर आंतरिक लेखा परीक्षकों से चर्चा व उस पर अनुवर्तन.
- यह समिति खासकर इनके अनुवर्तन पर ध्यान देती है:
  - क) अंतर शाखा समायोजन खाते
  - ख) अंतर शाखा खातों और नोस्ट्रो खातों में काफी लंबे समय से मिलान न की गई प्रविष्टियां
  - ग) विभिन्न शाखाओं में बकाया पड़ा बहियों का संतुलन कार्य
  - घ) धोखाधड़ी
  - ङ) आंतरिक लेखा कार्य के प्रमुख क्षेत्र

बैंक ने, कंपनी शासन के बुनियादी तत्वों की कद्र करते हुए और भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशों का अनुसरण करते हुए, मंडल की लेखा परीक्षा समिति का गठन किया है जिसमें 5 निदेशक हैं जिसके अध्यक्ष के रूप में वित्त की जानकारी रखनेवाले गैर-कार्यपालक स्वतंत्र निदेशक हैं.



भा.रि.बैं. की अपेक्षानुसार, लेखापरीक्षा समिति की बैठकें सामान्यतः तिमाही में कम से कम एक बार और वर्ष में कम से कम छः बार बुलायी जानी चाहिए. वर्ष के दौरान लेखापरीक्षा समिति की नीचे उल्लिखित तारीखों को 13 बैठकें हुईं.

25.04.2013	26.04.2013	21.06.2013	28.07.2013	29.07.2013	26.08.2013	22.10.2013
11.11.2013	13.12.2013	28.12.2013	03.02.2014	19.02.2014	24.03.2014	

#### 4.2.1. एसीबी बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति के ब्यौरे

क्रम सं.	निदेशक का नाम	पदनाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान हुई बैठकों की संख्या	बैठकों में उपस्थिति
1.	श्री पी सी नलवाया गैर-अधिकारी निदेशक - गैर-कार्यकारी (सनदी लेखाकार)	अध्यक्ष	01.04.2013 - 31.03.2014	13	13
2.	श्री के.आर.शेणै कार्यकारी निदेशक	कार्यकारी निदेशक	01.04.2013 - 31.03.2014	13	12
3.	श्री बी.एस.रामा राव *1 कार्यकारी निदेशक	कार्यकारी निदेशक	27.09.2013 - 31.03.2014	7	6
4.	श्री वी के चोपडा भारत सरकार नामिती - गैर-कार्यपालक	सदस्य	01.04.2013 - 31.03.2014	13	13
5.	श्रीमती सुमा वर्मा भा.रि.बैं. नामिती - गैर-कार्यपालक	सदस्य	01.04.2013 - 31.03.2014	13	13
6.	श्रीमती भारती राव शेयर धारक निदेशक - गैर-कार्यपालक	सदस्य	01.04.2013 - 16.03.2014	12	9
7.	श्री पी वैद्यनाथन शेयरधारक निदेशक - गैर-कार्यपालक	सदस्य	17.03.2014 - 31.03.2014	1	1

\*1 श्री बी.एस.रामा राव को दिनांक 27.09.2013 से कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया.

#### 4.3 शेयरधारक/निवेशकर्ता शिकायत समिति

बैंक ने, शेयरधारकों और निवेशकर्ताओं की, उनकी रुचि से जुड़े हुए मामलों पर शिकायतों का निवारण करने के इरादे से, शेयरधारक/ निवेशकर्ता शिकायत समिति का गठन किया है.

यह समिति, शेयरों के अंतरण, प्रेषण, बैंक द्वारा जारी शेयरों को खंडित करने और समेकित करने तथा शेयरधारकों की किसी अन्य शिकायतों पर निगरानी रखती है. आगे, यह समिति निवेशकर्ताओं की शिकायतों के निवारण पर समयबद्ध ढंग से निगरानी रखती है.

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, समिति की नीचे उल्लिखित तारीखों को 4 बैठकें हुईं :

25.04.2013	28.07.2013	22.10.2013	17.01.2014
------------	------------	------------	------------



#### 4.3.1. शेयरधारक/निवेशकर्ता शिकायत समिति के निदेशकों की उपस्थिति के ब्यौरे :

क्रम सं.	निदेशक का नाम	पदनाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान हुई बैठकों की संख्या	बैठकों में उपस्थिति
1.	श्री पी. वैद्यनाथन शेयर धारक निदेशक	अध्यक्ष	01.04.2013 - 31.03.2014	4	3
2.	श्री के.आर.शेणै कार्यकारी निदेशक	कार्यकारी निदेशक	01.04.2013 - 31.03.2014	4	4
3.	श्री बी.एस.रामा राव *1 कार्यकारी निदेशक	कार्यकारी निदेशक	27.09.2013 - 31.03.2014	2	1
4.	श्रीमती भारती राव शेयरधारक निदेशक	सदस्य	01.04.2013 - 31.03.2014	4	3
5.	श्री एन.के.जैन *2 शेयर धारक निदेशक	सदस्य	01.04.2013 - 05.11.2013	3	2
6.	श्री एच. हरीश बल्लाल अधिकारी कर्मचारी निदेशक	सदस्य	01.04.2013 - 20.09.2013	2	2
7.	श्री अशोक गुप्ता गैर-कार्यकारी निदेशक - गैर-कार्यकारी	सदस्य	21.09.2013 - 31.03.2014	2	1
8.	श्री पी.सी.नलवाया गैर-अधिकारी निदेशक - गैर-कार्यकारी	सदस्य	28.12.2013 - 31.03.2014	1	1

\*1 श्री बी.एस.रामा राव को दिनांक 27.09.2013 से कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया.

\*2 श्री एन.के.जैन ने दिनांक 05.11.2013 से नामिती शेयरधारक निदेशक का कार्यालय छोड़ा.

श्रीमती के.रेणु, कंपनी सचिव भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम मंडल के विभिन्न प्रावधानों का अनुपालन करने के उद्देश्य से, शेयर बाजार के साथ करार सूचीबद्ध कराने, कंपनियों के रजिस्ट्रार तथा शेयर अंतरण प्रक्रिया की निगरानी के लिए अनुपालन अधिकारी के रूप में कार्य कर रही हैं.

#### 4.4. शेयर अंतरण समिति

शेयरधारकों/ निवेशकर्ताओं की शिकायतों से संबंधित निदेशकों की उप-समिति के अलावा, बैंक ने, निदेशकों की शेयर अंतरण समिति का गठन किया है जिसके सदस्यों के रूप में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक अथवा कार्यकारी निदेशक (अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की अनुपस्थिति में) और दो गैर-सरकारी निदेशक हैं. समीक्षाधीन अवधि के दौरान समिति की 9 बैठकें हुईं, जिनके ब्यौरे निम्नानुसार हैं. इसके अलावा कुछ शेयर अंतरणों की कार्यसूचियां समिति को परिचालित करके अनुमोदित करवाया लिया गया व बाद में नियमित बैठकों में इन्हें अनुमोदित व अनुसमर्थित करा लिया गया.

25.04.2013	07.06.2013	28.06.2013	28.07.2013	26.08.2013
22.10.2013	12.12.2013	17.01.2014	10.03.2014	

#### 4.4.1 शेयर अंतरण समिति में निदेशकों की उपस्थिति के ब्यौरे

क्रम सं.	निदेशक का नाम	पदनाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान हुई बैठकों की संख्या	बैठकों में उपस्थिति
1.	श्री वी कण्णन *1 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	अध्यक्ष	01.01.2014 - 31.03.2014	2	2
2.	श्री एच एस उपेन्द्र कामत *2 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	अध्यक्ष	01.04.2013 - 31.12.2013	7	7
3.	श्री सुरेश कामत *3 कामगार निदेशक	सदस्य	01.04.2013 - 20.09.2013	5	5
4.	श्री पी. वैद्यनाथन शेयरधारक निदेशक	सदस्य	01.04.2013 - 20.09.2013	5	3
5.	श्रीमती भारती राव शेयरधारक निदेशक	सदस्य	21.09.2013 - 31.03.2014	4	2
6.	श्री एच. हरीश बल्लाल अधिकारी कर्मचारी निदेशक	सदस्य	21.09.2013 - 31.03.2014	4	4



- \*1 श्री वी.कण्णन को दिनांक 01.01.2014 से अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया.
- \*2 श्री एच.एस.उपेन्द्र कामत ने अधिवर्षिता प्राप्त करने पर दिनांक 31.12.2013 को अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का कार्यालय छोड़ा.
- \*3 श्री सुरेश कामत, कामगार निदेशक दिनांक 01.11.2013 को उनके कार्यकाल की समाप्ति पर बैंक के निदेशक नहीं रहें.

#### 4.5. जोखिम प्रबंधन समिति

डॉ.गांगुली समिति की सिफारिशों के अनुसार, बैंक की जोखिम प्रबंधन नीति और एकीकृत जोखिम प्रबंधन के लिए रण नीति बनाने व बैंक में विभिन्न जोखिम प्रबंधन समितियों के साथ समन्वय करने के लिए बैंक ने 23.07.2003 को जोखिम प्रबंधन समिति का गठन किया.

समिति के कामकाज :

1. जोखिम प्रबंधन नीति और एकीकृत जोखिम प्रबंधन के लिए रणनीति बनाना तथा बैंक में विभिन्न जोखिम प्रबंधन समितियों के साथ समन्वय करना.
2. जोखिम को मापने के लिए नीतियां और मार्गनिर्देश बनाना.
3. जोखिम के समस्त क्षेत्रों में प्रबंधन और रिपोर्टिंग.
4. यह सुनिश्चित करना कि जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया (लोगों, पद्धतियों, परिचालन, सीमाओं और नियंत्रणों सहित) से बैंक की नीति की तुष्टि होती है.
5. जोखिम आंकने के लिए वित्तीय मानकों को सृढ़ बनाना और इस्तेमाल की जा रही समस्त पद्धतियों को कारगर बनाना.

समीक्षाधीन अवधि के दौरान समिति की 5 बैठकें हुईं जिनके ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :

07.06.2013	26.08.2013	22.10.2013	28.12.2013	10.03.2014
------------	------------	------------	------------	------------

#### 4.5.1 जोखिम प्रबंधन समिति के निदेशकों की उपस्थिति के ब्यौरे

क्रम सं.	निदेशक का नाम	पदनाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान हुई बैठकों की संख्या	बैठकों में उपस्थिति
1.	श्री वी कण्णन *1 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	अध्यक्ष	01.01.2014 - 31.03.2014	1	1
2.	श्री एच एस उपेन्द्र कामत *2 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	अध्यक्ष	01.04.2013 - 31.12.2013	4	4
3.	श्री के.आर.शेणै कार्यकारी निदेशक	कार्यकारी निदेशक	01.04.2013 - 31.03.2014	5	5
4.	श्री बी.एस.रामा राव *3 कार्यकारी निदेशक	कार्यकारी निदेशक	27.09.2013 - 31.03.2014	3	2
5.	श्री पी.सी.नलवाया गैर-अधिकारी निदेशक - गैर-कार्यपालक	सदस्य	01.04.2013 - 31.03.2014	5	5
6.	श्रीमती भारती राव शेयरधारक निदेशक- गैर-कार्यपालक	सदस्य	01.04.2013 - 20.09.2013	2	2
7.	श्री अशोक गुप्ता गैर-अधिकारी निदेशक - गैर-कार्यपालक	सदस्य	01.04.2013 - 31.03.2014	5	2
8.	श्री एच. हरीश बल्लाल अधिकारी कर्मचारी निदेशक- गैर-कार्यपालक	सदस्य	21.09.2013 - 31.03.2014	3	3
9.	श्री सुरेश कामत *4 कामगार निदेशक- गैर-कार्यपालक	सदस्य	21.09.2013 - 01.11.2013	1	1
10.	श्री वाई.मुरलीकृष्णा *5 कामगार निदेशक - गैर-कार्यकारी	सदस्य	02.11.2013 - 31.03.2014	2	2



- \*1 श्री वी. कण्णन को दिनांक 01.01.2014 से अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया.
- \*2 श्री एच.एस.उपेन्द्र कामत ने अधिवर्षिता प्राप्त करने पर दिनांक 31.12.2013 को अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का कार्यालय छोड़ा.
- \*3 श्री बी.एस.रामा राव को दिनांक 27.09.2013 से कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया.
- \*4 श्री सुरेश कामत, कामगार निदेशक दिनांक 01.11.2013 को उनके कार्यकाल की समाप्ति पर बैंक के निदेशक नहीं रहें.
- \*5 श्री वाई.मुरलीकृष्णा को दिनांक 02.11.2013 से कामगार कर्मचारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया.

#### 4.6. उच्च मूल्य की धोखाधड़ी से संबंधित मामलों की समीक्षा करने के लिए समिति

एक करोड़ व उससे अधिक रकम की धोखाधड़ी के मामलों पर निगरानी रखने पर विशेष ध्यान देने की दृष्टि से, भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गनिर्देशों के अनुसार, मंडल की समिति का गठन किया गया है.

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान समिति की 5 बार बैठकें, नीचे उल्लिखित तारीखों को हुई :

28.07.2013	22.10.2013	28.12.2013	03.02.2014	19.02.2014
------------	------------	------------	------------	------------

#### 4.6.1 उच्च मूल्य की धोखाधड़ी से संबंधित मामलों की समीक्षा करने के लिए समिति के निदेशकों की उपस्थिति के ब्यौरे

क्रम सं.	निदेशक का नाम	पदनाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान हुई बैठकों की संख्या	बैठकों में उपस्थिति
1.	श्री वी कण्णन *1 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	अध्यक्ष	01.01.2014 - 31.03.2014	2	2
2.	श्री एच एस उपेन्द्र कामत *2 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	अध्यक्ष	01.04.2013 - 31.12.2013	3	3
3.	श्री के.आर.शेणै कार्यकारी निदेशक	कार्यकारी निदेशक	01.04.2013 - 31.03.2014	5	5
4.	श्री बी.एस.रामा राव *3 कार्यकारी निदेशक	कार्यकारी निदेशक	27.09.2013 - 31.03.2014	4	3
5.	श्री वी के चोपडा भारत सरकार नामिती - निदेशक गैर-कार्यपालक	सदस्य	28.12.2013 - 31.03.2014	3	3
6.	श्री अशोक गुप्ता गैर अधिकारी निदेशक - गैर-कार्यपालक	सदस्य	01.04.2013 - 20.09.2013	1	0
7.	श्री सुरेश कामत *4 कामगार निदेशक गैर-कार्यपालक	सदस्य	01.04.2013 - 20.09.2013	1	1
8.	श्री एच.हरीश बल्लाल अधिकारी कर्मचारी निदेशक गैर-कार्यपालक	सदस्य	01.04.2013 - 20.09.2013	1	1
9.	श्रीमती भारती राव शेयरधारक निदेशक गैर-कार्यपालक	सदस्य	21.09.2013 - 31.03.2014	4	3
10.	श्री पी.वैद्यनाथन शेयरधारक निदेशक गैर-कार्यपालक	सदस्य	21.09.2013 - 31.03.2014	4	4
11.	श्री एन.के. जैन *5 शेयरधारक निदेशक गैर-कार्यपालक	सदस्य	21.09.2013 - 07.11.2013	1	1
12.	श्री पी.सी.नलवाया गैर-अधिकारी निदेशक - गैर-कार्यपालक	सदस्य	28.12.2013 - 31.03.2014	3	3



- \*1 श्री वी.कण्णन को दिनांक 01.01.2014 से अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया.
- \*2 श्री एच.एस.उपेन्द्र कामत ने अधिवर्षिता प्राप्त करने पर दिनांक 31.12.2013 को अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का कार्यालय छोड़ा.
- \*3 श्री बी.एस.रामा राव को दिनांक 27.09.2013 से कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया.
- \*4 श्री सुरेश कामत, कामगार निदेशक दिनांक 01.11.2013 को उनके कार्यकाल समाप्ति पर बैंक के निदेशक नहीं रहें.
- \*5 श्री एन.के.जैन ने दिनांक 05.11.2013 से नामिती शेरधारक निदेशक का कार्यालय छोड़ा.

#### 4.7 प्रधान कार्यालय स्तर की ऋण अनुमोदन समिति (एचएलसीसी) :

भारत सरकार द्वारा प्रेषित पत्र सं. 13/1/2006-बी.ओ.। दिनांक 05.12.2011 के ज़रिए जारी निर्देश के अनुसार दि.28.12.2011 को हुई बैठक में निदेशक मंडल ने मंडल की ऋण अनुमोदन समिति के गठन का अनुमोदन किया है. उक्त अधिसूचना के अनुसार, ₹ 3.00 लाख करोड़ या उससे ज्यादा कारोबारवाले वर्ग 'क' के बैंकों के मामले में ₹ 400.00 करोड़ तक तथा अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों के मामले में ₹ 250.00 करोड़ तक के ऋण प्रस्तावों की मंजूरी के संबंध में समिति मंडल के अधिकारों का प्रयोग करेगी. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सहित बैंक के अधिकारियों के प्रत्यायोजित अधिकारों से अधिक ऋणप्रस्तावों को समिति के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जाएगा. इस सीमा से अधिक ऋण प्रस्तावों को पहले की तरह निदेशक मंडल की प्रबंधन समिति के समक्ष मंजूरी हेतु प्रस्तुत किया जाएगा. ऋण प्रस्तावों को मंजूर करने के अलावा (निधि व गैर-निधि आधारित) ₹ 4.00 करोड़ तक के ऋण समझौता/बट्टे खाते डालने के प्रस्तावों (धोखाधड़ी के मामलों को छोड़कर जो कि पहले जैसा मंडल की प्रबंधन समिति के समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे) को भी समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा. एचएलसीसी की बैठकों में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा एक कार्यकारी निदेशक की उपस्थिति होगी. एचएलसीसी के कार्यवृत्त, मंडल की अगली बैठक में प्रस्तुत किए जाएंगे.

वर्ष के दौरान एचएलसीसी की 53 बैठकें निम्नलिखित तारीखों में आयोजित हुईं :

02.04.2013	05.04.2013	08.04.2013	15.04.2013	24.04.2013	26.04.2013	07.05.2013
14.05.2013	17.05.2013	21.05.2013	24.05.2013	01.06.2013	05.06.2013	13.06.2013
20.06.2013	27.06.2013	06.07.2013	19.07.2013	26.07.2013	02.08.2013	10.08.2013
14.08.2013	17.08.2013	26.08.2013	29.08.2013	05.09.2013	18.09.2013	26.09.2013
08.10.2013	24.10.2013	29.10.2013	07.11.2013	14.11.2013	22.11.2013	26.11.2013
30.11.2013	05.12.2013	10.12.2013	11.12.2013	12.12.2013	20.12.2013	26.12.2013
27.12.2013	08.01.2014	18.01.2014	30.01.2014	17.02.2014	18.02.2014	03.03.2014
10.03.2014	17.03.2014	24.03.2014	29.03.2014			

#### 4.7.1 एचएलसीसी बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति के ब्यौरे

क्रम सं.	निदेशक का नाम	पदनाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान हुई बैठकों की संख्या	बैठकों में उपस्थिति
1.	श्री वी कण्णन *1 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	अध्यक्ष	01.01.2014 - 31.03.2014	10	6
2.	श्री एच एस उपेन्द्र कामत *2 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	अध्यक्ष	01.04.2013 - 31.12.2013	43	41
3.	श्री के.आर.शेणै कार्यकारी निदेशक	कार्यकारी निदेशक	01.04.2013 - 31.03.2014	53	45



क्रम सं.	निदेशक का नाम	पदनाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान हुई बैठकों की संख्या	बैठकों में उपस्थिति
4.	श्री बी.एस.रामा राव *3 कार्यकारी निदेशक	कार्यकारी निदेशक	27.09.2013 - 31.03.2014	25	20
5.	एन.देवदास *4 महा प्रबंधक, ऋण (प)	सदस्य	01.04.2013 - 30.09.2013	28	27
6.	श्री टी.जयंत पै महा प्रबंधक, ऋण (प)	सदस्य	01.10.2013 - 31.03.2014	25	25
7.	श्री एच.नारायण शेठ्टी महा प्रबंधक, लेखा	सदस्य	01.04.2013 - 31.03.2014	53	48
8.	श्री नागेश्वर राव *5 महा प्रबंधक, जोखिम प्रबंधन	सदस्य	01.04.2013 - 21.01.2014	45	41
9.	श्री ए.सी.स्वाई *5 महा प्रबंधक, जोखिम प्रबंधन	सदस्य	22.01.2014 - 31.03.2014	8	8

\*1 श्री वी.कण्णन को दिनांक 01.01.2014 से अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया.

\*2 श्री एच.एस.उपेन्द्र कामत ने अधिवर्षिता प्राप्त करने पर दिनांक 31.12.2013 को अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का कार्यालय छोड़ा.

\*3 श्री बी.एस.रामा राव को दिनांक 27.09.2013 से कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया.

\*4 श्री एन.देवदास, महा प्रबंधक, ऋण (प) ने दिनांक 30.09.2013 को सेवानिवृत्ति पर कार्यालय छोड़ा.

\*5 श्री ए.सी.स्वाई, महा प्रबंधक ने दिनांक 22.01.2014 को श्री वाई.नागेश्वर राव, महा प्रबंधक के स्थान पर जोखिम प्रबंधन विभाग का कार्यभार संभाला.

#### 4.8 पदोन्नति संबंधी निदेशकों की समिति

वरिष्ठ प्रबंध श्रेणी - वेतन-मान - V और उससे उच्चतर वेतन मान के कार्यपालकों के मामलों की समीक्षा करने के लिए, विजया बैंक(अधिकारी)सेवा विनियम, 1982 के विनियम 19(2) के नियमों के अनुसार एक विशेष समिति का गठन किया गया. यह समिति, अनुशासनिक मामलों और बैंक के शीर्ष कार्यपालकों (वेतन-मान VII) की पदोन्नति पर निगरानी रखती है.

55 वर्ष की उम्र होने पर या उसके बाद किसी भी समय अथवा 30 वर्ष की कुल सेवा पूरी करने के बाद किसी भी समय, अधिकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की समीक्षा करने के उद्देश्य से इस समिति का गठन किया गया. इस समिति में, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, कार्यकारी निदेशक, सरकारी निदेशक और भारतीय रिजर्व बैंक के नामिती निदेशक हैं.

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, इस समिति की 4 बैठकें हुईं :

28.07.2013	23.10.2013	28.12.2013	10.03.2014
------------	------------	------------	------------

#### 4.8.1 पदोन्नति संबंधी निदेशकों की समिति में निदेशकों की उपस्थिति के ब्यौरे

क्रम सं.	निदेशक का नाम	पदनाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान हुई बैठकों की संख्या	बैठकों में उपस्थिति
1.	श्री वी कण्णन *1 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	अध्यक्ष	01.01.2014 - 31.03.2014	1	1
2.	श्री एच एस उपेन्द्र कामत *2 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	अध्यक्ष	01.04.2013 - 31.12.2013	3	3
3.	श्री के.आर.शेणै कार्यकारी निदेशक	कार्यकारी निदेशक	01.04.2013 - 31.03.2014	4	4



क्रम सं.	निदेशक का नाम	पदनाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान हुई बैठकों की संख्या	बैठकों में उपस्थिति
4.	श्री बी.एस.रामा राव *3 कार्यकारी निदेशक	कार्यकारी निदेशक	27.09.2013 - 31.03.2014	3	3
5.	श्री वी के चोपडा भारत सरकार नामिती निदेशक - गैर-कार्यपालक	सदस्य	01.04.2013 - 31.03.2014	4	4
6.	श्रीमती सुमा वर्मा भा.रि.बैं. नामिती निदेशक - गैर-कार्यपालक	सदस्य	01.04.2013 - 31.03.2014	4	4

\*1 श्री वी.कण्णन को दिनांक 01.01.2014 से अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया.

\*2 श्री एच.एस.उपेन्द्र कामत ने अधिवर्षिता प्राप्त करने पर दिनांक 31.12.2013 को अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का कार्यालय छोडा.

\*3 श्री बी.एस.रामा राव को दिनांक 27.09.2013 से कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया.

#### 4.9 ग्राहक सेवा समिति

भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशों का अनुसरण करते हुए, मंडल ने, नीचे उल्लिखित सदस्यों के साथ 08.09.2004 को ग्राहक सेवा समिति का गठन किया.

मंडल की ग्राहक सेवा समिति से अपेक्षा की जाती है कि वह :

1. ग्राहक सेवाओं से संबंधित प्रक्रियाओं और निष्पादन लेखा परीक्षा के बारे में बैंक की तदर्थ समिति के कामकाज पर निगरानी रखें.
2. व्यापक निक्षेप नीति बनाएं और उसमें इस तरह के मामले जोड़ें जैसे; जमाकर्ता की मृत्यु होने पर उसका खाता चलाने की रीति, उत्पाद अनुमोदन प्रक्रिया, जमाकर्ताओं की संतुष्टि का वार्षिक सर्वेक्षण और इन सेवाओं की तीन वर्ष में एक बार लेखा परीक्षा.
3. ग्राहक सेवा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए नवोन्मेषी उपाय करें और
4. हमेशा सब प्रकार के ग्राहकों की संतुष्टि में सुधार लाना.

समीक्षाधीन अवधि के दौरान समिति की 3 बैठकें हुई :

28.07.2013	28.12.2013	19.02.2014
------------	------------	------------

#### 4.9.1 ग्राहक सेवा समिति के निदेशकों की उपस्थिति संबंधी ब्योरे

क्रम सं.	निदेशक का नाम	पदनाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान हुई बैठकों की संख्या	बैठकों में उपस्थिति
1.	श्री वी कण्णन *1 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	अध्यक्ष	01.01.2014 - 31.03.2014	1	1
2.	श्री एच एस उपेन्द्र कामत *2 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	अध्यक्ष	01.04.2013 - 31.12.2013	2	2
3.	श्री के.आर.शेणै कार्यकारी निदेशक	कार्यकारी निदेशक	01.04.2013 - 31.03.2014	3	3
4.	श्री बी.एस.रामा राव *3 कार्यकारी निदेशक	कार्यकारी निदेशक	27.09.2013 - 31.03.2014	2	2
5.	श्री पी. वैद्यनाथन शेयरधारक निदेशक - गैर-कार्यपालक	सदस्य	01.04.2013 - 20.09.2013	1	0





क्रम सं.	निदेशक का नाम	पदनाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान हुई बैठकों की संख्या	बैठकों में उपस्थिति
6.	श्री एच.हरीश बल्लाल अधिकारी कर्मचारी निदेशक- गैर-कार्यपालक	सदस्य	01.04.2013 - 20.09.2013	1	1
7.	श्री अशोक गुप्ता गैर अधिकारी निदेशक - गैर-कार्यपालक	सदस्य	21.09.2013 - 31.03.2014	2	2
8.	श्री सुरेश कामत *4 कामगार निदेशक- गैर-कार्यपालक	सदस्य	21.09.2013 - 01.11.2013	—	—
9.	श्री वाई.मुरलीकृष्णा *5 कामगार निदेशक - गैर-कार्यपालक	सदस्य	02.11.2013 - 31.03.2014	2	2
10.	श्री अमरनाथ हेडे ग्राहकों के प्रतिनिधि	सदस्य	01.11.2013 - 31.03.2014	2	2
11.	श्री टी.रुद्रप्पा ग्राहकों के प्रतिनिधि	सदस्य	01.04.2013 - 31.10.2013	1	1

\*1 श्री वी.कण्णन को दिनांक 01.01.2014 से अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया.

\*2 श्री एच.एस.उपेन्द्र कामत ने अधिवर्षिता प्राप्त करने पर दिनांक 31.12.2013 को अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का कार्यालय छोड़ा.

\*3 श्री बी.एस.रामा राव को दिनांक 27.09.2013 से कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया.

\*4 श्री सुरेश कामत, कामगार निदेशक दिनांक 01.11.2013 को उनके कार्यकाल की समाप्ति पर बैंक के निदेशक नहीं रहे.

\*5 श्री वाई.मुरलीकृष्णा को दिनांक 02.11.2013 से कामगार कर्मचारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया.

#### 4.10 पारिश्रमिक समिति

भारत सरकार के मार्गनिर्देशों के अनुसार निदेशकों को पारिश्रमिक दिया जाता है. दि.09.03.2007 के भारत सरकार के पत्रांक एफ.सं.20/1/2005-बीओ.1 के अनुसार बैंक निदेशक मंडल ने दि.30.07.2007 को पारिश्रमिक समिति का गठन किया है. यह समिति बैंक के पूर्णकालिक निदेशक अर्थात् अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक व कार्यकारी निदेशक के निष्पादन आधारित प्रोत्साहन के मूल्यांकन तथा संगत वर्ष के यथा 31 मार्च को पात्र प्रोत्साहन देने हेतु गठित की गयी है.

वर्ष 2013-14 के दौरान, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और कार्यकारी निदेशक को निष्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन राशि सहित पारिश्रमिक के ब्यौरे नीचे प्रस्तुत हैं:

विवरण	श्री वी.कण्णन (अ. एवं प्र. नि.)	श्री उपेन्द्र कामत (अ. एवं प्र. नि.)	श्री के.आर.शेणै (का. नि.)	श्री बी.एस.रामा राव (का. नि.)
वेतन	₹ 4,30,350	₹ 13,50,595	₹ 15,11,445	₹ 7,57,467
भत्ते	—	—	—	—
भ.नि. पर अंशदान	₹ 22,650	₹ 71,329	₹ 79,755	₹ 39,867
अन्य - निष्पादन से जुड़ा हुआ प्रोत्साहन	—	₹ 6,00,000	₹ 4,00,000	—
अन्य (छु.कि.रि., चिकित्सा, आदि)	₹ 83	₹ 4,15,914	₹ 2,27,478	₹ 32,950
अन्य अनुलाभ	—	₹ 14,364	₹ 19,152	₹ 9,576
कुल	₹ 4,53,083	₹ 24,52,202	₹ 22,37,830	₹ 8,39,860
स्टॉक विकल्प	—	—	—	—



गैर-कार्यपालक/स्वतंत्र निदेशकों को भारत सरकार के निर्देशानुसार मंडल/समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए बैठक शुल्क, यात्रा व विराम व्यय को छोड़कर कोई पारिश्रमिक नहीं दिया जा रहा है. भारत सरकार के निदेशानुसार बैठक शुल्क का भुगतान किया जाता है.

समिति की समीक्षाधीन अवधि के दौरान 07.06.2013 को बैठक आयोजित की गई.

#### 4.10.1 पारिश्रमिक समिति की बैठक में निदेशकों की उपस्थिति के ब्यौरे

क्रम सं.	निदेशक का नाम	पदनाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान हुई बैठकों की संख्या	बैठकों में उपस्थिति
1.	श्री वी.के.चोपडा भारत सरकार नामिती निदेशक - गैर-कार्यपालक	सदस्य	01.04.2013 - 31.03.2014	1	1
2.	श्रीमती सुमा वर्मा भा.रि.बैं. नामिती निदेशक - गैर-कार्यपालक	सदस्य	01.04.2013 - 31.03.2014	1	1
3.	श्री पी.सी.नलवाया गैर-अधिकारी निदेशक - गैर-कार्यपालक	सदस्य	01.04.2013 - 31.03.2014	1	1
4.	श्री पी. वैद्यनाथन गैर-अधिकारी निदेशक - गैर-कार्यपालक	सदस्य	01.04.2013 - 15.03.2014	1	1
5.	श्रीमती भारती राव शेयरधारक निदेशक - गैर-कार्यपालक	सदस्य	16.03.2014 - 31.03.2014	—	—

#### 4.11. नामांकन समिति

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 01.11.2007 के पत्र सं डीबीओडी.सं बीसी.47/29.39001/2007-08 में दिए गए निदेशानुसार बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन व अंतरण) अधिनियम 1980 की धारा 9 (3)(आई) के तहत संप्रति चुने गए निदेशकों/निदेशकों के रूप में चुने जानेवाले व्यक्तियों की 'उपयुक्त व उचित स्थिति' अध्यवसायी से निर्धारित करने के लिए मंडल की नामांकन समिति दिनांक 28.12.2007 को गठित की गयी. समिति में सदस्य के रूप में तीन निदेशक हैं.

समीक्षाधीन अवधि के दौरान दिनांक 07.06.2013 को दो बार समिति की बैठक हुई तथा यह पाया गया कि चुने जाने वाले निदेशक भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट मानदंड अनुसार 'उपयुक्त व उचित' हैं.

#### 4.11.1. नामिती समिति की बैठक में निदेशकों की उपस्थिति के ब्यौरे

क्रम सं.	निदेशक का नाम	पदनाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान हुई बैठकों की संख्या	बैठकों में उपस्थिति
1.	श्री वी के चोपडा भारत सरकार नामिती निदेशक - गैर-कार्यपालक	अध्यक्ष	01.04.2013 - 31.03.2014	1	1
2.	श्री पी सी नलवाया गैर-अधिकारी निदेशक - गैर-कार्यपालक	सदस्य	01.04.2013 - 31.03.2014	1	1
3.	श्री अशोक गुप्ता गैर-अधिकारी निदेशक - गैर-कार्यपालक	सदस्य	01.04.2013 - 31.03.2014	1	1



#### 4.12 शेयरधारक निदेशकों के चुनाव में उम्मीदवार को समर्थन देने पर निर्णय लेने की समिति

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय के निदेशों के अनुरूप दि.31.05.2012 को आयोजित बैठक में मंडल ने शेयरधारक निदेशकों के चुनाव में उम्मीदवार को समर्थन देने पर निर्णय लेने की समिति के गठन का अनुमोदन दिया, जहां बैंक ने इन कंपनियों के शेयरों में निवेश किया है.

समिति के निम्नलिखित सदस्य हैं :

1. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक : समिति के अध्यक्ष
2. कार्यकारी निदेशक : सदस्य
3. एक गैर-सरकारी निदेशक : सदस्य

वर्ष के दौरान समिति की 2 बैठकें हुईं :

19.07.2013	25.09.2013
------------	------------

#### 4.12.1 शेयरधारक निदेशकों के चुनाव में उम्मीदवार को समर्थन देने पर निर्णय लेने की समिति में निदेशकों की उपस्थिति के ब्यौरे :

क्रम सं.	निदेशक का नाम	पदनाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान हुई बैठकों की संख्या	बैठकों में उपस्थिति
1.	श्री वी कण्णन *1 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	अध्यक्ष	01.01.2014 - 31.03.2014	-	-
2.	श्री एच एस उपेन्द्र कामत *2 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	अध्यक्ष	01.04.2013 - 31.12.2013	2	2
3.	श्री के.आर.शेणै कार्यकारी निदेशक	कार्यकारी निदेशक	01.04.2013 - 31.03.2014	2	2
4.	श्री बी.एस.रामा राव *3 कार्यकारी निदेशक	कार्यकारी निदेशक	27.09.2013 - 31.03.2014	-	-
5.	श्री अशोक गुप्ता गैर अधिकारी निदेशक - गैर-कार्यपालक	सदस्य	01.04.2013 - 31.03.2014	2	2

\*1 श्री वी.कण्णन को दिनांक 01.01.2014 से अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया.

\*2 श्री एच.एस.उपेन्द्र कामत ने अधिवर्षिता प्राप्त करने पर दिनांक 31.12.2013 को अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का कार्यालय छोड़ा.

\*3 श्री बी.एस.रामा राव को दिनांक 27.09.2013 से कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया.

#### 4.13 सू.प्रौ. स्टीयरिंग समिति :

भा.रि.बैं. द्वारा जारी मार्गनिर्देशों तथा भा.बैं.सं. की सिफारिशों के अनुसार, निदेशक मंडल ने दि. 18.02.2012 को अपनी बैठक में, सू.प्रौ. स्टीयरिंग समिति का गठन किया जिसमें बाह्य तकनीकी विशेषज्ञ विशेष अतिथि हैं.

सू.प्रौ. स्टीयरिंग समिति के कार्य का ढांचा निम्नानुसार है :

1. सू.प्रौ. पर बैंक को रणनीतिक निर्देश देना तथा मंडल की ओर से सू.प्रौ. निवेशों की समीक्षा करना.
2. सू.प्रौ. रणनीति तथा नीति दस्तावेजों का अनुमोदन करना तथा कारोबार रणनीति को सू.प्रौ. रणनीति के साथ संरेखन सुनिश्चित करना.



3. यह पता लगाना कि प्रबंधन द्वारा उन प्रक्रिया तथा प्रणालियों का कार्यान्वयन किया गया है जो सुनिश्चित करता है कि सू.प्रौ. कारोबार में मूल्य प्रदान करता है.
4. रणनीतिक लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु सू.प्रौ. संसाधन को पहचानने के लिए प्रबंधन द्वारा प्रयोग में लायी गयी प्रणाली को मॉनिटर करना तथा सू.प्रौ. संसाधन उपलब्ध कराने व प्रयोग करने संबंधी उच्च स्तरीय निर्देश देना.
5. सू.प्रौ. कार्यान्वयन में सू.प्रौ. जोखिम व प्रबंधन के निष्पादन का प्रबंधन द्वारा मानिट्रिंग की प्रभाविता का मूल्यांकन करना.
6. जोखिम संबंधी उच्च स्तरीय नीति मार्गनिर्देश जारी करना

वर्ष के दौरान समिति की बैठक दिनांक 11.06.2013 तथा 31.12.2013 को हुई.

11.06.2013	31.12.2013
------------	------------

#### 4.13.1 सू.प्रौ. स्टीयरिंग समिति में निदेशकों की उपस्थिति के ब्यौरे :

क्रम सं.	निदेशक का नाम	पदनाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान हुई बैठकों की संख्या	बैठकों में उपस्थिति
1.	श्री वी कण्णन *1 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	अध्यक्ष	01.01.2014 - 31.03.2014	—	—
2.	श्री एच एस उपेन्द्र कामत *2 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	अध्यक्ष	01.04.2013 - 31.12.2013	2	2
3.	श्री के.आर.शेणै कार्यकारी निदेशक	कार्यकारी निदेशक	01.04.2013 - 26.09.2013	1	1
4.	श्री बी.एस.रामा राव *3 कार्यकारी निदेशक	कार्यकारी निदेशक	27.09.2013- 31.03.2014	1	1
5.	श्रीमती भारती राव शेयरधारक निदेशक - गैर-कार्यपालक	सदस्य	01.04.2013 - 31.03.2014	2	1

\*1 श्री वी.कण्णन को दिनांक 01.01.2014 से अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया.

\*2 श्री एच.एस.उपेन्द्र कामत ने अधिवर्षिता प्राप्त करने पर दिनांक 31.12.2013 को अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का कार्यालय छोड़ा.

\*3 श्री बी.एस.रामा राव को दिनांक 27.09.2013 से कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया.

#### 4.14 वसूली निगरानी हेतु समिति

वित्त मंत्रालय के दि.21.11.2012 के पत्र अनुरूप मंडल द्वारा वसूली की निगरानी हेतु समिति का गठन किया गया है, जो सामान्यतया एनपीए तथा विशेषतः ₹ 1 करोड या उससे अधिक उच्च मूल्य खातों की वसूली/प्रबंधन की प्रगति की समीक्षा/निगरानी करेगी.

समीक्षाधीन अवधि के दौरान समिति 5 बार मिली जिसका विवरण निम्नानुसार है :

08.06.2013	28.07.2013	26.08.2013	27.12.2013	10.03.2014
------------	------------	------------	------------	------------

#### 4.14.1 वसूली निगरानी हेतु समिति में निदेशकों की उपस्थिति के ब्यौरे

क्रम सं.	निदेशक का नाम	पदनाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान हुई बैठकों की संख्या	बैठकों में उपस्थिति
1.	श्री वी कण्णन *1 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	अध्यक्ष	01.01.2014 - 31.03.2014	1	1
2.	श्री एच एस उपेन्द्र कामत *2 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	अध्यक्ष	01.04.2013 - 31.12.2013	4	3



क्रम सं.	निदेशक का नाम	पदनाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान हुई बैठकों की संख्या	बैठकों में उपस्थिति
3.	श्री के.आर.शेणै कार्यकारी निदेशक	कार्यकारी निदेशक	01.04.2013 - 31.03.2014	5	4
4.	श्री बी.एस.रामा राव *3 कार्यकारी निदेशक	कार्यकारी निदेशक	27.09.2013 - 31.03.2014	2	2
5.	श्री वी के चोपडा भारत सरकार नामिती निदेशक - गैर-कार्यपालक	सदस्य	01.04.2013 - 31.03.2014	5	5

\*1 श्री वी.कण्णन को दिनांक 01.01.2014 से अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया.

\*2 श्री एच.एस.उपेन्द्र कामत ने अधिवर्षिता प्राप्त करने पर दिनांक 31.12.2013 को अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का कार्यालय छोड़ा.

\*3 श्री बी.एस.रामा राव को दिनांक 27.09.2013 से कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया.

#### 4.15 प्रशासनिक प्राधिकारी के रूप में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के अंतिम आदेशों के प्रति कर्मचारी द्वारा दिए गए अपील पर विचार करने हेतु समिति

कर्मचारियों के हित की संरक्षा हेतु प्रशासनिक प्राधिकारी के रूप में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के अंतिम आदेशों के प्रति कर्मचारी द्वारा दिए गए अपील पर विचार करने हेतु दिनांक 29.03.2010 को समिति का गठन किया गया. भारत सरकार के नामिती निदेशक, भा.रि.बैं. के नामिती निदेशक तथा गैर-कार्यकारी निदेशक (मंडल की लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष) समिति के सदस्य हैं.

समीक्षाधीन अवधि के दौरान समिति 2 बार मिली जिसका विवरण निम्नानुसार है :

07.06.2013	28.12.2013
------------	------------

#### 4.15.1 प्रशासनिक प्राधिकारी के रूप में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के अंतिम आदेशों के प्रति कर्मचारी द्वारा दिए गए अपील पर विचार करने हेतु समिति में निदेशकों की उपस्थिति के ब्यौरे :

क्रम सं.	निदेशक का नाम	पदनाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान हुई बैठकों की संख्या	बैठकों में उपस्थिति
1.	श्री वी के चोपडा भारत सरकार नामिती निदेशक - गैर-कार्यपालक	सदस्य	01.04.2013 - 31.03.2014	2	2
2.	श्रीमती सुमा वर्मा भा.रि.बैं. नामिती - गैर-कार्यपालक	सदस्य	01.04.2013 - 31.03.2014	2	2
3.	श्री पी.सी.नलवाया गैर-अधिकारी निदेशक - गैर-कार्यपालक	सदस्य	01.04.2013 - 31.03.2014	2	2

#### 4.16 आबंटन समिति :

भारत सरकार को इक्विटी शेयरों का निर्गम तथा आबंटन संबंधी क्रियाविधि पूरा करने हेतु मंडल की विशेष उप-समिति का गठन किया गया, जिसकी दो बार बैठक बुलायी गयी अर्थात् दिनांक 19.12.2013 को बैंक के टियर ख पूंजी में ₹ 249,99,99,963 लगाने के प्रति अधिमान आधार पर भारत सरकार को ₹ 10/- के 5,89,34,464 इक्विटी शेयरों को ₹ 32.42 प्रति शेयर प्रीमियम (निर्गम मूल्य ₹ 42.42 प्रति शेयर) पर निर्गम तथा आबंटन करने के लिए तथा दिनांक 21.02.2014 को स्थायी गैर-संचयी अधिमान शेयरों (पीएनसीपीएस), जो ₹ 1200 करोड बनता है, इक्विटी शेयरों के रूप में परिवर्तन द्वारा ₹ 29.39 प्रति शेयर के प्रीमियम (अर्थात् कुल निर्गम मूल्य ₹ 39.39 प्रति शेयर) पर ₹ 10/- के ₹ 30,46,45,849 इक्विटी शेयरों को भारत सरकार को निर्गम तथा आबंटन करने के लिए.



**5. यथा 31.03.2014 को गैर कार्यपालक/शेयरधारक निदेशकों के शेयरधारण के विवरण**

निदेशक का नाम	धारित शेयरों की संख्या
1. श्रीमती भारती राव, शेयरधारक निदेशक	100
2. श्री पी वैद्यनाथन, शेयरधारक निदेशक	2,100
3. श्री एच.हरीश बल्लाल, अधिकारी कर्मचारी निदेशक	1,000

**6. आचार संहिता**

बैंक, सूचीकरण करार के खंड 49 में निर्धारित आचार संहिता का पालन कर रहा है. तदनुसार सभी निदेशकों/उच्च प्रबंधन कार्मिकों से वार्षिक आधार पर उसके अनुपालन संबंधी पुष्टीकरण प्राप्त की जाती है.

**7. सामान्य बैठक**

पिछली तीन वार्षिक सामान्य बैठकों के विवरण निम्नानुसार प्रस्तुत हैं :

दिनांक	समय	स्थान
29.07.2011	सुबह 10.15 बजे	मुल्की सुंदर राम शेड्डी सभागृह, विजया बैंक, एम.जी.रोड, बेंगलूर
29.06.2012	दोपहर 4.00 बजे	मुल्की सुंदर राम शेड्डी सभागृह, विजया बैंक, एम.जी.रोड, बेंगलूर
28.06.2013	दोपहर 4.00 बजे	मुल्की सुंदर राम शेड्डी सभागृह, विजया बैंक, एम.जी.रोड, बेंगलूर

तेरहवीं वार्षिक सामान्य बैठक में निम्नलिखित निदेशक उपस्थित थे. इन बैठकों में कोई विशेष संकल्प पारित नहीं किया गया.

- |                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| 1. श्री एच एस उपेन्द्र कामत | अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक             |
| 2. श्री के.आर.शेणै          | कार्यकारी निदेशक                      |
| 3. श्री पी सी नलवाया        | गैर-अधिकारी निदेशक व एसीबी के अध्यक्ष |
| 4. श्रीमती भारती राव        | शेयरधारक निदेशक                       |
| 5. श्री एन.के.जैन           | शेयरधारक निदेशक                       |
| 6. श्री अशोक गुप्ता         | गैर-अधिकारी निदेशक                    |
| 7. श्री हरीश बल्लाल         | अधिकारी कर्मचारी निदेशक               |

श्री गौरव शुक्ला, अवर सचिव, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार प्रेक्षक के रूप में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करते हुए बैठक में उपस्थित थे.

**असाधारण सामान्य बैठक**

वर्ष 2013-2014 के दौरान बैंक के शेयरधारकों के दो असाधारण सामान्य बैठक विजया बैंक, प्रधान कार्यालय के मुल्की सुंदर राम शेड्डी सभागृह में आयोजित हुईं.

पहली असाधारण सामान्य बैठक, बैंक के टियर I पूंजी में ₹ 249,99,99,963/- लगाने के प्रति ₹ 32.42 (अर्थात कुल निर्गम मूल्य ₹ 42.42 प्रति शेयर) प्रति शेयर प्रीमियम पर ₹ 10/- के 5,89,34,464 ईक्विटी शेयरों का अधिमान निर्गम हेतु शेयरधारकों से अनुमोदन लेने हेतु दिनांक 12.12.2013 को आयोजित की गयी.

असाधारण सामान्य बैठक के दौरान निम्नलिखित निदेशक उपस्थित रहें :

1. श्री एच.एस.उपेन्द्र कामत, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
2. श्री बी.एस.रामा राव, कार्यकारी निदेशक



3. श्री पी.वैद्यनाथन, शेयरधारक निदेशक
4. श्री अशोक गुप्ता, गैर-अधिकारी निदेशक
5. श्री एच.हरीश बल्लाल, अधिकारी-कर्मचारी निदेशक

श्री एस.डी.शर्मा, अनुभाग अधिकारी, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, जो भारत सरकार, वित्त मंत्रालय का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, प्रेक्षक के रूप में उपस्थित थे.

दूसरी असाधारण सामान्य बैठक, बैंक के मौजूदा स्थायी गैर-संचयी अधिमान शेयरों (पीएनसीपीएस), जो ₹ 1200 करोड़ बनता है, को ईक्विटी शेयरों के रूप में परिवर्तन द्वारा ₹ 29.39 प्रति शेयर के प्रीमियम (अर्थात कुल निर्गम मूल्य ₹ 39.39 प्रति शेयर) पर ₹ 10/- के ₹ 30,46,45,849 ईक्विटी शेयरों का अधिमान निर्गम हेतु शेयरधारकों से अनुमोदन लेने के लिए दिनांक 19.02.2014 को आयोजित की गयी.

असाधारण सामान्य बैठक के दौरान निम्नलिखित निदेशक उपस्थित रहें :

1. श्री वी.कण्णन, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
2. श्री के.आर.शेणै, कार्यकारी निदेशक
3. श्री बी.एस.रामा राव, कार्यकारी निदेशक
4. श्री पी.सी.नलवाया, गैर-अधिकारी निदेशक तथा एसीबी के अध्यक्ष
5. श्रीमती भारती राव, शेयरधारक निदेशक
6. श्री पी.वैद्यनाथन, शेयरधारक निदेशक
7. श्री अशोक गुप्ता, गैर-अधिकारी निदेशक
8. श्री एच.हरीश बल्लाल, अधिकारी-कर्मचारी निदेशक

श्री एम.एम.दाव्ला, अवर सचिव, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, जो भारत सरकार, वित्त मंत्रालय का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, प्रेक्षक के रूप में उपस्थित थे.

## 8. शेयर अंतरण प्रणाली और निवेशकर्ताओं की शिकायतों का निवारण

हमारे रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंटों के कार्यालय में शेयर अंतरण, लाभांश के भुगतान तथा निवेशकर्ता से संबंधित अन्य गतिविधियों पर गौर किया जाता है और उनका संसाधन किया जाता है. बैंक, यह सुनिश्चित करता है कि शेयरों के अंतरण का सारा काम, उनको प्रस्तुत किए गए दिन से एक महीने के अंदर पूरा किया जाता है. मंडल ने, शेयरों के अंतरण तथा अन्य संबंधित मामलों पर विचार करने के लिए शेयरधारक तथा निवेशकर्ता शिकायत समिति और शेयर अंतरण समिति का गठन किया है. ये समितियां नियमित अंतराल में बैठती हैं और शेयरों के अंतरण की पुष्टि करने के अलावा निवेशकर्ताओं की शिकायतों की स्थिति की समीक्षा करती है.

बैंक ने अपने रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट के रूप में मेसर्स लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को नियुक्त किया है जिसका कर्तव्य है, शेयरों का अंतरण करना, लाभांश का भुगतान करना, शेयरधारकों की दरखास्त दर्ज करना तथा शेयरों को जारी करने से संबंधित दूसरी गतिविधियों में निवेशकर्ताओं की शिकायतों का संकल्प पारित करना. निवेशकर्ता, अपने अंतरण विलेख/दरखास्त/शिकायतें, रजिस्ट्रार के पास, नीचे उल्लिखित पते पर भेज सकते हैं:

### मेसर्स लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

(यूनिट : विजया बैंक )

सी -13, पन्नालाल सिल्क मिल्स कांपाउंड

एल.बी.एस.रोड , भंडूप (पश्चिम)

मुंबई - 400 078

टेलीफोन: (022) 2594 6970

फैक्स: (022) 2594 6969 & 2596 2691

ईमेल : mumbai@linkintime.co.in and

mt.helpdesk@linkintime.co.in



निवेशकर्ताओं की सहूलियत के लिए, शेयर अंतरण की उनकी दरखास्त तथा उनकी शिकायतें, बेंगलूर स्थित बैंक के प्रधान कार्यालय में नीचे उल्लिखित पते पर भी स्वीकार की जाती हैं:

**महा प्रबंधक**

मंडल सचिवालय (शेयर प्रभाग)

विजया बैंक, प्रधान कार्यालय

41/2, एम.जी.रोड

बेंगलूर - 560 001

कर्नाटक

टेलीफोन : 080 25584066 विस्तार 514

फैक्स : 080 25594737

ई-मेल : sdigc@vijayabank.co.in

वेबसाईट : www.vijayabank.com

शेयरधारकों की शिकायतों पर तुरंत गौर करने और शिकायतों का फौरन निवारण करने पर बैंक, सर्वोच्च प्राथमिकता देता है और उसे सुनिश्चित भी करता है.

**शेयर अंतरण प्रणाली :**

बैंक के ईक्विटी शेयरों का अंतरण हमारे शेयर अंतरण एजेंट मेसर्स लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, मुंबई द्वारा किया जाता है. जब कभी उन्हें शेयर अंतरण के अनुरोध प्राप्त होते हैं तो उन्हें संवीक्षा कर तथा सही पाये जाने पर संसाधित कर, बैंक के प्रधान कार्यालय में अनुमोदनार्थ प्रेषित किया जाता है.

शेयर अंतरण/अमूर्तिकरण/पुनः मूर्तिकरण/विभाजन/पुनः स्थापन/समेकन इत्यादि संबंधी अनुरोध मंडल की शेयर अंतरण समिति के समक्ष उनके अनुपालनार्थ प्रस्तुत किए जाते हैं. इस प्रयोजनार्थ शेयर अंतरण समिति की बैठक पाक्षिक आधार पर अयोजित की जाती है. मेसर्स लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड शेयर अंतरण समिति का अनुमोदन प्राप्त करने के बाद अंतरण, अमूर्तिकरण आदि करके शेयरधारकों को भेजता है. बैंक यह सुनिश्चित करता है कि प्रस्तुत करने की तारीख से निर्धारित समयावधि के अंतर्गत उसे विधिवत रूप से अंतरित किया जाता है.

शेयर बाज़ार में सूचीबद्ध करने संबंधी करार के खंड 47 के अनुसार आर व टी अभिकर्ता द्वारा किए गए शेयर अंतरण तथा शेयर अंतरण समिति द्वारा अनुमोदित शेयर अंतरण पर रिपोर्ट, बैंक के निदेशक मंडल के समक्ष सूचना के लिए प्रस्तुत की जाती है.

**प्राप्त, निपटायी गयीं और लंबित शिकायतों की संख्या**

मेसर्स लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, मुंबई द्वारा शेयरधारकों की सभी शिकायतें सीधे प्राप्त की जाती हैं और बैंक द्वारा प्राप्त सारी शिकायतें उनके पास भेजी जाती हैं. 2013-2014 के दौरान प्राप्त और निपटायी गयीं तथा 31.03.2014 को लंबित दरखास्तों / शिकायतों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :

	01.04.2013 को लंबित	प्राप्त	निपटाई गईं	31.03.2014 को लंबित
क) दरखास्तों की संख्या	कुछ नहीं	7884	7884	कुछ नहीं
ख) शिकायतों की संख्या	कुछ नहीं	2489	2489	कुछ नहीं

उक्त शिकायतों में से कोई भी शिकायत एक महीने से अधिक लंबित नहीं रही. यथा 31.03.2014 को, शेयर अंतरण के संबंध में हमारे पास कोई दरखास्त लंबित नहीं थी.

**9. शेयरधारकों के साथ प्रकटीकरण, संप्रेषण और संबंध**

बैंक के प्रवर्तकों/निदेशकों, प्रबंध वर्ग, उसके सहयोगी संस्थाओं और/उनके रिश्तेदारों के साथ बैंक का, तात्त्विक दृष्टि से महत्वपूर्ण, ऐसा कोई संबंधित पार्टी लेन-देन नहीं है जिससे व्यापक रूप से बैंक के हितों को संभावित रूप से प्रभावित करे.





वित्तीय वर्ष 2013-14 में, बैंक ने, पूंजी बाजार से संबंधित मामलों के बारे में समस्त अपेक्षाओं की पूर्ति की और बैंक पर, शेयर बाजारों, एसईबीआई, अथवा किसी दूसरे सांविधिक प्राधिकारियों ने कोई जुर्माना नहीं लगाया है, न ही कोई आक्षेप किया है। बैंक ने, सांविधिक समय सीमा के अंदर वार्षिक सामान्य बैठक आयोजित की और पात्र शेयरधारकों को लाभांश अदा किया।

बैंक से संबंधित जानकारी, खास तौर पर वार्षिक रिपोर्टों के ज़रिए जिसमें अध्यक्ष का बयान, निदेशकों की रिपोर्ट, लेखा परीक्षित लेखा, नकदी प्रवाह विवरण और समेकित लेखा आदि होते हैं, उपलब्ध कराई जाती है। शेयरधारकों को तिमाही, अर्ध-वार्षिक और वार्षिक निष्पादन के बारे में जानकारी समाचार पत्रों में प्रकाशन, शेयर बाजारों को दी गई सूचना, प्रेस-विज्ञप्ति और वेबसाइट अर्थात् [www.vijayabank.com](http://www.vijayabank.com) के ज़रिए भी दी जाती है।

वित्तीय वर्ष के दौरान, तिमाही परिणाम प्रमुख समाचार पत्रों जैसे बिजनेस स्टैंडर्ड (अंग्रेजी), बिजनेस लाइन (अंग्रेजी), इकनामिक टाइम्स (अंग्रेजी), दि न्यू इंडियन एक्सप्रेस (अंग्रेजी), डेक्कन हेरॉल्ड (अंग्रेजी), प्रजावाणी (कन्नड), उदयवाणी (कन्नड), कन्नड प्रभा (कन्नड) तथा विजया कर्नाटक (कन्नड) में प्रकाशित किए गए। परिणाम, बैंक की वेबसाइट [www.vijayabank.com](http://www.vijayabank.com) में भी प्रदर्शित किए गए।

## 10. अधिदेशात्मक और गैर-अधिदेशात्मक अपेक्षाएं

10.1 बैंक ने, शेयर बाजारों के साथ किए गए सूची बनाने संबंधी करारनामे के खंड 49 के प्रावधानों के अनुसार, समस्त लागू अधिदेशात्मक अपेक्षाओं की पूर्ति की।

10.2 गैर-अधिदेशात्मक अपेक्षाओं के कार्यान्वयन के बारे में जानकारी नीचे प्रस्तुत है :

	अपेक्षा	अनुपालन
10.2.1	गैर-कार्यपालक अध्यक्ष को, कंपनी के खर्चों पर अध्यक्ष का कार्यालय रखने का हक होना चाहिए और साथ ही उसे, अपने कर्तव्य निभाने में लगे खर्च की पूर्ति की जानी चाहिए।	बैंक के अध्यक्ष का कार्यभार, भारत सरकार द्वारा नियुक्त कार्यकारी अध्यक्ष संभाल रहे हैं और इसलिए यह अपेक्षा लागू नहीं होती है।
10.2.2	पिछले छः महीनों में महत्वपूर्ण घटनाओं के सार सहित वित्तीय निष्पादन की अर्ध-वार्षिक घोषणा, प्रत्येक शेयरधारक के घर पर भेजी जानी चाहिए।	बैंक अपने सभी शेयरधारकों को वर्ष के दौरान हुई उल्लेखनीय गतिविधियों सहित सारांश के साथ वार्षिक वित्तीय परिणाम प्रेषित करता है। बैंक के त्रैमासिक वित्तीय परिणाम, निदेशक मंडल के अनुमोदन के बाद समाचार पत्र, स्टॉक एक्सचेंज तथा बैंक की वेबसाइट में प्रकाशित किये जाते हैं।
10.2.3	डाक से प्राप्त मत	बैंक ने, ऐसे किसी भी नाजुक मामलों को, जिसमें डाक से चलाए गए मतों से तय किया जाना पड़े, विचारार्थ नहीं उठाया है।

## 11. शेयरधारकों की जानकारी के लिए :

बैंक, एक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक है जिसका प्रधान कार्यालय, बेंगलूर में है। यथा 31.03.2014 को देशभर में फैली हुई 1,512 शाखाओं के ज़रिए बैंक ने अपनी मौजूदगी कायम की है। बैंक के शेयरों को नीचे उल्लिखित प्रमुख शेयर बाजारों में सूचीबद्ध किया गया है :

- 1) **बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लि.,**  
कार्पोरेट रिलेशनशिप विभाग  
पहली मंजिल, न्यू ट्रेडिंग रिंग  
फिरोज जीजीबॉय टावर्स, दलाल स्ट्रीट  
फोर्ट, मुंबई - 400 001  
बीएसई कूट : 532401
- 2) **नैशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि.**  
एक्सचेंज प्लाजा, 5 वां तल  
प्लॉट सं सी/1, जी ब्लॉक  
बांद्रा - कुर्ला कॉम्प्लेक्स  
बांद्रा(पूर्व), मुंबई - 400 051  
एनएसई कूट : विजया बैंक ईक्यू एई बीई बीटी
- 3) **बेंगलूर स्टॉक एक्सचेंज लि.**  
पो.बा. सं 27024  
51, स्टॉक एक्सचेंज टावर्स  
पहला क्रॉस जे.सी.रोड,  
बेंगलूर - 560 027

शेयर बाजारों को, सूचीबद्ध करने संबंधी वर्ष 2013-2014 का वार्षिक शुल्क, नियत तारीख से पहले अदा किया गया।



### 11.1 प्रतिभूतियों का अमूर्तीकरण

बैंकों के शेयरों का अमूर्तीकरण अनिवार्य नहीं है लेकिन बैंक ने राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपी लिमिटेड और केंद्रीय प्रतिभूति निक्षेपी लिमिटेड के पास अपने शेयरों का अमूर्तीकरण किया है. अमूर्त किए गए इक्विटी शेयरों के लिए, बैंक को आईएसआईएन कूट सं. आईएनई 705A01016 आर्बाटित की गई है. चूंकि बैंक के शेयरों का व्यापार तीन शेयर बाजारों में किया जाता है इसलिए चल-निधि सामान्य है. बैंक ने, दोनों निक्षेपियों अर्थात्; एनएसडीएल और सीडीएसएल के पास कुल स्वीकृत पूंजी एवं बैंक की जारी तथा सूचीबद्ध पूंजी के समाधान के लिए लेखा परीक्षा के संबंध में तथा अहं कंपनी सचिव द्वारा, एसईबीआई के निर्देशानुसार शामिल किए गए अन्य मामलों के संबंध में एसईबीआई की अपेक्षाओं की पूर्ति की है.

**31.03.2014 को शेयरधारकों द्वारा अमूर्त और मूर्त रूप में रखे गए शेयरों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:**

	कुल शेयरधारक	कुल शेयर	शेधर धारण का %
<b>अमूर्त</b>			
भारत के राष्ट्रपति	1	63,62,47,049	74.06
एनएसडीएल में अन्य	162483	16,89,91,479	19.67
सीडीएसएल में अन्य	67309	2,90,17,836	3.38
<b>कुल</b>		<b>83,42,56,364</b>	<b>97.11</b>
<b>मूर्त</b>			
अन्य	73254	2,48,62,943	2.89
<b>सकल योग</b>	<b>3,03,047</b>	<b>85,91,19,307</b>	<b>100</b>

### 11.2 वर्ष 2013-14 के दौरान बैंक द्वारा भुगतान किया गया लाभांश :

वर्ष 2013-14 के दौरान बैंक ने वित्तीय वर्ष 2012-13 के संबंध में शेयरधारकों को 25% लाभांश का भुगतान किया. बैंक के निदेशक मंडल ने दिनांक 26.04.2013 को आयोजित मंडल की बैठक में लाभांश के लिए सिफारिश की और दिनांक 28.06.2013 को आयोजित तेरहवीं वार्षिक सामान्य बैठक में उसकी घोषणा की. वार्षिक सामान्य बैठक और वर्ष 2012-13 के लिए अंतिम लाभांश के भुगतान के लिए बही बंद करने के लिए दिनांक 25.06.2013 से 28.06.2013 तक की अवधि निर्धारित की गयी थी. दिनांक 10.07.2013 तक सभी लाभांश वारंटों को प्रेषित किया गया/ईसीएस जमा की गयी.

आगे, बैंक के निदेशक मंडल ने दिनांक 17.04.2014 को आयोजित अपनी मंडल की बैठक में बैंक के इक्विटी शेयरों पर 10% लाभांश घोषित किया है अर्थात् ₹ 1/- प्रति शेयर का लाभांश. लाभांश भुगतान करने का दस्तावेजी दिनांक 29.04.2014 है तथा सभी लाभांश वारंट दिनांक 08.02.2014 को प्रेषित किए गए/ईसीएस जमा किए गए.

### 11.3 बैंक की शेयर पूंजी

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन व अंतरण) अधिनियम 1980 की धारा 3(2ए) के अनुसार केंद्रीय सरकार भारिबैं के साथ परामर्श कर तथा राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा प्राधिकृत पूंजी को जैसा वह उचित समझती है बढ़ा अथवा घटा सकती है और ऐसी बढ़ोत्तरी अथवा कमी के बाद प्राधिकृत पूंजी तीन हजार करोड रुपयों से अधिक अथवा एक हजार पांच सौ करोड रुपयों से कम नहीं होगी.

दि.10.11.2009 की अधिसूचना के ज़रिए भारत सरकार ने बैंक की प्राधिकृत पूंजी ₹ 1,500 करोड से ₹ 3,000 करोड वर्धित किया. तदनुसार, संप्रति बैंक की पूंजी ₹ 3,000 करोड है जिसे ₹ 10/- के 300 करोड पूर्ण प्रदत्त शेयरों में विभाजित किया है.

संप्रति भारत सरकार के पास बैंक की इक्विटी शेयर पूंजी का 74.06% हिस्सा है तथा वह बैंक का प्रमुख शेयरधारक है. तदनुसार, बैंक की मौजूदा प्रदत्त पूंजी निम्नानुसार है :

(₹ करोड)

**प्राधिकृत पूंजी :**

₹ 10/- के 300 करोड शेयर

₹ 3,000.00

**प्रदत्त पूंजी :**

₹ 10/- के 85,91,19,307 इक्विटी शेयर

**कुल प्रदत्त पूंजी**

₹ 859.12

सारणी 1 : यथा 31.03.2014 को शेयर धारण का संवर्गवार संवितरण :



सारणी 1 : यथा 31.03.2014 को शेयर धारण का संवर्गवार संवितरण :

	संवर्ग	धारित शेयरों की संख्या	शेयर धारण का प्रतिशत
ए	प्रवर्तक का धारण		
1.	प्रवर्तक - भारतीय प्रवर्तक (भारत सरकार) - विदेशी प्रवर्तक	63,62,47,049 —	74.06 —
2.	सहमति द्वारा कार्य करने वाले व्यक्ति	—	—
	<b>उप-कुल</b>	<b>63,62,47,049</b>	<b>74.06</b>
बी	गैर-प्रवर्तक का धारण		
3.	संस्थागत निवेशक		
	क) म्यूचुअल फंड व यूटीआई	13,840	0.0016
	ख) बैंक, वित्तीय संस्थाएं, बीमा कंपनियां (केन्द्र/राज्य संस्थाएं/गैर-सरकार संस्थाएं)	6,80,10,958	7.92
	ग) एफआईआई/एफएमएफ	1,73,95,895	2.02
	<b>उप-कुल</b>	<b>8,54,20,693</b>	<b>9.94</b>
सी	अन्य		
	क) निजी कापोरेट निकाय	1,93,89,941	2.25
	ख) भारतीय जनता	11,30,96,649	13.16
	ग) एनआरआई/ओसीबी	34,26,297	0.40
	घ) अन्य कोई (समाशोधन सदस्य व मार्केट मेकर)	15,38,078	0.18
	ड.) विदेशी नागरिक	600	0.0001
	<b>उप-कुल</b>	<b>13,74,51,565</b>	<b>16.00</b>
	<b>सकल योग</b>	<b>85,91,19,307</b>	<b>100.00</b>

सारणी 2 : यथा 31.03.2014 को कुल विदेशी शेयर धारण :

क्रम सं.	विवरण	शेयरों की संख्या	शेयर धारण का प्रतिशत
1	जीडीआर तथा एडीआर धारण	शून्य	शून्य
2	विदेशी प्रवर्तक	शून्य	शून्य
3	विदेशी संस्थागत निवेशक	1,73,95,895	2.02
4	विदेशी म्यूचुअल फंड	शून्य	शून्य
5	एनआरआई	34,26,297	0.40
6	विदेशी बैंक	शून्य	शून्य
7	विदेशी राष्ट्रीय	600	0.0001
	<b>कुल</b>	<b>2,08,22,792</b>	<b>2.42</b>

सारणी 3 : यथा 31.03.2014 को बैंक के 1% से अधिक ईक्विटी शेयर धारण करनेवाले शेयर धारकों की सूची :

क्रम सं.	शेयरधारकों का नाम	धारित शेयरों की संख्या	शेयर धारण का प्रतिशत	संवर्ग
1	भारत के राष्ट्रपति	63,62,47,049	74.06	भारतीय प्रवर्तक
2	भारतीय जीवन बीमा निगम	5,94,74,712	6.92	सरकार द्वारा प्रायोजित वित्तीय संस्था



**11.4 विज़िल ब्लोअर नीति :**

बैंक ने आंतरिक परिपत्रों के जरिए दोहराया है कि, स्टाफ सदस्य, संगठन के संबंध में महत्वपूर्ण रूप से असर करनेवाली वास्तविक सूचनाएं, शिकायत/सुझाव के रूप में उचित माध्यम के जरिए दे सकते हैं. यदि अत्यावश्यक/आपात हो तो हिचकिचाहट/भय बिना समुचित प्राधिकारी के साथ सीधे संपर्क किया जा सकता है. इस तरह स्टाफ सदस्य असली विज़िल ब्लोअर के रूप में प्रभावी ढंग से कार्य कर ऐसा कोई भी विचलन, जिसका सुधार करना है और जो कि संगठन के हित में है, विधिवत रूप से लिखकर व हस्ताक्षर कर प्रबंधन के ध्यान में ला सकते हैं.


**11.5 शेयर बाजार संबंधी आंकड़े**

अप्रैल, 2013 से मार्च 2014 तक एनएसई और बीएसई में मासिक उच्च और निम्न कोटेशन और व्यापार किए गए शेयरों की मात्रा निम्नानुसार है:

**नैशनल स्टॉक एक्सचेंज(एनएसई) ऑफ इंडिया लिमिटेड**

माह	उच्च (₹)	निम्न (₹)	बंद (₹)	समाप्त तारीख	शेयरों के व्यापार की मात्रा	एनएसई निफ्टी
अप्रैल 2013	54.50	46.95	<b>52.55</b>	30.04.2013	28594762	5930.20
मई 2013	56.10	50.85	<b>51.15</b>	31.05.2013	26346070	5985.95
जून 2013	52.60	42.80	<b>44.95</b>	28.06.2013	22850615	5842.20
जुलाई 2013	47.75	38.10	<b>40.20</b>	31.07.2013	35641627	5742.00
अगस्त 2013	40.90	33.35	<b>34.80</b>	30.08.2013	33881828	5471.80
सितंबर 2013	41.40	34.15	<b>35.90</b>	30.09.2013	31283674	5735.30
अक्टूबर 2013	41.55	35.85	<b>41.30</b>	31.10.2013	26580965	6299.15
नवंबर 2013	46.15	37.80	<b>39.40</b>	29.11.2013	43720631	6176.10
दिसंबर 2013	41.45	37.70	<b>39.30</b>	31.12.2013	12981163	6304.00
जनवरी 2014	41.50	36.00	<b>37.00</b>	31.01.2014	12281780	6089.50
फरवरी 2014	38.20	33.50	<b>35.00</b>	28.02.2014	6909876	6276.95
मार्च 2014	40.50	34.80	<b>39.90</b>	31.03.2014	9799316	6704.20

**बैंक का शेयर मूल्य बनाम एनएसई सूचकांक**






### बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड (बीएसई)

माह	उच्च (₹)	निम्न (₹)	बंद (₹)	समाप्त तारीख	शेयरों के व्यापार की मात्रा	एनएसई निफ्टी
अप्रैल 2013	54.40	47.00	<b>52.45</b>	30.04.2013	4509403	19504.18
मई 2013	56.15	50.95	<b>51.15</b>	31.05.2013	4659039	19760.30
जून 2013	52.60	42.80	<b>45.05</b>	28.06.2013	3486399	19395.81
जुलाई 2013	47.75	38.20	<b>40.25</b>	31.07.2013	6124600	19345.70
अगस्त 2013	40.85	33.40	<b>34.75</b>	30.08.2013	4867261	18619.72
सितंबर 2013	41.40	34.25	<b>35.90</b>	30.09.2013	4313350	19379.77
अक्टूबर 2013	41.55	35.90	<b>41.25</b>	31.10.2013	3576322	21164.52
नवंबर 2013	46.10	38.00	<b>39.35</b>	29.11.2013	6894741	20791.93
दिसंबर 2013	41.50	37.85	<b>39.20</b>	31.12.2013	2577348	21170.68
जनवरी 2014	41.50	36.05	<b>37.15</b>	31.01.2014	3117719	20513.85
फरवरी 2014	38.20	33.90	<b>34.85</b>	28.02.2014	1753302	21120.12
मार्च 2014	40.45	34.75	<b>39.75</b>	31.03.2014	2326276	22386.27

### बैंक का शेयर मूल्य बनाम बीएसई सूचकांक





11.6. यथा 31.03.2014 को विजया बैंक के शेयरधारण का मूल्य-वार वितरण

अधिकृत मूल्य के शेयर - ₹	शेयरधारक		शेयर	
	संख्या	प्रतिशत	₹	प्रतिशत
1 से 5000	262767	86.70	419520080.00	4.88
5001 से 10000	25489	8.41	219372540.00	2.55
10001 से 20000	8721	2.87	133495320.00	1.55
20001 से 30000	2212	0.72	56658780.00	0.65
30001 से 40000	1137	0.37	41637100.00	0.48
40001 से 50000	729	0.24	34668990.00	0.40
50001 से 100000	1109	0.36	82268940.00	0.95
100001 व उससे अधिक	883	0.29	7603571320.00	88.50
कुल	303047	100.00	8591193070.00	100.00

वी. कण्णन  
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

के. आर. शेणै  
कार्यकारी निदेशक

बी. एस. रामा राव  
कार्यकारी निदेशक

वी. के. चोपडा  
निदेशक

सुमा वर्मा  
निदेशक

प्रकाश चंद्र नलवाया  
निदेशक

अशोक गुप्ता  
निदेशक

एच. हरीश बल्लाल  
निदेशक

वाई. मुरलीकृष्णा  
निदेशक

एच. नारायण शेट्टी  
महा प्रबंधक

स्थान : बेंगलूरु  
दिनांक : 06.05.2014



## कंपनी शासन के संबंध में लेखा परीक्षकों का प्रमाणपत्र

सेवा में :

विजया बैंक के सदस्य.

हमने, शेयर बाजार के साथ बैंक के सूचीकरण करारनामे के संबंधित खंड 49 में यथा निर्दिष्ट 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए, विजया बैंक द्वारा कंपनी शासन की शर्तों के अनुपालन का परीक्षण किया है.

कंपनी शासन की शर्तों का अनुपालन, प्रबंध वर्ग की जिम्मेदारी है. हमारा परीक्षण, कंपनी शासन की शर्तों का पालन सुनिश्चित करने के लिए बैंक द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं और उसके कार्यान्वयन तक सीमित था. यह न तो लेखा परीक्षा है न ही बैंक के वित्तीय विवरणों पर अभिव्यक्त राय.

हमें दिए गए स्पष्टीकरण के आधार पर, हमारी राय व सर्वोत्तम जानकारी में, बैंक ऊपर उल्लिखित सूचीकरण करारनामे में यथा निर्दिष्ट कंपनी शासन की शर्तों का पालन किया है और भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों का उल्लंघन नहीं हुआ है.

हम यह उल्लेख करते हैं कि शेयरधारकों और निवेशकर्ता शिकायत समिति द्वारा रखे गए और बैंक के रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट द्वारा यथा प्रमाणित, अभिलेखों के अनुसार बैंक के खिलाफ निवेशकर्ता की, अधिकतम एक महीने से अधिक कोई शिकायत लंबित नहीं है.

आगे हम उल्लेख करते हैं कि ऐसा अनुपालन, बैंक की भावी व्यवहार्यता के बारे में न कोई आश्वासन है न ही बैंक का कामकाज चलाने में प्रबंध वर्ग की दक्षता अथवा क्षमता का संकेत है.

कृते मेसर्स मुकुन्द एम चिताले एण्ड कं.

सनदी लेखाकार

पंजीकरण सं.106655डब्ल्यू

(अभय वी.कामत)

साझेदार

सदस्यता सं.039585

कृते मेसर्स कर्मा एण्ड कं.

सनदी लेखाकार

पंजीकरण सं.001749एस

(आर.सुंदर)

साझेदार

सदस्यता सं.014213

कृते मेसर्स एन.सी.मित्तल एण्ड कं.

सनदी लेखाकार

पंजीकरण सं.000237एन

(एन.सी.मित्तल)

साझेदार

सदस्यता सं.14213

कृते मेसर्स केपीएमसी एण्ड एसोसिएट्स

सनदी लेखाकार

पंजीकरण सं.005359सी

(संजय मेहरा)

साझेदार

सदस्यता सं.75488

स्थान : बेंगलूरु

दिनांक : 06.05.2014



### 31 मार्च, 2014 का तुलन-पत्र

विवरण	अनुसूची संख्या	[₹ छोड़ दिया गया है]	
		31.03.2014 की स्थिति	31.03.2013 की स्थिति
<b>पूंजी और देयताएँ</b>			
पूंजी	1	859 11 94	1695 53 91
आरक्षितियां और अधिशेष	2	5028 80 44	3863 11 18
जमाराशियां	3	124296 15 93	97017 23 68
उधार	4	4744 79 86	6391 81 65
अन्य देनदारियां तथा प्रावधान	5	2429 73 11	2014 04 60
<b>जोड़</b>		<b>137358 61 28</b>	<b>110981 75 02</b>
<b>आस्तियां</b>			
भारतीय रिज़र्व बैंक में नकदी और शेष	6	5540 20 76	3917 69 72
बैंकों में शेष और मांग तथा अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि	7	3917 44 83	2727 05 28
विनिधान	8	42585 38 48	31284 96 53
अग्रिम	9	81504 03 21	69765 76 21
अचल आस्तियां	10	528 94 55	476 73 66
अन्य आस्तियां	11	3282 59 45	2809 53 62
<b>जोड़</b>		<b>137358 61 28</b>	<b>110981 75 02</b>
आकस्मिक देयताएं	12	13130 99 95	15114 53 07
वसूली के लिए बिल		2227 43 58	1882 54 50
लेखा नीतियां	17		
लेखों पर टिप्पणियां	18		

ऊपर संदर्भित महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियाँ एवं अनुसूचियाँ तुलन-पत्र का एक अभिन्न भाग बनती हैं.

<b>वी. कण्णन</b> अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	<b>के. आर. शोणै</b> कार्यकारी निदेशक	<b>बी. एस. रामा राव</b> कार्यकारी निदेशक
<b>वी. के. चोपडा</b> निदेशक	<b>सुमा वर्मा</b> निदेशक	<b>प्रकाश चंद्र नलवाया</b> निदेशक
<b>अशोक गुप्ता</b> निदेशक	<b>एच. हरीश बल्लाल</b> निदेशक	<b>वाई. मुरलीकृष्णा</b> निदेशक
<b>एच नारायण शेट्टी</b> महा प्रबंधक		

#### हमारे सम दिनांक की रिपोर्ट के अनुसार

कृते मेसर्स मुकुन्द एम चिताले एण्ड कं. सनदी लेखाकार पंजीकरण सं.106655डब्ल्यू	कृते मेसर्स कर्रा एण्ड कं. सनदी लेखाकार पंजीकरण सं.001749एस	कृते मेसर्स एन.सी.मित्तल एण्ड कं. सनदी लेखाकार पंजीकरण सं.000237एन	कृते मेसर्स केपीएमसी एण्ड एसोसिएट्स सनदी लेखाकार पंजीकरण सं.005359सी
<b>(अभय वी.कामत)</b> साझेदार सदस्यता सं.039585	<b>(आर.सुंदर)</b> साझेदार सदस्यता सं.022448	<b>(एन.सी.मित्तल)</b> साझेदार सदस्यता सं.14213	<b>(संजय मेहरा)</b> साझेदार सदस्यता सं.075488

स्थान : बेंगलूरु  
दिनांक : 06.05.2014





### 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष का लाभ व हानि लेखा

विवरण	अनुसूची संख्या	[रुं छोड़ दिया गया है]	
		31.03.2014 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2013 को समाप्त वर्ष के लिए
<b>I. आय</b>			
अर्जित ब्याज	13	10706 55 69	9051 88 45
अन्य आय	14	709 87 43	606 99 80
<b>जोड़</b>		<b>11416 43 12</b>	<b>9658 88 25</b>
<b>II. व्यय</b>			
व्यय किया गया ब्याज	15	8623 14 76	7173 88 39
प्रचालन व्यय	16	1689 55 33	1362 97 39
उपबंध और आकस्मिक व्यय		687 82 17	536 41 55
<b>जोड़</b>		<b>11000 52 26</b>	<b>9073 27 33</b>
<b>III. लाभ / हानि</b>			
वर्ष के लिए निवल लाभ		415 90 86	585 60 92
जोड़े : आगे लाया गया लाभ		958 98 84	934 97 27
घटाएँ : धारा 36 (1) (viii) के अधीन विशेष आरक्षण पर डीटीएल का सृजन		157 62 10	—
जोड़े : सामान्य आरक्षित से अंतरण		—	15
<b>जोड़</b>		<b>1217 27 60</b>	<b>1520 58 24</b>
<b>IV. विनियोजन</b>			
सांविधि आरक्षित में अंतरण		103 97 72	146 40 23
आय कर अधिनियम की धारा 36 (1) (viii) के अनुसार विशेष आरक्षण में अंतरण		—	90 00 00
पूँजी आरक्षित में अंतरण		13 64 01	60 91 78
सामान्य आरक्षित में अंतरण		—	—
अंतरिम लाभांश (कर सहित)		64 87 06	—
प्रस्तावित लाभांश - ईकिवट शेयर पूँजी (कर सहित)		100 51 27	144 93 90
प्रस्तावित लाभांश अधिमन्य शेयर पूँजी (कर सहित)		—	119 33 49
तुलन पत्र में आगे ले जाया गया शेष		934 27 54	958 98 84
<b>जोड़</b>		<b>1217 27 60</b>	<b>1520 58 24</b>
प्रति शेयर अर्जन - बेसिक	(रु. में)	7.64	9.41
- डाइल्यूटेड	(रु. में)	7.64	9.41
लेखा नीतियां	17		
लेखों पर टिप्पणियां	18		

ऊपर संदर्भित महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां एवं अनुसूचियाँ तुलन-पत्र की एक अभिन्न भाग बनती हैं.

**वी. कण्ठन**  
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

**के. आर. शोणै**  
कार्यकारी निदेशक

**बी. एस. रामा राव**  
कार्यकारी निदेशक

**वी. के. चोपड़ा**  
निदेशक

**सुमा वर्मा**  
निदेशक

**प्रकाश चंद्र नलवाया**  
निदेशक

**अशोक गुप्ता**  
निदेशक

**एच. हरीश बल्लाल**  
निदेशक

**वाई. मुरलीकृष्णा**  
निदेशक

**एच. नारायण शेट्टी**  
महा प्रबंधक

हमारे सम दिनांक की रिपोर्ट के अनुसार

कृते मेसर्स मुकुन्द एम चिताले एण्ड कं.  
सनदी लेखाकार  
पंजीकरण सं. 106655डब्ल्यू

कृते मेसर्स कर्रा एण्ड कं.  
सनदी लेखाकार  
पंजीकरण सं. 001749एस

कृते मेसर्स एन.सी.मिल्लत एण्ड कं.  
सनदी लेखाकार  
पंजीकरण सं. 000237एन

कृते मेसर्स केपीएमसी एण्ड एसोसिएट्स  
सनदी लेखाकार  
पंजीकरण सं. 005359सी

(अभय वी. कामत)  
साझेदार  
सदस्यता सं. 039585

(आर. सुंदर)  
साझेदार  
सदस्यता सं. 022448

(एन.सी. मिल्लत)  
साझेदार  
सदस्यता सं. 14213

(संजय मेहरा)  
साझेदार  
सदस्यता सं. 075488

स्थान : बेंगलूरु  
दिनांक : 06.05.2014



## तुलन पत्र व लाभ हानि लेखा की अनुसूचियाँ

[₹ 000 छोड़ दिया गया है]

विवरण	31.03.2014 की स्थिति	31.03.2013 की स्थिति
<b>अनुसूची - 1 :</b>		
<b>पूंजी</b>		
<b>प्राधिकृत पूंजी</b>	<b>3000 00 00</b>	3000 00 00
प्रति ₹ 10/- के 300,00,00,000 शेयर		
<b>जारी अभिदत्त और मांगी गयी पूंजी</b>		
प्रति ₹ 10/- के 85,91,19,307 इक्विटी शेयर		
(पिछले वर्ष प्रति ₹ 10/- के 49,55,38,994 इक्विटी शेयर)	<b>859 11 94</b>	495 53 91
प्रति ₹ 10/- के 120,00,00,000 शाश्वत गैर-संचयी अधिमान्य शेयर	—	1200 00 00
<b>प्रदत्त पूंजी</b>		
(क) केंद्र सरकार द्वारा धारित प्रति ₹ 10/- के 63,62,47,049 इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष प्रति ₹ 10/- के 27,26,66,736 इक्विटी शेयर)	<b>636 24 71</b>	272 66 68
(ख) सार्वजनिक और अन्य द्वारा धारित प्रति ₹ 10/- के 22,28,72,258 इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष प्रति 22,28,72,258 इक्विटी शेयर)	<b>222 87 23</b>	222 87 23
(ग) (केंद्र सरकार द्वारा धारित प्रति ₹ 10/- के 120,00,00,000 शाश्वत गैर-संचयी अधिमान्य शेयर जो वार्षिक अस्थाई कूपन पर है तथा 100 बेसिस पाईंट के विस्तारण के साथ रिपो दर का बेंचमार्क है व जिसे संगत तारीख को चालू रिपो दर के आधार पर वार्षिक रूप से समायोजित किया जाएगा)	—	1200 00 00
दिसंबर 2014 तिमाही में बैंक ने भारत सरकार को प्रति ₹ 10/- के 5,89,34,464 इक्विटी शेयर, प्रति शेयर ₹ 32.42 प्रीमियम पर जारी किया है. मार्च 2014 में बैंक ने भारत सरकार द्वारा धारित ₹ 1200 करोड़ के शाश्वत गैर-संचयी अधिमान्य शेयर को प्रति ₹ 10/- के अंकित मूल्य के प्रति शेयर ₹ 29.39 प्रीमियम पर इक्विटी शेयर के रूप में परिवर्तित किया है		
<b>जोड़</b>	<b>859 11 94</b>	1695 53 91
<b>अनुसूची - 2 :</b>		
<b>आरक्षितियां और अधिशेष</b>		
<b>I. सांविधिक आरक्षिति</b>		
पिछले तुलन पत्र के अनुसार शेष	<b>1233 74 25</b>	1087 34 02
जोड़ : वर्ष के दौरान परिवर्धन	<b>103 97 71</b>	146 40 23
<b>जोड़</b>	<b>1337 71 96</b>	1233 74 25
<b>II. पूंजी आरक्षिति</b>		
पिछले तुलन पत्र के अनुसार शेष	<b>338 25 45</b>	277 33 67
जोड़ : वर्ष के दौरान परिवर्धन	<b>13 64 01</b>	60 91 78
<b>जोड़</b>	<b>351 89 46</b>	338 25 45
<b>III. शेयर प्रीमियम</b>		
पिछले तुलन पत्र के अनुसार शेष	<b>592 97 88</b>	592 97 88
जोड़ : वर्ष के दौरान परिवर्धन	<b>1086 41 97</b>	—
<b>जोड़</b>	<b>1679 39 85</b>	592 97 88
<b>IV. पुनर्मूल्यांकन आरक्षिति</b>		
पिछले तुलन पत्र के अनुसार शेष	<b>262 62 40</b>	277 52 74
जोड़ : वर्ष के दौरान परिवर्धन	—	—
घटाएं : लाभ - हानि खाते से समायोजित अवमूल्यन के प्रति कटौती	<b>13 63 13</b>	14 90 34
<b>जोड़</b>	<b>248 99 27</b>	262 62 40



[₹ 000 छोड़ दिया गया है]

विवरण	31.03.2014 की स्थिति	31.03.2013 की स्थिति
<b>अनुसूची - 2 : (जारी.....)</b>		
<b>V. राजस्व और अन्य आरक्षितियां</b>		
(क) आय कर अधिनियम की धारा 36(1) (viii) के अनुसार विशेष आरक्षिति पिछले तुलन पत्र के अनुसार शेष जोड़ : वर्ष के दौरान परिवर्धन	463 72 74 —	373 72 74 90 00 00
<b>जोड़</b>	<b>463 72 74</b>	<b>463 72 74</b>
(ख) सामान्य आरक्षिति पिछले तुलन पत्र के अनुसार शेष जोड़/(घटाएँ) : वर्ष के दौरान अंतरण	12 79 62 —	12 79 67 (5)
<b>जोड़</b>	<b>12 79 62</b>	<b>12 79 62</b>
[गि] लाभ-हानि लेखा में शेष राशि	934 27 54	958 98 84
<b>जोड़</b>	<b>934 27 54</b>	<b>958 98 84</b>
<b>जोड़ (क+ख+ग)</b>	<b>1410 79 90</b>	<b>1435 51 20</b>
<b>जोड़ { I+II+III+IV+V }</b>	<b>5028 80 44</b>	<b>3863 11 18</b>
<b>अनुसूची - 3 :</b>		
<b>जमाराशि</b>		
<b>भारत में जमाराशि</b>		
<b>I. मांग जमा</b>		
i) बैंकों से	15 57 53	13 33 37
ii) अन्य से	5881 67 32	5203 10 67
<b>II. बचत बैंक जमाराशियां</b>	<b>16977 97 64</b>	<b>15132 77 32</b>
<b>III. सावधि जमाराशियां</b>		
i) बैंकों से	323 10 63	303 52 66
ii) अन्य से	101097 82 81	76364 49 66
<b>जोड़</b>	<b>124296 15 93</b>	<b>97017 23 68</b>
<b>अनुसूची - 4 :</b>		
<b>उधार</b>		
<b>I. भारत में उधार</b>		
i) भारतीय रिज़र्व बैंक	350 00 00	350 00 00
ii) अन्य बैंक	—	350 00 00
iii) अन्य संस्था और अभिकरण	2644 79 86	4191 54 51



[₹ 000 छोड़ दिया गया है]

विवरण	31.03.2014 की स्थिति	31.03.2013 की स्थिति
<b>अनुसूची - 4 : (जारी.....)</b>		
iv) गौण ऋण - टियर - II पूंजी के रूप में वर्धित बांड		
1) 7.15% की दर से 10 वर्षीय व 3 महीने के बांड 2015	250 00 00	250 00 00
2) 9.25% की दर से 10 वर्षीय बांड 2016	250 00 00	250 00 00
3) 10.10% की दर से 15 वर्षीय बांड 2022	300 00 00	300 00 00
4) 9.50% की दर से 10 वर्षीय व 3 महीने के बांड 2017	200 00 00	200 00 00
5) 9.35% की दर से 10 वर्षीय व 4 महीने के बांड 2018	200 00 00	200 00 00
6) 9.45% की दर से 15 वर्षीय बांड 2023	300 00 00	300 00 00
7) 9.73% की दर से 10 वर्षीय बांड 2023	250 00 00	—
<b>II. भारत से बाहर उधार</b>	—	27 14
<b>जोड़</b>	<b>4744 79 86</b>	<b>6391 81 65</b>
<b>अनुसूची - 5 :</b>		
<b>अन्य देनदारियां व प्रावधान</b>		
(i) देय बिल	417 15 42	386 38 89
(ii) प्रोद्भूत ब्याज	325 22 24	262 08 16
(iii) मानक आस्तियों के प्रति प्रावधान	424 01 53	342 18 53
(iv) अन्य [ प्रावधानों सहित ]	1051 45 13	1023 39 02
(v) अंतर कार्यालय समायोजन [ निवल ]	136 76 30	—
(vi) आस्थगित कर देयता [ निवल ]	75 12 49	—
<b>जोड़</b>	<b>2429 73 11</b>	<b>2014 04 60</b>
<b>अनुसूची - 6 :</b>		
<b>भारतीय रिज़र्व बैंक में नकदी और शेष</b>		
I. हाथ में नकदी ( विदेशी करेंसी नोटों सहित)	373 49 97	417 56 30
II. चालू खाते में भारतीय रिज़र्व बैंक में शेष	5166 68 72	3500 13 42
III. अन्य खातों में भारतीय रिज़र्व बैंक में शेष	2 07	—
<b>जोड़</b>	<b>5540 20 76</b>	<b>3917 69 72</b>
<b>अनुसूची - 7 :</b>		
<b>बैंकों में शेष और मांग तथा अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि</b>		
<b>I. भारत में</b>		
(i) बैंकों में शेष		
(क) चालू खातों में	76 37 89	92 32 25
(ख) अन्य जमा खातों में	63	69
(ii) मांग तथा अल्प सूचना पर प्रतिदेश राशि		
(क) बैंकों के साथ	22 48 13 61	5 19 94 25
(ख) अन्य संस्थाओं के साथ	8 79 43 25	2050 00 00
<b>जोड़</b>	<b>3203 95 38</b>	<b>2662 27 19</b>



[₹ 000 छोड़ दिया गया है]

विवरण	31.03.2014 की स्थिति	31.03.2013 की स्थिति
<b>अनुसूची - 7 : (जारी.....)</b>		
<b>II. भारत के बाहर</b>		
(क) चालू खातों में	97 09 76	16 73 42
(ख) अन्य जमा खातों में	616 39 69	48 04 67
<b>जोड़</b>	<b>713 49 45</b>	<b>64 78 09</b>
<b>जोड़ {I+II}</b>	<b>3917 44 83</b>	<b>2727 05 28</b>
* नॉस्ट्रो प्रतिरूप शेष में असमायोजित मद तथा विचाराधीन राशि शामिल है.		
<b>अनुसूची - 8 :</b>		
<b>विनिधान</b>		
<b>भारत में विनिधान [सकल]</b>	<b>42833 77 92</b>	<b>31504 02 47</b>
घटाएं : अवमूल्यन एवं अनिष्पादक निवेश के लिए प्रावधान	248 39 44	219 05 94
<b>भारत में निवल विनिधान</b>	<b>42585 38 48</b>	<b>31284 96 53</b>
<b>विश्लेषण</b>		
i) सरकारी प्रतिभूतियां	33263 69 52	26061 07 42
ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	2 53 17	3 57 85
iii) शेयर	188 24 54	187 39 58
iv) डिबेंचर और बांड	3710 53 42	1617 48 23
v) सह संस्थाओं में निवेश (ईक्विटी पद्धति पर)	—	1 94 52
vi) अन्य (यूनिट, किसान/ इंदिरा विकास पत्र, नाबार्ड-आरआईडीएफ, पीएसयू जमाराशियां)	5420 37 83	3413 48 93
<b>जोड़</b>	<b>42585 38 48</b>	<b>31284 96 53</b>
<b>अनुसूची - 9 :</b>		
<b>अग्रिम</b>		
[क ] i) खरीदे गए व भुनाए गए बिल	1921 78 92	1752 84 50
ii) नकद उधार, ओवर्ड्राफ्ट और मांग पर दिए ऋण	32786 52 05	31467 31 72
iii) सावधि ऋण	46795 46 45	36545 34 07
iv) कृषि ऋण छूट योजना - 2008 के अधीन प्राप्य दावे	25 79	25 92
<b>जोड़</b>	<b>81504 03 21</b>	<b>69765 76 21</b>
[ख] i) मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत (बही ऋण के प्रति अग्रिम शामिल हैं)	62369 86 51	49692 51 19
ii) बैंक /सरकारी प्रत्याभूतियों द्वारा रक्षित	3732 86 76	5096 16 30
iii) अप्रतिभूत	15401 04 15	14976 82 80
iv) कृषि ऋण छूट योजना - 2008 के अधीन प्राप्य दावे	25 79	25 92
<b>जोड़</b>	<b>81504 03 21</b>	<b>69765 76 21</b>
[ग] भारत में अग्रिम		
i) प्राथमिकता क्षेत्र	22070 55 72	19215 39 11
ii) सार्वजनिक क्षेत्र	15002 61 12	8725 00 42
iii) बैंक	1173 01 69	755 33 01
iv) अन्य	43257 58 89	41069 77 75
v) कृषि ऋण छूट योजना - 2008 के अधीन प्राप्य दावे	25 79	25 92
<b>जोड़</b>	<b>81504 03 21</b>	<b>69765 76 21</b>



[₹ 000 छोड़ दिया गया है]

विवरण	31.03.2014 की स्थिति	31.03.2013 की स्थिति
<b>अनुसूची - 10 :</b>	<b>31.03.2014</b>	<b>31.03.2013</b>
<b>अचल आस्तियां</b>		
<b>I. परिसर</b>		
सकल ब्लाक [लागत पर/पुनर्मूल्यांकित राशि]		
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	591 25 90	591 13 36
वर्ष के दौरान परिवर्धन	16 08 89	12 54
वर्ष के दौरान कटौतियां	—	—
	<b>607 34 79</b>	591 25 90
<b>मूल्यहास</b>		
पिछले तुलन पत्र के अनुसार शेष	263 67 20	245 66 16
जोड़ें : वर्ष के दौरान प्रभारित मूल्यहास	17 05 88	18 01 04
घटाएं : वर्ष के दौरान कटौतियां	—	—
अद्यतन मूल्यहास- पुनर्मूल्यांकन के निमित्त		
21,11,559 हजार रकम सहित (पिछले वर्ष : 19,62,527 हजार)	<b>280 73 08</b>	<b>263 67 20</b>
<b>मूल्यहासित मूल्य</b>	<b>326 61 71</b>	327 58 70
<b>II. अन्य अचल आस्तिया</b>		
[फर्नीचर तथा जुड़नार सहित]		
सकल ब्लॉक (लागत पर)		
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	536 41 76	497 92 68
वर्ष के दौरान परिवर्धन	115 32 31	48 10 36
	<b>651 74 07</b>	546 03 04
वर्ष के दौरान कटौतियां	18 06 26	9 61 28
	<b>633 67 81</b>	536 41 76
<b>मूल्यहास</b>		
पिछले तुलन पत्र के अनुसार शेष	387 26 80	356 45 09
जोड़ें : वर्ष के दौरान प्रभारित मूल्यहास	60 91 88	39 32 76
	<b>448 18 68</b>	395 77 85
घटाएं : वर्ष के दौरान कटौतियां	16 83 71	8 51 05
अद्यतन मूल्यहास	<b>431 34 97</b>	387 26 80
<b>मूल्यहासित मूल्य *</b>	<b>202 32 84</b>	149 14 96
* पिछले वर्ष ₹ 10/- की राशिवाले बट्टागत आस्तियों का डब्ल्यूडीवी शामिल है		
<b>जोड़</b>	<b>528 94 55</b>	476 73 66



[₹ 000 छोड़ दिया गया है]

विवरण	31.03.2014 की स्थिति	31.03.2013 की स्थिति
<b>अनुसूची 11 :</b>		
अन्य आस्तियां		
i. प्रोद्भूत ब्याज	895 61 50	724 65 98
ii. अग्रिम रूप से प्रदत्त /स्रोत पर काटा गया कर (प्रावधान का निवल)	1685 73 94	1505 53 41
iii. आस्थगित कर आस्ति (निवल)	—	14 53 78
iv. लेखन सामग्री और स्टैम्प	1 37 89	86 78
v. दावों की संतुष्टि में प्राप्त की गई गैर बैंकिंग आस्तियां	7 62	7 62
vi. अन्य (प्रावधान का निवल)	580 67 25	286 03 35
vii. अपरिशोधन-ग्रेट्यूटि व पेंशन	119 11 25	238 22 50
viii. अंतर-कार्यालय समायोजन (निवल)	—	39 60 20
<b>जोड़</b>	<b>3282 59 45</b>	<b>2809 53 62</b>
<b>अनुसूची 12 :</b>		
<b>आकस्मिक देयताएं</b>		
i. बैंक के खिलाफ दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है	77 84 56	71 18 37
ii. अंशतः प्रदत्त विनिधानों के लिए देयताएं	—	—
iii. बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के प्रति देयताएं	5098 90 86	7344 57 36
iv. भारत में घटकों की ओर से दी गयी प्रतिभूतियाँ	5210 36 72	4966 19 88
v. प्रति-ग्रहण, पृष्ठांकन और अन्य बाध्यताएं	1403 25 72	1594 63 55
vi. अन्य मदें जिनके लिए बैंक समाश्रित रूप से उत्तरदायी है	1314 50 86	1112 67 46
vii. निष्पादित किए जाने के लिए बाकी पूंजीगत करार	26 11 23	25 26 45
<b>जोड़</b>	<b>13130 99 95</b>	<b>15114 53 07</b>



[₹ 000 छोड़ दिया गया है]

विवरण	31.03.2014 की स्थिति	31.03.2013 की स्थिति
<b>अनुसूची - 13 :</b>		
<b>अर्जित ब्याज</b>		
i. अग्रिमों / बिलों पर ब्याज / बट्टा	7713 61 27	6809 27 79
ii. विनिधानों पर आय	2605 01 89	2158 42 97
iii. भारतीय रिज़र्व बैंक के शेषों और अन्य अंतर बैंक निधियों पर ब्याज	3 04 91	2 77 09
iv. अन्य	384 87 62	81 40 60
<b>जोड़</b>	<b>10706 55 69</b>	<b>9051 88 45</b>
<b>अनुसूची - 14 :</b>		
<b>अन्य आय</b>		
i. कमीशन, विनिमय और दलाली	100 37 54	95 62 79
ii. विनिधानों के विक्रय पर लाभ	234 15 97	160 97 67
घटाएं : विनिधानों के विक्रय से हानि	43 90 98	47 85 86
	<b>190 24 99</b>	<b>113 11 81</b>
iii. विनिधानों के पुनर्मूल्यांकन पर निवल लाभ / (हानि)	—	—
घटाएं : एचटीएम प्रतिभूतियों पर प्रीमियम का परिशोधन	—	—
	—	—
iv. भूमि, भवनों और अन्य आस्तियों के विक्रय पर लाभ	16 79	24 50
घटाएं : भूमि, भवनों और अन्य आस्तियों के विक्रय से हानि	37 62	37 23
	<b>(20 83)</b>	<b>(12 73)</b>
v. विनिमय लेनदेन पर लाभ	69 12 09	61 05 35
घटाएं : विनिमय लेनदेन पर हानि	1 70	1 96
	<b>69 10 39</b>	<b>61 03 39</b>
vi. विविध आय	350 35 34	337 34 54
<b>जोड़ { i+ii+iii+iv+v+vi }</b>	<b>709 87 43</b>	<b>606 99 80</b>
<b>अनुसूची - 15 :</b>		
<b>व्यय किया गया ब्याज</b>		
i. जमाराशियों पर ब्याज	8355 53 12	6848 89 65
ii. भारतीय रिज़र्व बैंक / अंतर बैंक उधारों पर ब्याज	1 32 37	5 58 40
iii. अन्य	266 29 27	319 40 34
<b>जोड़</b>	<b>8623 14 76</b>	<b>7173 88 39</b>





[₹ 000 छोड़ दिया गया है]

विवरण	31.03.2014 की स्थिति	31.03.2013 की स्थिति
<b>अनुसूची - 16 :</b>		
<b>प्रचालन व्यय</b>		
i. कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए व्यवस्था	1039 80 47	848 58 75
ii. किराया, कर और रोशनी	128 12 31	109 71 31
iii. मुद्रण और लेखन सामग्री	13 43 67	10 29 09
iv. विज्ञापन और प्रचार	10 90 49	10 22 31
	<b>31.03.2014</b>	<b>31.03.2013</b>
v. बैंक की संपत्ति पर मूल्यहास घटाएं : पुनर्मूल्यन आरक्षित से समायोजित मूल्यहास	77 77 74	56 36 06
	<b>13 63 12</b>	<b>14 90 33</b>
vi. निदेशकों का शुल्क, भत्ता और व्यय	81 09	83 00
vii. लेखा परीक्षकों के शुल्क और व्यय शाखा लेखा परीक्षकों सहित	15 20 62	10 79 35
viii. विधि प्रभार	63 61	81 48
ix. डाक, तार और टेलिफोन आदि	21 14 62	17 44 78
x. मरम्मत और अनुरक्षण	3 66 03	3 27 03
xi. बीमा	94 70 33	65 70 51
xii. अन्य व्यय	296 97 47	243 84 05
<b>जोड़</b>	<b>1689 55 33</b>	<b>1362 97 39</b>

वी. कण्ठन  
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

के.आर. शोणै  
कार्यकारी निदेशक

बी. एस. रामा राव  
कार्यकारी निदेशक

वी. के. चोपडा  
निदेशक

सुमा वर्मा  
निदेशक

प्रकाश चंद्र नलवाया  
निदेशक

अशोक गुप्ता  
निदेशक

एच. हरीश बल्लाल  
निदेशक

वाई. मुरलीकृष्णा  
निदेशक

एच. नारायण शेटी  
महा प्रबंधक

#### हमारे सम दिनांक की रिपोर्ट के अनुसार

कृते मेसर्स मुकुन्द एम चिताले एण्ड कं.  
सनदी लेखाकार  
पंजीकरण सं. 106655डब्ल्यू

कृते मेसर्स करी एण्ड कं.  
सनदी लेखाकार  
पंजीकरण सं. 001749एस

कृते मेसर्स एन.सी.मिस्तल एण्ड कं.  
सनदी लेखाकार  
पंजीकरण सं. 000237एन

कृते मेसर्स केपीएमसी एण्ड एसोसिएट्स  
सनदी लेखाकार  
पंजीकरण सं. 005359सी

(अभय वी. कामत)  
साझेदार  
सदस्यता सं. 039585

(आर.सुंदर)  
साझेदार  
सदस्यता सं. 022448

(एन.सी.मिस्तल)  
साझेदार  
सदस्यता सं. 14213

(संजय मेहरा)  
साझेदार  
सदस्यता सं. 075488

स्थान : बेंगलूरु

दिनांक : 06.05.2014



## अनुसूची-17

### महत्वपूर्ण लेखा नीतियां 2013-14

#### 1. लेखा परिपाटी :

अन्यथा उल्लिखित बातों को छोड़कर, वित्तीय विवरण, ऐतिहासिक लागत आधार पर तैयार किए गए हैं और वे भारतीय रिजर्व बैंक (भा.रि.बैं.) द्वारा जारी दिशानिर्देशों के साथ पठित लागू लेखा मानक के अनुकूल है तथा जहाँ तक लागू हो, कंपनी(लेखांकन मानक)नियम, 2006 के अनुसार है जो सांविधिक प्रावधानों तथा भारत में बैंकिंग उद्योग में प्रचलित व्यवहार के अनुरूप है।

सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांत के अनुकूल वित्तीय विवरणी तैयार करने के लिए प्रबंधन को रिपोर्ट की गयी आस्तियों की राशि, देयताएं, राजस्व, वित्तीय विवरणियों में व्यय तथा आकस्मिक देयताओं के प्रकटन को प्रभावित करनेवाले अनुमान तथा आकलन करना जरूरी है। प्रबंधन का मानना है कि वित्तीय विवरणियों की तैयारी में प्रयुक्त आकलन विवेकशील तथा उचित है। लेखा आकलन में किसी भी संशोधन को वर्तमान तथा भविष्य के लिए अभिज्ञप्त किया जाता है।

#### 2. विदेशी मुद्रा लेन-देन :

##### (I) एफसीएनआर/ईईएफसी/आरएफसी खातों से भिन्न लेन-देन

(क) दोनों आस्तियों या देयताओं के अंतर्गत भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ विदेशी मुद्रा शेषराशि का बकाया तथा वायदा विनिमय संविदाओं का मूल्यांकन वर्षांत दरों से (एफईडीएआई) द्वारा निर्दिष्टानुसार किया गया है। परिणामी लाभ/हानि को लाभ/हानि खाते के रूप में दर्शाया गया है।

(ख) आय और व्यय मदों को, लेन-देन की तारीखों को विद्यमान विनिमय दरों के अनुसार रखा गया है।

(ग) विदेशी मुद्राओं में जारी गारंटियों और साख पत्रों सहित स्वीकृतियों, पृष्ठांकनों और अन्य बाध्यताओं के निमित्त प्रासंगिक देयतओं का, जिन्हें तुलन-पत्र में दर्शाया गया है, वर्षांत में विद्यमान विनिमय दरों से मूल्यांकन किया गया है।

##### (II) एफसीएनआर/ईईएफसी/आरएफसी खातों से संबंधित लेन-देन :

उचित ब्याज सहित एफसीएनआर/ईईएफसी/आरएफसी खातों में विदेशी मुद्रा जमाराशियों को तथा तदनुकूल आस्तियों को बाजार से जुड़ी हुई काल्पनिक दरों के अनुरूप रखा गया है, जिनकी आवधिक रूप से समीक्षा की जाती है। वर्षांत में आस्ति

व देयताओं को एफडीएआई द्वारा निर्धारित भाव पर पुनर्मूल्योक्त किया जाता है। परिणामी लाभ/ हानि को आय/हानि के रूप में दर्शाया जाता है।

#### 3. विनिधान

##### (I) विनिधान को विनिधान वर्गीकरण व मूल्यांकन पर वर्तमान भारिबैंक के मार्गनिर्देशानुसार लेखांकित किया जाता है तथा निम्न छह समूहों में वर्गीकृत कर तुलन-पत्र में पुनःदर्शाया गया है :

(क) सरकारी प्रतिभूतियां

(ख) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां

(ग) शेयर

(घ) डिबेंचर और बांड

(ङ) अनुषंगी संस्थाओं/संयुक्त उपक्रमों में विनिधान

(च) अन्य (वाणिज्यिक पत्र, म्यूचुअल फंड की यूनितेनाबार्ड-आरआईडीएफ, उद्यम पूंजी निधि आदि)

##### (II) बैंक के विनिधान संविभाग का निम्न तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है :

(क) परिपक्व होने तक रखे गए

(ख) बिक्री के लिए उपलब्ध

(ग) व्यापार के लिए रखे गए

बैंक, अभिग्रहण के समय प्रत्येक की श्रेणी निश्चित कर और उसका तदनुसार वर्गीकरण करता है। अंतरण के दिनांक को अधिग्रहण लागत/ बही मूल्य/बाजार मूल्य की निम्नतम दर पर एक वर्ग से दूसरे वर्ग में प्रतिभूतियों का अंतरण किया जाता है। ऐसे अंतरणों पर यदि कोई मूल्यहास हो तो उसके लिए पूरा प्रावधान किया जाता है एवं तदनुसार प्रतिभूति का बही मूल्य बदल दिया जाता है।

##### (III) मूल्यांकन

###### (क) परिपक्व होने तक रखे गए

(i) इस श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत विनिधानों का मूल्यांकन वर्षांत में अभिग्रहण लागत पर किया गया है परंतु जहां अभिग्रहण लागत अंकित मूल्य से अधिक हो वहां प्रीमियम को स्थिर लाभ प्रणाली के अनुसार अमूर्त किया जाता है।

(ii) अनुषंगी संस्थाओं/संयुक्त उपक्रमों में विनिधान के मामले में, मूल्य में कोई हास होने पर अस्थायी से भिन्न विनिधान को पहचाना गया है और



अलग-अलग रूप से प्रत्येक विनिधान के लिए प्रावधान किया गया है. आरआरबी तथा उद्यम पूंजी निधि में विनिधान का मूल्यांकन अभिग्रहण लागत पर किया गया है.

- (iii) इस श्रेणी में विनिधान के बिक्री पर अर्जित लाभ को पहले लाभ-हानि लेखा में लिया गया है और तदनंतर डूँजीगत आरक्षिति खाते में विनियोजित किया गया है. निवेश की बिक्री पर हुई हानि को लाभ-हानि खाते में दर्शाया गया है.

### (ख) बिक्री के लिए उपलब्ध

क	सरकारी प्रतिभूतियाँ i) केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियाँ	निर्धारित आय मुद्रा बाजार तथा भारतीय व्युत्पन्न संघ (एफआईएमएडीए) द्वारा प्रकाशित बाजार मूल्य/वाईटीएम आवधिक आधार पर
	ii) राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ	एफआईएमएडीए/भा.रि.बैं. मार्गनिर्देशों के अनुसार
ख	केन्द्र/राज्य सरकार पीएसयू बांड द्वारा गारंटी दी गई प्रतिभूतियाँ (अग्रिम के स्वरूप में नहीं)	एफआईएमएडीए/भारिबैंक के मार्गनिर्देशानुसार परिपक्वता आधार पर उचित आय पर
ग	खजाना बिल	दुलाई लागत पर
घ	ईक्विटी शेयर	बाजार मूल्य पर, यदि भाव दिया जाता है, अन्यथा अद्यतन तुलन पत्र (एक वर्ष से अधिक पुराना नहीं) के अनुसार शेयर के विच्छेदित मूल्य पर अन्यथा ₹ 1 प्रति कंपनी की दर से.
ङ	अधिमाम्य शेयर	यदि भाव दिया जाता है तो बाजार मूल्य पर, अन्यथा भारिबैंक/एफआईएमएडीए के मार्गनिर्देशानुसार प्रतिदेय मूल्य से अधिक न होते हुए परिपक्वता आधार पर उचित आय पर. अधिमाम्य शेयरों के मामले में जहां अधिमाम्य लाभांश में बकाया हो, वहां संचित लाभांश के लिए कोई जमा नहीं लिया जाता है और यदि बकाया एक वर्ष अथवा उससे अधिक अवधि के लिए हो तो

		वाईटीएम के अनुसार निर्धारित मूल्य में न्यूनतम 15% बट्टा लगाया जाता है. उपरोक्तानुसार गैर-निष्पादित शेयरों के मामले में जहां लाभांश बकाया हो निर्धारित किए गए मूल्यहास/प्रावधानीकरण आवश्यकताओं को अन्य निष्पादित अधिमाम्य शेयरों के वर्धन के प्रति सेटआफ नहीं किया जाता है.
च	बांड एवं डिबेंचर (अग्रिम के स्वरूप का नहीं)	यदि भाव दिया जाता है तो बाजार मूल्य पर, अन्यथा भारिबैंक/एफआईएमएडीए के मार्ग निर्देशानुसार परिपक्वता आधार के प्रति उचित आय पर
छ	म्यूचुअल फंड की यूनिटें	यदि भाव दिया जाता है तो शेयर बाजार भाव दर पर, यदि भाव नहीं दिया जाता है तो पुनःखरीद मूल्य/एनएवी पर.
ज	वाणिज्यिक कागजात	दुलाई लागत पर.
झ	प्रतिभूति रसीद	आस्ति पुनर्गठन कंपनी द्वारा घोषित आस्ति के निवल आस्ति मूल्य पर.
ञ	उद्यम पूंजी निधि	वीसीएफ द्वारा घोषित निवल आस्ति मूल्य (एनएवी) पर.
ट	अन्य विनिधान	हास मूल्य घटाकर दुलाई लागत पर.

बिक्री के लिए उपलब्ध एवं व्यापार के लिए रखे गए श्रेणी में उपरोक्त मूल्यांकन स्क्रिप आधार पर किया जाता है तथा वर्गीकरण के लिए मूल्यहास/मूल्यवृद्धि का कुल किया जाता है. प्रत्येक वर्गीकरण के लिए मूल्यहास यदि हो तो उसके लिए प्रावधान किया जाता है तथा मूल्यवृद्धि छोड़ दिया जाता है.

निवल आधार पर मूल्यहास के कारण प्रावधान यदि अधिक हो तो पहले उसे लाभ व हानि खाते में लिया जाता है तथा बाद में वर्तमान भा.रि.बैंक मार्गनिर्देशानुसार "निवेश आरक्षिति खाते" में समायोजित किया जाता है.

एएफएस/एचएफटी वर्ग के निवेश की बिक्री पर लाभ/हानि को लाभ व हानि खाते में लिया जाता है.



#### IV. विवेकपूर्ण मानदंड

- (क) (i) केंद्र सरकार की गारंटी सहित प्रतिभूतियों को मूल धन/ब्याज भुगतानों की बकाया राशि पर ध्यान न देते हुए निष्पादक निवेश माने जाते हैं। तथापि, यदि ब्याज 90 दिनों से अधिक अवधि के लिए वसूल नहीं किया जाता है तो उसे केवल नकदी आधार पर आय के रूप में पहचाना जाएगा।
- (ii) प्रतिभूतियां जो राज्य सरकार द्वारा गारंटीकृत हैं, जहाँ मूलधन/ब्याज देय है परन्तु 90 दिनों से अधिक की अवधि के लिए अदा नहीं किए गए हैं, मर्दों को अनुपयोज्य निवेश माने जाते हैं तथा भारतीय रिजर्व बैंक मार्गनिर्देशानुसार प्रावधान किया गया है। आगे, राज्य सरकार द्वारा गारंटी दी गई प्रतिभूतियों के लिए जहाँ मूलधन/ब्याज देय है लेकिन 90 दिनों से अधिक अवधि के लिए प्रदत्त नहीं है, ब्याज को केवल नकद आधार पर पहचाना जाता है।
- (ख) प्रतिभूतियां जो केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/अधिमान्य शेयरों द्वारा गारंटीकृत नहीं है : मूलधन/ब्याज/निर्धारित देय है परन्तु वर्ष के अंत में 90 दिनों से अधिक अवधि के लिए अदा नहीं किए गए हैं, मर्दों को अनुपयोज्य निवेश माने जाते हैं तथा भारतीय रिजर्व बैंक मार्गनिर्देशानुसार प्रावधान किया गया है।
- (ग) डिबेंचरों/बांडों के मामले में जब मूलधन/ब्याज बकाया है, अग्रिमों के मामले में प्रावधान किया गया है।
- (घ) यदि जारीकर्ता द्वारा बैंक से प्राप्त की गई कोई भी ऋण सुविधा गैर निष्पादक बने तो उनके द्वारा किसी प्रतिभूति से किए गए निवेश को अनुपयोज्य निवेश माना जाता है।
- (ङ.) अनुपयोज्य निवेशों के संबंध में मूल्यहास/प्रावधान अपेक्षा अन्य निष्पादक निवेशों के मामले में वृद्धि के प्रति समायोजित नहीं किया गया है।
- (च) ईक्विटी शेयरों के मामले में यदि भा.रि.बैंक के दिशानिर्देशानुसार भावदर या अद्यतन तुलन पत्र की अनुपलब्धता के कारण किसी कंपनी का शेयरों में निवेश के रु.1 की कीमत मानी जाती है तो ऐसे ईक्विटी शेयरों को भी मामले के अनुसार, अनुपयोज्य निवेश माना जाएगा।

(छ) अधिमान्य शेयरों के मामले में जहां अधिमान्य लाभांश में बकाया हो, वहां संचित लाभांश के लिए कोई जमा नहीं लिया जाता है और यदि बकाया एक वर्ष अथवा उससे अधिक अवधि के लिए हो तो वाइटीएम के अनुसार निर्धारित मूल्य में न्यूनतम 15% बट्टा लगाया जाता है। उपरोक्तानुसार गैर-निष्पादित शेयरों के मामले में जहां लाभांश बकाया हो निर्धारित किए गए मूल्यहास/प्रावधानीकरण आवश्यकताओं को अन्य निष्पादित अधिमान्य शेयरों के वर्धन के प्रति सेटआफ नहीं किया जाता है।

#### 4. व्युत्पन्न से संबंधित लेनदेन

व्युत्पन्न करारों को प्रतिरक्षा और व्यापार के रूप में नामोद्दिष्ट कर निम्नानुसार लेखाबद्ध किया गया है:

क. **प्रतिरक्षा विनिमय:** बाजार मूल्य या कम लागत पर या वित्तीय विवरण बाजार मूल्य पर धारित आस्ति या देयता से संबंधित विनिमय को छोड़कर, ब्याज युक्त आस्ति व देयताओं की प्रतिरक्षा हेतु ब्याजदर विनिमय को प्रोद्भवित आधार पर लेखाबद्ध किया गया है। ऐसी स्थिति में विनिमय बाजार को अंकित किया गया है एवं परिणामी लाभ व हानि का नामोद्दिष्ट आस्ति या देयता को बाजार मूल्य के समायोजन के रूप में अभिलिखित किया गया है

समाप्त की गई विनिमय के मामले में, लाभ व हानि को आस्थगित कर, विनिमय की शेष संविदागत अवधि या आस्ति/देयता की अवधि, जो भी कम हो, के अनुसार माना गया है।

ख. **प्रतिरक्षा मर्दों को पुनर्नामित करना :** यदि प्रतिरक्षा मर्दों को एक आस्ति/ देयता मद से दूसरे आस्ति/देयता मद के रूप में पुनर्नामोद्दिष्ट किया जाता है तो, उक्त कार्य को एक प्रतिरक्षा की समाप्ति एवं दूसरे का उपार्जन के रूप में लेखाबद्ध किया जाएगा। पुनर्नामोद्दिष्ट किए जाने की तारीख को विनिमय बाजार को अंकित किया जाता है और विनिमय की शेष अवधि या आस्ति/ देयता की शेष अवधि, जो भी कम हो, के अनुसार बाजार मूल्य के बही में अंकित करने के मूल्य परिशोधित किया जाता है। बाजार मूल्य को बही में अंकित करने के प्रति संतुलन समायोजन को नए रूप से नामोद्दिष्ट आस्ति/देयता की प्रतिरक्षा पर प्राप्त या प्रदत्त प्रीमियम के रूप में माना जाएगा और पुनर्नामोद्दिष्ट आस्ति/देयता की अवधि या विनिमय की शेष अवधि, जो भी कम हो, के अनुसार इनका परिशोधन किया जाएगा।



ग. **व्यापारी विनिमय :** व्यापारी विनिमय के संबंध में बाज़ार मूल्य को बही में अंकित किया जाता है और परिणामी लाभ या हानि को आय विवरण में अभिलेखित किया जाता है। विनिमय की समाप्ति पर प्राप्त लाभ या हानि को तात्कालिक आय या व्यय के रूप में अभिलेखित किया जाता है।

(ख) परिसरों के संबंध में पुनर्मूल्यांकित राशि पर वृद्धिशील मूल्यहास पुनर्मूल्यांकन आरक्षित खाते से समायोजित किया गया है।

## 5. अचल आस्तियां/मूल्यहास

### (I) अचल आस्तियां

(क) बैंक परिसर में शामिल है, पूर्ण स्वमित्ववाली संपत्ति और पट्टा-धृति संपत्ति। खरीदी गई और आबंटित भूमि और भवनों का, करारनामों/आबंटित पत्रों और वास्तविक कब्जों के आधार पर पंजीकरण किया गया है। अन्य अचल आस्तियों को उनके इस्तेमाल की तारीख से पूंजीकृत किया जाता है। मूल्यांकित परिसर और अन्य अचल आस्तियों को छोड़कर परिसर और दूसरे अन्य अचल आस्तियों को उनकी ऐतिहासिक लागत पर दर्शाया गया है। ऐसी अचल आस्तियों को पुनर्मूल्यांकित रकम के आधार पर दर्शाया गया है।

(ख) पट्टे पर /किराए पर ली गई संपत्ति के संबंध में पूंजीगत आस्तियों के अभिग्रहण के लिए किए गए अग्रिम भुगतान को 'अन्य आस्तियों' के अंतर्गत रखा गया है।

### (II) मूल्यहास /परिशोधन

(क) कुछ संपत्तियों की सम्मिश्र लागत सहित जहां भूमि लागत का पृथक्करण करना संभव नहीं है, कंप्यूटरों से भिन्न अचल आस्तियों का इजाजत कर नियमों के अंतर्गत हासमान संतुलन पद्धति के आधार पर निर्धारित दर से मूल्यहास किया गया है। कंप्यूटरों का मूल्यहास, सीधी रेखा पद्धति के आधार पर 33.33% प्र.व. की दर से किया गया है। खरीद के वर्ष में अमूर्त आस्तियों के रूप में माने गए अन्य सॉफ्टवेयर खर्चों को जिसे अमूर्त आस्ति के रूप में माना जाता है, 100% पर परिशोधित किया गया है। वित्तीय वर्ष के दौरान अचल आस्तियों में किए गए जोड़ पर मूल्यहास, निर्धारित मूल्यहास दर के 100% की दर से किया गया है बशर्ते कि वर्ष के दौरान आस्तियों का 180 दिन व उससे अधिक दिनों के लिए उपयोग किया गया हो और निर्धारित मूल्यहास दर के 50% की दर से उपयोग किया गया है बशर्ते कि वर्ष के दौरान आस्तियों का 180 दिनों से कम समय तक उपयोग किया गया हो। बिक्री/निपटान वर्ष में कोई मूल्यहास नहीं किया गया है।

## 6. पट्टे पर दी गई आस्तियां :

लेखाकरण मानक 19 के अनुसार पट्टागत आस्तियों का लेखाकरण किया गया है। गैर-निष्पादक आस्तियों के संबंध में प्रावधान करते समय अग्रिमों के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित आस्तियों के वर्गीकरण से संबंधित मानदंड अपनाए गए हैं।

## 7. गैर-बैंकिंग आस्तियां :

गैर बैंकिंग आस्तियों को उनकी लागत पर दर्शाया गया है।

## 8. अग्रिम:

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशानुसार, अग्रिमों का वर्गीकरण अब तक की गयी वसूलियों को ध्यान में रखते हुए मानक, अवमानक, संदिग्ध तथा हानिपरक आस्तियों के रूप में किया जाता है। गैर-निष्पादक आस्तियों के लिए प्रावधान भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशानुसार किया जाता है।

(क) भारतीय रिज़र्व बैंक के मार्गनिर्देशानुसार, मूल धनराशि/ब्याज की वसूली के आधार पर अग्रिमों का 'निष्पादक', 'अनर्जक' आस्तियों के रूप में वर्गीकरण किया गया है तथा अग्रिमों को 90 दिनों के बकाया रकम अदा करने संबंधी मानदण्डों सहित अनर्जक आस्तियों के रूप में वर्गीकरण किया गया है। राज्य सरकार द्वारा गारंटीकृत अग्रिमों के संबंध में खातों का अनर्जक आस्ति के रूप में वर्गीकृत करने के मामले में गारंटी लागू करने की अपेक्षा को पृथक् कर दिया गया है। अनर्जक आस्तियों को प्रावधान की संगणना करने के लिए अवमानक संदिग्ध और हानि आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

तुलन-पत्र में दर्शाए गए अग्रिम, (अस्थायी प्रावधानों सहित) अनर्जक अग्रिमों, उच्चत ब्याज तथा प्राप्त ईसीजीसी/डीआईसीजीसी, दावों के संबंध में निवल प्रावधान है।

(ख) अग्रिमों में पास श्रु प्रमाणपत्र (पीटीसी) में बैंक की सहभागिता/योगदान तथा/या अन्य बैंकों/वित्तीय संस्थाओं के ऋण आस्तियों के आस्ति समर्थित समनुदेशन जहां बैंक ने जोखिम सहभागी आधार पर कार्य किया है।

(ग) पूर्व वर्षों में बट्टे खाते डाले गए अशोध्य ऋणों के प्रति की गयी वसूली को लाभ व हानि खाते में डाला जाता है।

(घ) उधारकर्ता के वर्तमान स्तर के अनुरूप निष्पादक आस्ति के रूप में



अब तक अपेक्षित नहीं समझे गए लाभ-हानि खाते में किए गए प्रावधान बड़े खाते से वापस लाभ-हानि खाते में डाले जाते हैं।

- (ड.) मानक अग्रिमों पर प्रावधान को “अन्य देयताएं और प्रावधान” के अंतर्गत दर्शाया गया है।
- (च) अग्रिमों पर प्रावधान, भा.रि.बैंक के मार्गनिर्देशों के अनुसार निम्नानुसार किया गया है :

1. **मानक आस्तियां :** वाणिज्यिक स्थावर संपदा क्षेत्र को मानक अग्रिम का 1%, प्रत्यक्ष कृषि और लघु व मझौले उद्यम क्षेत्र के अधीन बकाया निष्पादक अग्रिमों का 0.25%, यथा 31.03.2014 को मानक संवर्ग के अधीन तथा 01.06.2013 से पहले पुनर्संचित खातों के लिए 3.50%, 31.05.2013 के बाद पुनर्संचित मानक संवर्ग के खातों के लिए 5% तथा अन्य सभी बकाया निष्पादक अग्रिमों पर 0.40%.
2. **अवमानक आस्तियां :** बकाया अग्रिमों के 15% की दर से यद्यपि, अव-मानक आस्तियों के मामले में, जिसे प्रारंभ से “अप्रतिभूत निवेश” के रूप में पहचाना गया है के लिए बकाया शेष के 25% का प्रावधान रखा गया है।
3. **संदिग्ध आस्तियां :** जितनी अवधि के लिए आस्तियां संदिग्ध रही हों उसके आधार पर प्रतिभूत अंश के 25% से 100% तक और डीआईसीजीसी योजना के संबंध में वसूल की गयी राशि का और ईसीजीसी योजना के अंतर्गत रक्षित वसूल की गई/करने योग्य गारंटी का निवल निकालने के बाद बकाया शेष राशि के गैर-जमानती अंश का 100%.
4. **हानिपरक आस्तियां :** बकाया अग्रिमों का 100%.

- (छ) **पुनर्संचित/पुनर्निर्धारित खाते :**

पुनर्संचित/पुनर्निर्धारित खातों के संबंध में दि.27.08.2008 के परिपत्र तथा दि.02.07.2012 के मास्टर परिपत्र के जरिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी अग्रिमों की पुनर्संचना के सामान्य ढांचे के अनुसार पुनर्संचित मूल्य के उचित मूल्य में हास को दूर करने के लिए प्रावधान किए गए हैं।

अग्रिमों के उचित मूल्य में हास का परिकलन पुनर्संचना के पूर्व तथा बाद में ऋण के उचित मूल्य के बीच के अंतर से किया जाता है।

पुनर्संचना से पूर्व ऋण के उचित मूल्य का परिकलन पुनर्संचना से पूर्व अग्रिम पर प्रभारित वर्तमान दर पर ब्याज प्रतिफलित करनेवाले नकद प्रवाह के वर्तमान मूल्य तथा मूलधन, पुनर्संचना की तारीख को बैंक के आधार दर के सम दर पर बढ़ागत तथा पुनर्संचना की

तारीख को उधारकर्ता श्रेणी के लिए उचित सावधि प्रीमियम तथा ऋण जोखिम प्रीमियम से किया जाता है।

पुनर्संचना के बाद ऋण के उचित मूल्य का परिकलन पुनर्संचना पर अग्रिम पर प्रभारित दर पर ब्याज प्रतिफलित करनेवाले नकद प्रवाह के वर्तमान मूल्य तथा मूलधन, पुनर्संचना की तारीख को बैंक के आधार दर के सम दर पर बढ़ागत तथा पुनर्संचना की तारीख को उधारकर्ता श्रेणी के लिए उचित सावधि प्रीमियम तथा ऋण जोखिम प्रीमियम से किया जाता है।

उचित मूल्य में हास का प्रत्येक तुलन-पत्र तारीख पर पुनःपरिकलन किया जाता है जबकि सभी चुकौती बाध्यताएं संतोषजनक तरीके से पूरी की जाती है तथा बकाया राशि की पूरी चुकौती की जाती है ताकि आधार दर, सावधि प्रीमियम तथा उधारकर्ता के ऋण संवर्ग में परिवर्तन के कारण उचित मूल्य पर हुए परिवर्तन को शामिल किया जा सके।

पुनर्संचित खातों का वर्गीकरण भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार विशेष वितरण, जहां कहीं भी अनुमत है, सहित किया गया है।

## 9. राजस्व निर्धारण:

नीचे उल्लिखित मामलों को छोड़कर आय को उपचित आधार पर लेखा बद्ध किया गया है :

- (क) अनर्जक आस्तियों के मामले में, भा.रि.बैंक के मार्गनिर्देशों के अनुसार नकदी आधार पर आय का निर्धारण किया गया है। जहां अगर नियमन के रूप में एनपीए खातों की श्रेणी बढ़ाने के लिए वसूली पर्याप्त न हो वहां ऐसी वसूली का सबसे पहले मूल धनराशि /बही शेषराशि के प्रति और बाद में ब्याज संबंधी देयताओं के प्रति विनियोग किया गया है। अनर्जक विनिधान के संबंध में उपर्युक्त लेखाकरण प्रणाली अपनायी जाती है।
- (ख) म्यूचल फंड यूनिटों, बीमा एवं निक्षेपागार सहभागी कारोबार पर कमीशन, व्यापारी बैंकिंग लेनदेन, सामान्य बीमा कारोबार, मुद्रा अंतरण सेवाएं, म्यूचुअल फंड उत्पादों की बिक्री, लॉकर किराया, सरकारी कारोबार पर कमीशन आदि से प्राप्त आय को नकद/ वसूली आधार पर लेखाबद्ध किया जाता है।
- (ग) गैर-निधि आधारित कारोबार से अर्जित कमीशन अर्थात साख पत्र तथा बैंक गारंटियों का परिकलन नकद आधार पर किया जाता है।
- (घ) प्रतिभूतियों पर देय परंतु 90 दिनों के बाद भी अदत्त ब्याज का,



भा.रि.बैंक के मार्गनिर्देश के अनुसार वसूली आधार पर निर्धारण किया गया है.

- (ड) मुकदमा दायर खातों के मामलों में विधि प्रभार लाभ हानि खाते में डाला जाता है. इसी प्रकार ऐसे मुकदमा दायर खातों के मामलों में वसूला गया विधिक व्यय को आय के रूप में लिया जाता है एवं राशि को प्रत्यावर्तित किया जाता है.

## 10. निवल लाभ

निवल लाभ निर्धारित करने से पहले निम्नलिखित किए गए:

- (क) सांविधिक अपेक्षाओं के अनुसार आय कर और धन कर के लिए प्रावधान
- (ख) अग्रिम/विनिधान के लिए प्रावधान
- (ग) विनिधान के मूल्य में समायोजन
- (घ) प्रावधान और आकस्मिक व्यय में अंतरण
- (ड) भारतीय रिज़र्व बैंक के मानदण्डों के अनुसार छः माह से अधिक अवधि के लिए असमायोजित अंतर शाखा लेखों के लिए प्रावधान
- (च) अन्य सामान्य व आवश्यक प्रावधान

## 11. कर्मचारी संबंधी लाभ :

- (क) कर्मचारियों के संबंध में विवाद/समझौते से उत्पन्न होनेवाले दावों का अंतिम निपटान/निर्धारण वर्ष में लेखा किया जाता है.
- (ख) जिन कर्मचारियों ने भविष्य निधि योजना चुनी है, उनके संबंध में बैंक द्वारा भविष्य निधि को मान्यता देने हेतु निर्धारित यथानुपात अंशदान किया जाता है. दूसरों के मामले में, जिन्होंने पेंशन योजना अपनाई है उनके मामले में लेखाकरण मानक 15 के अनुसार, बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पेंशन निधि में अंशदान किया जाता है.
- (ग) उपदान निधि में अंशदान, लेखाकरण मानक 15 के अनुसार बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया गया है.
- (घ) छुट्टी नकदीकरण, साधिका छुट्टी के प्रति देयता लेखा मानक 15 बीमांकिक मूल्यांकन के आधार प्रदान किया जाता है.

**विवरण निम्नानुसार है:**

### दीर्घावधि कर्मचारी लाभ:

दीर्घावधि कर्मचारी लाभ(कर्मचारी की सेवाकाल की अवधि के समापन से बारह माह के अंत में देय लाभ), तथा पद नियोजन लाभ (सेवाकाल के समापन के बाद देय लाभ), परियोजित इकाई ऋण प्रणाली द्वारा वार्षिक

तृतीय पक्ष वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर, बट्टागत आधार पर दिया जाता है. बैंक वास्तविक मूल्यांकन के अनुसार निम्न दीर्घावधि कर्मचारी लाभ प्रदान करता है:

- छुट्टी भुनाना:** प्रत्येक वर्षांत तुलन पत्र तारीख को प्राप्त तृतीय पक्षकार वास्तविक मूल्यांकन पर आधारित संबंधित कर्मचारियों द्वारा सेवा प्रदान की जाती है उस वर्ष में छुट्टी भुनाने के प्रति आस्थगित पात्रता के कारण उपचित देयता के लिए बैंक प्रावधान करता है.
- पेंशन:** प्रत्येक वर्षांत तुलन पत्र तारीख को प्राप्त वास्तविक मूल्यांकन पर आधारित पेंशन के लिए जिन कर्मचारियों ने विकल्प दिया है के कारण उपचित देयता के लिए बैंक प्रावधान करता है.
- ग्रेट्यूटि :** प्रत्येक वर्षांत तुलन पत्र तारीख को प्राप्त वास्तविक मूल्यांकन पर आधारित ग्रेट्यूटि देयता के लिए बैंक प्रावधान करता है.

पेंशन तथा ग्रेट्यूटि अंशदान स्व-व्यवस्थित न्यासों में अंतरित है.

## 12. कराधान के लिए प्रावधान :

कर व्यय में वर्तमान एवं आस्थगित कर शामिल है. वर्तमान आय कर का परिकलन आय कर अधिनियम 1961 के अनुसार कर प्राधिकारियों को भुगतान की जानेवाली अपेक्षित राशि से किया जाता है. आस्थगित आय कर में वर्ष के लिए कर योग्य आय तथा लेखांकन आय के बीच के समय वर्तमान वर्ष के समय अंतराल का प्रभाव तथा पूर्व वर्षों के समय अंतराल का प्रत्यावर्तन प्रतिफलित करता है. आस्थगित कर का परिकलन तुलन पत्र तारीख को अधिनियमित या मूल रूप से अधिनियमित कर दरों तथा कर कानून के आधार पर किया जाता है.

## 13. अनर्जक

प्रत्येक तुलन पत्र में बाह्य/आंतरिक तत्व पर आधारित अनर्जक की कोई सूचना के लिए आस्तियों की ढुलाई गई राशि की समीक्षा की जाती है. जब भी किसी आस्ति की ढुलाई गई राशि अनुमानित वसूली योग्य राशि से अधिक हो तो अनर्जक हानि होती है.

## 14. खंड रिपोर्टिंग :

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी मार्गनिर्देशानुसार बैंक ने निम्नानुसार खंड रिपोर्टिंग शुरू की है.

- खजाना :** जिसमें सभी निवेश संविभाग, निवेशों की बिक्री पर लाभ/हानि, विदेशी विनिमय लेनदेनों पर लाभ/हानि, ईक्विटी, व्युत्पन्न तथा मुद्रा बाजार परिचालनों से आय शामिल है. इस खंड के व्यय में बाह्य स्रोतों व आंतरिक स्रोतों से उधार में लिए गए निधि पर ब्याज व्यय तथा परिपक्व होने तक धारित निवेश श्रेणी पर मूल्यहास/प्रीमियम का परिशोधन शामिल है.
- कॉर्पोरेट/थोक बैंकिंग** में कॉर्पोरेट ग्राहकों से उधार तथा जमाराशि



तथा खंड के अभिज्ञप्त अर्जन तथा व्यय शामिल है।

3. **खुदरा बैंकिंग** में खुदरे ग्राहकों से उधार तथा जमाराशि तथा खंड के अभिज्ञप्त अर्जन तथा व्यय शामिल है।
4. **अन्य बैंकिंग परिचालन** में खजाना, थोक बैंकिंग तथा खुदरा बैंकिंग के अधीन शामिल नहीं किए गए अन्य सभी परिचालन शामिल है।

**15. प्रति शेयर अर्जन :**

प्रति शेयर अर्जन का परिकलन ईक्विटी शेयर धारकों के लिए निर्धारित अवधि के लिए निवल लाभ या हानि (अधिमान्य लाभांश तथा उस पर योग्य कर की कटौती के बाद) का अवधि के दौरान बकाया ईक्विटी शेयर के भारित औसत संख्या से विभाजित करते हुए किया जाता है। प्रति ईक्विटी शेयर कम हुए अर्जन का परिकलन ईक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या तथा वर्षांत में बकाया कम होने वाले संभावित ईक्विटी शेयर से किया जाता है।

**16. आकस्मिक देयताएं तथा प्रावधान :**

1. पूर्व घटना के फलस्वरूप हुए दायित्व के कारण प्रावधान को अभिज्ञप्त किया जाता है। यह एक संभावना है कि दायित्व का निपटान करने के लिए संसाधनों के बाह्य प्रवाह की आवश्यकता है जिसके लिए

विश्वस्त अनुमान लगाया जा सकता है। प्रावधानों का वर्तमान मूल्य से बट्टागत नहीं किया जाता है तथा तुलन पत्र तारीख को दायित्व का निपटान करने के लिए अपेक्षित सर्वोत्कृष्ट अनुमान के आधार पर परिकलन किया जाता है। प्रत्येक तुलन पत्र तारीख को इनकी समीक्षा की जाती है तथा वर्तमान सर्वोत्कृष्ट अनुमान परिलक्षित करने के लिए इनका समायोजन किया जाता है

2. तुलन पत्र की तारीख को सरकारी प्रतिभूतियों तथा अन्य में निपटान हेतु लंबित लेनदेनों को तुलन-पत्र के बाह्य मदों के रूप में आकस्मिक आस्तियों तथा देयताएं शीर्ष के अधीन दर्शाया गया है।

17. नकदी प्रवाह विवरणी में नकदी तथा नकदी समतुल्य राशि में भारतीय रिज़र्व बैंक के पास रखी गयी शेषराशि तथा बैंकों में शेषराशि व मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि शामिल है।

18. बैंक ने विनियामक परिवर्तन सहित, यदि कोई है, के अधीन पिछले वर्षों के समान लेखांकन नीति का पालन किया है।

<b>वी. कण्णन</b> अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	<b>के.आर. शैणै</b> कार्यकारी निदेशक	<b>बी. एस. रामा राव</b> कार्यकारी निदेशक
<b>वी. के. चोपड़ा</b> निदेशक	<b>सुमा वर्मा</b> निदेशक	<b>प्रकाश चंद्र नलवाया</b> निदेशक
<b>अशोक गुप्ता</b> निदेशक	<b>एच. हरीश बल्लाल</b> निदेशक	<b>वाई. मुरलीकृष्णा</b> निदेशक
<b>एच. नारायण शेट्टी</b> महा प्रबंधक		

**हमारे सम दिनांक की रिपोर्ट के अनुसार**

<b>कृते मेसर्स मुकुन्द एम चिताले एण्ड कं.</b> सनदी लेखाकार पंजीकरण सं.106655डब्ल्यू	<b>कृते मेसर्स कर्रा एण्ड कं.</b> सनदी लेखाकार पंजीकरण सं.001749एस	<b>कृते मेसर्स एन.सी.मित्तल एण्ड कं.</b> सनदी लेखाकार पंजीकरण सं.000237एन	<b>कृते मेसर्स केपीएमसी एण्ड एसोसिएट्स</b> सनदी लेखाकार पंजीकरण सं.005359सी
<b>(अभय वी.कामत)</b> साझेदार सदस्यता सं.039585	<b>(आर.सुंदर)</b> साझेदार सदस्यता सं.022448	<b>(एन.सी.मित्तल)</b> साझेदार सदस्यता सं.14213	<b>(संजय मेहरा)</b> साझेदार सदस्यता सं.075488

स्थान : बेंगलूरु  
दिनांक : 06.05.2014





## अनुसूची - 18 : लेखों पर टिप्पणियां

- अंतर शाखा और अन्य लेखों में 31.03.2014 को बकाया प्रविष्टियों का समाधान कर दिया गया है. विदेशी बैंकों और भारतीय रिज़र्व बैंक सहित अंतर शाखा और अंतर बैंक लेखों, ड्राफ्ट लेखों, उचंत लेखों, शाखा समायोजन लेखों, समाशोधन लेन-देन, निधि अंतरण, तार अंतरण, प्रदत्त/प्रदेय लाभांश/ब्याज भुगतान आदेशों से संबंधित शेषराशियां, लेखों आस्तियों के अर्जन हेतु प्रदत्त अग्रिमों आदि में बकाया प्रविष्टियों को हटाने का कार्य 31.12.2013 तक समाप्त हो चुका है तथा शेष अवधि के लिए प्रक्रिया जारी है. बैंक की राय में राजस्व/आस्तियों/देयताओं पर ऊपर उल्लिखित बातों का परिणामी प्रभाव, प्रत्यक्ष रूप से नहीं होगा.
- बैंक द्वारा खरीदे गए कुछ परिसरों के संबंध में जिनकी लागत ₹ 5.43 करोड़ है (पिछले वर्ष ₹ 6.03 करोड़ रुपए) विविध विवाद या अन्य औपचारिकताओं के लंबित होते हुए प्रलेखन/पंजीकरण संबंधी औपचारिकताएं अभी पूरी की जानी है.
- उन शाखाओं के संबंध में जिनकी लेखा परीक्षा नहीं हुई है, संबद्ध शाखाओं द्वारा पेश की गई विवरणियों/अग्रिमों का वर्गीकरण अपनाया गया है.
- ईसीजीसीआई लि. के पास लंबित तथा विचारार्थ प्रेषित ₹ 205.73 करोड़ के दावे भी (पिछले वर्ष ₹ 17.36 करोड़), प्रावधान का परिकलन करने की दृष्टि से वसूली योग्य समझे गए हैं.
- बैंक के पक्ष में निर्णयों को ध्यान में रखते हुए विवादास्पद कर देयताओं के संबंध में प्रबंधन द्वारा किए गए प्रावधानों को छोड़कर किसी अन्य प्रावधान को आवश्यक नहीं समझा गया है. आगे, प्राप्त विधिक मत के आधार पर आयकर अधिनियम के अधीन कुछ दावों के संबंध में कर प्रावधानों का परिकलन करते समय कुछ कटौतियों पर विचार किया गया है.
- भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी मार्गनिर्देशों के अनुसार निम्नलिखित प्रकटन किए जाते हैं :

### i) पूंजी

(₹ करोड़ों में)

क्रम सं.	मद	31.03.2014	31.03.2013
1.	सीआरएआर (%)		
	बेसल II	10.97	11.32
	बेसल III	10.56	—
2.	सीआरएआर - टियर I पूंजी (%)		
	बेसल II	8.30	8.54
	बेसल III	8.12	—
3.	सीआरएआर - टियर II पूंजी (%)		
	बेसल II	2.67	2.78
	बेसल III	2.44	—

क्रम सं.	मद	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
i)	सामान्य ईक्विटी टियर 1 पूंजी अनुपात (%)	8.12%	—
ii)	टियर 1 पूंजी अनुपात (%)	—	—
iii)	टियर 2 पूंजी अनुपात (%)	2.44%	—
iv)	कुल पूंजी अनुपात (सीआरएआर) (%)	10.56%	—
v)	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में भारत सरकार की शेयरधारिता की प्रतिशतता	74.06%	55.02%
vi)	जुटाए गए ईक्विटी पूंजी की राशि (₹. करोड़ों में) मद सं 10 का संदर्भ लें	363.58	शून्य
vii)	जुटाए गए अतिरिक्त टियर 1 पूंजी की राशि जिनमें से	शून्य	शून्य
	पीएनसीपीएस :		
	पीडीआई :		
	जुटाए गए टियर 2 पूंजी की राशि जिनमें से	250.00	शून्य
	ऋण पूंजी लिखत (₹. करोड़ों में) :	शून्य	शून्य
	अधिमानी शेयर पूंजी लिखत : [(शाश्वत संचयी अधिमानी शेयर (पीसीपीएस)/प्रतदेय गैर-संचयी अधिमानी शेयर (आरएनसीपीएस)/प्रतिदेय संचयी अधिमानी शेयर (आरसीपीएस)]		



ii) निवेश

(₹ करोड़ों में)

क्रम सं.	मद	31.03.2014	31.03.2013
1.	निवेश का मूल्य		
	निवेश का सकल मूल्य	42833.78*	31504.02
	भारत में	42833.78*	31504.02
	भारत के बाहर	शून्य	शून्य
	मूल्यहास तथा एनपीआई के लिए प्रावधान (गैर-निष्पादक निवेश)	248.39	219.06
	भारत में	248.39**	219.06
	भारत के बाहर	शून्य	शून्य
	निवेश का निवल मूल्य	42585.38	31284.96
	भारत में	42585.38	31284.96
	भारत के बाहर	शून्य	शून्य
2.	निवेश पर मूल्यहास के प्रति धारित प्रावधानों का उतार-चढ़ाव		
	अथशेष	207.79	285.03
	जोड़ : i) वर्ष के दौरान किया गया प्रावधान	0.00	0.00
	ii) निवेशों के शिफ्टिंग में कमी	77.08	27.89
	घटाएं : बट्टे खाते डालना	48.94	105.13
	इति शेष	235.93	207.79

\* यथा 31.03.2014 को ₹ 575.00 करोड़ (पिछला वर्ष ₹ 2000.00 करोड़) का बकाया एलएफ रिपो तथा ₹ 450.00 करोड़ (पिछला वर्ष ₹ 800.00 करोड़) का बकाया एमएसएफ सहित

\*\* एनपीआई के ₹ 12.47 करोड़ (पिछला वर्ष ₹ 11.27 करोड़) के प्रावधान सहित

“बैंक के निवेश संवभाग-वर्गीकरण, मूल्यांकन व प्रावधानीकरण” पर भा.रि.बैं. परिपत्र डीबीओडी.बीपी/बीसी.सं.41/21.04.141/2013-14 दि.23.08.2013 में अन्य बातों के साथ-साथ बैंकों को पूरे बिक्री हेतु उपलब्ध (एएसएफ) तथा व्यापार हेतु धारित (एचएफटी) संविभागों पर, चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 में प्रत्येक मूल्यांकन दिनांक पर, समान किस्तों में निवल मूल्यहास लगाने का विकल्प दिया गया है. यथा 31.03.2014 को एएसएफ तथा एचएफटी संविभागों पर मूल्यहास लगाने का पूरा अधिकार बैंक को प्रदान किया गया है.

iii) रिपो लेनदन के विवरण (एलएफ रिपो के अधीन भा.रि.बैंक से प्राप्त सहित) निम्नानुसार है :

(₹ करोड़ों में)

व्यौरे	वर्ष के दौरान बकाया			31.03.2014 को
	न्यूनतम	अधिकतम	दैनिक औसत	
रिपो के अंतर्गत बेची गई प्रतिभूतियां				
1) सरकारी प्रतिभूतियां	शून्य	2800.00	634.08	1025.00
2) कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
रिवर्स रिपो के अंतर्गत खरीदी गई प्रतिभूतियां				
1) सरकारी प्रतिभूतियां	शून्य	14981.99	3224.50	879.43
2) कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य



## रिपो लेनदन 31.03.2013 (पिछले वर्ष)

(₹ करोड़ों में)

व्यौरे	वर्ष के दौरान बकाया			31.03.2014 को
	न्यूनतम	अधिकतम	दैनिक औसत	
रिपो के अंतर्गत बेची गई प्रतिभूतियां				
1) सरकारी प्रतिभूतियां	शून्य	3100.00	436.82	2800.00#
2) कार्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
रिवर्स रिपो के अंतर्गत खरीदी गई प्रतिभूतियां				
1) सरकारी प्रतिभूतियां	शून्य	2050.00	27.05	2050.00
2) कार्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

# यथा 31.03.2013 को भा.रि.बैं. से सीमांत स्थाई सुविधा (एमएसएफ) के अधीन ₹ 800.00 करोड उधार लिया गया.

## iv) गैर-एसएलआर निवेश संविभाग

गैर-एसएलआर निवेश की जारीकर्ता संरचना - 31.03.2014

(₹ करोड़ों में)

क्रम सं.	जारीकर्ता	राशि	असार्वजनिक नियोजन की सीमा	निवेश श्रेणी से निम्न प्रतिभूतियों की सीमा	"श्रेणी रहित" प्रतिभूतियों की सीमा***	"सूची रहित" प्रतिभूतियों की सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(i)	पीएसयू	2749.58	2684.07	2313.72	177.10	0.00
(ii)	वित्तीय संस्थाएँ **	4358.21	675.06	50.50	3683.14	50.50
(iii)	बैंक	1919.17	209.93	25.00	53.56	0.00
(iv)	निजी कंपनी	355.11	226.60	162.23	112.01	
(v)	अनुषंगी/संयुक्त उपक्रम	0.00	0.00	0.00	0.00	32.67
(vi)	अन्य	132.10	15.83	0.00	132.10	
(vii)	मूल्यहास/एनपीआई के प्रति धारित प्रावधान	195.02	X X X	X X X	X X X	X X X
	कुल	9319.15	3811.49	2551.45	4157.91	83.17

## नोट :

उपरोक्त कॉलम 4, 5, 6 तथा 7 के अधीन रिपोर्ट की गयी राशि परस्पर अनन्य नहीं हो सकती हैं.

\*\* में आरआईडीएफ के अधीन ₹ 3615.57 करोड का निवेश भी शामिल है.

गैर-एसएलआर निवेश की जारीकर्ता संरचना - 31.03.2013

(₹ करोड़ों में)

क्रम सं.	जारीकर्ता	राशि	असार्वजनिक नियोजन की सीमा	निवेश श्रेणी से निम्न प्रतिभूतियों की सीमा	"श्रेणी रहित" प्रतिभूतियों की सीमा***	"सूची रहित" प्रतिभूतियों की सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(i)	पीएसयू	585.55	549.46	-	-	-
(ii)	वित्तीय संस्थाएँ **	3,279.39	3,216.72	60.00	-	55.50
(iii)	बैंक	754.66	256.03	10.00	-	-
(iv)	निजी कंपनी	428.79	347.16	130.89	13.77	37.79
(v)	अनुषंगी/संयुक्त उपक्रम	8.06	8.06	-	-	-
(vi)	अन्य	382.69	306.05	26.40	4.82	-
(vii)	मूल्यहास/एनपीआई के प्रति धारित प्रावधान	(218.84)	X X X	X X X	X X X	X X X
	कुल *	5,220.30	4683.48	227.29	18.59	93.29

## नोट :

\* उपरोक्त कॉलम 4,5,6 तथा 7 के अधीन रिपोर्ट की गयी राशि परस्पर अनन्य नहीं हो सकती हैं.

\*\* में आरआईडीएफ के अधीन ₹ 2795.40 करोड का निवेश भी शामिल है.



v) क) गैर निष्पादक गैर-एसएलआर निवेश

(₹ करोड़ों में)

ब्यौरे	राशि 31.03.2014	राशि 31.03.2013
अथशेष	11.27	17.50
वर्ष के दौरान परिवर्धन	5.85	0.00
उपरोक्त अवधि के दौरान कटौती	0.00	6.23
इतिशेष	17.12	11.27
कुल धारित प्रावधान	12.47	11.27

b) ख) गैर-निष्पादक विनिधान के लिए प्रावधान में उतार-चढ़ाव

(₹ करोड़ों में)

ब्यौरे	31.03.2014	31.03.2013
अथशेष	11.27	12.36
जोड़ : वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	1.20	0.00
घटाएँ : अधिक प्रावधान को बढ़े खाते डालना/पुनरांकन करना	0.00	1.09
इतिशेष	12.47	11.27

vi) व्युत्पन्न :

क) वायदा दर करार/ब्याज दर स्वैप

(₹ करोड़ों में)

	ब्यौरे	31.03.2014	31.03.2013
क.	स्वैप करार के आनुमानिक मूल धनराशि	शून्य	150.00
ख.	इन करारों के अधीन यदि प्रतिपार्टियां अपनी दायित्वों को नहीं निभाते हैं तो होनेवाली हानि	शून्य	0.69
ग.	स्वैप में प्रवेश करने के लिए बैंक को आवश्यक संपार्श्विक	शून्य	शून्य
घ.	स्वैप से उत्पन्न होनेवाले ऋण जोखिम का केंद्रीकरण	शून्य	शून्य
ड.	स्वैप बही का उचित मूल्य	शून्य	0.02

1) ब्याज दर स्वैप, आस्ति/देयताओं पर ब्याज दर जोखिम की रक्षा और व्यापार के उद्देश्य से की गयी थी.

2) स्वैप की शर्तें स्थिर ब्याज दर की तुलना में अस्थिर ब्याज दर तथा अस्थिर ब्याज दर की तुलना में स्थिर ब्याज दर प्राप्त करने के लिए है.

3) स्वैप के लिए प्रतिपक्षी पार्टी बैंक है और प्रत्येक बैंक की जोखिम निहित ऋण, अनुमोदित ऋण जोखिम सीमा के अंदर है.

ख) विनिमय से ब्याज दर व्युत्पन्न

(₹ करोड़ों में)

	ब्यौरे	31.03.2014	31.03.2013
(i)	वर्ष के दौरान आनुमानिक मूल धनराशि के विनिमय से व्युत्पन्न ब्याज दर (प्रपत्र-वार)	शून्य	शून्य
(ii)	31 मार्च 2014 को आनुमानिक मूल धनराशि के विनिमय से व्युत्पन्न किया ब्याज दर(प्रपत्र-वार)	शून्य	शून्य
(iii)	आनुमानिक मूल धनराशि के विनिमय से व्युत्पन्न किया ब्याज दर व 'अधिक प्रभावी' नहीं है (प्रपत्र-वार)	शून्य	शून्य
(iv)	विनिमय के बाज़ार मूल्य से व्युत्पन्न बकाया ब्याज दर व जो 'अधिक प्रभावी' नहीं है(प्रपत्र-वार)	शून्य	शून्य



### vii) व्युत्पन्न में जोखिम जानकारी पर प्रकटीकरण

#### क) गुणात्मक प्रकटीकरण :

बैंक ने मंडल द्वारा विधिवत अनुमोदित और भा.रि. बैंक के मार्गनिर्देशों के अनुरूप जोखिम प्रतिरक्षा, व्यापार तथा ग्राहक सेवा के लिए व्युत्पन्न लेनदेन करने के लिए एक व्यापक व्युत्पन्न नीति तैयार की है. नीति में व्युत्पन्न लेनदेन के लिए समुचित सीमा सहित प्रकार, दायरा और प्रयोग संबंधी दिशानिर्देश दिए गए हैं. परिचालनात्मक दक्षता और जोखिम संबंधी चूक को मद्दे नज़र रखते हुए व्युत्पन्न कार्य फ्रंट आफिस, मिड आफिस और बैक आफिस में वर्गीकृत किया गया है तथा प्रत्येक का संविभाग स्पष्ट निर्धारित है. नीति के अनुसार प्रभावी निष्पादन के लिए प्रतिरक्षा व्युत्पन्न पर निरंतर निगरानी रखी जाती है और जोखिम कम करने के लिए सुधारात्मक उपाय किए जाते हैं.

#### ख) परिमाणात्मक प्रकटीकरण

(₹ करोड़ों में)

क्रम सं.	व्यौरे	मुद्रा व्युत्पन्न	व्याज दर व्युत्पन्न
i)	व्युत्पन्न (आनुमानिक मूल राशि)		
	क) प्रतिरक्षा के लिए	शून्य	शून्य
	ख) व्यापार के लिए	शून्य	शून्य
ii)	बाजार स्थिति में अंकित (1)		
	क) आस्ति (+)	शून्य	शून्य
	ख) देयता (-)	शून्य	शून्य
iii)	ऋण जोखिम (2)	शून्य	शून्य
iv)	व्याज दर में 1% परिवर्तन होने पर संभावित प्रभाव (100 * पीवी 01)		
	क) प्रतिरक्षा व्युत्पन्न पर	शून्य	शून्य
	ख) व्यापार व्युत्पन्न पर	शून्य	शून्य
v)	वर्ष के दौरान पायी गयी अधिकतम व न्यूनतम 100 * पीवी 01		
	क) प्रतिरक्षा पर - अधिकतम	शून्य	शून्य
	- न्यूनतम	शून्य	शून्य
	ख) व्यापार पर - अधिकतम	शून्य	शून्य
	- न्यूनतम	शून्य	शून्य

### viii) आस्ति गुणवत्ता

#### क) गैर निषादक आस्ति

(₹ करोड़ों में)

क्रम सं.	व्यौरे	31.03.2014	31.03.2013
(i)	निवल अग्रिमों के प्रति निवल गै.नि.आ. (%)	1.55	1.30
(ii)	गै.नि.आ. का आवाजाही (सकल)		
	अथशेष	1532.94	1718.46
	वर्ष के दौरान परिवर्धन	2173.87	1601.42
	वर्ष के दौरान हुई कमी	1720.95	1786.94
	इतिशेष	1985.86	1532.94



क्रम सं.	व्यौरे	31.03.2014	31.03.2013
(iii)	निवल गै.नि.आ. में आवाजाही		
	अथशेष	909.69	998.01
	वर्ष के दौरान परिवर्धन/कमी	352.68	(88.32)
	इतिशेष	1262.37	909.69
(iv)	गै.नि.आ. के लिए प्रावधान का आवाजाही*		
	अथशेष	619.24	716.19
	वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	400.29	437.80
	बट्टा खाता डालना	309.61	534.75
	इतिशेष	709.92	619.24

(\* मानक आस्तियों पर प्रावधान को छोड़कर व अस्थिर प्रावधान को जोड़ कर)

ख) पुनर्संरचना हेतु ऋण आस्तियों के विवरण

(₹ करोड़ों में)

क्रम सं.	व्यौरे	31.03.2014	31.03.2013
क.	पुनर्संरचना, पुनर्व्यवस्था, पुनःबातचीत हेतु ऋण आस्तियों की कुल राशि	4234.51	4635.71
	उनमें से सीडीआर के अधीन	1505.42	920.91
ख.	पुनर्संरचना, पुनर्व्यवस्था, पुनःबातचीत हेतु मानक आस्तियों की राशि	3979.17	4233.47
	उनमें से सीडीआर के अधीन	1381.38	920.91
ग.	पुनर्संरचना, पुनर्व्यवस्था, पुनःबातचीत हेतु अवमानक आस्तियों की राशि	71.71	112.10
	उनमें से सीडीआर के अधीन	52.73	शून्य
घ.	पुनर्संरचना, पुनर्व्यवस्था, पुनःबातचीत हेतु संदिग्ध आस्तियों की राशि *	183.63	290.14
	उनमें से सीडीआर के अधीन	71.31	शून्य
	नोट: (क = ख + ग + घ)		

एसएमई खातों के लिए ऋण पुनर्संरचना		(₹ करोड़ों में)	
		31.03.2014	31.03.2013
क	पुनर्संरचना के अधीन एसएमई की आस्तियों की कुल राशि (ख + ग + घ)	115.03	123.75
ख	पुनर्संरचना के अधीन एसएमई की मानक आस्तियों की राशि	31.67	56.72
ग	पुनर्संरचना के अधीन एसएमई की अवमानक आस्तियों की राशि	8.39	1.54
घ	पुनर्संरचना के अधीन एसएमई की संदिग्ध आस्तियों की राशि *	74.97	65.49

## ग) पुनर्संचित खातों के विवरण

(₹ करोड़ों में)

क्रम सं.	विवरण	सीडीआर तंत्र के अधीन (भाग ग)					एसएमई ऋण पुनर्संचना तंत्र के अधीन					अन्य (भाग क व ख)					कुल					
		मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल	
1	यथा 01.04.2014 को पुनर्संचित खाते (31 मार्च 2010 से पहले पुनर्संचित खातों को छोड़कर)	उधारकर्ताओं की सं.	27	0	2	0	29	29	85	1436	182	1732	2860	416	2982	169	6427	2916	501	4420	351	8188
		बकाया राशि	824.93	0	26.24	0	851.17	15.44	1.55	14.32	51.16	82.47	3173.51	96.63	192.85	5.56	3468.55	4013.88	98.18	233.41	56.72	4402.19
		उस पर प्रावधान (आर्थिक हानि)	(74.53)	0	0	0	(74.53)	(1.3)	0	0	0	(1.3)	(24.09)	(0.1)	(0.58)	(0.08)	(24.85)	(99.92)	(0.1)	(0.58)	(0.08)	(100.68)
2	वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान नए सिरे से पुनर्संचना	उधारकर्ताओं की सं.	13	0	9	0	22	26	1	8	0	35	614	22	5	0	641	653	23	22	0	698
		बकाया राशि	417.47	0	41.68	0	459.15	10.99	0	9.23	0	20.22	849.78	0.16	0	0	849.94	1278.24	0.16	50.91	0	1329.31
		उस पर प्रावधान	57.88	0	4.71	0	62.59	0.15	0	0.07	0	0.22	6.63	0	0	0	6.63	64.66	0	4.78	0	69.44
3	वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान पुनर्संचित मानक संवर्ग में उन्नयन	उधारकर्ताओं की सं.	0	0	0	0	0	2	6	25	0	33	43	18	3	0	64	45	24	28	0	97
		बकाया राशि	0	0	0	0	0	3.21	0.2	1.8	0	5.21	34.55	26.04	12.15	0	72.74	37.76	26.24	13.95	0	77.95
		उस पर प्रावधान	0	0	0	0	0.00	0.00	0.01	0.17	0.00	0.18	22.05	0.73	0.29	0.00	23.07	22.05	0.74	0.46	0.00	23.25
4	पुनर्संचित मानक अग्रिमों जो वित्तीय वर्ष 2014 के अंत तक अधिक प्रावधान तथा/या अतिरिक्त जोखिम भार आकर्षित न करता है और इसलिए अगले वित्तीय वर्ष 2014-15 के प्रारंभ में पुनर्संचित मानक अग्रिमों के रूप में दर्शाने की आवश्यकता नहीं है (31 मार्च 2011 से पहले पुनर्संचित खाते)	उधारकर्ताओं की सं.	10	0	0	0	10	272	0	0	0	272	2626	0	0	0	2626.00	2908	0	0	0	2908
		बकाया राशि	287.51	0	0	0	287.51	17.26	0	0	0	17.26	1154.55	0	0	0	1154.55	1459.32	0	0	0	1459.32
		उस पर प्रावधान	62.46	0	0	0	62.46	0.13	0	0	0	0.13	17.78	0	0	0	17.78	80.37	0	0	0	80.37
5	वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान पुनर्संचित खातों का अवनयन	उधारकर्ताओं की सं.	0	1	0	0	1	5	11	2	0	18	23	30	17	1	71.00	28	42	19	1	90.00
		बकाया राशि	0	3.39	0	0	3.39	0.33	0.621	0.01	0	0.961	66.56	2.737	0.39	0.03	69.72	66.89	6.748	0.4	0.03	74.07
		उस पर प्रावधान	0	0.97	0	0	0.97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.97	0	0	0.97
6	वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान पुनर्संचित खातों का बड़े खाते डालना	उधारकर्ताओं की सं.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00
		बकाया राशि	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00
7	यथा वित्तीय वर्ष 31.03.2014 को पुनर्संचित खाते	उधारकर्ताओं की सं.	30	0	11	0	41	(220)	0	0	0	(220)	914	0	0	0	914.00	724	0	11	0	735.00
		बकाया राशि	954.89	0	67.92	0	1022.81	12.05	0	0	0	12.05	2969.85	0	0	0	2969.85	3936.79	0	67.92	0	4004.71
		उस पर प्रावधान	(79.11)	(0.97)	4.71	0	(75.37)	(1.28)	0.01	0.24	0	(1.03)	(13.19)	0.63	(0.29)	(0.08)	(12.85)	(93.58)	(0.33)	4.66	(0.08)	(89.25)





घ) भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 27 अगस्त, 2008 के विवेकपूर्ण दिशानिर्देशों तथा इस संबंध में समय-समय पर जारी स्पष्टीकरण/दिशानिर्देशों के अधीन पुनर्संरचित अग्रिमों के मामले में बैंक ने, अग्रिमों के उचित मूल्य पर मूल्यहास के लिए ₹84.42 करोड़ (पिछले वर्ष के ₹ 81.36 करोड़) की राशि का प्रावधान किया है, बैंक की राय में इस प्रकार की संरचना, ऐसे पुनर्संरचित अग्रिमों पर ब्याज दर के उर्ध्वमुखी संशोधन को ध्यान में रखते हुए पर्याप्त है. कथित परिपत्र में पुनर्संरचना के लिए निहित शर्तों का पूर्ण अनुपालन किया जा रहा है.

ड.) **आस्ति पुनर्संरचना के लिए प्रतिभूतिकरण कंपनी/पुनर्संरचना कंपनी को बेची गयी आस्तियों के विवरण** (₹ करोड़ों में)

क्रम सं.	विवरण	31.03.2014	31.03.2013
01	खातों की संख्या	9	शून्य
02	प्र.कं./पु.कं. को बेचे गए खातों का कुल मूल्य (प्रावधानों का निवल)	37.68	शून्य
03	कुल प्रतिफल	110.36	शून्य
04	पिछले वर्षों में अंतरित खातों के संबंध में प्राप्त अतिरिक्त प्रतिफल	शून्य	शून्य
05	निवल बही मूल्य पर कुल लाभ/हानि	72.68	शून्य

च) **खरीदे/बेचे गए अनिष्पादक आस्तियों के विवरण**

i) **खरीदे गए अनिष्पादक वित्तीय आस्तियों के विवरण** (₹ करोड़ों में)

विवरण	31.03.2014	31.03.2013
1. (क) वर्ष के दौरान खरीदे गए खातों की संख्या	शून्य	शून्य
(ख) कुल बकाया	शून्य	शून्य
2. (क) इसमें से वर्ष के दौरान पुनर्गठित खाते	शून्य	शून्य
(ख) कुल बकाया	शून्य	शून्य

ii) **बिक्री किए गए अनिष्पादक वित्तीय आस्तियों के विवरण** (₹ करोड़ों में)

विवरण	31.03.2014	31.03.2013
1. बिक्री किए गए खातों की संख्या	9	शून्य
2. कुल बकाया	83.34	शून्य
3. प्राप्त कुल प्रतिफल	110.36	शून्य

छ) **मानक आस्तियों के प्रति प्रावधान** (₹ करोड़ों में)

विवरण	31.03.2014	31.03.2013
मानक आस्तियों के प्रति प्रावधान	424.02	342.19
कुल	424.02	342.19

ज) **कारोबार अनुपात** (₹ करोड़ों में)

विवरण	31.03.2014	31.03.2013
कार्यकारी निधि प्रतिशत के रूप में ब्याज आय	9.08%	9.27%
गैर-ब्याज आय कार्यकारी निधि प्रतिशत के रूप	0.60%	0.62%
परिचालनात्मक लाभ कार्यकारी निधि प्रतिशत के रूप में	0.94%	1.15%
औसत आस्तियों पर प्राप्तियां	0.35%	0.59%
प्रति कर्मचारी औसत कारोबार (जमाराशियां + अग्रिम)	13.82	12.40
प्रति कर्मचारी निवल लाभ	0.03	0.05





ix) आस्ति देयता प्रबंधन : आस्तियों और देयताओं की कुछ मदों की परिपक्वता का स्वरूप :

(₹ करोड़ों में)

	1 दिन	2-7 दिन	8-14 दिन	15-28 दिन	29 दिनों सं 3 महीने	3 महीनों से अधिक व 6 महीनों तक	6 महीनों से अधिक व 1 वर्ष तक	1 वर्ष से अधिक व 3 वर्ष तक	3 वर्ष से अधिक व 5 वर्ष तक	5 वर्ष से अधिक	कुल
जमा	494.28	4037.35	2341.25	3783.15	26275.54	11030.34	44080.03	9343.92	22368.52	541.78	124296.16
अग्रिम *	752.31	368.84	679.59	777.28	5553.56	4364.71	5206.63	43700.82	9668.03	10432.26	81504.03
निवेश*	195.15	1744.95	148.72	1211.48	1782.72	842.48	2069.35	6927.47	9845.15	17817.91	42585.38
उधार**	350.00	2552.76	0.00	0.00	0.00	45.38	45.73	500.93	400.00	850.00	4744.80
विदेशी मुद्रा अस्तियां	124.62	609.07	5.99	23.63	57.21	90.31	14.41	0.00	0.00	0.65	925.89
विदेशी मुद्रा देयताएं	709.97	0.96	5.04	0.94	16.73	28.23	72.17	39.67	52.17	0.00	925.89

आस्तियों और देयताओं को भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशानुसार प्रबंधन द्वारा वर्गीकृत किया गया है और लेखापरीक्षकों द्वारा इस पर भरोसा किया गया है.

\* आंकड़े स्थूल रूप से निवल प्रावधान है.

\*\* भारत में उधार

x) संवेदनशील क्षेत्र को उधार

क) स्थावर संपदा क्षेत्र को उधार

(₹ करोड़ों में)

विवरण	31.03.2014	31.03.2013
1) प्रत्यक्ष उधार		
क. आवासीय बंधक		
(i) आवासीय संपदा पर बंधक के रूप में पूर्ण रूप से प्रतिभूत उधार जिसमें उधारकर्ता रहेगा या उसे किराए पर देगा	7659.72	6468.16
(ii) प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम में शामिल किए जाने के लिए पात्र अलग-अलग आवास ऋण (उपरोक्त में शामिल किए गए)	4627.85	4377.15
ख. वाणिज्यिक स्थावर संपदा तथा आय उत्पन्न करनेवाली स्थावर संपदा वाणिज्यिक संपदा पर बंधक के रूप में प्रतिभूत उधार (कार्यालय भवन, रिटेल स्पेस, बहु उद्देश्य वाणिज्यिक परिसर, बहु परिवार आवासीय भवन, बहु किराएदार वाणिज्यिक परिसर, औद्योगिक या भण्डार जगह, होटल, भू-स्वाधीन, विकास तथा निर्माण आदि) जोखिम में गैर निधि आधारित सीमा भी शामिल होंगे.	5725.31	3833.86
ग. बंधक के रूप में दी गयी प्रतिभूतियां तथा अन्य प्रतिभूत जोखिम में निवेश		
(i) आवासीय	शून्य	शून्य
(ii) वाणिज्यिक स्थावर संपदा	1.91	3.33
2) अप्रत्यक्ष उधार		
राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) तथा आवासीय वित्तीय कंपनी (एचएफसी) पर निधि आधारित गैर-निधि आधारित उधार	3820.73	1415.00
स्थावर संपदा क्षेत्र में कुल जोखिम	17207.67	11720.35



ख) पूंजी बाज़ार को उधार

(₹ करोड़ों में)

क्रम सं.	विवरण	31.03.2014	31.03.2013
(i)	ईक्विटी शेयर, परिवर्तनीय बांड, परिवर्तनीय डिबेंचर व ईक्विटी उनमुख म्यूचुअल फंड के यूनिट जिसकी मूल निधि का अनन्य रूप से कंपनी कर्ज में निवेश नहीं किया गया है.	229.18	225.25
(ii)	शेयर/बांड/डिबेंचर या अन्य प्रतिभूतियों के प्रति अग्रिम या निर्बंध आधार पर व्यक्तियों को शेयरों (आईपीओ/ईएसओपी सहित) परिवर्तनीय बांड, परिवर्तनीय डिबेंचर व ईक्विटी उनमुख म्यूचुअल फंड के यूनिटों में निवेश करने के लिए अग्रिम.	शून्य	0.07
(iii)	किसी भी अन्य कार्य के लिए अग्रिम जहाँ शेयर या परिवर्तनीय बांड या परिवर्तनीय डिबेंचर या ईक्विटी उनमुख म्यूचुअल फंड के यूनिटों को प्राथमिक प्रतिभूति के रूप में लिया गया है.	शून्य	शून्य
(iv)	किसी भी अन्य उद्देश्य के लिए शेयर या परिवर्तनीय बांड परिवर्तनीय डिबेंचर या ईक्विटी उनमुख म्यूचुअल फंड के जैसे संपाश्विक प्रतिभूति से प्रतिभूत अग्रिम जहाँ शेयर/परिवर्तनीय बांड/परिवर्तनीय डिबेंचर/ईक्विटी उनमुख म्यूचुअल फंड के अलावा प्राथमिक प्रतिभूति से पूर्ण रूप से रक्षित नहीं है.	शून्य	शून्य
(v)	शेयर दलाल को प्रतिभूत व अप्रतिभूत अग्रिम एवं शेयर दलाल और शेयर संतुलनकर्ता की ओर से जारी गारंटी.	50.00	75.00
(vi)	संसाधन जुटाने के उद्देश्य से नई कंपनियों के ईक्विटी में प्रवर्तक का अंशदान चुकाने के लिए निर्बंध आधार पर या शेयर/बांड/डिबेंचर के ज़मानत के प्रति कंपनियों को मंजूर ऋण.	शून्य	शून्य
(vii)	प्रत्याशित ईक्विटी प्रवाह/निर्गम के प्रति कंपनियों को तात्कालिक ऋण	शून्य	शून्य
(viii)	बैंकों द्वारा शेयरों या परिवर्तनीय बांडों या परिवर्तनीय डिबेंचर या ईक्विटी उनमुख म्यूचुअल फंड यूनिटों के संबंध में ली गई हामीदारी प्रतिबद्धताएं	शून्य	शून्य
(ix)	मार्जिन व्यापार के लिए शेयर दलालों का वित्तपोषण.	शून्य	शून्य
(x)	जोखिम पूंजी निधियों (पंजीकृत व पंजीकृत न की गई दोनों) को किए गए सब प्रकार के निवेश	15.83	14.50
	पूंजी बाज़ार को कुल निवेश	295.01	314.82

xi) जोखिम वर्ग-वार देश उधार

(₹ करोड़ों में)

जोखिम का वर्ग	31.03.2014 को उधार (निवल)	31.03.2014 को धारित प्रावधान	31.03.2013 को उधार (निवल)	31.03.2013 को धारित प्रावधान
नगण्य	1022.08	शून्य	500.66	शून्य
कम	234.16	शून्य	226.62	शून्य
मध्यम	43.54	शून्य	29.06	शून्य
बहुत	14.98	शून्य	1.20	शून्य
अत्यधिक	1.62	शून्य	शून्य	शून्य
सीमित	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ऋण से पृथक	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कुल	1316.38	शून्य	757.54	शून्य

प्रत्येक देश के साथ बैंक का विदेशी विनिमय लेन-देन के संबंध में दिए गए निवल निधिक उधार बैंक के कुल आस्तियों के 1% के अंदर हाने के कारण उसके लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 19.02.2003 के परिपत्र डीबीबीडी/बीसी.71/21.04.103/2002-03 के साथ पढे दिनांक 17.06.2004 परिपत्र डीबीबीडी/बीसी.96/ 21.04.103/2003-04 के अनुसार प्रावधान करने की आवश्यकता नहीं है.



xii) ऋण निवेश के ब्यौरे जहाँ वर्ष के दौरान बैंक द्वारा विवेकपूर्ण निवेश से अधिक निवेश किया गया

(क) भारतीय किसान उर्वरक कोर्पोरेटिव लिमिटेड (आइएफएफसीओ)

(₹ करोड़ों में)

क्रम सं.	निवेश सीमा 15% की दर से जैसा कि व्यक्तिगत उधारकर्ताओं के लिए लागू है	मंजूर सीमा	बकाया शेष	अवधि जिसके दौरान सीमा को पार किया गया		मंडल की मंजूरी के ब्यौर	यथा 31.03.2014 को बकाया शेष
				माह	राशि		
1	1359.45	1255.00	553.99	अप्रैल-13	शून्य	<b>मंडल मंजूरी विवरण :</b> ❖ हमारी नेहरू प्लेस शाखा, दिल्ली में ₹ 925.00 करोड़ से ₹ 1255.00 करोड़ तक ओडी के रूप में बढ़ाने की ऋण व्यवस्था (कार्रवाई सं.एमसी:ए:22 व 27:..2013 दि.23.02.2013 द्वारा मंजूरी दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिए अनुमोदित ❖ एमसी:ए:65/2014 दिनांकित 24.03.2014 के जरिए नियत दिनांक 23.02.2014 के पुरे से 24.03.2014 तक संचालन हेतु अनुमति देने की शाखा की कार्रवाई का अनुसमर्थन ❖ हमारी नेहरू प्लेस शाखा, दिल्ली में ₹ 1255.00 करोड़ से ₹ 500.00 करोड़ तक ओडी के रूप में घटाव के साथ नवीकृत ऋण व्यवस्था (कार्रवाई सं. एमसी: ए: 65/2014 दि.24.03.2014 द्वारा मंजूरी दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिए अनुमोदित	501.30
			307.01	मई-13	शून्य		
			1.03	जून-13	शून्य		
			0.00	जुलाई-13	शून्य		
			0.00	अगस्त-13	शून्य		
			0.00	सितंबर-13	शून्य		
			0.70	अक्तूबर-13	शून्य		
			0.00	नवंबर-13	शून्य		
2	1431.00	1255.00	0.00	दिसंबर-13	शून्य		
			0.00	जनवरी-14	शून्य		
3	1431.00	1259.07	4.06	फरवरी-14	शून्य		
4	1073.25	504.07	501.30	मार्च-14	शून्य		

विवेकपूर्ण निवेश सीमा : 15%+5% [”अपवाद स्वरूप परिस्थितियों” के अधीन आवश्यक शर्तों के अनुपालन के शर्त पर; ₹1019.59 करोड़ + ₹ 339.86 करोड़ अर्थात अप्रैल 2013 से नवंबर 2013 तक ₹ 1359.45 करोड़ तथा ₹ 1073.25 करोड़ ₹ 357.75 करोड़ अर्थात दिसंबर 2013 से मार्च 2014 तक ₹ 1431.00 करोड़ ]

अपवादस्वरूप परिस्थितियों से संबंधित शर्तों के अनुपालन पर मंडल निदेशकों ने मंडल संकल्प सं.02/2013 दिनांकित 01.03.2013 के अनुसार ”विवेकपूर्ण निवेश मानदंडों” के अधीन अनुमोदन प्रदान किया है. फिर भी, जून 2013 से फरवरी 2014 तक सीमा का उपयोग नहीं किया गया है तथा अप्रैल 2013, मई 2013 और मार्च 2014 में जो उपयोग किया गया है, वह ”विवेकपूर्ण निवेश मानदंडों” के भीतर है.

xiii) जमाराशियों, अग्रिम, ऋण जोखिम तथा एनपीए का केंद्रीकरण

(बैंक द्वारा समेकितानुसार)

क) जमाराशियों का केन्द्रीकरण

(₹ करोड़ों में)

20 बड़े जमाकर्ताओं की कुल जमाराशियां	16985
बैंक की कुल जमाराशियों की तुलना में 20 बड़े जमाकर्ताओं की जमाराशियों का प्रतिशत	13.66%



**ख) अग्रिमों का केन्द्रीकरण** (₹ करोड़ों में)

20 बड़े जमाकर्ताओं के कुल अग्रिम	16900.83
बैंक के कुल अग्रिम की तुलना में 20 बड़े जमाकर्ताओं के अग्रिमों का प्रतिशत	16.57%

**ग) जोखिमों का केन्द्रीकरण** (₹ करोड़ों में)

20 बड़े उधारकर्ताओं/ग्राहकों के कुल जोखिम	18649.94
उधारकर्ताओं/ग्राहकों पर बैंक के कुल जोखिमों की तुलना में 20 बड़े उधारकर्ताओं/ग्राहकों के जोखिम का प्रतिशत	18.28%

**घ) एनपीए का केन्द्रीकरण** (₹ करोड़ों में)

कुल जोखिम की तुलना में शीर्ष 4 एनपीए खाते	<b>399.84</b>
---	---------------

**xiv) क्षेत्रवार एनपीए**

क्रम सं.	क्षेत्र	उस क्षेत्र में कुल अग्रिमों की तुलना में एनपीए प्रतिशत
1	कृषि एवं संबद्ध कार्यक्रमलाप	4.63
2	उद्योग (सूक्ष्म एवं लघु, मध्यम एवं बड़े)	4.71
3	सेवाएं	2.74
4	वैयक्तिक ऋण	2.52

**xv) एनपीए का चलन**

विवरण	राशि ₹ करोड़ों में
1 अप्रैल, 2013 को सकल एनपीए	1532.94
वर्ष के दौरान जोड़ (नए एनपीए)	2173.87
उप-कुल (क)	3706.81
घटाएं :	
(i) उन्नयन	989.15
(ii) वसूली (उन्नयन किए गए खातों से की गयी वसूलियों को छोड़कर)	435.94
(iii) बट्टे खाते डालना	295.86
उप-कुल (ख)	<b>1720.95</b>
31 मार्च, 2014 को सकल एनपीए (क - ख)	1985.86



(xvi) तकनीकी रूप से बड़े खाते डाले गए और उस पर की गयी वसूलियां :

(₹ करोड़ों में)

विवरण	31.03.2014	31.03.2013
तकनीकी/विवेकपूर्ण रूप से डाले गए बड़े खाते का अथशेष	1337.62	929.38
जोड़ें : वर्ष के दौरान तकनीकी/विवेकपूर्ण रूप से डाले गए बड़े खाते	293.36	534.75
उप कुल	1630.98	1564.13
घटाएं : पहले ही तकनीकी/विवेकपूर्ण रूप से डाले गए बड़े खातों से की गयी वसूलियां	94.30	173.49
इतिशेष	1525.28	1337.62

xvii) समुद्रापारीय आस्तियां, एनपीए तथा राजस्व : शून्य

xviii) प्रायोजित तुलन पत्र से इतर एसपीवी प्रायोजित (जिनका लेखांकन मानदंडों के अनुसार समेकित किया जाना अपेक्षित है)

प्रायोजित एसपीवी का नाम	
देशी	समुद्रापारीय
शून्य	शून्य

xix) प्रावधान कवरेज अनुपात : 31 मार्च, 2014 को कवरेज अनुपात भा.रि.बैं. मार्गनिर्देशानुसार 64.05% है (पिछले वर्ष 68.31% था). तथापि, बैंक ने भारिबैं परिपत्र डीबीओडी.बीपी.बीसी. 87-21.048/2010-11 दिनांक 21.04.2011 के अनुसार कथित पीसीआर हासिल कर लिया है.

xx) अप्रतिभूत अग्रिम : बैंक में कोई अप्रतिभूत अग्रिम नहीं है जबकि अमूर्त प्रतिभूतियों को संपार्श्विक प्रतिभूतियों के रूप में लिया गया है.

xxi) वर्ष 2013-14 के दौरान बैंक ने भारत में यूएसडी 13,07,85,850.77 राशि के निर्यात किए गए माल के संबंध में 211 आश्वासन पत्र जारी किए. ये आश्वासन पत्र बैंक के वित्तपोषण पर उससे पडनेवाले प्रभाव के विधिवत मूल्यांकन करने के बाद तथा बैंक के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किए गए. तुलन पत्र की तारीख को यूएसडी 3,83,48,781.36 (1 यूएसडी = ₹ 59.92 की दर से लगभग ₹ 229.78 करोड़) के 81 आश्वासन पत्र बकाया है जिनका प्रबंधन के विचार से बैंक की वित्तीय स्थिति पर जिसका कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं होगा.

xxii) 2013-14 के दौरान बीमा कारोबार से शुल्क/ पारिश्रमिक

क्रम सं.	आय का स्वरूप	2013-14 (₹ करोड़ों में)
1	जीवन बीमा पालिसियों को बेचने के लिए	3.05
2	गैर-जीवन बीमा पालिसियों को बेचने के लिए	2.09
3	म्यूचल फंड उत्पादों को बेचने के लिए	शून्य
4	अन्य (निर्दिष्ट करें)	शून्य

7. कार्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा कंपनी (लेखाकरण मानक) नियम, 2006 के अधीन अधिसूचित लेखाकरण मानकों के तहत सूचना का अनुपालन :

- भौतिक पिछली अवधि की लाभ व हानि खाते में शामिल ऐसी कोई भी मदें नहीं हैं जिसे 'एएस-5' के अनुसार प्रकटीकरण किया जाना आवश्यक है.
- बैंक की लेखा नीति सं.9 के अनुसार कुछेक मदों को नकद आधार पर मान्यता दी जाती है. लेकिन प्रबंधन की यही राय है कि नियोजित रकम नगण्य होने के कारण 'एएस-9' के अधीन उसे प्रकट करने की ज़रूरत नहीं है.



iii) बैंक द्वारा एएस।। के अनुसार लेनदेन की तारीख को दर पर नहीं बल्कि एफईडीआई द्वारा निर्धारित पिछले महीने के अंतिम सप्ताह की साप्ताहिक औसत दर पर विदेशी मुद्रा लेनदेनों का निरंतर रूप से पुनर्मूल्यांकन किया जा रहा है. प्रबंधन की यह राय थी कि वर्ष के दौरान खातों पर कोई भौतिक प्रभाव नहीं है.

iv) एएस-15 के अधीन निम्नलिखित जानकारी प्रकट की गयी है : (₹ करोड़ों में)

क्रम सं.	विवरण	पेंशन 31.03.14	पेंशन 31.03.13	पेंशन 31.03.12	पेंशन 31.03.11	पेंशन 31.03.10
I.	मुख्य बीमांकित धारण					
	बट्टागत दर	8.50%	8.00%	9.00%	8.50%	8.40%
	वेतन मूल्यवर्धन दर	5.50%	5.50%	1.50%	4.25%	5.50%
	हास दर	1.00%	1.00%	1.00%	0.75%	1.50%
	योजना आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिफल दर	9.50%	8.70%	8.30%	8.30%	8.70%
II.	दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन (पीवीओ)					
	अवधि के आरंभ में पीवीओ	2009.65	1908.35	1832.94	651.12	525.50
	ब्याज की लागत	161.48	146.22	158.98	50.37	40.58
	चालू सेवा लागत	268.90	307.99	18.55	35.81	28.90
	प्रदत्त लाभ	(219.72)	(161.16)	(132.97)	(102.84)	(36.58)
	दायित्व पर बीमांकिक लाभ/(हानि)(समतुलन आंकड़े)	(87.47)	(191.75)	30.85	120.17	92.72
	अवधि के अंत में पीवीओ	2132.84	2009.65	1908.35	1832.94	651.12
III.	योजना आस्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन					
	अवधि के आरंभ में योजना आस्तियों का उचित मूल्य	1963.99	1876.33	1739.28	541.35	403.87
	योजना आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिफल	186.58	163.24	144.07	96.49	38.36
	अंशदान	271.58	92.01	116.53	1238.37	118.90
	प्रदत्त लाभ	(219.72)	(161.16)	(132.97)	(102.84)	(36.58)
	योजना आस्तियों पर बीमांकिक लाभ/(हानि)	43.64	(6.43)	9.42	(34.09)	16.81
	अवधि के अंत में योजना आस्तियों पर उचित मूल्य	2246.06	1963.99	1876.33	1739.28	541.35
IV.	योजना आस्तियों पर वास्तविक प्रतिफल					
	योजना आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिफल	186.58	163.24	144.07	96.49	38.36
	योजना आस्तियों पर बीमांकिक लाभ/(हानि)	43.64	(6.43)	9.42	(34.09)	16.81
	योजना आस्तियों पर वास्तविक प्रतिफल	230.22	156.81	153.49	62.40	55.17
V.	अभिज्ञप्त बीमांकिक लाभ/(हानि)					
	अवधि के लिए बीमांकिक लाभ/(हानि) - दायित्व	87.47	191.75	(30.85)	(120.17)	(92.72)
	अवधि के लिए बीमांकिक लाभ/(हानि) - योजना आस्तियाँ	43.64	(6.43)	9.42	(34.09)	16.81
	अवधि के लिए कुल लाभ/(हानि)	131.11	185.32	(21.43)	(154.26)	(75.91)
	अवधि में अभिज्ञप्त बीमांकिक लाभ/(हानि)	131.11	185.32	(21.43)	(154.26)	(75.91)



क्रम सं.	विवरण	पेंशन 31.03.14	पेंशन 31.03.13	पेंशन 31.03.12	पेंशन 31.03.11	पेंशन 31.03.10
VI.	तुलन पत्र में अभिज्ञप्त राशि तथा संबंधित विश्लेषण					
	दायित्व का वर्तमान मूल्य	2132.84	2009.65	1908.35	1832.94	651.12
	योजना आस्तियों का उचित मूल्य	2246.06	1963.99	1876.34	1739.28	541.35
	निधिक स्थिति (अधिक/(कमी))	113.22	(45.66)	(32.02)	(93.66)	(109.77)
	तुलन पत्र में अभिज्ञप्त राशि	113.22	(45.66)	(32.02)	268.58	(109.77)
VII.	लाभ तथा हानि विवरण में अभिज्ञप्त व्यय					
	वर्तमान सेवा लागत	268.90	307.99	18.55	35.81	28.90
	ब्याज लागत	161.48	146.22	158.98	50.37	40.58
	योजना आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिफल	(186.58)	(163.24)	(144.07)	(96.49)	(38.36)
	वर्ष में अभिज्ञप्त निवल बीमांकिक (लाभ)/हानि	(131.11)	(185.32)	21.43	154.26	75.91
	लाभ तथा हानि विवरण में अभिज्ञप्त व्यय	112.69	105.65	54.88	860.01	107.03
VIII.	तुलन पत्र में अभिज्ञप्त देयताओं में उतार-चढ़ाव					
	प्रारंभिक निवल देयता	45.66	32.02	93.67	109.77	121.64
	उपर्युक्त के अनुसार व्यय	112.70	105.65	54.88	860.01	107.03
	प्रदत्त अंशदान	(271.58)	(92.01)	(116.53)	(1238.36)	(118.90)
	अंतिम निवल देयता	(113.22)	45.66	32.02	(268.58)	109.77
IX.	चालू अवधि के लिए राशि					
	दायित्व का वर्तमान मूल्य	2132.84	2009.65	1908.35	1832.95	651.12
	योजना आस्तियाँ	2246.06	1963.99	1876.34	1739.28	541.35
	अधिक/(कमी)	113.22	(45.66)	(32.02)	(93.67)	(109.77)
	योजना देयताओं पर अनुभव समायोजन - लाभ (हानि)	87.47	191.75	(30.85)	(343.33)	(24.50)
	योजना आस्तियों पर अनुभव समायोजन - लाभ/(हानि)	43.64	(6.43)	9.42	34.09	16.81
क्रम सं.	विवरण	ग्रेच्यूटी 31.03.14	ग्रेच्यूटी 31.03.13	ग्रेच्यूटी 31.03.12	ग्रेच्यूटी 31.03.11	ग्रेच्यूटी 31.03.10
I.	मुख्य बीमांकित धारण					
	बढ़ागत दर	8.50%	8.00%	8.00%	8.20%	8.20%
	वेतन मूल्यवर्धन दर	5.50%	5.50%	4.00%	4.25%	5.50%
	ह्रास दर	1.00%	1.00%	1.50%	0.75%	1.50%
	योजना आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिफल दर	8.50%	8.50%	8.30%	8.30%	8.30%
II.	दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन (पीवीओ)					
	अवधि के आरंभ में पीवीओ	343.85	392.95	400.74	241.22	226.10
	ब्याज की लागत	26.49	28.51	29.24	17.67	15.78
	चालू सेवा लागत	17.45	17.01	15.08	8.44	13.56
	प्रदत्त लाभ	(64.50)	(73.09)	(70.45)	(51.51)	(19.83)
	दायित्व पर बीमांकिक लाभ/(हानि)(समतुलन आंकड़े)	(7.36)	(21.53)	18.34	53.04	5.60
	अवधि के अंत में पीवीओ	315.93	343.85	392.95	400.74	241.22



क्रम सं.	विवरण	ग्रेच्यूटी	ग्रेच्यूटी	ग्रेच्यूटी	ग्रेच्यूटी	ग्रेच्यूटी
		31.03.14	31.03.13	31.03.12	31.03.11	31.03.10
III.	योजना आस्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन					
	अवधि के आरंभ में योजना आस्तियों का उचित मूल्य	368.24	402.80	407.96	263.06	251.24
	योजना आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिफल	31.30	34.24	31.70	26.63	19.47
	अंशदान	21.00	31.50	16.00	167.16	4.00
	प्रदत्त लाभ	(64.50)	(73.09)	(70.45)	(51.52)	(19.83)
	योजना आस्तियों पर बीमांकिक लाभ/(हानि)	(1.90)	(27.21)	17.59	2.63	8.18
	अवधि के अंत में योजना आस्तियों पर उचित मूल्य	354.14	368.24	402.80	407.96	263.06
IV.	योजना आस्तियों पर वास्तविक प्रतिफल					
	योजना आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिफल	31.30	34.24	31.70	26.63	19.47
	योजना आस्तियों पर बीमांकिक लाभ/(हानि)	(1.90)	(27.21)	17.59	2.63	8.17
	योजना आस्तियों पर वास्तविक प्रतिफल	29.40	7.03	49.29	29.26	27.64
V.	अभिज्ञप्त बीमांकिक लाभ/(हानि)					
	अवधि के लिए बीमांकिक लाभ/(हानि) - दायित्व	7.36	21.53	(18.33)	(53.04)	(5.60)
	अवधि के लिए बीमांकिक लाभ/(हानि) - योजना आस्तियाँ	(1.90)	(27.21)	17.59	2.63	8.17
	अवधि के लिए कुल लाभ/(हानि)	5.46	(5.68)	(0.74)	50.41	(2.57)
VI.	अवधि में अभिज्ञप्त बीमांकिक लाभ/(हानि)	5.46	(5.68)	(0.74)	50.41	(2.57)
	तुलन पत्र में अभिज्ञप्त राशि तथा संबंधित विश्लेषण					
	दायित्व का वर्तमान मूल्य	315.93	343.85	392.95	400.74	241.22
	योजना आस्तियों का उचित मूल्य	354.14	368.24	402.80	407.96	263.06
VII.	निधिका स्थिति (अधिक/(कमी))	38.21	24.39	9.85	7.22	21.84
	तुलन पत्र में अभिज्ञप्त राशि	38.21	24.39	9.85	104.18	—
	लाभ तथा हानि विवरण में अभिज्ञप्त व्यय					
	वर्तमान सेवा लागत	17.45	17.01	15.08	8.44	13.57
VIII.	ब्याज लागत	26.49	28.51	29.24	17.67	15.78
	योजना आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिफल	31.30	(34.24)	(31.70)	(26.63)	(19.47)
	वर्ष में अभिज्ञप्त निवल बीमांकिक (लाभ)/हानि	(5.46)	5.68	0.75	50.42	(2.57)
	लाभ तथा हानि विवरण में अभिज्ञप्त व्यय	7.18	16.96	13.37	84.81	29.14
	तुलन पत्र में अभिज्ञप्त देयताओं में उतार-चढ़ाव					
IX.	प्रारंभिक निवल देयता	(24.39)	(9.85)	(7.22)	(21.83)	(25.14)
	उपर्युक्त के अनुसार व्यय	7.18	16.96	13.37	84.81	29.14
	प्रदत्त अंशदान	(21.00)	(31.50)	(16.00)	(167.16)	(4.00)
	अंतिम निवल देयता	(38.21)	(24.39)	(9.85)	(104.18)	--
	चालू अवधि के लिए राशि					
X.	दायित्व का वर्तमान मूल्य	315.93	343.85	392.95	400.73	241.22
	योजना आस्तियाँ	354.14	368.24	402.80	407.96	263.06
	अधिक/(कमी)	38.21	24.39	9.85	7.22	21.83
	योजना देयताओं पर अनुभव समायोजन - लाभ (हानि)	7.36	21.53	(18.33)	(77.05)	(11.65)
	योजना आस्तियों पर अनुभव समायोजन - लाभ/(हानि)	(1.90)	(27.21)	17.59	2.63	8.18





## v) वर्ष के दौरान विभिन्न दीर्घावधि कर्मचारी लाभ के लिए एएस-15 के अनुसार किए गए प्रावधान निम्नानुसार हैं

(₹ करोड़ों में)

क्रम सं.	अन्य दीर्घावधि लाभ	31.03.2014	31.03.2013
1.	पेंशन	258.37*	210.21
2.	छुट्टी नकदीकरण	शून्य	6.33
3.	ग्रेच्युटी	31.74	36.54
4.	बीमारी छुट्टी	-17.38#	1.91

\* बीमाक्रिक अनुमान के अनुसार 10 वीं द्विपक्षीय समझौते के अधीन वेतन में 10% वृद्धि पर विचार करने की दिशा में ₹ 51.12 करोड़ शामिल है.

# बैंक ने बीमारी छुट्टी के लिए रखे गए प्रावधान प्रतिवर्तित किया है क्योंकि सलाहकारों से प्राप्त राय के अनुसार अब इस छुट्टी की आवश्यकता नहीं है.

## vi) वर्ष 2010-11 के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक ने सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों के कर्मचारियों को पेंशन विकल्प देने को दुबारा खोलने तथा ग्रेच्युटी की सीमा में बढ़ोत्तरी- विवेकपूर्ण विनियामक उपचार हेतु दिनांक 09.02.2011 को परिपत्र सं. डीबीओडी.बीपी.बीसी. 80/21.04.018/2010-11 जारी किया है. उक्त परिपत्र के प्रावधानों के अनुरूप वर्ष 2010-11 में पहचानी गयी ₹ 596 करोड़ की राशि को अगले पाँच वर्षों की अवधि तक परिशोधित किया जाएगा. तदनुसार, ₹ 119 करोड़ (₹ 596 करोड़ का पाँचवा हिस्सा) की राशि को लाभ तथा हानि खाते में प्रभारित किया गया है. उपरोक्त भारिबै परिपत्र की आवश्यकताओं के अनुरूप ₹119 करोड़ की शेष राशि को अग्रणीत किया जा रहा है.

उपरोक्त के परिणामस्वरूप चालू वर्ष में बैंक के लाभ में ₹119 करोड़ की कमी आयी है तथा तत्संबंधी बैंक के संचित लाभ में ₹119 करोड़ की बढ़ोत्तरी हुई है. इसके साथ ही बैंक की चालू आस्तियों में भी इतनी ही बढ़ोत्तरी हुई है.

## vii) खंड रिपोर्टिंग (एएस-17)

(₹ करोड़ों में)

कारोबार खंड #	खजाना		कंपनी/समग बैंकिंग		खुदरा बैंकिंग		अन्य बैंकिंग परिचालन		कुल	
	31.03.14	31.03.13	31.03.14	31.03.13	31.03.14	31.03.13	31.03.14	31.03.13	31.03.14	31.03.13
राजस्व	3215.20	2375.67	5169.14	4452.88	2547.03	2360.75	485.05	469.58	11416.42	9658.88
परिणाम	560.77	(550.50)	(577.98)	1123.65	786.38	198.36	398.71	391.98	1167.88	1163.49
अनार्बाटित व्यय									64.15	41.46
परिचालनात्मक लाभ									1103.73	1122.03
प्रावधान व आकस्मिकताएं									655.78	545.48
कर के लिए प्रावधान									32.04	(9.06)
असाधारण लाभ/हानि									शून्य	शून्य
निवल लाभ									415.91	585.61
अन्य जानकारी										
खंड आस्तियां	49097.52	35914.73	59320.90	49577.75	26217.51	23172.42	371.22	320.02	135007.15	108984.92
अनार्बाटित आस्तियां									2139.57	1996.83
कुल आस्तियां									137146.72	110981.75
खंड देयताएं	48842.99	35857.31	57239.30	47702.54	25173.54	21860.11	2.98	3.15	131258.81	105423.11
अनार्बाटित देयताएं									5887.91	5558.64
कुल देयताएं									137146.72	110981.75



- # एस-17 की शर्तों के अनुसार खंड रिपोर्टिंग के लिए तथा भारिबैं मार्गनिर्देशों में निर्धारितानुसार बैंक के कारोबार को चार वर्गों में विखंडन किया गया है -
    - (क) खजाना परिचालन एवं (ख) कंपनी/थोक बैंकिंग (ग) खुदरा बैंकिंग व (घ) अन्य बैंकिंग परिचालन
  - # चूंकि बैंक की कोई समुद्रपारीय शाखा नहीं है, भौगोलिक खंड के अधीन कोई रिपोर्टिंग नहीं की गयी है.
  - # जहाँ कहीं, व्यय का खंड से, प्रत्यक्ष रूप से संबंध है, वहाँ उनका तदनुसार खंडों में आबंटन किया गया है और जहाँ कहीं प्रत्यक्ष संबंध नहीं है वहाँ खंड राजस्व के आधार पर आबंटन किया गया है.
  - # जहाँ कहीं आस्ति व देयता का खंड से प्रत्यक्ष रूप से संबंध है वहाँ उनका तदनुसार खंडों में आबंटन किया गया है और जहाँ कहीं प्रत्यक्ष संबंध नहीं है वहाँ खंड राजस्व/खंड आस्ति अनुपात के आधार पर आबंटन किया गया है.
- प्रधान कार्यालय में उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर उपर्युक्त जानकारी संकलित की गयी है.

**viii) सापेक्ष्य पार्टी प्रकटन एस-18 के अनुसार बैंक ने निम्नलिखित को सापेक्ष्य पार्टी के रूप में अभिज्ञप्त किया है.**

- क) प्रमुख प्रबंधन कार्मिक :
- 1) श्री एच.एस.उपेन्द्र कामत, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
  - 2) श्री वी.कण्णन, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
  - 3) श्री के.आर.शेणै, कार्यकारी निदेशक
  - 4) श्री बी.एस.रामा राव, कार्यकारी निदेशक

वर्ष के दौरान संबंधित पार्टियों के साथ लेनदेन निम्नानुसार हैं :

- क) i) प्रमुख प्रबंधन कार्मिक को वर्ष के दौरान प्रदत्त मानदेय निम्नानुसार :

श्री एच.एस.उपेन्द्र कामत, अ.व.प्र.नि. (01.04.2013 से 31.12.2013 तक)	₹ 24,52,202.00
श्री वी.कण्णन, अ.व.प्र.नि. (01.01.2014 से 31.03.2014 तक)	₹ 4,53,083.00
श्री के.आर.शेणै, का.नि. (01.04.2013 से 31.03.2014 तक)	₹ 22,37,830.00
श्री बी.एस.रामा राव, का.नि. (27.09.2013 से 31.03.2014 तक)	₹ 8,39,860.00

ख) प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों के रिश्तेदारों के साथ वर्ष के दौरान कोई लेनदेन नहीं हुआ है.

ग) अनुषंगी : शून्य

(₹ लाखों में)

विवरण	बैंक के साथ सहयोगी संस्थाओं के लेनदेन के ब्यौरे	यथा 31.03.2014 को बकाया राशि	वर्ष के दौरान अधिकतम
उधार	नकदी ऋण ओवरड्राफ्ट	लागू नहीं	लागू नहीं
जमा	सावधि जमा चालू खाता	लागू नहीं	लागू नहीं
निवेश	शेयर बांड	लागू नहीं	लागू नहीं
प्राप्त ब्याज		लागू नहीं	लागू नहीं
प्रदत्त ब्याज		लागू नहीं	लागू नहीं
शेयरों पर लाभांश		लागू नहीं	लागू नहीं



## ix) पट्टे (एएस-19)

- क) परिचालन पट्टों के लिए प्रदत्त पट्टे किराए को संबंधित वर्ष के लाभ व हानि खाते के व्यय के रूप में पहचाना जाता है।  
ख) परिचालन पट्टे के लिए देय भावी पट्टा :

(₹ करोड़ों में)

विवरण	31.03.2014	31.03.2013
एक वर्ष के पहले	94.03	82.42
एक वर्ष के बाद परंतु 5 वर्ष के पहले	376.11	329.69
5 वर्षों के बाद	282.08	247.27
कुल	752.22	659.38
लाभ व हानि खाते को प्रभारित राशि	95.24	80.58

- ग) भावी पट्टे किराए तथा किराए की वृद्धि सहमति शर्तों के आधार पर निर्धारित किया जाता है।  
घ) प्रारंभिक पट्टे की अवधि की समाप्ति पर सामान्यतः बैंक को भावी पूर्व निर्धारित अवधि के लिए पट्टे का विस्तारण करने का विकल्प है।  
ड) बैंक में कोई वित्तीय पट्टा नहीं है।

## x) प्रति शेयर अर्जन (एएस-20)

बैंक, "प्रति शेयर अर्जन" पर लेखाकरण मानक 20 के अनुरूप प्रति इक्विटी शेयर पर मूल अर्जन रिपोर्ट करता है। इस अवधि के लिए प्रति शेयर मूल अर्जन का परिकलन करने के लिए वर्ष के दौरान कर पश्चात निवल लाभ को बकाया इक्विटी शेयर की भारत औसत संख्या से विभाजित किया जाता है।

मूल प्रति शेयर अर्जन का परिकलन	31.03.2014	31.03.2013
क. इक्विटी शेयरधारकों के लिए उपलब्ध कर के बाद निवल लाभ (य करोड़ों में)	415.91	466.27
ख. भारत औसत इक्विटी शेयरों की संख्या (संख्या करोड़ों में)	54.47	49.55
ग. मूल प्रति शेयर अर्जन (रुपयों में)	7.64	9.41
घ. प्रति शेयर का नाममात्र मूल्य (रुपयों में)	10	10

## xi) आय पर कर के लिए लेखाकरण (एएस-22)

बैंक ने आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानक 22 "आय पर कर के लिए लेखा" के अनुपालन में आयकर के लिए लेखांकन किया है। तदनुसार आस्थगित आस्ति और देयता की पहचान की जाती है।

- क) आस्थगित कर के मुख्य घटक निम्नानुसार हैं :

(₹ करोड़ों में)

समय में अंतर	आस्थगित कर आस्ति		आस्थगित कर देयता	
	31.03.2014	31.03.2013	31.03.2014	31.03.2013
1. छुट्टी नकदीकरण हेतु प्रावधान	4.02	50.41	शून्य	शून्य
2. स्थावर आस्तियाँ	0.92	0.59	शून्य	शून्य
3. अपरिशोधित पेंशन	शून्य	शून्य	(29.21)	61.35
4. अपरिशोधित ग्रेच्युटी	शून्य	शून्य	(7.59)	15.94
5. पुनर्संचित अग्रिमों के लिए प्रावधान	26.21	40.83	शून्य	शून्य



ख) भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र सं.डीबीओडी.सं.बी.बी.सी.77/21.04.018/2013-14 दिनांकित 20.12.2013 के अनुसार बैंक ने आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के तहत विशेष आहरण पर आस्थगित कर देयता का सृजन किया है. भा.रि.बैं. के उक्त परिपत्र की अपेक्षानुसार 31 मार्च, 2013 को विशेष आरक्षण पर सृजित डीटीएल के कारण, ₹ 157.62 करोड़, जो पहले लाभ व हानि खाते को प्रभारित नहीं किया गया तो अब 31.03.2013 में संचित लाभ से सीधे समायोजन किया गया है. यदि इस राशि का भारत में सामान्यतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप लाभ व हानि खाते में प्रभारित किया जाता तो, उस वर्ष में लाभ की राशि उस हद तक कम होती.

ग) वर्ष के दौरान आय कर के लिए किए गए प्रावधान : (₹ करोड़ों में)

विवरण	31.03.2014	31.03.2013
आयकर (निवल) के लिए प्रावधान	210.00*	73.40
आस्थगित कर के लिए प्रावधान	(67.96)	(82.46)
एमएटी ऋण हकदारी	(110.00)	शून्य

\*₹ 90.00 करोड़ पूर्व अवधि के विवादित कर, आय कर प्रावधान में शामिल है.

xii) प्रबंधन की राय में, बैंक की कोई भी अचल आस्ति भौतिक रूप से क्षतिग्रस्त नहीं है जिसके लिए लेखाकरण मानक-28, क्षतिग्रस्त आस्ति, लागू हो.

8. I) ग्राहकों की शिकायतें :

	31.03.2014
(क) वर्ष के आरंभ में लंबित शिकायतों की सं.	18
(ख) वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की सं.	1603
(ग) वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की सं.	1577
(घ) वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की सं.	44

II) कृपया एटीएम लेनदेन से संबंधित शिकायत के विवरण पाएं :

	31.03.2014
क. वर्ष के आरंभ में लंबित शिकायतों की सं.	64
ख. वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की सं.	17338
ग. वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की सं.	17306
घ. वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की सं.	96

9. बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित फैसले :

	31.03.2014
क. वर्ष के आरंभ में कार्यान्वित न किए गए फैसलों की सं.	1
ख. वर्ष के दौरान बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित फैसलों की सं.	2
ग. वर्ष के दौरान कार्यान्वित फैसलों की सं.	3
घ. वर्ष के अंत में कार्यान्वित न किए गए फैसलों की सं.	0



10. बैंक ने भारत सरकार को प्रति ₹ 10/- के 5,89,34,464 ईक्विटी शेयर प्रति शेयर ₹ 32.42 प्रीमियम पर जारी किया है। फरवरी, 2014 में बैंक ने भारत सरकार द्वारा धारित 1200 करोड़ के शाश्वत गैर-संचयी अधिमानी शेयर को प्रति ₹ 10/- के अंकित मूल्य के प्रति शेयर ₹ 29.39 प्रीमियम पर ईक्विटी शेयर पूंजी के रूप में परिवर्तित किया है।
11. वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान अपने प्रावधान के उल्लंघन के कारण, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) के अधीन जारी पत्र सं. 735/27.01002/2013-14 दिनांक 12.07.2013, बैंक को ₹ 2 करोड़ का जुर्माना लगाया गया जिसे 19.07.2013 को भा.रि.बैं. में भुगतान किया गया। इसके अलावा, अपनी एक क्रेसी चेस्ट में नकदी की कमी के कारण भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ₹ 2.26 करोड़ का जुर्माना लगाया गया। जिसे 11.03.2014 को प्रदत्त किया गया।

## 12. प्रावधान व आकस्मिक व्यय के विस्तृत ब्यौरे

(₹ करोड़ों में)

लाभ व हानि खाते में व्यय शीर्ष के अंतर्गत 'प्रावधान व आकस्मिक व्यय' के विस्तृत ब्यौरे	31.03.2014	31.03.2013
निवेश पर मूल्यहास हेतु प्रावधान	120.01	(48.42)
एनपीए के लिए प्रावधान	380.82	428.36
मानक आस्ति हेतु प्रावधान (पुनर्संचित मानक सहित)	153.21	164.12
आयकर के लिए किए गए प्रावधान (निवल)		
i) चालू कर	210.00	73.40
ii) आस्थगित कर	(67.96)	(82.46)
iii) एमएटी ऋण हकदारी	(110.00)	शून्य
अन्य प्रावधान व आकस्मिक व्यय		
i) आकस्मिक व्यय हेतु प्रावधान	42.68	0.13
ii) अन्य	(5.01)	7.76
iii) वापस लिया गया अधिक प्रावधान	(35.93)	(6.47)
कुल	687.82	536.42

## 13. अस्थिर प्रावधान

(₹ करोड़ों में)

विवरण		31.03.2014	31.03.2013
क.	आरंभिक शेष	213.00	213.00
ख.	वर्ष के दौरान किए गए अस्थिर प्रावधान	शून्य	शून्य
ग.	वर्ष के दौरान आहरित राशि	70.29	शून्य
घ.	अंतिम शेष	142.71	213.00

नोट : अस्थिर प्रावधान का इस्तेमाल अनर्जक अग्रिमों के लिए आवश्यक प्रावधान के परिकलन के लिए किया गया है।



14. बैंक ने कुछ अग्रिम खातों में लगाए गए अतिरिक्त ब्याज को नोट किया है. विवेकपूर्ण आधार पर आकस्मिक प्रावधान बनाने से ब्याज आय 7.00 करोड़ से कम किया गया है.
15. बैंक ने व्यपगत मांग ड्राफ्ट के भुगतान के लिए सामान्य आरक्षिति से ₹ 5025 आहरण किया है (पिछले वर्ष ₹ 249752.00) जिसे भा.रि.बैं. के अनुमोदनानुसार पूर्व में सामान्य आरक्षिति में रखा गया था.
16. सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के अधीन शामिल आपूर्तिकर्ता/सेवा प्रदाता के संबंध में बैंक के पास पर्याप्त सूचना उपलब्ध नहीं है. इस वजह से उक्त अधिनियम की धारा 22 के अधीन प्रकट की जाने वाली अपेक्षित सूचना नहीं दी गयी है.
17. चालू वर्ष के वर्गीकरण की पुष्टि करने हेतु पिछले साल के अंकों को जहाँ कहीं आवश्यक हो पुनः समूहन/वर्गीकृत किया गया है.

वी. कण्णन अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	के. आर. शोणै कार्यकारी निदेशक	बी. एस. रामा राव कार्यकारी निदेशक
वी. के. चोपडा निदेशक	सुमा वर्मा निदेशक	प्रकाश चंद्र नलवाया निदेशक
अशोक गुप्ता निदेशक	एच. हरीश बल्लाल निदेशक	वाई. मुरलीकृष्णा निदेशक
एच. नारायण शेटी महा प्रबंधक		

हमारे सम दिनांक की रिपोर्ट के अनुसार

कृते मेसर्स मुकुन्द एम.चिताले एण्ड कं. सनदी लेखाकार पंजीकरण सं.106655डब्ल्यू	कृते मेसर्स कर्रा एण्ड कं. सनदी लेखाकार पंजीकरण सं.001749एस	कृते मेसर्स एन.सी.मित्तल एण्ड कं. सनदी लेखाकार पंजीकरण सं.000237एन	कृते मेसर्स केपीएमसी एण्ड एसोसिएट्स सनदी लेखाकार पंजीकरण सं.005359सी
(अभय वी.कामत) साझेदार सदस्यता सं.039585	(आर.सुंदर) साझेदार सदस्यता सं.022448	(एन.सी.मित्तल) साझेदार सदस्यता सं.14213	(संजय मेहरा) साझेदार सदस्यता सं.075488

स्थान : बेंगलूरु

दिनांक : 06.05.2014



### 31.02.2014 का समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह का विवरण

(₹ 000 को छोड़ दिया गया)

विवरण	31.03.2014 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2013 को समाप्त वर्ष के लिए
परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
कर के बाद निवल लाभ	415 90 86	585 60 92
अचल आस्तियों पर मूल्य हास के लिए प्रावधान	64 14 62	41 45 73
अचल आस्तियों की बिक्री पर लाभ	(20 82)	(12 74)
चालू आस्थगित कर	(67 95 82)	(82 46 47)
आयकर के लिए प्रावधान	210 00 00	73 39 82
एमएटी ऋण हकदारी	(110 00 00)	—
गैनिआ / पुनर्संरिचित अग्रिम के संबंध में प्रावधान	452 19 86	508 50 99
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	81 83 00	83 97 00
निवेश के मूल्य में हास के लिए प्रावधान	120 01 15	(48 42 49)
गौण बांड पर ब्याज का भुगतान / प्रावधान	144 15 03	137 35 00
अन्य मदों के लिए प्रावधान	1 73 99	1 42 68
<b>उप कुल :-</b>	<b>1311 81 87</b>	<b>1300 70 45</b>
परिचालन आस्तियों व देयताओं में निवल परिवर्तन में समायोजन		
निवेश में गिरावट / (वृद्धि)	(11420 43 09)	(2592 73 76)
अग्रिमों में गिरावट / (वृद्धि)	(12190 46 85)	(12370 52 92)
जमाराशियों में गिरावट / (वृद्धि)	27278 92 25	13961 72 65
उधार में गिरावट / (वृद्धि)	(1897 01 78)	973 41 65
अन्य आस्तियों में गिरावट / (वृद्धि)	(114 89 48)	2 91 26
अन्य देयताओं / प्रावधानों में गिरावट / (वृद्धि)	338 25 54	(29 10 51)
कर (प्रदत्त) / वापसी	(390 20 53)	(544 64 82)
<b>परिचालनात्मक गतिविधियों से उत्पन्न निवल नकदी (क)</b>	<b>2915 97 94</b>	<b>701 74 00</b>
निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
अचल आस्तियां (निवल)	(129 77 84)	(46 02 18)
<b>निवेश गतिविधियों से उत्पन्न निवल नकदी (ख)</b>	<b>(129 77 84)</b>	<b>(46 02 18)</b>
वित्तीय गतिविधियों से उत्पन्न नकदी प्रवाह		
शेयर पूंजी का निर्गमन	(836 41 97)	—
शेयर प्रीमियम	1086 41 97	—
जारी गौण बांड	250 00 00	—
गौण बांड पर ब्याज	(144 15 03)	(137 35 00)
प्रदत्त अधिमानी लाभांश व उसपर प्रदत्त कर	(119 33 49)	(132 49 37)
ईकिवटी लाभांश व उस पर प्रदत्त कर	(144 93 90)	(143 98 20)
प्रदत्त अंतरिम लाभांश व उस पर प्रदत्त कर	(64 87 06)	—
<b>वित्तीय गतिविधियों से उत्पन्न निवल नकदी (ग)</b>	<b>26 70 52</b>	<b>(413 82 57)</b>
<b>निवल नकदी और नकदी समतुल्य राशि (क + ख + ग)</b>	<b>2812 90 62</b>	<b>241 89 25</b>
<b>वर्ष के प्रारंभ में नकदी और नकदी समतुल्य राशि</b>	<b>6644 74 98</b>	<b>6402 85 74</b>



(₹ 000 को छोड़ दिया गया)

विवरण	31.03.2014 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2013 को समाप्त वर्ष के लिए
हाथ में नकदी	417 56 29	303 75 95
भारतीय रिजर्व बैंक में शेष राशि	3500 13 42	4238 77 50
बैंकों में शेष राशि व मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि	2727 05 27	1860 32 29
<b>वर्ष के अंत में नकदी और नकदी समतुल्य राशि</b>	<b>9457 65 60</b>	<b>6644 74 99</b>
हाथ में नकदी	373 49 97	417 56 29
भारतीय रिजर्व बैंक में शेष राशि	5166 70 79	3500 13 42
बैंकों में शेष राशि व मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि	3917 44 84	2727 05 27

बैंक के निदेशक मंडल ने दि.06.05.2014 को हुई बैठक में उपर्युक्त नकदी प्रवाह विवरण को अभिलिखित किया.

वी. कण्णन  
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

के. आर. शेणै  
कार्यकारी निदेशक

बी. एस. रामा राव  
कार्यकारी निदेशक

वी. के. चोपडा  
निदेशक

सुमा वर्मा  
निदेशक

प्रकाश चंद्र नलवाया  
निदेशक

अशोक गुप्ता  
निदेशक

एच. हरीश बल्लाल  
निदेशक

वाई. मुरलीकृष्णा  
निदेशक

एच. नारायण शेटी  
महा प्रबंधक

हमारे सम दिनांक की रिपोर्ट के अनुसार

कृते मेसर्स मुकुन्द एम. चिताले एण्ड कं.  
सनदी लेखाकार  
पंजीकरण सं.106655डब्ल्यू

कृते मेसर्स कर्मा एण्ड कं.  
सनदी लेखाकार  
पंजीकरण सं.001749एस

कृते मेसर्स एन.सी.मित्तल एण्ड कं.  
सनदी लेखाकार  
पंजीकरण सं.000237एन

कृते मेसर्स केपीएमसी एण्ड एसोसिएट्स  
सनदी लेखाकार  
पंजीकरण सं.005359सी

(अभय वी.कामत)  
साझेदार  
सदस्यता सं.039585

(आर.सुंदर)  
साझेदार  
सदस्यता सं.022448

(एन.सी.मित्तल)  
साझेदार  
सदस्यता सं.14213

(संजय मेहरा)  
साझेदार  
सदस्यता सं.075488

स्थान : बेंगलूरु

दिनांक : 06.05.2014





## स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में

भारत के राष्ट्रपति

### वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

- हमने विजया बैंक के संलग्न वित्तीय विवरणों का निरीक्षण किया है जिसमें 31 मार्च, 2014 के तुलन पत्र तथा उस दिनांक को समाप्त लाभ-हानि लेखा तथा नकदी प्रवाह विवरण तथा महत्वपूर्ण लेखा नीतियां तथा अन्य व्याख्यात्मक सूचना शामिल है। इसमें हमारे द्वारा लेखापरीक्षित 20 शाखाओं और शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित 567 शाखाओं की विवरणियाँ समाविष्ट हैं। बैंक ने, हमारे द्वारा परीक्षित और अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा परीक्षित शाखाओं का चयन, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी मार्गनिर्देशों के अनुसार किया है। तुलन पत्र, लाभ-हानि लेखा में उन 925 शाखाओं की विवरणियां सम्मिलित की गयी है, जिनकी लेखा परीक्षा नहीं की गयी है। ये गैर लेखा परीक्षित शाखाएं 7.29% अग्रिम का, 37.09% जमाराशियों का, 34.07% ब्याज पर आय और 38.55% ब्याज पर व्यय के बनते हैं।

### वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन उत्तरदायित्व

- बैंक की महत्वपूर्ण लेखा नीतियों के साथ पढ़े गए बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 तथा कंपनी (लेखा मानक) नियम 2006 के अनुसार इन वित्तीय विवरणियों की तैयारी प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। इस उत्तरदायित्व में, वित्तीय विवरणियों की रूपरेखा, उसका कार्यान्वयन तथा विवरणियों को त्रुटिरहित, चाहे त्रुटि धोखाधड़ी से या गलती से हो, तैयार करने से संबंधी आंतरिक नियंत्रण का रख-रखाव शामिल है।

### लेखापरीक्षक का उत्तरदायित्व

- हमारी लेखापरीक्षा पर आधारित इन विवरणियों पर राय जाहिर करना हमारी जिम्मेदारी है। हमने भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखापरीक्षा के मानकों के अनुसार लेखापरीक्षा की है। इन मानकों की आवश्यकता है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन करें तथा योजना तैयार करके लेखापरीक्षा करें ताकि वित्तीय विवरणियों के बारे में समुचित आश्वासन प्राप्त हो कि इसकी सामग्री में गलत विवरण नहीं है।
- लेखापरीक्षा में, वित्तीय विवरणियों में लिखित राशि तथा प्रकटीकरण के संबंध में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने हेतु प्रक्रियाओं को शामिल करना है। चयन की गयी प्रक्रिया, लेखापरीक्षकों के निर्णय पर आधारित है जिसमें वित्तीय विवरणियों की त्रुटियों के जोखिम का मूल्यांकन भी शामिल है, चाहे वे धोखाधड़ी के कारण हो या गलती से हो। ऐसे जोखिम मूल्यांकन करते समय, लेखापरीक्षक कंपनी द्वारा वित्तीय विवरणियों की तैयारी व उचित प्रस्तुति से संबंधित आंतरिक नियंत्रण पर भी विचार करते हैं ताकि उस संदर्भ के लिए उचित लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को तैयार किया जा सके। लेखापरीक्षा में प्रयुक्त लेखा नीतियों की समुचितता का मूल्यांकन तथा प्रबंधन द्वारा किया गया लेखा प्राक्कलन की समुचितता तथा वित्तीय विवरणियों की समग्र प्रस्तुति का मूल्यांकन भी शामिल है।
- हमें विश्वास है कि हमारे द्वारा जुटाए गए लेखापरीक्षा साक्ष्य हमारे लेखापरीक्षा मत को दर्शाने हेतु पर्याप्त तथा उचित आधार है।

### राय

- हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरण तथा बैंक की बहियों में दर्शाए गए अनुसार :
  - भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखाकरण नीतियों के अनुपालन करते हुए, टिप्पणियों के साथ पठित तुलन-पत्र, पूर्ण एवं निष्पक्ष हैं, जिसमें आवश्यक सभी विवरण दिए गए हैं और इसे सही ढंग से तैयार किया गया है, ताकि 31 मार्च, 2014 तक बैंक के कारोबार का सही निष्पक्ष चित्र दर्शाया जा सके ;
  - भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखाकरण नीतियों के अनुपालन करते हुए, टिप्पणियों के साथ पठित लाभ-हानि लेखा, लेखा से संबंधित वर्ष में अर्जित लाभ की सही शेष राशि दर्शाता है; तथा
  - नकदी प्रवाह विवरण, विवरण की अवधि के लिए नकदी प्रवाह का सही एवं निष्पक्ष चित्र दर्शाता है।
- मामले का महत्व**
  - हमारी राय पर ध्यान दिए बिना हम वित्तीय विवरणों के नोट 7(v) की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं जो भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अपने परिपत्र सं.डीबीओडी.बीपी.बीसी/80/21.04.018/2010-11 के जरिए सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों के कर्मचारियों के लिए पेंशन विकल्प खोलने तथा ग्रैच्युटी सीमा



में बढ़ोत्तरी - विवेकपूर्ण विनियामक उपचार के फलस्वरूप लेखाकरण मानक (एएस) 15 के प्रावधानों को सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों के लिए लागू करने में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रदान की गयी छूट के अनुकरण में यथा 31.03.2014 को ₹ 119 करोड़ तक बैंक की पेंशन तथा ग्रेच्युटी देयता के आस्थान का विवरण देता है। यदि ऐसा परिपत्र भा.रि.बैं. द्वारा जारी नहीं किया जाता तो एएस-15 की जरूरतों को लागू करने के द्वारा बैंक की आरक्षितियां ₹ 119 करोड़ तक कम होती जिसका उक्त सीमा तक चालू आस्तियों पर भी प्रभाव पड़ता।

(ii) वित्तीय विवरणी केनोट 7(xi)(ख), जो भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र सं. डीबीओडी.सं.बीपी.बीसी.77/21.04.018/2014-14 दिनांकित 20.12.2014 के जरिए यथा 31 मार्च, 2014 को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के तहत विशेष आरक्षण पर आस्थगित कर देयता के सृजन पर व्यय की लेखा प्रक्रिया का विवरण देता है।

#### अन्य विधि तथा विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

8. तुलन-पत्र और लाभ-हानि लेखा, बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949 की तीसरी अनुसूची के फार्म झण्ड व झबीड के अनुसार तैयार किया गया है।
9. उपर्युक्त अनुच्छेद 1 से 5 तक में निर्दिष्ट लेखा परीक्षा की सीमा के अधीन और बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 की अपेक्षानुसार और साथ ही उन बातों के अधीन, जिनको प्रकट करने पर इस अधिनियम में प्रतिबंध लगाया गया है, और आगे निम्न के अधीन :
  - क) हमने ऐसी सारी जानकारी एवं स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं, जो कि हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा विश्वास के अनुसार, लेखा परीक्षा के लिए आवश्यक थे और हमने उनको संतोषजनक पाया है।
  - ख) बैंक के जो लेन-देन हमारी जानकारी में आए हैं, वे बैंक के अधिकारों के अंदर हैं।
  - ग) कार्यालय और शाखाओं से प्राप्त विवरणियाँ, हमारी लेखा परीक्षा के लिए पर्याप्त पायी गई हैं।
10. हमारी राय में तुलन पत्र, लाभ व हानि खाता तथा नकद प्रवाह विवरण लागू लेखाकरण मानदंडों का अनुपाल करते हैं।

कृते मेसर्स मुकुन्द एम चिताले एण्ड कं.  
सनदी लेखाकार  
पंजीकरण सं.106655डब्ल्यू

(अभय.वी.कामत)  
साझेदार  
सदस्यता सं.039585

कृते मेसर्स एन.सी.मित्तल एण्ड कं.  
सनदी लेखाकार  
पंजीकरण सं.000237एन

(एन.सी.मित्तल)  
साझेदार  
सदस्यता सं.14213

कृते मेसर्स करार एण्ड कं.  
सनदी लेखाकार  
पंजीकरण सं.001749एस

(आर.सुंदर)  
साझेदार  
सदस्यता सं.014213

कृते मेसर्स केपीएमसी एण्ड एसोसिएट्स  
सनदी लेखाकार  
पंजीकरण सं.005359सी

(संजय मेहरा)  
साझेदार  
सदस्यता सं.75488

स्थान : बेंगलूरु  
दिनांक : 06.05.2014



### 31 मार्च 2014 को बेसल प्रकटीकरण दस्तावेज़

तालिका डीएफ - 1 बैंक के लिए लागू नहीं तथा तालिका डीएफ - 2 को पूंजी प्रकटन आवश्यकता की रचना संबंधी दिशानिर्देशों के अनुसार वापस लिया गया है.

#### तालिका डीएफ - 3

#### पूंजी पर्याप्तता

#### गुणात्मक प्रकटीकरण

<p>(क) वर्तमान तथा भविष्य की गतिविधियों के समर्थन के लिए बैंक की अपनी पूंजी पर्याप्तता के निर्धारण की पद्धति पर चर्चा का सारांश</p>	<p>भारिबैं के निदेशानुसार, हमारे बैंक ने 31.03.2009 से प्रभावी ऋण जोखिम के लिए 'मानकीकरण दृष्टिकोण', बाज़ार जोखिम के लिए 'मानकीकरण अवधि दृष्टिकोण' तथा परिचालन जोखिम के लिए 'मूल संकेत दृष्टिकोण' अपनाया है. मौजूदा तथा भविष्य के क्रियाकलापों के समर्थन हेतु अतिरिक्त पूंजी निर्धारण के लिए बैंक तैयार की गई आईसीएएपी नीति को अपनाता है. कारोबार के भविष्य की वृद्धि को ध्यान में रखते हुए सतत आधार पर नियामक न्यूनतम से अधिक पर्याप्त पूंजी के रख-रखाव हेतु आईसीएएपी की अर्ध वार्षिक आधार पर समीक्षा की जाती है.</p>																																						
<p><b>परिमाणुत्मक प्रकटीकरण</b></p> <p>(ख) बेसल-II व बेसल-III के अधीन ऋण जोखिम के लिए पूंजी आवश्यकताएँ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• मानक पद्धति के अधीन संविभाग</li> <li>• प्रतिभूतिकरण जोखिम</li> </ul> <p>(ग) बाज़ार जोखिम मानकीकरण अवधि दृष्टिकोण के लिए पूंजी आवश्यकताएँ</p> <p>बेसल-II के अधीन</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ब्याज दर जोखिम</li> <li>• विदेशी विनिमय जोखिम</li> <li>• ईक्विटी जोखिम</li> </ul> <p>बेसल-III के अधीन</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ब्याज दर जोखिम</li> <li>• विदेशी विनिमय जोखिम</li> <li>• ईक्विटी जोखिम</li> </ul> <p>(घ) परिचालन जोखिम के लिए पूंजी आवश्यकताएँ- मूल सूचक पद्धति</p>	<p><b>(₹ करोड़ों में)</b></p> <p><b>₹ 5431.62</b> (अन्य आस्तियाँ सहित) कुछ नहीं - चूंकि प्रतिभूतिकरण के अंतर्गत बैंक का कोई जोखिम नहीं है.</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;"><b>318.83</b></td> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 30%;"></td> </tr> <tr> <td>279.61</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.35</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>37.87</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>321.96</b></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>282.74</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.35</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>37.87</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>364.84</b></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <table border="0" style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 50%;"></td> <td style="width: 20%; text-align: center;"><b>बेसल-II</b></td> <td style="width: 30%; text-align: center;"><b>बेसल-III</b></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">न्यूनतम पूंजी आवश्यकता</td> <td style="text-align: center;"><b>6115.30</b></td> <td style="text-align: center;"><b>6113.87*</b></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">पूंजी निधि</td> <td style="text-align: center;"><b>7455.00</b></td> <td style="text-align: center;"><b>7170.94</b></td> </tr> </table> <p>(यथा 31.03.2014 को)</p> <p>* प्रतिधारण प्रतिपूर्ति के बाद बेसल-III के अधीन न्यूनतम पूंजी आवश्यकता</p>			<b>318.83</b>			279.61			1.35			37.87			<b>321.96</b>			282.74			1.35			37.87			<b>364.84</b>				<b>बेसल-II</b>	<b>बेसल-III</b>	न्यूनतम पूंजी आवश्यकता	<b>6115.30</b>	<b>6113.87*</b>	पूंजी निधि	<b>7455.00</b>	<b>7170.94</b>
<b>318.83</b>																																							
279.61																																							
1.35																																							
37.87																																							
<b>321.96</b>																																							
282.74																																							
1.35																																							
37.87																																							
<b>364.84</b>																																							
	<b>बेसल-II</b>	<b>बेसल-III</b>																																					
न्यूनतम पूंजी आवश्यकता	<b>6115.30</b>	<b>6113.87*</b>																																					
पूंजी निधि	<b>7455.00</b>	<b>7170.94</b>																																					
<p>(ङ) कुल तथा टियर 1 पूंजी अनुपात</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• शीर्ष समेकित समूह के लिए</li> <li>• महत्वपूर्ण बैंक अनुबंधियों के लिए</li> </ul>	<table border="0" style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 50%;"></td> <td style="width: 20%; text-align: center;"><b>बेसल-II</b></td> <td style="width: 30%; text-align: center;"><b>बेसल-III</b></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">सीआरएआर 31.03.14 को:</td> <td style="text-align: center;"><b>10.97%</b></td> <td style="text-align: center;"><b>10.56%</b></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">सामान्य ईक्विटी टियर 1:</td> <td style="text-align: center;">—</td> <td style="text-align: center;">8.12%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">टियर 1 पूंजी :</td> <td style="text-align: center;">8.30%</td> <td style="text-align: center;">8.12%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">टियर 2 पूंजी :</td> <td style="text-align: center;">2.67%</td> <td style="text-align: center;">2.44%</td> </tr> </table> <p>लागू नहीं, चूंकि हमारे बैंक की कोई सहायक संस्था नहीं है.</p>				<b>बेसल-II</b>	<b>बेसल-III</b>	सीआरएआर 31.03.14 को:	<b>10.97%</b>	<b>10.56%</b>	सामान्य ईक्विटी टियर 1:	—	8.12%	टियर 1 पूंजी :	8.30%	8.12%	टियर 2 पूंजी :	2.67%	2.44%																					
	<b>बेसल-II</b>	<b>बेसल-III</b>																																					
सीआरएआर 31.03.14 को:	<b>10.97%</b>	<b>10.56%</b>																																					
सामान्य ईक्विटी टियर 1:	—	8.12%																																					
टियर 1 पूंजी :	8.30%	8.12%																																					
टियर 2 पूंजी :	2.67%	2.44%																																					



## तालिका डीएफ - 4

### ऋण जोखिम - सामान्य प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण	
<p>(क) ऋण जोखिम के संबंध में सामान्य गुणात्मक प्रकटीकरण जिसमें शामिल है</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• अतिदेय तथा अनर्जक की परिभाषा (लेखाकरण कार्य के लिए)</li> <li>• बैंक की ऋण जोखिम प्रबंधन नीति पर चर्चा</li> </ul>	<p>बैंक की ऋण जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया, एक मज़बूत प्रणाली, कार्यपद्धतियां तथा नीति पर चलती है. जहाँ मंडल के निदेशक व जोखिम प्रबंधन समिति निदेश देती है वहीं अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा संचालित ऋण जोखिम प्रबंधन समिति उसका कार्यान्वयन सुनिश्चित करती है.</p> <p>ऋण जोखिम प्रबंधन, संपार्श्विक प्रबंधन तथा ऋण जोखिम उपशामक (सीआरएम) दर निर्धारण आदि के लिए नीति दिशानिर्देश तैयार किये गए हैं जिसमें उद्देश्य, गुंजाइश तथा जोखिम रिपोर्ट करने का स्वरूप, उसकी माप प्रणालियाँ, नीतियाँ, सीआरएम के ज़रिए जोखिम को नियंत्रित/कम करने हेतु अपनाई जानेवाली रणनीतियाँ, प्रक्रियात्मक कदम, उपशामक के निरंतर प्रभाव के लिए विकास, संवीक्षा तथा पर्यवेक्षण यंत्र के बारे में विस्तृत जानकारी दी गयी है.</p> <p>बेसल II मानदंडों के उच्चतर दृष्टिकोण तक जाने के लिए बैंक ने ऋण जोखिम निर्धारण, ऋण जोखिम, बाज़ार जोखिम, परिचालन जोखिम, एएलएम तथा एफटीपी के छः समाधानों के माध्यम से एकीकरण जोखिम प्रबंधन का कार्यान्वयन अपनाया है.</p> <p><b>आईआरएसी पर बैंक की नीति मानदंड (आय निर्धारण तथा आस्ति वर्गीकरण)</b> भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी संशोधित दिशानिर्देशों के आधार पर है. आस्तियों को निष्पादक तथा गैर निष्पादक आस्तियों के रूप में वर्गीकरण करने हेतु 90 दिनों के चूक मानदंड अपनाया जाता है. आईआरएसी के संपूर्ण आंकड़े लेखा परीक्षा के अधीन है. मानक आस्ति (निष्पादक) तथा गैर निष्पादक आस्ति दोनों पर निर्धारितानुसार पर्याप्त प्रावधान किया गया है. इसके अलावा पुनर्चित आस्तियों के लिए बैंक ने सामान्य अस्थाई प्रावधान तथा अतिरिक्त प्रावधान सुनिश्चित किया है.</p> <p><b>अनर्जक आस्तियों की परिभाषा (लेखाकरण उद्देश्य के लिए)</b></p> <p>कोई आस्ति गैर निष्पादक तब बनती है जब उससे बैंक को कुछ आय प्राप्त न हो जैसे (क) जब ऋण का ब्याज व/या किस्त 'अतिदेय' बनता है (*)</p>



मीयादी ऋण के संबंध में 90 दिनों के अधिक की अवधि के लिए (ख) खाता तब 'आउट आफ आर्डर' बनता है जब वह (#) नकद ऋण जैसी परिचालन सीमाओं के संबंध में 90 दिनों तक अप्रचलित हो (ग) खरीदे गए बिल/भुनाए गए बिल के संबंध में यदि बिल 'अतिदेय' बन जाते हैं (घ) किसी भी तिमाही में प्रभारित ब्याज को तिमाही के अंत से 90 दिनों के अंदर वसूल न किया गया है (ङ) अल्पावधि फसल ऋणों के मामले में मूल राशि का किश्त या उस पर ब्याज दो फसल मौसमों के लिए अतिदेय हो तथा दीर्घावधि फसल ऋणों के मामले में मूल राशि का किश्त या उसपर ब्याज एक फसल मौसम में अतिदेय रहता हो (च) जब गैर निधि आधारित राशियों के परिणति की तारीख से 90 दिन समाप्त होने पर.

\* 'अतिदेय' का तात्पर्य है किसी ऋण सुविधा के अधीन बैंक को देय कोई राशि, यदि वह देय नियत दिनांक को या गैर निधि आधारित राशि के परिणत होने पर भुगतान नहीं किया जाता.

# 'आउट आफ आर्डर' का तात्पर्य है बकाया शेष मंजूर सीमा/आहरण अधिकार से निरंतर रूप से अधिक रहता है या 90 दिन निरंतर रूप से आवश्यक राशि जमा नहीं की गयी या 90 दिनों से पहले नामे डाला गया ब्याज को प्रावरित करने हेतु खाते में काफी जमा न हो तो.

#### **बैंक ऋण जोखिम प्रबंधन नीति पर चर्चा :**

बैंक ने एक व्यापक ऋण जोखिम प्रबंधन नीति का सूत्रपात किया है तथा ऋण जोखिम प्रबंधन समिति, बेसल II कार्यकारी समूह आदि जैसी विभिन्न समितियों को गठित किया है ताकि कई प्रबंधन तकनीकों को सुधारा जा सके जिससे ऋण जोखिम पर प्रतिकूल प्रभाव डालनेवाले बाह्य तथा आंतरिक घटकों को हिसाब में लेते हुए ऋण जोखिमों की पहचान, मापन, संवीक्षा व नियंत्रण करने में बैंक को मदद मिले. बैंक ने जोखिम प्रबंधन नीतियाँ तथा उधार नीति को और सुचारू बनाया है. इसमें ऋण मूल्यांकन नाम जैसे बेंचमार्क/प्रमुख वित्तीय संकेतकों पर रोक अनुपात, आंतरिक अधिकतम सीमा, बड़े ऋण प्रस्ताव के लिए विवेकपूर्ण मानदंड, ऋण संकेद्रीकरण, ऋण समीक्षा संयंत्र/ऋण लेखा परीक्षा, उच्च मूल्य उधार खातों (व्यापक ऋण संवीक्षा रिपोर्ट) की विशेष समीक्षा, जोखिम, संकेद्रीकरण/जोखिम दर निर्धारण के आधार पर अनुवीक्षण व लागत निर्धारण तथा जोखिम दर निर्धारण के आधार पर समीक्षा शामिल है तथा इसमें संवेदनशील क्षेत्र जैसे पूंजी बाज़ार, भू संपदा तथा पण्य क्षेत्र के लिए जोखिम उच्चतम सीमा भी प्रावरित है. बैंक की व्यापक वसूली नीति भी तैयार की गयी है तथा समय-समय पर संशोधित किया गया है.



**परिमाणात्मक प्रकटीकरण**

(ख) सकल ऋण जोखिम -  
- निधि आधारित व गैर निधि आधारित

(ग) ऋण जोखिम का भौगोलिक संवितरण  
- निधि आधारित व गैर निधि आधारित अलग-अलग  
• समुद्रपारीय  
• देशी

**सकल ऋण जोखिम**

निधि आधारित	:	₹ 112965.88 करोड
गैर निधि आधारित	:	₹ 11139.94 करोड
<b>कुल **</b>		<b>₹ 124105.82 करोड</b>

**समुद्रपारीय:** निधि आधारित व गैर निधि आधारित: कुछ नहीं

देशी	:	निधि आधारित	:	₹ 112965.88 करोड
		गैर निधि आधारित	:	₹ 11139.94 करोड
		<b>कुल **</b>	:	<b>₹ 124105.82 करोड</b>

\*\* ऋण व अग्रिम निवेश + जिसमें ₹ 11,232.94 करोड का अनाहरित ऋण ₹ 18.96 करोड का सीसीआईएल/एमसीएक्स जोखिम तथा ₹ 13,436.46 करोड की अन्य आस्ति जोखिम शामिल नहीं है.

सकल ऋण का भौगोलिक-वार संवितरण निम्नानुसार है :

(₹ करोड़ों में)

	सकल ऋण	राज्य	सकल ऋण
अंडमान व निकोबार	29.50	मध्य प्रदेश	381.30
आंध्र प्रदेश	5913.27	महाराष्ट्र	22893.03
अरुणाचल प्रदेश	74.23	मणिपुर	22.19
असम	189.82	मेघालय	76.41
बिहार	116.92	मिजोरम	44.28
चंडीगढ़	143.16	नागालैंड	79.23
छत्तीसगढ़	165.46	ओडीसा	141.17
दामन व दियु	8.30	पांडिचेरी	56.74
दिल्ली	15939.66	पंजाब	1105.71
गोवा	111.29	राजस्थान	1908.62
गुजरात	3774.95	सिक्किम	13.17
हरियाणा	1687.86	तमिलनाडु	4772.85
हिमाचल प्रदेश	27.94	त्रिपुरा	26.15
दमन व कश्मीर	16.76	उत्तर प्रदेश	2303.55
झारखंड	79.28	उत्तरांचल	72.17
कर्नाटक	16337.36	पश्चिम बंगाल	1996.51
केरल	1916.34	<b>सकल कुल</b>	<b>82425.18</b>



(घ) ऋण का उद्योगवार संवितरण	ऋण का उद्योगवार संवितरण	(रु. करोड़ों में)
	ऊर्जा	14633.40
	परिवहन	4538.27
	संचार	837.24
	सामाजिक तथा वाणिज्यिक बुनियादी सुविधाएं	1490.40
	पानी तथा स्वच्छता	433.53
	इस्पात तथा इंजिनियरिंग उद्योग	4313.74
	सिमेंट उद्योग	547.44
	वस्त्र उद्योग	543.69
	अमूल्य रत्न तथा आभूषण	586.70
	इलेक्ट्रॉनिक्स	671.90
	चीनी उद्योग	91.86
	रिफ़ाइनरी	174.42
	अल्यूमिनीयम	649.80
	ऑटोमोबाइल तथा ऑटो पुर्जे	231.75
	निर्माण	1156.29
	फार्मास्यूटिकल्स	448.52
	कृषि आधारित	295.46
	डिस्टिलरी	229.20
	<b>कुल</b>	<b>31873.61</b>

(ङ) यथा 31.03.2014 को आस्तियों का अवशिष्ट संविदागत परिपक्वता ब्रेकडाउन (रु. करोड़ों में)

अवधि	1 दिन	2-7 दिन	8-14 दिन	15-28 दिन	29 दिन - 3 महीने	3 महीनों से 6 महीने तक	6 महीनों से 1 वर्ष	1 वर्ष से अधिक व 3 वर्ष तक	3 वर्ष से अधिक व 5 वर्ष तक	5 वर्षों से अधिक	कुल
एफ.सी. आस्तियाँ	124.62	609.07	5.99	23.63	57.21	90.31	14.41	0.00	0.00	0.65	<b>925.89</b>
अग्रिम	1048.73	363.63	670.73	749.12	5453.51	4250.82	5156.11	43593.45	9578.12	9114.96	<b>79979.18</b>
निवेश	6737.15	1744.95	148.72	1211.48	1782.72	842.48	2069.35	6927.47	9845.15	11275.92	<b>42585.38</b>

31.03.2014 की स्थिति

(रु. करोड़ों में)

(च)	एनपीए की राशि (सकल)	
	• अवमानक	905.03
	• संदिग्ध 1	468.63
	• संदिग्ध 2	558.98
	• संदिग्ध 3	39.64
	• हानि	13.57
(छ)	निवल एनपीए	1262.37
(ज)	एनपीए अनुपात	
	• सकल अग्रिम के प्रति सकल एनपीए	2.41 %
	• निवल अग्रिम के प्रति निवल एनपीए	1.55 %



(झ)	एनपीए का उतार-चढ़ाव (सकल)	
	• अथशेष	1532.94
	• परिवर्धन	2173.87
	• कटौतियाँ	1720.95
	• इतिशेष	1985.86
	एनपीए का उतार-चढ़ाव (निवल)	
	• अथशेष	909.69
	• परिवर्धन/	352.68
	• कटौतियाँ	0.00
	• इतिशेष	1262.37
(ञ)	एनपीए हेतु प्रावधान का उतार-चढ़ाव	
	• अथशेष	619.24
	• अवधि के दौरान किए गए प्रावधान	384.04
	• बढ़े खाता डालना	293.36
	• अतिरिक्त प्रावधानों का प्रतिलेखन	0.00
	• इतिशेष	709.92
(ट)	गैर-निष्पादन निवेशों की राशि (एचटीएम श्रेणी के अधीन)	9.25
(ठ)	गैर-निष्पादक निवेशों के लिए प्रावधानों की राशि (एनपीआई)	12.47
(ड)	गैर-निष्पादक निवेशों पर प्रावधानों का उतार-चढ़ाव	
	• अथशेष	11.27
	• अवधि के दौरान किए गए प्रावधान	1.20
	• बढ़े खाता डालना	0.00
	• अतिरिक्त प्रावधानों का प्रतिलेखन	0.00
	• इतिशेष	12.47

तालिका डीएफ - 5

ऋण जोखिम - मानकीकरण दृष्टिकोण के अधीन संविभागों के लिए प्रकटीकरण

<p><b>गुणात्मक प्रकटीकरण</b></p> <p>(क) मानकीकरण दृष्टिकोण के अधीन संविभागों के लिए</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• प्रयुक्त ऋण का दर्जा निर्धारण एजेंसी के नाम तथा परिवर्तन के लिए कारण</li> <li>• ऋण जोखिम के प्रकार जिनके लिए प्रत्येक एजेंसी का प्रयोग किया जाता है.</li> <li>• सार्वजनिक निर्गम रेटिंग को बैंकिंग बही में तुलना योग्य आस्तियों के अंतरण हेतु उपयोग में लाई गयी प्रक्रिया का विवरण</li> </ul>	<p>बैंक ने भारिबैं द्वारा अनुमोदित बाह्य ऋण रेटिंग एजेंसियों जैसे सीआरआईएसआईएल/आईसीआरए/फिच(इंडिया रेटिंग)/एससीएआरआई/एसएमईआरए/ब्रिक्वर्क के ही दर निर्धारणों का उपयोग किया है. बाह्य दर निर्धारण प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने तथा अपने निवेश के लिए ग्राहकों को बाह्य दर निर्धारण की माँग करने योग्य बनाने हेतु बैंक ने इन निर्धारण एजेंसियों के साथ एक अलग से समझौता करार किया है.</p> <p>₹ 5 करोड़ से अधिक सभी कार्पोरेट ऋण जोखिम तथा सार्वजनिक क्षेत्र इकाइयों को ऋण जोखिम.</p> <p>बैंक ने केवल उन बैंक दर निर्धारणों का उपयोग किया है जो सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध है. इसके अलावा बैंक ने कोई सार्वजनिक निर्गम रेटिंग का उपयोग नहीं किया है.</p>					
<p><b>परिमाणात्मक प्रकटीकरण</b></p> <p>(ख) मानकीकरण दृष्टिकोण के अंतर्गत जोखिम न्यूनीकरण के पश्चात ऋण जोखिम की राशियों के लिए निम्नलिखित तीन प्रमुख जोखिम समूहों और कटौती की गयी जोखिम राशि में बैंक की बकाया राशियाँ (रेटिंग सहित और रेटिंग रहित)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 100% जोखिम भार से नीचे</li> <li>• 100% जोखिम भार</li> <li>• 100% से अधिक जोखिम भार</li> <li>• कटौती की गयी - वित्तीय संपार्श्विक</li> </ul> <p>कुल</p> <p>** में निम्नलिखित तुलन पत्र के बाह्य जोखिम भी शामिल है</p> <p>एनएफबी जोखिम- 11139.94 करोड़  अनाहरित अंश - 11232.94 करोड़  सीसीआईएल व एमसीएक्स - 18.96 करोड़</p>	<p>ऋण जोखिम ** (₹ करोड़ों में)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="text-align: right;">89968.13</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">31672.30</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">13717.28</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">8505.04</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;"><b>135357.72</b></td> </tr> </tbody> </table>	89968.13	31672.30	13717.28	8505.04	<b>135357.72</b>
89968.13						
31672.30						
13717.28						
8505.04						
<b>135357.72</b>						





## तालिका डीएफ - 6

## ऋण जोखिम न्यूनीकरण : - मानकीकृत पद्धति के अंतर्गत प्रकटन

गुणात्मक प्रकटीकरण	
(क) ऋण जोखिम न्यूनीकरण के संबंध में सामान्य गुणात्मक प्रकटीकरण में निम्न शामिल हैं :	भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बेसल 1। अंतिम दिशानिर्देशों में सूचितानुसार ऋण जोखिम को कम करने के लिए सामान्य सिद्धांत जैसे विशिष्ट ग्रहणाधीकार रखना, आवश्यक न्यूनतम मार्जिन निर्धारण, मूल्यांकन, वैधिक निश्चिता, प्रलेखीकरण, आवधिक निरीक्षण, सुलभ तरलता आदि का उपयोग किया गया है. मुद्रा बेमेल तथा परिपक्वता बेमेल के लिए समायोजन सहित सभी निर्धारित मार्जिन लिए गए हैं. जोखिम भारिता को समनुदेशित करने से पहले ऋण जोखिम से उपलब्ध वित्तीय संपार्श्विकों को समायोजित किया जाता है. ऋण जोखिम न्यूनीकरण के प्रभाव का दुहरी लेखाकरण नहीं किया जाता है.
<ul style="list-style-type: none"> <li>तुलन पत्र की निवल अवधारणा में तथा उसके बाहर बैंक द्वारा उपयोग करने की सीमा तक तथा नीति तथा प्रक्रिया के लिए</li> <li>संपार्श्विक मूल्यांकन और प्रबंधन के लिए नीतियाँ और प्रक्रियाएँ.</li> <li>बैंक द्वारा ली गयी मुख्य प्रकार की संपार्श्विक प्रतिभूतियों के विवरण</li> <li>प्रतिपक्षी गारंटीकर्ता का मुख्य प्रकार तथा उनकी ऋण पात्रता</li> <li>जोखिम न्यूनीकरण मर्दों के अंतर्गत अधिक जोखिम (बाज़ार या ऋण) संबंधी सूचना</li> </ul>	<p>सीआरएम के उद्देश्य के लिए वित्तीय संपार्श्विक में बैंक की अपनी सावधि जमाराशि, नकद मार्जिन, जीवन पॉलिसी, एनएससी, केवीपी, 99.99 शुद्धता आधार का सोना शामिल है.</p> <p>गारंटी दिए गए ऋण जोखिम में केंद्र/राज्य सरकार, ईसीजीसी बैंक और सीजीएस्टीएमई द्वारा गारंटी शामिल है.</p> <p>सीआरएम/गारंटी दिए गए ऋण जोखिम किसी भी बाज़ार उतार-चढ़ाव के अधीन नहीं है तथा ये ऋण जोखिम विविधकृत हैं.</p>

परिमाणात्मक प्रकटीकरण	₹ करोड़ों में				
	ऋण जोखिम	ऋण व अग्रिम **	गैर-निधि आधारित	निवेश *	कुल
(ख) प्रत्येक अलग से प्रकट किए गए ऋण जोखिम संविभाग के लिए कुल ऋण जोखिम (तुलन पत्र की निवल अवधारणा में तथा उसके बाहर जहां कहीं लागू होने के बाद) जो कि मार्जिन लागू करने के बाद पात्र वित्तीय संपार्श्विक द्वारा प्रावरित	जोखिम	93657.69	6613.14	35086.89	135357.72
	सीआरएम(वित्तीय संपार्श्विक)	7937.69	566.35	0.00	8504.04
	निवल ऋण जोखिम	85720.00	6046.79	35086.89	126853.68
(ग) प्रत्येक अलग से प्रकट किए गए संविभाग के लिए कुल ऋण जोखिम (तुलन पत्र की निवल अवधारणा में तथा उसके बाहर जहां कहीं लागू होने के बाद) जो कि गारंटी/ऋण व्युत्पन्न द्वारा प्रावरित (जब कभी भा.रि.बैं. द्वारा विशेष रूप से अनुमत)	₹ करोड़ों में				
	गारंटी की स्थिति	ऋण व अग्रिम **	गैर-निधि आधारित	निवेश *	कुल
	जोखिम	93657.69	6613.14	35086.89	135357.72
	केंद्र/राज्य सरकार	5706.31	0.00	26902.02	32608.33
	ईसीजीसी/बैंक/सीजीटीएसआई	3244.12	0.00	0.00	3244.12
	कुल गारंटी	8950.43	0.00	26902.02	35852.45
	निवल ऋण जोखिम	84707.26	6613.14	8184.87	99505.27
# इसमें केंद्र/राज्य सरकार द्वारा जारी बांड/प्रपत्र तथा/या केंद्र सरकार द्वारा गारंटी शामिल है.					

मानकीकृत पद्धति (निधि व निधियेतर आधारित) के अधीन ऋण जोखिम संविभाग के लिए, कुल पात्र वित्तीय संपार्श्विक का परिकलन मार्जिन, जहां कहीं लागू हो, के बाद किया जाता है.



**तालिका डीएफ - 7**  
**प्रतिभूतिकरण**  
**मानकीकृत प्रक्रिया हेतु प्रकटीकरण**

बैंक ने वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान बैंकिंग बही या ट्रेडिंग बही में किसी भी आस्ति का प्रतिभूतिकरण नहीं किया है.

**तालिका डीएफ - 8**  
**व्यापार बही में बाजार जोखिम**

गुणात्मक प्रकटीकरण																																															
(क) मानकीकृत पद्धति द्वारा प्रावरित संविभाग सहित बाजार जोखिम के लिए सामान्य गुणात्मक प्रकटीकरण की आवश्यकता	<p>बाजार जोखिम ब्याज दर, ईक्विटी मूल्य, विदेशी मुद्रा, पण्य मूल्य में बाजार चलन की वजह से संभावित जोखिम है.</p> <p>बेसल-II में बाजार जोखिम के लिए दो पद्धतियों का प्रस्ताव है यथा मानकीकृत अवधि प्रक्रिया तथा आंतरिक मॉडल प्रक्रिया. संप्रति बैंक ने "मानकीकृत अवधि प्रक्रिया" लागू किया है तथा आंतरिक मॉडल प्रक्रिया लागू करने जा रहा है. मानकीकृत अवधि प्रक्रिया में निम्न विशेषताएं हैं.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>मानकीकृत प्रक्रिया के अधीन पूंजी अपेक्षा का परिकलन ब्याज दर जोखिम, ईक्विटी मूल्य जोखिम, विदेशी विनिमय जोखिम तथा पण्य जोखिम के आधार पर किया जाता है.</li> <li>सामान्य बाजार जोखिम का परिकलन संशोधित अवधि तथा आय में परिवर्तन के आधार पर किया जाता है.</li> <li>विशेष जोखिम का परिकलन बाह्य जोखिम दर निर्धारण, प्रपत्र की अवधि आदि के आधार पर किया जाता है.</li> </ol> <p>पूंजी प्रभार के परिकलन के उद्देश्य के लिए बैंक ने 'मानकीकृत अवधि पद्धति' को अपनाया है जो निम्न प्रकार है:</p> <p><b>31.03.2014 को बेसल-II के अधीन बाजार जोखिम के लिए पूंजी प्रभार का कुल ₹ करोड़ों में</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>जोखिम श्रेणी</th> <th>पूंजी प्रभार</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(क) एचएफटी के अन्तर्गत धारित प्रतिभूतियों के लिए बाजार जोखिम</td> <td><b>9.07</b></td> </tr> <tr> <td>ब्याज दर (क +ख)</td> <td>9.07</td> </tr> <tr> <td>क. सामान्य बाजार जोखिम</td> <td>9.07</td> </tr> <tr> <td>(i) निवल स्थिति (समानांतर विचलन)</td> <td>9.07</td> </tr> <tr> <td>(ii) सम स्तरीय अस्वीकृति (कर्वेचर)</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>(iii) ऊर्ध्वस्थ अस्वीकृति (बेसिस)</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>ख. विशिष्ट जोखिम</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>(ख) एएफएस के अन्तर्गत धारित प्रतिभूतियों के लिए पूंजी प्रभार हेतु बाजार जोखिम</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ब्याज दर (क +ख)</td> <td>270.54</td> </tr> <tr> <td>क. सामान्य बाजार जोखिम</td> <td>184.83</td> </tr> <tr> <td>(i) निवल स्थिति (समानांतर विचलन)</td> <td>184.83</td> </tr> <tr> <td>(ii) सम स्तरीय अस्वीकृति (कर्वेचर)</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>(iii) ऊर्ध्वस्थ अस्वीकृति (बेसिस)</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>ख. विशिष्ट जोखिम</td> <td>85.71</td> </tr> <tr> <td>ग. एएफएस के अन्तर्गत धारित प्रतिभूतियों के लिए वैकल्पिक कुल पूंजी प्रभार</td> <td><b>123.88</b></td> </tr> <tr> <td>I. ब्याज दर संबंधी लिखत क+(ख या ग जो भी अधिक हो)</td> <td><b>279.61</b></td> </tr> <tr> <td>II. ईक्विटी (क+ख)</td> <td><b>37.87</b></td> </tr> <tr> <td>क. सामान्य बाजार जोखिम</td> <td>16.83</td> </tr> <tr> <td>ख. विशिष्ट जोखिम</td> <td>21.04</td> </tr> <tr> <td>III. विदेशी विनिमय एवं स्वर्ण</td> <td><b>1.35</b></td> </tr> <tr> <td>IV. बाजार जोखिम के लिए पूंजी प्रभार (I+II+III)</td> <td><b>318.83</b></td> </tr> <tr> <td>कुल जोखिम भारत आस्तियां</td> <td><b>3542.56</b></td> </tr> </tbody> </table>	जोखिम श्रेणी	पूंजी प्रभार	(क) एचएफटी के अन्तर्गत धारित प्रतिभूतियों के लिए बाजार जोखिम	<b>9.07</b>	ब्याज दर (क +ख)	9.07	क. सामान्य बाजार जोखिम	9.07	(i) निवल स्थिति (समानांतर विचलन)	9.07	(ii) सम स्तरीय अस्वीकृति (कर्वेचर)	0.00	(iii) ऊर्ध्वस्थ अस्वीकृति (बेसिस)	0.00	ख. विशिष्ट जोखिम	0.00	(ख) एएफएस के अन्तर्गत धारित प्रतिभूतियों के लिए पूंजी प्रभार हेतु बाजार जोखिम		ब्याज दर (क +ख)	270.54	क. सामान्य बाजार जोखिम	184.83	(i) निवल स्थिति (समानांतर विचलन)	184.83	(ii) सम स्तरीय अस्वीकृति (कर्वेचर)	0.00	(iii) ऊर्ध्वस्थ अस्वीकृति (बेसिस)	0.00	ख. विशिष्ट जोखिम	85.71	ग. एएफएस के अन्तर्गत धारित प्रतिभूतियों के लिए वैकल्पिक कुल पूंजी प्रभार	<b>123.88</b>	I. ब्याज दर संबंधी लिखत क+(ख या ग जो भी अधिक हो)	<b>279.61</b>	II. ईक्विटी (क+ख)	<b>37.87</b>	क. सामान्य बाजार जोखिम	16.83	ख. विशिष्ट जोखिम	21.04	III. विदेशी विनिमय एवं स्वर्ण	<b>1.35</b>	IV. बाजार जोखिम के लिए पूंजी प्रभार (I+II+III)	<b>318.83</b>	कुल जोखिम भारत आस्तियां	<b>3542.56</b>
जोखिम श्रेणी	पूंजी प्रभार																																														
(क) एचएफटी के अन्तर्गत धारित प्रतिभूतियों के लिए बाजार जोखिम	<b>9.07</b>																																														
ब्याज दर (क +ख)	9.07																																														
क. सामान्य बाजार जोखिम	9.07																																														
(i) निवल स्थिति (समानांतर विचलन)	9.07																																														
(ii) सम स्तरीय अस्वीकृति (कर्वेचर)	0.00																																														
(iii) ऊर्ध्वस्थ अस्वीकृति (बेसिस)	0.00																																														
ख. विशिष्ट जोखिम	0.00																																														
(ख) एएफएस के अन्तर्गत धारित प्रतिभूतियों के लिए पूंजी प्रभार हेतु बाजार जोखिम																																															
ब्याज दर (क +ख)	270.54																																														
क. सामान्य बाजार जोखिम	184.83																																														
(i) निवल स्थिति (समानांतर विचलन)	184.83																																														
(ii) सम स्तरीय अस्वीकृति (कर्वेचर)	0.00																																														
(iii) ऊर्ध्वस्थ अस्वीकृति (बेसिस)	0.00																																														
ख. विशिष्ट जोखिम	85.71																																														
ग. एएफएस के अन्तर्गत धारित प्रतिभूतियों के लिए वैकल्पिक कुल पूंजी प्रभार	<b>123.88</b>																																														
I. ब्याज दर संबंधी लिखत क+(ख या ग जो भी अधिक हो)	<b>279.61</b>																																														
II. ईक्विटी (क+ख)	<b>37.87</b>																																														
क. सामान्य बाजार जोखिम	16.83																																														
ख. विशिष्ट जोखिम	21.04																																														
III. विदेशी विनिमय एवं स्वर्ण	<b>1.35</b>																																														
IV. बाजार जोखिम के लिए पूंजी प्रभार (I+II+III)	<b>318.83</b>																																														
कुल जोखिम भारत आस्तियां	<b>3542.56</b>																																														
परिमाणात्मक प्रकटीकरण																																															
(ख) निम्न के लिए पूंजी अपेक्षा																																															
<ul style="list-style-type: none"> <li>ब्याज दर जोखिम</li> <li>ईक्विटी स्थिति जोखिम</li> <li>विदेशी विनिमय जोखिम</li> </ul>																																															



यथा 31.03.2014 को बेसल-III के अधीन बाजार जोखिम के लिए पूंजी प्रभार का कुल		(₹ करोड़ों में)
	जोखिम श्रेणी	पूंजी प्रभार
(क)	एचएफटी के अन्तर्गत धारित प्रतिभूतियों के लिए बाज़ार जोखिम	
	ब्याज दर (क +ख)	9.07
	क. सामान्य बाजार जोखिम	9.07
	(i) निवल स्थिति (समानांतर विचलन)	9.07
	(ii) सम स्तरीय अस्वीकृति (कर्वेचर)	0.00
	(iii) ऊर्ध्वस्थ अस्वीकृति (बेसिस)	0.00
	ख. विशिष्ट जोखिम	0.00
(ख)	एएफएस के अन्तर्गत धारित प्रतिभूतियों के लिए पूंजी प्रभार हेतु बाज़ार जोखिम	
	ब्याज दर (क +ख)	273.67
	क. सामान्य बाजार जोखिम	184.83
	(i) निवल स्थिति (समानांतर विचलन)	184.83
	(ii) सम स्तरीय अस्वीकृति (कर्वेचर)	0.00
	(iii) ऊर्ध्वस्थ अस्वीकृति (बेसिस)	0.00
	ख. विशिष्ट जोखिम	88.84
ग.	एएफएस के अन्तर्गत धारित प्रतिभूतियों के लिए वैकल्पिक कुल पूंजी प्रभार	127.55
	I. ब्याज दर संबंधी लिखत {क +(ख या ग जो भी अधिक हो)}	282.74
	II. ईक्विटी (क+ख)	37.87
	क. सामान्य बाज़ार जोखिम	16.83
	ख. विशिष्ट जोखिम	21.04
	III. विदेशी विनिमय एवं स्वर्ण	1.35
	IV. बाजार जोखिम के लिए पूंजी प्रभार (I+II+III)	321.96
	कुल जोखिम भारित आस्तियां	3577.33

## तालिका डीएफ - 9

### परिचालन - जोखिम

#### गुणात्मक प्रकटीकरण

बेसल II से संबंधित भारिबैं के अंतिम मार्गनिर्देशों में दर्शाया गयानुसार 'मूल सूचक पद्धति' के अनुरूप परिचालन - जोखिम के लिए बैंक पूंजी प्रभार परिकलन अपना रहा है। बैंक ने परिचालनात्मक जोखिम प्रबंधन समिति की स्थापना की है जो सभी प्रकार के परिचालनात्मक जोखिमों की पहचान, मूल्यांकन, निगरानी एवं नियंत्रण करेगी। साथ में यह समिति परिचालनात्मक जोखिम प्रबंधक (ओआरएम), लॉस डाटा, जोखिम व नियंत्रण स्व-मूल्यांकन (आरसीएसए), प्रमुख जोखिम सूचक (केआरआई), परिदृश्य विश्लेषण (एसए), कारोबार निरंतरता नीति (बीसीजी), कारोबार निरंतरता व आपदा से उभरने की योजना, आउटसोर्सड गतिविधियां, नया उत्पाद व गतिविधियों की समीक्षा, आदि संबंधी विस्तृत नीतिगत मार्गनिर्देशों के अनुपालन से इस प्रकार के जोखिमों के न्यूनीकरण के उपाय करेगी। बैंक ने कार्यपालक स्तर पर 'क्षेत्रीय जोखिम पर्यवेक्षकों' तथा क्षेत्रीय कार्यालयों में वरिष्ठ अधिकारियों के स्तर पर 'क्षेत्रीय जोखिम अधिकारी' के रूप में पहचान की है ताकि जोखिम प्रबंधन क्षेत्रों के संबंध में सभी आवश्यकताओं की देखभाल की जा सके।



आगे बैंक परिचालनात्मक जोखिम का प्रबंधन, नियंत्रण एवं न्यूनीकरण हेतु निम्न उपाय कर रहा है :

- अनुदेश पुस्तिका/मैनुअल आवधिक अंतरालों पर अद्यतन करने के अलावा नियमित/वार्षिक स्तर पर समीक्षा के बाद विविध नीतियों का संशोधन किया जाता है.
- त्रैमासिक आधार पर परिचालनात्मक जोखिम हानि(धोखाधड़ी सहित व रहित डाटा) की सूचना परिचालनात्मक जोखिम प्रबंधन समिति को दी जाती है.
- आईटी सुरक्षा नीति बैंक में बनाई गई है तथा विविध आईटी सुरक्षा समाधान जैसे डाटा केन्द्र एवं शाखाओं को एण्टी वैरस, फायर वाल, एनक्रिप्शन तकनीकी, इनट्रूशन डिटेक्शन प्रणाली, रौटर आधारित सुरक्षा नीति, नेटवर्क सुरक्षा नीति का अनुपालन किया. अप्लिकेशन एक्सेस नियंत्रण संबंधी नीति, पासवर्ड सुरक्षा, पासवर्ड का दुरुपयोग संबंधी मार्गनिर्देश आदि का कार्यान्वयन कोर बैंकिंग क्षेत्र में किया है. बैंक अपने नेटवर्क, डाटा केन्द्र, डिसास्टर रिकवरी साइट, कारोबार सुविधा ईकाइयों के लिए सूचना सुरक्षा व नेटवर्क लेखापरीक्षा का आयोजन कर रहा है. बैंक महत्वपूर्ण सेवाओं जैसे, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाईल बैंकिंग, कोर बैंकिंग सोल्यूशन के लिए भेद्यता मूल्यांकन तथा भेदन परीक्षण कर रहा है ताकि कोई कमी हो तो उसे ठीक करने के लिए सुधारात्मक कदम उठाए जाएं. बैंक, तीसरी पार्टी के साफ्टवेयर अप्लिकेशन की आईएस लेखा परीक्षा कर रहा है ताकि गोपनीयता, समाकलन तथा इस के सभी आईटी स्रोतों की उपलब्धता में लगातार सुधार ला सकें.
- सिस्टम खराब होने की संभाव्यता को रोकने के लिए, जिसके कारण कारोबार में रुकावट हो सकती है, बैंक ने विविध स्तरों पर आपदा से उभरने एवं कारोबार की निरंतरता तंत्र एवं उपायों को कार्यान्वयन किया है. विशेषतया संवेदनशील जैसे कोर बैंकिंग प्रणाली, नेटवर्क सुविधा, आईटीएमएस, आईआरएमएस, हेचआरएमएस के लिए.
- वर्ष 2008-09 में संशोधित आरबीआइए फॉर्मेट पर आधारित जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा (आरबीआईए) सभी शाखाओं में कार्यान्वित किया गया है.
- बैंक ने दस परिचालनात्मक क्षेत्रों जैसे खुदरा बैंकिंग, शाखा परिचालन, इंटरनेट बैंकिंग, एटीएम परिचालन, फारेक्स, करेन्सी चेस्ट लॉकर, विप्रेषण, सूचना प्रौद्योगिकी, डेबिट कार्ड व क्रेडिट कार्ड परिचालन के अधीन अपनी कारोबार ईकाइयों को आरसीएसए प्रक्रिया के अधीन डाला है.
- बैंक परिचालन जोखिम के लिए पूंजी प्रभार की गणना करने के लिए मानकीकृत दृष्टिकोण(टीएसए) का कार्यान्वयन करने की प्रक्रिया में है.
- विभाग, हानि डाटा के परिचालनात्मक जोखिम के भरे न गए सेल के लिए परिदृश्य बना रहा है जो एएमए कार्यान्वयन के लिए आवश्यक है.

**परिमाणात्मक प्रकटीकरण :**

**परिचालनात्मक जोखिम पर पूंजी प्रभार का परिकलन  
3 वर्षों के लिए सकल आय का औसतन**

		(₹ करोड़ों में)		
		31.03.11	31.03.12	31.03.2013
1.	निवल लाभ	523.82	580.99	585.61
	जोड़ें			
2.	प्रावधान एवं आकस्मिताएँ	522.86	649.07	536.42
3.	परिचालन व्यय	1433.28	1201.36	1362.97
4.	<b>उप-कुल</b>	<b>2479.96</b>	<b>2431.42</b>	<b>2485.00</b>
	घटाएँ			
5.	एचटीएम संवर्ग में प्रतिभूतियों की बिक्री से प्राप्त लाभ/हानि	11.55	16.29	60.72
6.	बीमा क्रियाकलाप तथा बैंक के पक्ष में बीमा दावों से प्राप्त आय	1.07	3.08	3.89
7.	आय व व्यय की असाधारण/अनियमित मद	0.00	0.00	0.00
8.	वर्ष के दौरान प्रावधान एवं बड़े खाते में डाली गई राशि का प्रत्यावर्तन	2.88	0.00	0.00
9.	चल व अचल संपत्ति मदों के निपटान से प्राप्त आय	-0.15	0.29	-0.13
10.	बैंक के पक्ष में कानूनी समझौतों से प्राप्त आय	0.00	0.00	0.00
11.	<b>उपकुल</b>	<b>15.35</b>	<b>19.66</b>	<b>64.48</b>
12.	<b>परिचालन जोखिम की गणना के उद्देश्य से सकल आय</b>	<b>2464.61</b>	<b>2411.76</b>	<b>2420.52</b>
3 वर्षों की सकल आय का औसतन		=	₹ 2432.30 करोड़	
परिचालन जोखिम के लिए पूंजी प्रभार		=	सकल आय का औसतन * आल्फा (15%)	
		=	₹ 364.84 करोड़	
समान जोखिम भारित आस्तियाँ		=	₹ 4053.83 करोड़	



## तालिका डीएफ – 10

### बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम (आईआरआरबीबी)

#### गुणात्मक प्रकटीकरण

साधारण गुणात्मक प्रकटीकरण की आवश्यकता में आईआरआरबीबी की प्रकृति एवं मुख्य पूर्व धारणा, ऋण के पूर्व भुगतानों के संबंध में एवं अपरिपक्व जमा का व्यवहार तथा आईआरआरबीबी के बारंबार मापन

#### ब्याज दर जोखिम प्रबंधन

बैंक द्वारा ब्याज दर जोखिम प्रबंधन की प्रक्रिया में कारोबार उद्देश्य, मुद्रा बाजार एवं ऋण पूंजी बाजार जिस में बैंक के परिचालन होते हैं को समझना तथा इन मानदण्डों के संदर्भ में बाजार जोखिम के लिए अपनी तैयारी को पहचानना व निर्धारित करना शामिल हैं।

तुलन पत्र में होनेवाले ब्याज दर जोखिम का प्रबंधन करने के लिए बैंक दो प्रक्रियाओं/दृष्टिकोणों को अपनाता है।

- 1) पहला दृष्टिकोण पारंपरिक गैप विश्लेषण परिणामों के आधार पर तुलन पत्र पर आस्ति देयता प्रबंधन (एएलएम). इस में ब्याज दर पर बैंक के नज़रिए पर आधारित होकर आस्ति एवं देयताओं का समतुलन/पुनःसमतुलन सावधानी पूर्वक करना भी शामिल है ताकि जोखिम भरे ब्याज आय को दूर कर सकें. उचित प्रकार की (प्रकार एवं परिपक्वता) आस्तियों एवं देयताओं की धारणा करते हुए जोखिम को न्यूनतम कर सकने के अभ्यास के ज़रिए कथित लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं तथा बैंक के कुछ लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं (जैसे लक्ष्य आय की प्राप्ति के साथ साथ जोखिम को कम करना)
- 2) बचाव व्यवस्था के ज़रिए तुलन पत्र से बाहर आस्ति देयता प्रबंधन (एएलएम) करना दूसरा दृष्टिकोण है. बचाव व्यवस्था से तुलन पत्र के बाहर की स्थिति बनती है. ओटीसी व्युत्पन्नी उत्पाद जिसका प्रयोग बैंक द्वारा अपने व्यापार संविभाग की बचाव व्यवस्था के लिए किया जाता है एवं कुछ देयताएँ ब्याज दर के स्वैप होते हैं (आईआरएस).

तुलन पत्र प्रबंधन समूह बैठकों में विचार विमर्श किया जाता है इसके अलावा बाजार जोखिम प्रबंधन/आस्ति देयता प्रबंधन समिति (एमआरएमसी/आल्को) अपनी मासिक बैठकों में आस्ति देयता प्रबंधन पद्धतियों पर विचार-विमर्श करती हैं।

#### बैंक द्वारा प्रयुक्त विश्लेषण

बैंक नियमित रूप से निवेश सूची की अवधि एवं आशोधित अवधि का विश्लेषण करता है तथा ब्याज दर जोखिम को कम करने के लिए अपनी निवेश सूची को पुनः संतुलन करता है. आल्को/एमआरएमसी द्वारा पाक्षिक अंतरालों पर तथा मंडल द्वारा मासिक अंतरालों पर कथित निवेश सूची के प्रबंधन की समीक्षा की जाती है.

आस्ति देयता प्रबंधन संबंधी मार्गनिर्देशों के अनुसार ब्याज दर संवेदनशीलता अंतर विवरणी (आईआरएस) पाक्षिक आधार पर तैयार की जाती है. संवेदनशील आस्तियों की प्रतिशतता विविध दर-वार संवेदन अंतरों की मासिक अंतरालों पर मंडल द्वारा निर्धारित छूट-सीमाओं के प्रति एमआरएमसी/आल्को द्वारा निगरानी रखी जाती है.

छूट सीमा के उल्लंघन पर संबंधित परिचालनीय तुलन पत्र की मदों के परिपक्वता प्रोफाइल की पुनर्संरचना के अनुदेश के साथ या बगैर एमआरएमसी/आल्को कथित उल्लंघन का अनुसमर्थन करता है. ब्याज दर एवं बाज़ार की स्थिति के मद्दे नज़र समानुपातिक है. ब्याज दर संवेदनशीलता विवरणी तैयार करते समय निम्न पर किये गये व्यावहारिक विश्लेषण के परिणामों को ध्यान में रखा गया :

- (i) बचत जमा के अस्थिर एवं कोर भाग
- (ii) सीसी/ओडी खातों की पुनः मूल्यनिर्धारण विशेषता
- (iii) निवेश सूची में अंतःस्थापन के विकल्प

#### जोखिम पर आय (ईएआर) :

3 महीने, 6 महीने तथा 1 वर्ष के समतल तक ब्याज दर संवेदनशील आस्ति देयता अंतरों की आय रेखा पर समांतर एवं असमांतर विचलन के कारण आय जोखिम की गणना की जाती है. यह विश्लेषण पाक्षिक आधार पर किया जाता है एवं एमआरएमसी/आल्को की मासिक बैठकों में और बाद में मंडल की मासिक बैठक में प्रस्तुत किया जाता है.

1 वर्ष तथा गैप प्रोफाइल तथा बैंक की ब्याज दर के आधार पर, तुलन पत्र में या बाह्य बचाव सहित रणनीतियों के अनुसार आनेवाले जोखिम पर आय पर 15 दिनों में एक बार निगरानी रखी जाती है.

#### मात्रात्मक प्रकटीकरण

ऊर्ध्वमुखी एवं अधोमुखी दर के परिवर्तन के लिए आय एवं आर्थिक मूल्य (या प्रबंधन द्वारा प्रयुक्त उपयुक्त मापन) में वृद्धि (अवनति) आईआरआरबीबी को मापने के लिए प्रबंधन द्वारा अपनाई गई पद्धति, मुद्रा के कारण छिन्न भिन्न हुआ (जहाँ कुल पण्यावर्त के 5% से अधिक पण्यावर्त है)



**जोखिम पर आय (ईएआर) :**

100 आधार बिन्दु के लिए, ब्याज दर में पूर्व निर्धारित वृद्धि, एनआईआई पर 1 वर्ष अंतर के समतल के कारण प्रभाव	<b>₹ 55.11 करोड</b>
--	---------------------

बैंक ने छूट सीमा को ₹ 172 करोड में निर्धारित किया है

**आर्थिक मूल्य दृष्टिकोण**

आर्थिक मूल्य यानी आर्थिक मूल्य पर 200 आधार बिन्दुओं पर ब्याज दर में परिवर्तन के कारण पूंजी निधि पर प्रभाव का मूल्यांकन, भा.रि. बैंक मार्गनिर्देशों के आधार पर संशोधित अवधि अंतर पद्धति के ज़रिए किया जाता है. विवेकपूर्ण उपाय के रूप में आस्ति व देयताओं की निवल अवधि अंतर के लिए एक सीमा निर्धारित की गई तथा भा.रि. बैंक से प्राप्त मार्गनिर्देशों के आधार पर नियमित अंतरालों पर इस की निगरानी की जाती है.

**तालिका डीएफ – 11**

**काउंटर पार्टी ऋण जोखिम से संबंधित निवेशों के लिए सामान्य प्रकटन**

गुणात्मक प्रकटीकरण							
<p>(क) व्युत्पन्न तथा सीसीआर से संबंधित सामान्य गुणात्मक प्रकटन की आवश्यकताओं में निम्नलिखित शामिल है :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• आर्थिक पूंजी के समनुदेशन के लिए प्रयुक्त पद्धति तथा काउंटर पार्टी ऋण जोखिम के लिए ऋण सीमाएं संबंधी चर्चा</li> <li>• संपार्श्विक प्राप्त करने तथा ऋण की आरक्षितियां स्थापित करने के लिए नीतियों संबंधी चर्चा</li> <li>• गलत तरीके के ऋणों के जोखिमों के संबंध में नीतियों पर चर्चा</li> <li>• ऋण के दर्जा निर्धारण कम हो जाने से बैंक द्वारा प्रावधान की जानेवाली संपार्श्विक राशि से पडनेवाले नुकसान के संबंध में चर्चा</li> </ul>	<p>बैंकिंग काउंटर पार्टियों के लिए काउंटर पार्टी ऋण जोखिम सीमाएं आंतरिक मॉडल पर आंकी जाती है जिसमें निम्नलिखित पैरामीटर पर विचार किया जाता है जो काउंटर पार्टियों का ऋण दर्जा निर्धारण तथा उनका निवल मूल्य, बैंक का निवल मूल्य तथा कारोबार की आवश्यकताएं. अन्य सभी मामलों में, काउंटर पार्टी ऋण जोखिम सीमा को बैंक द्वारा ऋण नीति व अनुदेश पुस्तिका में दी गयी नीति के अनुसार ऋण आकलन प्रक्रिया अपनायी जाती है. प्रत्येक ऋण के लिए सीसीआर की सीमाएं राशि तथा समय के आधार पर निर्धारित की जाती है. सीसीआर ऋण के लिए पूंजी मानकीकृत दृष्टिकोण के आधार पर आकलित किया जाता है.</p> <p>संप्रति बैंक के कोई ऋण व्युत्पन्न जोखिम नहीं है.</p>						
परिमाणात्मक प्रकटीकरण							
<p>(ख) संविदा के सकल सकारात्मक उचित मूल्य नेटिंग के लाभ, नेट चालू ऋण जोखिम, धारित संपार्श्विक (प्रकार को शामिल करते हुए जैसे नकद, सरकारी प्रतिभूतियां, आदि) तथा निवल व्युत्पन्न ऋण निवेश. सीईएम के अधीन चूक पर जोखिम या जोखिम राशि के लिए रिपोर्ट उपाय. ऋण व्युत्पन्न प्रतिरक्षा के काल्पनिक मूल्य तथा ऋण जोखिम के प्रकारों में चालू ऋण जोखिम का संवितरण.</p> <p>(ग) सीसीआर को जोखिम सृजित करनेवाले ऋण व्युत्पन्न लेनदेन (काल्पनिक मूल्य), जिसे संगठन के अपने ऋण संविभाग तथा उसकी तत्काल गतिविधियों के लिए पृथक किया गया है जिसमें प्रयुक्त ऋण व्युत्पन्न उत्पाद के संवितरण शामिल है और इसे प्रत्येक उत्पाद समूह के अंतर्गत प्रतिरक्षा द्वारा विखंडित कर खरीदा व बेचा गया है.</p>	<p>बैंक द्विपक्षीय नेटिंग ही पहचान करता है. व्युत्पन्न जोखिम मौजूदा जोखिम प्रणाली के आधार पर परिकलित किया जाता है तथा यथा 31.03.2014 को बकाया शेष नीचे प्रस्तुत है :</p> <p style="text-align: right;">(₹ करोड़ों में)</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>विवरण</th> <th>काल्पनिक राशि</th> <th>चालू निवेश</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>विदेशी विनिमय संविदाएं</td> <td style="text-align: center;">4526.79</td> <td style="text-align: center;">90.54</td> </tr> </tbody> </table>	विवरण	काल्पनिक राशि	चालू निवेश	विदेशी विनिमय संविदाएं	4526.79	90.54
विवरण	काल्पनिक राशि	चालू निवेश					
विदेशी विनिमय संविदाएं	4526.79	90.54					



### बेसल III – सामान्य प्रकटन टेम्प्लेट

(₹ मिलियन में)

नियामक समायोजन के परिवर्तन के दौरान प्रयोग किए जानेवाले बेसल III सामान्य प्रकटन टेम्प्लेट (अर्थात 1 अप्रैल, 2013 से 31 दिसंबर, 2017 तक)		पूर्व बेसल III के निरूपण के अधीन राशियां	संदर्भ सं.
<b>सामान्य ईक्विटी टियर 1 पूंजी : लिखत तथा आरक्षितियां</b>			
1	सीधे जारी किए गए अर्हक सामान्य शेयर पूंजी प्लस संबंधित स्टॉक अधिशेष (शेयर प्रीमियम)	25385.18	क=ख+ग
2	प्रतिधारित आय	9342.76	घ
3	संचित अन्य व्यापक आय (तथा अन्य आरक्षितियां)	21661.38	ड=च+छ+झ+ट+ठ
4	सीधे निर्गमित पूंजी बशर्ते कि सीईटी1 से चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया जाता है (केवल गैर-संयुक्त स्टॉक कंपनियों पर लागू)	—	
	1 जनवरी, 2018 तक ग्रैंडफादर्ड सार्वजनिक क्षेत्र के पूंजी अंतर्क्षेप	—	
5.	सहायक कंपनियों द्वारा जारी किए गए सामान्य शेयर पूंजी तथा तीसरी पार्टियों द्वारा धारित (सीईटी 1 समूह में राशि अनुमत है)	—	
6	नियामक समायोजन के पहले सामान्य ईक्विटी टियर 1 पूंजी	<b>56389.31</b>	
<b>सामान्य ईक्विटी टियर 1 पूंजी : नियामक समायोजनाएं</b>			
7	विवेकपूर्ण मूल्यांकन समायोजन	—	
8	सद्भाव (संबंधित कर देयता का निवल)	—	
9	बंधक सहायक अधिकारों के अलावा अन्य अमूर्त (संबंधित कर देयता का निवल)	—	
10	आस्थगित कर संपत्ति	—	
11	नकद प्रवाह बचाव आरक्षित	—	
12	प्रत्याशित हानि के लिए प्रावधानों की कमी	—	
13	बिक्री पर प्रतिभूतिकरण लाभ	—	
14	उचित मूल्य के देनदारियों पर खुद के ऋण जोखिम में परिवर्तनों के कारण लाभ एवं हानि	—	
15	निर्धारित-लाभ पेंशन निधि निवल संपत्तियां	476.45	=(भ+म)*40%
16	खुद के शेयरों में निवेश (यदि पहले ही, रिपोर्ट किए गए तुलन पत्र के प्रदत्त पूंजी का निवल नहीं किया गया तो)	—	
17	सामान्य ईक्विटी में पारस्परिक प्रतिधारण	8.66	
18	बैंकिंग, वित्तीय तथा बीमा संस्थाओं के पूंजी में, जो विनियामक समेकन के दायरे से बाहर है, पात्र शार्ट पोजिशन के निवल में निवेश, जहां, बैंक, जारी शेयर पूंजी के 10% से अधिक का मालिक नहीं है (10% सीमा से ऊपर की राशि)	—	
19	बैंकिंग, वित्तीय तथा बीमा संस्थाओं, जो नियामक समेकन के दायरे से बाहर है, पात्र शार्ट पोजिशन के निवल के सामान्य शेयर में महत्वपूर्ण निवेश (10% सीमा से ऊपर की राशि)	—	
20	बंधक सेवा अधिकार (10% सीमा से ऊपर की राशि)	—	
21	अस्थायी अंतरों से सृजित आस्थगित कर संपत्ति (10% सीमा से ऊपर की राशि, संबंधित कर देयता का निवल)	—	
22	15% सीमा से अधिक की राशि	—	



(₹ मिलियन में)

नियामक समायोजन के परिवर्तन के दौरान प्रयोग किए जानेवाले बेसल III सामान्य प्रकटन टेम्पलेट (अर्थात 1 अप्रैल, 2013 से 31 दिसंबर, 2017 तक)		पूर्व बेसल III के निरूपण के अधीन राशियां	संदर्भ सं.
23	जिनमें से : वित्तीय संस्थाओं के सामान्य शेयरों में महत्वपूर्ण निवेश	—	
24	जिनमें से : बंधक सहायक अधिकार	—	
25	जिनमें से : अस्थायी अंतरों से सृजित आस्थगित कर संपत्तियां	—	
26	राष्ट्रीय विशिष्ट विनियामक समायोजन (26क+26ख+26ग+26घ)	—	
26क	जिनमें से : असमेकित बीमा सहायक कंपनियों की ईक्विटी पूंजी में निवेश	—	
26ख	जिसमें से : असमेकित गैर-वित्तीय सहायक कंपनियों की ईक्विटी पूंजी में निवेश	—	
26ग	जिसमें से : बहुसंख्या की स्वामित्ववाली वित्तीय संस्थाएं जो बैंक के साथ समेकित नहीं की गयी हैं, उनकी ईक्विटी पूंजी में कमी.	—	
26घ	जिसमें से : अपरिशोधित पेंशन निधि व्यय	—	
	पूर्व बेसल III प्रतिपादन के अधीन राशियों के संबंध में सामान्य ईक्विटी टियर 1 को लागू विनियामक समायोजन	—	
	जिसमें से : (समायोजन का प्रकार सम्मिलित करें) उदाहरणार्थ : एएफएस ऋण प्रतिभूतियों पर अप्राप्त हानियों में से शोधित (भारतीय परिस्थिति में गैर-संबंध)	—	
	जिसमें से : (समायोजन का प्रकार सम्मिलित करें)	—	
	जिसमें से : (समायोजन का प्रकार सम्मिलित करें)	—	
27	कटौती को कवर करने के लिए अपर्याप्त अतिरिक्त टियर 1 तथा टियर 2 के कारण सामान्य ईक्विटी टियर 1 को लागू विनियामक समायोजन	727.66	=(भ+म)*60%
28	सामान्य ईक्विटी टियर 1 के कुल विनियामक समायोजन	1212.77	
29	<b>सामान्य ईक्विटी टियर 1 पूंजी (सीईटी1)</b>	<b>55176.54</b>	
<b>अतिरिक्त टियर 1 पूंजी : लिखत</b>			
30	प्रत्यक्ष रूप से जारी अर्हक अतिरिक्त टियर 1 लिखत + संबंधित शेयर अधिशेष (31+32))	—	
31	जिसमें से : लागू लेखांकन मानकों के अधीन ईक्विटी के रूप में वर्गीकृत (बेमीयादी गैर-संचयी अधिमाम्य शेयर)	—	
32	जिसमें से : लागू लेखांकन मानकों के अधीन देयताओं के रूप में वर्गीकृत (बेमीयादी ऋण लिखत)	—	
33	अतिरिक्त टियर 1 से चरणबद्ध तरीके के तहत प्रत्यक्ष रूप से जारी पूंजी लिखत	—	
34	सहायक कंपनियों द्वारा जारी तथा तीसरी पार्टियों द्वारा धारित अतिरिक्त टियर 1 लिखत (तथा पंक्ति 5 में शामिल नहीं किए गए) सीईटी 1 प्रपत्र (समूह एटी1 में अनुमत राशि)	—	
35	जिसमें से : चरणबद्ध तरीके से समाप्ति के अधीन सहायक कंपनियों द्वारा जारी लिखत	—	
36	विनियामक समायोजन से पूर्व अतिरिक्त टियर 1 पूंजी	—	
<b>अतिरिक्त टियर 1 पूंजी : विनियामक समायोजन</b>			
37	निजी अतिरिक्त टियर 1 लिखतों में निवेश	—	





(₹ मिलियन में)

नियामक समायोजन के परिवर्तन के दौरान प्रयोग किए जानेवाले बेसल III सामान्य प्रकटन टेम्प्लेट (अर्थात 1 अप्रैल, 2013 से 31 दिसंबर, 2017 तक)		पूर्व बेसल III के निरूपण के अधीन राशियां	संदर्भ सं.
38	अतिरिक्त टियर 1 लिखतों में पारस्परिक प्रतिधारण	—	
39	बैंकिंग, वित्तीय तथा बीमा संस्थाओं, जो विनियामक समेकन के दायरे से बाहर है, के पूंजी में तथा पात्र शार्ट पोजिशन के निवल, में निवेश, जहां बैंक संस्था से जारी सामान्य शेयर पूंजी के 10% से अधिक का मालिक नहीं है (10% सीमा से अधिक की राशि)	—	
40	बैंकिंग, वित्तीय तथा बीमा संस्थाओं में महत्वपूर्ण निवेश, जो विनियामक समेकन के दायरे से बाहर है (पात्र शार्ट पोजिशन के निवल)	—	
41	राष्ट्रीय विशिष्ट विनियामक समायोजन (41a+41b)	—	
41क	असमेकित बीमा सहायक कंपनियों के अतिरिक्त टियर 1 पूंजी में निवेश	—	
41ख	बहुसंख्या की स्वामित्ववाली वित्तीय संस्थाएं, जो बैंक के साथ समेकित नहीं की गयी है, उनकी अतिरिक्त टियर 1 पूंजी में कमी	—	
	पूर्व बेसल खखख प्रतिपादन के अधीन राशियों के संबंध में अतिरिक्त टियर 1 को लागू विनियामक समायोजन	—	
	जिसमें से : (समायोजन का प्रकार सम्मिलित करें उदाहरणार्थ : डीटीए)	—	
	जिसमें से : (समायोजन का प्रकार सम्मिलित करें उदाहरणार्थ : मौजूदा समायोजन जो टियर 1 से 50% में काटे जा रहे हैं)	—	
	जिसमें से : (समायोजन का प्रकार सम्मिलित करें)	—	
42	कटौती को कवर करने के लिए अपर्याप्त टियर 2 के कारण अतिरिक्त टियर 1 को लागू विनियामक समायोजन	—	
43	अतिरिक्त टियर 1 पूंजी में कुल विनियामक समायोजन	—	
44	अतिरिक्त टियर 1 पूंजी (एटी1)	—	
44क	पूंजी पर्याप्तता के लिए गणना में ली गयी अतिरिक्त टियर 1 पूंजी	—	
45	टियर 1 पूंजी (टी1 = सीईटी1 + एटी1) (29 + 44क)	55176.54	
<b>टियर 2 पूंजी : लिखत एवं प्रावधान</b>			
46	प्रत्यक्ष रूप से जारी अर्हक टियर 1 लिखत + संबंधित स्टाक अधिशेष	2500.00	ठ
47	अतिरिक्त टियर 2 से चरणबद्ध तरीके से समाप्ति के अधीन प्रत्यक्ष रूप से जारी पूंजी लिखत	9100.00	ड=ढ+ण+त+थ+द+ध+न (बेसल III को चरणबद्ध करने के बाद)
48	सहायक कंपनियों द्वारा जारी तथा तीसरी पार्टियों द्वारा धारित टियर 2 की लिखतें (तथा पंक्ति 5 या 34 में शामिल न किए गए सीईटी 1 तथा एटी1 लिखत)(समूह टियर 2 में अनुमत राशि)	—	
49	जिसमें से : सहायक कंपनियों द्वारा चरणबद्ध तरीके से समाप्ति के अधीन जारी लिखत	—	
50	प्रावधान	5360.66	प=फ*.45+ब
51	विनियामक समायोजन के पूर्व टियर 2 पूंजी	16960.66	
<b>टियर 2 पूंजी : विनियामक समायोजन</b>			
52	खुद के टियर 2 लिखतों में निवेश	—	
53	टियर 2 लिखतों में पारस्परिक प्रतिधारण	427.80	
54	बैंकिंग, वित्तीय तथा बीमा संस्थाओं के पूंजी में, जो विनियामक समेकन के दायरे से बाहर है, पात्र शार्ट पोजिशन के निवल में निवेश, जहां, बैंक, संस्था से जारी सामान्य शेयर पूंजी के 10% से अधिक का मालिक नहीं है (10% सीमा से ऊपर की राशि)	—	



(₹ मिलियन में)

नियामक समायोजन के परिवर्तन के दौरान प्रयोग किए जानेवाले बेसल III सामान्य प्रकटन टेम्प्लेट (अर्थात 1 अप्रैल, 2013 से 31 दिसंबर, 2017 तक)		पूर्व बेसल III के निरूपण के अधीन राशियां	संदर्भ सं.
55	बैंकिंग, वित्तीय तथा बीमा संस्थाओं में महत्वपूर्ण निवेश, जो नियामक समेकन के दायरे से बाहर है, (पात्र शार्ट पोजिशन के निवल)	—	
56	राष्ट्रीय विशिष्ट विनियामक समायोजन (56a+56b)	—	
56र	जिसमें से : असमेकित सहायक कंपनियों की टियर 2 पूंजी में निवेश	—	
56ल	जिसमें से : बहुसंख्या की स्वामित्ववाली वित्तीय संस्थाएं जो बैंक के साथ समेकित नहीं की गयी हैं, उनकी टियर 2 पूंजी में कमी.	—	
	पूर्व बेसल III प्रतिपादन के अधीन राशियों के संबंध में टियर 2 को लागू विनियामक समायोजन	—	
	जिसमें से : (समायोजन का प्रकार सम्मिलित करें उदाहरणार्थ मौजूदा समायोजन, जो टियर 2 से 50% में काटे जा रहे हैं)	—	
	जिसमें से : (समायोजन का प्रकार सम्मिलित करें)	—	
57	टियर 2 पूंजी में कुल विनियामक समायोजन	427.80	
58	टियर 2 पूंजी (टी2)	16532.86	
58क	पूंजी पर्याप्तता के लिए गणना में ली गयी टियर 2 पूंजी	16532.86	
58ख	टियर 2 पूंजी के रूप में गणना की गयी अतिरिक्त अत्यधिक टियर 2 पूंजी	0	
58ग	पूंजी पर्याप्तता के लिए स्वीकार्य कुल टियर 2 पूंजी (58क + 58ख)	16532.86	
59	कुल पूंजी (टीसी = टी1 + टी2) (45 + 58ग)	71709.41	
	पूर्व बेसल खखख प्रतिपादन के अधीन राशियों के संबंध में जोखिम भारत आस्तियां	—	
	जिसमें से : (समायोजन का प्रकार सम्मिलित करें)	—	
	जिसमें से :	—	
60	कुल जोखिम भारत आस्तियां (60क + 60ख + 60ग)	679318.97	
60क	जिसमें से : कुल ऋण जोखिम भारत आस्तियां	603513.55	
60ख	जिसमें से : कुल बाजार जोखिम भारत आस्तियां	35267.12	
60ग	जिसमें से : कुल परिचालनात्मक जोखिम भारत आस्तियां	40538.30	
<b>पूंजी अनुपात</b>			
61	सामान्य ईक्विटी टियर 1 (जोखिम भारत संपत्तियों की प्रतिशतता के रूप में)	8.12%	
62	टियर 1 (जोखिम भारत संपत्तियों की प्रतिशतता के रूप में)	8.12%	
63	कुल पूंजी (जोखिम भारत संपत्तियों की प्रतिशतता के रूप में)	10.56%	
64	संस्था विशिष्ट बफर आवश्यकता (न्यूनतम सीईटी 1 की आवश्यकता + पूंजी संरक्षण तथा प्रति चक्रीय आवश्यकताएं, जोखिम भारत आस्तियों के रूप में व्यक्त की गयी)	5.00%	



(₹ मिलियन में)

नियामक समायोजन के परिवर्तन के दौरान प्रयोग किए जानेवाले बेसल III सामान्य प्रकटन टेम्प्लेट (अर्थात 1 अप्रैल, 2013 से 31 दिसंबर, 2017 तक)		पूर्व बेसल III के निरूपण के अधीन राशियां	संदर्भ सं.
65	जिसमें से : पूंजी संरक्षण बफर आवश्यकता	0%	
66	जिसमें से : बैंक विशिष्ट प्रति चक्रीय बफर आवश्यकता	—	
67	जिसमें से : जी-एसआईबी बफर आवश्यकता	—	
68	बफर को पूरे करने के लिए उपलब्ध सामान्य ईक्विटी टियर 1 (जोखिम भारित संपत्तियों की प्रतिशतता के रूप में)	—	
<b>राष्ट्रीय मिनिमा (यदि बेसल III से अलग है तो )</b>			
69	राष्ट्रीय सामान्य ईक्विटी टियर 1 न्यूनतम अनुपात (यदि न्यूनतम बेसल खखख से भिन्न हो)	5.00%	
70	राष्ट्रीय टियर 1 न्यूनतम अनुपात (यदि न्यूनतम बेसल खखख से भिन्न हो)	6.50%	
71	राष्ट्रीय कुल पूंजी न्यूनतम अनुपात (यदि न्यूनतम बेसल III से भिन्न हो)	9.00%	
<b>कटौती के लिए सीमा से कम की राशियां (जोखिम भारित से पहले)</b>			
72	अन्य वित्तीय संस्थाओं की पूंजी में नगण्य निवेश	—	
73	वित्तीय संस्थाओं के सामान्य स्टॉक में उल्लेखनीय निवेश	—	
74	बंधक सहायक अधिकार (संबंधित कर देयता का निवल)	—	
75	अस्थायी अंतरों से उत्पन्न होनेवाली आस्थगित कर संपत्तियां (संबंधित कर देयता का निवल)	—	
<b>टियर 2 में प्रावधानों को शामिल किए जाने पर लागू उच्चतम सीमा</b>			
76	मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन ऋण जोखिम के संबंध में टियर 2 में शामिल करने हेतु पात्र प्रावधान (उच्चतम सीमा को लागू करने के पूर्व)	5360.62	प
77	मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन टियर 2 में प्रावधानों को शामिल करने के लिए उच्चतम सीमा	7543.92	
78	आंतरिक मूल्यांकन आधारित दृष्टिकोण के अधीन ऋण जोखिम के संबंध में टियर 2 में शामिल करने हेतु पात्र प्रावधान (उच्चतम सीमा को लागू करने से पूर्व)	लागू नहीं	
79	आंतरिक मूल्यांकन आधारित दृष्टिकोण के अंतर्गत प्रावधानों को शामिल करने के लिए उच्चतम सीमा	लागू नहीं	
<b>चरणबद्ध व्यवस्था के अधीन पूंजी लिखत (केवल 31 मार्च, 2007 से 31 मार्च 2022 तक पात्र)</b>			
80	चरणबद्धव्यवस्था के अधीन समाप्ति के शर्त पर सीईटी1 पर मौजूदा उच्चतर सीमा	लागू नहीं	
81	उच्चतर सीमा के कारण सीईटी1 में शामिल नहीं की गयी राशि (मोचन तथा परिपक्वताओं के बाद उच्चतर सीमा से अधिक)	लागू नहीं	
82	चरणबद्ध व्यवस्थाओं के अधीन समाप्ति की शर्त पर एटी1 लिखतों पर मौजूदा उच्चतर सीमा	लागू नहीं	
83	उच्चतर सीमा के कारण एटी1 में शामिल नहीं की गयी राशि (मोचन तथा परिपक्वताओं के बाद उच्चतर सीमा से अतिरिक्त राशि)	लागू नहीं	
84	चरणबद्ध व्यवस्थाओं के अधीन टी2 लिखतों पर मौजूदा उच्चतर सीमा	लागू नहीं	
85	उच्चतर सीमा के कारण टी2 में शामिल नहीं की गयी राशि (मोचन तथा परिपक्वताओं के बाद उच्चतर सीमा से अतिरिक्त राशि)	लागू नहीं	



बेसल III – पूंजी की संरचना

(₹ मिलियन में)

देयताएं	यथा 31.03.2014 को समेकित वित्तीय विवरणों के अनुसार तुलन पत्र	संदर्भ सं.
पूंजी		
ईक्विटी शेयर पूंजी	8591.19	ख
आरक्षितियां और अधिशेष		
I सांविधिक आरक्षिति	13377.20	च
II पूंजी आरक्षिति	3518.95	छ
II पूंजी आरक्षिति	0.00	झ
III शेयर प्रीमियम	16793.98	ग
III पुनर्मूल्यांकन आरक्षिति	2489.93	फ
सामान्य आरक्षिति	127.96	ज
IV राजस्व और अन्य आक्षितियां		
क विनिधान घट-बढ़ आरक्षिति	0.00	
ख विनिमय घट-बढ़ आरक्षिति	0.00	
ग आस्थगिम कर आरक्षिति	0.00	
घ अधिनियम 36(1)(viii) के अनुसार विशेष आरक्षण	4637.27	ट
ड लाभ व हानि लेखा	9342.76	घ
<b>कुल पूंजी, आरक्षितियां और अधिशेष</b>	<b>58879.24</b>	
<b>कुल जमा</b>	<b>1242961.59</b>	
उधार		
(i) भा.रि.बैं. से	3500.00	
(ii) अन्य बैंकों से	0.00	
(iii) अन्य संस्थाओं तथा एजेंसियों से	16197.99	
रेपो खाता	10250.00	
(vii) टियर II बांड		
90 महीने बांड 2010 - 7.50%	0.00	ढ
123 महीने बांड 2015 - 7.15%	2500.00	ण
120 महीने बांड 2016 - 9.25%	2500.00	त
180 महीने बांड 2022 - 10.10%	3000.00	थ
123 महीने बांड 2017 - 9.50%	2000.00	द
124 महीने बांड 2018 - 9.35%	2000.00	ध
180 महीने बांड 2023 - 9.45%	3000.00	न
120 महीने बांड 2023 - 9.73%	2500.00	ठ
<b>कुल उधार</b>	<b>47447.99</b>	



(₹ in million)

देयताएं	यथा 31.03.2014 को समेकित वित्तीय विवरणों के अनुसार तुलन पत्र	संदर्भ सं.
अन्य देयताएं और प्रावधान		
I देय बिल	4171.54	
ii प्रोद्भूत ब्याज	3252.22	
Iv वीआरएस बांड	0.00	
V मानक आस्तियों के प्रति प्रावधान	4240.15	ब
Vi 90 दिनों के मानदंड के लिए प्रावधान	0.00	
Vi अन्य (प्रावधान सहित)	10514.51	
<b>कुल अन्य देयताएं</b>	<b>22178.43</b>	
<b>देयताओं का सकल कुल</b>	<b>1371467.25</b>	
आस्तियां	यथा 31.03.2014 को समेकित वित्तीय विवरणों के अनुसार तुलन पत्र	संदर्भ सं.
भा.रि.बैं. में कुल नकद व बैंक शेष	55402.08	
बैंकों में कुल शेष और प्रतिदेय राशि	39174.48	
कुल विनिधान	425853.85	
कुल निवल अग्रिम	815040.32	
कुल अचल आस्तियां	5289.46	
अन्य आस्तियां		
I अंतर कार्यालय समायोजन (नामे)	-1367.63	
ii प्रोद्भूत ब्याज	8956.15	
iii अग्रिम रूप से प्रदत्त कर	16857.39	
Iv. आस्थगित कर आस्तियां	-751.25	
V लेखनसामग्री और स्टैम्प	13.79	
Vi गैर बैंकिंग आस्तियां	0.76	
Vii ग्रेच्युटी परिशोधन	245.68	भ
पेंशन परिशोधन	945.45	म
Vii अन्य	5806.73	
<b>कुल अन्य आस्तियां (अनुसूची 11)</b>	<b>30707.07</b>	
<b>आस्तियों का सकल कुल</b>	<b>1371467.25</b>	

### बेसल III – विनियामक पूंजी लिखत की प्रमुख विशिष्टताएं



क्रम सं.	विवरण	ईक्विटी शेयर	अप्पर टियर II 1	अप्पर टियर II 2	लोअर टियर II एस4	लोअर टियर II एस5	लोअर टियर II एस6	लोअर टियर II एस7	टियर II एस8 बेसल III
1	जारीकर्ता	विजया बैंक	विजया बैंक	विजया बैंक	विजया बैंक	विजया बैंक	विजया बैंक	विजया बैंक	विजया बैंक
2	विशेष पहचानकर्ता	आईएनई 705ए01016	आईएनई 705ए09076	आईएनई 705ए09100	आईएनई 705ए09050	आईएनई 705ए09068	आईएनई 705ए09084	आईएनई 705ए09092	आईएनई 705ए08029
3	लिखतों पर नियमन करनेवाली विधि	लागू भारतीय संविधि व विनियामक आवश्यकताएं	लागू भारतीय संविधि व विनियामक आवश्यकताएं	लागू भारतीय संविधि व विनियामक आवश्यकताएं	लागू भारतीय संविधि व विनियामक आवश्यकताएं	लागू भारतीय संविधि व विनियामक आवश्यकताएं	लागू भारतीय संविधि व विनियामक आवश्यकताएं	लागू भारतीय संविधि व विनियामक आवश्यकताएं	लागू भारतीय संविधि व विनियामक आवश्यकताएं
<b>विनियामक उपचार</b>									
4	संक्रमणकालीन बेसल III नियम	सामान्य ईक्विटी टियर 1	टियर 2	टियर 2	टियर 2	टियर 2	टियर 2	टियर 2	टियर 2
5	संक्रमणकालीनोत्तर बेसल III नियम	सामान्य ईक्विटी टियर 1	अनर्ह	अनर्ह	अनर्ह	अनर्ह	अनर्ह	अनर्ह	टियर 2
6	एकल/समूह में अर्ह	एकल	एकल	एकल	एकल	एकल	एकल	एकल	एकल
7	लिखत का प्रकार	सामान्य शेयर	टियर 2 ऋण लिखत	टियर 2 ऋण लिखत	टियर 2 ऋण लिखत	टियर 2 ऋण लिखत	टियर 2 ऋण लिखत	टियर 2 ऋण लिखत	टियर 2 ऋण लिखत
8	विनियामक पूंजी में पहचानित राशि (यथा 31.03.2014 को रु. करोड़ों में )	859.12	240	240	50	100	120	160	250
9	लिखत का सम मूल्य (रु. करोड़ों में)	लागू नहीं	300	300	250	250	200	200	250
10	लेखाकरण वर्गीकरण	शेयरधारकों की ईक्विटी	देयता	देयता	देयता	देयता	देयता	देयता	देयता
11	जारी करने का मूल दिनांक	विभिन्न	3/20/2007	3/17/2008	3/15/2005	8/1/2006	7/31/2007	12/31/2007	12/23/2013
12	बेमियादी अथवा दिनांकित	बेमियादी	दिनांकित	दिनांकित	दिनांकित	दिनांकित	दिनांकित	दिनांकित	दिनांकित
13	मूल परिपक्वता दिनांक	कोई परिपक्वता नहीं	3/20/2022	3/17/2023	6/15/2015	8/1/2016	10/31/2017	4/30/2018	12/23/2023
14	पूर्व पर्यवेक्षी अनुमोदन की शर्त पर जारीकर्ता की मांग	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
15	वैकल्पिक मांग दिनांक, अनुषंगी मांग दिनांक तथा मोचन राशि	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
16	परवर्ती मांग दिनांक, यदि लागू हो तो	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
<b>कूपन/लाभांश</b>									
17	स्थिर अथवा अस्थिर लाभांश/कूपन	लागू नहीं	स्थिर	स्थिर	स्थिर	स्थिर	स्थिर	स्थिर	स्थिर
18	कूपन दर तथा कोई संबंधित सूचकांक	लागू नहीं	10.10%	9.45%	7.15%	9.25%	9.50%	9.35%	9.73%
19	लाभांश रोककर्ता की मौजूदगी	लागू नहीं	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां

क्रम सं.	विवरण	ईक्विटी शेयर	अप्पर टियर II 1	अप्पर टियर II 2	लोअर टियर II एस4	लोअर टियर II एस5	लोअर टियर II एस6	लोअर टियर II एस7	टियर II एस8 बेसल III
20	पूर्ण विवेकाधिकार, आंशिक विवेकाधिकार अथवा अनिवार्य	पूर्ण विवेकाधिकार	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य
21	मोचन के लिए स्टेप-अप अथवा अन्य कोई प्रोत्साहन की मौजूदगी	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
22	असंचयी अथवा संचयी	असंचयी	संचयी	संचयी	संचयी	संचयी	संचयी	संचयी	संचयी
23	परिवर्तनीय अथवा अपरिवर्तनीय	लागू नहीं	अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय
24	यदि परिवर्तनीय है तो, परिवर्तन के उत्प्रेरक	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
25	यदि परिवर्तनीय है तो, पूर्ण अथवा आंशिक	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
26	यदि परिवर्तनीय है तो, परिवर्तन दर	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
27	यदि परिवर्तनीय है तो, अनिवार्य या वैकल्पिक परिवर्तन	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
28	यदि परिवर्तनीय है तो, परिवर्तनयोग्य लिखत प्रकार निर्दिष्ट करें	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
29	यदि परिवर्तनीय है तो, परिवर्तन किए जानेवाले लिखत के जारीकर्ता को निर्दिष्ट करें	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
30	अवलेखन विशिष्टता	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	हां
31	यदि अवलेखन हो तो, अवलेखन के उत्प्रेरक	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	** हानि आमेलन विशिष्टताएं (अवलेखन तथा बढ़ाना)
32	यदि अवलेखन हो तो, पूर्णतः अथवा आंशिक	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	पूर्ण अथवा आंशिक
33	यदि अवलेखन हो तो, स्थायी अथवा अस्थायी	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	अस्थायी व स्थायी
34	यदि अवलेखन हो तो, अवलेखन तंत्र का विवरण	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	** हानि आमेलन विशिष्टताएं (अवलेखन तथा बढ़ाना)
35	परिसमापन में गौण पदानुक्रम की स्थिति (लिखत के उच्च आसन्न लिखत प्रकार	बेमियादी ऋण लिखत	बैंक के अन्य सभी लेनदार तथा जमाकर्ता	बैंक के अन्य सभी लेनदार तथा जमाकर्ता	बैंक के अन्य सभी लेनदार तथा जमाकर्ता	बैंक के अन्य सभी लेनदार तथा जमाकर्ता	बैंक के अन्य सभी लेनदार तथा जमाकर्ता	बैंक के अन्य सभी लेनदार तथा जमाकर्ता	बैंक के अन्य सभी लेनदार तथा जमाकर्ता
36	गैर-अनुपालन संक्रमणकालीन विशिष्टताएं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
37	यदि हां तो, गैर-अनुपालन विशिष्टताएं निर्दिष्ट करें	लागू नहीं	हानि आमेलन विशिष्टताएं नहीं है	हानि आमेलन विशिष्टताएं नहीं है	हानि आमेलन विशिष्टताएं नहीं है	हानि आमेलन विशिष्टताएं नहीं है	हानि आमेलन विशिष्टताएं नहीं है	हानि आमेलन विशिष्टताएं नहीं है	लागू नहीं





## PERFORMANCE HIGHLIGHTS: 2013-14

### Business Growth

- ❖ Total Business crossed a milestone level of ₹ 2 lakh crore to reach ₹ 206721 crore with a Y-o-Y growth of 23.40 %.
- ❖ Total Deposits grew by 28.12 % to reach ₹ 124296 crore from ₹ 97017 crore last year.
- ❖ Retail term deposits grew by 14.92 % to reach ₹ 43106 crore.
- ❖ CASA deposits grew by 12.41% in FY 2013-14 to reach ₹ 22860 crore.
- ❖ Gross advances reached ₹ 82425 crore with a Y-o-Y growth of 17%.
- ❖ Productivity measured by Business per employee improved from ₹13.87 crore to ₹ 16.74 crore.
- ❖ Business per branch increased to ₹ 136.72 crore as against ₹ 123.28 crore recorded as at March 2013.

### Profits and Profitability

- ❖ Net profit for the year ended March 2014 stood at ₹ 416 crore.
- ❖ Interest income for FY 2013-14 was up by 18.27% to reach ₹ 10707 crore.
- ❖ Total Income for FY 2013-14 increased by 18.20% to reach ₹ 11417 crore

### Non Performing Assets

- ❖ The Gross NPA level of the Bank stood at ₹ 1986 crore as at March 31, 2014.
- ❖ Gross NPA ratio as on March 31, 2014 was 2.41%.
- ❖ The Net NPA level stood at ₹ 1262 crore as at March 31, 2014.
- ❖ The Net NPA ratio as on March 31, 2014 was 1.55%.

### Priority Sector Operations

- ❖ Priority Sector Advances aggregated to ₹ 25855 crore.
- ❖ Agriculture advances stood at ₹ 9665 crore.
- ❖ Education loan portfolio reached ₹ 760 crore, covering 38,013 students, a growth of 13%.

- ❖ Advances to MSME segments recorded a healthy growth of 23.80% to reach ₹ 13115 crore.
- ❖ Advances to weaker sections increased by 29.26% to ₹ 7214 crore
- ❖ Advances to women beneficiaries registered a growth of 12.06% to reach ₹ 5072 crore.

### Financial Inclusion

- ❖ The Bank has covered all the 378 allotted villages having population of above 2000 with 89 branches and 289 Business Correspondents/Ultra Small Branches.
- ❖ The Bank covered 2240 villages with below 2000 population through 32 branches, 457 BCAs and 20 offsite ATMs.
- ❖ The Bank is actively participating in the Direct Benefit Transfer (DBT) programme of the Government of India.

### Delivery Channels

- ❖ The Bank's total Delivery Channels crossed the 3000 mark with 1512 branches and 1528 ATMs
- ❖ The Bank opened 1 GeNext Branch, 4 HNI branches and 3 all women branches during 2013-14.

### InfoTech Progress

- ❖ The Bank introduced technology services such as V-e-passbook+ and Missed Call service to its customers.
- ❖ The debit card base of the Bank increased to 32.20 lakh as at March 2014 from 24.60 lakh last year.

### Capital Adequacy

- ❖ Capital to Risk Weighted Assets ratio (CRAR) of Basel II stood at 10.97% and Basel III stood at 10.56% vis-à-vis the Reserve Bank of India norm of 9%.
- ❖ Tier-I Capital Adequacy Ratio worked out to 8.3% (Basel-II) and 8.12 (Basel-III) whereas the Tier –II Capital Adequacy Ratio were 2.67% (Basel-II) and 2.44(Basel-III).





## PERFORMANCE AT A GLANCE

(₹ in crore)

KEY PARAMETERS	2011-12	2012-13	2013-14
No. of Branches	1300	1359	1512
No. of ATMs	750	874	1528
Reserves & Surplus	3557	3863	5029
Gross Profit	1230	1122	1104
Net Profit	581	586	416
Total Deposits	83056	97017	124296
% growth	13.39	16.81	28.12
CASA Deposits	18288	20336	22860
% to Aggregate Deposit	22.02	20.54	18.44
Gross Credit	58671	70514	82425
% growth	19.20	20.19	16.89
Total Business	141727	167531	206721
% growth	15.72	18.21	23.40
Gross NPA	1718	1533	1986
(%)	2.93	2.17	2.41
Net NPA	998	910	1262
(%)	1.72	1.30	1.55
Investments	28644	31285	42585
Advances to Priority Sector	16700	19505	25855
% to ANBC	33.87	33.23	35.55
Total Staff	11838	12601	12822
Business per Employee	12.31	13.87	16.74
<b>KEY RATIO (%)</b>			
Cost of Deposits	7.68	8.07	7.98
Yield on Advances	11.73	11.54	11.26
Net Interest Margin	2.47	2.13	2.02
Return on Assets	0.66	0.59	0.35
Capital Adequacy Ratio % (Basel II)	13.06	11.32	10.97
Capital Adequacy Ratio % (Basel III)	NA	NA	10.56



## MESSAGE FROM THE CHAIRMAN & MANAGING DIRECTOR TO SHAREHOLDERS

It is my pleasure to share with you a review of activities and the highlights of the performance of our Bank for the financial year 2013-14.

2013-14 was relatively a good year for the global economy. After a marked down turn over the past few years, global economic and financial conditions generally improved, especially during the second half of 2013. However, during FY 2013-14, both the Indian economy and the banking sector faced several challenges. India's GDP growth in 2013-14 has moderated sequentially over the quarters mainly as a cumulative impact of global uncertainties, past monetary policy tightening and weak investment demand. GDP growth for FY 2013-14 was estimated at 4.9% compared to 4.5% in FY2012-13. However, on the positive side, headline inflation has trended down to reach 5.70% in March 2014.

Indian banking sector had to face a number of challenges during FY 2013-14 as a result of subdued economic activity. The credit and deposit growth of SCBs showed moderate growth and lagged behind the indicative projection of RBI. Aggregate deposits of Scheduled Commercial Banks grew by 15% Y-o-Y in 2013-14 and bank credit grew by 14%. The Credit-Deposit (CD) ratio of SCBs stood at 77.69% as at end March 2014. Slowdown in loan growth weighted on the Net Interest Margins (NIMs) of banks. The slowdown in the economy has resulted in deterioration in asset quality and profitability of many banks.

Banks in India are expected to play a vital role in the economic revival and to promote growth and development across the broad spectrum of economic activities. For Vijaya Bank, the main challenges in FY 2013-14 were to stay competitive in a challenging business environment and to capitalize on its strengths to grow faster and stronger. Over the course of the year, the Bank focused on its strengths, continuing to develop products and services and expanding delivery channels to meet the customer's needs and maintain our reputation as a premier nationalized bank in India. Vijaya Bank's performance in FY 2013-14 was broadly in line with these expectations.

Against this background, I would like to place before you the highlights of the Bank's performance during the year 2013-14.

Vijaya Bank responded to the challenging economic environment by maintaining its conservative business setting. For the Bank, 2013-14 was a year of reckoning and crossing milestones as the Bank crossed three significant milestones during the year. First, our aggregate business level has crossed ₹ 2 lakh crore mark, second, aggregate deposits crossed ₹ 1 lakh crore mark and third, the Bank's branch network crossed the 1500 mark. During the year, the Bank has taken several initiatives to further strengthen its business portfolio, to improve presence across geographies and to increase the clientele base.

Continued buoyancy in core business operations and efficient management of costs helped the Bank to sustain and enhance the topline earnings while maintaining a stronger bottomline. Net profit for the year ended March 2014 stood at ₹ 416 crore. Net profit for the year is after making all necessary provisions to the tune of ₹ 688 crore.

Total Business of the Bank grew by 23.4% to reach ₹ 206721 crore as at March 2014. The Bank has added ₹ 39000 crore to the total business during the year. Total deposits of the Bank reached Rs.124296 crore, a Y-o-Y growth of 28.1%. The Bulk deposits/CDs in total deposits brought down from 22.3% in March 2013 to 15% in March 2014. Retail term deposits grew by 15% to reach ₹ 43106 crore. CASA deposits grew by 12.4% in FY 2013-14 to reach ₹ 22860 crore. The share of CASA deposits in aggregate deposits stood at 18.44% in March 2014.

The Bank's credit portfolio increased to ₹ 82425 crore with a Y-o-Y growth of 16.9% with the credit-deposit ratio at 66.31%. The Bank's diversified credit portfolio includes all productive segments of the economy like agriculture, industry, Micro Small and Medium Enterprises (MSMEs), exposure to corporate and infrastructure segments, tiny sector and retail credit.

On the Priority Sector front, total Priority Sector Advances have aggregated to ₹ 25855 crore as at March 2014. The Priority Sector advances constituted 35.55% of Adjusted Net Bank Credit (ANBC). Agricultural Advances of the Bank stood at ₹ 9665 crore. Education loan portfolio reached ₹ 760 crore. Loans to Weaker Sections increased by 29.26% to ₹ 7214 crore and loans to women beneficiaries registered a growth of 12.06% to reach ₹ 5072 crore.



With Micro Small and Medium Enterprises (MSMEs) emerging as the potential growth drivers of the Indian economy, our Bank's MSME portfolio recorded a healthy growth of 23.8% to reach ₹ 13115 crore. The Bank took several measures during the year to expand retail credit and outstanding advances under retail lending portfolio increased by 16.1% to reach ₹ 15617 crore, accounting for 18.9% of the gross credit.

To address the growing asset quality concerns, the Bank has laid emphasis on diligent monitoring of the health of credit portfolio and recovery of the non-performing assets portfolio. The Bank ensured a better and efficient NPA management by checking the inflow to NPA segment and recovery of non-performing assets. The gross NPA level of the Bank stood at ₹ 1986 crore (₹ 1533 crore) at a ratio of 2.41% (2.17%) as at March 2014. The net NPA level was ₹ 1262 crore (₹ 910 crore) and the net NPA ratio was at 1.55% (1.30%). The Provision Coverage Ratio stood at 64.05% as at March 2014.

In tune with the Bank's strategic focus, delivery channels have been further expanded to strengthen the Bank's position. The Bank added 153 branches in FY 2013-14, taking the total branch network to 1512 branches. As at 31<sup>st</sup> March 2014, the Bank had 1528 ATMs including 654 ATMs opened during this year. The Bank has more than 3040 customer touch points.

Keeping customer convenience at the forefront, the Bank further expanded its products and services portfolio during 2013-14. The Bank launched several attractive deposit products such as V-Siddhi, a term deposit product, V-Lakshpati Recurring Deposit Scheme and V-Samruddhi, a specially designed term deposit scheme with defined maturity value and issued at a discount. The Bank also introduced innovative retail credit schemes such as, MSE Vijay, Vijay Kisan Home Loan, Vijaya Mangala and V-Cashew.

In line with the country's inclusive growth framework, the Bank has been actively pursuing the agenda of Financial Inclusion. The Bank's initiatives in this direction aim at financial empowerment and reaching banking services to the rural masses. The Bank has covered all the 378 allotted villages having population of above 2000

with 89 branches and 289 Business Correspondents/ Ultra Small Branches. The Bank also covered 2240 villages with below 2000 population through 32 branches, 457 BCAs and 20 Offsite ATMs.

The Bank has developed sound risk management architecture to ensure sustainable and consistent growth and to attain global best practices for effective implementation of risk management initiatives consistent with the Basel frameworks and RBI guidelines. The Bank's technology initiatives have also been quite significant and rewarding and playing a dominant role in driving down costs, building efficiency and working as an enabler in achieving business growth and excellence in customer service.

For the financial year 2014-15, we have envisaged a business growth of 18.5% Y-o-Y. We propose to increase the branch strength to 1700 and to substantially increase the number of ATMs. We will continue the retail centric focus in our business mix so as to ensure a profitable growth trajectory. On the asset quality front, our corporate goal is to progressively bring down gross non-performing assets, amount-wise and percentage-wise and also improve the coverage ratio.

The Bank will benefit from the expected improvement in corporate business sentiments and in domestic economic environment. The Bank will continue to grow its business sustainably and the Bank has a clear growth strategy in place to capitalize on the opportunities. I will remain committed to attain our objectives for the coming year. With your continued support and patronage, I am confident that our Bank would reach greater heights during the current year.

I sincerely thank all valued shareholders for your continuous support and trust.

With Best Wishes

Yours Sincerely,

**V. KANNAN**

Chairman & Managing Director



**VIJAYA BANK**  
**HEAD OFFICE: BENGALURU - 560 001**

**NOTICE**

The Notice of the 14<sup>th</sup> Annual General Meeting including the e-Voting procedure is being sent to the Shareholders separately



## DIRECTORS' REPORT 2013-14

The Board of Directors have pleasure in presenting the 34th Annual Report of the Bank along with the Audited Balance Sheet as on March 31, 2014 and the Profit and Loss Account for the year ended March 31, 2014.

### Management Discussion and Analysis:

#### Economic Scenario

After a marked down turn over the past few years, global economic and financial conditions generally improved during the second half of 2013. The major features of the global economy in 2013 were the continued structural shift of global balance of economic power from the developed world towards the emerging world and the cyclical climb up of a prolonged recession.

According to International Monetary Fund (IMF), global economy witnessed a moderate growth of 3.0% in 2013, as compared with 3.2% in 2012. While advanced economies grew by 1.3% in 2013 compared to 1.4% in 2012, emerging economies grew by 4.7% in 2013 compared to 5% in 2012.

India's GDP growth in 2013-14 has moderated substantially as a cumulative impact of global uncertainties, monetary policy tightening and weak investment demand. The growth slowdown was broad-based reflecting moderation in the services and agriculture sectors, and contraction in the industrial sector. As per the advanced estimates released by the Central Statistical Organization (CSO), GDP growth for FY14 was estimated at 4.9% compared to 4.5% in FY13. Risks to growth have increased from lower global trade and domestic supply bottlenecks. Agriculture, Industry and Services sectors showed signs of moderation in 2013-14.

Inflation, as measured by the consumer price index (CPI) and the wholesale price index (WPI), moderated slightly in early 2013-14, but started increasing thereafter. Headline inflation started increasing since May 2013 and stood at elevated levels in 2013-14 driven primarily by food and fuel prices. However, WPI and CPI inflation showed a moderating trend since December 2013. Weakening domestic demand and lower food prices were the major contributory factors to the softening of inflation. WPI inflation started with 4.6%, which was increased to 7.5% in November 2013 before declining to 5.70% in

March 2014. Retail inflation as measured by Consumer Price Indices (CPI) also continued to remain elevated and reached an all time high of 11.2% in November 2013 before moderating to 8.31% in March 2014.

India's export performance showed subdued performance in 2013-14 as a result of the adverse impact of low growth and uncertainties in the global markets. As per the provisional data released by the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S), during April-March 2013-14 merchandise exports of India increased to US \$312.34 billion, recording a growth of 3.98%.

Trade deficit during April-March 2013-14 was lower than last year owing to the adjustment of the rupee exchange rate and disincentives on gold imports. Consequent to lower trade deficit, CAD-GDP ratio declined from 4.9% of GDP in Q1 of FY 14 to 1.2 % of GDP in Q2 of FY14. CAD-GDP ratio for FY 2013-14 estimated at around 2% compared to 5.1% during FY 2012-13.

The financial markets in India responded to the overall developments witnessed in the global and domestic front. Spillovers from global financial market uncertainties and waning investor confidence kept domestic currency and equity markets under pressure. The rupee depreciated by nearly 17% during the first half of 2013-14, before staging some recovery in October 2013. The Indian Rupee ended at 59.91 against the US Dollar at the end of March 2014. Equity markets remained range bound during 2013-14.

Money supply (M3), which was 12.4% at the beginning of the financial year 2013-14, increased during the course of the year to 13.5% by end-March 2014 as a result of faster pace of deposit mobilisation backed by large flow of FCNR (B) deposits.

Fiscal Deficit during 2013-14 is estimated at 4.6% GDP.

#### Banking Scenario

The banking sector in India remained healthy and resilient during 2013-14. However, the slowdown in macro economy has resulted in marked deterioration in asset quality of banks. Lower credit growth and higher provisioning on account of weakening credit quality impacted the profitability of banks.



Monetary policy in 2013-14 has sought to balance growth inflation dynamics through a combination of liquidity tightening measures and policy rate changes. The RBI eased policy rates in early May 2013 but undertook exceptional liquidity tightening measures since July 2013 to address macro-financial risks from exchange rate volatility. Liquidity conditions were tightened considerably till the exchange rates were stabilized. The RBI increased repo rate by 75 bps in 2013-14.

Scheduled Commercial Bank's credit witnessed higher growth in 2013-14 as a result of steady growth in credit to services, personal loans, and credit to agriculture. Overall, SCBs credit growth was 14% during FY 2013-14 compared to 13.6% during FY 2012-13. Aggregate deposits of Scheduled Commercial Banks registered a Y-o-Y growth of 15% during FY 2013-14.

### Outlook

Global growth prospects are moderately strengthening since the second half of 2013, but downside risks remain elevated. The International Monetary Fund, in its latest World Economic Outlook, projected global growth at 3.6% for 2014 and 3.9% for 2015. Emerging and Developing Economies will continue to lead global growth.

India's GDP growth is expected to improve in 2014-15 in view of the improving domestic economic environment and the expansionary monetary policy stance. Improvement in saving and investment rate, favourable financial market conditions, higher capital flows, moderating inflation and positive business outlook would help the economy to broad base the growth momentum. On the domestic front the major challenges in 2014-15 will be to address the issues of high fiscal and current account deficits, low industrial growth, lower export growth and anchoring inflation expectations. Notwithstanding the concerns, Indian economy would remain one of the fastest growing economies in the world.

Indian Banking sector is expected to perform well in 2014-15 in view of the positive domestic outlook and favourable policy environment.

## PERFORMANCE HIGHLIGHTS OF THE BANK DURING THE YEAR 2013-14

### Capital, Reserves & Network

The Authorized Capital of the Bank at present is ₹ 3000 Crore divided into 300 Crore shares of ₹ 10 each. At present, Government of India holds 74.06% Equity Share Capital of the Bank. The total paid up (Equity Share) capital of the Bank is ₹ 859.12 crore.

During 2013-14, Bank added ₹ 1165.69 crore in to Reserves & surplus and the total Reserves and surplus is ₹ 5028.80 crore. The Networth of the Bank increased from ₹ 4081.49 crore to ₹ 5638.93 crore this year.

### Working Results

Net profit for the year 2013-14 is ₹ 416 crore as compared to ₹ 586 crore for 2012-13. On the deposit front, average cost of deposits decreased from 8.07% in 2012-13 to 7.98 % in 2013-14. Yield on advances for 2013-14 is 11.26% as against 11.54% for the previous year.

The trends in financial results of the Bank are highlighted in the tables below:

(₹ in crore)

Sl. No.	Item	2012-13	2013-14	Annual increase (%)
1.	Interest Income	9052	10707	18.27
2.	Interest Expenditure	7174	8623	20.20
3.	Net Interest Income (1-2)	1878	2084	10.97
4.	Non-Interest Income	607	710	16.97
	i. Profit on sale of investments	113	190	68.14
	ii. Other non-interest income	494	520	5.26
5.	Net Total Income (3+4)	2485	2794	12.43
6.	Operating Expense	1363	1690	23.99
	i. Staff Expenses	849	1040	22.50
	ii. Other Operating Expenses	514	650	26.46
7.	Operating Profit	1122	1104	-1.60
8.	Operating Profit (excl. Treasury profit)	1009	914	-9.42
9.	Provisions and Contingencies	536	688	28.36
10.	Net Profit	586	416	-28.89



### Important Profitability Ratios

Sl. No.	Item	2012-13 (%)	2013-14 (%)
1	Yield on funds	9.27	9.08
2	Cost of funds	7.35	7.31
3	Interest spread (1-2)	1.92	1.77
4	Yield on advances	11.54	11.26
5	Cost of deposits	8.07	7.98
6	Yield on investments (including RIDF) - excluding Trading Profit - including Trading Profit	7.10 7.47	7.22 7.75
7	Other operating expenses to Average working funds	0.53	0.55
8	Cost-Income Ratio	54.85	60.49
9	Establishment cost to average working funds	0.87	0.88

### Dividend

Taking into consideration the overall profitability, the Board of Directors has recommended a final dividend of ₹ 1.00 per share (10%), [in addition to interim dividend of ₹ 1.00 per share (10%) declared during January 2014] for the year 2013-14. The total amount of equity dividend including dividend tax for 2013-14 is ₹ 165.38 crore.

### Deposit Mobilization

Total deposits of the Bank increased from ₹ 97017 crore to ₹ 124296 crore, recording an annual growth rate of 28.12%. CASA deposits recorded a 12.41% growth, accounting for 18.44% in aggregate deposits. CASA deposit growth was driven by 12% growth in SB deposits, to reach ₹ 16978 crore during the year. The average aggregate deposits stood at ₹ 104437 crore during 2013-14, compared to ₹ 84804.14 crore during 2012-13.

### Employees Productivity

Business per employee as of March 2014 is ₹ 16.74 crore against ₹ 13.87 crore for the financial year ending March 2013. Profit per employee of the Bank as of March 2014 is ₹ 0.03 crore against ₹ 0.05 crore for the financial year ending March 2013.

### Branch Network

With the opening of 153 branches during the year 2013-14, the network of branches reached the level of 1512 from 1359 during the previous fiscal. There are 46 Extension Counters and 2 Satellite Offices at the end of the year 2013-14.

### Retail Credit

Retail Lending is viewed as a viable business proposition and continue to be the thrust area for credit expansion in view of its inherent advantages such as risk spread, better yield and large volume credit buildup.

The Bank has disbursed ₹ 8920 crores under Retail credit during the year & the amount outstanding as at March 2014 stood at ₹ 15617 crores, recording an Y-o-Y of 16.14%. The Retail Credit Portfolio accounted for 18.90% of the Bank's Gross Credit.

The Balance outstanding under Housing loan, Education loan, Vehicle loan & Jewel Loan schemes, as on 31<sup>st</sup> March 2014, are ₹ 5392 crore, ₹ 760 crores, ₹ 2212 Crores and ₹ 3265 crore respectively.

During the year, Bank launched special campaigns like 'Summer Bonanza' 'Grand Festival Bonanza' etc. offering attractive benefits to customers.

Bank is continuously striving to make the retail lending products more competitive in the market by revamping the existing products. Bank also came out with new tailor made product 'Vijaya Kisan Home Loan' catering to the housing need of farming community.

Bank has also launched Vijaya Mangala, a personal loan product exclusively for Women and MSE Vijay to cater the needs of Micro and Small Enterprises.

### Credit Expansion

The Gross Credit of the Bank registered a growth of 16.89% from ₹ 70513.53 crore on 31.03.2013 to ₹ 82424.75 crore on 31.03.2014. Considering the economic down trend the Bank had been selective in the approval of big ticket credit proposal.

The Bank has put in place an efficient due diligence mechanism for screening of credit proposals and following the guidelines in this regard from Department of Financial



Services and Reserve Bank of India. In terms of extant guidelines from Ministry of Finance, the Bank has adopted committee approach for credit approvals at Regional Office and Head Office levels. The committees meet as frequently as possible to reduce turnaround time for credit decisions. The Bank has continued with its strategy to recruit professionals from CA/ICWA/CS/MBA for ensuring good standard credit processing .

Bank's Credit Department is accredited with ISO/IEC 27001:2005 certification for information security management system by British Standard Institute (BSI).

### Large & Mid Corporate

The Large Corporate segment constituted 43.94 % share in total domestic advances as on 31.03.2014. In order to have more focused attention and to reduce turnaround time, 8 specialised Corporate Banking Branches have been functioning at different geographically locations. Apart from Corp. Banking Branches, 3 Industrial finance branches are catering all corporate needs of the customers including financing for infra/non infra projects. In addition, the Bank has SME branches spread across the country, catering to the needs of mid-corporate and SME clients including their cash management, forex, treasury products, trade finance, deposits, retail banking etc.

Bank's Corporate/SME/IFB Banking Division offers an array of loan products and services, such as Term Loans, Demand Loans, Corporate Loan, Short-Term Loans, Working Capital Facilities(FB+NFB), Trade Finance Products, Bridge Loans, Syndicated Loans, Infrastructure Loans, Foreign Currency Loans, Loan Against Future Rent Receivables and many more to its corporate clients depending upon their needs. Over the years, Bank has made significant progress in establishing healthy business relations with several multinationals, domestic business houses and prime public sector companies.

### Infrastructure Finance

During the year, the Bank has sanctioned fund based limits of ₹ 8096 crore and Non Fund Based limits of ₹ 254 crore under infrastructure category covering power, telecommunications, ports, roads etc. Our exposure to infrastructure sector is 25.85 % of gross advances and is well within the prescribed sectoral exposure cap.

### Project Finance and Syndication Group

The Bank has commenced Project Finance and Syndication Cell at its Head Office, Bengaluru. The functions of the Cell include preparation of Project Information Memorandum, arranging for Techno Economic Viability Study of the projects and Syndication for credit requirements of the entrepreneurs. The Syndication Cell is well equipped with good manpower including senior executives and qualified professionals.

### TREASURY AND INTERNATIONAL OPERATIONS

#### Investment and Fund Management

Total Investment portfolio of the Bank increased from ₹ 31,504.02 crore (SLR Investment: ₹ 26,064.87 crore & Non-SLR Investment: ₹ 5,439.15 crore) as on March 31, 2013 to ₹ 42833.78 crore (SLR investment: ₹ 33319.60 crore & Non-SLR Investment: ₹ 9514.18 crore) as on March 31, 2014.

The 10 year benchmark yield closed at 8.81% as on March 31, 2014 against 7.96% as on March 31, 2013.

The average yield on investment (Including profit on sale of Investments and RIDF) during the year worked out to 7.75% as against 7.47% in FY 2012-13.

The Bank also complied with CRR and SLR requirements as stipulated by RBI consistently during the year.

#### International Banking

Bank's export credit as at 31.03.2014 registered a Y-o-Y growth of 12.25% and stood at ₹ 1269.38 crore. Out of the above, quantum of export credit extended by the Bank in foreign currency was USD 31.24 million. As at March 2014, foreign exchange business turnover of the Bank stood at ₹ 21065 crore, recording an annualized growth of 42.91% over the previous financial year.

Bank has operationalised Centralized Forex Processing Cell (CFPC) at Head Office to process all the forex related transactions of our designated branches. Bank has also successfully implemented on-line submission project of XOS to RBI.

Bank's total NRI deposits as at 31.03.2014 stood at ₹ 2398.57 crore, as against ₹ 1839.12 crore as at the end of previous financial year, thereby recording a growth





of 30.42%. During the financial year, the Bank has extended 'Speed/Flash Remittance' facility to UAE Exchange Centre LLC, Al Ansari Exchange UAE, Wall Street Exchange, UAE and Al Bader Exchange, UAE to enable the NRIs from Gulf Countries to electronically remit funds to their account with our branches anywhere in India. In addition to the above, the Bank also has Rupee Drawing Arrangement (RDA) with Oman United Company LLC, Oman to facilitate rupee remittances to the accounts in India. The Bank has set up a NRI Customer Cell at Head Office, Bengaluru exclusively for responding to the queries of our NRI customers. The Bank has also launched Vijaya NRI Digest, a fortnightly e-newsletter covering area of interest to NRIs.

### Export & Import Credit

The Bank is active in meeting the importers and exporter clients' financial requirements both in domestic and in foreign currency. Bank's 47 branches across the country are designated to handle foreign exchange business.

### ASSET QUALITY

The Bank continued its focus on maintaining quality assets along with thrust on preventing fresh slippages. It initiated and continued to emphasize various measures in this direction, including the following:

- Accounts showing signs of stress/likely default in dues are identified and treated as Special Mention accounts and are closely monitored. Wherever feasible, such assets are restructured, with additional need-based credit limits considered in deserving cases, to prevent fresh slippages. A Sick Unit Rehabilitation Cell is formed to exclusively concentrate on the nursing programme of all sick viable MSME units both at Head Office and Regional Offices.
- Special Recovery Cells are formed at RO's for systematic follow up of NPA accounts. Centres wherever DRT's are functioning, Nodal Officers are designated, who keeps regular liaison with the presiding officer and the Bank's advocate for speedy disposal of the cases.
- The services of retired officials of our Bank/Public Sector banks/Public Sector Enterprise/Government Departments are also engaged for recovery of the dues of the bank as per the latest policy of the Bank.

- In case of willful defaulters, stringent recovery measures, including legal actions like Securitization and submitting the names to RBI are done.
- Services of Lok Adalats / DRT Adalats are resorted for speedy recoveries of impaired assets.
- To facilitate speedy recovery, 'Vijaya Adalats' under the Recovery Policy of the Bank are regularly conducted at various centres by involving a cluster of branches and accounts are settled on the spot. During the year, Bank could settle ₹ 90.92 crore in 6058 accounts by way of settlements till 31.03.2014.
- A special One Time Settlement Scheme for small borrowers with liabilities up to ₹ 5 lacs with liberalized terms was introduced during 2013-14 which was in force till 31.03.2014.
- A special One Time Settlement Scheme for chronic tractor loan NPAs was introduced during the year and the same was in force upto 31.03.2014.

The gross Non-Performing Assets of the Bank as on March 2014 stood at 2.41% of total advances, while net NPA ratio was 1.55% of net advances. During the year 2013-14, Bank could effect total cash recovery of ₹ 704.13 crore (including interest) and upgraded NPAs amounting to ₹ 989.15 crore. Further, the Bank also made provision of ₹ 567.21 crore for the unexpected defaults, apart from having a floating provision of ₹ 142.71 crore as on March 31, 2014. The Provision Coverage Ratio (including PWO) as at March 2014 worked out to 64.05%.

### RISK MANAGEMENT

#### Credit Risk:

Lending Policy as well as Credit Risk Management Policy of the Bank are being revised from time to time, to include aspects such as risk appetite, risk based pricing, risk diversification/mitigation strategy, prudential limit, substantial exposure ceiling, preferred sector growth strategies, credit approval process, documentation and security standards, security valuation etc., in tune with the corporate goal and plan of the Bank.

Stress Test on Credit Risk by subjecting the credit portfolio to stress like downgrade in the rating, higher



provisioning requirement, slippage in asset status, etc is carried out on annual basis, in terms of the Stress Test Policy of the Bank.

The Bank has put in place a comprehensive risk rating/ scoring system that serves as a single point indicator of diverse risk factors on the counterparty and for taking credit decision in a consistent manner. A separate risk scoring models for Housing and other Retail sectors has also been evolved and put in place so as to ensure higher coverage of risk rating exercise. Migration analysis is also carried out on half yearly basis in respect of exposures of ₹ 1.00 crore and above. From Sept 09, 2013, Bank has introduced a Credit Risk rating software which is Basel II compliant procured from CRISIL for conducting risk rating of all retail and non retail loans. This software enables the Bank to ensure that all types of exposures are covered under risk rating before sanctioning of any loan so as to maintain the credit quality and also to move towards Basel II advanced approaches compliance.

#### **Asset Liability Management (ALM) and Market Risk:**

ALM and Market Risk of the Bank is managed by the Asset Liability Management Committee (ALCO) and Market Risk Management Committee (MRMC) respectively. Appropriate tolerance limits have been stipulated for mismatches in different time buckets, both for managing liquidity and interest rate risks and these are being monitored at fortnightly intervals and also appraised to the Board.

The market risk exposure is measured by tools like VaR (Value at Risk), AGL (Aggregate Gap Limit), and Duration Gap Analysis. Exposure limits for all countries have been put in place to manage and monitor the country risk. Mid-office reports on treasury operations are placed before the General Manager, Risk Management Department on a daily basis and before MRMC on a monthly basis, covering information about exceptions / reviews and compliance.

Interest Rate Risk on entire portfolio is identified and measured through Earnings at Risk (EAR). Sensitivity analysis is also conducted and reviewed by the top management. Contingency Funding Plans, Prudential Ratios/Limits have been set and actual position is monitored as part of Liquidity Risk Management. Stress Test on Interest Rate Risk, Liquidity Risk, Forex, etc on

different scenarios are carried out on quarterly basis and appraised to ALCO. To monitor short term liquidity, the Bank is preparing the ALM statement of Structural Liquidity on daily basis.

The Duration Gap Analysis is implemented for assessing the possible impact on market value of equity (net worth) using 200 basis points shock on interest rate curve.

The Bank has applied to RBI for seeking permission to implement Internal Model Approach (Advanced Approach) for Market Risk.

The Funds Transfer Pricing, a new technology on transfer pricing mechanism, has been implemented for assessment of branch profitability in a scientific manner.

#### **Operational Risk:**

With a view to mitigate Operational Risk, several studies have been conducted for fraud cases in order to identify systemic deficiencies from Risk Management angle. These include analysis of major frauds reported under consortium finance, various VKC, Auto and Housing loan accounts. Further, to minimize operational risk, various suggestions have been implemented for improvement in existing systems and procedure. For assessment of Operational Risk, the Bank has been conducting Risk and Control Self-Assessment (RCSA) for critical business processes and identifying Key Risk Indicators (KRI's) for tracking problem areas in key operations in order to avoid potential future operational losses. The Risk Control Self-Assessment (RCSA) and Key Risk Indicators (KRI) are being reviewed annually. Further, RCSA for critical areas such as Commercial Banking, Treasury Operations, Payment and Settlements, Financial Inclusion were conducted during the period 2013-14.

The Bank has applied to RBI for seeking approval for implementation of The Standardized Approach (TSA).

#### **Basel-II & Basel III Compliance:**

As the Bank requires corporate clients' risk rating status awarded by RBI approved rating agencies, the Bank has entered into MOU with all the six rating agencies viz CRISIL, ICRA, CARE, Brickwork, SMERA and Fitch so that borrowers can avail the rating services at a competitive fee and Bank also benefits on lower capital charge depending on the rating status. The Bank has formulated its ICAAP policy and the same is submitted to RBI on half yearly basis.



In compliance to the RBI guidelines and adopting Standardised Approach for Credit Risk, Standardised Duration Gap for Market Risk and Basic Indicator Approach for Operational Risk, Bank has complied with Basel II norms and the overall Capital Adequacy Ratio as at 31<sup>st</sup> March '14 works out to 10.97%, which is above the minimum stipulated norm of 9%. Bank has also complied with Basel III norms and the overall Capital Adequacy Ratio as at 31<sup>st</sup> March '14 works out to 10.56%, which is above the minimum stipulated norm of 9%.

#### **Integrated Risk Management System (IRMS) Project:**

In order to facilitate smooth and effective compliance to the Basel-II norms, the Bank has taken up implementation of Integrated Risk Management System (IRMS).

The unique IRMS Project consists of six solutions, viz. Credit Risk Management (CRM), Market Risk Management (MRM), Operational Risk Management (ORM), Credit Risk Rating Solution (CRR) (Retail & Non-Retail), Asset Liability Management (ALM) and Funds Transfer Pricing (FTP) Solution.

#### **ISO – 27001- Certification for Risk Management Department**

The Risk Management Department of the Bank has been conferred with prestigious ISO/IEC 27001 Certification. The compliance with the ISO standards was certified by the British Standards Institution (BSI). This certification is the part of the Bank's commitment to adopt best practices in security management for system, technology and processes serving Risk Management Systems. Bank's Risk Management Department being ISO/IEC -27001 certified is committed to systematically evaluate information security risks, taking into account the impact of threats and vulnerabilities from Information Security angle.

#### **Capital Adequacy**

The capital adequacy ratio stood at 10.97% under Basel II and 10.56% under Basel III as on 31.03.2014 vis-à-vis the Reserve Bank of India norm of 9%. As on 31.03.2014, the Tier I capital of the Bank is ₹ 5638.93 crore under Basel II and ₹ 5517.65 crore under Basel III. The Tier II capital stood at ₹ 1816.07 crore under Basel II and ₹ 1653.29 crore under Basel III.

#### **NATIONAL PRIORITY**

##### **Priority Sector Lending**

Total Priority Sector advances of the Bank stood at ₹ 25855 crore as at the end of March 2014. Priority Sector Credit of the Bank constitutes 35.55% of the Adjusted Net Bank Credit.

##### **Agricultural Finance**

Direct Agricultural advances of the Bank as at March 2014 stood at ₹ 6392 crore. Total Agricultural advances stood at ₹ 9665 Crore which formed 13.29 % of the Adjusted Net Bank Credit.

During the year, Bank has rolled out a new Pledge loan Scheme for farmers against Warehouse Receipt issued by Ware Houses registered with Warehouse Development & Regulatory Authority (WDRA) and fine tuned Vijaya Planters Card Scheme for coffee growers. Bank has put in place web based application for filing and tracking of agricultural loans through which the customers can apply online for any type of Agricultural credit by logging on to our website.

##### **Disbursements to Agriculture:**

Under Special Agricultural Credit Plan, Bank has disbursed ₹ 6695 crore during the year 2013-14, thereby achieving the target of ₹ 6634 crore.

##### **Kisan Credit Card Scheme:**

In terms of the guidelines of RBI/GOI, the Bank has revised Vijaya Kisan Card (VKC) scheme. The revised VKC scheme has provision for both production credit (Short term crop loans) and Investment Credit (Term loans). The validity of the card has been extended to 5 years and the beneficiaries are issued with ATM enabled Kisan cards.

Under Vijaya Kisan Card Scheme (VKC), during 2013-14, the Bank has issued 67192 Kisan Cards amounting to ₹ 765 crore. The Outstanding level of VKCs stood at ₹ 1593 crore through 127477 accounts as at 31.03.2014. The Bank's Kisan Cards are now ATM enabled under RUPAY platform and out of 88598 operative VKC A/cs, 81716 farmers have been so far issued with ATM enabled Kisan cards.



### Vijaya Krishi Vikas Kendra (VKVK):

Vijaya Krishi Vikas Kendras (VKVK), headed by Chief Managers have been set up during the FY 2013-14 in Sangli (Pune Region) and Bagalkot (Hubli Region) to focus exclusively on high value/Hi-tech Agricultural projects through a cluster of branches in those centres.

### Financing Micro, Small & Medium Enterprises (MSME):

The advances to Micro and Small Enterprises increased to ₹ 10691 crore as at March 2014 from ₹ 8716 crore as at March 2013, signifying Y-o-Y growth of 22.66 %.

The advances to Micro, Small and Medium Enterprises increased to ₹ 13115 crore as at March 2014 from ₹ 10594 crore as at March 2013, signifying Y-o-Y growth of 23.80%.

Bank has come out with new tailor made product 'MSE-Vijay' exclusively for MSE customers under CGTMSE Scheme and 'V-Cashew' to cater to Cashew industry.

Online registration of MSME loan applications and tracking system is in place for speedy disposal of proposals under MSME. Further, MSME loan borrowers are also getting acknowledgement through SMS alerts as soon as they apply online.

### Advances to Weaker Sections:

As at March 2014, the outstanding weaker section advances of the Bank stood at ₹ 7214 crore, which constitutes 9.92% of the ANBC against the norm of 10%. The Weaker Section advances grew by ₹ 1633 crore, registering a growth of 29.26 % over March 2013.

Self Help Groups (SHGs)/Joint Liability Group (JLGs)/ Micro Finance Institutions (MFIs):

Bank has accorded top priority to lending to SHGs/JLGs/MFIs. While the Bank has disbursed ₹ 368 crore to SHGs/JLGs/MFIs, the outstanding level of advances to this segment stood at ₹ 719 crore as at 31.03.2014.

Bank is actively participating in the National Rural Livelihood Mission (NRLM) Scheme launched by Govt. of India by replacing the existing SGSY Scheme.

### Credit to Women Beneficiaries:

Advances to Women beneficiaries stood at ₹ 5072 crore as at March 2014 as against ₹ 4526 crore as at March 2013, registering a growth of 12.06%. Against the stipulated benchmark level of 5% of Adjusted Net Bank Credit (ANBC), the Bank's achievement stood at 6.97%.

### Lead Bank Scheme:

Our Bank is having Lead Bank responsibility in three districts i.e. in Mandya, Dharwad and Haveri districts of Karnataka State. The Lead District Managers of all the three districts have been coordinating with all the bank branches in the concerned Districts to ensure achievement of targets under Annual Credit Plan, Govt sponsored schemes, Financial Inclusion, Direct Benefit Transfer Scheme etc. In these three Districts, total credit share of our Bank through Annual Credit Plan is ₹ 613 crore against the target of ₹ 623 crore as at March 2014.

### Lending under Government Sponsored Schemes:

Implementation of Government sponsored schemes receives the utmost attention of the Bank. The Bank's lending under various Government sponsored schemes is furnished below:

(₹ in crore)

Sl. No.	Schemes	No of beneficiaries	Loan amount outstanding as at March 2014
1.	PMEGP	7093	89.95
2.	SGSY	1540	9.08
3.	SJSRY	4058	24.12
4.	NRLM	4247	89.60

### Advances to SC / STs:

Total advances to SC / STs stood at ₹1125 crore as at March 2014, against ₹ 1015 crore as at March 2013, with a growth of 10.84%. The interest rates on all loans up to ₹ 5 lakhs coming under Priority Sector & Retail loans extended to SC/STs is reduced by 1%.

### Credit to Minority Communities:

Advances to Minority Communities stood at ₹ 3143 crore as at March 2014, constituting 12.16% of total priority sector advances.



### **VIBSETIs (Vijaya Bank Self-Employment Training Institutes):**

The Bank has established Vijaya Bank Self Employment Training Institutes [VIBSETIs] in Mandya and Haveri of Karnataka state and in Indore of Madhya Pradesh. The Institutes have been conducting various vocational training/skill upgradation/awareness programmes/ Entrepreneur Development Programmes etc. During the year 2013-14, VIBSETIs have conducted 125 programmes and trained 3416 beneficiaries. Since inception, totally 1145 programmes have been conducted, training 41469 beneficiaries with an overall settlement rate of 73%.

VIBSETIs at Mandya & Haveri have been graded "AA" and VIBSETI Indore has been graded "A" for the year 2012-13 by Ministry of Rural Development (MoRD). VIBSETI, Mandya has emerged as one of the top performing Institutes in the country based on overall performance and has been awarded Certificate of Excellence by MoRD.

### **Vijaya Rural Development Foundation (VRDF):**

With a view to focus the attention of rural masses on the need to modernize agricultural practices, for up gradation of skills and knowledge in various ventures and for achieving all-round socio-economic development, Vijaya Rural Development Foundation (VRDF) was promoted by our Bank in the year 1990 at Mangalore. VRDF is conducting various activities like training /awareness programmes, covering a wide range of subjects, through the Village Development Councils (VDC). At present 32 such VDCs are functioning under VRDF. During the year, VRDF has conducted 157 programmes benefiting 7996 persons. Free health camps have also been organized for the benefit of rural poor. The Foundation has also granted scholarships to poor meritorious students hailing from villages and studying in government schools. The Foundation has expanded its activities to other districts like Haveri, Dharwad and Mandya, where the Bank has Lead Bank Responsibility.

### **Visit of Parliamentary Committee:**

1. Parliamentary committee on Govt. assurances, Rajya Sabha visited on 09.07.2013 and discussed about Agriculture Debt Waiver & Debt Relief Scheme 2008 & liberal lending by Banks.
2. Parliamentary committee on welfare of SC/STs visited the Bank on 28.10.2013 and discussed

about Organisational set-up and reservation in services & credit facilities extended for Scheduled Castes/Tribes in our Bank.

3. The Department related Parliamentary Committee on Industry visited on 11.01.2014 and discussed the various issues pertaining to credit flow to MSME of our Bank.

### **Education Loan**

The Bank has provided utmost importance to education loan as it views this as an investment in human capital. During the year, the portfolio grew by ₹ 89 crore in absolute terms from a level of ₹ 671 crore as on 31.03.2013 to reach a level of ₹ 760 crore as on 31.03.2014.

The Bank has taken several initiatives during the year to improve education loan portfolio. MoU was entered into with several reputed educational institutions/ colleges/universities for extending education loans. Bank participated in several expos and conducted camps during admission season to bring out the awareness amongst student community about the availability of education loan facility.

### **Financial Inclusion:**

Our Bank has been allotted with 378 villages with above 2000 population on a pan India basis. We have provided banking facilities to these villages before the target date of 31.03.2012 through 89 Branches and 289 Business correspondent Agents ( BCAs).

During the year 2013-14, we have covered 2240 villages of below 2000 population through 32 branches, 457 Business Correspondent Agents(BCAs)/ Village Level Entrepreneurs(VLEs) and 20 ATMs.

Bank has engaged totally 789 BCAs to cover both the above and below 2000 population villages allotted to the bank.

Bank has floated Jnana Jyothi Literacy & Credit Counseling Trust (JJFLCCT), jointly with Syndicate Bank to set up and manage Financial Literacy Centers (FLCs) at District and Taluk level. During the year 2013-14, the Bank has opened 5 Taluk level FLCs, taking the total number of FLCs opened up to March-2014 to 11.

Financial Inclusion Resource Centres (FIRCs) have been opened in Bank's Lead Districts.



Five Mobile Vans are provided for taking up Financial Literacy Campaigns in FI villages and are placed in Mandya, Dharwad, Haveri, Udupi and Mangalore and our rural branches are also conducting Financial Literacy camps in the allotted villages. Financial Literacy is spread through pamphlets, TV scrolls and street plays.

We have conducted “**Financial Inclusion Rural Out-reach**” programme at Adichunchanagiri in Nagamangala Taluk of Mandya District, (our Lead District) on 24.09.2013. Dr. K.C. Charabarty, Deputy Governor, Reserve Bank of India, Smt. Uma Shankar, Regional Director, Reserve Bank of India, Shri H. S. Upendra Kamath, the then Chairman & Managing Director, Vijaya Bank & Shri K. R. Shenoy, Executive Director, participated in the programme. The programme marked the launch of Micro Insurance and Micro Recurring Deposit Schemes for the Financial Inclusion Villages. 10 girl children were adopted on this occasion and loan sanction letters were handed over to the beneficiaries. More than 2000 rural customers of our Bank participated in the programme. Eleven Ultra Small branches (USBs) were upgraded in to Low cost brick and Mortar branches on this occasion in Mandya District.

Bank has opened 10.17 lakhs Basic Savings Bank deposit accounts having a balance of ₹ 97.63 crore and issued a total 3.86 lakh smart cards under Financial Inclusion. We have mobilised 5353 micro RD accounts and enrolled 3608 beneficiaries under micro insurance.

In the Pilot Districts under Electronic Benefit Transfer (EBT) in Karnataka, Bank has issued smart cards to more than 3.04 lakh beneficiaries of Social Security Pension (SSP) and Mahatma Gandhi National Rural Employment Generation Programme (MGNREGP). In Mandya District (Karnataka), Bank is disbursing Social Security Pensions to more than one lakh beneficiaries through smart cards under “one district one Bank Model” amounting to ₹ 5.20 crore per month.

Bank is actively participating in the Direct Benefit Transfer (DBT) programme of the Government of India by opening the accounts of the beneficiaries, seeding their Aadhaar numbers and mapping the same to NPCI.

Our Bank is one of the Founder Trustees of the Karnataka Farmers’ Resource Centre (KFRC) set up for imparting training to farmers and agricultural labourers at Bagalkot.

## Roadmap for 2014-15

We will be covering 293 villages of below 2000 population as per the Financial Inclusion Plan, through 52 BCAs/VLEs during the year 2014-15. With this, Bank will be covering in all 2911 villages of both above and below 2000 population.

Bank will be opening 8 more taluk level FLCs in Karnataka during the year 2014-15 taking up the total number of FLCs to 19.

## INFORMATION & TECHNOLOGY

### Core Banking Solution and its Progress

The Bank achieved 100% CBS which facilitates services like anywhere banking, Internet Banking, online transactions etc. to its customers. With 100% CBS, the Bank has moved closer to offer real time banking facilities to its customers. Passbook Kiosk has been implemented in 21 locations. Cash Deposit Kiosk has been implemented in 231 locations. Aadhaar Enabled Payment System was implemented for smooth implementation of GOIs Direct Cash Transfer Project. To minimize the frauds, bio-metric access for CBS users has been implemented at all locations.

The Bank has implemented Integrated Human Resources Management System, Integrated Treasury Management system and Integrated Risk Management system and are integrated with the Core Banking System. ITMS project has met all the objectives with the setting up a DR setup at Mumbai. HRMS has also met most of the objectives with the setting up a DR set up at Mumbai. IRMS is expected to be fully implemented by the end of this financial year.

### ATMs

654 ATMs were operationalised during the year 2013-14, taking the number of ATMs to 1528 as at the end of March 2014. Bank’s customers can also access over 1,50,000 ATMs connected under National financial Switch (NFS) across the country. We are one of the few Banks who have installed ATMs in equal to the number of branches as per the directions of Ministry of Finance, Government of India.

### Internal Control

The Bank has well documented policies like IT & IS Security, Internet Banking Policy, IT Procurement Policy, Internet usage Policy, e-mail policy, Business Continuity



Policy, Disaster Recovery Policy, Outsourcing Policy etc. covering wide range of functions at the field and administrative levels. Adequate controls are also built in to mitigate the risks associated with each of the activities. IT policy and IS policy was revised during 2013-14. Separate policies have been brought out for Incident management, Vulnerability and penetration test as part of IS Security policy.

### **Networking**

Bank has brought all its branches, extension counters and offices under the corporate WAN and achieved 100% networking of the branches. It has also used the latest technologies like MPLS, Radio frequency, CDMA etc. for establishing connectivity.

### **RTGS & NEFT Services:**

The centralized payment systems, viz. Real Time Gross Settlement System (RTGS) and National Electronic Funds transfer (NEFT), currently provide for only direct membership. It has been decided by the RBI to expand the sub-membership route to enable all licensed banks to participate in NEFT and RTGS systems. The sub-member/s would participate in the centralized payment systems through their sponsor bank which is a direct member of the centralised payment system. Bank has entered into an agreement with ShimshaSahakara Bank Niyamitha, Maddur and LokapavaniMahilaSahakari Bank, Mandya for using our RTGS/NEFT services as sub-members.

Having brought all branches under Core Banking Solution, RTGS and NEFT services are available to the Bank's customers from all its branches. Since STP has been enabled in RTGS and NEFT, the customers can enjoy the benefit of immediate inter-bank and intra bank fund transfer facility.

### **Missed Call Services (FreeBuzz):**

Bank is providing missed call services to the customers & enable them to know the account balance and mini statement. The ease of giving missed calls with zero charges provides a huge advantage to the customers.

### **V-Fee Hive :**

Our in-house software development team has developed a unique application for collection of fees for Educational Institutions, collection of monthly maintenance fee by

Apartments and collection of fees by Clubs, etc. It is equipped with unique features like integration of other payment channels like debit card, credit card and internet banking.

### **V-epassbook\*:**

Our in-house software development team has developed mobile application for accessing account details / to get transaction details. The application is loaded with additional customer friendly features like facility to add notes to each transaction, facility to maintain various personal account heads and to add pass book transactions to these accounts on a single click, facility to add notes to each transaction, etc. A Page with latest offerings and information like interest rate of the bank with links to reach the website of the Bank and facility to refer us to a friend is also available in this application. 33902 Customers have registered for availing this facility as on 31.03.2014.

### **Cheque Truncation system:**

As directed by the Reserve Bank of India, the Bank has implemented cheque truncation system in Southern and Western Grid covering all MICR centres and in Northern grid covering MICR centres of Delhi, Chandigarh, Punjab and Rajasthan states during 2013-14.

### **Security Operation Center**

Setting up of Security Operation Center with Security Information and Event Management Solution (SIEM) & Correlation tool, which will help in analyzing all events and detect attack patterns, if any is under progress. Our Bank has been identified as Lead Bank for implementation of SOC for PSBs as per the new initiative of GOI under common RFP.

### **INTERNAL INSPECTION**

The Bank has put in place a well-defined Internal Audit Policy. The Audit Committee of the Board oversees the performance of audit functions on a regular basis, providing guidance and directions for improvement in the audit system and internal controls in the Bank.

During the financial year, the Bank has conducted Risk Based Internal Audit (RBIA) of 937 branches out of 1115 branches programmed. Upon assessment of Risk rating, 53.95 % of these branches have secured "Low Risk"

In addition, inspection of 12 service branches, 15 RACPCs, 6 Regional Offices and 10 Head Office



Departments was conducted during the year. Besides, 1529 branches were programmed for IS Audit and audit of all these programed branches were completed except 346 branches before 31.03.2014.

Bank has covered 83.62% of its business under Concurrent Audit in 419 branches/offices as against RBI stipulation to cover at least 50% of business. Bank is making use of Information Technology in its audit system including Risk Based Internal Audit (RBIA) for generating various value added reports.

**Know Your Customer (KYC), Anti Money Laundering (AML) and Combating of Financial Terrorism (CFT):**

Bank has in place a policy on ‘Know Your Customer’ ‘Anti Money Laundering’ and ‘Combating of Financing of Terrorism’ and is being overseen by the KYC Cell constituted at H.O. and at Regional Offices by a designated Nodal Officer. The Policy Guidelines were first issued in the year 2005 and are being updated from time to time.

Necessary instructions have been passed on to the field functionaries for the implementation of KYC Norms, AML guidelines and CFT procedures. Further guidelines on these are being passed on to them, as and when instructions are received from RBI, GOI and IBA. The field functionaries have been given the required technical support to carry out the policies.

It is ensured that the branches have implemented instructions of KYC Norms and other guidelines in true spirit. Branches are not opening any new account wherever it is found to be short of KYC compliance. A system support is provided to check the level of KYC compliance in any account before a cheque book is issued for the same.

Branches are instructed to monitor transactions of large value in the accounts consistence with the declared business. The transactions are being overseen at Head Office, by robust AMLock software which throws alerts on given parameters for monitoring on Anti Money Laundering guidelines. The transactions are monitored and large value cash transactions are reported to FIU-IND in the monthly CTR. Apart from this, if any transaction is found to be suspicious, irrespective of the amount, is being reported to FIU-IND in the form of Suspicious Transaction Report (STR). Large Value transactions found in the accounts of Non-Profit Organisations is being reported through monthly NTR. Any Counterfeit Currency found at the branches or currency chests is also being reported to FIU-IND through monthly CCR.

A system support to check the customers’ names with that of those, in the UN list of terrorists is made available. This enables branches not to open accounts for terrorists and connected entities.

The ongoing implementation of KYC Norms and AML guidelines is being checked by the Internal Inspectors, Concurrent Auditors, Vigilance Inspectors and Executives on their branch visit. Every Regional Office has a Nodal Officer to overlook the implementation at branches and submit a monthly certificate confirming implementation of KYC norms. The Top Management is being informed of the compliance periodically.

**Offsite Surveillance Cell**

In compliance with the guidelines of Govt of India on Model Audit Policy of the Bank, communicated vide their letter No.F.No./7/112/2011-BOA dated 28/06/2012, Offsite Surveillance Cell was set up in the Bank. The Cell is monitoring the exceptional transactions at branches/offices on an ongoing/daily basis and also reviewing Management Information System (MIS) on critical items on daily basis to sensitize the controlling offices as well as branches / departments for corrective action.

**Vigilance**

The Vigilance Department at Head Office is headed by Chief Vigilance Officer of the rank of General Manager who is on deputation from State Bank of India. The Vigilance Department overseas all vigilance works of the Bank as per the guidelines given by Central Vigilance Commission. In addition, Vigilance Department carries out surprise inspection of branches, concentrating on preventive vigilance. These are done by field Vigilance Officers stationed at Regional Offices. All efforts are made to plug the loopholes in the existing system to prevent recurrence of similar frauds and to strengthen the preventive vigilance.

**Compliance**

Board approved Compliance Policy is a requirement under the extant RBI guidelines and accordingly, the Bank has adopted Compliance Policy. The Compliance Department, H.O. ensures compliance with various communications received at Head Office from Govt of India, Reserve Bank of India, IBA and others by sending all such communications to the concerned operational Departments for necessary action. The Compliance Department is headed by the Chief Compliance Officer who is of the Rank of a General Manager.





### Right to Information Act 2005

Government of India enacted Right to Information Act, 2005 which came into force on October 12, 2005. The Act provides right to every citizen to secure/access to information under the control of Public Authorities. It aims to promote openness, transparency and accountability in administration and in relation to matter connected therewith or incidental thereto.

Bank has designated all the Branch Managers as Assistant Public Information Officers, Second line Executives of all the 26 Regional Offices as Public Information Officers and Regional Head as Appellate Authorities under the Right to Information Act, 2005. At Head Office, a Deputy General Manager is designated as Public Information Officer and a General Manager of the Bank as Appellate Authority. Bank as a whole 27 offices are provided with Public Information officer and Appellate Authority respectively under Right to information Act 2005.

Information sought under the Act is being provided within the prescribed time frame. During 2013-14, Bank as a whole has received and disposed of 873 Applications and 109 Appeals under the RTI Act 2005.

### Housekeeping

Reconciliation with regard to all inter-bank transactions have been drawn upto 31.03.2014. As against the Reserve Bank of India Benchmark of six months for reconciliation of outstanding inter branch entries, we have no outstanding pending for reconciliation.

### Security Arrangement

The Bank has a well established security set up within the Bank's organizational structure with clear cut delegation of authority and responsibility.

The Department has reviewed and strengthened security arrangements at all Currency Chests and Bank branches. The Regional Security Officers carryout branch inspection visits at regular intervals to assess the security arrangements in vogue and suggest means for strengthening these arrangements. The Regional Security Officers maintain close liaison with the law enforcing agencies. The security arrangements in the Bank have been geared up to meet the prevailing security scenario.

Bank security is being strengthened to be more effective, modern and an unobtrusive Security System. Access

Control measures at all Banks Currency chests has been strengthened in terms of RBI guidelines. A proper system of regulating access to Currency chest strong rooms and proper records of entry into/exit from the Vault Room of the chest is being maintained. Biometric access control systems have been installed at all currency chest of the Bank to strengthen access control measures.

Essential and mandatory security arrangements in terms of RBI/IBA guidelines are provided to almost all branches. Security Alarm Systems are installed at all branches and currency chests. Strong room conforming to RBI specification is provided to 1400 branches.

The Bank has a total of 27 (twenty seven) currency chests. Police guards have been provided to 26 currency chests. The Bank has outsourced round the clock guarding of Bhubaneswar Chest to a Private Security Agency sponsored by DGR. Efforts are continuing for deployment of Armed Police Guards at Bhubaneswar Currency chest.

Training including firing practice for Armed Guards deployed at currency chests/branches is imparted on an annual basis. Security Committees formed at Regional Offices and at Head Office meet periodically to review security aspects.

CCTV Surveillance System has been installed at 832 branches, CCTV system is being installed in a phased manner, all branches will be provided CCTV surveillance system by 31.03.2015.

## HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT

### Manpower & Staff Productivity:

The total staff strength of the Bank stood at 12822 in March 2014 as compared to 12601 in March 2013. Of the total staff, 5947 are Officers, 4357 Clerical Staff, 2045 Sub-staff, and 473 Part-time Employees in the subordinate cadre. The number of women employees as at the end of March 2014 stood at 3125 consisting of 1291 Officers and 1834 Award Staff constituting 24.37% of total employees in the Bank. As at the end of March 2014, there were 248 employees belonging to Handicapped Category and 658 employees belonging to Ex-Servicemen Category.

### Recruitment:

During the year the Bank has appointed 604 Officers in different Grades/Scales and 444 Probationary Clerks. Bank has also appointed 45 armed guards.



**Promotions:**

The promotions effected during the year 2013-2014 are furnished hereunder:

Sl. No.	Promotion from	Promotion to	Total promoted
1	TEGS-VI	TEGS-VII	5
2	SMGS-V	TEGS-VI	11
3	SMGS-IV	SMGS-V	30
4	MMGS-III	SMGS-IV	60
5	MMGS-II	MMGS-III	241
6	JMGS-I	MMGS-II	215
7	Clerical	JMGS-I	173
8	Substaff	Clerk	Under process

“Bank introduced the policy on disclosure of APAR marks/ratings and the Appeal procedure from the review year -2012-13”

**Training:**

The training system in the Bank has been strengthened by providing additional competent manpower. The courses have been redesigned keeping in mind the essential inputs required for the employees to effectively handle the present & future assignments and to perform their duties and responsibilities effectively in the highly competitive tech-based customer-driven banking environment. The Bank is also imparting training to its employees through some reputed external training institutions in certain specialized areas like Credit, FOREX, Treasury Management, Risk Management, HR, Marketing, etc. During the financial year, the Bank has imparted training to 8135 employees constituting 63.44% of the total employees. Out of which, 7383 employees had undergone training in the Bank’s own establishments and 752 were trained at the reputed external training institutions including some overseas institutions.

**SC/ST/OBC Employees:**

Out of the total manpower of 12822 as at the end of March-2014, 2468 employees belong to SC category, 896 to ST category and 2300 to OBC category.

**SC/ST CELL:**

SC/ST cell has been functioning at all the 26 Regional Offices and a Senior Officer belonging to SC/ST is designated as Liaison Officer. At Head Office, the Cell is functioning under the control of Chief Liaison Officer .

The grievances of SC/ST employees are looked into and prompt remedial action is taken. The Chief Liaison Officer meets the SC/ST Employees Welfare Association and their representatives to hear their grievances at Head Office and refers the matters if any, to the concerned department at Head Office for redressal. Similarly Regional Heads/Liaison Officers are attending to their grievances at Regional Office Level.

Further Quarterly meeting of SC/ST representatives with the Chairman & Managing Director of the Bank are held regularly in terms of Govt. guidelines. In these meetings, the grievances, if any, pertaining to SC/ST employees are discussed with the representatives of the SC/ST Welfare Association and sorted out. All the representations received are entered in a Register showing therein the action taken on each representation. The Register is inspected by the Chief Liaison Officer periodically.

In the similar manner, OBC Cell is also functioning separately at all the 26 Regional Offices & at Head Office under the control of Chief Liaison Officer appointed separately for OBCs.

Bank is arranging pre-recruitment/ pre-promotion training for SCs/STs & OBC regularly.

Bank is complying with all the Policy Guidelines laid down by the Govt. of India pertaining to reservation of posts for SC/ST employees, OBC & Minority employees including Persons with Disability.

**Staff Relation:**

The pro-active and humanistic approach undertaken by the Bank has yielded positive results and the Bank is showing progressive growth consistently with the collective efforts of the management and employees of the Bank. The climate is positive and the same is echoed in the form of exponential growth of the Bank during the financial year ending March 2014. The industrial relations in the Bank have been cordial and harmonious. There was no agitation or unrest during the year by the employees relating to issues pertaining to our Bank. The consultative committee meetings and negotiating



committee meetings were held with the representatives of the recognized unions at regular intervals to sort out the grievances of the employees and settle the disputes, if any, amicably and the said meetings are attended by the top executives of the Bank.

### **Sports Activities:**

Vijaya Bank has been encouraging sports and contributed generously to sporting activities all over the country. The Bank has recruited outstanding sports personnel in various disciplines like, Cricket, Basketball and Kabaddi. During the year, many of the sports persons have participated in the events organized at the national/international levels. International Cricketer Shri R. Vinay Kumar and national players like Shri C. M. Gautam (Cricket) and Shri Sukesh Hedge (Kabaddi) are presently in the Bank's fold. Shri Vinay Kumar and Shri C. M. Gautam were named Captain and Vice-Captain respectively of the Karnataka State Cricket Team for the year 2013-14, which won the Ranji Trophy and Irani Trophy for 2013-14. The Bank has sports teams in Cricket, Basketball and Kabaddi. During the year 2013-14, the Bank's sports teams have performed well and brought a host of laurels to the institution. The Basketball Team won the all India Basketball Tournament held at Kottayam, Kerala. The Kabaddi team won the All India Kabaddi Tournament held at Karaikudi, Tamil Nadu.

### **Staff Welfare Measures:**

As per the directions of Ministry of Finance, Department of Economic Affairs Governments of India, 3% of Net Profit with the maximum ceiling of ₹15 crore is to be earmarked for the welfare of its employees.

The Bank is having various staff welfare schemes such as:

1. Canteen Subsidy
2. Conveyance expenses reimbursement
3. Newspaper reimbursement
4. Annual Health Check up
5. Health Clinic at HO and at MSR Nagar, Bengaluru
6. Annual Medical Aid to the employees retired on superannuation
7. Grant of Silver Jubilee awards
8. Cash incentive to meritorious wards of staff

9. Awarding scholarship of ₹ 5000/- for the girl children under V-Shakti, V-Subodhini and V- Pragati
10. Group Mediclaim Insurance
11. Holiday Homes at Bengaluru, Mysore, Ooty, Delhi & Mumbai, etc.

### **The Vijaya Bank Staff Welfare Fund Trust**

After adjusting the expenses incurred on various staff welfare measures (i.e. from 3% of the net profit of previous financial year with a cap of ₹ 15 crore) the balance amount is being transferred to the trust.

The Bank is having various schemes under Staff Welfare Fund Trust such as:

1. Awarding scholarships to the wards of the employees.
2. Reimbursement of residual claim of hospitalization expenses.
3. Reimbursement of cost of spectacles.
4. Funeral expenses to the family members on death of the employees.
5. Cash incentives to retirees on superannuation.

The Bank is also administering Family Welfare Scheme under which amounts collected from the members of scheme are distributed among the family members (nominees) of deceased employees.

### **Human Resources Management System:**

With a view to streamline the process of faster decision making and enable error-free data management pertaining to the employees at a centralized location at Head Office, the Bank has implemented HRMS (Peoplesoft) Software.

The HRMS software combines many human resources functions including Benefits Administration, Payroll, and Training integrated into a single package.

### **OTHER SERVICES**

#### **Merchant Banking & Allied Activities**

The Bank is registered with Securities and Exchange Board of India (SEBI) for Merchant activities like: Category I Merchant Banker, Bankers to the Issue, Debenture Trusteeship and Depository Participant. The



Bank is also registered as Self Certified Syndicate Banks for accepting IPO/Rights issue applications under Applications Supported by Blocked Amount (ASBA).

The Bank undertakes Payment Bankers Assignments for payment of Interest/Dividend/Refund orders of Corporates. Bank also offers Depository and online trading services to its clients.

#### **Government Business:**

Among various Government business, Bank is collecting Direct tax through 276 branches and Indirect tax through 37 branches. The Bank has also introduced online payment of taxes of CBDT&CBEC through V-net banking for all customers of all branches. 338 branches of the bank are designated to open Public Provident Fund accounts. Besides, all our branches are authorised to disburse Central Civil, Defence, Telecom pensions and State pensions in the states of Karnataka, Andhra Pradesh, Kerala and 4 Metro Cities. A separate cell called Centralized Pension Processing Center/CPPC has been set-up in HO for centralized payment of pensions of Central Government pensioners. 1385 branches are designated as NPS-Lite collection center (NL-CC) to accept subscription under NPS- Swavalamban scheme.

#### **Corporate Agency with LIC:**

Bank has entered into the Corporate Agency agreement with LIC of India to cater to the life insurance needs of the customers.

#### **Corporate Agency with UIIC:**

Bank has entered into the Corporate Agency agreement with United India Insurance Company Limited to cater to the non-life insurance needs of the customers.

#### **Group Insurance Coverage for borrowers:**

Bank has entered into an agreement with M/s Bajaj Allianz Ltd for Group coverage of individual borrowers.

#### **Money Transfer Services (Conventional and Online):**

Bank is a sub-agent for money transfer services of MoneyGram and XpressMoney. Under Moneygram the Bank has tie-up with both UAE Exchange & Financial Services and Thomas cook (India) Ltd. Bank has entered into a tie-up with TimesofMoney Ltd for online transfer of funds (Remit2India) as an additional service to NRIs.

#### **Tie-up with Payment Gateways:**

Bank has entered into tie-up with Times of Money Ltd for our Internet Banking Customers for Online payment of goods and services purchased/availed. Besides, the Bank also has tie-up with other Payment Gateways namely Bill Desk, C C Avenue and Tech Process Solutions Ltd etc.

#### **Credit Card Business**

At the end of the financial year, the total card issued by the bank stood at 1.56 lakhs, the Credit Card turnover is ₹ 458.20 crore as against the turnover of ₹ 451.22 crore during 2012-13. The Bank has started issuing chip based cards with effect from December 1, 2013.

The total number of merchants enrolled by the Bank for the year 2013 – 2014 stood at 1293. The Bank is also providing cordless card swiping machines and the terminals are EMV/UKPT/TLE compliant and PIN @ POS. The Bank makes direct payments to merchants maintaining account at our Core Banking branches.

#### **Debit Card**

There has been substantial increase in the issuance of Debit Cards. We have issued 32.20 lakh Debit Cards during the FY 2013-14 as against 24.60 lakh cards issued during 2012-13. The Debit Card turnover was ₹ 464.96 crore during 2013-14 as against ₹ 326.43 crore as on March 31, 2013.

The Bank is issuing Aadhar based Rupay cards under Financial Inclusion and ATM enabled Kisan Cards linked to VKC accounts. 77017 Cards under FI have been issued as on March 31, 2014. During the year, the Bank has started issue of Rupay branded Debit Card & also chip based Debit Cards. The Bank has launched Pre-paid domestically valid Gift Cards.

#### **Depository Participant Account and Online Trading:**

Vijaya Bank is a Depository Participant (DP) with National Securities Depository Limited.

Vijaya Bank DP offers the following depository services.

- Account Opening
- Dematerialization of securities (shares, Debentures, Mutual funds etc.)
- Electronic settlement of trades in stock exchanges connected to NSDL and CDSL.



- Pledge/hypothecation of demat security holdings against bank loan
- Electronic credit of securities allotted in public issues.
- Freezing of accounts whenever required so that debits from the account are not permitted.
- Nomination facility for demat accounts.
- Services related to change of address, bank account details etc.
- Effecting transmission of securities.
- NSDL IDeAS facility.

The Bank provides Depository Services to customers and Tied up with IDBI Capital for providing Online Trading.

### **Government Business Module (GBM)**

Government Business module is implemented with the following modules.

- OLTAS Module which deals with Direct and Indirect Taxes and remittance of tax amount to RBI through link cell, Nagpur.
- Public Provident Fund - PPF is being accepted at the designated branches of the Bank.

Centralized Payment of Pension - A dedicated Centralized Pension payment processing cell has been created at HO. All types of pension like State, Central, Civil, Telecom, Defence, Judges and Freedom Fighters pension is being paid centrally by the CPPC cell at HO.

Senior Citizens Savings Scheme as per the government guidelines is also implemented in the Bank.

### **Marketing Setup**

Marketing cell at the Bank's Head Office with active involvement of all Marketing Officers posted across the country in various Regional Offices / RACPCs & MSME cell is actively engaged in popularizing and marketing of Bank's various products and services.

### **Publicity and Public Relations**

During FY 2013-14, the Bank has carried out several major advertisement campaigns in Print & Electronic media in English, Hindi and in regional languages throughout the country to elevate the visibility of the Bank and its products. This year, major Publicity

Campaigns were carried out through Outdoor Advertisement media, such as, translights at airports and Delhi Metro Railway station, Kolkata Metro Stations. Outdoor Advertisement hoardings were taken in metro cities, glow sign/sign board advertisements at Railway stations/Bus stands besides ad campaign through FM radios – RADIO ONE, RADIO CITY & RADIO MIRCHI.

### **Implementation of Official Language**

Bank is implementing the Government's Official Language Policy in letter and spirit since Nationalization. With the efforts of staff members, Bank could achieve Hindi correspondence of 90.10% in Region "A" against the target of 100%, 78.57% in Region "B" against the target of 90% and 61.26 % in Region "C" against the target of 55% as on 31.03.2014.

Under the banner of "V-Gen U<sup>TH</sup>" – A savings bank product for children, all 26 Regional Offices & Head Office has conducted Hindi Elocution Competition and Hindi singing Competition for High School students. Every Regional Office has conducted Hindi Symposium, Hindi Quiz Programs and Hindi Elocution competitions in which teachers & students of various Colleges/Universities, customers and staff members have participated. 21 Special Hindi workshops were conducted in which 212 Executives participated. 102 Hindi workshops were conducted for staff members in which 1863 staff members were trained.

The Parliamentary Committee on Official Language (III rd Sub Committee) inspected our Head Office on 05.07.2013 and appreciated the efforts of the Bank in Hindi Implementation.

Our Head Office was inspected by the Joint Secretary and Joint Director (OL) of Dept. of Financial Services on O.L. Implementation on 14.09.2013 and reviewed the progress made in this direction. Our Head Office hosted a program on "Rajbhasha Prayog - Aapasi Samwad Sartak Disha" on 16.09.2013 chaired by the Joint Director (OL) in which representatives of Nationalised Banks participated.

Hindi Day was celebrated by Head Office on 18.09.2013 and a noting Sahayika in the form of a Desk Calendar was released on the occasion.

The exclusive intra-net Rajbhasha website has been made more user friendly for the staff members by providing letter heads of all branches/offices, office notes letters etc.



The Bank hosted the 91<sup>st</sup> meeting of CETH of CAB Reserve Bank of India Pune, on 13.12.2013 at the Bank's Head Office, in which representatives from all Nationalised Banks were present. Rajbhasha Adhikaris Conference was conducted on 01.02.2014 at the Bank's Head Office.

Our Bank conducted inter-bank competitions under the aegis of various Town Official Language Implementation Committees all over India and a number of staff members have also won prizes.

The Head Office along with various Regional Offices of the Bank have received prizes for Official Language Implementation for the year 2012-2013 awarded by the respective Town Official Language Implementation Committees which were distributed during the current financial year. Bank's Head Office, Bengaluru; Regional Office-Hassan and Regional Office-Kolkata have been awarded First Prize, Regional Office-Calicut - Second Prize, Regional Offices – Mangalore & Vijaywada - Third Prize and Regional Office-Bengaluru (North) has been awarded Consolation Prize.

#### **ALTERNATE DELIVERY CHANNELS:**

A number of activities were undertaken to ensure that technology driven Alternate Delivery Channels are utilized to the mutual advantage of the customers and the Bank. Mailers were sent to customers highlighting the advantages of using Alternate Delivery Channels like internet banking, use of Debit Card, on-line purchases, and funds transfer through RTGS/NEFT etc. Training programmes are conducted by Staff College to familiarize/ sensitize the staff members with the products so that these facilities percolate to the customer in a professional manner.

#### **TeleBanking Facility**

TeleBanking facility was started during 2012-13. TeleBanking facility provides a number of advantages to customers as support services are available 24/7.

#### **Internet Banking:**

V-Net Banking, an Internet Banking channel of the Bank is providing services like balance enquiry, account statement, intra-bank and inter-bank fund transfers through RTGS/NEFT, transactions related SMS alerts, payment of Indirect/Direct taxes, State commercial Taxes, utility bill payments, online temple donations & online donations to Prime Ministers Relief Fund (PMRF) and others.

- Password can be reset online
- Creation of User-id and Password credentials online.
- Customers can view their PPF account and transfer funds to PPF Account from their linked operative accounts using V-Net Banking facility.
- Customer can View their Vijaya Bank Credit Card statement.

#### **Mobile Banking:**

V-Mobile Banking, the channel of the Bank for performing banking activities like balance enquiry, account statement, mobile recharge, intra and interbank funds transfer using NEFT, Airline ticket booking, Movie Ticket booking etc., with their mobile handset using SMS/ GPRS modes of communication. "Immediate Payment Service" – IMPS (P2P-Person to Person), an initiative from NPCI (National Payment Corporation of India) has been implemented for the benefit of the customers using Mobile Banking services to perform the transactions 24x7 within and across the banks using MMID (Mobile Money Identifier). IMPS (P2A – Person to Account) is implemented in our existing Mobile Banking services, wherein the customers can do funds transfer using beneficiary's A/c No. and IFSC code, without the use of MMID.

#### **SMS Alerts/e-mail**

The Bank also offers SMS alert service. Messages are sent for all transactions of ₹ 2000 and above and when cheques are returned with irrespective of the amount. Monthly statement of account through e-mail to account holders who have registered the e-mail ID has been implemented.

SMS alert facility is also used for

- Adding beneficiaries in V-Net Banking through SMS - OTP(One Time Password)
- Online Resetting of Password in V-Net Banking SMS - OTP (One Time Password).
- Self User Creations for Retail Customers using SMS - OTP (One Time Password) along with other security features.



## CUSTOMER SERVICE

### Customer Service and Redressal of Complaints

There is a robust Grievances Redressal Mechanism in the Bank and vigorous efforts are made for a time bound resolution of all complaints.

A few of the steps taken by the Bank to ensure the quality of Customer Service/ Redressal of Complaints are as below:

- C<sub>3</sub>O Workshops:- “Creating a Customer Centric Organization” – Continuous workshops for all the frontline staff of the Bank to inculcate and sensitise them to the necessity of customer service, inculcate a sense of belonging, provide latest technical knowhow and continuous knowledge enhancement on the Bank’s products, etc.
- Incognito Visits: - Incognito visits were conducted to evaluate branches in a discreet manner about the
  1. Ambience of the branches
  2. Product knowledge of the staff
  3. Reception & Acknowledgement of the customers
  4. Overall Service level of the staff.

The findings of the study were used to analyse the focus areas of the visits and to improve the customer service.

- SPGRS (Standardized Public Grievance Redressal System):- The Bank instantaneously followed the directions of the Department of Financial Services to implement the SPGRS. Under SPGRS, the complaints received through multiple channels will be registered and digitalized in order to have an integrated information system for customer grievances. All grievances are classified under various heads and sub-heads and automatically routed to the concerned Departments for easy and timely redressal.
- Call Centre: - The Bank has an exclusive call centre to help the customers for attending to the matters of Alternate delivery channels, ATM/ Credit Cards, customer service, product promotions etc.

- Unhappy SMS: - The Bank has introduced “Unhappy SMS” for the customers. A customer can send an “Unhappy SMS” from his mobile to us, by typing : **HPY [space] N** and send to **9844213910**. Our Call Centre officials will immediately call them, enquire the reason for the unhappy condition and offer solution to cater to their needs.

### Banking Codes and Standards Board of India (BCSBI)

The Bank, being a member of BCSBI, has adopted the voluntary Codes formulated by BCSBI i.e. (i) ‘Code of Bank’s Commitment to Customers’ (ii) ‘Code of Bank’s Commitment to Micro and Small Enterprises.’ Bank has formulated and complied with several policies as per the guidelines of BCSBI. A session on Customer Service incorporating the provisions of the Codes has been included in the staff general banking training programmes in order to comply with the Codes in true letter and spirit. The Bank conducted BCSBI Customers’ meet on 21<sup>st</sup> June 2013 at the Bank’s Head Office, Bengaluru. The meeting was chaired by Shri A. C. Mahajan, Chairman, BCSBI in the presence of the Chairman & Managing Director and Executive Director of the Bank.

### CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

For the benefit of the society and to ensure inclusive growth, several Corporate Social Responsibility (CSR) initiatives have been taken up by the Bank during the FY 2013-14. During the FY 2013-14, Bank has adopted 35 girl students for financial support to pursue education upto graduation level. On the occasion of 83<sup>rd</sup> foundation day, donations were given for the purchase of an Ambulance and medical support, 183 water purifiers to Government Schools, construction of building for orphanages and disabled, sewing machines for destitute women. Bank has continued in extending services in rural health centres at villages that have been adopted in the year 2011-12. Also, Bank has taken initiatives to construct Bus shelters, Solar lights/lamps installations, assistance to orphanages, old age home centres, differently abled persons, assistance to Rural and Govt. Schools for creation of better facilities, organizing health camps, relief to victims of natural calamities, infrastructure support for rural schools and villages and activities that are aimed towards positive development of society.



### Awards & Achievements

In recognition of varied initiatives, the Bank was conferred several awards and accolades during 2013-14.

- ‘Best Banker – HR’ award by Sunday Standard of The New Indian Express group for excellence in human resources management practices.
- ‘Amity Leadership award for business excellence by leveraging IT’ by Amity University for excellence in IT initiatives.
- The Chairman of the Bank received the ‘CEO with HR Orientation’ award by Institute of Public Enterprises.
- Bank’s Credit Department is accredited with ISO/IEC 27001:2005 certification for information security management system by British Standard Institute (BSI).

### BOARD MEETING AND MEETING OF OTHER SUB COMMITTEES OF THE BOARD

During the year 2013-14, the Board of Directors met 20 times. The details of Committee Meetings are as under:-

Name of the Committee	No. of Meetings
Management Committee of the Board	15
Audit Committee of the Board	13
Directors’ Promotion Committee	04
Risk Management Committee of the Board	05
Committee to review Large Value Frauds	05
Remuneration Committee of the Board,	01
Nomination Committee of the Board,	01
Customer Service Committee of the Board,	03
Shareholders’ / Investors Grievances Committee	04
Share Transfer	09
Head Office Level Credit Approval Committee	53
Special Committee to consider appeals preferred by employees against final orders passed by Chairman & Managing Director as Disciplinary Authority	02
I.T Strategy Committee	02
Supporting candidates in the Election	02
Credit Monitoring recovery management of NPA	05
Allotment Committee	02

### Board of Directors

During the year 2013-14, the following changes have taken place.

1. Shri H. S. Upendra Kamath, Chairman & Managing Director demitted the Office of Chairman & Managing Director on 31.12.2013, on attaining superannuation.
2. Shri V. Kannan has assumed charge as Chairman & Managing Director of our Bank on 01.01.2014.
3. Shri B. S. Rama Rao has been appointed as Executive Director of the Bank w.e.f. 27.09.2013.
4. Shri Y. Muralikrishna has been appointed as Workmen Director w.e.f. 02.11.2013 vice Shri Suresh Kamath.
5. Shri Nishank Kumar Jain, Shareholder Director demitted the Directorship w.e.f 05.11.2013.

The Bank’s Board as on date consists of the following Directors:-

1. Shri V. Kannan, Chairman & Managing Director
2. Shri K. R. Shenoy, Executive Director
3. Shri B. S. Rama Rao, Executive Director
4. Shri V. K. Chopra, Director
5. Smt. Suma Varma, Director
6. Shri P. C. Nalwaya, Non Official Director
7. Shri P. Vaidyanathan, Shareholder Director
8. Smt. Bharati Rao, Shareholder Director
9. Shri Ashok Gupta, Non Official Director
10. Shri H. Harish Ballal, Officer-employee Director
11. Shri Y. Muralikrishna, Workmen Director

### Acknowledgement

The Board of Directors placed on record its appreciation of the valuable services rendered by Shri H. S. Upendra Kamath as Chairman & Managing Director, Shri Suresh Kamath and Shri Nishank Kumar Jain as Directors of the Bank.

**For and on behalf of the Board of Directors**

Head Office, Bengaluru  
Dated the 06.05.2014

**V. Kannan**  
Chairman & Managing Director





## REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS OF VIJAYA BANK ON CORPORATE GOVERNANCE 2013-14

### 1. INTRODUCTION

Corporate Governance reflects the built in value system of the Bank in conducting its day to day affairs in an efficient, ethical and transparent way with the ultimate objective of maximizing shareholders wealth while ensuring fairness to all the stakeholders including the Customers, Shareholders', Employees, General Public, Society, Patrons, Government and Regulators. The existence of sound Corporate Governance in banking organizations is fundamental to their own sound functioning and to the stability of the banking system as a whole and no amount of controls, systems and relations can be a replacement for sound Corporate Governance. Bank endeavors to attain highest standard of Corporate Governance mandated by the Listing Agreement entered into with Stock Exchanges and also as per the recommendations of Dr. Ganguly Committee Report on Corporate Governance. Bank has adopted the best practices in terms of disclosures, transparency, business ethics that are aimed at adding to the intrinsic value of the stakeholders of this great institution.

### 2. BANK'S PHILOSOPHY ON CODE OF GOVERNANCE

Bank defines Corporate Governance as a systematic process by which Organizations are directed and controlled to enhance their wealth generating capacity. Since Corporate employ a vast quantum of resources of the society, it is necessary that these resources are utilized in a manner that meets stakeholders' aspirations and society's expectations.

Bank believes that sound principles of corporate governance are important key to success, as these enhance the ability to secure the confidence of its stakeholders. The Bank strives for total commitment to ethical practices in the conduct of its business, while being determined to enhance shareholders' value. We believe that Corporate Governance stands for responsible and value creating management and control of the Bank. Bank's policies and practices are not only consistent with statutory requirements, but are also based on its commitment to operate in the best interest of the Stakeholders.

Our Bank seeks to proclaim corporate excellence by –

1. Generating profitable growth to ensure sustainable success. This helps wealth maximization of our stakeholders.
2. Satisfying the spirit of the law and not just the letter by maintaining high degree of transparency and disclosure level.
3. Maintaining a work force as a network of knowledge and learning. Our corporate culture is open dialogue, mutual respect, clear goals and decisive leadership.
4. A management which is open, transparent, proactive, merit based and free from bias ensuring fair justice to all sections of the society.
5. Proclaiming congenial environment for employees, customers and society at large.

Thus bank considers itself as a Trustee of the Shareholders and Stakeholders and acknowledges the fiduciary responsibility towards them by creating and safeguarding their wealth. Bank adopts this through efficient corporate strategies, proactive business plans, policies and procedures to satisfy ethical and legal responsibilities.

#### **Green Initiatives in Corporate Governance taken by Ministry of Corporate Affairs (MCA)**

Ministry of Corporate Affairs has issued circulars giving clarification regarding service of documents/notices including copies of Annual Financial Results to shareholders in electronic form rather than sending through physical mode. This will benefit the society at large through reduction in paper consumption and in turn protect our trees which would contribute towards a sustainable greener environment. Sending of documents / communications through electronic mode also ensure prompt communication and avoids their loss in transit.



We have requested all our shareholders to register their e mail address with us to enable us to comply with the Green Initiatives envisaged by the GOI.

### 3. BOARD OF DIRECTORS

Good Corporate Governance starts at the top, with the Board of Directors and the Top Management which takes appropriate decisions and guides the Bank in achieving highest standards of excellence. Bank's Board is constituted in accordance with The Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1980 and Nationalized banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980.

#### 3.1. Composition of Board of Directors as on 31.03.2014

Executive	3
Non-Executive	4
Non Executive Independent	4
<b>TOTAL</b>	<b>11</b>

The Directors have been contributing their diversified knowledge, experience and expertise in respective areas of their specialization for the development of the Bank. The composition of the Board is in conformity of the Listing Agreements entered into with Stock Exchanges.

#### 3.2. Composition of Board of Directors as on 31.03.2014 was as under:

Sl.No	Name of Director	Designation	Nature of Directorship	Date of Assuming Office
1.	Shri V. Kannan	Chairman & Managing Director	Executive	01.01.2014
2.	Shri K. R. Shenoy	Executive Director	Executive	18.06.2012
3.	Shri B. S. Rama Rao	Executive Director	Executive	27.09.2013
4.	Shri V.K. Chopra	Government Nominee	Non Executive	02.12.2011
5.	Smt. Suma Varma	RBI Nominee	Non Executive	30.07.2010
6.	Shri P. C. Nalwaya	Non Official Director	Non Executive Independent	20.05.2011
7.	Smt. Bharati Rao	Nominee-Shareholders	Non Executive Independent	08.08.2011
8.	Shri P. Vaidyanathan	Nominee-Shareholders	Non Executive Independent	08.08.2011
9.	Shri Ashok Gupta	Non Official Director	Non Executive Independent	11.11.2011
10.	Shri H. Harish Ballal	Officer-Employee Director	Non Executive	25.01.2012
11.	Shri Y. Muralikrishna	Workmen Director	Non Executive	02.11.2013

#### **Appointment /Cessation of Directors during the year**

Shri V. Kannan, has been appointed as Chairman & Managing Director w.e.f. 01.01.2014.

Shri H. S. Upendra Kamath, has demitted the office of Chairman and Managing Director on 31.12.2013 on attaining superannuation.

Shri B. S. Rama Rao, has been appointed as Executive Director w.e.f. 27.09.2013.

Shri Suresh Kamath, Workmen Director has been ceased to be Director of the Bank on completion of his term on 01.11.2013

Shri Y. Muralikrishna, has been appointed as Workmen employee Director w.e.f. 02.11.2013.

Shri N. K. Jain, has demitted the Office of Nominee shareholder Director w.e.f. 05.11.2013.



### 3.3 Profile of Directors appointed during the Year 2013-2014

<b>NAME</b>	<b>Shri V. Kannan</b>
<b>DATE OF BIRTH</b>	25.12.1954
<b>AGE</b>	59 Years
<b>QUALIFICATIONS</b>	B.Sc. (Hons.) CAIIB, P G Diploma in Business Administration
<b>NATURE OF APPOINTMENT AS DIRECTOR</b>	<p>Chairman &amp; Managing Director</p> <p>Shri V. Kannan was appointed as Chairman &amp; Managing Director of the Bank by Government of India, under sub section (3) of Section 9 of Banking Companies (Acquisition &amp; Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980, vide notification No.F.No.4/4/2012-BO.I dated.22.08.2013.</p>
<b>EXPERIENCE</b>	<p>Shri V. Kannan holds Degree in B.Sc., (Hons), CAIIB, P.G. Diploma in Business Administration.</p> <p>He has to his credit over 37 years of illustrious banking experience accredited with several rewards and recognition in diverse fields. It is his eruditeness in banking, high professional mettle and impeccable administrative acumen that have contributed to his elevation as the Chairman &amp; Managing Director of Vijaya Bank.</p> <p>He held Directorship – On the Board of SBI Global Factors Ltd. a subsidiary of SBI in the capacity of Nominee Director for the period 2007 – 2010</p> <p>On the Board of Canara HSBC OBC, Life Insurance Co. since August 2012 till December 2013.</p> <p>He has undergone various training programmes in India and abroad, the recent being the training programme held in February 2012 - the Advanced Management Programme conducted by IMI, Delhi at Delhi and Europe. He has also attended various training programmes and seminars at institutes of national repute in India and abroad.</p>

<b>NAME</b>	<b>Shri B. S. Rama Rao</b>
<b>DATE OF BIRTH</b>	22.01.1958
<b>AGE</b>	56 Years
<b>QUALIFICATIONS</b>	M A (Economics), JAIIB



<p><b>NATURE OF APPOINTMENT AS DIRECTOR</b></p>	<p>Executive Director</p> <p>Shri B. S. Rama Rao was appointed as Executive Director of the Bank by Government of India, under sub section (3) of Section 9 of Banking Companies (Acquisition &amp; Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980, read with sub-clause (1) of clause 3 and sub-clause (1) of Clause 8 of The Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970/1980, vide notification No.F.No.4/5/2012-BO.I dated 27.09.2013.</p>
<p><b>EXPERIENCE</b></p>	<p>Shri B. S. Rama Rao holds a masters degree in Economics from Osmania University and is JAIB. He started his career as a probationary officer in the year 1978 and served Andhra Bank in various capacities at different parts of the country for around 35 years and was elevated as a General Manager in Andhra Bank since 01.12.2010. As recognition for his achievements, Shri B. S. Rama Rao has been elevated to the post of Executive Director of our Bank</p> <p>In his illustrious banking career he has attended various seminars/conferences both in India and abroad. He has held various positions in areas like Recovery, Priority Sector, Merchant Banking, Audit &amp; Inspection and he brings rich and vast experience as a professional banker in different fields of Banking.</p>

<p><b>NAME</b></p>	<p><b>Shri Y. Muralikrishna</b></p>
<p><b>DATE OF BIRTH</b></p>	<p>15.03.1959</p>
<p><b>AGE</b></p>	<p>55 Years</p>
<p><b>QUALIFICATIONS</b></p>	<p>B.com.</p>
<p><b>NATURE OF APPOINTMENT AS DIRECTOR</b></p>	<p>Workmen Employee Director</p> <p>Shri Y. Muralikrishna was appointed as Workmen Employee Director of the Bank by Government of India under sub section 3 of section 9 of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980 with sub clause (1) &amp; (2) of clause 9 of The Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme vide notification F.No.6/10/2013- BO-I dated 16.08.2013.</p>
<p><b>EXPERIENCE</b></p>	<p>Shri Y. Muralikrishna joined Vijaya Bank on 12<sup>th</sup> May 1982 as a Clerk and served in Regional Office, Vijayawada and Vijayawada branch. He was an active student union leader. He acquired trade union spirit, ideology and conviction in his college days itself and took interest in the activities of VBWO and AIBEA and started taking active role and became Regional leader of VBWO. He has been the Central Office Bearer of the VBWO in various capacities and is at present Deputy General Secretary of Vijaya Bank Workers Organization.</p>



### 3.4. Board Meetings:

During the year under review, 16 Board Meetings were held on following dates as against minimum of 6 meetings prescribed under Clause 12 of Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980.

25.04.2013	26.04.2013	07.06.2013	28.06.2013	28.07.2013	29.07.2013	26.08.2013	14.09.2013
23.10.2013	11.11.2013	28.12.2013	17.01.2014	03.02.2014	19.02.2014	10.03.2014	24.03.2014

In addition to the above Board Meetings, Bank has conducted 4 Special Board Meetings for each quarter as per the directions of the Ministry of Finance vide their letter dated 10.07.2012 as under for discussing major policy and strategic issues

25.04.2013	28.07.2013	23.10.2013	17.01.2014
------------	------------	------------	------------

The details of attendance of the Directors at the Board Meetings including Special Board Meetings held during their respective tenure are as under.

### 3.5. Details of Attendance of the Directors at the Board Meetings:

Sl. No.	Name of Director	Period	Meetings held during the period of their tenure	Meetings Attended	Attendance in last AGM
1.	Shri V. Kannan*1	01.01.2014 - 31.03.2014	6	6	NA
2.	Shri H. S. Upendra Kamath*2	01.04.2013 - 31.12.2013	14	14	YES
3.	Shri K. R. Shenoy	01.04.2013 - 31.03.2014	20	20	YES
4.	Shri B. S. Rama Rao*3	27.09.2013 - 31.03.2014	10	10	NA
5.	Shri V.K. Chopra	01.04.2013 - 31.03.2014	20	19	NO
6.	Smt. Suma Varma	01.04.2013 - 31.03.2014	20	18	NO
7.	Shri Suresh Kamath*4	01.04.2013 - 01.11.2013	12	12	NO
8.	Shri P. C. Nalwaya	01.04.2013 - 31.03.2014	20	20	YES
9.	Smt. Bharati Rao	01.04.2013 - 31.03.2014	20	17	YES
10.	Shri N.K. Jain*5	01.04.2012 - 05.11.2013	12	10	YES
11.	Shri P. Vaidyanathan	01.04.2013 - 31.03.2014	20	16	NO
12.	Shri Ashok Gupta	01.04.2013 - 31.03.2014	20	14	YES
13.	Shri H. Harish Ballal	01.04.2013 - 31.03.2014	20	20	YES
14.	Shri Y. Muralikrishna*6	02.11.2013 - 31.03.2014	8	8	NA

\*1 Shri V. Kannan, has been appointed as Chairman & Managing Director w.e.f. 01.01.2014.

\*2 Shri H. S. Upendra Kamath, has demitted the office of Chairman and Managing Director on 31.12.2013 on attaining superannuation.



- \*3 Shri B. S. Rama Rao, has been appointed as Executive Director w.e.f. 27.09.2013.
- \*4 Shri Suresh Kamath, Workmen Director has been ceased to be Director of the Bank on completion of his term on 01.11.2013
- \*5 Shri N. K. Jain, has demitted the Office of Nominee shareholder Director w.e.f. 05.11.2013.
- \*6 Shri Y. Muralikrishna, has been appointed as Workmen employee Director w.e.f. 02.11.2013.

#### 4. COMMITTEES OF BOARD

In line with the requirements/ directions of SEBI, RBI and Ministry of Finance, the Board has constituted the following Committees of Directors. These Committees provide specific and focused governance for the activities falling within their terms of reference and as per the stipulated guidelines.

1.	Management Committee	9.	Customer Service Committee
2.	Audit Committee	10.	Remuneration Committee
3.	Shareholders' / Investors' Grievances Committee	11.	Nomination Committee
4.	Share Transfer Committee	12.	Committee to decide on supporting candidates in election of shareholder directors
5.	Risk Management Committee	13.	IT Steering Committee
6.	Committee to Review High Value Frauds	14.	Committee For Monitoring of Recovery
7.	Head Office Level Credit Approval Committee	15.	Committee to consider appeals preferred by employees against final orders by the chairman and managing director as Disciplinary Authority
8.	Directors' Promotion Committee	16.	Allotment Committee

##### 4.1. Management Committee of Board:

The Management Committee of the Board is constituted in pursuance of Clause 13 of Nationalized Banks' (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980, read with the directives of the Ministry of Finance, Government of India. Management Committee of the Board has been constituted to consider various business matters of material significance like approval for introduction of new deposit schemes, sanction of limits whether fund based or non fund based, compromise/ write-off, sanction of capital and revenue expenditure, investments, donations etc. The Committee exercises such powers as may be delegated to it by the Board with the approval of Central Government and concurrence of Reserve Bank of India.

During the period under review, the Management Committee of the Board (MCB) met 15 times. The details of meetings of MCB held during the year & the attendance of Director Members are as detailed below:

25.04.2013	07.06.2013	28.06.2013	28.07.2013	26.08.2013	16.09.2013	22.10.2013	11.11.2013
12.12.2013	28.12.2013	17.01.2014	03.02.2014	19.02.2014	10.03.2014	24.03.2014	



#### 4.1.1 Details of Attendance of the Directors at the MCB Meetings:

Sl. No.	Name of Director	Designation	Period	Meetings held during the period of their tenure	Meetings Attended
1.	Shri V. Kannan*1 Chairman & Managing Director	Chairman	01.01.2014 - 31.03.2014	5	5
2.	Shri H. S. Upendra Kamath*2 Chairman & Managing Director	Chairman	01.04.2013 - 31.12.2013	10	10
3.	Shri K. R. Shenoy Executive Director	Executive Director	01.04.2013 - 31.03.2014	15	14
4.	Shri B. S. Rama Rao*3 Executive Director	Executive Director	27.09.2013 - 31.03.2014	9	8
5.	Smt. Suma Varma RBI Nominee Director -Non Executive	Member	01.04.2013 - 31.03.2014	15	14
6.	Shri P. C. Nalwaya Non Official Director - Non Executive	Member	01.04.2013 - 31.03.2014	15	14
7.	Shri Suresh Kamath*4 Workmen Director- Non Executive	Member	01.04.2013 - 20.09.2013	6	6
8.	Shri Ashok Gupta Non Official Director- Non Executive	Member	01.04.2013 - 20.09.2013 & 21.03.2014 - 31.03.2014	7	5
9.	Shri H. Harish Ballal Officer Employee Director- Non Executive	Member	01.04.2013 - 20.09.2013 & 21.03.2014 - 31.03.2014	7	7
10.	Smt. Bharati Rao Shareholder Director- Non Executive	Member	21.09.2013 - 20.03.2014	8	5
11.	Shri N.K. Jain*5 Shareholder Director- Non Executive	Member	21.09.2013 - 05.11.2013	1	1
12.	Shri P. Vaidyanathan Shareholder Director- Non Executive'	Member	21.09.2013 - 20.03.2014	8	8
13.	Shri Y. Muralikrishna*6 Workmen Director- Non Executive	Member	28.12.2013 - 31.03.2014	6	6

\*1 Shri V. Kannan, has been appointed as Chairman & Managing Director w.e.f. 01.01.2014.

\*2 Shri H. S. Upendra Kamath, has demitted the office of Chairman and Managing Director on 31.12.2013 on attaining superannuation.

\*3 Shri B. S. Rama Rao, has been appointed as Executive Director w.e.f. 27.09.2013.

\*4 Shri Suresh Kamath, Workmen Director has been ceased to be Director of the Bank on completion of his term on 01.11.2013

\*5 Shri N. K. Jain, has demitted the Office of Nominee shareholder Director w.e.f. 05.11.2013.

\*6 Shri Y. Muralikrishna, has been appointed as Workmen employee Director w.e.f. 02.11.2013.



## 4.2 Audit Committee of the Board

The directives of Reserve Bank of India, provisions of Companies Act, 1956 and Listing Agreements govern the formation and functioning of Audit Committee of the Board (ACB). The ACB provides direction as also oversees the operation of the total audit function in the Bank comprising the organization and quality control of internal audit and inspection within the Bank and follows up the statutory/external audit of the Bank and inspections of Reserve Bank of India. All the members of the Committee are financially literate.

### The functions of Audit Committee include the following:

- Overseeing the Bank's financial reporting process and ensuring correct, adequate and credible disclosure of financial information.
- Reviewing with the Management, Quarterly Financial Statements with special emphasis on accounting policies and practices, compliance of accounting standards and other legal requirements concerning financial statements, qualifications in the audit report, compliance with Stock Exchange and legal requirements concerning financial institutions, related party transactions etc.
- Reviews the findings of investigation by the internal auditors into matters where fraud is suspected or irregularity or failure of internal control system is observed and suggests strengthening of control mechanism.
- Interacts with Statutory Central Auditors before the finalization of the annual / half yearly and quarterly accounts and reports, focusing on the changes in accounting policies and practices, qualification in the draft Audit Report etc.
- Looking into the reasons for substantial defaults in the payments to the depositors, shareholders, debenture holders and creditors, if any.
- Reviewing with the management, the performance of statutory and internal auditors and adequacy of internal control system, discussion with internal auditors of any significant findings and follow up there on.
- The Committee specially focuses on the follow up on:
  - a) Inter Branch Adjustment Accounts
  - b) Unreconciled long standing entries in Inter Branch Accounts & NOSTRO Accounts
  - c) Arrears in balancing of books at various branches.
  - d) Frauds
  - e) Major areas of house keeping.

The Bank in its appreciation of the fundamentals of Corporate Governance and in pursuance of directives of Reserve Bank of India has constituted an Audit Committee of the Board comprising of 5 Directors, with Non-Executive Independent Director with financial knowledge as the Chairman of the Committee.

As per the requirements of RBI, the meetings of the Audit Committee should ordinarily be held at least once in a quarter and not less than six times in a year. During the year, the Audit Committee met 13 times on the following dates:





25.04.2013	26.04.2013	21.06.2013	28.07.2013	29.07.2013	26.08.2013	22.10.2013
11.11.2013	13.12.2013	28.12.2013	03.02.2014	19.02.2014	24.03.2014	

#### 4.2.1. Details of Attendance of the Directors at the ACB Meetings:

Sl. No.	Name of Director	Designation	Period	Meetings held during the period of their tenure	Meetings Attended
1.	Shri P. C. Nalwaya Non Official Director- Non Executive (Chartered Accountant)	Chairman	01.04.2013 - 31.03.2014	13	13
2.	Shri K. R. Shenoy Executive Director	Executive Director	01.04.2013 - 31.03.2014	13	12
3.	Shri B. S. Rama Rao*1 Executive Director	Executive Director	27.09.2013 - 31.03.2014	7	6
4.	Shri V.K. Chopra GOI Nominee Director- Non Executive	Member	01.04.2013 - 31.03.2014	13	13
5.	Smt. Suma Varma RBI Nominee Director- Non Executive	Member	01.04.2013 - 31.03.2014	13	13
6.	Smt. Bharati Rao Shareholder Director- Non Executive	Member	01.04.2013 - 16.03.2014	12	9
7.	Shri P. Vaidyanathan Shareholder Director- Non Executive	Member	17.03.2014 - 31.03.2014	1	1

\*1 Shri B. S. Rama Rao, has been appointed as Executive Director w.e.f. 27.09.2013.

#### 4.3 Shareholders'/Investors' Grievances Committee:

The Shareholder's/Investors' Committee was constituted by the Bank with the purpose of redressal of Shareholders' and Investors' complaints on matters of their interest.

The Committee monitors the shareholders' grievances with respect to transfers, transmission, splitting and consolidation of shares issued by the bank and any other grievances of the shareholders. The Committee further monitors the redressal of investors' complaints in a time bound manner.

The Committee met 4 times during the year under review on the following dates.

25.04.2013	28.07.2013	22.10.2013	17.01.2014
------------	------------	------------	------------



**4.3.1. Details of Attendance of the Directors at the Shareholders'/Investors' Grievances Committee**

Sl. No.	Name of Director	Designation	Period	Meetings held during the period of their tenure	Meetings Attended
1.	Shri P. Vaidyanathan Shareholder Director- Non Executive	Chairman	01.04.2013 - 31.03.2014	4	3
2.	Shri K. R. Shenoy Executive Director	Executive Director	01.04.2013 - 31.03.2014	4	4
3.	Shri B. S. Rama Rao*1 Executive Director	Executive Director	27.09.2013 - 31.03.2014	2	1
4.	Smt. Bharati Rao Shareholder Director- Non Executive	Member	01.04.2013 - 31.03.2014	4	3
5.	Shri N.K. Jain*2 Shareholder Director- Non Executive	Member	01.04.2013 - 05.11.2013	3	2
6.	Shri H. Harish Ballal Officer Employee Director- Non Executive	Member	01.04.2013 - 20.09.2013	2	2
7.	Shri Ashok Gupta Non Official Director- Non Executive	Member	21.09.2013 - 31.03.2014	2	1
8.	Shri P. C. Nalwaya Non Official Director- Non Executive	Member	28.12.2013 - 31.03.2014	1	1

\*1 Shri B. S. Rama Rao, has been appointed as Executive Director w.e.f. 27.09.2013.

\*2 Shri N. K. Jain, has demitted the Office of Nominee shareholder Director w.e.f. 05.11.2013.

Smt. K. Renu, Company Secretary has been functioning as Compliance Officer for the purpose of complying with various provisions of Securities & Exchange Board of India, Listing Agreements with Stock Exchanges and for monitoring the share transfer process etc.

**4.4. Share Transfer Committee:**

Besides the Directors' Sub Committee on Share holders'/ Investors' Grievances, the Bank has constituted a Share Transfer Committee of Directors with Chairman and Managing Director or Executive Director (in the absence of CMD) and two non-executive Directors as its members. The Committee met 9 times during the period under review with details as under. Further, some of the share transfers were approved by agendas sent to the Committee members by circulation, which were subsequently approved and ratified in the regular meetings.

25.04.2013	07.06.2013	28.06.2013	28.07.2013	26.08.2013
22.10.2013	12.12.2013	17.01.2014	10.03.2014	



#### 4.4.1. Details of Attendance of the Directors at the Share Transfer Committee

Sl. No.	Name of Director	Designation	Period	Meetings held during the period of their tenure	Meetings Attended
1.	Shri V. Kannan*1 Chairman & Managing Director	Chairman	01.01.2014 - 31.03.2014	2	2
2.	Shri H. S. Upendra Kamath*2 Chairman & Managing Director	Chairman	01.04.2013 - 31.12.2013	7	7
3.	Shri Suresh Kamath*3 Workmen Director- Non Executive	Member	01.04.2013 - 20.09.2013	5	5
4.	Shri P. Vaidyanathan Shareholder Director- Non Executive	Member	01.04.2013 - 20.09.2013	5	3
5.	Smt. Bharati Rao Shareholder Director- Non Executive	Member	21.09.2013 - 31.03.2014	4	2
6.	Shri H. Harish Ballal Officer Employee Director- Non Executive	Member	21.09.2013 - 31.03.2014	4	4

\*1 Shri V. Kannan, has been appointed as Chairman & Managing Director w.e.f. 01.01.2014.

\*2 Shri H. S. Upendra Kamath, has demitted the office of Chairman and Managing Director on 31.12.2013 on attaining superannuation.

\*3 Shri Suresh Kamath, Workmen Director has ceased to be Director of the Bank on completion of his term on 01.11.2013

#### 4.5. Risk Management Committee:

In terms of the recommendations of Dr. Ganguly Committee, the Risk Management Committee of the Board was constituted on 23.07.2003, to devise Bank's Risk Management Policies and strategies for Integrated Risk Management and to co-ordinate with different Risk management Committees in the Bank.

##### Functions of the Committee

1. To devise the Risk Management Policies and strategies for Integrated Risk Management and to co-ordinate with the different Risk Management Committees in the Bank.
2. Framing policies and guidelines for risk measurement.
3. Management and reporting in all the areas of risk.
4. Ensuring that risk management process (including people, system, operation, limit and control) satisfies Bank's policy.
5. Ensuring robustness of financial models and the effectiveness of all systems used to calculate risk.

The Committee met 5 times during the period under review with details as under.

07.06.2013	26.08.2013	22.10.2013	28.12.2013	10.03.2014
------------	------------	------------	------------	------------



#### 4.5.1. Details of Attendance of the Directors at the Risk Management Committee

Sl. No.	Name of Director	Designation	Period	Meetings held during the period of their tenure	Meetings Attended
1.	Shri V. Kannan*1 Chairman & Managing Director	Chairman	01.01.2014 - 31.03.2014	1	1
2.	Shri H. S. Upendra Kamath*2 Chairman & Managing Director	Chairman	01.04.2013 - 31.12.2013	4	4
3.	Shri K. R. Shenoy Executive Director	Executive Director	01.04.2013 - 31.03.2014	5	5
4.	Shri B. S. Rama Rao*3 Executive Director	Executive Director	27.09.2013 - 31.03.2014	3	2
5.	Shri P. C. Nalwaya Non Official Director- Non Executive	Member	01.04.2013 - 31.03.2014	5	5
6.	Smt. Bharati Rao Shareholder Director- Non Executive	Member	01.04.2013 - 20.09.2013	2	2
7.	Shri Ashok Gupta Non Official Director- Non Executive	Member	01.04.2013 - 31.03.2014	5	2
8.	Shri H. Harish Ballal Officer Employee Director- Non Executive	Member	21.09.2013 - 31.03.2014	3	3
9.	Shri Suresh Kamath*4 Workmen Director- Non Executive	Member	21.09.2013 - 01.11.2013	1	1
10.	Shri Y. Muralikrishna*5 Workmen Director- Non Executive	Member	02.11.2013 - 31.03.2014	2	2

\*1 Shri V. Kannan, has been appointed as Chairman & Managing Director w.e.f. 01.01.2014.

\*2 Shri H. S. Upendra Kamath, has demitted the office of Chairman and Managing Director on 31.12.2013 on attaining superannuation.

\*3 Shri B. S. Rama Rao, has been appointed as Executive Director w.e.f. 27.09.2013.

\*4 Shri Suresh Kamath, Workmen Director has ceased to be Director of the Bank on completion of his term on 01.11.2013

\*5 Shri Y. Muralikrishna, has been appointed as Workmen Director w.e.f. 02.11.2013.

#### 4.6. Committee to Review High Value Frauds

With a view to provide focused attention on monitoring of frauds involving amounts of rupee One Crore and above, a Committee of the Board was constituted in terms of the guidelines of Reserve Bank of India.



The Committee met 5 times during the period under review, as under:

28.07.2013	22.10.2013	28.12.2013	03.02.2014	19.02.2014
------------	------------	------------	------------	------------

#### 4.6.1 Details of Attendance of the Directors at the Committee to Review High Value Fraud Cases

Sl. No.	Name of Director	Designation	Period	Meetings held during the period of their tenure	Meetings Attended
1.	Shri V. Kannan*1 Chairman & Managing Director	Chairman	01.01.2014 - 31.03.2014	2	2
2.	Shri H. S. Upendra Kamath*2 Chairman & Managing Director	Chairman	01.04.2013 - 31.12.2013	3	3
3.	Shri K. R. Shenoy Executive Director	Executive Director	01.04.2013 - 31.03.2014	5	5
4.	Shri B. S. Rama Rao*3 Executive Director	Executive Director	27.09.2013 - 31.03.2014	4	3
5.	Shri V. K. Chopra GOI Nominee Director- Non Executive	Member	28.12.2013 - 31.03.2014	3	3
6.	Shri Ashok Gupta Non Official Director- Non Executive	Member	01.04.2013 - 20.09.2013	1	0
7.	Shri Suresh Kamath*4 Workmen Director- Non Executive	Member	01.04.2013 - 20.09.2013	1	1
8.	Shri H. Harish Ballal Officer Employee Director- Non Executive	Member	01.04.2013 - 20.09.2013	1	1
9.	Smt. Bharati Rao Shareholder Director- Non Executive	Member	21.09.2013 - 31.03.2014	4	3
10.	Shri P. Vaidyanathan Shareholder Director- Non Executive	Member	21.09.2013 - 31.03.2014	4	4
11.	Shri N.K. Jain*5 Shareholder Director- Non Executive	Member	21.09.2013 - 05.11.2013	1	1
12.	Shri P. C. Nalwaya Non Official Director- Non Executive	Member	28.12.2013 - 31.03.2014	3	3

\*1 Shri V. Kannan, has been appointed as Chairman & Managing Director w.e.f. 01.01.2014

\*2 Shri H. S. Upendra Kamath, has demitted the office of Chairman and Managing Director on 31.12.2013 on attaining superannuation.



- \*3 Shri B. S. Rama Rao, has been appointed as Executive Director w.e.f. 27.09.2013.
- \*4 Shri Suresh Kamath, Workmen Director has ceased to be Director of the Bank on completion of his term on 01.11.2013
- \*5 Shri N. K. Jain, has demitted the Office of Nominee shareholder Director w.e.f. 05.11.2013.

#### 4.7 HEAD OFFICE LEVEL CREDIT APPROVAL COMMITTEE (HLCC)

Board of Directors in its meeting held on 28.12.2011 had approved the constitution of Credit Approval Committee of the Board as per the direction of Government of India vide communication bearing reference no 13/1/2006-BO.1 dated 5th December, 2011. As per the notification, the Committee shall exercise powers of Board with regard to sanction of credit proposals upto ₹ 400 Crore in case of category 'A' Banks having business of ₹ Three Lakh Crore or more and credit proposals upto ₹ 250 Crore in case of other nationalized Banks. Credit proposals exceeding the delegated powers of Officials of the Bank including C&MD shall be placed to this Committee for approval. Credit proposals above this limit shall continue to be placed before the Management Committee of the Board for sanctions. Besides sanctioning the credit proposals (funded and non funded), loan compromise/ write of proposals upto an amount of ₹ 4 crore (excluding fraud cases which will continue to be placed to the MCB) will also be placed to this Committee. The meetings of HLCC shall be attended by the C&MD and one Executive Director. The minutes of the HLCC shall be placed in the next meeting of the Board.

During the year 53 meetings of HLCC were held on the following dates:

02.04.2013	05.04.2013	08.04.2013	15.04.2013	24.04.2013	26.04.2013	07.05.2013
14.05.2013	17.05.2013	21.05.2013	24.05.2013	01.06.2013	05.06.2013	13.06.2013
20.06.2013	27.06.2013	06.07.2013	19.07.2013	26.07.2013	02.08.2013	10.08.2013
14.08.2013	17.08.2013	26.08.2013	29.08.2013	05.09.2013	18.09.2013	26.09.2013
08.10.2013	24.10.2013	29.10.2013	07.11.2013	14.11.2013	22.11.2013	26.11.2013
30.11.2013	05.12.2013	10.12.2013	11.12.2013	12.12.2013	20.12.2013	26.12.2013
27.12.2013	08.01.2014	18.01.2014	30.01.2014	17.02.2014	18.02.2014	03.03.2014
10.03.2014	17.03.2014	24.03.2014	29.03.2014			

##### 4.7.1 Details of Attendance of the Members in HLCC meetings:

Sl. No.	Name of Director	Designation	Period	Meetings held during the period of their tenure	Meetings Attended
1.	Shri V. Kannan*1 Chairman & Managing Director	Chairman	01.01.2014 - 31.03.2014	10	6
2.	Shri H. S. Upendra Kamath*2 Chairman & Managing Director	Chairman	01.04.2013 - 31.12.2013	43	41
3.	Shri K. R. Shenoy Executive Director	Executive Director	01.04.2013 - 31.03.2014	53	45



Sl. No.	Name of Director	Designation	Period	Meetings held during the period of their tenure	Meetings Attended
4.	Shri B. S. Rama Rao*3 Executive Director	Executive Director	27.09.2013 - 31.03.2014	25	20
5.	Shri N. Devadas*4 General Manager, Credit (O)	Member	01.04.2013 - 30.09.2013	28	27
6.	Shri T. Jayanth Pai General Manager, Credit (O)	Member	01.10.2013 - 31.03.2014	25	25
7.	Shri H. Narayan Shetty General Manager, Accts	Member	01.04.2013 - 31.03.2014	53	48
8.	Shri Y. Nageswara Rao*5 General Manager, Risk Mgt	Member	01.04.2013 - 21.01.2014	45	41
9.	Shri A. C. Swain*5 General Manager, Risk Mgt	Member	22.01.2014 - 31.03.2014	8	8

\*1 Shri V. Kannan, has been appointed as Chairman & Managing Director w.e.f. 01.01.2014.

\*2 Shri H. S. Upendra Kamath, has demitted the office of Chairman and Managing Director on 31.12.2013 on attaining superannuation.

\*3 Shri B. S. Rama Rao, has been appointed as Executive Director w.e.f. 27.09.2013.

\*4 Shri N. Devadas, General Manager, Credit (Operations) has demitted office on his retirement on 30.09.2013.

\*5 Shri A. C. Swain, General Manager took the charge of Risk Management Department w.e.f 22.01.2014 vice Shri Y. Nageswara Rao, General Manager.

#### 4.8. Directors' Promotion Committee

A Special Committee was formed in terms of Regulation 19(2) of the Vijaya Bank (Officers') Service Regulations, 1982 to review the cases of executives in SMG Scale-V and above. The Committee oversees disciplinary cases and promotions of top executives (Scale VII) of the Bank.

It was constituted for the purpose of review and retirement of officer employees on or at any time after the completion of 55 years of age or at any time after completion of 30 years of total service. The membership comprises of CMD, Executive Directors, Government Director and RBI Nominee Director.

The Committee met 4 times during the period under review as under:

28.07.2013	23.10.2013	28.12.2013	10.03.2014
------------	------------	------------	------------

##### 4.8.1. Details of Attendance of the Directors at the Directors Promotion Committee

Sl. No.	Name of Director	Designation	Period	Meetings held during the period of their tenure	Meetings Attended
1.	Shri V. Kannan*1 Chairman & Managing Director	Chairman	01.01.2014 - 31.03.2014	1	1
2.	Shri H. S. Upendra Kamath*2 Chairman & Managing Director	Chairman	01.04.2013 - 31.12.2013	3	3



Sl. No.	Name of Director	Designation	Period	Meetings held during the period of their tenure	Meetings Attended
3.	Shri K. R. Shenoy Executive Director	Executive Director	01.04.2013 - 31.03.2014	4	4
4.	Shri B. S. Rama Rao*3 Executive Director	Executive Director	27.09.2013 - 31.03.2014	3	3
5.	Shri V. K. Chopra GOI Nominee Director- Non Executive	Member	01.04.2013 - 31.03.2014	4	4
6.	Smt. Suma Varma RBI Nominee Director- Non Executive	Member	01.04.2013 - 31.03.2014	4	4

\*1 Shri V. Kannan, has been appointed as Chairman & Managing Director w.e.f. 01.01.2014.

\*2 Shri H. S. Upendra Kamath, has demitted the office of Chairman and Managing Director on 31.12.2013 on attaining superannuation.

\*3 Shri B. S. Rama Rao, has been appointed as Executive Director w.e.f. 27.09.2013.

#### 4.9 Customer Service Committee

Pursuant to directives of RBI, Customer Service Committee has been constituted by the Board on 08.09.2004.

The Customer Service Committee of the Board is expected to:

1. Oversee the functioning of the Bank's Adhoc Committee on Procedures and Performance Audit on Customer Services.
2. Address the formulation of a Comprehensive Deposit Policy, incorporating issues such as the treatment of death of a depositor for operations of his account, product approval process, annual survey of depositor satisfaction and triennial audit of such services.
3. Introduce innovative measures for enhancing the quality of customer service and
4. Improve the level of customer satisfaction for all categories of clientele at all times.

The Committee met 3 times during the period under review as under:

28.07.2013	28.12.2013	19.02.2014
------------	------------	------------

#### 4.9.1 Details of Attendance of the Directors at the Customer Service Committee

Sl. No.	Name of Director	Designation	Period	Meetings held during the period of their tenure	Meetings Attended
1.	Shri V. Kannan*1 Chairman & Managing Director	Chairman	01.01.2014 - 31.03.2014	1	1
2.	Shri H. S. Upendra Kamath*2 Chairman & Managing Director	Chairman	01.04.2013 - 31.12.2013	2	2





Sl. No.	Name of Director	Designation	Period	Meetings held during the period of their tenure	Meetings Attended
3.	Shri K. R. Shenoy Executive Director	Executive Director	01.04.2013 - 31.03.2014	3	3
4.	Shri B. S. Rama Rao*3 Executive Director	Executive Director	27.09.2013 - 31.03.2014	2	2
5.	Shri P. Vaidyanathan Shareholder Director -Non Executive	Member	01.04.2013 - 20.09.2013	1	0
6.	Shri H. Harish Ballal Officer Employee Director- Non Executive	Member	01.04.2013 - 20.09.2013	1	1
7.	Shri Ashok Gupta Non Official Director- Non Executive	Member	21.09.2013 - 31.03.2014	2	2
8.	Shri Suresh Kamath*4 Workmen Director- Non Executive	Member	21.09.2013 - 01.11.2013	—	—
9.	Shri Y. Muralikrishna*5 Workmen Director- Non Executive	Member	02.11.2013 - 31.03.2014	2	2
10.	Shri Amarnath Hegde Representative of Customers	Member	01.11.2013 - 31.03.2014	2	2
11.	Shri T. Rudrappa Representative of Customers	Member	01.04.2013 - 31.10.2013	1	1

\*1 Shri V. Kannan, has been appointed as Chairman & Managing Director w.e.f. 01.01.2014.

\*2 Shri H. S. Upendra Kamath, has demitted the office of Chairman and Managing Director on 31.12.2013 on attaining superannuation.

\*3 Shri B. S. Rama Rao, has been appointed as Executive Director w.e.f. 27.09.2013.

\*4 Shri Suresh Kamath, Workmen Director has ceased to be Director of the Bank on completion of his term on 01.11.2013

\*5 Shri Y. Muralikrishna, has been appointed as Workmen employee Director w.e.f. 02.11.2013.

#### 4.10. REMUNERATION COMMITTEE

Remuneration to Whole Time Directors is paid as per Government of India guidelines. In terms of the GOI letter F.No.20/1/2005-BO.1 Dt.09.03.2007, Board of Directors of the Bank constituted the Remuneration Committee on 30.07.2007. The Committee is formed to evaluate the performance linked incentives to whole time Directors, viz., Chairman & Managing Director and the Executive Director, and to award eligible incentive as on 31<sup>st</sup> March of the relevant year.



The details of remuneration including performance linked incentive paid to CMD and ED's during the year 2013-2014 are as detailed below:

Particulars	Shri V. Kannan (CMD)	Shri H.S. Upendra Kamath (CMD)	Shri K. R. Shenoy (ED)	Shri B. S. Rama Rao (ED)
Salary	₹ 4,30,350	₹ 13,50,595	₹ 15,11,445	₹ 7,57,467
Allowances	—	—	—	—
Contribution on PF	₹ 22,650	₹ 71,329	₹ 79,755	₹ 39,867
Other-performance Linked Incentive	—	₹ 6,00,000	₹ 4,00,000	—
Other (LFC, Medical, etc.)	₹ 83	₹ 4,15,914	₹ 2,27,478	₹ 32,950
Other Perquisites	—	₹ 14,364	₹ 19,152	₹ 9,576
Total	₹ 4,53,083	₹ 24,52,202	₹ 22,37,830	₹ 8,39,860
Stock Option	—	—	—	—

The Non Executive/Independent Directors are not being paid any remuneration, except the Sitting Fees, traveling and halting expenses for attending the meetings of the Board / Committees as per the guidelines of Government of India. The sitting fees are paid as per Government of India directives.

The Committee met on 07.06.2013 during the period under review.

#### 4.10.1. Details of Attendance of the Directors at the Remuneration Committee

Sl. No.	Name of Director	Designation	Period	Meetings held during the period of their tenure	Meetings Attended
1.	Shri V. K. Chopra GOI Nominee Director- Non Executive	Member	01.04.2013 - 31.03.2014	1	1
2.	Smt. Suma Varma RBI Nominee Director- Non Executive	Member	01.04.2013 - 31.03.2014	1	1
3.	Shri P. C. Nalwya Non Official Director- Non Executive	Member	01.04.2013 - 31.03.2014	1	1
4.	Shri P. Vaidyanathan Shareholder Director- Non Executive	Member	01.04.2013 - 15.03.2014	1	1
5.	Smt. Bharati Rao Shareholder Director- Non Executive	Member	16.03.2014 - 31.03.2014	—	—

#### 4.11. NOMINATION COMMITTEE

As directed by the Reserve Bank of India, vide their letter DBOD.No.BC.No.47/29.39001 /2007-08 dated 01.11.2007, the Nomination Committee of the Board was constituted on 28.12.2007, to undertake process of due diligence to determine the 'fit and proper' status of existing elected Directors/the persons to be elected as Directors under Sec.9 (3) (i) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1980. The Committee consists of three Directors as members:



The Committee met once during the period under review on 07.06.2013 and found that the persons elected as Directors fulfill the 'fit and proper' criteria stipulated by the Reserve Bank of India.

#### 4.11.1. Details of Attendance of the Directors at the Nomination Committee

Sl. No.	Name of Director	Designation	Period	Meetings held during the period of their tenure	Meetings Attended
1.	Shri V. K. Chopra GOI Nominee Director- Non Executive	Member	01.04.2013 - 31.03.2014	1	1
2.	Shri P. C. Nalwaya Non Official Director- Non Executive	Member	01.04.2013 - 31.03.2014	1	1
3.	Shri Ashok Gupta Non Official Director- Non Executive	Member	01.04.2013 - 31.03.2014	1	1

#### 4.12 COMMITTEE TO DECIDE ON SUPPORTING CANDIDATES IN ELECTION OF SHAREHOLDER DIRECTORS

In line with the Ministry of Finance, GOI directives, the Board in its meeting held on 31.05.2012, approved the constitution of the committee, to take a decision on supporting candidates in the election of shareholder directors, where the Bank has invested in the shares of those companies.

The committee consists of the following members:

1. Chairman & Managing Director- Chairman of the Committee
2. Executive Director/s- Member
3. One Non-Official Director- Member

During the year the Committee met two times as under:

19.07.2013	25.09.2013
------------	------------

#### 4.12.1. Details of Attendance of the Directors at the Committee to decide on supporting candidates in election of Shareholder Directors

Sl. No.	Name of Director	Designation	Period	Meetings held during the period of their tenure	Meetings Attended
1.	Shri V. Kannan*1 Chairman & Managing Director	Chairman	01.01.2014 - 31.03.2014	—	—
2.	Shri H. S. Upendra Kamath*2 Chairman & Managing Director	Chairman	01.04.2013 - 31.12.2013	2	2
3.	Shri K. R. Shenoy Executive Director	Executive Director	01.04.2013 - 31.03.2014	2	2
4.	Shri B. S. Rama Rao*3 Executive Director	Executive Director	27.09.2013 - 31.03.2014	—	—
5.	Shri Ashok Gupta Non Official Director- Non Executive	Member	01.04.2013 - 31.03.2014	2	2



- \*1 Shri V. Kannan, has been appointed as Chairman & Managing Director w.e.f. 01.01.2014.
- \*2 Shri H. S. Upendra Kamath, has demitted the office of Chairman and Managing Director on 31.12.2013 on attaining superannuation.
- \*3 Shri B. S. Rama Rao, has been appointed as Executive Director w.e.f. 27.09.2013.

#### 4.13 IT STEERING COMMITTEE:

In line with the guidelines issued by the RBI and IBA recommendations, Board of Directors at its meeting held on 18.02.2012 has constituted the IT Steering Committee with an outside technical expert as a special invitee.

Scope of the functions of the IT Steering Committee is as under:-

1. To advise the Bank on strategic direction on IT and to review IT investments on Board's behalf.
2. To approve IT Strategy and Policy documents and ensure that Business Strategy is aligned to IT Strategy.
3. To ascertain that management has implemented processes and practices that ensures that IT delivers value to the business.
4. Monitoring the method, the management uses to determine the IT resources needed to achieve strategic goals and provide high level direction for sourcing and use of IT resources.
5. To evaluate effectiveness of management's monitoring of IT risks and management's performance in IT implementation.
6. Issuing high level policy guidance related to risk.

During the year the Committee met two times on 11.06.2013 and 31.12.2013.

11.06.2013	31.12.2013
------------	------------

##### 4.13.1. Details of Attendance of the Directors at the IT Steering Committee

Sl. No.	Name of Director	Designation	Period	Meetings held during the period of their tenure	Meetings Attended
1.	Shri V. Kannan*1 Chairman & Managing Director	Chairman	01.01.2014 - 31.03.2014	—	—
2.	Shri H. S. Upendra Kamath*2 Chairman & Managing Director	Chairman	01.04.2013 – 31.12.2013	2	2
3.	Shri K. R. Shenoy Executive Director	Executive Director	01.04.2013 - 26.09.2013	1	1
4.	Shri B. S. Rama Rao*3 Executive Director	Executive Director	27.09.2013 - 31.03.2014	1	1
5.	Smt. Bharati Rao Shareholder Director- Non Executive	Member	01.04.2013 - 31.03.2014	2	1

- \*1 Shri V. Kannan, has been appointed as Chairman & Managing Director w.e.f. 01.01.2014.
- \*2 Shri H. S. Upendra Kamath, has demitted the office of Chairman and Managing Director on 31.12.2013 on attaining superannuation.
- \*3 Shri B. S. Rama Rao, has been appointed as Executive Director w.e.f. 27.09.2013.



#### 4.14 COMMITTEE FOR MONITORING OF RECOVERY

In line with the Ministry of Finance letter dated 21.11.2012; the Board has constituted the committee for Monitoring of recovery to monitor / review the progress in recovery/ management of NPAs in general and of high value accounts of ₹ 1 Crore and above in particular.

The Committee met 5 times during the period under review, as under:

08.06.2013	28.07.2013	26.08.2013	27.12.2013	10.03.2014
------------	------------	------------	------------	------------

##### 4.14.1 Details of Attendance of the Directors at the Committee for Monitoring of Recovery

Sl. No.	Name of Director	Designation	Period	Meetings held during the period of their tenure	Meetings Attended
1.	Shri V. Kannan*1 Chairman & Managing Director	Chairman	01.01.2014 - 31.03.2014	1	1
2.	Shri H. S. Upendra Kamath*2 Chairman & Managing Director	Chairman	01.04.2013 - 31.12.2013	4	3
3.	Shri K. R. Shenoy Executive Director	Executive Director	01.04.2013 - 31.03.2014	5	4
4.	Shri B. S. Rama Rao*3 Executive Director	Executive Director	27.09.2013- 31.03.2014	2	2
5.	Shri V. K. Chopra GOI Nominee Director- Non Executive	Member	01.04.2013 - 31.03.2014	5	5

\*1 Shri V. Kannan, has been appointed as Chairman & Managing Director w.e.f. 01.01.2014.

\*2 Shri H. S. Upendra Kamath, has demitted the office of Chairman and Managing Director on 31.12.2013 on attaining superannuation.

\*3 Shri B. S. Rama Rao, has been appointed as Executive Director w.e.f. 27.09.2013.

#### 4.15 COMMITTEE TO CONSIDER APPEALS PREFERRED BY EMPLOYEES AGAINST FINAL ORDERS BY THE CHAIRMAN AND MANAGING DIRECTOR AS DISCIPLINARY AUTHORITY

The Committee was formed on 29.03.2010 to consider appeals from employees against final order by the CMD as Disciplinary Authority to protect the interest of employees. The committee consists of GOI Nominee Director, RBI Nominee Director and Non official Director (Chairman of the Audit Committee of the Board)

The Committee met 2 times during the period under review, as under:

07.06.2013	28.12.2013
------------	------------

##### 4.15.1 Details of Attendance of the Directors at the Committee to consider appeals preferred by employees against final orders by the Chairman and Managing Director as Disciplinary Authority

Sl. No.	Name of Director	Designation	Period	Meetings held during the period of their tenure	Meetings Attended
1.	Shri V. K. Chopra GOI Nominee Director- Non Executive	Member	01.04.2013 - 31.03.2014	2	2



Sl. No.	Name of Director	Designation	Period	Meetings held during the period of their tenure	Meetings Attended
2.	Smt. Suma Varma RBI Nominee Director- Non Executive	Member	01.04.2013 - 31.03.2014	2	2
3.	Shri P. C. Nalwaya Non Official Director- Non Executive	Member	01.04.2013 - 31.03.2014	2	2

#### 4.16 ALLOTMENT COMMITTEE

A special sub-committee of Board was formed to complete the formalities regarding the issue and allotment of equity shares to Govt. of India which met on two occasion i.e. on 19.12.2013 to issue and allot 5,89,34,464 equity shares of ₹ 10 each at a premium of ₹ 32.42 per share (issue price of ₹ 42.42/- per share) to Government of India on preferential basis against infusion of ₹ 249,99,99,963/- to Tier I Capital of the Bank and on 21.02.2014 to issue and allot 30,46,45,849 equity shares of ₹ 10 each at a premium of ₹ 29.39 per share (issue price of ₹ 39.39/- per share) to Government of India on preferential basis by way of conversion of existing Perpetual Non-Cumulative Preference Shares (PNCPS) aggregating to ₹ 1200 Crore.

#### 5. Particulars of Shareholdings of Non-Executive/Shareholder Directors as on 31.03.2014:

Name of Director	Number of shares held
1. Smt. Bharati Rao, Shareholder Director	100
2. Shri P. Vaidyanathan, Shareholder Director	2,100
3. Shri H. Harish Ballal, Officer Employee Director	1,000

#### 6. CODE OF CONDUCT:

Bank has been following the Code of Conduct as stipulated in clause 49 of the Listing Agreement. Accordingly, confirmation has been obtained from all Directors/top management personnel on an annual basis for compliance of the same.

#### 7. GENERAL BODY MEETING

The details of the last three Annual General Meeting held are furnished below:

Date	Time	Venue
29.07.2011	10.15 A.M	Mulki Sunder Ram Shetty Auditorium, Vijaya Bank, M.G. Road, Bengaluru.
29.06.2012	4.00 P.M	Mulki Sunder Ram Shetty Auditorium, Vijaya Bank, M.G. Road, Bengaluru.
28.06.2013	4.00 P.M	Mulki Sunder Ram Shetty Auditorium, Vijaya Bank, M.G. Road, Bengaluru.

**The following Directors were present during the Thirteenth Annual General Meeting. There was no Special Resolution passed in this meeting:**

1.	Shri H.S.Upendra Kamath	Chairman & Managing Director
2.	Shri K. R. Shenoy	Executive Director
3.	Shri P.C.Nalwaya	Non Official Director & Chairman of ACB
4.	Smt. Bharathi Rao	Shareholder Director
5.	Shri N.K. Jain	Shareholder Director
6.	Shri Ashok Gupta	Non Official Director
7.	Shri H. Harish Ballal	Officer Employee Director



Shri. Gaurav Shukla, Under Secretary, Ministry of Finance and Government of India was present at the Meeting as an Observer of the Government of India.

### **Extraordinary General Meeting**

During the year 2013-2014 two Extraordinary General Meetings of the Shareholders of the Bank were held at Mulki Sunder Ram Shetty Auditorium at Vijaya Bank Head Office.

The first Extraordinary General Meeting was held on 12.12.2013 for obtaining shareholders approval for preferential issue of 5,89,34,464 equity shares of ₹ 10/- each at a premium of ₹ 32.42 per share (i.e. total issue price of ₹ 42.42/- per share) against the infusion of ₹ 249,99,99,963/- into the Tier I capital of the Bank.

The following Directors were present during this Extraordinary General Meeting:

1. Shri H.S. Upendra Kamath, Chairman & Managing Director
2. Shri B.S. Rama Rao, Executive Director
3. Shri P. Vaidyanathan, Shareholder Director
4. Shri Ashok Gupta, Non-Official Director
5. Shri H. Harish Ballal, Officer-employee Director

Shri S. D. Sharma, Section Officer, Ministry of Finance, Government of India was present at the Meeting as an observer, representing the Government of India.

The second Extraordinary General Meeting was held on 19.02.2014 for obtaining shareholders approval for preferential issue of 30,46,45,849 equity shares of ₹ 10/- each at a premium of ₹ 29.39 per share (i.e. total issue price of ₹ 39.39/- per share) by way of conversion of existing Perpetual Non Cumulative Preferential Shares (PNCPS) aggregating to ₹ 1200 Crore into Equity Shares of the Bank.

The following Directors were present during the Extraordinary General Meeting:

1. Shri V. Kannan, Chairman & Managing Director
2. Shri K.R. Shenoy, Executive Director
3. Shri B.S. Rama Rao, Executive Director
4. Shri P.C. Nalwaya, Non-Official Director & ACB Chairman
5. Smt. Bharati Rao, Shareholder Director
6. Shri P. Vaidyanathan, Shareholder Director
7. Shri Ashok Gupta, Non-Official Director
8. Shri H. Harish Ballal, Officer-employee Director

Shri M.M. Dawla, Under Secretary, Ministry of Finance, Government of India was present at the Meeting as an observer, representing the Government of India, Ministry of Finance.

### **8. SHARE TRANSFER SYSTEM & REDRESSAL OF INVESTORS' GRIEVANCES:**

Share transfers, dividend payments and all other investor related activities are attended to and processed at the office of our Registrar and Share Transfer Agent. The Bank ensures that all transfer of shares is duly effected within the stipulated period from the date of their lodgments. The Board has constituted Shareholders'



& Investors' Grievances Committee and Share Transfer Committee to redress shareholders' grievances, to consider transfer of shares and other related matters. The Committees meet at regular intervals and reviews the status of Investors' Grievances besides confirming transfer of shares.

The Bank has appointed M/s Link Intime India Pvt Limited as its Registrar & Share Transfer Agent whose duty is to process share transfers, dividend payments, recording of shareholders' requests, and resolution of investors' grievances amongst other activities connected with the issue of shares. The Investors may lodge their transfer deeds/requests/complaints with the Registrar at the following address:

**M/s Link Intime India Private Limited**

(Unit: Vijaya Bank)

C-13, Pannalal Silk Mills Compound,

L.B.S.Road, Bhandup (West)

MUMBAI - 400 078

Tel: (022) 2594 6970

Fax: (022) 2594 6969 & 2596 2691

E-mail: mumbai@linkintime.co.in and rnt.helpdesk@linkintime.co.in

For the convenience of investors, requests for the share transfers and grievances / complaints from shareholders are also accepted at the Bank's Head Office in Bengaluru at the following address:

**General Manager,**

Board Secretariat (Shares Division)

Vijaya Bank, Head Office,

41/2, M.G.Road, Bengaluru

Karnataka – 560 001

Telephone : 080 25584066 Extn.514

Fax : 080 25594737.

e-mail : sdigc@vijayabank.co.in

website : www.vijayabank.com

The prompt response and immediate redressal of grievances of shareholders is the utmost concern of the Bank and is fully ensured.

**Share Transfer System:**

The transfers of Bank's Equity Shares are effected by our Share Transfer Agent- M/s Link Intime India Private Limited, Mumbai. The share transfer requests, as and when received by them, are scrutinized and if found in order, are processed and sent to Bank's Head Office for approval.

The lists of requests for share transfers/ dematerialization/ rematerialization/ split/ replacement/ consolidation etc., are placed before the Share Transfer Committee of the Board for approval. After getting the approval from the Share Transfer Committee, M/s Link Intime India Private Limited effects the transfers, demat etc., and sends it to the shareholders. The Bank ensures that all transfers of shares are duly effected within the stipulated period from the date of their lodgment.

As per Clause 47 of the Listing Agreement with Stock Exchanges, a report on share transfers effected by the R & T Agent and approved by the Share Transfer Committee is placed before the Board of Directors of the Bank for information.





### Number of Complaints received, resolved and pending

All the complaints from shareholders are received directly by M/s. Link Intime India Private Limited, Mumbai and those received by the bank are forwarded to them. The details of requests / complaints received and resolved during 2013-2014 and pending as on 31.03.2014 are as follows:

Particulars	Pending As on 01.04.2013	Received	Resolved	Pending As on 31.03.2014
a) No. of Requests	NIL	7884	7884	NIL
b) No. of Complaints	NIL	2489	2489	NIL

None of the above complaints were pending for more than one month. As on 31.03.2014, no share transfer requests were pending at our end.

## 9. DISCLOSURE, COMMUNICATION AND RELATIONSHIP WITH SHAREHOLDERS

There are no materially significant Related Party Transactions of the Bank with its Promoters/ Directors, Management, their Subsidiaries and/or Relatives that would have potential conflict with the interests of the Bank at large.

The Bank has complied with all the requirements regarding capital market related matters and has not been imposed any penalty or stricture by the Stock Exchanges or SEBI or any other statutory authorities during the financial year 2013-14. The Bank has conducted the Annual General Meeting and paid dividend to the eligible shareholders within the statutory time frame.

Information relating to Bank is sent mainly through the Annual Report which includes the Chairman's Statement, the Directors Report, Audited Accounts, Cash Flow Statements etc. The shareholders are also intimated on the quarterly, half yearly and annual performances through publication in news papers, intimation to stock exchanges, press releases and also through Bank's website [www.vijayabank.com](http://www.vijayabank.com).

During the financial year the quarterly financial results were published in leading newspapers namely Business Standard (English), Business Line (English), Economic Times (English), The New Indian Express (English), Deccan Herald (English), Prajavani (Kannada), Udayavani (Kannada), Kannada Prabha (Kannada) and Vijaya Karnataka (Kannada). The results are also displayed on the web site of the bank [www.vijayabank.com](http://www.vijayabank.com)

## 10. MANDATORY AND NON-MANDATORY REQUIREMENTS

10.1 The Bank has complied with all the applicable mandatory requirements as provided in Clause 49 of the Listing Agreement entered into with the Stock Exchanges.

10.2 The extent of implementation of non-mandatory requirements is furnished hereunder.

	REQUIREMENT	COMPLIANCE
10.2.1	A Non-Executive Chairman should be entitled to maintain the Chairman's office at the company's expense and also be allowed reimbursement of expenses incurred in performance of his duties.	The Bank is headed by an Executive Chairman appointed by Government of India and as such this requirement is not applicable.



10.2.2	The half-yearly declaration of financial performance including summary of the significant events in last six-months, should be sent to each household of shareholders.	The Bank sends yearly financial results along with the summary of significant developments during the year, to all the shareholders. Bank's quarterly financial results are published through Newspapers, Stock Exchanges and also through Bank's Website, after approval of the same by the Board of Directors.
10.2.3	Postal Ballot	The Bank has not taken up for consideration any of the critical matters, which require to be decided by postal ballot.

## 11. SHAREHOLDERS' INFORMATION:

The Bank is a Scheduled Commercial Bank having its Head Office at Bengaluru. The Bank has its presence in all parts of the country with 1512 network of Branches as on 31.03.2014. The Bank's shares are listed on the following major Stock Exchanges:

### 1) **Bombay Stock Exchange Limited**

Corporate Relationship Department,  
1st Floor, New Trading Ring,  
Phiroze Jeejeebhoy Towers,  
Dalal Street, Fort, Mumbai-400 001  
BSE CODE: 532401

### 2) **National Stock Exchange of India Ltd**

Exchange Plaza, 5th Floor,  
Plot No.C/1, G Block,  
Bandra-Kurla Complex,  
Bandra (East), Mumbai-400051  
NSE CODE : Vijaya Bank EQ AE BE BT

### 3) **Banglore Stock Exchange Limited**

P.B.No.27024,  
No.51, Stock Exchange Towers,  
1st cross, J.C.Road,  
Bengaluru-560027

The annual listing fees to the Stock Exchanges for the year 2013-14 has been paid within prescribed due dates.

### 11.1. Dematerialisation of Securities:

Dematerialization of shares of the Bank is not compulsory but the Bank has its shares Demated with National Securities Depository Ltd and Central Depository Services (India) Limited. Bank has been allotted ISIN Code No. INE705A01016 for the Dematerialized Equity Shares. There is normal liquidity as the shares of the Bank are dealt with at three Stock Exchanges. Bank has complied with SEBI requirements with regard to Share Capital Audit for the purpose of reconciliation of the total admitted capital with both the depositories i.e. NSDL and CDSL and the total issued and listed capital of the Bank and in respect of other matters covered under the directions of SEBI, by a practising Company Secretary



**Particulars of shares held in Demat and Physical form held by the Equity Shareholders as of 31.03.2014 are as under:**

	No of share holders	No. of shares	Percentage Shareholding
<b>DEMAT</b>			
President of India	1	63,62,47,049	74.06
Others in NSDL	162483	16,89,91,479	19.67
Others in CDSL	67309	2,90,17,836	3.38
<b>Total</b>		<b>83,42,56,364</b>	<b>97.11</b>
<b>PHYSICAL</b>			
OTHERS	73254	2,48,62,943	2.89
<b>Grand Total</b>	<b>3,03,047</b>	<b>85,91,19,307</b>	<b>100</b>

#### 11.2. Dividend paid by the Bank during the year 2013-2014:

During the year 2013-14, Bank paid a dividend of 25% to the shareholders pertaining to the financial year 2012-13. The dividend was recommended by the Board of Directors of the Bank in its Board Meeting held on 26.04.2013 and the same was declared by the shareholders in the Thirteenth Annual General Meeting held on 28.06.2013. Book closure for the purpose of AGM and payment of final dividend for the year 2012-13 was fixed from 25.06.2013 to 28.06.2013. All the Dividend Warrants were dispatched/ECS credit was effected by 10.07.2013.

Further, the Board of Directors of the Bank in its Board Meeting dated 17.01.2014 declared a dividend of 10% on the equity shares of the Bank i.e. a dividend of ₹ 1/- per share. The Record Date for the payment of the dividend was 29.01.2014 and the all the Dividend Warrants were dispatched/ECS credit was effected by 08.02.2014.

#### 11.3 Share Capital of the Bank:

As per section 3 (2A) of Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertaking) Act 1980, the Central Government, may after consultation with RBI and by notification in the Official Gazette, increase or reduce the Authorized Capital as it thinks fit, and after such increase or reduction, the Authorized Capital shall not exceed three thousand Crore of rupees or should not be less than one thousand five hundred Crore of rupees.

The Government of India vide notification dated 10/11/2009 increased the Authorized Capital of the Bank from ₹ 1500 Crore to ₹ 3000 Crore. Accordingly Authorized Capital of the Bank at present is ₹ 3000 Crore divided into 300 Crore fully paid shares of ₹10 each.

At present, Government of India holds 74.06% Equity Share Capital of the Bank and is the major shareholder of the Bank. The details of present Paid up Capital of the Bank is as follows:

(₹ in crore)

##### Authorised Capital:

300 Crore Shares of ₹ 10 each ₹ 3000.00

##### Total Paid up Capital:

85,91,19,307 Equity Shares of ₹ 10 each ₹ 859.12



**Table 1: Category wise Distribution of Equity Shareholding as on 31.03.2014**

	Category	No. of Shares held	Percentage of Shareholding
<b>A</b>	<b>Promoter's Holding</b>		
1	Promoters - Indian Promoters(Govt Of India) - Foreign Promoters	63,62,47,049 —	74.06 —
2	Persons Acting In Concert	—	—
	<b>Sub-Total</b>	<b>63,62,47,049</b>	<b>74.06</b>
<b>B</b>	<b>Non-Promoters' Holding</b>		
3	Institutional Investors		
	a) Mutual Funds & UTI	13,840	0.0016
	b) Banks, Financial Institutions, Insurance Companies, (Central/state Institutions/ Non-Government Institutions)	6,80,10,958	7.92
	c) FIIs/FMFs	1,73,95,895	2.02
	<b>Sub- Total</b>	<b>8,54,20,693</b>	<b>9.94</b>
<b>C</b>	<b>Others</b>		
	a) Private Corporate Bodies	1,93,89,941	2.25
	b) Indian Public	11,30,96,649	13.16
	c) NRIs/OCBs	34,26,297	0.40
	d) Any Other (Clg Member & Market Maker)	15,38,078	0.18
	e) Foreign Nationals	600	0.0001
	<b>Sub -Total</b>	<b>13,74,51,565</b>	<b>16.00</b>
	<b>GRAND TOTAL</b>	<b>85,91,19,307</b>	<b>100.00</b>

**Table 2: Total Foreign shareholding as on 31.03.2014**

Sl No.	Particulars	Number of Shares	Percentage of Shareholding
1	GDR & ADR holding	Nil	Nil
2	Foreign Promoters	Nil	Nil
3	Foreign Institutional Investors	1,73,95,895	2.02
4	Foreign Mutual Funds	Nil	Nil
5	NRIs	34,26,297	0.40
6	Foreign Banks	Nil	Nil
7	Foreign National	600	0.0001
	<b>Total</b>	<b>2,08,22,792</b>	<b>2.42</b>

**Table 3: List of Shareholders holding more than 1% of equity shares of the bank as on 31.03.2014.**

Sl. No	Name of share Holders	No. of shares Held	Percentage of Shareholding	Category
1	President of India	63,62,47,049	74.06	Indian promoter
2	LIC of India	5,94,74,712	6.92	Govt. Sponsored Financial Institution



#### 11.4. Whistle Blower Policy:

Bank has reiterated time and again through internal circulars, that staff members can address genuine information of significant value to the organization in the form of complaints/ suggestions / grievances through proper channel. In case of urgency/exigency it can be addressed directly to the appropriate authority without any reservation or fear. Staff members can thus effectively perform the role of a genuine 'Whistle Blower' in bringing to the notice of the management, in writing duly signed, any deviation which is in the interest of the organization and needs to be checked/rectified.


#### 11.5. Stock Market Data

The monthly high & low quotations and the volume of shares traded on for NSE and BSE for the period April 2013 to March 2014 are as follows:

##### NATIONAL STOCK EXCHANGE OF INDIA LIMITED (NSE)

Month	High (₹)	Low (₹)	Close (₹)	Close Date	Volume of Shares Traded	NSE NIFTY
April 2013	54.50	46.95	<b>52.55</b>	30.04.2013	28594762	5930.20
May 2013	56.10	50.85	<b>51.15</b>	31.05.2013	26346070	5985.95
June 2013	52.60	42.80	<b>44.95</b>	28.06.2013	22850615	5842.20
July 2013	47.75	38.10	<b>40.20</b>	31.07.2013	35641627	5742.00
August 2013	40.90	33.35	<b>34.80</b>	30.08.2013	33881828	5471.80
September 2013	41.40	34.15	<b>35.90</b>	30.09.2013	31283674	5735.30
October 2013	41.55	35.85	<b>41.30</b>	31.10.2013	26580965	6299.15
November 2013	46.15	37.80	<b>39.40</b>	29.11.2013	43720631	6176.10
December 2013	41.45	37.70	<b>39.30</b>	31.12.2012	12981163	6304.00
January 2014	41.50	36.00	<b>37.00</b>	31.01.2014	12281780	6089.50
February 2014	38.20	33.50	<b>35.00</b>	28.02.2014	6909876	6276.95
March 2014	40.50	34.80	<b>39.90</b>	31.03.2014	9799316	6704.20

#### BANK'S SHARE PRICE Vs NSE INDEX






**BOMBAY STOCK EXCHANGE OF INDIA LIMITED (BSE)**

Month	High (₹)	Low (₹)	Close (₹)	Close Date	Volume of Shares Traded	BSE SENSEX
April 2013	54.40	47.00	<b>52.45</b>	30.04.2013	4509403	19504.18
May 2013	56.15	50.95	<b>51.15</b>	31.05.2013	4659039	19760.30
June 2013	52.60	42.80	<b>45.05</b>	28.06.2013	3486399	19395.81
July 2013	47.75	38.20	<b>40.25</b>	31.07.2013	6124600	19345.70
August 2013	40.85	33.40	<b>34.75</b>	30.08.2013	4867261	18619.72
September 2013	41.40	34.25	<b>35.90</b>	30.09.2013	4313350	19379.77
October 2013	41.55	35.90	<b>41.25</b>	31.10.2013	3576322	21164.52
November 2013	46.10	38.00	<b>39.35</b>	29.11.2013	6894741	20791.93
December 2013	41.50	37.85	<b>39.20</b>	31.12.2012	2577348	21170.68
January 2014	41.50	36.05	<b>37.15</b>	31.01.2014	3117719	20513.85
February 2014	38.20	33.90	<b>34.85</b>	28.02.2014	1753302	21120.12
March 2014	40.45	34.75	<b>39.75</b>	31.03.2014	2326276	22386.27

**BANK'S SHARE PRICE Vs BSE INDEX**




**11.6. Value wise Distribution of Share holding of Vijaya Bank as on 31.03.2014**

Shareholding of Nominal value. ₹	Shareholders		Shares	
	Nos.	Percentage	Amt in ₹	Percentage
1 to 5000	262767	86.70	419520080.00	4.88
5001 to 10000	25489	8.41	219372540.00	2.55
10001 to 20000	8721	2.87	133495320.00	1.55
20001 to 30000	2212	0.72	56658780.00	0.65
30001 to 40000	1137	0.37	41637100.00	0.48
40001 to 50000	729	0.24	34668990.00	0.40
50001 to 100000	1109	0.36	82268940.00	0.95
100001 and above	883	0.29	7603571320.00	88.50
<b>TOTAL</b>	303047	100.00	8591193070.00	100.00

**V. Kannan**  
Chairman & Managing Director

**K. R. Shenoy**  
Executive Director

**B. S. Rama Rao**  
Executive Director

**V. K. Chopra**  
Director

**Suma Varma**  
Director

**P C Nalwaya**  
Director

**Ashok Gupta**  
Director

**H. Harish Ballal**  
Director

**Y. Muralikrishna**  
Director

Place : Bengaluru  
Date : 06.05.2014



## AUDITORS' CERTIFICATE ON CORPORATE GOVERNANCE

To

The Members of Vijaya Bank

We have examined the compliance of conditions of Corporate Governance by VIJAYA BANK for the year ended on 31<sup>st</sup> March 2014, as stipulated in Clause 49 of the Listing Agreement of the said Bank with Stock Exchanges.

The compliance of conditions of Corporate Governance is the responsibility of the Management. Our examination was limited to procedures and implementation thereof, adopted by the Bank for ensuring the compliance of the conditions of Corporate Governance. It is neither an audit nor an expression of opinion on the financial statements of the Bank.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, we certify that the Bank has complied with the conditions of Corporate Governance as stipulated in the above mentioned Listing Agreement to the extent these do not violate RBI guidelines.

We state that no investor grievance is pending for a period exceeding one month, against the Bank, as per the records maintained by the Shareholder's and Investor's Grievances Committee and as certified by the Registrar & Share Transfer Agent of the Bank.

We further state that such compliance is neither an assurance as to the future viability of the Bank nor the efficiency or effectiveness with which the Management has conducted the affairs of the Bank.

**For M/s Mukund M Chitale & Co**  
Chartered Accountants

**Abhay V Kamat**  
Chartered Accountants  
Membership No.039585

**For M/s Karra & Co**  
Chartered Accountants

**R Sundar**  
Membership No. 022448

**For N C Mittal & Co**  
Chartered Accountants

**N C Mittal**  
Chartered Accountants  
Membership No. 014213

**For M/s. KPMC & Associates**  
Chartered Accountants

**Sanjay Mehra**  
Membership No. 075488

Place : Bengaluru  
Date : 06.05.2014





## BALANCE SHEET AS ON 31<sup>ST</sup> MARCH, 2014

PARTICULARS	Schedule No.	[₹ 000's omitted]	
		As on 31.03.2014	As on 31.03.2013
<b>CAPITAL AND LIABILITIES</b>			
Capital	1	859 11 94	1695 53 91
Reserves and Surplus	2	5028 80 44	3863 11 18
Deposits	3	124296 15 93	97017 23 68
Borrowings	4	4744 79 86	6391 81 65
Other Liabilities and Provisions	5	2429 73 11	2014 04 60
<b>TOTAL</b>		<b>137358 61 28</b>	<b>110981 75 02</b>
<b>ASSETS</b>			
Cash and Balance with Reserve Bank of India	6	5540 20 76	3917 69 72
Balance with Banks and Money at Call and Short Notice	7	3917 44 83	2727 05 28
Investments	8	42585 38 48	31284 96 53
Advances	9	81504 03 21	69765 76 21
Fixed Assets	10	528 94 55	476 73 66
Other Assets	11	3282 59 45	2809 53 62
<b>TOTAL</b>		<b>137358 61 28</b>	<b>110981 75 02</b>
Contingent Liabilities	12	13130 99 95	15114 53 07
Bills for Collection		2227 43 58	1882 54 50
Accounting Policies	17		
Notes on Accounts	18		

Significant Accounting Policies and the Schedules referred to above form an integral part of the Balance Sheet.

**V. KANNAN**  
Chairman & Managing Director

**V. K. CHOPRA**  
Director

**ASHOK GUPTA**  
Director

**H. NARAYAN SHETTY**  
General Manager

**K. R. SHENOY**  
Executive Director

**SUMA VARMA**  
Director

**H. HARISH BALLAL**  
Director

**B. S. RAMA RAO**  
Executive Director

**P. C. NALWAYA**  
Director

**Y. MURALIKRISHNA**  
Director

AS PER OUR REPORT OF EVEN DATE

**For M/s MUKUND M CHITALE & CO**  
Chartered Accountants  
Registration No: 106655W

**[ABHAY V. KAMAT]**  
Partner  
Membership No:39585

**For M/s N C MITTAL & CO.**  
Chartered Accountants  
Registration No: 000237N

**[N C MITTAL]**  
Partner  
Membership No:14213

**For M/s KARRA & CO.**  
Chartered Accountants  
Registration No: 001749S

**[R SUNDAR]**  
Partner  
Membership No:22448

**For M/s KPNC & ASSOCIATES**  
Chartered Accountants  
Registration No: 05359C

**[SANJAY MEHRA]**  
Partner  
Membership No:075488

Place : Bengaluru  
Date : 06.05.2014



**PROFIT & LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31<sup>ST</sup> MARCH, 2014**

PARTICULARS	Schedule No.	[₹ 000's omitted]	
		For the year ended 31.03.2014	For the year ended 31.03.2013
<b>I. INCOME</b>			
Interest Earned	13	10706 55 69	9051 88 45
Other Income	14	709 87 43	606 99 80
<b>TOTAL</b>		11416 43 12	9658 88 25
<b>II. EXPENDITURE</b>			
Interest Expended	15	8623 14 76	7173 88 39
Operating Expenses	16	1689 55 33	1362 97 39
Provisions and Contingencies		687 82 17	536 41 55
<b>TOTAL</b>		11000 52 26	9073 27 33
<b>III. PROFIT / LOSS</b>			
Net Profit for the year		415 90 86	585 60 92
Add: Profit brought forward		958 98 84	934 97 27
Less: Creation of DTL on Special Reserve U/s 36(1)(viii)		157 62 10	—
Add: Transfer from General Reserve		—	5
<b>TOTAL</b>		1217 27 60	1520 58 24
<b>IV. APPROPRIATIONS</b>			
Transfer to Statutory Reserve		103 97 72	146 40 23
Transfer to Special Reserve in terms of Sec. 36 (1) (viii) of the Income Tax Act		—	90 00 00
Transfer to Capital Reserve		13 64 01	60 91 78
Transfer to General Reserve		—	—
Interim Dividend (inclusive of tax)		64 87 06	—
Proposed Dividend - Equity Share Capital (inclusive of tax)		100 51 27	144 93 90
Proposed Dividend Preference Share Capital (inclusive of tax)		—	119 33 49
Balance carried forward to Balance Sheet		934 27 54	958 98 84
<b>TOTAL</b>		1217 27 60	1520 58 24
<b>Earnings Per Share - Basic</b> (In ₹)		7.64	9.41
<b>- Diluted</b> (In ₹)		7.64	9.41
Accounting Policies	17		
Notes on Accounts	18		

Significant Accounting Policies and the Schedules referred to above form an integral part of the Profit & Loss Account.

**V. KANNAN**  
Chairman & Managing Director

**V. K. CHOPRA**  
Director

**ASHOK GUPTA**  
Director

**H. NARAYAN SHETTY**  
General Manager

**K. R. SHENOY**  
Executive Director

**SUMA VARMA**  
Director

**H. HARISH BALLAL**  
Director

**B. S. RAMA RAO**  
Executive Director

**P. C. NALWAYA**  
Director

**Y. MURALIKRISHNA**  
Director

AS PER OUR REPORT OF EVEN DATE

For M/s **MUKUND M CHITALE & CO**  
Chartered Accountants  
Registration No: 106655W

**[ABHAY V. KAMAT]**  
Partner  
Membership No:39585

For M/s **N C MITTAL & CO.**  
Chartered Accountants  
Registration No: 000237N

**[N C MITTAL]**  
Partner  
Membership No:14213

For M/s **KARRA & CO.**  
Chartered Accountants  
Registration No: 001749S

**[R SUNDAR]**  
Partner  
Membership No:22448

For M/s **KPMC & ASSOCIATES**  
Chartered Accountants  
Registration No: 05359C

**[SANJAY MEHRA]**  
Partner  
Membership No:075488

Place : Bengaluru  
Date : 06.05.2014



## SCHEDULES TO BALANCE SHEET AND PROFIT & LOSS ACCOUNT

[₹ 000's omitted]

PARTICULARS	As on 31.03.2014	As on 31.03.2013
<b>SCHEDULE - 1 :</b>		
<b>CAPITAL</b>		
<b>AUTHORISED CAPITAL</b>	<b>3000 00 00</b>	3000 00 00
300,00,00,000 Shares of ₹ 10/- each		
<b>ISSUED, SUBSCRIBED AND CALLED UP CAPITAL</b>		
85,91,19,307 Equity Shares of ₹ 10/- each		
(Previous year 49,55,38,994 Equity shares of ₹ 10/- each)	<b>859 11 94</b>	495 53 91
Previous year 120,00,00,000 Perpetual Non-Cumulative Preference Shares of ₹ 10/- each	—	1200 00 00
<b>PAID UP CAPITAL</b>		
(a) Held by Central Government 63,62,47,049 Equity Shares of ₹ 10/- each (Previous year 27,26,66,736 Equity shares of ₹10/- each)	<b>636 24 71</b>	272 66 68
(b) Held by the Public and Others 22,28,72,258 Equity Shares of ₹ 10/- each (Previous year 22,28,72,258)	<b>222 87 23</b>	222 87 23
(c) (Previous year 120,00,00,000 perpetual Non-Cumulative Preference Shares of ₹ 10/- each at annual floating coupon to be benchmarked to repo rate with a spread of 100 basis points to be readjusted annually based on prevailing repo rate on the relevant date.) In December 2014 quarter the Bank has issued 5,89,34,464 equity shares of ₹ 10 each to Government of India at a premium of ₹ 32.42 per share. In March'14 quarter, the Bank has converted the Perpetual Non-Cumulative Preference Share Capital of ₹ 1200 crores held by Government of India into equity share capital at a premium of ₹ 29.39 Per share with face value of ₹10/- each.	—	1200 00 00
<b>TOTAL</b>	<b>859 11 94</b>	1695 53 91
<b>SCHEDULE - 2 :</b>		
<b>RESERVES AND SURPLUS</b>		
<b>I. STATUTORY RESERVE</b>		
Balance as per last Balance Sheet	<b>1233 74 25</b>	1087 34 02
Add : Additions during the year	<b>103 97 71</b>	146 40 23
<b>TOTAL</b>	<b>1337 71 96</b>	1233 74 25
<b>II. CAPITAL RESERVE</b>		
Balance as per last Balance Sheet	<b>338 25 45</b>	277 33 67
Add : Additions during the year	<b>13 64 01</b>	60 91 78
<b>TOTAL</b>	<b>351 89 46</b>	338 25 45
<b>III. SHARE PREMIUM</b>		
Balance as per last Balance Sheet	<b>592 97 88</b>	592 97 88
Add : Additions during the year	<b>1086 41 97</b>	—
<b>TOTAL</b>	<b>1679 39 85</b>	592 97 88
<b>IV. REVALUATION RESERVE</b>		
Balance as per last Balance Sheet	<b>262 62 40</b>	277 52 74
Add : Additions during the year	—	—
Less : Deduction on account of depreciation adjusted from Profit & Loss Account	<b>13 63 13</b>	14 90 34
<b>TOTAL</b>	<b>248 99 27</b>	262 62 40



[₹ 000's omitted]

PARTICULARS	As on 31.03.2014	As on 31.03.2013
<b>SCHEDULE - 2 : (Contd...)</b>		
<b>V. REVENUE AND OTHER RESERVES</b>		
[a] Special Reserve in terms of Sec.36 (1) (viii) of the Income Tax Act		
Balance as per last Balance Sheet	463 72 74	373 72 74
Add : Additions during the year	—	90 00 00
<b>TOTAL</b>	<b>463 72 74</b>	<b>463 72 74</b>
[b] General Reserve		
Balance as per last Balance Sheet	12 79 62	12 79 67
Add/(Less) : Transfer during the Year	—	(5)
<b>TOTAL</b>	<b>12 79 62</b>	<b>12 79 62</b>
[c] Balance in Profit & Loss Account	934 27 54	958 98 84
<b>TOTAL</b>	<b>934 27 54</b>	<b>958 98 84</b>
<b>TOTAL [a+b+c]</b>	<b>1410 79 90</b>	<b>1435 51 20</b>
<b>TOTAL { I+II+III+IV+V}</b>	<b>5028 80 44</b>	<b>3863 11 18</b>
<b>SCHEDULE - 3 :</b>		
<b>DEPOSITS</b>		
<b>DEPOSITS IN INDIA</b>		
<b>I. Demand Deposits</b>		
i) From Banks	15 57 53	13 33 37
ii) From Others	5881 67 32	5203 10 67
<b>II. Savings Bank Deposits</b>		
	16977 97 64	15132 77 32
<b>III. Term Deposits</b>		
i) From Banks	323 10 63	303 52 66
ii) From Others	101097 82 81	76364 49 66
<b>TOTAL</b>	<b>124296 15 93</b>	<b>97017 23 68</b>
<b>SCHEDULE - 4 :</b>		
<b>BORROWINGS</b>		
<b>I. BORROWINGS IN INDIA</b>		
i) Reserve Bank of India	350 00 00	350 00 00
ii) Other Banks	—	350 00 00
iii) Other Institutions & Agencies	2644 79 86	4191 54 51



[₹ 000's omitted]

PARTICULARS	As on 31.03.2014	As on 31.03.2013
<b>SCHEDULE - 4 : (Contd...)</b>		
iv) Sub-ordinated Debts - Bonds raised as Tier- II Capital		
1) 10 Years & 3 months Bonds 2015 @ 7.15%	250 00 00	250 00 00
2) 10 Years Bonds 2016 @ 9.25%	250 00 00	250 00 00
3) 15 Years Bonds 2022 @ 10.10%	300 00 00	300 00 00
4) 10 Years & 3 months Bonds 2017 - 9.50%	200 00 00	200 00 00
5) 10 Years & 4 months Bonds 2018 - 9.35%	200 00 00	200 00 00
6) 15 Years Bonds 2023 - 9.45%	300 00 00	300 00 00
7) 10 Years Bonds 2023 - 9.73%	250 00 00	—
<b>II. BORROWINGS OUTSIDE INDIA</b>	—	27 14
<b>TOTAL</b>	<b>4744 79 86</b>	<b>6391 81 65</b>
<b>SCHEDULE - 5 :</b>		
<b>OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS</b>		
(i) Bills Payable	417 15 42	386 38 89
(ii) Interest Accrued	325 22 24	262 08 16
(iii) Provision against standard assets	424 01 53	342 18 53
(iv) Others [including Provisions]	1051 45 13	1023 39 02
(v) Inter Office Adjustments [net]	136 76 30	—
(vi) Deffered Tax Liability (Net)	75 12 49	—
<b>TOTAL</b>	<b>2429 73 11</b>	<b>2014 04 60</b>
<b>SCHEDULE - 6 :</b>		
<b>CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA</b>		
I. Cash in Hand [including foreign currency notes]	373 49 97	417 56 30
II. Balances with Reserve Bank of India in Current Accounts	5166 68 72	3500 13 42
III. Balances with Reserve Bank of India in Other Accounts	2 07	—
<b>TOTAL</b>	<b>5540 20 76</b>	<b>3917 69 72</b>
<b>SCHEDULE - 7 :</b>		
<b>BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE</b>		
<b>I. IN INDIA</b>		
(i) Balances with Banks'		
a) in Current Accounts	76 37 89	92 32 25
b) in Other Deposit Accounts	63	69
(ii) Money at Call and Short Notice		
a) with Banks	22 48 13 61	5 19 94 25
b) with Other Institutions	8 79 43 25	2050 00 00
<b>TOTAL</b>	<b>3203 95 38</b>	<b>2662 27 19</b>



[₹ 000's omitted]

PARTICULARS	As on 31.03.2014	As on 31.03.2013
<b>SCHEDULE - 7 : (Contd...)</b>		
<b>II. OUTSIDE INDIA *</b>		
a) in Current Accounts	97 09 76	16 73 42
b) in Other Deposit Accounts	616 39 69	48 04 67
<b>TOTAL</b>	<b>713 49 45</b>	<b>64 78 09</b>
<b>TOTAL {I+II}</b>	<b>3917 44 83</b>	<b>2727 05 28</b>
*Includes pipeline and unadjusted items in Nostro Mirror Balances		
<b>SCHEDULE - 8 :</b>		
<b>INVESTMENTS</b>		
<b>INVESTMENTS IN INDIA [GROSS]</b>		
Less : Provision for Depreciation and Non Performing Investments	42833 77 92	31504 02 47
	248 39 44	219 05 94
<b>Net Investments in India</b>	<b>42585 38 48</b>	<b>31284 96 53</b>
<b>Break up :</b>		
i) Government Securities	33263 69 52	26061 07 42
ii) Other Approved Securities	2 53 17	3 57 85
iii) Shares	188 24 54	187 39 58
iv) Debentures & Bonds	3710 53 42	1617 48 23
v) Investments in Associates (on Equity Method)	—	1 94 52
vi) Others (Units, Kissan/Indira Vikas Patra, NABARD- RIDF, PSU Deposits)	5420 37 83	3413 48 93
<b>TOTAL</b>	<b>42585 38 48</b>	<b>31284 96 53</b>
<b>SCHEDULE - 9 :</b>		
<b>ADVANCES</b>		
[A] i) Bills Purchased & Discounted	1921 78 92	1752 84 50
ii) Cash Credits, Overdrafts & Loans Repayable on Demand	32786 52 05	31467 31 72
iii) Term Loans	46795 46 45	36545 34 07
iv) Claim receivable under Agricultural Debt Waiver Scheme - 2008	25 79	25 92
<b>TOTAL</b>	<b>81504 03 21</b>	<b>69765 76 21</b>
[B] i) Secured by Tangible Assets [includes advance against book debts]	62369 86 51	49692 51 19
ii) Covered by Bank/Government Guarantees	3732 86 76	5096 16 30
iii) Unsecured	15401 04 15	14976 82 80
iv) Claim receivable under Agricultural Debt Waiver Scheme - 2008	25 79	25 92
<b>TOTAL</b>	<b>81504 03 21</b>	<b>69765 76 21</b>
[C] Advances in India		
i) Priority Sector	22070 55 72	19215 39 11
ii) Public Sector	15002 61 12	8725 00 42
iii) Banks	1173 01 69	755 33 01
iv) Others	43257 58 89	41069 77 75
v) Claim receivable under Agricultural Debt Waiver Scheme 2008	25 79	25 92
<b>TOTAL</b>	<b>81504 03 21</b>	<b>69765 76 21</b>



[₹ 000's omitted]

PARTICULARS			As on 31.03.2014	As on 31.03.2013
<b>SCHEDULE - 10 :</b>	<u>31.03.2014</u>	<u>31.03.2013</u>		
<b>FIXED ASSETS</b>				
<b>I. PREMISES</b>				
<b>Gross Block</b> [at cost/re-valued amount]				
As per last Balance Sheet	591 25 90	591 13 36		
Additions during the year	16 08 89	12 54		
Deductions during the year	—	—		
	607 34 79	591 25 90		
<b>Depreciation</b>				
Balance as per last Balance Sheet	263 67 20	245 66 16		
Add : Depreciation charged during the year	17 05 88	18 01 04		
Less : Deduction during the year	—	—		
Depreciation to date - includes on account of revaluation Rs. 21,11,559 thousands (Previous year : 19,62,527 thousands)	<u>280 73 08</u>	<u>263 67 20</u>		
<b>Written Down Value</b>			<b>326 61 71</b>	327 58 70
<b>II. OTHER FIXED ASSETS</b>				
[including Furniture & Fixture]				
<b>Gross Block</b> (at cost)				
As per last Balance Sheet	536 41 76	497 92 68		
Additions during the year	115 32 31	48 10 36		
	651 74 07	546 03 04		
Deductions during the year	18 06 26	9 61 28		
	633 67 81	536 41 76		
<b>Depreciation</b>				
Balance as per last Balance Sheet	387 26 80	356 45 09		
Add : Depreciation charged during the year	60 91 88	39 32 76		
	448 18 68	395 77 85		
Less : Deduction during the year	16 83 71	8 51 05		
Depreciation to date	431 34 97	387 26 80		
<b>Written Down Value*</b>			<b>202 32 84</b>	149 14 96
* Previous Year Includes WDV of leased assets amounting to ₹ 10/-				
<b>TOTAL</b>			<b>528 94 55</b>	476 73 66



[₹ 000's omitted]

PARTICULARS	As on 31.03.2014	As on 31.03.2013
<b>SCHEDULE - 11 :</b>		
<b>OTHER ASSETS</b>		
i. Interest accrued	895 61 50	724 65 98
ii. Tax paid in Advance/Tax Deducted at Source [net of provision]	1685 73 94	1505 53 41
iii. Deferred Tax Asset (Net)	—	14 53 78
iv. Stationery & Stamps	1 37 89	86 78
v. Non-banking assets acquired in satisfaction of claims	7 62	7 62
vi. Others [net of provision]	580 67 25	286 03 35
vii. Unamortisation-Gratuity & Pension	119 11 25	238 22 50
viii. Inter-office adjustments (Net)	—	39 60 20
<b>TOTAL</b>	<b>3282 59 45</b>	<b>2809 53 62</b>
<b>SCHEDULE - 12 :</b>		
<b>CONTINGENT LIABILITIES</b>		
i. Claims against the Bank not acknowledged as debts	77 84 56	71 18 37
ii. Liability for Partly Paid Investments	—	—
iii. Liability on account of Outstanding Forward Exchange Contracts	5098 90 86	7344 57 36
iv. Guarantees given on behalf of Constituents- in India	5210 36 72	4966 19 88
v. Acceptances, Endorsements and Other Obligations	1403 25 72	1594 63 55
vi. Other items for which the Bank is contingently liable	1314 50 86	1112 67 46
vii. Capital contracts remaining to be executed	26 11 23	25 26 45
<b>TOTAL</b>	<b>13130 99 95</b>	<b>15114 53 07</b>





[₹ 000's omitted]

PARTICULARS	For the year ended 31.03.2014	For the year ended 31.03.2013
<b>SCHEDULE - 13 :</b>		
<b>INTEREST EARNED</b>		
i. Interest/Discount on advances/bills	7713 61 27	6809 27 79
ii. Income on Investments	2605 01 89	2158 42 97
iii. Interest on Balances with Reserve Bank of India & other Inter-bank funds	3 04 91	2 77 09
iv. Others	384 87 62	81 40 60
<b>TOTAL</b>	<b>10706 55 69</b>	<b>9051 88 45</b>
<b>SCHEDULE - 14 :</b>		
<b>OTHER INCOME</b>		
i. Commission, Exchange & Brokerage	100 37 54	95 62 79
ii. Profit on Sale of Investments	234 15 97	160 97 67
Less: Loss on Sale of Investments	43 90 98	47 85 86
	<b>190 24 99</b>	<b>113 11 81</b>
iii. Profit/(Loss) Net on revaluation of Investments	—	
Less: Amortisation of premium on HTM securities	—	—
	—	—
iv. Profit on Sale of Land, Building & Other Assets	16 79	24 50
Less: Loss on Sale of Land, Building & Other Assets	37 62	37 23
	<b>(20 83)</b>	<b>(12 73)</b>
v. Profit on Exchange Transactions	69 12 09	61 05 35
Less: Loss on Exchange Transactions	1 70	1 96
	<b>69 10 39</b>	<b>61 03 39</b>
vi. Miscellaneous Income	350 35 34	337 34 54
<b>TOTAL { i+ii+iii+iv+v+vi }</b>	<b>709 87 43</b>	<b>606 99 80</b>
<b>SCHEDULE - 15 :</b>		
<b>INTEREST EXPENDED</b>		
i. Interest on Deposits	8355 53 12	6848 89 65
ii. Interest on Reserve Bank of India/Inter-Bank borrowings	1 32 37	5 58 40
iii. Others	266 29 27	319 40 34
<b>TOTAL</b>	<b>8623 14 76</b>	<b>7173 88 39</b>



[₹ 000's omitted]

PARTICULARS	For the year ended 31.03.2014	For the year ended 31.03.2013
<b>SCHEDULE - 16 :</b>		
<b>OPERATING EXPENSES</b>		
i. Payments to and provisions for employees	1039 80 47	848 58 75
ii. Rent, Taxes and Lighting	128 12 31	109 71 31
iii. Printing & Stationery	13 43 67	10 29 09
iv. Advertisement and Publicity	10 90 49	10 22 31
	<u>31.03.2014</u>	<u>31.03.2013</u>
v. Depreciation on Banks' Property	77 77 74	56 36 06
Less: Depreciation adjusted from Revaluation Reserve	13 63 12	14 90 33
vi. Directors' Fees, Allowances & Expenses	81 09	83 00
vii. Auditors' Fees & Expenses [inclusive of Branch Auditors]	15 20 62	10 79 35
viii. Law charges	63 61	81 48
ix. Postage, Telegrams, Telephones etc.,	21 14 62	17 44 78
x. Repairs and Maintenance	3 66 03	3 27 03
xi. Insurance	94 70 33	65 70 51
xii. Other Expenditure	296 97 47	243 84 05
<b>TOTAL</b>	<b>1689 55 33</b>	<b>1362 97 39</b>

**V. KANNAN**  
Chairman & Managing Director

**V. K. CHOPRA**  
Director

**ASHOK GUPTA**  
Director

**H. NARAYAN SHETTY**  
General Manager

**K. R. SHENOY**  
Executive Director

**SUMA VARMA**  
Director

**H. HARISH BALLAL**  
Director

**B. S. RAMA RAO**  
Executive Director

**P. C. NALWAYA**  
Director

**Y. MURALIKRISHNA**  
Director

AS PER OUR REPORT OF EVEN DATE

**For M/s MUKUND M CHITALE & CO**  
Chartered Accountants  
Registration No: 106655W

**[ABHAY V. KAMAT]**  
Partner  
Membership No:39585

**For M/s N C MITTAL & CO.**  
Chartered Accountants  
Registration No: 000237N

**[N C MITTAL]**  
Partner  
Membership No:14213

**For M/s KARRA & CO.**  
Chartered Accountants  
Registration No: 001749S

**[R SUNDAR]**  
Partner  
Membership No:22448

**For M/s KPMC & ASSOCIATES**  
Chartered Accountants  
Registration No: 05359C

**[SANJAY MEHRA]**  
Partner  
Membership No:075488

Place : Bengaluru  
Date : 06.05.2014



## SCHEDULE – 17

### SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES 2013-14

#### 1) ACCOUNTING CONVENTION

The financial statements have been prepared by following the going concern concept on historical cost basis except as otherwise stated and in accordance with Companies (Accounting Standards) Rules, 2006 to the extent applicable read with guidelines issued by the Reserve Bank of India (RBI) and conform to the statutory provisions and practices prevailing within the banking industry in India.

The preparation of the financial statements, in conformity with generally accepted accounting principles requires management to make estimates and assumptions that affect the reported amounts of assets, liabilities, revenues, expenses and disclosure of contingent liabilities in the financial statements. Management believes that the estimates used in the preparation of the financial statements are prudent and reasonable. Any revisions to the accounting estimates are recognised prospectively in current and future periods.

#### 2) FOREIGN EXCHANGE TRANSACTIONS

##### I. Transactions other than FCNR/EEFC/RFC Accounts

- a) Foreign Currency balances both under assets and liabilities and outstanding forward exchange contracts and swaps are evaluated at the year end rates as quoted by Foreign Exchange Dealers' Association of India (FEDAI). The resultant profit/loss is included in Profit / Loss Account.
- b) Income and expenditure items have been translated at the exchange rates ruling on the dates of the transactions.
- c) Contingent liabilities on account of acceptances, endorsements and other obligations including guarantees and Letters of Credit issued in Foreign Currencies, shown in the Balance Sheet

are valued at the exchange rates prevailing at the year end.

##### II. Transactions relating to FCNR/EEFC/RFC accounts

Foreign Currency Deposits in FCNR/EEFC/RFC accounts including interest accrued and also the corresponding assets are recorded at market related notional rates, which are periodically reviewed. Assets and Liabilities at the year end are revalued at rates quoted by Foreign Exchange Dealers' Association of India. The resultant profit / loss is shown as income / loss.

#### 3) INVESTMENTS

##### I. Investments are accounted for in accordance with the extant RBI guidelines on investment classification and valuation and are regrouped, shown in balance sheet under the following six groups:

- a) Government Securities
- b) Other Approved Securities
- c) Shares
- d) Debentures and Bonds
- e) Investments in Subsidiaries/Joint Ventures
- f) Others (Commercial Paper, Units of Mutual Fund, NABARD- RIDF, Venture Capital Funds etc.)

##### II. The Investment portfolio of the Bank is classified into the following three categories:

- a) Held to Maturity
- b) Available for Sale
- c) Held for Trading

Bank decides the category of each investment at the time of acquisition and classifies the same accordingly. Transfer of securities from one category to another is done at the least of the acquisition cost/book value/ market value on the date of transfer. The depreciation, if any, on such transfer is fully provided for and the book value of the security is accordingly changed.



**III. Valuation**

**a) Held to Maturity**

- i) Investments classified under this category are valued at the year end at the acquisition cost, except where the acquisition cost is more than the face value, in which case the premium is amortized on constant yield method.
- ii) In the case of investments in subsidiaries/joint ventures, any diminution in value, other than temporary, is recognized and provided for each investment individually. Investments in RRB and venture capital funds is valued at cost of acquisition.
- iii) Profit on sale of investments in this category is first taken to Profit and Loss Account and there after appropriated to the "Capital Reserve Account". Loss on sale is recognised in the Profit and Loss Account.

**b) Available for Sale**

A	Govt. Securities i) Central Govt Securities	At market prices / YTM as published by Fixed Income Money Market and Derivatives Association of India (FIMMDA) on periodical basis.
	ii) State Govt Securities	As per FIMMDA / RBI guidelines.
B	Securities guaranteed by Central / State Govt. PSU Bonds (Not in the nature of advances)	On appropriate yield to maturity basis as per FIMMDA / RBI guidelines.
C	Treasury Bills	At carrying cost
D	Equity Shares	At market price, if quoted, otherwise at break up value of the shares as per latest balance sheet (Not more than one year old) otherwise at ₹ 1/- per company

E	Preference Shares	At market price, if quoted or on appropriate yield to maturity basis not exceeding redemption value as per RBI / FIMMDA guidelines. In case of preference shares, where preference dividends are in arrears, no credit is taken for accrued dividends and the value determined on YTM is discounted by at least 15% if the arrears are for 1 year and more. The depreciation/provision requirement arrived at in the above manner in respect of non-performing shares where dividends are in arrears is not set off against appreciation on other performing preference shares.
F	Bonds and Debentures (Not in the nature of advance)	At market price, if quoted, or on appropriate yield to maturity as per RBI/FIMMDA guidelines.
G	Units of mutual funds	As per Stock Exchange quotation, if quoted; at repurchase price / NAV, if unquoted.
H	Commercial Papers	At carrying cost
I	Security Receipts	At net asset value of the asset declared by the Asset Reconstruction Company.
J	Venture Capital Funds	At net asset value (NAV) declared by the VCF
K	Other Investments	At carrying cost less diminution in value.



The above valuation in category of Available for Sale and Held for Trading is done scrip wise and depreciation / appreciation is aggregated for classification. Net depreciation for each classification if any, is provided for while net appreciation is ignored.

Provisions on account of depreciation on net basis if found to be in excess, is first taken to Profit & Loss Account and thereafter appropriated to the "Investment Reserve Account" as per the extant RBI guidelines.

Profit/Loss on sale of investments in AFS/HFT category is recognised in Profit and Loss Account.

#### IV. Prudential Norms

- (a) i) Securities with guarantees of the Central Government are treated as performing investments, notwithstanding arrears of principal/ interest payments. However, interest if not realized for more than 90 days is recognized as income only on cash basis.
- ii) Securities guaranteed by the State Government, where the principal/ interest is due but not paid for a period of more than 90 days, are treated as Non Performing Investments and provided for as per the RBI guidelines. Further, for securities guaranteed by the State Governments, where the principal/ interest is due but not paid for a period of more than 90 days, interest is recognized as income only on cash basis.
- (b) Securities not guaranteed by the Central Government/State Governments/ Preference Shares: Where the Principal/ Interest/Fixed Dividend is due but not paid for a period of more than 90 days are treated as Non Performing Investments and provided for as per the Reserve Bank of India guidelines.
- (c) In the case of debentures/bonds where principal/ interest is in arrears, provision is made as in the case of advances.
- (d) If any credit facility availed by the issuer from the Bank is NPA, investments in any of the securities issued by the same issuer is also treated as Non Performing Investments.
- (e) The depreciation/provision requirement in respect of non-performing investments is not set off against the appreciation in respect of other performing investments.
- (f) In the case of Equity Shares, in the event the investment in the shares of any company is valued at ₹ 1 per company on account of the non availability of the quotation or latest balance sheet in accordance with the RBI guidelines, such equity shares would also be reckoned as Non Performing Investment on case to case basis.
- (g) In case of preference shares, where preference dividends are in arrears, no credit is taken for accrued dividends and the value determined on YTM is discounted by at least 15% if arrears are for 1 year, and more if arrears are for more than one year. The depreciation/provision requirement arrived at in the above manner in respect of non-performing shares where dividends are in arrears is not set off against appreciation on other performing preference shares.

#### 4) TRANSACTIONS RELATING TO DERIVATIVES

Derivative contracts are designated as hedging or trading and accounted for as follows:

- a) **Hedge Swaps:** The interest rate swaps which hedges interest bearing assets and liabilities are accounted for on accrual basis except the swaps designated with an asset or liability that is carried at market value or lower of cost or market value in the financial statements. In such cases the swaps are marked to market



with the resulting gain or loss recorded as an adjustment to the market value of designated asset or liability.

The gain or loss on the terminated swaps is deferred and recognized over the shorter of the remaining contractual life of the swap or the remaining life of the asset/liability.

- b) **Re-designation of Hedge items:** If a hedge is redesignated from one item of asset/liability to another item of asset/liability, such redesignation is accounted for as the termination of one hedge and acquisition of another. On the date of redesignation, the swap is marked to market and the mark to market value is amortized over the shorter period of the remaining life of the swap or remaining life of the asset/liability. The offsetting mark to market entry adjustments would be treated as premium received or paid for hedge on the newly designated item of asset/liability and this would be amortized over the life of the redesignated asset/liability or remaining term of the swap whichever is shorter.
- c) **Trading Swaps:** The trading swaps are marked to market with the resulting gain or loss recorded in the income statement. Gain or loss on termination of the swap is recorded as immediate income or expense.

- b) Advance payments made for acquisition of capital assets and deposits made in respect of properties taken on lease/rent are included under 'Other Assets'.

## II) Depreciation / Amortization

- a) Fixed Assets (other than computers and software) are depreciated at the rates prescribed under the 'Income Tax Rules' on reducing balance method, including on the composite cost of certain properties, where it is not possible to segregate the land cost. Computers (including operating software) are depreciated on Straight Line Method at the rate of 33.33% per annum. Other software expenses, treated as intangible assets are amortized at 100% in the year of acquisition. Depreciation on additions to Fixed Asset during the financial year is provided at 100% of the rate of depreciation prescribed, if the asset is put to use for 180 days and above during the year and at 50% of the rate of depreciation prescribed, if the asset is put to use for less than 180 days during the year. No depreciation is provided in the year of sale/disposal of fixed assets.
- b) Incremental depreciation on revalued amount in respect of premises is adjusted from Revaluation Reserve account.

## 5) FIXED ASSETS/DEPRECIATION

### I) Fixed Assets

- a) Premises of the bank include free hold as well as lease hold properties. Land and buildings purchased or allotted have been capitalised based on agreements/letters of allotment and physical possession. Other Fixed Assets are capitalized on the date of put to use. Premises and other Fixed Assets are stated at their historical cost, except those which have been re-valued. Such Fixed Assets are stated on the revalued amount.

## 6) LEASED OUT ASSETS

Accounting for leased assets is done as per Accounting Standard 19. Provision in respect of non-performing assets, is made by applying the asset classification norms prescribed by the RBI for advances.

## 7) NON BANKING ASSETS

Non-Banking assets are shown at cost.

## 8) ADVANCES

Advances are classified as per the RBI guidelines into standard, sub-standard, doubtful and loss assets after considering subsequent recoveries to



date. Provision for non-performing assets is made in conformity with the RBI guidelines.

- a) In terms of the guidelines of the Reserve Bank of India, advances are classified as "Performing" and "Non-Performing" assets based on recovery of principal/interest and advances are classified as "Non Performing Assets" with 90 days delinquency norms. In case of State Government Guaranteed advances, requirement of invocation of the Guarantee has been de-linked for classification of an account as NPA. Non Performing Advances (NPAs) are categorized as Sub-Standard, Doubtful and Loss Assets for the purpose of computing provision requirements.

Advances shown in the Balance Sheet are net of provisions [including floating provisions] in respect of non-performing advances, interest suspense and ECGC/DICGC claims received.

- b) Advances include the Bank's participation in/contributions to Pass Through Certificates (PTCs) and/or to the asset-backed assignment of loan assets of other banks/ financial institutions where the Bank has participated on risk-sharing basis.
- c) Amounts recovered against bad debts written off in earlier years are recognised in the Profit and Loss account.
- d) Provisions no longer considered necessary in context of the current status of the borrower as a performing asset, are written back to the Profit and Loss account to the extent such provisions were charged to the Profit and Loss account.
- e) Provisions on Standard Advances are shown under "Other Liabilities and Provisions".
- f) Provision on advances is made as per the RBI guidelines as under:
1. **Standard Assets:** 1% in respect of standard advances to Commercial Real Estate Sector, 0.25% in respect of the outstanding advances under direct

agricultures & SME sectors, 3.50% in respect of accounts under standard category as of 31.03.2014 and restructured prior to 01.06.2013, 5% in respect accounts under standard category restructured after 31.05.2013 and 0.40% on all other outstanding standard advances.

2. **Sub Standard Assets:** 15% of the outstanding advances. However, in case of sub standard assets which are identified ab-initio as "unsecured exposures" provision at 25% of the outstanding balance is made.
  3. **Doubtful assets:** 25% to 100% as applicable on the secured portion of advances, depending upon the period for which the asset has remained doubtful and 100% of the unsecured portion of the outstanding advance after netting realized amount in respect of DICGC scheme and realized/realizable amount of guarantee cover under the ECGC/CGSTI Schemes.
  4. **Loss Assets:** 100% of the outstanding advances.
- g) Restructured / rescheduled accounts:

In case of restructured / rescheduled accounts provision is made for the sacrifice against erosion/ diminution in fair value of restructured loans, in accordance with the general framework of restructuring of advances issued by RBI vide circular dated August 27, 2008 and Master Circular dated July 02, 2012.

The erosion in fair value of the advances is computed as the difference between fair value of the loan before and after restructuring.

Fair value of the loan before restructuring is computed as the present value of cash flows representing the interest at the existing rate charged on the advance before restructuring and the principal, discounted at a rate equal to the Bank's Base Rate as on the date of restructuring plus the appropriate term premium and credit risk premium for the borrower category on the date of restructuring.



Fair value of the loan after restructuring is computed as the present value of cash flows representing the interest at the rate charged on the advance on restructuring and the principal, discounted at a rate equal to Bank's Base Rate as on the date of restructuring plus the appropriate term premium and credit risk premium for the borrower category on the date of restructuring.

The diminution in the fair value is recomputed on each balance sheet date till satisfactory completion of all repayment obligations and full repayments of the outstanding, so as to capture the changes in the fair value on account of changes in base rate, term premium and credit category of the borrower.

The restructured accounts have been classified in accordance with RBI guidelines, including special dispensation wherever allowed.

## 9) REVENUE RECOGNITION

Income is accounted on accrual basis except in the following cases:

- a) In the case of Non Performing Assets, income is recognized on cash basis, in terms of guidelines of the Reserve Bank of India. Where recovery is not adequate to upgrade the Non Performing Assets accounts by way of regularization, such recovery is being appropriated towards the principal/book balance in the first instance and towards interest dues thereafter. In respect of Non Performing Investments, the same accounting treatment as above is followed.
- b) Income from Units of Mutual Funds, Commission on Insurance and Depository Participant business, Merchant Banking transactions, General Insurance business, Money transfer services, Sale of Mutual Fund products, Locker Rent, Commission on Government business, etc. are accounted on cash/realisation basis.

- c) Commission earned from Non-fund based business viz., Letter of Credits and Bank Guarantees is accounted on cash basis.
- d) Interest on securities which is due and not paid for a period of more than 90 days is recognized on realisation basis as per RBI guidelines.
- e) In the case of suit filed accounts, legal expenses are charged to the profit and loss account. Similarly, at the time of recovery of legal expenses in respect of such suit filed accounts, the amount recovered is accounted as income.

## 10) NET PROFIT

The net profit is arrived at after

- a) Provisions for Income Tax & Wealth Tax in accordance with statutory requirements
- b) Provision on advances/investments
- c) Adjustments to the value of investments
- d) Transfers to provisions and contingencies
- e) Provision for Inter Branch accounts lying unadjusted for more than six months as per RBI norms
- f) Other usual and necessary provisions

## 11) EMPLOYEE BENEFITS

- a) Expenses arising out of claims in respect of employee matters under dispute/negotiation are accounted during the year of final settlement/determination.
- b) In respect of employees who have opted for Provident Fund scheme, matching contribution as applicable is made by the Bank to the recognised Provident Fund. For others who have opted for pension scheme, contribution to Pension Fund is made based on actuarial valuation, as per Accounting Standard 15.





- c) Contribution to Gratuity Fund is made based on actuarial valuation, as per Accounting Standard 15.
- d) Liability towards leave encashment, privilege leave is provided based on actuarial valuation, as per Accounting Standard 15.

**Details are as under:**

Long term employee benefits:

Long term employee benefits (benefits which are payable after the end of twelve months from the end of the period in which employees render service), and post employment benefits (benefits which are payable after completion of employment), are measured on a discounted basis by the projected Unit Credit Method, on the basis of annual third party actuarial valuations. The bank provides for the following long term employee benefits as per actuarial valuation:

1. **Leave encashment:** The Bank provides for liability accruing on account of deferred entitlement towards leave encashment in the year in which the employees concerned render their services based on third party actuarial valuation obtained as of each year end balance sheet date.
2. **Pension:** The Bank provides for liability accruing on account of the employees who have opted for pension based on the actuarial valuation obtained as of each year end balance sheet date.
3. **Gratuity:** The Bank provides for gratuity liability based on the actuarial valuation obtained as of each year end balance sheet date.

The pension and gratuity contributions are transferred to self-managed trusts.

## 12) PROVISION FOR TAXATION

Tax expenses comprise current and deferred taxes. Current income tax is measured at the amount expected to be paid to the tax authorities in accordance with the Income Tax Act, 1961. Deferred income taxes reflect the impact of current year timing differences between taxable income and accounting income for the year and reversal of timing differences of earlier years. Deferred tax is measured based on the tax rates and the tax laws enacted or substantively enacted at the balance sheet date.

## 13) IMPAIRMENTS

The carrying amounts of assets are reviewed at each Balance Sheet date for any indication of impairment based on internal/external factor. An impairment loss is recognized whenever the carrying amount of an asset exceeds its estimated recoverable amount.

## 14) SEGMENT REPORTING:

In accordance with the guidelines issued by RBI, Bank has adopted Segment Reporting as under:

1. **Treasury** includes all investment portfolio, profit/ loss on sale of investments, profit/loss on foreign exchange transactions, equities, income from derivatives and money market operations. The expenses of this segment consist of interest expenses on funds borrowed from external sources as well as internal sources and depreciation / amortisation of premium on Held to Maturity category investments.
2. **Corporate/ Wholesale Banking** includes lending and deposits from corporate customers and identified earnings and expenses of the segment.
3. **Retail Banking** includes lending and deposits from retail customers and identified earnings and expenses of the segment.
4. **Other Banking Operations** includes all other operations not covered under Treasury, Wholesale Banking and Retail Banking.



**15) EARNINGS PER SHARE:**

Earnings per share are calculated by dividing the net profit or loss for the period attributable to equity shareholders (after deducting preference dividend and attributable taxes thereto) by the weighted average number of equity shares outstanding during the period. Diluted earnings per equity share have been computed using the weighted average number of equity shares and dilutive potential equity shares outstanding as at the end of the year.

value and are determined based on best estimate required to settle the obligation at the balance sheet date. These are reviewed at each balance sheet date and adjusted to reflect the current best estimates.

**16) CONTINGENT LIABILITIES AND PROVISIONS:**

1. A provision is recognised when there is an obligation as a result of past event if it is probable that an outflow of resources will be required to settle the obligation, in respect of which a reliable estimate can be made. Provisions are not discounted to their present

2. Transactions in Government securities and others which were pending for settlement on the balance sheet date are shown as off balance sheet items under contingent assets and liabilities head.

17) Cash and cash equivalents in the cash flow statement comprise cash and balances with RBI and balances with banks and money at call and short notice.

18) The Bank has followed the same accounting policies as in the previous year's subject to regulatory Changes, if any.

**V. KANNAN**

Chairman & Managing Director

**V. K. CHOPRA**

Director

**ASHOK GUPTA**

Director

**H. NARAYAN SHETTY**

General Manager

**K. R. SHENOY**

Executive Director

**SUMA VARMA**

Director

**H. HARISH BALLAL**

Director

**B. S. RAMA RAO**

Executive Director

**P. C. NALWAYA**

Director

**Y. MURALIKRISHNA**

Director

AS PER OUR REPORT OF EVEN DATE

**For M/s MUKUND M CHITALE & CO**

Chartered Accountants  
Registration No: 106655W

**For M/s KPMC & ASSOCIATES**

Chartered Accountants  
Registration No: 05359C

**For M/s KARRA & CO.**

Chartered Accountants  
Registration No: 001749S

**[ABHAY V. KAMAT]**

Partner  
Membership No:39585

**[N C MITTAL]**

Partner  
Membership No:14213

**For M/s N C MITTAL & CO.**

Chartered Accountants  
Registration No: 000237N

**[R SUNDAR]**

Partner  
Membership No:22448

**[SANJAY MEHRA]**

Partner  
Membership No:075488

Place : Bengaluru  
Date : 06.05.2014



## SCHEDULE – 18 : NOTES ON ACCOUNTS

1. Reconciliation of entries outstanding as on 31.03.2014 in the inter-branch and other accounts has been drawn. Matching of entries outstanding in inter-branch and inter-bank accounts including balances in drafts accounts, suspense accounts, branch adjustment accounts, clearing transactions, funds transfers, balances pertaining to dividends / interest / refund orders paid / payable accounts, advances paid for acquisition of assets, etc. is complete upto 31.12.2013 and is under progress for the remaining period. In the opinion of the Bank, consequential effect of the above on the revenue / assets / liabilities is not material.
2. In respect of certain premises acquired by the Bank having written down value of ₹ 5.43 crore, (previous year ₹ 6.03 crore) documentation / registration are yet to be completed pending legal or other formalities.
3. In the case of un-audited branches, the returns / classification of advances as reported by the concerned branches have been adopted.
4. Claims pending and to be preferred with ECGCI Limited amounting to ₹ 205.73 crore (previous year ₹ 17.36 crore) have been considered as realisable for the purpose of computing provisions.
5. No provision other than those made, have been considered necessary by the Management in respect of disputed tax liabilities in view of the judgements in favour of the Bank. Further, certain deductions have been considered while working out tax provisions in respect of some claims under Income Tax Act based on the legal opinions obtained.
6. In terms of the guidelines issued by the Reserve Bank of India, the following disclosures are made:

### i) Capital

Sl. No.	Particulars	31.03.2014	31.03.2013
1.	CRAR (%)		
	Basel II	10.97	11.32
	Basel III	10.56	—
2.	CRAR – Tier I Capital (%)		
	Basel II	8.30	8.54
	Basel III	8.12	—
3.	CRAR – Tier II Capital (%)		
	Basel II	2.67	2.78
	Basel III	2.44	—

### Basel III

Sl. No.	Particulars	31.03.2014	31.03.2013
i)	Common Equity Tier 1 capital ratio (%)	8.12%	—
ii)	Tier 1 capital ratio (%)	—	—
iii)	Tier 2 capital ratio (%)	2.44%	—
iv)	Total Capital ratio (CRAR) (%)	10.56%	—
v)	Percentage of the shareholding of Government of India in public sector banks	74.06%	55.02%
vi)	Amount of Equity Capital raised (₹ In Crores) Refer item No. 10	363.58	NIL
vii)	Amount of Additional Tier 1 capital raised; of which PNCPS: PDI:	NIL	NIL
	Amount of Tier 2 capital raised; of which Debt capital instrument (₹ In crores):	250.00	NIL
	Preference Share Capital Instruments: [Perpetual Cumulative Preference Shares (PCPS)/ Redeemable Non-Cumulative Preference Shares (RNCPS)/ Redeemable Cumulative Preference Shares (RCPS)]	NIL	NIL



ii) Investments

(₹ in crore)

Sl. No.	Particulars	31.03.2014	31.03.2013
1.	Value of Investments		
	Gross value of investments	42833.78*	31504.02
	In India	42833.78*	31504.02
	Outside India	NIL	NIL
	Provisions for depreciation and NPI (Non Performing Investment)	248.39	219.06
	In India	248.39**	219.06
	Outside India	NIL	NIL
	Net value of investments	42585.38	31284.96
	In India	42585.38	31284.96
	Outside India	NIL	NIL
2.	Movement of provisions held towards depreciation on investments		
	Opening balance	207.79	285.03
	Add: i) Provision made during the year	0.00	0.00
	ii) Diminution on shifting of investments	77.08	27.89
	Less: Write off	48.94	105.13
	Closing balance	235.93	207.79

\* Includes LAF Repo of ₹ 575 Cr (PY ₹ 2000 Cr) and MSF of ₹ 450 Cr (PY ₹ 800 Cr) outstanding as on 31.03.2014

\*\* Includes provision of ₹ 12.47 Cr (PY ₹ 11.27 Cr) made on NPI.

RBI circular DBOD.BP/BC.No. 41/21.04.141/2013-14 dated Aug 23, 2013 on "Investment Portfolio of Banks – Classification, Valuation and Provisioning" inter alia provides Banks an option to distribute the net depreciation on the entire Available for Sale (AFS) and Held for Trading (HFT) portfolios on each of the valuation dates in the current financial year 2013-14, in equal instalments. The Bank has fully provided for the depreciation on the AFS and HFT portfolios as on 31.03.2014.

iii) The particulars of repo transactions (including those from RBI under LAF Repo) are as under:

(₹ in crore)

Particulars	Outstanding during the year			As on 31.03.2014
	Minimum	Maximum	Daily average	
Securities sold under Repos				
1) Govt. Securities	NIL	2800.00	634.08	1025.00
2) Corporate debt securities	NIL	NIL	NIL	NIL
Securities purchased under reverse Repos				
1) Govt. Securities	NIL	14981.99	3224.50	879.43
2) Corporate debt securities	NIL	NIL	NIL	NIL



## Repo Transactions 31.03.2013 (Previous Year)

(₹ in crore)

Particulars	Outstanding during the year			As on 31.03.2013
	Minimum	Maximum	Daily average	
Securities sold under Repos				
1) Govt. Securities	NIL	3100.00	436.82	2800.00#
2) Corporate debt securities	NIL	NIL	NIL	NIL
Securities purchased under reverse Repos				
1) Govt. Securities	NIL	2050.00	27.05	2050.00
2) Corporate debt securities	NIL	NIL	NIL	NIL

# ₹ 800.00 Cr borrowed under Marginal Standing Facility (MSF) from RBI as on 31.03.2013.

## iv) Non-SLR Investment Portfolio

## Issuer composition of Non-SLR Investments -31.03.2014

(₹ in crore)

Sl. No.	Issuer	Amount	Extent of Private Placement	Extent of 'Below Investment Grade' Securities	Extent of 'Unrated' Securities	Extent of 'Unlisted' Securities
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(i)	PSUs	2749.58	2684.07	2313.72	177.10	—
(ii)	FIs**	4358.21	675.06	50.50	3683.14	50.50
(iii)	Banks	1919.17	209.93	25.00	53.56	—
(iv)	Private Corporate	355.11	226.60	162.23	112.01	—
(v)	Subsidiaries/ Joint Ventures	—	—	—	—	32.67
(vi)	Others	132.10	15.83	—	132.10	—
(vii)	Provision held towards depreciation and NPI	195.02	X X X	X X X	X X X	X X X
	<b>Total</b>	<b>9319.15</b>	<b>3811.49</b>	<b>2551.45</b>	<b>4157.91</b>	<b>83.17</b>

**Note:**

Amounts reported under columns 4, 5, 6 and 7 above may not be mutually exclusive.

\*\* Includes the investment under RIDF of ₹ 3615.57 Cr.



**Issuer composition of Non-SLR Investments -31.03.2013**

(₹ in crore)

Sl. No.	Issuer	Amount	Extent of Private Placement	Extent of 'Below Investment Grade' Securities	Extent of 'Unrated' Securities	Extent of 'Unlisted' Securities
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(i)	PSUs	585.55	549.46	-	-	-
(ii)	FIs**	3,279.39	3,216.72	60.00	-	55.50
(iii)	Banks	754.66	256.03	10.00	-	-
(iv)	Private Corporate	428.79	347.16	130.89	13.77	37.79
(v)	Subsidiaries/ Joint Ventures	8.06	8.06	-	-	-
(vi)	Others	382.69	306.05	26.40	4.82	-
(vii)	Provision held towards depreciation and NPI	(218.84)	X X X	X X X	X X X	X X X
	<b>Total</b>	<b>5,220.30</b>	<b>4683.48</b>	<b>227.29</b>	<b>18.59</b>	<b>93.29</b>

**Note:**

Amounts reported under columns 4, 5, 6 and 7 above may not be mutually exclusive.

\*\* Includes the investment under RIDF of ₹ 2795.40 Cr

**v) a) Non-Performing Non-SLR Investments**

(₹ in crore)

Particulars	31.03.2014	31.03.2013
Opening balance	11.27	17.50
Additions during the year	5.85	0.00
Reductions during the above period	0.00	6.23
Closing balance	17.12	11.27
Total provisions held	12.47	11.27

**b) Movement in provision for Non Performing Investments**

(₹ in crore)

Particulars	31.03.2014	31.03.2013
Opening balance	11.27	12.36
Add: Provision made during the year	1.20	0.00
Less: Write off / write back of excess provisions	0.00	1.09
Closing balance	12.47	11.27



## vi) Derivatives:

### a) Forward Rate Agreement / Interest Rate Swap

(₹ in crore)

Particulars	31.03.2014	31.03.2013
a. The notional principal of swap agreements	NIL	150.00
b. Losses which would be incurred if counterparties failed to fulfil their obligations under the agreements	NIL	0.69
c. Collateral required by the bank upon entering into swaps	NIL	NIL
d. Concentration of credit risk arising from the swaps	NIL	NIL
e. The fair value of the swap book	NIL	0.02

1. Interest Rate Swaps were undertaken for the purpose of hedging interest rate risk on assets/liabilities and for trading purpose.
2. The terms of swaps are to receive fixed interest rate against floating interest rate or vice versa.
3. The counterparties for the swaps are banks and the exposure with each bank is within the approved credit exposure limits.

### b) Exchange Traded Interest Rate Derivatives

(₹ in crore)

Sl. No.	Particulars	31.03.2014	31.03.2013
(i)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives undertaken during the year (instrument wise)	NIL	NIL
(ii)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding as on 31st March 2014 (instrument-wise)	NIL	NIL
(iii)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not "highly effective" (instrument-wise)	NIL	NIL
(iv)	Mark-to-Market value of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not "highly effective" (instrument-wise)	NIL	NIL

## vii) Disclosures on risk exposure in derivatives

### a) Qualitative Disclosure

Bank has put in place a comprehensive derivative policy for undertaking derivative transactions for hedging, trading and servicing customers' purpose as per RBI guidelines duly approved by the Board. The policy lays down the type, scope and usage with appropriate limits for derivative transactions. From the view point of operational efficiency and risk oversight the Derivatives desk is segregated into Front Office, Mid Office and Back Office with clear segregation of portfolio. The derivative hedges are continuously monitored for effective performance as per laid down policy and corrective measures are taken for mitigating the risk.



**b) Quantitative Disclosures**

(₹ in crore)

SI No.	Particulars	Currency Derivatives	Interest Rate Derivatives
(i)	<b>Derivatives (Notional Principal Amount)</b>	NIL	NIL
	a) For Hedging	NIL	NIL
	b) For Trading	NIL	NIL
(ii)	<b>Marked to Market Positions(1)</b>	NIL	NIL
	a) Asset(+)	NIL	NIL
	b) Liability(-)	NIL	NIL
(iii)	<b>Credit Exposure(2)</b>	NIL	NIL
(iv)	<b>Likely impact of one percentage change in interest rate (100*PV01)</b>	NIL	NIL
	a) On hedging derivatives	NIL	NIL
	b) On trading derivatives	NIL	NIL
(v)	<b>Maximum and Minimum of 100*PV01 observed during the year</b>	NIL	NIL
	a) On hedging - Maximum - Minimum	NIL	NIL
	b) On trading - Maximum - Minimum	NIL	NIL

**viii) Asset Quality**

**a) Non Performing Asset**

(₹ in crore)

Particulars	31.03.2014	31.03.2013
(i) Net NPAs to Net Advances (%)	1.55	1.30
(ii) Movement of NPAs (Gross)		
Opening balance	1532.94	1718.46
Additions during the year	2173.87	1601.42
Reductions during the year	1720.95	1786.94
Closing balance	1985.86	1532.94
(iii) Movement of Net NPAs		
Opening balance	909.69	998.01
Additions /( reductions) during the year	352.68	(88.32)
Closing balance	1262.37	909.69





Particulars	31.03.2014	31.03.2013
(iv) Movement of provisions for NPAs*		
Opening balance	619.24	716.19
Provisions made during the year	400.29	437.80
Write-off	309.61	534.75
Closing balance	709.92	619.24

(\*excluding provisions on standard assets and including floating provision)

**b) Details of Loan Assets subjected to Restructuring**

(₹ in crore)

Sl. No.	Particulars	31.03.2014	31.03.2013
a.	Total amount of loan assets subjected to restructuring, re-scheduling, re-negotiation	4234.51	4635.71
	Of which under CDR	1505.42	920.91
b.	The amount of Standard assets subjected to restructuring, re-scheduling, re-negotiation	3979.17	4233.47
	Of which under CDR	1381.38	920.91
c.	The amount of sub-standard assets subjected to restructuring, rescheduling, renegotiation	71.71	112.10
	Of which under CDR	52.73	NIL
d.	The amount of doubtful assets subjected to restructuring, rescheduling, renegotiation	183.63	290.14
	Of which under CDR	71.31	NIL
	Note: (a = b + c + d)		

(₹ in crore)

Debt restructuring for SME accounts		31.03.2014	31.03.2013
a.	Total amount of assets of SMEs subjected to restructuring (b+c+d)	115.03	123.75
b.	Amount of standard assets of SMEs subjected to restructuring	31.67	56.72
c.	Amount of sub-standard assets of SMEs subjected to restructuring	8.39	1.54
d.	Amount of doubtful assets of SMEs subjected to restructuring	74.97	65.49

c) Particulars of Accounts Restructured

(₹ in crore)



Sl. No.	Details	Under CDR Mechanism (Part C)					Under SME Debt Restructuring Mechanism					Others (Part A & B)					Total					
		Stand-ard	Sub-Standard	Doubt-ful	Loss	Total	Stand-ard	Sub-Standard	Doubt-ful	Loss	Total	Stand-ard	Sub-Standard	Doubt-ful	Loss	Total	Stand-ard	Sub-Standard	Doubt-ful	Loss	Total	
1	Restructured Accounts as on April 1, 2013 (Excluding the accounts restructured before 31st March, 2010)	No. of borrowers	27	0	2	0	29	29	85	1436	182	1732	2860	416	2982	169	6427	2916	501	4420	351	8188
		Amount outstanding	824.93	0	26.24	0	851.17	15.44	1.55	14.32	51.16	82.47	3173.51	96.63	192.85	5.56	3468.55	4013.88	98.18	233.41	56.72	4402.19
		Provision thereon (Economic loss)	(74.53)	0	0	0	(74.53)	(1.3)	0	0	0	(1.3)	(24.09)	(0.1)	(0.58)	(0.08)	(24.85)	(99.92)	(0.1)	(0.58)	(0.08)	(100.68)
2	Fresh restructuring during the FY 2013-14	No. of borrowers	13	0	9	0	22	26	1	8	0	35	614	22	5	0	641	653	23	22	0	698
		Amount outstanding	417.47	0	41.68	0	459.15	10.99	0	9.23	0	20.22	849.78	0.16	0	0	849.94	1278.24	0.16	50.91	0	1329.31
		Provision thereon	57.88	0	4.71	0	62.59	0.15	0	0.07	0	0.22	6.63	0	0	0	6.63	64.66	0	4.78	0	69.44
3	Upgradations to restructured standard category during the FY 2013-14	No. of borrowers	0	0	0	0	0	2	6	25	0	33	43	18	3	0	64	45	24	28	0	97
		Amount outstanding	0	0	0	0	0	3.21	0.2	1.8	0	5.21	34.55	26.04	12.15	0	72.74	37.76	26.24	13.95	0	77.95
		Provision thereon	0	0	0	0	0.00	0.00	0.01	0.17	0.00	0.18	22.05	0.73	0.29	0.00	23.07	22.05	0.74	0.46	0.00	23.25
4	Restructured standard advances which cease to attract higher provisioning and/or additional risk weight at the end of the FY 2014 and hence need not be shown as restructured standard advances at the beginning of the next FY 2013-14 (accounts restructured before 31st March, 2011)	No. of borrowers	10	0	0	0	10	272	0	0	0	272	2626	0	0	0	2626	2908	0	0	0	2908
		Amount outstanding	287.51	0	0	0	287.51	17.26	0	0	0	17.26	1154.55	0	0	0	1154.55	1459.32	0	0	0	1459.32
		Provision thereon	62.46	0	0	0	62.46	0.13	0	0	0	0.13	17.78	0	0	0	17.78	80.37	0	0	0	80.37
5	Downgradations of restructured accounts during the FY 2013-14	No. of borrowers	0	1	0	0	1	5	11	2	0	18	23	30	17	1	71	28	42	19	1	90
		Amount outstanding	0	3.39	0	0	3.39	0.33	0.621	0.01	0	0.961	66.56	2.737	0.39	0.03	69.72	66.89	6.748	0.4	0.03	74.07
		Provision thereon	0	0.97	0	0	0.97	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.97	0	0	0	0.97
6	Write-offs of restructured accounts during the FY 2013-14	No. of borrowers	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Amount outstanding	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00
7	Restructured Accounts as on March 31 of FY 2014	No. of borrowers	30	0	11	0	41	(220)	0	0	0	(220)	914	0	0	0	914	724	0	11	0	735
		Amount outstanding	954.89	0	67.92	0	1022.81	12.05	0	0	0	12.05	2969.85	0	0	0	2969.85	3936.79	0	67.92	0	4004.71
		Provision thereon	(79.11)	(0.97)	4.71	0	(75.37)	(1.28)	0.01	0.24	0	(1.03)	(13.19)	0.63	(0.29)	(0.08)	(12.85)	(93.58)	(0.33)	4.66	(0.08)	(89.25)



- d) In respect of the advances restructured under the Prudential Guidelines of the Reserve Bank of India dated 27<sup>th</sup> August 2008 and the subsequent clarifications / guidelines issued from time to time in this respect, the Bank has provided a sum of ₹ 84.42 Crores (previous year ₹ 81.36 Crores) during the year as diminution in the fair value of advances on account of such restructuring which in the Bank's opinion is considered adequate on such restructured advances. The full implementation of the conditions laid down for restructuring in the said Circular are being complied with.

e) **Details of Assets sold to Securitisation Company (SC) / Reconstruction Company (RC), for Assets Reconstruction**

(₹ in crore)

Sl. No.	Particulars	31.03.2014	31.03.2013
1	Number of accounts	9	NIL
2	Aggregate Value (net of provisions) of accounts sold to SC/ RC	37.68	NIL
3	Aggregate consideration	110.36	NIL
4	Additional consideration realised in respect of accounts transferred in earlier years	NIL	NIL
5	Aggregate gain / loss over net book value	72.68	NIL

f) **Details of non-performing financial assets purchased/sold**

i) **Details of non-performing financial assets purchased**

(₹ in crore)

	Particulars	31.03.2014	31.03.2013
1	(a) No. of accounts purchased during the year	NIL	NIL
	(b) Aggregate outstanding	NIL	NIL
2	(a) Of these, number of accounts restructured during the year	NIL	NIL
	(b) Aggregate outstanding	NIL	NIL

ii) **Details of non-performing financial assets sold**

(₹ in crore)

	Particulars	31.03.2014	31.03.2013
1.	No. of accounts sold	9	NIL
2.	Aggregate outstanding	83.34	NIL
3.	Aggregate consideration received	110.36	NIL

g) **Provision on Standard Asset**

(₹ in crore)

	Particulars	31.03.2014	31.03.2013
	Provisions towards Standard Assets	424.02	342.19
	TOTAL	424.02	342.19



**h) Business Ratios**

(₹ in crore)

Particulars	31.03.2014	31.03.2013
Interest Income as a percentage to Working Funds	9.08%	9.27%
Non-interest income as a percentage to Working Funds	0.60%	0.62%
Operating Profit as percentage to Working Funds	0.94%	1.15%
Return on Average Assets	0.35%	0.59%
Average Business [Deposits + Advances] per employee	13.82	12.40
Net profit per employee	0.03	0.05

**ix) Asset Liability Management : Maturity pattern of certain items of assets and liabilities:**

(₹ in crore)

	1 day	2-7 days	8-14 days	15-28 days	29 days to 3 months	Over 3 months to 6 months	Over 6 months to 1 year	Over 1 year to 3 years	Over 3 years to 5 years	Over 5 years	Total
Deposits	494.28	4037.35	2341.25	3783.15	26275.54	11030.34	44080.03	9343.92	22368.52	541.78	124296.16
Advances*	752.31	368.84	679.59	777.28	5553.56	4364.71	5206.63	43700.82	9668.03	10432.26	81504.03
Investments*	195.15	1744.95	148.72	1211.48	1782.72	842.48	2069.35	6927.47	9845.15	17817.91	42585.38
Borrowings**	350.00	2552.76	0.00	0.00	0.00	45.38	45.73	500.93	400.00	850.00	4744.80
Foreign Currency Assets	124.62	609.07	5.99	23.63	57.21	90.31	14.41	0.00	0.00	0.65	925.89
Foreign Currency Liabilities	709.97	0.96	5.04	0.94	16.73	28.23	72.17	39.67	52.17	0.00	925.89

Assets and Liabilities are classified as per the guidelines issued by the Reserve Bank of India, compiled by the management and relied upon by the auditors.

\* Figures are broadly net of provision

\*\* Borrowings in India

**x) Lending to Sensitive Sectors**

**a) Exposure to Real Estate Sector**

(₹ in crore)

Particulars	31.03.2014	31.03.2013
1) Direct exposure		
a. Residential mortgages		
(i) Lendings fully secured by mortgages on residential property that is or will be occupied by the borrower or that is rented	7659.72	6468.16
(ii) Individual housing loans eligible for inclusion in priority sector advances (included in the above)	4627.85	4377.15



Particulars	31.03.2014	31.03.2013
b. Commercial Real Estate and Income Producing Real Estate Lendings secured by mortgages on commercial real estates (office buildings, retail space, multi-purpose commercial premises, multi-family residential buildings, multi-tenanted commercial premises, industrial or warehouse space, hotels, land acquisition, development and construction, etc.) Exposure also includes non-fund based (NFB) limits:	<b>5725.31</b>	3833.86
c. Investments in Mortgage Backed Securities (MBS) and other securitised exposures -		
i) Residential	<b>NIL</b>	NIL
ii) Commercial Real Estate	<b>1.91</b>	3.33
2) Indirect Exposure		
Fund based and non-fund based exposures on National Housing Bank (NHB) and Housing Finance Companies (HFCs)	<b>3820.73</b>	1415.00
Total exposure to real estate sector	<b>17207.67</b>	11720.35

**b) Exposure to Capital Market**

(₹ in crore)

SI No.	Particulars	31.03.2014	31.03.2013
(i)	Direct investment in equity shares, convertible bonds, convertible debentures and units of equity oriented mutual funds the corpus of which is not exclusively invested in corporate debt.	<b>229.18</b>	225.25
(ii)	Advances against shares/bonds/debentures or other securities or on clean basis to individuals for investment in shares (including IPOs/ESOPs), convertible bonds, convertible debentures, and units of equity oriented mutual funds.	<b>NIL</b>	0.07
(iii)	Advances for any other purpose where shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds are taken as primary security.	<b>NIL</b>	NIL
(iv)	Advances for any other purpose to the extent secured by the collateral security of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds i.e., where the primary security other than shares/ convertible bonds/ convertible debentures/units of equity oriented mutual funds does not fully cover the advances.	<b>NIL</b>	NIL
(v)	Secured and unsecured advances to stockbrokers and guarantees issued on behalf of stock brokers and market markers.	<b>50.00</b>	75.00



SI No.	Particulars	31.03.2014	31.03.2013
(vi)	Loans sanctioned to corporates against the security of shares/ bonds/debentures or other securities or on clean basis for meeting promoter's contribution to the equity of new companies in anticipation of raising resources.	NIL	NIL
(vii)	Bridge loans to companies against expected equity flows/issues.	NIL	NIL
(viii)	Underwriting commitments taken up by the banks in respect of primary issue of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds.	NIL	NIL
(ix)	Financing to stock brokers for margin trading.	NIL	NIL
(x)	All exposures to Venture Capital Funds (both registered and unregistered)	15.83	14.50
	<b>Total exposure to capital market</b>	<b>295.01</b>	<b>314.82</b>

**xi) Risk Category-wise Country Exposure**

(₹ in crore)

Risk Category	Exposure (net) as at 31.03.2014	Provision held as at 31.03.2014	Exposure (net) as at 31.03.2013	Provision held as at 31.03.2013
Insignificant	1022.08	NIL	500.66	NIL
Low	234.16	NIL	226.62	NIL
Moderate	43.54	NIL	29.06	NIL
High	14.98	NIL	1.20	NIL
Very High	1.62	NIL	NIL	NIL
Restricted	NIL	NIL	NIL	NIL
Off credit	NIL	NIL	NIL	NIL
<b>Total</b>	<b>1316.38</b>	<b>NIL</b>	<b>757.54</b>	<b>NIL</b>

The net funded exposure of the Bank in respect of foreign exchange transactions with each country is within 1% of the total assets of the Bank and hence no provision is required to be made as per the Reserve Bank of India Circular DBOD. BP.BC.71/21.01.103/2002-03 dated 19.02.2003 read with DBOD.BP.BC.96/21.04.103/2003-04 dated 17.06.2004.



xii) Details of Credit Exposures where the Bank had exceeded the Prudential Exposure during the year

(A) INDIAN FARMERS FERTILISER COOPERATIVE LTD (IFFCO):

(₹ in crore)

SI No.	Exposure ceiling @ 15% as applicable to individual borrowers	Limit Sanctioned	Balance Outstanding	Period during which limit exceeded		Board Sanction details:	Balance Outstanding as on 31.03.2014
				Month	Amount		
1	1359.45	1255.00	553.99	April-13	NIL	<b>Board Sanction details:</b> ❖ Line of Credit by way of OD enhanced from ₹ 925.00 crores to ₹ 1255.00 crore at our Nehru Place Branch, Delhi. [Approved vide Proceedings No. MC: A: 22 & 27:2013 Dated 23.02.2013 for a period of one year from the date of sanction. ❖ Ratification of action of Branch in allowing operations beyond the due date 23.02.2014 upto the 24.03.2014 vide MC: A: 65/2014 dated 24.03.2014 ❖ Line of Credit by way of OD renewed with reduction from ₹ 1255.00 crores to ₹ 500.00 crore at our Nehru Place Branch, Delhi. [Approved vide Proceedings No. MC: A: 65/2014 Dated 24.03.2014 for a period of one year from the date of sanction.	501.30
		307.01	May-13	NIL			
		1.03	June-13	NIL			
		0.00	July-13	NIL			
		0.00	August-13	NIL			
		0.00	September-13	NIL			
		0.70	October-13	NIL			
		0.00	November-13	NIL			
2	1431.00	1255.00	0.00	December-13	NIL		
			0.00	January-14	NIL		
3	1431.00	1259.07	4.06	February-14	NIL		
4	1073.25	504.07	501.30	March-14	NIL		

**PRUDENTIAL EXPOSURE CEILING:** 15%+5% [subject to compliance of Conditions required under "Exceptional circumstances"]; [₹1019.59 crores + ₹ 339.86 crores i.e., ₹ 1359.45 crores from April 2013 to November 2013 ; and ₹ 1073.25 crores + ₹ 357.75 crores i.e., ₹ 1431.00 crores from December 2013 to March 2014 ]

The Board of Directors has accorded approval under the guidelines on "Prudential Exposure Norms", upon compliance of conditions relating to "Exceptional Circumstances" vide Board Resolution No.02/2013 dated 01.03.2013. However, there has been no utilization of the limit from June 2013 to February 2014 and the utilization during April 2013, May 2013 and March 2014 is within the Prudential Exposure Norms.

xiii) Concentration of Deposits, Advances, Exposures and NPAs (as compiled by the Bank)

a) Concentration of Deposits

(₹ in crore)

Total Deposits of twenty largest depositors	16985
Percentage of Deposits of twenty largest depositors to Total Deposits of the bank	13.66%



**b) Concentration of Advances** (₹ in crore)

Total Advances of twenty largest borrowers	16900.83
Percentage of Advances to twenty largest borrowers to Total Advances of the bank	16.57%

**c) Concentration of Exposures** (₹ in crore)

Total Exposure of twenty largest borrowers/customers	18649.94
Percentage of Exposures to twenty largest borrowers/customers to Total Exposure of the bank on borrowers/customers	18.28%

**d) Concentration of NPAs** (₹ in crore)

Total Exposure of top four NPA accounts	<b>399.84</b>
---	---------------

**xiv) Sector-wise NPAs**

Sl. No.	Sector	Percentage of NPAs to Total Advances in that sector
1	Agriculture & allied activities	4.63
2	Industry (Micro & small, Medium and Large)	4.71
3	Services	2.74
4	Personal Loans	2.52

**xv) Movement of NPAs**

Particulars	₹ in crore
Gross NPAs as on 1st April 2013 (Opening Balance)	1532.94
Additions (Fresh NPAs) during the year	2173.87
Sub-total (A)	3706.81
Less:-	
(i) Upgradations	989.15
(ii) Recoveries (excluding recoveries made from upgraded accounts)	435.94
(iii) Write-offs & Others	295.86
<b>Sub-total (B)</b>	<b>1720.95</b>
Gross NPAs as on 31st March 2014 (A-B)	1985.86



**(xvi) Technical written off and recoveries made thereon:**

(₹ in crore)

Particulars	31.03.2014	31.03.2013
Opening balance of technical/prudential written-off accounts	1337.62	929.38
Add: Technical/Prudential writeoff during the year	293.36	534.75
Sub Total	1630.98	1564.13
Less: Recoveries made from previously technical/prudential written-off accounts during the year	94.30	173.49
Closing balance	1525.28	1337.62

**xvii) Overseas Assets, NPAs and Revenue : NIL****xviii) Off-balance Sheet SPVs sponsored (which are required to be consolidated as per accounting norms)**

Name of the SPV sponsored	
Domestic	Overseas
NIL	NIL

**xix) Provision coverage ratio (PCR):** Provision Coverage ratio as of 31.03.2014 is 64.05% (previous year 68.31%) as per RBI guidelines. However, the Bank has achieved the PCR as envisaged in RBI circular DBOD. No.BP.BC.87-21.048/2010-11 dt.21.04.2011.

**xx) Unsecured advances:** The Bank has no unsecured advances wherein intangible securities have been taken as collateral securities.

**xxi)** During the year 2013 - 2014, the bank had issued 211 letters of comfort amounting to USD 13,07,85,850.77 covering import of goods into India. These letters of comfort have been issued after due assessment of its financial impact on the bank and with the approval of the competent authorities. As on the date of the balance sheet 81 letters of comfort amounting to USD 3,83,48,781.36 (approximately ₹ 229.78 crores @ USD 1 = ₹ 59.92) are outstanding which, in the opinion of the management, will not have any significant impact on the bank's financial position.

**xxii) Fees / remuneration from insurance business during 2013-14**

SI No	Nature of Income	2013-14 (₹ in crore)
1	For selling life insurance policies	3.05
2	For selling non-life insurance policies	2.09
3	For selling mutual fund products	NIL
4	Others (Specify)	NIL

**7. Compliance with information to be disclosed under Accounting Standards notified by the Ministry of Corporate Affairs under Companies(Accounting Standards) Rules, 2006:**

- There were no material prior period income/ expenditure required to be disclosed as per AS-5.
- In terms of accounting policy No.9 of the Bank, some items are recognised on cash basis. However, the management is of the view that since the amount involved is not material, it does not require any disclosure under AS-9.



- iii) The Bank is revaluing foreign currency transactions consistently at the weekly average rate of the last week of the preceding month, prescribed by FEDAI, instead of the rate at the date of the transaction as per AS 11. The management is of the view that there is no material impact on the accounts for the year.
- iv) The following information is disclosed under AS-15. (₹ in crore)

Sl. No.	Particulars	Pension 31.03.14	Pension 31.03.13	Pension 31.03.12	Pension 31.03.11	Pension 31.03.10
I.	Principal Actuarial Assumptions					
	Discount Rate	8.50%	8.00%	9.00%	8.50%	8.40%
	Salary escalation rate	5.50%	5.50%	1.50%	4.25%	5.50%
	Attrition rate	1.00%	1.00%	1.00%	0.75%	1.50%
	Expected rate of return on Plan Assets	9.50%	8.70%	8.30%	8.30%	8.70%
II.	Changes in the Present Value of the Obligation (PVO)					
	PVO as at the beginning of the period	2009.65	1908.35	1832.94	651.12	525.50
	Interest Cost	161.48	146.22	158.98	50.37	40.58
	Current Service Cost	268.90	307.99	18.55	35.81	28.90
	Benefits Paid	(219.72)	(161.16)	(132.97)	(102.84)	(36.58)
	Actuarial (gain) / loss on obligation (balancing figure)	(87.47)	(191.75)	30.85	120.17	92.72
	PVO as at the end of the period	2132.84	2009.65	1908.35	1832.94	651.12
III.	Changes in the Fair Value of Plan Assets					
	Fair Value of Plan Assets as at the beginning of the period	1963.99	1876.33	1739.28	541.35	403.87
	Expected return on Plan Assets	186.58	163.24	144.07	96.49	38.36
	Contributions	271.58	92.01	116.53	1238.37	118.90
	Benefits Paid	(219.72)	(161.16)	(132.97)	(102.84)	(36.58)
	Actuarial gain / (loss) on Plan Assets	43.64	(6.43)	9.42	(34.09)	16.81
	Fair Value of Plan Assets as at the end of the period	2246.06	1963.99	1876.33	1739.28	541.35
IV.	Actual Return on Plan Assets					
	Expected return on Plan Assets	186.58	163.24	144.07	96.49	38.36
	Actuarial gain / (loss) on Plan Assets	43.64	(6.43)	9.42	(34.09)	16.81
	Actual return on Plan Assets	230.22	156.81	153.49	62.40	55.17
V.	Actuarial gain / (loss) recognised					
	Actuarial gain / (loss) for the period – Obligation	87.47	191.75	(30.85)	(120.17)	(92.72)
	Actuarial gain / (loss) for the period – Plan Assets	43.64	(6.43)	9.42	(34.09)	16.81
	Total gain / (loss) for the period	131.11	185.32	(21.43)	(154.26)	(75.91)
	Actuarial gain / (loss) recognised in the period	131.11	185.32	(21.43)	(154.26)	(75.91)



Sl. No.	Particulars	Pension 31.03.14	Pension 31.03.13	Pension 31.03.12	Pension 31.03.11	Pension 31.03.10
VI.	Amounts recognised in the Balance Sheet and related analysis					
	Present Value of the obligation	2132.84	2009.65	1908.35	1832.94	651.12
	Fair Value of Plan Assets	2246.06	1963.99	1876.34	1739.28	541.35
	Funded Status [Surplus/(Deficit)]	113.22	(45.66)	(32.02)	(93.66)	(109.77)
	Amount recognised in the Balance Sheet	113.22	(45.66)	(32.02)	268.58	(109.77)
VII.	Expenses recognised in the Statement of Profit and Loss					
	Current Service Cost	268.90	307.99	18.55	35.81	28.90
	Interest Cost	161.48	146.22	158.98	50.37	40.58
	Expected return on Plan Assets	(186.58)	(163.24)	(144.07)	(96.49)	(38.36)
	Net Actuarial (gain) / loss recognised in the year	(131.11)	(185.32)	21.43	154.26	75.91
	Expenses recognised in the statement of Profit and Loss	112.69	105.65	54.88	860.01	107.03
VIII.	Movements in the liability recognised in the Balance Sheet					
	Opening net liability	45.66	32.02	93.67	109.77	121.64
	Expense as above	112.70	105.65	54.88	860.01	107.03
	Contribution Paid	(271.58)	(92.01)	(116.53)	(1238.36)	(118.90)
	Closing Net Liability	(113.22)	45.66	32.02	(268.58)	109.77
IX.	Amount for the Current Period					
	Present Value of obligation	2132.84	2009.65	1908.35	1832.95	651.12
	Plan Assets	2246.06	1963.99	1876.34	1739.28	541.35
	Surplus / (Deficit)	113.22	(45.66)	(32.02)	(93.67)	(109.77)
	Experience adjustments on Plan Liabilities – gain / (loss)	87.47	191.75	(30.85)	(343.33)	(24.50)
	Experience adjustments on Plan Assets – gain / (loss)	43.64	(6.43)	9.42	34.09	16.81

Sl. No.	Particulars	Gratuity 31.03.14	Gratuity 31.03.13	Gratuity 31.03.12	Gratuity 31.03.11	Gratuity 31.03.10
I.	Principal Actuarial Assumptions					
	Discount Rate	8.50%	8.00%	8.00%	8.20%	8.20%
	Salary escalation rate	5.50%	5.50%	4.00%	4.25%	5.50%
	Attrition rate	1.00%	1.00%	1.50%	0.75%	1.50%
	Expected rate of return on Plan Assets	8.50%	8.50%	8.30%	8.30%	8.30%
II.	Changes in the Present Value of the Obligation (PVO)					
	PVO as at the beginning of the period	343.85	392.95	400.74	241.22	226.10
	Interest Cost	26.49	28.51	29.24	17.67	15.78
	Current Service Cost	17.45	17.01	15.08	8.44	13.56
	Benefits Paid	(64.50)	(73.09)	(70.45)	(51.51)	(19.83)
	Actuarial (gain) / loss on obligation (balancing figure)	(7.36)	(21.53)	18.34	53.04	5.60
	PVO as at the end of the period	315.93	343.85	392.95	400.74	241.22



Sl. No.	Particulars	Gratuity 31.03.14	Gratuity 31.03.13	Gratuity 31.03.12	Gratuity 31.03.11	Gratuity 31.03.10
III.	Changes in the Fair Value of Plan Assets					
	Fair Value of Plan Assets as at the beginning of the period	368.24	402.80	407.96	263.06	251.24
	Expected return on Plan Assets	31.30	34.24	31.70	26.63	19.47
	Contributions	21.00	31.50	16.00	167.16	4.00
	Benefits Paid	(64.50)	(73.09)	(70.45)	(51.52)	(19.83)
	Actuarial gain / (loss) on Plan Assets	(1.90)	(27.21)	17.59	2.63	8.18
	Fair Value of Plan Assets as at the end of the period	354.14	368.24	402.80	407.96	263.06
IV.	Actual Return on Plan Assets					
	Expected return on Plan Assets	31.30	34.24	31.70	26.63	19.47
	Actuarial gain / (loss) on Plan Assets	(1.90)	(27.21)	17.59	2.63	8.17
	Actual return on Plan Assets	29.40	7.03	49.29	29.26	27.64
V.	Actuarial gain / (loss) recognised					
	Actuarial gain / (loss) for the period – Obligation	7.36	21.53	(18.33)	(53.04)	(5.60)
	Actuarial gain / (loss) for the period – Plan Assets	(1.90)	(27.21)	17.59	2.63	8.17
	Total gain / (loss) for the period	5.46	(5.68)	(0.74)	50.41	(2.57)
	Actuarial gain / (loss) recognised in the period	5.46	(5.68)	(0.74)	50.41	(2.57)
VI.	Amounts recognised in the Balance Sheet and related analysis					
	Present Value of the obligation	315.93	343.85	392.95	400.74	241.22
	Fair Value of Plan Assets	354.14	368.24	402.80	407.96	263.06
	Funded Status [Surplus/(Deficit)]	38.21	24.39	9.85	7.22	21.84
	Amount recognised in the Balance Sheet	38.21	24.39	9.85	104.18	—
VII.	Expenses recognised in the Statement of Profit and Loss					
	Current Service Cost	17.45	17.01	15.08	8.44	13.57
	Interest Cost	26.49	28.51	29.24	17.67	15.78
	Expected return on Plan Assets	31.30	(34.24)	(31.70)	(26.63)	(19.47)
	Net Actuarial (gain) / loss recognised in the year	(5.46)	5.68	0.75	50.42	(2.57)
	Expenses recognised in the statement of Profit and Loss	7.18	16.96	13.37	84.81	29.14
VIII.	Movements in the liability recognised in the Balance Sheet					
	Opening net liability	(24.39)	(9.85)	(7.22)	(21.83)	(25.14)
	Expense as above	7.18	16.96	13.37	84.81	29.14
	Contribution Paid	(21.00)	(31.50)	(16.00)	(167.16)	(4.00)
	Closing Net Liability	(38.21)	(24.39)	(9.85)	(104.18)	--
IX.	Amount for the Current Period					
	Present Value of obligation	315.93	343.85	392.95	400.73	241.22
	Plan Assets	354.14	368.24	402.80	407.96	263.06
	Surplus / (Deficit)	38.21	24.39	9.85	7.22	21.83
	Experience adjustments on Plan Liabilities – gain / (loss)	7.36	21.53	(18.33)	(77.05)	(11.65)
	Experience adjustments on Plan Assets – gain / (loss)	(1.90)	(27.21)	17.59	2.63	8.18



v) **Details of Provisions as per AS-15 made for various Long Term Employee Benefits during the year are as follows:**

(₹ in crore)

Sl.No.	Other Long Term Benefits	31.03.2014	31.03.2013
1.	Pension	258.37*	210.21
2.	Leave Encashment	NIL	6.33
3.	Gratuity	31.74	36.54
4.	Sick Leave	-17.38#	1.91

(\*includes ₹ 51.12 cr towards additional liability considering 10% hike in wages under 10th bipartite settlement as per the actuarial estimation.)

#The bank has reversed provision held for sick leave as the same is considered not required.

- vi) During the year 2010-11, the Reserve Bank of India has issued a circular no.DBOD.BP.BC.80/21.04.018/2010-11 on Re-opening of Pension Option to Employees of Public Sector Banks and Enhancement in Gratuity Limits – Prudential Regulatory Treatment, dated 9<sup>th</sup> February, 2011. In accordance with the provisions of the said Circular, ₹ 596 crores identified in the year 2010-11 is being amortised over a period of five years. Accordingly, ₹ 119 crores (representing one-fifth of ₹ 596 crores) has been charged to the Profit and Loss Account. In terms of the requirements of the aforesaid RBI circular, the balance amount carried forward is ₹ 119 crores.

The above has resulted in decrease in the profit of the bank for the current year by ₹ 119 crores and corresponding increase in accumulated profits of the Bank by ₹ 119 crores with corresponding increase in the Current Assets of the Bank by the same amount.

vii) **Segment Reporting (AS-17)**

(₹ in crore)

Business Segments#	Treasury		Corporate/Wholesale Banking		Retail Banking		Other Banking Operations		Total	
	31.03.14	31.03.13	31.03.14	31.03.13	31.03.14	31.03.13	31.03.14	31.03.13	31.03.14	31.03.13
Revenue	3215.20	2375.67	5169.14	4452.88	2547.03	2360.75	485.05	469.58	11416.42	9658.88
Result	560.77	(550.50)	(577.98)	1123.65	786.38	198.36	398.71	391.98	1167.88	1163.49
Unallocated Expenses									64.15	41.46
Operating Profit									1103.73	1122.03
Provisions & Contingencies									655.78	545.48
Provision for Taxes									32.04	(9.06)
Extraordinary Profit/Loss									NIL	NIL
Net Profit									415.91	585.61
OTHER INFORMATION										
Segment Assets	49097.52	35914.73	59320.90	49577.75	26217.51	23172.42	371.22	320.02	135007.15	108984.92
Unallocated Assets									2139.57	1996.83
Total Assets									137146.72	110981.75
Segment Liabilities	48842.99	35857.31	57239.30	47702.54	25173.54	21860.11	2.98	3.15	131258.81	105423.11
Unallocated Liabilities									5887.91	5558.64
Total Liabilities									137146.72	110981.75



- # For the purpose of segment reporting in terms of AS-17 and as prescribed in RBI guidelines, the business of the Bank has been classified into four segments i.e., a) Treasury Operations (b) Corporate/ Wholesale Banking, (c) Retail Banking and (d) Other Banking Operations
- # Since the Bank does not have any Overseas branch, reporting under geographic segment is not applicable.
- # Expenses wherever directly related to segments have been accordingly allocated to segments and wherever not directly related have been allocated on the basis of segment revenue.
- # Assets/Liabilities wherever directly related to segments have been accordingly allocated to segments and wherever not directly related have been allocated on the basis of segment revenue/segments assets ratio.

The above information has been compiled based on data available at Head Office.

**viii) The Bank has identified the following as related party as per AS-18 on Related Party Disclosures**

- a) Key Management Personnel :
  - 1) Shri H.S. Upendra Kamath, Chairman & Managing Director
  - 2) Shri V Kannan, Chairman & Managing Director
  - 3) Shri K.R. Shenoy, Executive Director
  - 4) Shri B.S. Rama Rao, Executive Director

The transactions with Related parties during the year are as under:

- a) i) Remuneration paid to Key Management Personnel during the year

Shri H.S. Upendra Kamath, C & MD (01.04.2013 to 31.12.2013)	₹ 24,52,202.00
Shri V Kannan, C & MD (01.01.2014 to 31.03.2014)	₹ 4,53,083.00
Shri K.R. Shenoy, ED (01.04.2013 to 31.03.2014)	₹ 22,37,830.00
Shri B.S. Rama Rao, ED (27.09.2013 to 31.03.2014)	₹ 8,39,860.00

- b) There has been no transaction with the relatives of the Key Management Personnel during the year.
- c) Associates: NIL

(₹ in lacs)

Particulars	Details of Transaction by Associate with Bank	Amount outstanding as on 31.03.2014	Maximum during the year
Borrowings	Cash Credit Overdraft	N.A.	N.A.
Deposits	Fixed Deposits Current Account	N.A.	N.A.
Investments	Shares Bonds	N.A.	N.A.
Interest received		N.A.	N.A.
Interest paid		N.A.	N.A.
Dividend on shares		N.A.	N.A.



### ix) Leases (AS-19)

- a) Lease rent paid for operating leases are recognized as an expense in the Profit & Loss Account in the year to which it relates.
- b) Future Lease Rent Payable for operating lease :

(₹ in crore)

Particulars	31.03.2014	31.03.2013
Not Later than 1 year	94.03	82.42
Later than 1 year but not Later than 5 years	376.11	329.69
Later than 5 years	282.08	247.27
Total	752.22	659.38
Amount Charged to P&L	95.24	80.58

- c) Future lease rents and escalation in the rent are determined on the basis of agreed terms.
- d) At the expiry of initial lease term, generally the Bank has an option to extend the lease for a further pre-determined period.
- e) The Bank does not have any financial lease.

### x) Earning Per Share (AS-20)

The Bank reports basic earnings per equity share in accordance with Accounting Standard 20 on "Earnings per Share". Basic earnings per share for the period is computed by dividing net profit after tax by the weighted average number of equity shares outstanding during the year.

Calculation of Basic EPS/ Dilutive	31.03.2014	31.03.2013
a. Net Profit after tax available for equity share holders (₹ in Crores)	415.91	466.27
b. Weighted average number of equity shares (Numbers in crore)	54.47	49.55
c. Basic EPS/ Dilutive (in rupees)	7.64	9.41
d. Nominal Value per share (in rupees)	10	10

### xi) Accounting for Taxes on Income (AS-22)

The Bank has accounted for Taxes on Income in compliance with Accounting Standard 22 - "Accounting for Taxes on Income" issued by the ICAI. Accordingly, deferred tax assets and liabilities are recognised.

- a) The components of deferred tax are as under: (₹ in crore)

Timing Difference	Deferred Tax Asset		Deferred tax liability	
	31.03.2014	31.03.2013	31.03.2014	31.03.2013
1. Provision for leave encashment	4.02	50.41	NIL	NIL
2. Fixed Assets	0.92	0.59	NIL	NIL
3. Unamortization pension	NIL	NIL	(29.21)	61.35
4. Unamortization gratuity	NIL	NIL	(7.59)	15.94
5. Provision for Restructured Advances	26.21	40.83	NIL	NIL



- b) Pursuant to Reserve Bank of India's (RBI's) Circular No. DBOD No.BP.BC.77/21.04.018/2013-14 dated 20<sup>th</sup> December 2013, the Bank has created Deferred Tax Liability on the Special Reserve under section 36(1)(viii) of the Income-tax Act, 1961. As required by the said RBI Circular, the expenditure, amounting to ₹ 157.62 crores due to the creation of DTL on Special Reserve as at March 31, 2013, not previously charged to the Profit and Loss Account, has now been adjusted directly from the accumulated profits as on 31.03.2013. Had this amount been charged to the Profit & Loss Account in accordance with the generally accepted accounting principles in India, the amount of Profit for year would have been lower to that extent.

- c) Amount of provisions made for Income Tax during the year:

(₹ in crore)

Particulars	31.03.2014	31.03.2013
Provision for Income Tax	210.00*	73.40
Provision for deferred tax	(67.96)	(82.46)
MAT Credit Entitlement	(110.00)	Nil

\*Provision for Income Tax includes Rs 90.00 crores towards disputed tax of earlier periods.

- xii) In the opinion of the Management, there is no material impairment of any of the Fixed Assets of the Bank as per Accounting Standard 28 – Impairment of Assets.

#### 8. I) Customer Complaint

	31.03.2014
(a) No. of complaints pending at the beginning of the year	18
(b) No. of complaints received during the year	1603
(c) No. of complaints redressed during the year	1577
(d) No. of complaints pending at the end of the year	44

#### II) Please find the complaint details related to ATM transactions.

	31.03.2014
1 No. of issues pending at the beginning of the year	64
2 No. of issues received during the year	17338
3 No. of issues resolved during the year	17306
4 No. of issues pending at the end of the year	96

#### 9. Awards passed by the Bank's ombudsman

	31.03.2014
(a) No. of unimplemented Awards at the beginning of the year	1
(b) No. of Awards passed by the Banking Ombudsmen during the year	2
(c) No. of Awards implemented during the year	3
(d) No. of unimplemented Awards at the end of the year	0





10. In Dec'13 the Bank has issued 5,89,34,464 equity shares of ₹ 10 each to Government of India at a premium of ₹ 32.42 per share on preferential basis. In the month of Feb'14, the Bank has converted the Perpetual Non-Cumulative Preference Share Capital of ₹ 1200 crores held by Government of India into equity share capital at a premium of ₹ 29.39 Per share with face value of ₹ 10/- each.
11. During the financial year 2013-14, bank has been subjected to a penalty of ₹ 2 crore by RBI vide letter no. 735/27.01002/2013-14 dated 12<sup>th</sup> July 2013 issued under Section 46(4)(i) of the Banking Regulation Act 1949 for violation of its provision which was paid to RBI on 19.07.2013. Also penalty of ₹ 2.26 crores was levied by RBI on account of shortage of cash in one of its currency chests which was paid on 11.03.2014.

## 12. Break up of provisions and contingencies

(₹ in crore)

Break up of 'Provisions and contingencies' shown under the head Expenditure in Profit and Loss A/c	31.03.2014	31.03.2013
Provision for depreciation on investment	120.01	(48.42)
Provisions towards NPA	380.82	428.36
Provisions towards Standard Assets (including Restructured Std.)	153.21	164.12
Provisions made towards Income Tax (net):		
i) Current Tax	210.00	73.40
ii) Deferred Tax	(67.96)	(82.46)
iii) MAT Credit Entitlement	(110.00)	Nil
Other Provision and Contingencies :		
i) Provision for Contingencies	42.68	0.13
ii) Others	(5.01)	7.76
iii) Excess Provision written back	(35.93)	(6.47)
<b>Total</b>	<b>687.82</b>	<b>536.42</b>

## 13. Floating Provisions

(₹ in crore)

Particulars		31.03.2014	31.03.2013
(a)	Opening balance	213.00	213.00
(b)	Floating provisions made during the year	NIL	NIL
(c)	Amount withdrawn during the year	70.29	NIL
(d)	Closing balance	142.71	213.00

Note: Floating provision has been utilised for reckoning the provision required in respect of Non-Performing advances.



14. The Bank noted excess interest charged in certain advance accounts. On prudential basis, the interest income has been reduced by ₹ 7.00 crore.
15. The Bank has drawn down a sum of ₹ Nil/- (Previous year ₹ 5025/-) from General Reserve on account of payment of Lapsed Demand Drafts which were taken to general reserve earlier as per RBI approval.
16. Bank is not having adequate information in respect of Suppliers/Service providers covered under Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006. In view of this, information required to be disclosed u/s 22 of the said Act is not given.
17. Previous year's figures have been re-grouped / re-classified / re-cast wherever necessary to conform to current year's classification.

**V. KANNAN**  
Chairman & Managing Director

**V. K. CHOPRA**  
Director

**ASHOK GUPTA**  
Director

**H. NARAYAN SHETTY**  
General Manager

**K. R. SHENOY**  
Executive Director

**SUMA VARMA**  
Director

**H. HARISH BALLAL**  
Director

**B. S. RAMA RAO**  
Executive Director

**P. C. NALWAYA**  
Director

**Y. MURALIKRISHNA**  
Director

AS PER OUR REPORT OF EVEN DATE

**For M/s MUKUND M CHITALE & CO**

Chartered Accountants  
Registration No: 106655W

**[ABHAY V. KAMAT]**  
Partner  
Membership No:39585

**For M/s N C MITTAL & CO.**

Chartered Accountants  
Registration No: 000237N

**[N C MITTAL]**  
Partner  
Membership No:14213

**For M/s KARRA & CO.**

Chartered Accountants  
Registration No: 001749S

**[R SUNDAR]**  
Partner  
Membership No:22448

**For M/s KPMC & ASSOCIATES**

Chartered Accountants  
Registration No: 05359C

**[SANJAY MEHRA]**  
Partner  
Membership No:075488

Place : Bengaluru  
Date : 06.05.2014



## STATEMENT OF CASH FLOW FOR THE YEAR ENDED 31<sup>ST</sup> MARCH, 2014

PARTICULARS	[₹ 000's omitted]	
	For the year ended 31.03.2014	For the year ended 31.03.2013
<b>CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES</b>		
<b>Net Profit after tax</b>	415 90 86	585 60 92
Provision for depreciation on fixed assets	64 14 62	41 45 73
Profit on sale of Fixed Assets	(20 82)	(12 74)
Current Deffered Tax	(67 95 82)	(82 46 47)
Provision for income tax	210 00 00	73 39 82
Mat Credit Entitlement	(110 00 00)	—
Provision in respect of NPA/restructured adv.	452 19 86	508 50 99
Provision for Standard Assets	81 83 00	83 97 00
Provision for Diminution in the value of Investments	120 01 15	(48 42 49)
Payment/Provision for interest on Subordinate Bonds	144 15 03	137 35 00
Provision for other Items	1 73 99	1 42 68
<b>Sub total:-</b>	<b>1311 81 87</b>	<b>1300 70 45</b>
<b>Adjustment for net change in operating assets and liabilities</b>		
Decrease/(Increase) in Investment	(11420 43 09)	(2592 73 76)
Decrease / ( Increase ) in Advances	(12190 46 85)	(12370 52 92)
Increase / ( Decrease) in Deposits	27278 92 25	13961 72 65
Increase/ ( Decrease) in Borrowings	(1897 01 78)	973 41 65
Decrease/(Increase) in other Assets	(114 89 48)	2 91 26
Increase/( Decrease) in other Liabilities & Provisions	338 25 54	(29 10 51)
Tax (paid)/ Refund	(390 20 53)	(544 64 82)
<b>Net Cash from operating Activities (A)</b>	<b>2915 97 94</b>	<b>701 74 00</b>
<b>CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES</b>		
Fixed Assets (net)	(129 77 84)	(46 02 18)
<b>Net cash from investing activities (B)</b>	<b>(129 77 84)</b>	<b>(46 02 18)</b>
<b>CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES</b>		
Issue of share capital	(836 41 97)	—
Share Premium	1086 41 97	—
Subordinate bonds issued	250 00 00	—
Interest on subordinate bonds	(144 15 03)	(137 35 00)
Preference dividend paid & tax paid thereon	(119 33 49)	(132 49 37)
Equity dividend & Tax paid thereon	(144 93 90)	(143 98 20)
Interim dividend paid & tax paid thereon	(64 87 06)	—
<b>Net cash from financing activities (C)</b>	<b>26 70 52</b>	<b>(413 82 57)</b>
<b>Net cash &amp; cash Equivalents (A+B+C)</b>	<b>2812 90 62</b>	<b>241 89 25</b>
<b>Cash &amp; Cash equivalents at the begning of the year</b>	<b>6644 74 98</b>	<b>6402 85 74</b>



PARTICULARS	[₹ 000's omitted]	
	For the year ended 31.03.2014	For the year ended 31.03.2013
Cash in Hand	417 56 29	303 75 95
Balances with Reserve bank of India	3500 13 42	4238 77 50
Balances with banks and money at call and short notice	2727 05 27	1860 32 29
<b>Cash &amp; Cash equivalents at the end of the year</b>	<b>9457 65 60</b>	<b>6644 74 99</b>
Cash in Hand	373 49 97	417 56 29
Balances with Reserve bank of India	5166 70 79	3500 13 42
Balances with banks and money at call and short notice	3917 44 84	2727 05 27

The above cash flow statement has been taken on record by the Board of Directors of the Bank at its meeting held on 06.05.2014.

**V. KANNAN**  
Chairman & Managing Director

**K. R. SHENOY**  
Executive Director

**B. S. RAMA RAO**  
Executive Director

**V. K. CHOPRA**  
Director

**SUMA VARMA**  
Director

**P. C. NALWAYA**  
Director

**ASHOK GUPTA**  
Director

**H. HARISH BALLAL**  
Director

**Y. MURALIKRISHNA**  
Director

**H. NARAYAN SHETTY**  
General Manager

AS PER OUR REPORT OF EVEN DATE

**For M/s MUKUND M CHITALE & CO**

Chartered Accountants  
Registration No: 106655W

**[ABHAY V. KAMAT]**

Partner  
Membership No:39585

**For M/s N C MITTAL & CO.**

Chartered Accountants  
Registration No: 000237N

**[N C MITTAL]**

Partner  
Membership No:14213

**For M/s KARRA & CO.**

Chartered Accountants  
Registration No: 001749S

**[R SUNDAR]**

Partner  
Membership No:22448

**For M/s KPMC & ASSOCIATES**

Chartered Accountants  
Registration No: 05359C

**[SANJAY MEHRA]**

Partner  
Membership No:075488

Place : Bengaluru  
Date : 06.05.2014



## INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

To  
The President of India

### Report On the Financial Statements

1. We have audited the accompanying financial statements of Vijaya Bank, which comprise the Balance Sheet as at 31<sup>st</sup> March, 2014 and the Profit and Loss Account and the Cash Flow Statement for the year then ended and a summary of significant accounting policies and other explanatory information, incorporated in these financial statements are the returns of 20 branches audited by us and 567 branches audited by branch auditors. The branches audited by us and those audited by other auditors have been selected by the Bank in accordance with the guidelines issued to the Bank by the Reserve Bank of India. Also incorporated in the Balance Sheet and the Profit and Loss Account are the returns from 925 branches which have not been subjected to audit. These unaudited branches account for 7.29% of advances, 37.09% of deposits, 34.07% of interest income and 38.55% of interest expenses.

### Management Responsibility for the Financial Statements

2. Management is responsible for the preparation of these financial statements, in accordance with Banking Regulation Act, 1949 and Companies (Accounting Standards) Rules, 2006, read with the Significant Accounting Policies of the Bank. This responsibility includes the design, implementation and maintenance of internal control relevant to the preparation of the financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

### Auditor's Responsibility

3. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those Standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement.
4. An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the Company's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of the accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.
5. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

### Opinion

6. In our opinion, as shown by books of bank and to the best of our information and according to the explanations given to us :
  - i) The Balance Sheet, read with the notes thereon is a full and fair Balance Sheet containing all the necessary particulars, is properly drawn up so as to exhibit a true and fair view of state of affairs of the Bank as at 31<sup>st</sup> March 2014, in conformity with accounting principles generally accepted in India;
  - ii) The Profit and Loss Account read with the notes thereon shows a true balance of profit, in conformity with accounting principles generally accepted in India, for the year covered by the account; and
  - iii) The Cash Flow Statement gives a true and fair view of the cash flows for the year ended on that date.



## 7. Emphasis of Matter

Without qualifying our opinion, we draw attention to

- (i) Note 7 (vi) to the financial statements, which describes deferment of pension and gratuity liability of the Bank to the extent of ₹ 119 crores as on 31<sup>st</sup> March 2014 pursuant to the exemption granted by the Reserve Bank of India to the public sector banks from application of the provisions of Accounting Standard AS-15, Employee Benefits vide its circular no. DBOD. BP.BC/80/21.04.018/2010-11 on Re-opening of Pension Option to Employees of Public Sector Banks and Enhancement in Gratuity Limits – Prudential Regulatory Treatment.” Had such a circular not been issued by RBI, the reserves of the Bank would have been lower by ₹ 119 crores pursuant to application of the requirement of AS-15 with the consequential effect on the current assets to the above extent.
- (ii) Note 7 (xi) (b) to the financial statements, which describes the accounting treatment of the expenditure on creation of Deferred Tax Liability on Special Reserve under section 36(1)(viii) of the Income Tax Act, 1961 as at 31<sup>st</sup> March 2013, pursuant to RBI’s Circular No. DBOD. No.BP.BC.77/21.04.018/2013-14 dated 20th December 2013.

## Report on Other Legal and Regulatory Requirements

8. The Balance Sheet and the Profit and Loss Account have been drawn up in Forms ‘A’ and ‘B’ respectively of the Third Schedule to the Banking Regulation Act, 1949.
9. Subject to the limitations of the audit indicated in paragraph 1 to 5 above and as required by the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act 1980 and subject also to the limitations of disclosure required therein, we report that:
  - a) We have obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit and have found them to be satisfactory.
  - b) The transactions of the Bank, which have come to our notice, have been within the powers of the Bank.
  - c) The returns received from the offices and branches of the Bank have been found adequate for the purposes of our audit.
10. In our opinion, the Balance Sheet, Profit and Loss Account and Cash Flow Statement comply with the applicable accounting standards.

### For M/s MUKUND M CHITALE & CO

Chartered Accountants  
Registration No: 106655W

**[ABHAY V. KAMAT]**

Partner  
Membership No:39585

### For M/s N C MITTAL & CO.

Chartered Accountants  
Registration No: 000237N

**[N C MITTAL]**

Partner  
Membership No:14213

### For M/s KARRA & CO.

Chartered Accountants  
Registration No: 001749S

**[R SUNDAR]**

Partner  
Membership No:22448

### For M/s KPMC & ASSOCIATES

Chartered Accountants  
Registration No: 05359C

**[SANJAY MEHRA]**

Partner  
Membership No:075488

Place : Bengaluru  
Date : 06.05.2014



## BASEL DISCLOSURES DOCUMENT AS AT 31<sup>ST</sup> MARCH 2014

TABLE DF-1 is not applicable to the Bank and TABLE DF-2 has been withdrawn as per Guidelines on Composition of Capital Disclosure Requirement

### TABLE DF-3

#### CAPITAL ADEQUACY

Qualitative Disclosures			
(a) A summary discussion of the Bank's approach to assessing the adequacy of its capital to support current and future activities.	As per RBI directives, our Bank has adopted 'Standardised Approach' for Credit Risk, 'Standardised Duration Approach' for Market risk and 'Basic Indicator Approach' for Operational risk w.e.f. 31.03.2009. For assessment of additional Capital to support the current and future activities, the Bank follows ICAAP policy, put in place by the Bank. ICAAP is being reviewed on a half yearly basis in order to maintain adequate capital above the regulatory minimum on a continuous basis taking care of the future growth in business.		
Quantitative Disclosures	(₹ in crore)		
(b) Capital requirements for Credit Risk under Basel II & Basel III:	<b>₹ 5431.62 (including other assets)</b> <b>NIL</b> - as the Bank has no exposure under securitisation.		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Portfolios subject to standardised approach</li> <li>• Securitisation exposures</li> </ul>			
(c) Capital requirements for Market Risk Standardised duration approach:			
Under Basel II:	<b>318.83</b>		
• Interest rate risk	279.61		
• Foreign Exchange Risk	1.35		
• Equity Risk	37.87		
Under Basel III:	<b>321.96</b>		
• Interest rate risk	282.74		
• Foreign Exchange Risk	1.35		
• Equity Risk	37.87		
(d) Capital requirements for Operational Risk – Basic Indicator Approach	<b>364.84</b>		
		<b>Basel II</b>	<b>Basel III</b>
Capital required:	<b>Min. Cap Required:</b>	<b>6115.30</b>	<b>6113.87*</b>
Capital Maintained:	<b>Capital Funds:</b> <b>(as on 31.03.2014)</b>	<b>7455.00</b>	<b>7170.94</b>
	*Min. Cap. Required under Basel III after cross holding compensation.		
(e) Total and Tier 1 Capital Ratio		<b>Basel II</b>	<b>Basel III</b>
	<b>CRAR as on 31.03.14:</b>	<b>10.97%</b>	<b>10.56%</b>
	Common Equity Tier 1:	—	8.12%
	Tier 1 Capital :	8.30%	8.12%
• For the top consolidated group	Tier 2 Capital :	2.67%	2.44%
• For significant Bank subsidiaries	Not applicable, as our Bank has no subsidiary.		



TABLE DF - 4

CREDIT RISK – GENERAL DISCLOSURES

Qualitative Disclosures	
<p>(a) The general qualitative disclosure requirement with respect to Credit Risk, including</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Definitions of past due and impaired (for accounting purposes)</li> <li>• Discussion on the Bank’s Credit Risk Management Policy</li> </ul>	<p>The Credit Risk Management Process of the Bank is driven by sound system, procedures and policies. While the Board of Directors &amp; Risk Management Committee of the Board gives directions, the Credit Risk Management Committee headed by Chairman &amp; Managing Director ensures its implementation.</p> <p>Policy guidelines for Credit Risk Management, Collateral Management and Credit Risk Mitigants (CRM), Ratings etc. are put in place, wherein the set of objectives, scope and nature of risk reporting, its measurement systems, policies, strategies to be adopted in containing / minimizing the risk through CRM, processing steps, developing monitoring and supervision mechanisms for the continuing effectiveness of mitigants have been detailed.</p> <p>To move towards advanced approach of Basel II norms, the Bank has taken up implementation of integrated Risk Management System through six solutions for Credit Risk Rating, Credit Risk, Market Risk, Operation Risk, ALM &amp; FTP.</p> <p><b>The Bank’s policy on IRAC (Income Recognition &amp; Asset Classification) norms</b> is in tune with guidelines issued by the Reserve Bank of India, as amended from time to time. Ninety days delinquency norm is being followed in classifying the assets as ‘performing’ &amp; ‘non-performing’ assets. The entire IRAC data has been subjected to audit. Adequate provisions as prescribed have been made on both Standard Assets (performing) and Non-Performing Assets. Apart from these, the Bank has created a general floating provision and additional provision for restructured assets.</p> <p><b>Definition of impaired assets (for accounting purposes):</b></p> <p>An asset becomes non-performing when it ceases to generate income for the Bank when (a) interest and/ or installment of the loan remains ‘overdue’ (*) for a period of more than 90 days in respect of term loan</p>





(b) the account remains 'out of order' (#) for a period of more than 90 days, in respect of operative limits such as Cash Credit (Hyp./Misc.) (c) the bill remains 'overdue' for a period of more than 90 days in cases of bills purchased /discounted (d) the interest charged during any quarter, not fully serviced within 90 days from the end of the quarter (e) the installment of principal or interest thereon remains overdue for 2 crop seasons in the case of short duration crop loans and if installment of principal or interest thereon remains overdue for one crop season in the case of long duration crop loans, as far as agricultural loans are concerned (f) 90 days from the date of crystallization of non-fund based commitments expire.

\* 'overdue' means any amount due to the Bank under any credit facility, if not paid on the due date fixed, or on crystallization of non fund based commitment.

# 'out of order' means the outstanding balance remains continuously in excess of the sanctioned limit/ drawing power or if there are no requisite amount of credits continuously for 90 days or where credits in the account are not enough to cover the interest debited prior to 90 days.

**Discussions on Bank's Credit Risk Management Policy:**

The Bank has formulated a comprehensive Credit Risk Management Policy and constituted various committees such as Credit Risk Management Committee, Basel II Working Group etc. to address host of management techniques which help the Bank in identifying, measuring, monitoring and controlling of credit risks by taking into account both external and internal factors affecting the credit risk. The Bank has fine tuned the Risk Management Policies & Lending Policy, to include credit appraisal standard like benchmark/hurdle ratios on key financial indicators, internal ceilings, prudential norms for large credit proposals, standards for loan collateral, portfolio management, credit concentration, Loan Review Mechanism/Credit Audit, special review of high value borrowal accounts (Comprehensive Credit Monitoring Report), risk concentration/monitoring and pricing based on risk ratings, and review based on risk ratings etc, besides covering exposure ceiling for sensitive sectors such as capital market, real estate and commodity sector. A comprehensive Recovery Policy of the Bank is also put in place and revised from time to time.



**Quantitative Disclosures**

- (b) Total gross Credit Risk exposures
  - fund based & non-fund based
  
- (c) Geographical distribution of exposures
  - fund based & non fund based separately
  - Overseas
  
  - Domestic

**Gross Credit risk exposure :**

Fund based	:	₹ 112965.88 crore
Non fund based	:	₹ 11139.94 crore
<b>Total: **</b>		<b>₹ 124105.82 crore</b>

**Overseas: Fund based & Non fund based: Nil**

<b>Domestic : Fund based</b>	:	₹ 112965.88 crore
Non fund based :		₹ 11139.94 crore
<b>Total **</b>	:	<b>₹ 124105.82 crore</b>

**\*\* Loans & Advances + Investments excluding Undrawn exposure of ₹ 11,232.94 crore, CCIL /MCX exposure of ₹ 18.96 crore and Other Assets exposure of ₹ 13,436.46 crores.**

Geographic distribution of Gross credit is as under:  
(₹ in crore)

State	Gross credit	State	Gross Credit
Andaman & Nicobar	29.50	Madhya Pradesh	381.30
Andhra Pradesh	5913.27	Maharashtra	22893.03
Arunachal	74.23	Manipur	22.19
Assam	189.82	Meghalaya	76.41
Bihar	116.92	Mizoram	44.28
Chandigarh	143.16	Nagaland	79.23
Chattisgarh	165.46	Orissa	141.17
Daman & Diu	8.30	Pondicherry	56.74
Delhi	15939.66	Punjab	1105.71
Goa	111.29	Rajasthan	1908.62
Gujarat	3774.95	Sikkim	13.17
Haryana	1687.86	Tamilnadu	4772.85
Himachal Pradesh	27.94	Tripura	26.15
Jammu & Kashmir	16.76	Uttar Pradesh	2303.55
Jharkhand	79.28	Uttaranchal	72.17
Karnataka	16337.36	West Bengal	1996.51
Kerala	1916.34	<b>Grand total</b>	<b>82425.18</b>



(d) Industry type distribution of credit	INDUSTRYWISE DEPLOYMENT OF CREDIT	(₹ in crore)
	Energy	14633.40
	Transport	4538.27
	Communication	837.24
	Social & Commercial Infrastructure	1490.40
	Water & Sanitation	433.53
	Steel & Engineering Industry	4313.74
	Cement Industry	547.44
	Textile Industry	543.69
	Precious Stones & Jewellery	586.70
	Electronics	671.90
	Sugar Industry	91.86
	Refinery	174.42
	Aluminum	649.80
	Automobiles & Auto Parts	231.75
	Construction	1156.29
	Pharmaceuticals	448.52
	Agro based	295.46
	Distillery	229.20
	<b>Total</b>	<b>31873.61</b>

(e) Residual maturity breakdown of assets as at 31.03.2014: (₹ in crore)

Period	1 day	2-7 days	8-14 days	15-28 days	29 days - 3 months	Over 3 months to 6 months	Over 6 months to 12 months	Over 1 year to 3 years	Over 3 years to 5 years	Over 5 years	Total
FC Assets	124.62	609.07	5.99	23.63	57.21	90.31	14.41	0.00	0.00	0.65	925.89
Advances	1048.73	363.63	670.73	749.12	5453.51	4250.82	5156.11	43593.45	9578.12	9114.96	79979.18
Investments	6737.15	1744.95	148.72	1211.48	1782.72	842.48	2069.35	6927.47	9845.15	11275.92	42585.38

Position as on 31.03.2014

(₹ in crore)

(f)	Amount of NPAs (Gross)	
	• Substandard	905.03
	• Doubtful 1	468.63
	• Doubtful 2	558.98
	• Doubtful 3	39.64
	• Loss	13.57
(g)	Net NPAs	1262.37
(h)	NPA Ratios:	
	• Gross NPAs to gross advances	2.41 %
	• Net NPAs to net advances	1.55 %



(i)	Movement of NPAs (Gross):	
	• Opening balance	1532.94
	• Additions	2173.87
	• Reductions	1720.95
	• Closing balance	1985.86
	Movement of NPA (Net)	
	• Opening balance	909.69
	• Additions	352.68
	• Reductions	0.00
	• Closing balance	1262.37
(j)	Movement of provisions for NPAs	
	• Opening balance	619.24
	• Provisions made during the period	384.04
	• Write off	293.36
	• Write back of excess provisions	0.00
	• Closing balance	709.92
(k)	Amount of Non-Performing Investments (Under HTM Category)	9.25
(l)	Amount of provisions for depreciation on Non Performing Investments (NPI)	12.47
(m)	Movement of provisions for depreciation on Non Performing Investments (NPI):	
	• Opening balance	11.27
	• Provisions made during the period	1.20
	• Write off	0.00
	• Write back of excess provisions	0.00
	• Closing balance	12.47

TABLE DF-5

**CREDIT RISK: DISCLOSURES FOR PORTFOLIOS SUBJECT TO THE STANDARDISED APPROACH**

<p><b>Qualitative disclosures</b></p> <p>(a) For portfolios under the standardised approach:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Names of credit rating agencies used plus reasons for any changes</li> <li>Types of exposure for which each agency is used</li> <li>A description of the process used to transfer public issue ratings onto comparable assets in the banking book</li> </ul>	<p>The Bank has used ratings given by RBI approved external credit rating agencies, viz CRISIL / ICRA / FITCH (India Ratings) / CARE / SMERA/Brickwork Rating only. In order to facilitate the process of external rating and enabling the customers to solicit external ratings for their exposure, the Bank has entered into a separate MOU with the credit rating agencies.</p> <p>All Corporate exposure above ₹ 5 Crore and exposure to public sector entities.</p> <p>Bank has used only bank ratings which are available in public domain. Further the Bank has not used any public issue ratings.</p>					
<p><b>Quantitative disclosures</b></p> <p>(b) For exposure amounts after risk mitigation subject to the standardised approach, amount of a bank's outstandings (rated and unrated) in the following three major risk buckets as well as those that are deducted:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Below 100% risk weight</li> <li>100% risk weights</li> <li>More than 100% risk weight</li> <li>Deducted - Financial collaterals</li> </ul> <p><b>TOTAL</b></p> <p>** Includes following off B/S exposure</p> <p>NFB Exposure - 11139.94 Crs</p> <p>Undrawn Portion - 11232.94 Crs</p> <p>CCIL &amp; MCX - 18.96 Crs</p>	<p><b>Credit exposure **</b> <b>(₹ in crore)</b></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="text-align: right;">89968.13</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">31672.30</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">13717.28</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">8505.04</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;"><b>135357.72</b></td> </tr> </tbody> </table>	89968.13	31672.30	13717.28	8505.04	<b>135357.72</b>
89968.13						
31672.30						
13717.28						
8505.04						
<b>135357.72</b>						



TABLE DF - 6

## CREDIT RISK MITIGATION: DISCLOSURES FOR STANDARDISED APPROACH

Qualitative disclosures	
<p>(a) The general qualitative disclosure requirement with respect to credit risk mitigation including:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Policies and processes for and an indication of the extent to which the Bank makes use of, on and off balance sheet netting</li> <li>• Policies and processes for collateral valuation and management.</li> <li>• A description of the main types of collateral taken by the bank.</li> <li>• The main type of guarantor counterparty and their creditworthiness.</li> <li>• Information about (market or credit) risk concentration within the mitigation taken.</li> </ul>	<p>The general principles, like having a specific lien, requisite minimum margin stipulation, valuation, legal certainty, documentation, periodical inspection, easy liquidity etc. as enumerated in Basel II final guidelines of RBI has been used for credit risk mitigation techniques. All the prescribed haircuts with adjustments for currency mismatch &amp; maturity mismatch are done. The financial collaterals available are netted out of the credit exposure before assigning the risk weights. The effect of Credit Risk Mitigation (CRM) is not double counted.</p> <p>The financial collaterals taken for the purpose of CRM mainly includes Bank's own term deposits, cash margin, life policies, NSCs, KVPs and gold benchmarked to 99.99 purity.</p> <p>Guaranteed exposure includes those guaranteed by Central/State Governments, ECGC, Bank and CGTSI.</p> <p>The CRM/Guaranteed exposure are not subject to any market fluctuation and these exposures are well diversified.</p>

Quantitative disclosures	₹ in crore				
<p>(b) For each separately disclosed credit risk portfolio, the total exposure (after where applicable, on or off balance sheet netting) that is covered by eligible financial collateral after the application of haircuts.</p>	<b>Credit risk exposure</b>	<b>Loans &amp; advance**</b>	<b>Nonfund based</b>	<b>Investment*</b>	<b>Total</b>
	Exposure	93657.69	6613.14	35086.89	135357.72
	CRM (fin. collaterals)	7937.69	566.35	0.00	8504.04
	<b>Net exposure</b>	<b>85720.00</b>	<b>6046.79</b>	<b>35086.89</b>	<b>126853.68</b>
<p>(c) For each separately disclosed portfolio the total exposure (after, where applicable, on or off balance sheet netting) that is covered by guarantees / credit derivatives (whenever specifically permitted by RBI)</p> <p>* Including off balance sheet exposure ** Including Undrawn</p>	₹ in crore				
	<b>Guarantee Status</b>	<b>Loans &amp; advance**</b>	<b>Nonfund based</b>	<b>Investment*</b>	<b>Total</b>
	Exposure	93657.69	6613.14	35086.89	135357.72
	Central/ State Govt.	5706.31	0.00	26902.02	32608.33
	ECGC/BANK/CGTSI	3244.12	0.00	0.00	3244.12
	<b>Guarantee total</b>	<b>8950.43</b>	<b>0.00</b>	<b>26902.02</b>	<b>35852.45</b>
	<b>Net exposure</b>	<b>84707.26</b>	<b>6613.14</b>	<b>8184.87</b>	<b>99505.27</b>
	# this includes bonds/instruments issued by the Central/State Government and/or guaranteed by Central Government.				

For the credit risk portfolio under the standardised approach (fund and non-fund based), the total eligible financial collaterals are reckoned after the application of haircuts wherever applicable.



**TABLE DF - 7  
SECURITISATION  
DISCLOSURES FOR STANDARDISED APPROACH**

The Bank has not securitised any asset during the financial year 2013-14 either in Banking book or in trading book.

**TABLE DF - 8  
MARKET RISK IN TRADING BOOK**

Qualitative disclosures																																															
(a) The general qualitative disclosure requirement for market risk including the portfolios covered by the standardised approach	<p>Market Risk is the potential risk due to market movements in interest rates, equity prices, foreign currencies and commodity prices.</p> <p>Basel-II proposes two approaches for Market Risk viz <b>Standardised Duration Approach and Internal Model Approach</b>. At present, the bank has implemented "<b>Standardized Duration Approach</b>" and moving forward to implement Internal Model Approach. The Standardized Duration Approach has got following features.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. The capital requirement under standardized approach is calculated based on Interest rate risk, Equity price risk, Foreign Exchange risk an Commodity risk.</li> <li>2. The general Market risk is calculated based on modified duration and change in yield.</li> <li>3. The specific risk is calculated based on external risk rating, duration of the instrument etc.</li> </ol> <p>For the purpose of calculation of capital charge, the bank has adopted 'Standardised Duration Approach', as detailed below:</p> <p align="center"><b>Aggregation of the capital charge for Market Risk under Basel-II as on 31.03.2014</b></p> <p align="right"><b>₹ in crore</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th align="right">Capital charge</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>(A) Capital Charge for Market Risk for securities held under HFT</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Interest Rate (a+b)</td> <td align="right">9.07</td> </tr> <tr> <td><b>a. General Market Risk</b></td> <td align="right">9.07</td> </tr> <tr> <td>    (i) Net position (parallel shift)</td> <td align="right">9.07</td> </tr> <tr> <td>    (ii) Horizontal disallowance (curvature)</td> <td align="right">0.00</td> </tr> <tr> <td>    (iii) Vertical disallowance (basis)</td> <td align="right">0.00</td> </tr> <tr> <td><b>b. Specific risk</b></td> <td align="right">0.00</td> </tr> <tr> <td><b>(B) Capital charge for Market Risk for securities held under AFS</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Interest Rate (a+b)</td> <td align="right">270.54</td> </tr> <tr> <td><b>a. General Market Risk</b></td> <td align="right">184.83</td> </tr> <tr> <td>    (i) Net position (parallel shift)</td> <td align="right">184.83</td> </tr> <tr> <td>    (ii) Horizontal disallowance (curvature)</td> <td align="right">0.00</td> </tr> <tr> <td>    (iii) Vertical disallowance (basis)</td> <td align="right">0.00</td> </tr> <tr> <td><b>b. Specific risk</b></td> <td align="right">85.71</td> </tr> <tr> <td><b>(C) Alternative total capital charge for securities held under AFS</b></td> <td align="right"><b>123.88</b></td> </tr> <tr> <td><b>I. Interest rate related instruments {A+(B or C whichever is more)}</b></td> <td align="right"><b>279.61</b></td> </tr> <tr> <td><b>II. Equity (a+b)</b></td> <td align="right"><b>37.87</b></td> </tr> <tr> <td>    <b>a. General market risk</b></td> <td align="right">16.83</td> </tr> <tr> <td>    <b>b. Specific risk</b></td> <td align="right">21.04</td> </tr> <tr> <td><b>III. Foreign Exchange &amp; Gold</b></td> <td align="right"><b>1.35</b></td> </tr> <tr> <td><b>IV. Total capital charge for Market Risks (I+II+III)</b></td> <td align="right"><b>318.83</b></td> </tr> <tr> <td><b>Total Risk Weighted Assets</b></td> <td align="right"><b>3542.56</b></td> </tr> </tbody> </table>		Capital charge	<b>(A) Capital Charge for Market Risk for securities held under HFT</b>		Interest Rate (a+b)	9.07	<b>a. General Market Risk</b>	9.07	(i) Net position (parallel shift)	9.07	(ii) Horizontal disallowance (curvature)	0.00	(iii) Vertical disallowance (basis)	0.00	<b>b. Specific risk</b>	0.00	<b>(B) Capital charge for Market Risk for securities held under AFS</b>		Interest Rate (a+b)	270.54	<b>a. General Market Risk</b>	184.83	(i) Net position (parallel shift)	184.83	(ii) Horizontal disallowance (curvature)	0.00	(iii) Vertical disallowance (basis)	0.00	<b>b. Specific risk</b>	85.71	<b>(C) Alternative total capital charge for securities held under AFS</b>	<b>123.88</b>	<b>I. Interest rate related instruments {A+(B or C whichever is more)}</b>	<b>279.61</b>	<b>II. Equity (a+b)</b>	<b>37.87</b>	<b>a. General market risk</b>	16.83	<b>b. Specific risk</b>	21.04	<b>III. Foreign Exchange &amp; Gold</b>	<b>1.35</b>	<b>IV. Total capital charge for Market Risks (I+II+III)</b>	<b>318.83</b>	<b>Total Risk Weighted Assets</b>	<b>3542.56</b>
	Capital charge																																														
<b>(A) Capital Charge for Market Risk for securities held under HFT</b>																																															
Interest Rate (a+b)	9.07																																														
<b>a. General Market Risk</b>	9.07																																														
(i) Net position (parallel shift)	9.07																																														
(ii) Horizontal disallowance (curvature)	0.00																																														
(iii) Vertical disallowance (basis)	0.00																																														
<b>b. Specific risk</b>	0.00																																														
<b>(B) Capital charge for Market Risk for securities held under AFS</b>																																															
Interest Rate (a+b)	270.54																																														
<b>a. General Market Risk</b>	184.83																																														
(i) Net position (parallel shift)	184.83																																														
(ii) Horizontal disallowance (curvature)	0.00																																														
(iii) Vertical disallowance (basis)	0.00																																														
<b>b. Specific risk</b>	85.71																																														
<b>(C) Alternative total capital charge for securities held under AFS</b>	<b>123.88</b>																																														
<b>I. Interest rate related instruments {A+(B or C whichever is more)}</b>	<b>279.61</b>																																														
<b>II. Equity (a+b)</b>	<b>37.87</b>																																														
<b>a. General market risk</b>	16.83																																														
<b>b. Specific risk</b>	21.04																																														
<b>III. Foreign Exchange &amp; Gold</b>	<b>1.35</b>																																														
<b>IV. Total capital charge for Market Risks (I+II+III)</b>	<b>318.83</b>																																														
<b>Total Risk Weighted Assets</b>	<b>3542.56</b>																																														
Quantitative disclosures																																															
(b) The capital requirement for																																															
• Interest rate risk																																															
• Equity position risk																																															
• Foreign Exchange risk																																															



<b>Aggregation of the capital charge for Market Risk under Basel-III as on 31.03.2014</b>		
<b>₹ in crore</b>		
	<b>Risk Category</b>	<b>Capital charge</b>
<b>(A)</b>	<b>Capital Charge for Market Risk for securities held under HFT</b>	
	Interest Rate (a+b)	9.07
	<b>a. General Market Risk</b>	9.07
	(i) Net position (parallel shift)	9.07
	(ii) Horizontal disallowance (curvature)	0.00
	(iii) Vertical disallowance (basis)	0.00
	<b>b. Specific risk</b>	0.00
<b>(B)</b>	<b>Capital charge for Market Risk for securities held under AFS</b>	
	Interest Rate (a+b)	273.67
	<b>a. General Market Risk</b>	184.83
	(i) Net position (parallel shift)	184.83
	(ii) Horizontal disallowance (curvature)	0.00
	(iii) Vertical disallowance (basis)	0.00
	<b>b. Specific risk</b>	88.84
<b>(C)</b>	<b>Alternative total capital charge for securities held under AFS</b>	<b>127.55</b>
	<b>I. Interest rate related instruments {A+(B or C whichever is more)}</b>	<b>282.74</b>
	<b>II. Equity (a+b)</b>	<b>37.87</b>
	a. General market risk	16.83
	b. Specific risk	21.04
	<b>III. Foreign Exchange &amp; Gold</b>	<b>1.35</b>
	<b>IV. Total capital charge for Market Risks (I+II+III)</b>	<b>321.96</b>
	Total Risk Weighted Assets	<b>3577.33</b>

**TABLE DF - 9**  
**OPERATIONAL RISK**

#### Qualitative disclosures

As stipulated in the RBI final guidelines on Basel II, the Bank is adopting Capital charge calculations for Operational Risk as per 'Basic Indicator Approach'. The Bank has set up Operational Risk Management Committee to identify, assess, monitor and control all operational risks apart from measures to mitigate such risks, by putting in place detailed policy & guidelines on Operational Risk Management (ORM), Loss Data, Risk & Control Self Assessment (RCSA), Key Risk Indicator (KRI), Business Line Mapping (BLM) policy Business Continuity Policy (BCP), Business Continuity & Disaster Recovery Plan, Outsourced Activities, New Product & Activities Review, KYC norms and Anti-Money Laundering etc.



Further the Bank has put in place the following measures to manage, control and mitigate operational risks:-

- Book of Instructions/Manuals are being updated at periodic intervals besides revising various policies on review at regular/annual interval.
- Operational Risk losses(Fraud & Non-fraud data) are being reported to Operational Risk Management Committee on quarterly basis
- The Bank has put in place IT Security Policy and has implemented various IT security related solutions like Anti Virus for Data Centre and Branches, Fire Walls, Encryption Technologies, Intrusion Detection Systems, Web filtering solution, forced password change, Router based security policies, Network Security Policies. The Bank has implemented policies relating to application access controls, password security, guidelines to avoid misuse of passwords, etc. in the Core Banking scenario. The Bank has been conducting information security & network audit for its network, Data Centre, Disaster Recovery Site, Business Units facilities. The Bank has been conducting vulnerability assessment and penetration testing for Critical Service like Internet Banking, Mobile Banking, Core Banking Solution to find the loop holes if any and taking corrective steps. The Bank has been conducting all its third party software applications to the process of IS audit to continuously improve the confidentiality, integrity, and availability of all its IT resources.
- In order to mitigate the probability of system disruptions resulting in the business discontinuity, the Bank has implemented various levels of disaster recovery and business continuity mechanisms/measures specially for critical applications like Core Banking System, Network Facilities, ITMS, IRMS.
- Risk Based Internal Audit (RBIA) is made applicable for all the branches from the year 2008-09 based on the revised RBIA format.
- Bank has put business units under RCSA exercise in ten operational areas viz. Retail Banking, Branch Operations, Internet Banking, ATM operation, Forex, Currency Chest, Lockers, Remittances, Information Technology, Debit Card & Credit Card operation.
- Bank is moving forward for implementation of 'The Standardised Approach (TSA)' for computing capital charge for Operational Risk.
- The department has started preparing scenarios for the unfilled Operational Risk Cells of loss data which are required for AMA Implementation.

**Quantitative disclosures:**

**Calculation of capital charge on Operational Risk  
AVERAGE OF GROSS INCOME FOR THE LAST 3 YEARS**

(₹ in crore)

	31.03.11	31.03.12	31.03.2013
1. Net Profit	523.82	580.99	585.61
ADD			
2. Provisions & contingencies	522.86	649.07	536.42
3. Operating Expenses	1433.28	1201.36	1362.97
4. <b>Sub Total</b>	<b>2479.96</b>	<b>2431.42</b>	<b>2485.00</b>
LESS			
5. Realised Profit / Loss from the sale of securities in the HTM category	11.55	16.29	60.72
6. Income from insurance activities and insurance claims in favour of the Bank	1.07	3.08	3.89
7. Extraordinary / Irregular item of income and expenditure	0.00	0.00	0.00





		(₹ in crore)		
		31.03.11	31.03.12	31.03.2013
8.	Reversal during the year in respect of provisions and write offs made during the year	2.88	0.00	0.00
9.	Income from the disposal of items of movable and immovable property	-0.15	0.29	-0.13
10.	Income from legal settlements in favour of the Bank	0.00	0.00	0.00
11.	<b>Sub Total</b>	<b>15.35</b>	<b>19.66</b>	<b>64.48</b>
12.	<b>GROSS INCOME FOR THE PURPOSE OF COMPUTATION OF OPERATIONAL RISKS</b>	<b>2464.61</b>	<b>2411.76</b>	<b>2420.52</b>

**Average of 3 years gross income** = ₹ 2432.30 Crores  
**CAPITAL CHARGE FOR OPERATIONAL RISKS** = Average of gross Income \* alpha (15%)  
 = ₹ 364.84 Crores  
**Equivalent Risk weighted Assets:** = ₹ 4053.83 Crores.

TABLE DF - 10

### INTEREST RATE RISK IN THE BANKING BOOK (IRRBB)

#### Qualitative disclosures

The general qualitative disclosure requirement including the nature of IRRBB and key assumptions, including assumptions regarding loan prepayments and behaviour of non-maturity deposits and frequency of IRRBB measurement.

#### Interest Rate Risk Management:

The process of Interest rate risk management by the Bank involves determination of the business objectives, understanding the money markets and debt capital markets in which it operates and within the context of these parameters, recognizing and quantifying its appetite for market risk.

The Bank uses two techniques/approaches to manage interest rate risks inherent in the Balance sheet:

- 1) The first approach is the on-balance sheet Asset Liability Management (ALM) using the results of the Traditional Gap analysis. This involves careful balancing/rebalancing of assets and liabilities, based on the interest rate view of the Bank, so as to eliminate the interest earnings at risk. This is achieved through an exercise towards minimizing exposure to risks by holding the appropriate combination (type and maturity) of assets and liabilities so as to meet certain objectives of the Bank (such as achieving targeted earnings while simultaneously minimizing risk).
- 2) The second approach is off-balance sheet Asset Liability Management (ALM) through hedging. Hedging creates off-balance sheet positions. The OTC derivative product used by the Bank to hedge its trading portfolio and certain liabilities are the Interest Rate Swaps (IRS).

The Asset Liability Management techniques are deliberated by the Market Risk Management/Asset Liability Committee (MRMC/ALCO) in its monthly meetings, in addition to the discussions in the Balance Sheet Management Group meetings.



**Analytics used by the Bank:**

The Bank regularly analyses the Duration and Modified duration of Investment portfolio and rebalances the portfolio to minimize interest rate risk. This portfolio management technique is reviewed by the ALCO/MRMC and the Board at monthly intervals.

The Interest Rate Sensitivity (IRS) Gap statement based on the 1999 Guidelines on Asset Liability Management is prepared on a fortnightly basis. The bucket-wise rate sensitive gaps as a percentage of the rate sensitive assets are monitored by the MRMC/ALCO, at monthly intervals, against the Board stipulated Tolerance limits.

In the event of the tolerance limit breach, the MRMC/ALCO ratifies the breach with or without directing the operational departments to restructure the maturity profile of the Balance sheet items. This is commensurate with the view on interest rates and the market scenario. While preparing the Interest Rate Sensitivity statement, the Bank takes into account the results of the behavioral analysis conducted on the following:

- (i) Volatile and Core portion of Savings deposits.
- (ii) Repricing character of CC/OD accounts.
- (iii) Embedded options in the investment portfolio.

**Earnings at Risk (EaR):**

The Earnings at Risk (EaR) due to parallel and non-parallel shifts in the yield curve on the interest rate sensitive asset liability gaps up to the 3 months, 6 months and 1 year horizon is calculated. This analysis is conducted on a fortnightly basis and placed before the MRMC/ALCO in the monthly meetings and later to the Board in its monthly meetings.

Based on the gap profile up to 1 year and the Bank's interest rate view, the EaR amount that should trigger on or off balance sheet hedging strategies, is tracked on a fortnightly basis.

**Quantitative disclosure:**

The increase (decline) in earnings and economic value (or relevant measure used by management) for upward and downward rate shocks according to management's method for measuring IRRBB, broken down by currency (where the turnover is more than 5% of the total turnover):

**Earnings at Risk (EaR):**

For a 100 basis point assumed increase in interest rates, the impact on NII for a 1 year gap horizons	<b>₹ 55.11 crore</b>
---	----------------------

The Bank has fixed the tolerance limit at ₹ 172 crore.

**Economic value approach:**

The economic value, i.e. impact on Capital Fund due to change in interest rate by 200 bps is assessed through Modified Duration Gap method based on RBI guidelines. As a prudential measure limits have been fixed for net duration gap of the assets and liabilities and the same is monitored at regular intervals based on RBI guidelines.



TABLE DF - 11

## GENERAL DISCLOSURE FOR EXPOSURES RELATED TO COUNTERPARTY CREDIT RISK

<b>Qualitative disclosures</b>							
<p>(a) The general qualitative disclosure requirement with respect to derivatives and CCR, including:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Discussion of methodology used to assign economic capital and credit limits for counterparty credit exposures;</li> <li>• Discussion of policies for securing collateral and establishing credit reserves;</li> <li>• Discussion of policies with respect to wrong-way risk exposures;</li> <li>• Discussion of the impact of the amount of collateral the bank would have to provide given a credit rating downgrade.</li> </ul>	<p>Counterparty Credit Risk (CCR) Limits for the banking counterparties are assessed based on an internal model that considers the parameters viz. credit rating and net worth of counterparties, net worth of the Bank and business requirements. In all other cases, CCR limit is approved based on credit assessment process followed by the Bank as per the Credit Policy and Procedural Manual. CCR limits are set on the amount and tenor while fixing the limits to respective counterparties with distinct limits for each type of exposure. Capital for CCR exposure is assessed based on Standardised Approach.</p> <p>The Bank does not have any credit derivatives exposure at present.</p>						
<b>Quantitative disclosures</b>							
<p>(b) Gross positive fair value of contracts, netting benefits, netted current credit exposure, collateral held (including type, e.g. cash, government securities, etc.), and net derivatives credit exposure. Also report measures for exposure at default, or exposure amount, under CEM. The notional value of credit derivative hedges, and the distribution of current credit exposure by types of credit exposure.</p> <p>(c) Credit derivative transactions that create exposures to CCR (notional value), segregated between use for the institution's own credit portfolio, as well as in its intermediation activities, including the distribution of the credit derivatives products used, broken down further by protection bought and sold within each product group</p>	<p>The Bank does not recognize bilateral netting. The derivative exposure is calculated using Current Exposure Method (CEM) and the balance outstanding as on March 31, 2014 is given below.</p> <p style="text-align: right;">(₹ in crore)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Particulars</th> <th style="text-align: center;">Notional Amount</th> <th style="text-align: center;">Current Exposure</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Foreign exchange contracts</td> <td style="text-align: center;">4526.79</td> <td style="text-align: center;">90.54</td> </tr> </tbody> </table>	Particulars	Notional Amount	Current Exposure	Foreign exchange contracts	4526.79	90.54
Particulars	Notional Amount	Current Exposure					
Foreign exchange contracts	4526.79	90.54					



**BASEL III - COMMON DISCLOSURE TEMPLATE**

(₹ in million)

Basel III common disclosure template to be used during the transition of regulatory adjustments (i.e. from April 1, 2013 to December 31, 2017)		Amounts Subject to Pre-Basel III Treatment	Ref No.
<b>Common Equity Tier 1 capital: instruments and reserves</b>			
1	Directly issued qualifying common share capital plus related stock surplus (share premium)	25385.18	a=b+c
2	Retained earnings	9342.76	d
3	Accumulated other comprehensive income (and other reserves)	21661.38	e=f+g+i+j+k
4	Directly issued capital subject to phase out from CET1 (only applicable to non-joint stock companies)	—	
	Public sector capital injections grandfathered until 1 January 2018	—	
5.	Common share capital issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group CET1)	—	
6	<b>Common Equity Tier 1 capital before regulatory adjustments</b>	<b>56389.31</b>	
<b>Common Equity Tier 1 capital: regulatory adjustments</b>			
7	Prudential valuation adjustments	—	
8	Goodwill (net of related tax liability)	—	
9	Intangibles other than mortgage-servicing rights (net of related tax liability)	—	
10	Deferred tax assets	—	
11	Cash-flow hedge reserve	—	
12	Shortfall of provisions to expected losses	—	
13	Securitisation gain on sale	—	
14	Gains and losses due to changes in own credit risk on fair valued liabilities	—	
15	Defined-benefit pension fund net assets	476.45	=(x+y)*40%
16	Investments in own shares (if not already netted off paid-in capital on reported balance sheet)	—	
17	Reciprocal cross-holdings in common equity	8.66	
18	Investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the bank does not own more than 10% of the issued share capital (amount above 10% threshold)	—	
19	Significant investments in the common stock of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions (amount above 10% threshold)	—	
20	Mortgage servicing rights (amount above 10% threshold)	—	
21	Deferred tax assets arising from temporary differences (amount above 10% threshold, net of related tax liability)	—	
22	Amount exceeding the 15% threshold	—	



Basel III common disclosure template to be used during the transition of regulatory adjustments (i.e. from April 1, 2013 to December 31, 2017)			Amounts Subject to Pre-Basel III Treatment	Ref No.
23	of which: significant investments in the common stock of financial entities	—		
24	of which: mortgage servicing rights	—		
25	of which: deferred tax assets arising from temporary differences	—		
26	National specific regulatory adjustments (26a+26b+26c+26d)	—		
26a	of which: Investments in the equity capital of the unconsolidated insurance subsidiaries	—		
26b	of which: Investments in the equity capital of unconsolidated non-financial subsidiaries	—		
26c	of which: Shortfall in the equity capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the bank	—		
26d	of which: Unamortised pension funds expenditures	—		
	Regulatory Adjustments Applied to Common Equity Tier 1 in respect of Amounts Subject to Pre-Basel III Treatment	—		
	of which: [INSERT TYPE OF ADJUSTMENT] For example: filtering out of unrealised losses on AFS debt securities (not relevant in Indian context)	—		
	of which: [INSERT TYPE OF ADJUSTMENT]	—		
	of which: [INSERT TYPE OF ADJUSTMENT]	—		
27	Regulatory adjustments applied to Common Equity Tier 1 due to insufficient Additional Tier 1 and Tier 2 to cover deductions	727.66		=(x+y)*60%
28	<b>Total regulatory adjustments to Common equity Tier 1</b>	<b>1212.77</b>		
29	<b>Common Equity Tier 1 capital (CET1)</b>	<b>55176.54</b>		
<b>Additional Tier 1 capital: instruments</b>				
30	Directly issued qualifying Additional Tier 1 instruments plus related stock surplus (31+32)	—		
31	of which: classified as equity under applicable accounting standards (Perpetual Non-Cumulative Preference Shares)	—		
32	of which: classified as liabilities under applicable accounting standards (Perpetual debt Instruments)			
33	Directly issued capital instruments subject to phase out from Additional Tier 1	—		
34	Additional Tier 1 instruments (and CET1 instruments not included in row 5) issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group AT1)	—		
35	of which: instruments issued by subsidiaries subject to phase out	—		
36	Additional Tier 1 capital before regulatory adjustments	—		
<b>Additional Tier 1 capital: regulatory adjustments</b>				
37	Investments in own Additional Tier 1 instruments	—		



Basel III common disclosure template to be used during the transition of regulatory adjustments (i.e. from April 1, 2013 to December 31, 2017)		Amounts Subject to Pre-Basel III Treatment	Ref No.
38	Reciprocal cross-holdings in Additional Tier 1 instruments	—	
39	Investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the bank does not own more than 10% of the issued common share capital of the entity (amount above 10% threshold)	—	
40	Significant investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation (net of eligible short positions)	—	
41	National specific regulatory adjustments (41a+41b)	—	
41a	Investments in the Additional Tier 1 capital of unconsolidated insurance subsidiaries	—	
41b	Shortfall in the Additional Tier 1 capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the bank	—	
	Regulatory Adjustments Applied to Additional Tier 1 in respect of Amounts Subject to Pre-Basel III Treatment	—	
	of which: [INSERT TYPE OF ADJUSTMENT e.g. DTAs]	—	
	of which: [INSERT TYPE OF ADJUSTMENT e.g. existing adjustments which are deducted from Tier 1 at 50%]	—	
	of which: [INSERT TYPE OF ADJUSTMENT]	—	
42	Regulatory adjustments applied to Additional Tier 1 due to insufficient Tier 2 to cover deductions	—	
43	<b>Total regulatory adjustments to Additional Tier 1 capital</b>	—	
44	<b>Additional Tier 1 capital (AT1)</b>	—	
44a	<b>Additional Tier 1 capital reckoned for capital adequacy</b>	—	
45	<b>Tier 1 capital (T1 = CET1 + AT1) (29 + 44a)</b>	<b>55176.54</b>	
<b>Tier 2 capital: instruments and provisions</b>			
46	Directly issued qualifying Tier 2 instruments plus related stock surplus	2500.00	I
47	Directly issued capital instruments subject to phase out from Tier 2	9100.00	m=n+o+p+q+r+s+t (after Basel III phase out)
48	Tier 2 instruments (and CET1 and AT1 instruments not included in rows 5 or 34) issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group Tier 2)	—	
49	of which: instruments issued by subsidiaries subject to phase out	—	
50	Provisions	5360.66	
51	<b>Tier 2 capital before regulatory adjustments</b>	<b>16960.66</b>	
<b>Tier 2 capital: regulatory adjustments</b>			
52	Investments in own Tier 2 instruments	—	
53	Reciprocal cross-holdings in Tier 2 instruments	427.80	
54	Investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the bank does not own more than 10% of the issued common share capital of the entity (amount above the 10% threshold)	—	



Basel III common disclosure template to be used during the transition of regulatory adjustments (i.e. from April 1, 2013 to December 31, 2017)		Amounts Subject to Pre-Basel III Treatment	Ref No.
55	Significant investments in the capital banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation (net of eligible short positions)	—	
56	National specific regulatory adjustments (56a+56b)	—	
56a	of which: Investments in the Tier 2 capital of unconsolidated subsidiaries	—	
56b	of which: Shortfall in the Tier 2 capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the bank	—	
	Regulatory Adjustments Applied To Tier 2 in respect of Amounts Subject to Pre-Basel III Treatment	—	
	of which: [INSERT TYPE OF ADJUSTMENT e.g. existing adjustments which are deducted from Tier 2 at 50%]	—	
	of which: [INSERT TYPE OF ADJUSTMENT]	—	
57	<b>Total regulatory adjustments to Tier 2 capital</b>	<b>427.80</b>	
58	<b>Tier 2 capital (T2)</b>	<b>16532.86</b>	
58a	<b>Tier 2 capital reckoned for capital adequacy</b>	<b>16532.86</b>	
58b	<b>Excess Additional Tier 1 capital reckoned as Tier 2 capital</b>	<b>0</b>	
58c	<b>Total Tier 2 capital admissible for capital adequacy (58a + 58b)</b>	<b>16532.86</b>	
59	<b>Total capital (TC = T1 + T2) (45 + 58c)</b>	<b>71709.41</b>	
	Risk Weighted Assets in respect of Amounts Subject to Pre-Basel III Treatment	—	
	of which: [INSERT TYPE OF ADJUSTMENT]	—	
	of which: ...	—	
60	<b>Total risk weighted assets (60a + 60b + 60c)</b>	<b>679318.97</b>	
60a	of which: total credit risk weighted assets	603513.55	
60b	of which: total market risk weighted assets	35267.12	
60c	of which: total operational risk weighted assets	40538.30	
<b>Capital ratios</b>			
61	Common Equity Tier 1 (as a percentage of risk weighted assets)	8.12%	
62	Tier 1 (as a percentage of risk weighted assets)	8.12%	
63	Total capital (as a percentage of risk weighted assets)	10.56%	
64	Institution specific buffer requirement (minimum CET1 requirement plus capital conservation and countercyclical buffer requirements, expressed as a percentage of risk weighted assets)	5.00%	



Basel III common disclosure template to be used during the transition of regulatory adjustments (i.e. from April 1, 2013 to December 31, 2017)			Amounts Subject to Pre-Basel III Treatment	Ref No.
65	of which: capital conservation buffer requirement	0%		
66	of which: bank specific countercyclical buffer requirement	—		
67	of which: G-SIB buffer requirement	—		
68	Common Equity Tier 1 available to meet buffers (as a percentage of risk weighted assets)	—		
<b>National minima (if different from Basel III)</b>				
69	National Common Equity Tier 1 minimum ratio (if different from Basel III minimum)	5.00%		
70	National Tier 1 minimum ratio (if different from Basel III minimum)	6.50%		
71	National total capital minimum ratio (if different from Basel III minimum)	9.00%		
<b>Amounts below the thresholds for deduction (before risk weighting)</b>				
72	Non-significant investments in the capital of other financial entities	—		
73	Significant investments in the common stock of financial entities	—		
74	Mortgage servicing rights (net of related tax liability)	—		
75	Deferred tax assets arising from temporary differences (net of related tax liability)	—		
<b>Applicable caps on the inclusion of provisions in Tier 2</b>				
76	Provisions eligible for inclusion in Tier 2 in respect of exposures subject to standardised approach (prior to application of cap)	5360.62		u
77	Cap on inclusion of provisions in Tier 2 under standardised approach	7543.92		
78	Provisions eligible for inclusion in Tier 2 in respect of exposures subject to internal ratings-based approach (prior to application of cap)	N.A.		
79	Cap for inclusion of provisions in Tier 2 under internal ratings-based approach	N.A.		
<b>Capital instruments subject to phase-out arrangements (only applicable between March 31, 2017 and March 31, 2022)</b>				
80	Current cap on CET1 instruments subject to phase out arrangements	N.A.		
81	Amount excluded from CET1 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities)	N.A.		
82	Current cap on AT1 instruments subject to phase out arrangements	N.A.		
83	Amount excluded from AT1 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities)	N.A.		
84	Current cap on T2 instruments subject to phase out arrangements	N.A.		
85	Amount excluded from T2 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities)	N.A.		





## Basel III - Composition of Capital

(₹ in million)

LIABILITIES	Balance sheet as in consolidated financial statements as on 31.03.2014	Ref No.
<b>CAPITAL</b>		
<b>Equity Share Capital</b>	8591.19	b
<b>Reserves and surplus</b>		
I Statutory Reserve	13377.20	f
II Capital Reserve	3518.95	g
II Capital Reserve	0.00	i
III Share Premium	16793.98	c
III Revaluation Reserve	2489.93	v
General Reserve	127.96	j
IV Revenue and other reserves		
a Investment fluctuation reserve	0.00	
b Exchange fluctuation reserve	0.00	
c Deferred tax reserve	0.00	
d Special reserve in terms of sec.36(1)(viii)	4637.27	k
e Profit & Loss account	9342.76	d
<b>Total Capital, Reserves and Surplus</b>	<b>58879.24</b>	
<b>Total Deposits</b>	<b>1242961.59</b>	
<b>Borrowings</b>		
(i) From R.B.I.	3500.00	
(ii) Other Banks	0.00	
(iii) From other institutions and agencies	16197.99	
Repo account	10250.00	
(vii) Tier II bonds		
90 months bonds 2010 - 7.50%	0.00	n
123 months bonds 2015 - 7.15%	2500.00	o
120 months bonds 2016 - 9.25%	2500.00	p
180 months bonds 2022 - 10.10%	3000.00	q
123 months bonds 2017 - 9.50%	2000.00	r
124 months bonds 2018 - 9.35%	2000.00	s
180 months bonds 2023 - 9.45%	3000.00	t
120 months bonds 2023 - 9.73%	2500.00	l
<b>Total Borrowings</b>	<b>47447.99</b>	



(₹ in million)

LIABILITIES	Balance sheet as in consolidated financial statements as on 31.03.2014	Ref No.
<b>Other Liabilities and Provisions</b>		
I Bills Payable	4171.54	
li Interest Accrued	3252.22	
Iv VRS Bonds	0.00	
V Provision for Standard Assets	4240.15	w
Vi Pro. For 90 days Norms	0.00	
Vi Others (Including Provisions)	10514.51	
<b>Total other Liabilities</b>	<b>22178.43</b>	
<b>Grand Total of Liabilities</b>	<b>1371467.25</b>	
<b>Assets</b>	<b>Balance sheet as in consolidated financial statements as on 31.03.2014</b>	<b>Ref No.</b>
<b>Total Cash &amp; Bank bal with RBI</b>	<b>55402.08</b>	
<b>Total bal with Banks &amp; Money at call</b>	<b>39174.48</b>	
<b>Total Investments</b>	<b>425853.85</b>	
<b>Total Net Advances</b>	<b>815040.32</b>	
<b>Total Fixed Assets</b>	<b>5289.46</b>	
<b>Other Assets</b>		
I Inter Office Adjustment (dr)	-1367.63	
li Interest Accrued	8956.15	
lii Tax Paid in Advance	16857.39	
Iv. Deferred tax assets	-751.25	
V Stationery and Stamps	13.79	
Vi Non Banking Assets	0.76	
Vii Gratuity Amortization	245.68	x
Pension Amortization	945.45	y
Vii Others	5806.73	
<b>Total Other Assets (Schedule - 11)</b>	<b>30707.07</b>	
<b>Grand Total of Assets</b>	<b>1371467.25</b>	

## Basel III - Main Features of Regulatory Capital Instruments

Sl.	Particulars	Equity Shares	Upper Tier II 1	Upper Tier II 2	Lower Tier II S4	Lower Tier II S5	Lower Tier II S6	Lower Tier II S7	Tier II S8 Basel III
1	Issuer	Vijaya Bank	Vijaya Bank	Vijaya Bank	Vijaya Bank	Vijaya Bank	Vijaya Bank	Vijaya Bank	Vijaya Bank
2	Unique Identifier	INE705A01016	INE705A09076	INE705A09100	INE705A09050	INE705A09068	INE705A09084	INE705A09092	INE705A08029
3	Governing Laws of the Instrument	Applicable Indian statutes and regulatory	Applicable Indian statutes and regulatory	Applicable Indian statutes and regulatory	Applicable Indian statutes and regulatory	Applicable Indian statutes and regulatory	Applicable Indian statutes and regulatory	Applicable Indian statutes and regulatory	Applicable Indian statutes and regulatory
	<b>Regulatory Treatment</b>								
4	Transitional Basel III Rules	Common Equity Tier 1	Tier 2	Tier 2	Tier 2	Tier 2	Tier 2	Tier 2	Tier 2
5	Post-transitional Basel III Rules	Common Equity Tier 1	Ineligible	Ineligible	Ineligible	Ineligible	Ineligible	Ineligible	Tier 2
6	Eligible at Solo/Group	Solo	Solo	Solo	Solo	Solo	Solo	Solo	Solo
7	Instrument Type	Common Shares	Tier 2 Debt Instruments	Tier 2 Debt Instruments	Tier 2 Debt Instruments	Tier 2 Debt Instruments	Tier 2 Debt Instruments	Tier 2 Debt Instruments	Tier 2 Debt Instruments
8	Amount Recognised in Regulatory Capital (Rs. in Crs. As on 31.03.2014)	859.12	240	240	50	100	120	160	250
9	Par Value of Instrument (Rs. in Crs.)	Not Applicable	300	300	250	250	200	200	250
10	Accounting Classification	Shareholder's Equity	Liability	Liability	Liability	Liability	Liability	Liability	Liability
11	Original date of issuance	Various	3/20/2007	3/17/2008	3/15/2005	8/1/2006	7/31/2007	12/31/2007	12/23/2013
12	Perpetual or dated	Perpetual	Dated	Dated	Dated	Dated	Dated	Dated	Dated
13	Original maturity date	No Maturity	3/20/2022	3/17/2023	6/15/2015	8/1/2016	10/31/2017	4/30/2018	12/23/2023
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	No	No	No	No	No	No	No	No
15	"Optional call date, contingent call dates and "redemption amount"	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable
16	Subsequent call dates, if applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable
	<b>Coupons/ dividends</b>								
17	Fixed or floating dividend/coupon	Not Applicable	Fixed	Fixed	Fixed	Fixed	Fixed	Fixed	Fixed
18	Coupon rate and any related index	Not Applicable	10.10%	9.45%	7.15%	9.25%	9.50%	9.35%	9.73%
19	Existence of a dividend stopper	Not Applicable	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
20	"Fully discretionary, partially discretionary or "mandatory"	Fully discretionary	Mandatory	Mandatory	Mandatory	Mandatory	Mandatory	Mandatory	Mandatory
21	Existence of step-up or other incentive to redeem	No	No	No	No	No	No	No	No
22	Non-cumulative or cumulative	Non-cumulative	Cumulative	Cumulative	Cumulative	Cumulative	Cumulative	Cumulative	Cumulative
23	Convertible or non-convertible	Not Applicable	Nonconvertible	Nonconvertible	Nonconvertible	Nonconvertible	Nonconvertible	Nonconvertible	Nonconvertible



## Basel III - Main Features of Regulatory Capital Instruments



Sl.	Particulars	Equity Shares	Upper Tier II 1	Upper Tier II 2	Lower Tier II S4	Lower Tier II S5	Lower Tier II S6	Lower Tier II S7	Tier II S8 Basel III
24	If convertible, conversion trigger(s)	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable
25	If convertible, fully or partially	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable
26	If convertible, conversion rate	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable
27	If convertible, mandatory or optional conversion	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable
28	If convertible, specify instrument type convertible into	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable
29	"If convertible, specify issuer of instrument it converts"into"	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable
30	Write-down feature	No	No	No	No	No	No	No	Yes
31	If write-down, write-down trigger(s)	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	** Loss absorption features (Write-down and Write-up)
32	If write-down, full or partial	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	full or partial
33	If write-down, permanent or temporary Permanent	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Temporary and
34	If write-down, description of write-up mechanism	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	** Loss absorption features (Write-down and Write-up)
35	Position in subordination heirarchy in liquidationc (specify instrument type immediately senior to"instrument)	Perpetual Debt Instruments	All other creditors and Depositors of the Bank	All other creditors and Depositors of the Bank	All other creditors and Depositors of the Bank	All other creditors and Depositors of the Bank	All other creditors and Depositors of the Bank	All other creditors and Depositors of the Bank	All other creditors and Depositors of the Bank
36	Non-compliant transitioned features	No	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	No
37	If yes, specify non-compliant features	Not Applicable	No loss absorption features	No loss absorption features	No loss absorption features	No loss absorption features	No loss absorption features	No loss absorption features	Not Applicable



**विजया बैंक**  
प्रधान कार्यालय, सं.41/2, एम. जी. रोड, बेंगलूरु - 560 001

प्रिय शेयरधारक,

**विषय : राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवाओं (एनईसीएस) के जरिए लाभांश का भुगतान**

अगर आपने, हमारे रजिस्ट्रार, मेसर्स लिंक इनटाइम इंडिया प्रा. लि. अथवा आपके निक्षेपी सहभागीदार (डीमैट होल्डिंग के मामले में) को एनईसीएस/बैंक खाते के विवरण न भेजे हों तो, हमारा अनुरोध है कि आप, नीचे दिए गए प्रारूप में उक्त विवरण उपलब्ध कराएं जिससे कि वक्त पर, सुरक्षित ढंग से और सही तरीके से, लाभांश का घोषित होते ही भुगतान किया जा सके.

कृपया सुनिश्चित करें कि रजिस्ट्रार/निक्षेपी सहभागीदार को प्रस्तुत किए गए आपके ब्योरे सही हों, क्योंकि उसमें कोई गलती होने पर संभव है कि लाभांश की रकम गलत खाते में जमा हो जाए.

एनईसीएस के जरिए और/अथवा नामोद्दिष्ट बैंक खाते में, जो लाभांश वारंट पर दिखाई देगा, लाभांश का भुगतान करने से लाभांश वारंटों में धोखाधड़ी से भुनाई नहीं हो सकेगी.

कृपया हमें, आपकी बेहतर सेवा करने का मौका दें.

भवदीय,

कृते **विजया बैंक**

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता



**एनईसीएस आदेश/बैंक खाते के विवरण के लिए फार्म**

मैं/हम, \_\_\_\_\_ विजया बैंक को प्राधिकार देता हूँ/देते हैं कि वह

- मेरे/हमारे लाभांश वारंट पर निम्नलिखित ब्योरे छपाए
- मेरी लाभांश रकम, एनईसीएस के जरिए सीधे मेरे बैंक खाते में जमा करें  
(\* जो लागू न हो उसे काट दें)

मेरा/हमारा फोलियो नं: \_\_\_\_\_

डीपीआईडी नं. \_\_\_\_\_ ग्राहक आईडी सं. \_\_\_\_\_

बैंक खाते के विवरण

- |  |   |       |
|--|---|-------|
| क. बैंक का नाम   | : | _____ |
| ख. आईएफएससी कूट सहित शाखा का नाम                                     | : | _____ |
| पता(केवल आदेश के लिए)  | : | _____ |
| ग. एमआईसीआर चेक पर दिखाई देनेवाली बैंक तथा शाखा की 9 अंकवाली कूट सं. | : | _____ |
| घ. खाते का प्रकार(बचत/चालू)  | : | _____ |
| ङ. चेक बुक में दिखाई देनेवाली खाता संख्या                            | : | _____ |
| च. शेयरधारक की एसटीडी कूट तथा टेलीफोन सं.                            | : | _____ |

अगर एनईसीएस को अमल में न लाया जा सका अथवा किसी वजह बैंक, एनईसीएस को बंद कर दे तो, मैं/हम बैंक को जिम्मेदार नहीं ठहराऊंगा/ठहराएंगे.



इस पते पर भेजें

लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड. यूनिट : विजया बैंक  
सी-13, पन्नालाल सिल्क मिल्स कंपाउण्ड, एल .बी.एस रोड

शेयरधारक के हस्ताक्षर

नौ अंकोवाली कूट संख्या की यथातथ्यता का सत्यापन करने के लिए कृपया आपके उक्त खाते से संबंधित आपके बैंक द्वारा जारी चेक अथवा रद्द किए गए चेक की फोटो प्रति संलग्न करें.

आपके पास अमूर्त रूप में शेयर हों तो, कृपया अपने निक्षेपागार सहभागी से कहे कि वह, आपके बैंक खाते के विवरण/ एनईसीएस आदेश को नोट करें.



**VIJAYA BANK**  
**HEAD OFFICE, No.41/2, M.G.ROAD, BENGALURU - 560 001**

Dear Shareholder(s),

**Re.: Payment of dividend through National Electronic Clearing Services (NECS)**

In case you have not already sent the NECS/Bank Account particulars to our Registrar, M/s Link Intime India Private Limited or to your Depository Participant (in case of demat holdings) we would request you to provide the said particulars in the format given below to facilitate prompt, safe and correct payment of dividend as soon as it is declared.

Please ensure that the details submitted by you to the Registrars/ Depository Participant are correct as any error therein could result in the dividend amount being credited to wrong account.

Payment of dividend through NECS and /or to the designated Bank Account which appear on the dividend warrant will help to prevent fraudulent encashment of dividend warrants.

Kindly help us in our endeavor to serve you better.

Yours faithfully  
 For Vijaya Bank

Authorized Signatory



**FORM FOR NECS MANDATE /BANK ACCOUNT PARTICULARS**

I/We \_\_\_\_\_ do hereby authorize Vijaya Bank

- Print the following details on my /our dividend warrant
- Credit my dividend amount directly to my Bank account by NECS  
 (\* Strike out whichever is not applicable) My /our Folio No. : \_\_\_\_\_

DPID No. \_\_\_\_\_ Client ID No. \_\_\_\_\_

Particulars of Bank Account

- |  |   |       |
|--|---|-------|
| A. Bank Name   | : | _____ |
| B. Branch Name with IFSC Code  | : | _____ |
| Address (for Mandate only)   | : | _____ |
| C. 9 Digit Code No. of the Bank & Branch as appearing on the MICR Cheque | : | _____ |
| D. Account Type (Saving/Current)   | : | _____ |
| E. Account No. as appearing in the Cheque Book                           | : | _____ |
| F. STD Code & Telephone No. of Shareholder                               | : | _____ |

I/We shall not hold the Bank responsible if the NECS could not be implemented or the Bank discontinues the NECS for any reason.

Mail to  
 ----->

Link Intime India Pvt. Limited. Unit : Vijaya Bank  
 C-13, Pannalal Silk Mills Compound, L.B.S.Road,  
 Bhandup (West), Mumbai-400078, Maharashtra.

\_\_\_\_\_  
 Signature of the shareholder

Please attach the photocopy of a cheque or a blank cancelled cheque issued by your Bank relating to your above account for verifying the accuracy of the nine digit code number.

In case you are holding shares in demat form, kindly advice your Depository Participant to take note of your Bank Account particulars/NECS mandate.



## विजया बैंक

प्रधान कार्यालय : बेंगलूरु - 560 001

फार्म 'ख'

### प्रॉक्सी फार्म

(शेयर धारक द्वारा भरा जाए एवं हस्ताक्षर किए जाएं)

पंजीकृत फोलियो सं. ----- (अगर अमूर्तीकरण न किया गया हो तो)
डीपीआईडी/ग्राहक आईडी सं. ----- (अगर अमूर्तीकरण किया गया हो तो)
धारित शेयरों की सं.

मैं/हम, \_\_\_\_\_ निवासी \_\_\_\_\_ जिला \_\_\_\_\_  
राज्य \_\_\_\_\_, विजया बैंक का/केशेयर धारक हूँ/हैं, श्री/श्रीमती \_\_\_\_\_  
निवासी \_\_\_\_\_ जिला \_\_\_\_\_ राज्य \_\_\_\_\_ को या उनके होने पर  
श्री/श्रीमती \_\_\_\_\_ निवासी \_\_\_\_\_ जिला \_\_\_\_\_  
राज्य \_\_\_\_\_, मुल्की सुंदर राम शेड्डी सभागृह, विजया बैंक, प्रधान कार्यालय, बेंगलूरु - 560 001 में शुक्रवार, 27 जून, 2014 को संपन्न होने वाली बैंक के शेयर धारकों की चौदहवीं वार्षिक सामान्य बैठक में और उस पर किसी प्रकार के कार्यस्थगन पर, मेरी/हमारी ओर से, मेरे/हमारे लिए वोट देने हेतु, प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त करता हूँ/करते हैं .

\_\_\_\_\_ के दिन, \_\_\_\_\_ 2014 को हस्ताक्षरित

कृपया एक पंद्रह  
पैसे का राजस्व  
टिकट चिपकाएँ

\_\_\_\_\_  
(प्रॉक्सी धारक के हस्ताक्षर)

\_\_\_\_\_  
(प्रथम धारक/एकमात्र धारक के हस्ताक्षर)

नाम :

.....

पता :

.....

.....

.....

नोट : पूर्ण रूप से भरे तथा स्टैम्प व हस्ताक्षरित प्रॉक्सी फार्म विजया बैंक, शेयर प्रभाग, प्र.का., एम.जी.रोड, बेंगलूरु - 560 001 में बैठक की दिनांक से 4 दिन पूर्व अर्थात शनिवार 21 जून, 2014 को दोपहर 2.00 बजे तक कारोबार समाप्ति से पूर्व पहुंच जाने चाहिए.



**VIJAYA BANK**  
**Head Office: Bengaluru - 560 001**

**FORM 'B'**

**FORM OF PROXY**

**(To be filled in and signed by the shareholder)**

Regd. Folio No: _____ (If not Dematerialized)
DPID/ Client ID No. _____ (If Dematerialized)
No .of Shares Held

I/We, \_\_\_\_\_ resident of \_\_\_\_\_ in the District of \_\_\_\_\_ in the state of \_\_\_\_\_, being a shareholder/ shareholders of Vijaya Bank, hereby appoint Shri/Smt \_\_\_\_\_ resident of \_\_\_\_\_ in the District of \_\_\_\_\_ in the State of \_\_\_\_\_ or failing him, Shri/Smt \_\_\_\_\_ resident of \_\_\_\_\_ in the district of \_\_\_\_\_ in the State of \_\_\_\_\_

as my/our proxy to vote for me/us and on/my/our behalf at the FOURTEENTH ANNUAL GENERAL MEETING of the shareholders of the Bank to be held on Friday the 27<sup>th</sup> June, 2014, at the MULKI SUNDER RAM SHETTY AUDITORIUM, VIJAYA BANK, H.O, Bengaluru and at any adjournment thereof.

Signed this..... Day of.....2014

Please affix  
 Fifteen Paise  
 Revenue  
 Stamp

.....  
 (Signature of the Proxy)

.....  
 (Signature of the first holder / sole holder)

Name : .....

Address : .....

Note: Proxy forms duly filled in stamped & signed should reach Vijaya Bank, Shares Division, H.O. M.G. Road, Bengaluru - 560 001 not later than 4 days prior to the date of meeting i.e. on or before the business hour at 2 P.M. on Saturday, the 21<sup>st</sup> June 2014.





## NOTES



## NOTES



## महा प्रबंधक General Managers



श्री एच. नारायण शेटी  
Shri H. Narayana Shetty



श्री पी. मयिलसामी  
Shri P. Mylsamy



श्री बी. हरिदीश कुमार  
Shri B. Harideesh Kumar



श्री ए.एस.राजीव  
Shri A.S. Rajeev



श्री उदय कुमार  
Shri Udaya Kumar



श्री वाई. नागेश्वर राव  
Shri Y. Nageshwara Rao



श्री टी. जयंत पै  
Shri T. Jayanth Pai



श्री बी. जयराम शेटी  
Shri B. Jayarama Shetty



श्री अनंत चरण स्वाई  
Shri Ananta Charan Swain



श्री मुरली रामस्वामी  
Shri Murali Ramaswami

## उप महा प्रबंधक Deputy General Managers

श्री एम. सीताराम शेटी.  
Shri M. Seetharama Shetty

श्री एस.एल. चापलोट  
Shri S.L. Chaplot

श्री अरुण प्रसाद सिंह  
Shri Arun Prasad Singh

श्री बी.ए. टाटा  
Shri B.A. Tata

श्री सुब्रत कुमार  
Shri Subrat Kumar

श्रीमती निर्मला श्रीधर  
Smt. Nirmala Sridhar

श्री वाई. वेंकटेश सेटी  
Shri Y. Venkatesh Setty

श्री वसंत.के.शेटी  
Shri Vasanth K. Shetty

श्रीमती ए. मणिमेखलाई  
Smt A. Manimekhalai

श्री गोविंद एन.डोंग्रे  
Shri Govind N Dongre

श्री यू. सतीश कारंत  
Shri U. Sathish Karanth

श्री के. सुरेंद्र हेगडे  
Shri K. Surendra Hegde

श्री अतनु कुमार दास  
Shri Atanu Kumar Das

श्री सिद्धेश्वर पात्रा  
Shri Sidheshwar Patra

श्री रमेश कुमार मिग्लानी  
Shri Ramesh Kumar Miglani

श्री महेश्वर रथ  
Shri Maheswar Rath

श्री सी. सतीश बल्लाल  
Shri C. Satish Ballal

श्री के. गोपालकृष्णन नायर  
Shri K. Gopalakrishnan Nair

श्री अजय के. खुराना  
Shri Ajay K. Khurana

श्री सर्वेश के.रस्तोगी  
Shri Sarvesh K. Rastogi

श्री बी. शशिधर हेगडे  
Shri B. Shashidhar Hegde

श्री सत्यनारायण  
Shri Satyanarayana

श्री एम. जगन मोहन  
Shri M. Jagan Mohan

श्री के. राजेंद्रन  
Shri K. Rajendran

श्री एस. प्रताप रै  
Shri S. Pratap Rai

श्री के. प्रफुल्ल शेटी  
Shri K. Prafulla Shetty

श्री विजय कुमार बसेठा  
Shri Vijay Kumar Basetha

श्री एस. मुकुंदन  
Shri S. Mukundan

श्री डी. प्रदीप नाईक  
Shri D. Pradeep Naik

श्रीमती बी.एम. कुसुमा  
Smt. B.M. Kusuma

श्री वी. उमेश शेटी  
Shri V. Umesh Shetty

श्री के. सिवय्या  
Shri K. Sivaiah

श्री पी.जी. आरुकुट्टी  
Shri P.G. Arukutty

श्रीमती शकुंतला शेटी  
Smt. Shakunthala Shetty

श्रीमती एन. राजेश्वरी  
Smt. N. Rajeswari

श्री सेट्टिपल्ली धीरेंद्र  
Shri Settipalli Dheerendra

वार्षिक रिपोर्ट

ANNUAL  
REPORT  
2013 - 14

SHREE NOKH SECURE PRINT PVT.LTD. - HYD.






प्रधान कार्यालय:  
41/2, एम.जी.रोड, बेंगलूरु - 560 001  
फोन : 080 2558 4066 (20 लाइनें) फैक्स : 080 2559 8040  
टोल फ्री : 1800 425 5885  
वेबसाइट : [www.vijayabank.com](http://www.vijayabank.com)



विजया बैंक  
**VIJAYA BANK**  
(A GOVT. OF INDIA UNDERTAKING)  
*A friend you can bank upon*

Head Office :  
41/2, M.G.Road, Bengaluru - 560 001  
Ph: 080 2558 4066 (20Lines) Fax : 080 2559 8040  
Toll Free : 1800 425 5885  
Website: [www.vijayabank.com](http://www.vijayabank.com)

Form A  
Format of covering letter of the annual audit report to be filed with the  
Stock exchanges

1	Name of the Company	Vijaya Bank
2	Annual financial statements for the year ended	31 <sup>st</sup> March 2014
3	Type of Audit observation	<p><b>Matter of Emphasis</b></p> <p>(i) Deferment of pension and gratuity liability of the Bank to the extent of Rs.119 crores as on 31st March 2014 pursuant to the exemption granted by the Reserve Bank of India to the public sector banks from application of the provisions of Accounting Standard AS-15, Employee Benefits vide its circular no DBOD.BP.BC/80/21.04.018/2010-11 on Re-opening of Pension Option to Employees of Public Sector Banks and Enhancement in Gratuity Limits – Prudential Regulatory Treatment.” Had such a circular not been issued by RBI, the reserves of the Bank would have been lower by Rs.119 crores pursuant to application of the requirement of AS-15 with the consequential effect on the current assets to the above extent.</p> <p>(ii) Accounting treatment of the expenditure on creation of Deferred Tax Liability on Special Reserve under section 36(1)(viii) of the Income Tax Act,1961 as at 31st March 2013, pursuant to RBI’s Circular No. DBOD.No.BP.BC.77/21.04.018/2013-14 dated 20th December 2013.</p>
4	Frequency of observation	<p>Frequency of observation for Matter of Emphasis (i) Since 31<sup>st</sup> March 2011</p> <p>Frequency of observation for Matter of Emphasis (ii) Since 31<sup>st</sup> March 2014</p>
5	To be signed by -	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CEO/ Managing Director  (Shri V Kannan)</li> <li>• CFO  (Shri H Narayan Shetty)</li> <li>• Auditor of the Company M/s. KARRA &amp; CO. Chartered Accountants Registration No: 001749S  Shri. T C Vijaya Partner Membership No: 2119892 </li> <li>• Audit Committee Chairman  (Shri Ashok Gupta)</li> </ul>